आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेल SAIL 50 स्थापना के 50 साल 50 YEARS OF INCORPORATION स्वर्ण जयंती • SWARNA JAYANTI

भारतीय औद्योगिक विकास का स्वर्णिम वर्ष

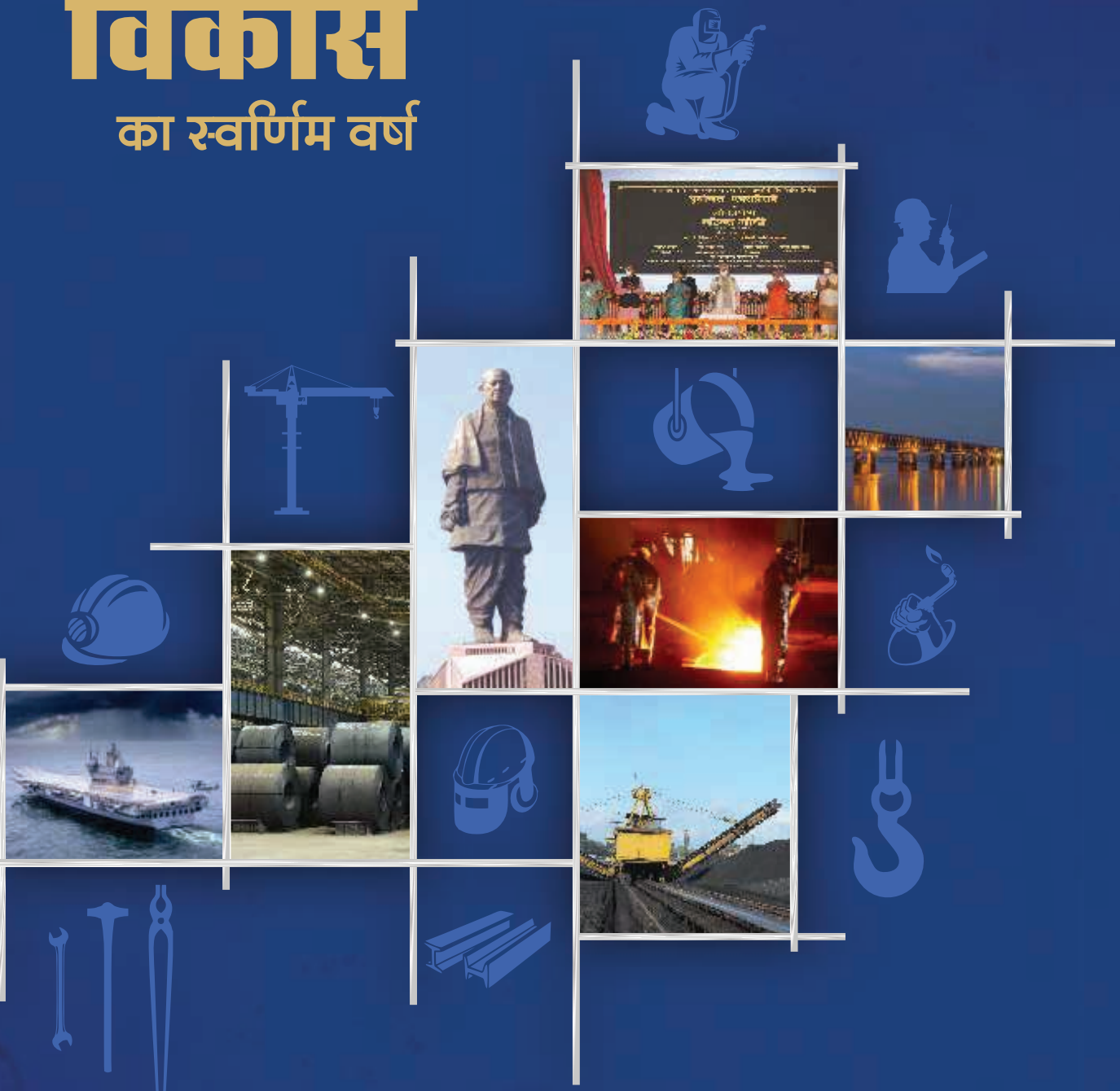

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22

सेल द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव

सेल द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव

सेल द्वारा आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव

दृष्टिगोचर

एक सम्मानित विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान बनने के साथ–साथ भारतीय इस्पात व्यवसाय में गुणवत्ता, उत्पादकता, लाभप्रदता व उपभोक्ता संतुष्टि के क्षेत्र में अग्रणी रहना।

मूल मत

हम उपभोक्ताओं के साथ विश्वास एवं पारस्परिक हित पर आधारित चिरस्थायी संबंध बनाते हैं।

हम अपने व्यवसाय के संचालन में सर्वोच्च नैतिक मानकों को कायम रखते हैं।

हम एक ऐसी संस्कृति का सृजन और पोषण करते हैं जो नम्य एवं ज्ञानार्जन की समर्थक हो और परिवर्तन के प्रति सहक्रियात्मक हो।

हम कर्मचारियों को प्रगति एवं पुरस्कार के अवसरों से युक्त चुनौतीपूर्ण रोजगार पेश करते हैं।

हम लोगों के जीवन में अर्थपूर्ण बदलाव लाने के अवसर और दायित्व का महत्व समझते हैं।

विषय सूची

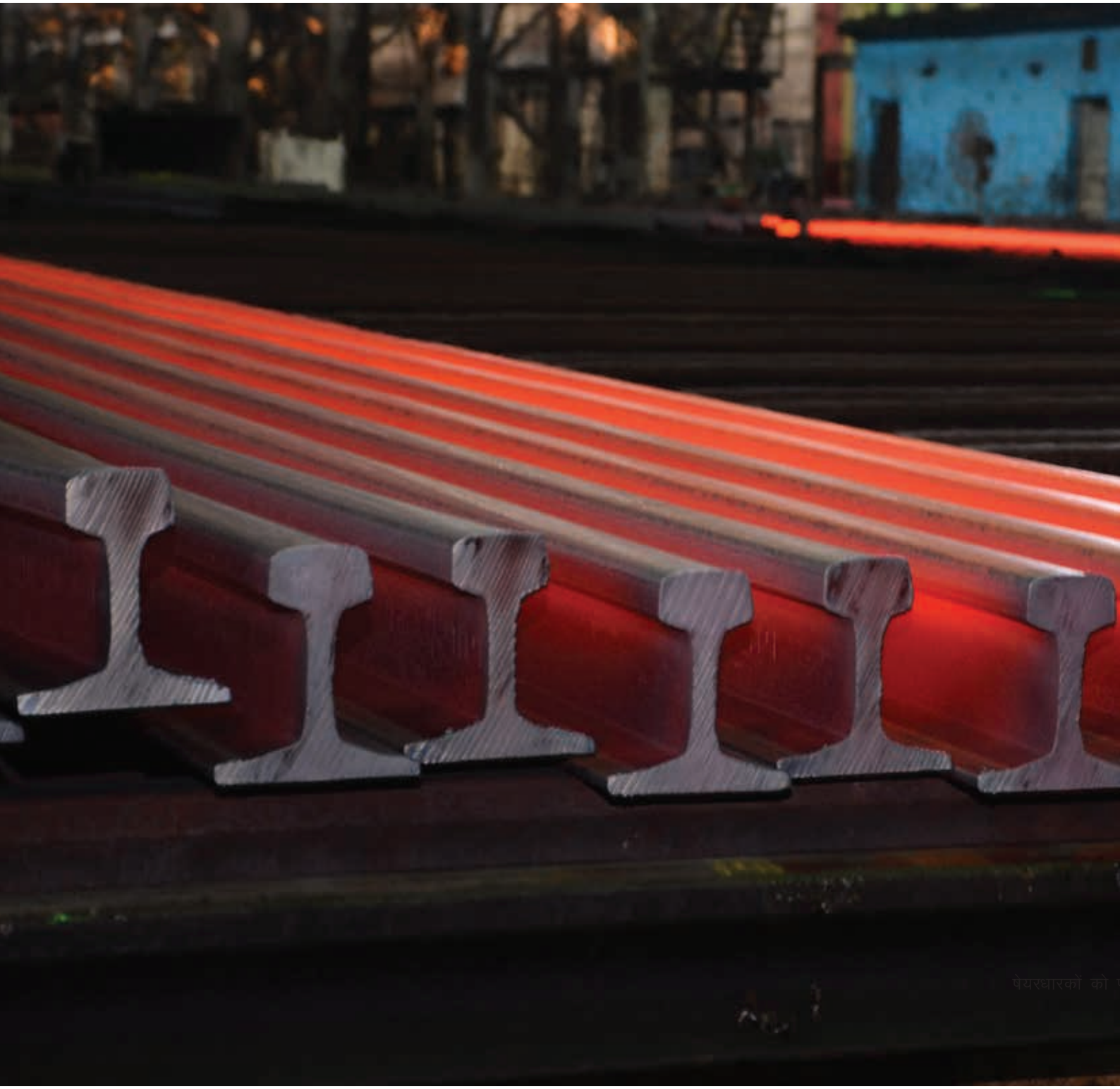

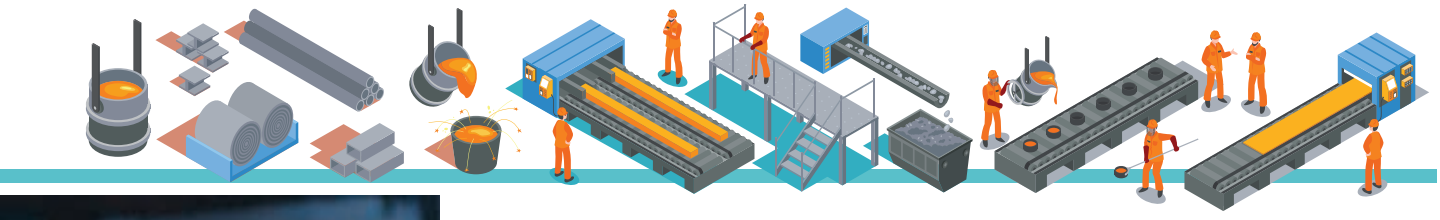

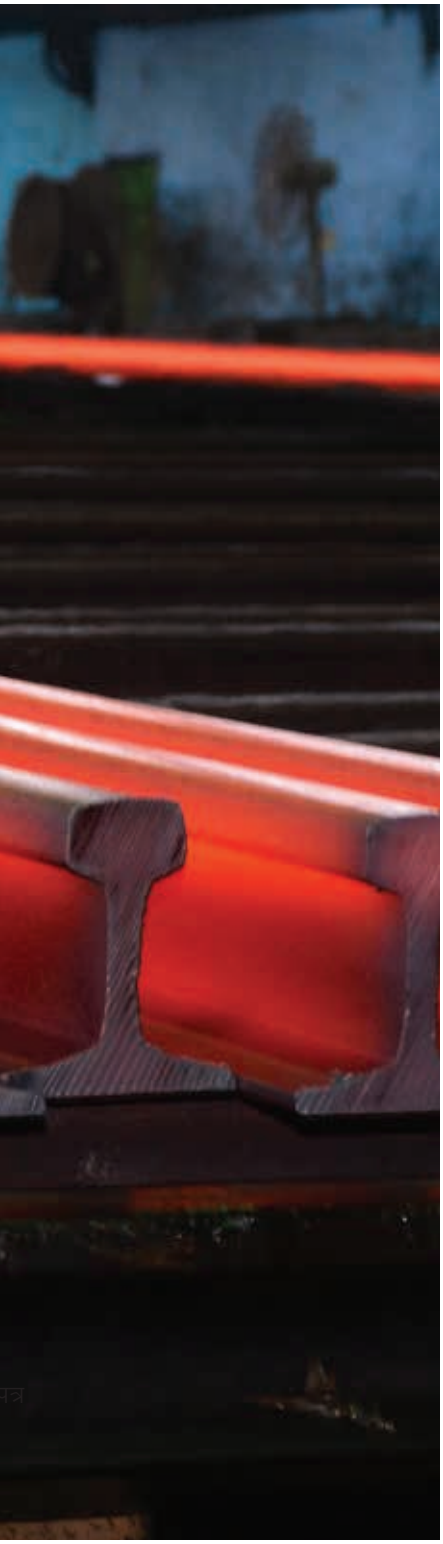

शेयरधारकों को पत्र 8

विशिष्टताए 12

निदेशक मंडल 20

लेखा परीक्षक और बैंकर्स 22

दस वर्षों का संक्षेप सार, संवर्धित/लागू मूल्य और शेयरधारण के प्रतिमान 23

बोर्ड का प्रतिवेदन 29

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट 53

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण 66

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 131

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियां 151

सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट 154

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2021–22 157

कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रमाण पत्र 170

व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) 2021–22 171

समेकित वित्तीय विवरण 195

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट 268

समेकित वित्तीय विवरणों पर नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ 281

वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताओं समेत सहायक कंपनियों का विवरण (फॉर्म एओसी–1) 284

धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का ब्यौरा 286

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण 287

सीएसआर के क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट 292

प्रमुख कार्यपालक 295

नोटिस 296

शेयरधारकों को पत्र...

प्रिय शेयरधारकों,

वर्ष 2022 में हमारे देश ने स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष पूरे कर लिए। यह आधुनिक भारत की यात्रा में एक असाधारण मील का पत्थर है जो भारत 2.0 के लक्ष्य के तौर पर आगे बढ़ने के लिए भारत की तैयारियों में और अधिक महत्व रखता है। भारत@75 की उपलब्धि के उपलक्ष्य में 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह ने सभी के लिए आत्मानिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करने का एक शानदार माहौल तैयार किया। आत्मनिर्भर भारत ने न केवल नागरिकों को प्रगति के अधिक अवसर प्रदान किए, बल्कि बड़े पैमाने पर समाज के लिए सतत और समावेशी विकास के लिए मंच भी तैयार किया।

ऐसे मौके पर, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आपको आपकी कंपनी की उपलब्धियों से एक बार फिर अवगत कराना मेरा सौभाग्य है। बीता साल बेहद उतार–चढ़ाव वाला वर्ष रहा। भारत सहित दुनियाभर के देशों को कोविड–19 के नए रूपों की तमाम लहरों का सामना करना पड़ा। जैसे–जैसे बाजारों ने वापसी करनी शुरू की, वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थव्यवस्था को रूस और यूक्रेन के बीच भू–राजनीतिक संघर्ष के रूप में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव डालते हुए, इन घटनाओं ने कच्चे माल की सुरक्षा, मांग और आपूर्ति असंतुलन, रसद और आपूर्ति–श्रृंखला व्यवधान, मुद्रास्फीति दबाव आदि के मामले में घरेलू इस्पात उद्योग को प्रभावित किया।

जब ये सभी घटनाक्रम हो रहे थे, भारत कोविड–19 के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण अभियान के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा था।

जैसा कि हमने डेढ़ साल की छोटी सी अवधि के भीतर अविश्वसनीय 200 करोड़ टीकाकरण की गिनती का आंकड़ा पार किया है, फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं द्वारा किए गए प्रयासों को विशेष प्रशंसा करने की आवश्यकता है।

साथ ही, जब इस प्रकार का दूरगामी लक्ष्य दूसरों के लिए एक दूर की कौड़ी लग रहा था, इस टीकाकरण अभियान की कल्पना करने, योजना बनाने और इसे क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार की भी सराहना की जानी चाहिए।

हालाँकि, सभी बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद, आपकी कंपनी ने अवसरों का लाभ उठाते हुए जब भी आवश्यकता हुई तो एक शानदार प्रदर्शन किया। आपकी कंपनी ने अर्थव्यवस्था में सामान्य सी उछाल का भी पूरा लाभ उठाकर घरेलू इस्पात उद्योग के समग्र प्रदर्शन के अनुरूप प्रदर्शन किया।

उत्पादन के क्षेत्र में, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान क्रमशः 18.733 मिलियन टन (एमटी), 17.366 मिलियन टन और 16.897 मिलियन टन गर्म धातु, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में क्रमशः 7%, 7% और 12% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने तकनीकी–आर्थिक मानकों जैसे कोक दर, सीडीआई दर और बड़ी ब्लास्ट फर्नेस (बीएफएस) की बेहतर क्षमता उपयोग, बीएफ संचालन के अनुकूलन और सीडीआई के उन्नत उपयोग के कारण विशिष्ट ऊर्जा खपत के संबंध में अपना वार्षिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हासिल किया।

बाजार की लगातार विकसित होने वाली आवश्यकता को पूरा करने के लिए, आपकी कंपनी लगातार नए उत्पादों के विकास के लिए कई पहल कर रही है।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, 11 नए इस्पात उत्पादों का विकास किया गया, जिनसे रेलवे, बुनियादी ढांचे और निर्माण, रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में देश को मजबूत करने की उम्मीद है। इनमें से कुछ उत्पादों को नई चालू उत्पादन सुविधाओं से विकसित किया गया है, उनमें से आर–260 ग्रेड और 60ई1 प्रोफाइल रेल, डीएमआर 301 प्लेट्स, एलएचबी एक्सल, केबल आर्मर क्वालिटी (सीएक्यू) वायर रॉड, एचसी82बी में हाई कार्बन वायर रॉड, विद्युत अनुप्रयोगों के लिए उच्च सिलिकॉन कोल्ड रोल्ड कॉइल, रेलवे स्लीपर के लिए, समानांतर निकला हुआ चौड़े किनारे वाली डब्ल्यूपीबी200, इंफ्रा और निर्माण क्षेत्रों के लिए एफई550डी एचसीआर और एफई600, कृषि और सौर उद्योग के लिए उच्च शक्ति लेपित गैल्वेनाइज्ड उत्पाद, आदि सबसे प्रमुख हैं। इसके अलावा, उत्पादकता पर विशेष जोर देने के साथ, प्रक्रिया में सुधार के लिए गुणवत्ता सुधार, उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण, ऊर्जा संरक्षण और स्वचालन को संसाधित करते हुए सभी संयंत्रों में बड़ी संख्या में नई पहल की गई।

आपकी कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का फल वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान अब तक की सबसे अधिक बिक्री के रूप में 16.152 मिलियन टन के रूप में मिला, जो पिछले सर्वश्रेष्ठ की तुलना में 8% की वृद्धि के रूप में दर्ज किया गया।

आपकी कंपनी ने घरेलू क्षेत्र में दशकों से नेतृत्व की भूमिका निभाई है। नई क्षमताओं को जोड़ने के साथ, सेल न केवल घरेलू क्षेत्र में अपनी बिक्री की मात्रा का विस्तार करने बल्कि वैश्विक बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है। निर्यात के लिए नए माध्यम उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से नए बाजारों की खोज की जाती है। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 1.353 मिलियन टन की निर्यात बिक्री, लगातार तीसरे वर्ष के रूप में चिह्नित है जब आपकी कंपनी ने निर्यात में 1 मिलियन टन का आंकड़ा पार किया।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान खुदरा क्षेत्र में लगभग 5.89 लाख टन टीएमटी बार की आपूर्ति की गई। खुदरा क्षेत्र की अपेक्षाओं और मांगों को पूरा करने के लिए, सेल पूरे भारत में अपने 2–स्तरीय और 1–स्तरीय वितरण नेटवर्क का विस्तार कर रहा है जो बी2सी क्षेत्र में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगा। खुदरा ग्राहकों को टीएमटी बार की खरीद की सुविधा के लिए, सेल ने 'सेल सुरक्षा' के नाम से ई–बिक्री मंच पेश किया है। आपकी कंपनी के ब्रांडेड उत्पादों जैसे टीएमटी बार के लिए 'सेल सेक्योर' और संरचनात्मक कार्यों के लिए 'नेक्स' की लोकप्रियता बाजार में लगातार बढ़ रही है। इन ब्रांडों को लोकप्रिय बनाने के लिए, आपकी कंपनी उपयोगकर्ता समूहों जैसे आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, सिविल इंजीनियर्स, स्ट्रक्चरल डिजाइनर्स, अंतिम उपभोक्ताओं, आदि के साथ भौतिक और वर्चुअल बैठकों का आयोजन करती रहती है।

आपकी कंपनी देश में इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने में सक्रिय रूप से शामिल है। अपने वितरक/डीलर नेटवर्क के माध्यम से बिक्री करते समय, ब्रांड प्रचार के साथ–साथ इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आउटडोर/इनडोर मीडिया अभियान नियमित रूप से किए जा रहे हैं। नियमित ग्राहकों को सेवा देने के अलावा, आपकी कंपनी ग्रामीण भारत की क्षमता का दोहन करने का भी प्रयास कर रही है, जिसके लिए ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम 'गाँव की ओर' के तहत नियमित कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। कोविड–19 की चुनौतियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान देश भर में 130 कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एमएसएमई खंड में, भारत सरकार के 'मिशन पूर्वोदय' कार्यक्रम के तत्वावधान में, एमएसएमई आधारित विकास के लिए 'इस्पाती इलाकों का विकास–सेल के साथ' नामक एक प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022 तक एकीकृत इस्पात संयंत्र वाले लगभग 142 जिले एमएसएमई में शामिल हुए हैं।

सेल अपनी स्थापना के समय से ही देश के लिए इस्पात का पसंदीदा विकल्प रहा है। सेल स्टील ने भारत के लिए सामरिक महत्व की परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मजबूत किया है।

विरासत को आगे बढ़ाते हुए, सेल ने बिजली, सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, मेट्रो रेल, सिंचाई और पेयजल, उर्वरक उद्योग, तेल और गैस क्षेत्र, आदि जैसी परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण मात्रा में इस्पात की आपूर्ति की है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर, नेशनल हाई–स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन परियोजना, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से फूलबाड़ी तक भारत का सबसे लंबा 19 किलोमीटर का सड़क पुल आदि बनाने में योगदान किया है।

कच्चे माल के मोर्चे पर, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान लगभग 34.15 मिलियन टन लौह अयस्क खनन करके अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया।

कोयले और फ्लक्स जैसे अन्य आदानों की आवश्यकता आंशिक रूप से कैपटीव स्रोतों से उत्पादन के माध्यम से क्रमशः 0.88 एमटी और 1.89 एमटी पर पूरी की गई थी। तथापि, चूंकि देश में मांग की तुलना में कोकिंग कोल का उत्पादन बहुत कम है, आवश्यकता और स्वदेशी उपलब्धता के बीच की खाई को पाटने और गुणवत्ता में सुधार के लिए आपकी कंपनी सहित घरेलू इस्पात उत्पादकों द्वारा इसका आयात किया जा रहा है।

बीते साल आपकी कंपनी ने पहली बार भारतीय कंपनियों के कुलीन क्लब में प्रवेश किया, जिसका टर्नओवर 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के सर्वश्रेष्ठ ₹68,452 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022 में ₹1.03 लाख करोड़ के कारोबार के रूप में 50% से अधिक की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की। बेहतर परिचालन प्रदर्शन के साथ टर्नओवर में वृद्धि ने कंपनी को लाभप्रदता के मामले में अब तक के उच्चतम आंकड़े हासिल करने में मदद की। ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (ईबीआईडीटीए) से पूर्व कमाई ₹22364 करोड, कर पूर्व लाभ (पीबीटी) ₹16039 करोड़ और कर पश्चात लाभ (पैट) ₹12015 करोड़ में क्रमशः 63%, 40% और 59% की वृद्धि हुई।

लाभप्रदता में सुधार ने लीवरेज स्थिति में सुधार लाने पर पहले से लगाए जा रहे प्रयास बल को अतिरिक्त गति मिली। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, आपकी कंपनी ने 31 मार्च 2021 को अपने ऋणों ₹22000 करोड़ में से ₹35,350 करोड़ (गैर–इंडिया) घटाकर 31 मार्च 2022 को ₹13,386 करोड़ (गैर–इंडिया) कर दिया।

कंपनी ने अपने निवेशकों के साथ उत्कृष्ट वित्तीय प्रदर्शन के लाभों को साझा करने का निर्णय लिया और वर्ष के दौरान दो बार अंकित मूल्य के 40% और 25% पर अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

इसके अलावा, आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश 22.50% की सिफारिश की है। 87.50% पर संचयी लाभांश किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए अब तक का सबसे अधिक है। लाभप्रदता और तरलता में सुधार के साथ, कंपनी ने अन्य प्रमुख हितधारकों जैसे कर्मचारियों की कुछ लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा करने के अवसर को जब्त कर लिया। कंपनी ने कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन के साथ–साथ लंबे समय से लंबित पेंशन देयता का निपटारा किया।

आपकी कंपनी अपने विकास और निरंतरता के लिए सामरिक महत्व की कई परियोजनाएं चला रही है।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान सेल संयंत्रों में तीन प्रमुख सुविधाओं को चालू किया गया था, जिसमें राउरकेला में 3.2 एमटीपीए हॉट स्ट्रिप मिल शामिल है जो प्रतिस्पर्धी उत्पाद गुणवत्ता और समृद्ध उत्पाद श्रृंखला सुनिश्चित करेगा। दूसरा, बोकारो में एसएमएस–I में संबद्ध सुविधाओं के साथ एक नया स्लैब कास्टर, जिसने इस्पात की निरंतर ढलाई के साथ अप्रचलित पिंड कास्टिंग मार्ग को चरणबद्ध किया और तीसरा, राउरकेला में "1X250 मेगावाट थर्मल संयंत्र" की स्थापना एनएसपीसीएल, सेल और एनटीपीसी की 50:50 के रूप में संयुक्त उद्यम द्वारा शुरू की गई। इसके अलावा आपकी कंपनी भिलाई के एसएमएस–III पर चौथा कैस्टर लगाने के लिए भी कदम उठा रही है।

आपकी कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के उद्देश्यों को संबंधित कानूनों के अनुपालन में परिभाषित किया गया है जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ–साथ डीपीई दिशानिर्देश शामिल हैं। आपकी कंपनी राष्ट्रीय प्राथमिकता के विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता आदि में अपनी सीएसआर गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है।

वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, सेल ने सीएसआर पर ₹94 करोड़ से अधिक का व्यय किया है।

आपकी कंपनी ने कोविड–19 के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाना जारी रखा है।

सेल ने अपने कर्मचारियों और साइटों पर काम करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अपने संयंत्रों, इकाइयों, खानों और टाउनशिप में कोविड–19 के प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रतिक्रिया को सक्रिय किया। टच–फ्री हैंड सैनिटाइजर, कीटाणुनाशक का छिड़काव, डिजिटल थर्मल रिकॉर्डर आदि का उपयोग करने की व्यवस्था की गई। सेल संयत्र और इकाई ने समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को भोजन, दवाएं, फेस मास्क, एप्रन, दस्ताने आदि वितरित किए।

उच्च योग्य डॉक्टरों और अन्य पैरा–मेडिकल कर्मचारियों द्वारा संचालित सेल अस्पताल चौबीसों घंटे सेवा में उपलब्ध रहे। सेल अस्पतालों ने ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ ~1000 समर्पित कोविड–19 बेड और वेंटिलेटर सपोर्ट के साथ 129 आईसीयू बेड, मामलों में वृद्धि को देखते हुए, 600 बेड क्वारंटाइन सुविधाओं का निर्माण किया और संबंधित राज्य सरकारों के समन्वय में आरएटी, आरटीपीसीआर, टीआरयू–एनएटी जैसी कोविड–19 परीक्षण सुविधाएं विकसित कीं। इसके अलावा, सेल संयंत्रों ने संयंत्रों से समर्पित पाइपलाइनों के माध्यम से गैसीय ऑक्सीजन से सुसज्जित जंबो कोविड–19 संबंधी देखभाल सुविधाओं की स्थापना की।

क्यू1 के दौरान, जब स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को तरल मेडिकल ऑक्सीजन (एलएमओ) की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तब आपकी कंपनी इस अवसर पर पहुंची और रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों में सेल संयत्र सुविधाओं से 1.3 लाख मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति की। देश के टीकाकरण अभियान के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और संयंत्रों/इकाइयों के साथ–साथ आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले अन्य लोगों के टीकाकरण की पहल भी की।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक और राष्ट्र निर्माण में भागीदार के रूप में सेल के प्रयासों को आपकी कंपनी द्वारा जीते गए पुरस्कारों और प्रशंसाओं के रूप में कई मंचों पर मान्यता मिली है। इनमें से कुछ प्रमुख हैं– आपकी कंपनी को निदेशकों के संस्थान द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है, जबकि सेल के कर्मचारियों ने भी प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार (31 कर्मचारियों ने 6 पुरस्कार जीते) और वर्ष 2018 के लिए विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (52 कर्मचारियों ने वर्ष 2018 के लिए 11 पुरस्कार) जैसे पुरस्कार जीते हैं।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट सदस्य के रूप में, आपकी कंपनी ने कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपनी पर्यावरणीय दृष्टिकोण तैयार किया है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करता है बल्कि इससे आगे जाने के प्रयास पर जोर देता है।

चूंकि सेल संयंत्र और खदान पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, साथ ही वे खराब पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और पुनर्वास करने और जैव विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सभी उचित उपाय भी कर रहे हैं। इनमें खनन किए गए क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली, ताजा वृक्षारोपण, कार्बन डाई ऑक्साइड का जैव–अनुक्रमण, कचरे का उपयोग बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि शामिल हैं। सेल संयंत्रों और खानों में संरचित वृक्षारोपण कार्यक्रम हर साल किए जा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान 3.6 लाख से अधिक पौधे लगाए गए, जिससे संचयी वृक्षारोपण को 21.5 मिलियन तक पहुंचाया गया।

सेल संयंत्र और खदानें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर रही हैं और उन्हें नियमित रूप से सुधार/नवीनीकरण/पुनरोद्धार के माध्यम से बनाए रखती हैं और उन्हें उन्नत भी करती हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, ठोस अपशिष्ट उपयोग, विशिष्ट जल खपत, विशिष्ट पीएम उत्सर्जन भार, विशिष्ट अपशिष्ट निर्वहन, विशिष्ट अपशिष्ट भार आदि जैसे सभी स्थिरता मानकों में पिछले वर्ष की तुलना में सुधार आया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण पदचिह्न में सुधार की महत्वाकांक्षा के साथ, सेल ने एक औद्योगिक भागीदार और आंशिक वित्त मंत्रालय के रूप में भाग लेने के लिए 'सतत कृषि और समावेशी विकास के लिए उर्वरक' आईसीएआर–आईएआरआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

कॉप 26 में भारत सरकार की बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, आपकी कंपनी ने 2030 तक कार्बन डाई ऑक्साइड उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने और अक्षय/गैर–पारंपरिक ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ–साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसके अलावा, सभी सेल संयंत्रों में 'शून्य तरल निर्वहन' के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त उपचार और संयंत्र की सीमा पर बहिःस्राव द्वारा छोड़े जा रहे अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से कार्रवाई की जाती है।

अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के एक भाग के रूप में, 'वनस्पति आवरण को बढ़ाकर मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और भारत की नीची सूखी भूमि और रेगिस्तान में लोगों की आजीविका' के लिए, सेल ने 'वन उत्पादकता संस्थान, रांची' को खनन निस्तारण की पारिस्थितिकी–पुर्नस्थापना के लिए लगाया। किरिबुरु लौह अयस्क खानों और मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खानों के लिए अलग से क्षेत्र और अपशिष्ट डंप बनाए गए। इसके अलावा, देश की प्राकृतिक संपदा को जोड़ने के लिए, सेल ने "जैव–विविधता पार्क–वसुंधरा" और "इस्पात नंदन विहार" विकसित किया, जो क्रमशः डीएसपी पर 409 एकड़ और आरएसपी पर 1.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है।

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट हमेशा पारदर्शी तरीके से व्यवसाय का रखरखाव और संचालन करता है। आपकी कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, अखंडता और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मामलों के संचालन के लिए सतर्कता तंत्र को अपनाया है। कंपनी के सभी कर्मचारी और कंपनी के बोर्ड के निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं।

आपकी कंपनी अपने मत और विश्वसनीयता के अनुरूप कॉरपोरेट गवर्नेंस के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है।

इस संबंध में, आपकी कंपनी पारदर्शिता, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के सिद्धांत का पालन करती है जो न केवल कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, डीपीई दिशानिर्देशों आदि सहित कानूनों, विनियमों और दिशानिर्देशों

के अनुरूप है, बल्कि इससे आगे भी जाती है। आपकी कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पूरे संगठन में नैतिक आचरण को बढ़ावा देती है। वही कंपनी की नीतियों में परिलक्षित होता है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रकटीकरण और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करती है।

राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के अनुरूप, आपकी कंपनी ने अपना विजन 2030 तैयार किया है जिसके तहत कच्चे इस्पात की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। जैसे–जैसे हमारी लीवरेज स्थिति में सुधार हुआ है, आपकी कंपनी ने विस्तार के अगले चरण के लिए भूमि बैंक अध्ययन पर काम करना शुरू कर दिया है।

आपकी कंपनी डिजिटल परिवर्तन को अपनाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रही है जो आज की गतिशील कारोबारी माहौल की दुनिया में पूर्वापेक्षित है।

सेल ने उद्योग 4.0 को अपनाकर डिजिटल परिवर्तन की यात्रा शुरू की है, जो डेटा–आधारित संचालन के माध्यम से कंपनियों को बदल रहा है। आपकी कंपनी ने संगठन के लिए आईटी विजन को रेखांकित करते हुए इसका रोडमैप भी तैयार किया है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, आर्थिक परिदृश्य के बाद कोविड–19 महामारी काफी अस्थिर रही है। कोविड–19 के आगमन ने दुनिया भर की एजेंसियों द्वारा अनुमानों को काफी तेजी से नीचे की ओर धकेलाा। इसके विपरीत, अर्थव्यवस्थाओं ने बहुत तेजी से सुधार दिखाया। हालांकि, कोविड की नित नई लहरें रुक–रुक कर आर्थिक प्रगति में बाधक रही हैं। जैसे–जैसे सामान्य स्थिति धीरे–धीरे स्थापित हो रही थी, मुद्रास्फीति के दबाव, रूस–यूक्रेन युद्ध, चीन जैसे देशों में मंदी और सख्त मौद्रिक नीतियों जैसे कारकों ने अनुमानों को फिर से बिगाड़ दिया है। आईएमएफ ने जुलाई 2022 में प्रकाशित अपने विश्व आर्थिक दृष्टिकोण में वर्ष 2022 और 2023 के लिए क्रमशः 3.2% और 2.9% पर विश्व विकास दृष्टिकोण का अनुमान लगाया है, जो कि वर्ष 2021 में प्राप्त 6% से तेज गिरावट है, जो प्रमुख रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाएं में कम वृद्धि के कारण है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को वर्ष 2022 और 2023 के दौरान क्रमशः 2.5% और 1.4% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जो कि वर्ष 2021 के दौरान प्राप्त 5.2% से बहुत दूर है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन उम्मीद है कि वर्ष 2022 और 2023 के दौरान हम क्रमशः 3.6% और 3.9% की वृद्धि करके अपने उन्नत समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन करेंगे। भारत के 2022 और 2023 के दौरान क्रमशः 7.4% और 6.1% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो कि 2021 के लिए प्राप्त 8.7% से फिर भी कम है, लेकिन तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के सम्मान को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।

जहां तक इस्पात की मांग का संबंध है, विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाली सामान्य समस्याओं का इस्पात की वैश्विक मांग पर एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि वित्तीय बाजार में अस्थिरता और बढ़ी हुई अनिश्चितता निवेश को कमजोर कर रही है। विशेष रूप से रूस–यूक्रेन युद्ध ने इस्पात उद्योग के लिए बहुत संकट पैदा कर दिया है क्योंकि इससे आपूर्ति श्रृंखला में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में बड़े व्यवधान हुए हैं। वर्ष 2022 की पहली छमाही में पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे इस्पात के उत्पादन में लगभग 5.5% की गिरावट देखी गई, जिसमें भारत को छोड़कर सभी प्रमुख इस्पात उत्पादक देशों ने नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। दूसरी ओर भारत ने कच्चे इस्पात के उत्पादन में 8.8% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा अप्रैल 22 में प्रकाशित शॉर्ट रेंज आउटलुक ने वर्ष 2023 के दौरान 2.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया है। हालाँकि, 2023 के लिए दृष्टिकोण इस धारणा पर आधारित है कि 2022 के दौरान रूस–यूक्रेन युद्ध समाप्त हो जाएगा।

भारतीय इस्पात उद्योग ने मुख्य रूप से सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के उपायों के हिस्से के रूप में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश द्वारा बनाई गई मांग से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। इंफ्रा क्षेत्र के खर्च से आने वाले साल में बढ़त को रफ्तार मिलने की उम्मीद है। ऑटो क्षेत्र जो वैश्विक सेमी–कंडक्टर की कमी के कारण अपेक्षाकृत निराशाजनक रहा है, ने अब पुनरुद्धार के संकेत दिखाने शुरू कर दिए हैं। तदनुसार, डब्ल्यूएसए के अनुसार, भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा वर्ष 2023 में 6% की वृद्धि दर के साथ अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने का अनुमान है।

आपकी कंपनी का मानना है कि विश्वास निर्माण से अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और अपने निवेशकों और हितधारकों के विश्वास को बढ़ाएगा। इसके अनुरूप, सेल लगातार और नियमित रूप से विभिन्न संचार चैनलों के उपयोग के माध्यम से सभी हितधारकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा है। मैं इस अवसर पर आपको सूचित करती हूं कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्रों के अनुसार, कंपनी की 50वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जो हमारे दूर–दराज के क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करती है, शेयरधारकों को एजीएम में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है, जो अन्यथा भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता वाले पूर्व अभ्यास के अनुसार मुश्किल था।

अंत में, मैं इस अवसर पर सभी हितधारकों को उनके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं विशेष रूप से हमारे मूल्यवान ग्राहकों, विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं, केंद्र और राज्य सरकारों और हमारे प्रतिभाशाली कर्मचारियों को भी धन्यवाद देती हूं जो हमेशा कंपनी के साथ खड़े रहे और सेल की प्रगति में योगदान देते रहे। मैं विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय को धन्यवाद देती हूं, जिनके निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन ने विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण समय के दौरान कंपनी के लिए इस सराहनीय प्रदर्शन को संभव बनाया। मैं अन्य सभी हितधारकों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने कंपनी के बेहतर प्रदर्शन में आंतरिक और बाह्य योगदान दिया है। मैं आशा करती हूं कि इससे उनका कंपनी में विश्वास व निरंतर समर्थन और अधिक मजबूत होगा, जो उन्होंने आज तक हम पर बनाए रखा है।

सोमा मंडल

(सोमा मंडल)

अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 5 सितंबर, 2022

वर्ष 2021–22 में सेल के प्रदर्शन पर एक नज़र

- ↑वर्ष–दर–वर्ष गर्म धातु उत्पादन 7%
- ↑वर्ष–दर–वर्ष कच्चे इस्पात का उत्पादन 8%
- ↑वर्ष–दर–वर्ष बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन 12%

- ↑वर्ष–दर–वर्ष लौह अयस्क उत्पादन 16%

तकनीकी–अर्थशास्त्र में सुधार

- ↓वर्ष–दर–वर्ष कोक दर 2%

- ↑वर्ष–दर–वर्ष सीडीआई दर 12%

तकनीकी–अर्थशास्त्र

तकनीकी अर्थशास्त्र

- ↓ विशिष्ट ऊर्जा खपत 1%

वित्तीय प्रदर्शन

- ↑वर्ष–दर–वर्ष कारोबार 68%
- ↓वर्ष–दर–वर्ष ऋण 74%
- ↑वर्ष–दर–वर्ष पूंजीगत व्यय 46%
- 2021–2022 में ₹3,614 करोड़ का घोषित लाभांश

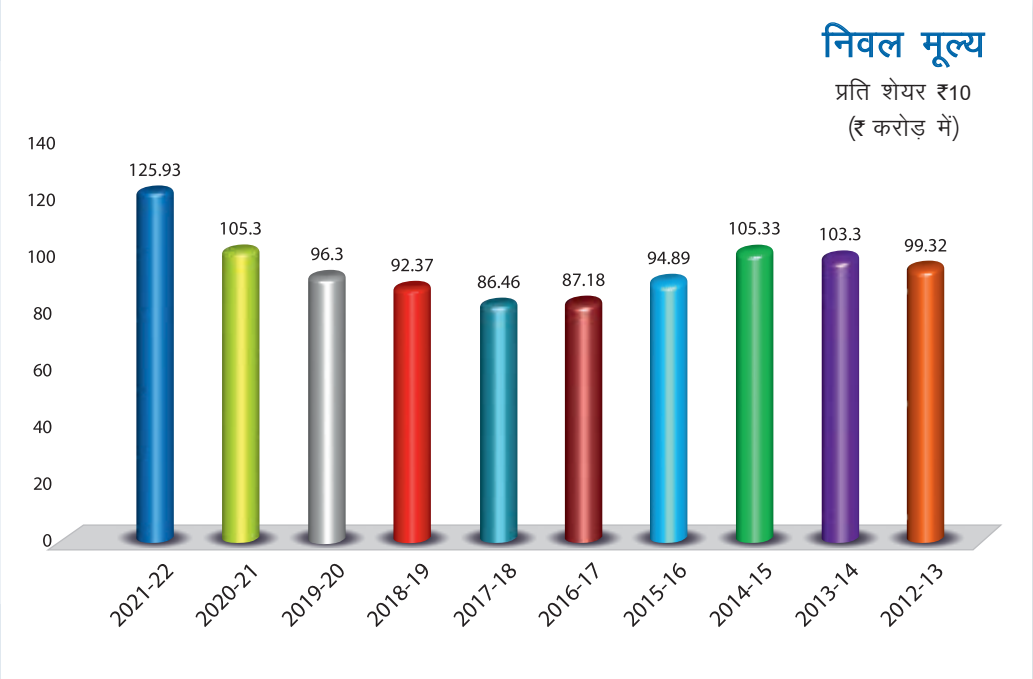

उत्पाद विकास

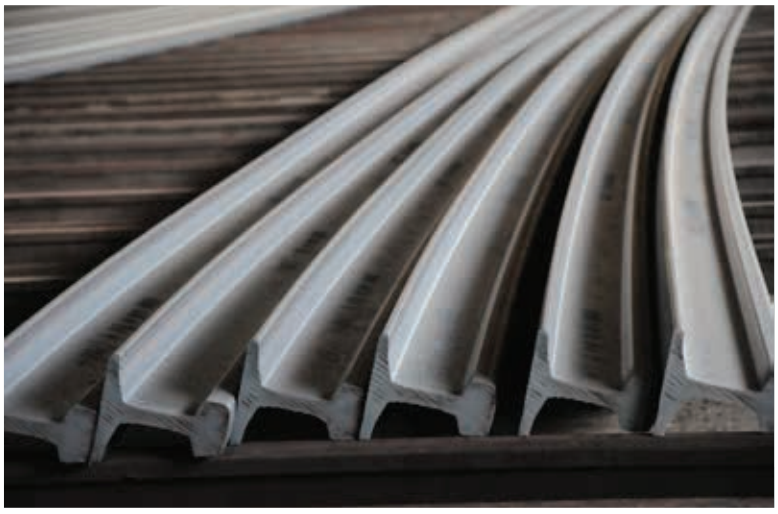

- आर–260 ग्रेड रेल
- नई प्रोफाइल – 60ई1 रेल
- हेड हार्डन रेल का ट्रायल रोलिंग (1175 एचटी)

- आयात विकल्प डीएसपी–एएसपी–वीआईएसएल एलएचबी धुरें

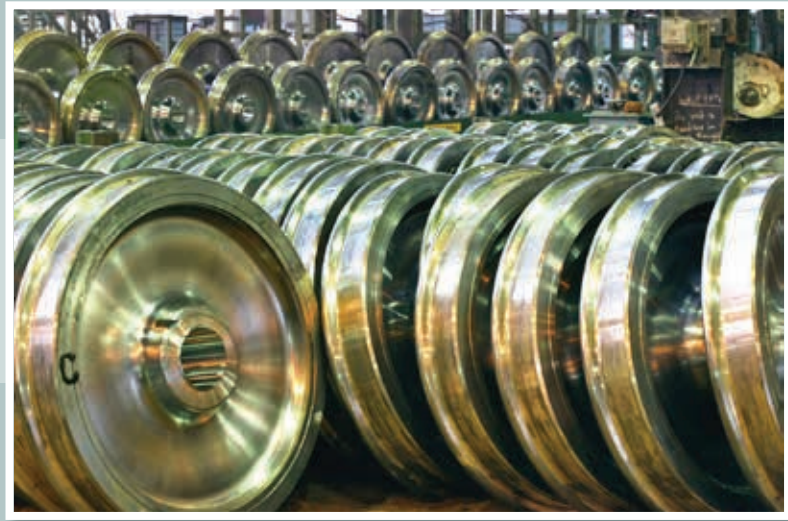

- उच्च जस्ता कोटिंग के साथ उच्च क्षमता वाली गैल्वेनाइज्ड शीट

आधुनिकीकरण और विस्तार:

- राउरकेला स्टील संयंत्र में 3 एमटीपीए हॉट स्ट्रिप मिल का जांच कमीशन

- एनएसपीसीएल द्वारा आरएसपी पर 1 x 250 मेगावाट ताप विद्युत संयंत्र, सेल और एनटीपीसी का 50:50 संयुक्त उद्यम

पारदर्शिता

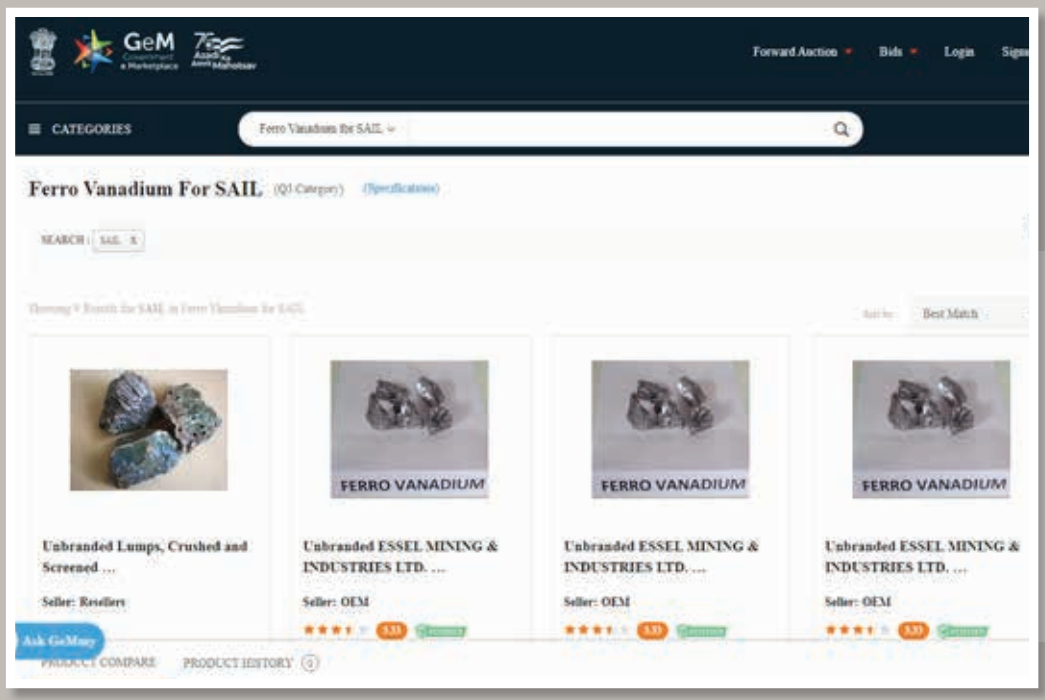

- सेल खरीद मूल्य ₹4,614 करोड़ के साथ, सीपीएसई के बीच जीईएम के सबसे बड़े खरीदार के रूप में उभरा

कोविड–19 के खिलाफ लड़ाई में योगदान:

- 130000 टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति की गई
- अलग से विशालकाय कोविड देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था की गई
- प्रधानमंत्री राहत कोष में ₹50 करोड़ का योगदान किया गया

पुरस्कार

- प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए 31 सेल कर्मचारियों को प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार तथा 52 सेल कर्मचारियों को विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार और सतत इस्पात निर्माण के लिए वर्ष 2021 के लिए स्वर्ण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार

सेल इस्पात हर जगह है, हर क्षेत्र में है

- सेंट्रल विस्टा, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, दिल्ली–मेरठ, पोलावरम सिंचाई परियोजना, कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे सहित देश भर में कई मेट्रो रेल परियोजनाओं और राष्ट्रीय महत्व की कई अन्य परियोजनाओं के लिए इस्पात आपूर्ति की गई।

निदेशक मंडल

(5 सितंबर, 2022 को यथास्थिति)

अध्यक्ष
श्रीमती सोमा मंडल

कार्यात्मक निदेशक

श्री अनिर्बान दासगुप्ता
प्रभारी निदेशक (भिलाई इस्पात संयंत्र)

श्री अमरेन्दु प्रकाश
प्रभारी निदेशक (बोकारो इस्पात संयंत्र)

श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी
निदेशक (वाणिज्यिक)

श्री अतानु भौमिक
प्रभारी निदेशक (राउरकेला इस्पात संयंत्र)

श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह
प्रभारी निदेशक (बर्नपुर एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र)

श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी
निदेशक (वित्त)

श्री कृष्ण कुमार सिंह
निदेशक (कार्मिक)

श्री अरविन्द कुमार सिंह
निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल)

सरकारी निदेशक

श्रीमती सुकृति लिखी
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अभिजीत नरेंद्र
सह सचिव,
इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार

स्वतंत्र निदेशक

श्री एन. शंक्रप्पा

श्री अशोक कुमार त्रिपाठी

श्री कन्हैया सारदा

श्रीमती नीलम सोंनकर

श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू

डॉ. गोपाल सिंह भाटी

प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद

श्रीमती सोमा मंडल

श्रीमती सुकृति लिखी

श्री अभिजीत नरेंद्र

श्री एन. शंक्रप्पा

श्री अनिर्बान दासगुप्ता

श्री अमरेन्दु प्रकाश

श्री अशोक कुमार त्रिपाठी

श्री कन्हैया सारदा

श्रीमती नीलम सोनकर

श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू

डॉ गोपाल सिंह भाटी

श्री विजेन्डला श्रीनिवासा चक्रवर्थी

श्री अतानु भौमिक

श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह

प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद

श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी

श्री कृष्ण कुमार सिंह

श्री अरविन्द कुमार सिंह

सांविधिक लेखा परीक्षक	
मेसर्स तेज राज एंड पाल सनदी लेखाकार	**मेसर्स एस जयकिशन** सनदी लेखाकार
मैसर्स वाकर चांडिओक एंड कंपनी एलएलपी सनदी लेखाकार	**मैसर्स के ए एस जी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार

लागत लेखा परीक्षक		
मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी लागत लेखाकार	**मैसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स** लागत लेखाकार	**मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी** लागत लेखाकार

सचिवीय लेखा परीक्षक
मैसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स सचिवीय लेखा परीक्षक

पंजीकृत कार्यालय
इस्पात भवन लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 फोनः 24367481, फैक्सः 24367015 वेबसाइटः WWW.SAIL.CO.IN, ईमेलः SECY.SAIL@SAIL.IN सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

बैंकर्स 2021–22	
1. एक्सिस बैंक लिमिटेड	9. कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड
2. बैंक ऑफ इंडिया	10. पंजाब नेशनल बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा	11. आरबीएल बैंक लिमिटेड
4. केनरा बैंक	12. भारतीय स्टेट बैंक
5. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	13. युनाइटेड ओवरसीज बैंक
6. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	14. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
7. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	15. येस बैंक लिमिटेड
8. इंडसइंड बैंक लिमिटेड	

दस वर्षों का संक्षेप सार

वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च, 2022 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए **(₹ करोड़ में)**

	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
सकल बिक्री	102805	68452	61025	66267	58297	49180	43294	50627	51866	49350
निवल बिक्री	102805	68452	61025	66267	56893	43866	38471	45208	46189	43961
ब्याज, कर और मूल्यह्रास एवं पूर्व आय (ईबीआईटीडीए)	22364	13740	11199	10283	5184	672	(2204)	5586	5909	5621
मूल्यह्रास	4274	4102	3755	3385	3065	2680	2402	1773	1717	1403
ब्याज और वित्त प्रभार	1698	2817	3487	3155	2823	2528	2300	1454	968	748
विशिष्ट मदों से पूर्व लाभ/(हानि)	16392	6821	3957	3743	(703)	(4536)	(6906)	2359	2266	3470
विशिष्ट मदें : लाभ /(हानि)	(353)	58	(787)	(405)	(56)	(315)	(101)	-	959	(229.3)
कर से पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीटी)	16039	6879	3171	3338	(759)	(4851)	(7008)	2359	3225	3241
कर/(आयकर वापसी और आस्थगित कर) के प्रावधान	4024	3029	1149	1159	(277)	(2018)	(2986)	266	608	1070
कर पश्चात लाभ/(हानि) (पीएटी)	12015	3850	2022	2179	(482)	(2833)	(4021)	2093	2616	2170
लाभांश	3614	1157	-	207	-	-	-	826	834	826
इक्विटी पूंजी	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131	4131
आरक्षित और अधिशेष	47887	39364	35647	34021	31583	31879	35065	39374	38536	36894
निवल संपत्ति (इक्विटी पूंजी और आरक्षित और अधिशेष)	52017	43495	39777	38152	35714	36009	39196	43505	42666	41025
कुल ऋण	17284	37677	54127	45170	45409	41396	35141	29898	25281	21597
निवल अचल परिसंपत्तियां	73657	67600	69019	61359	58612	50285	45926	36169	26771	16777
पूंजी कार्य प्रगति पर	4017	8878	8752	16014	18395	23275	24927	29196	33651	35891
वर्तमान परिसंपत्ति (अल्पकालिक ऋण सहित)	28674	31976	40918	32249	29638	25545	24304	28482	26891	27616
वर्तमान देयताएं और प्रावधान	39318	25908	22066	23632	24068	21486	18992	16338	15212	13012
कार्यशील पूंजी (वर्तमान परिसंपत्तियां घटा चालू देयताएं)	(10644)	6068	18852	8617	5570	4060	5312	12145	11679	14604
नियोजित पूंजी (नियत अचल परिसंपत्ति कार्यशील पूंजी)	63013	73668	87871	69977	64182	54345	51238	48314	38450	31381
प्रति शेयर बाजार मूल्य (रुपये में) (कालावधि के अंत में)	98.55	78.80	23.05	53.75	70.20	61.20	43.00	68.35	71.40	62.35
प्रमुख वित्तीय अनुपात										
नियोजित पूंजी के औसत के लिए इबीआईडीटीए (%)	32.72	17.01	14.19	15.33	8.75	1.27	(4.28)	12.88	16.90	17.48
निवल बिक्री के लिए पीबीटी (%)	15.60	10.05	5.20	5.04	(1.33)	(11.06)	(18.22)	5.22	6.98	7.37
नियोजित पूंजी पर पीबीटी का औसत (%)	23.47	8.52	4.02	4.98	(1.28)	(9.19)	(13.62)	5.44	8.39	10.08
निवल मूल्य पर औसत लाभ (%)	25.16	9.25	5.19	5.90	(1.34)	(7.53)	(9.72)	4.86	6.13	5.37
₹10 के प्रति शेयर का निवल मूल्य	125.93	105.30	96.30	92.37	86.46	87.18	94.89	105.33	103.30	99.32
₹10 के प्रति शेयर आय	29.09	9.32	4.89	5.27	(1.17)	(6.86)	(9.74)	5.07	6.33	5.25
मूल्य–आय औसत (गुणा)	3.39	8.45	4.71	10.19	(60.19)	(8.92)	(4.42)	13.48	11.28	11.87
₹10 प्रति शेयर लाभांश	8.75	2.80	-	0.50	-	-	-	2.00	2.02	2.00
प्रभावी लाभांश दर (%)	8.88	3.55	-	-	-	-	-	2.93	2.83	3.21
ऋण–इक्विटी (गुणा)	0.33	0.87	1.36	1.18	1.27	1.15	0.90	0.69	0.59	0.53
वर्तमान अनुपात (गुणा)	0.73	0.68	1.85	1.36	1.23	1.19	1.28	1.74	1.80	2.12
नियोजित पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	1.63	0.93	0.69	0.95	0.91	0.90	0.84	1.05	1.35	1.57
कार्यशील पूंजी पर टर्नओवर अनुपात (गुणा)	(9.66)	11.28	3.24	7.69	10.47	12.11	8.15	4.20	4.40	3.38
ब्याज व्याप्ति अनुपात (गुणा)	9.56	2.86	1.83	1.79	0.58	(0.65)	(1.91)	1.80	2.31	2.58
लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत)	30.08	30.04	-	9.48	-	-	-	39.45	31.91	38.06

उत्पादन

वस्तु	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14	2012-13
तप्त धातु	18733	16582	17438	17513	15982	15726	15721	15413	14447	14266
कच्चा इस्पात	17366	15215	16155	16266	15020	14496	14279	13908	13579	13417
कच्चा लोहा	564	584	570	480	270	495	642	634	223	214
बिक्री योग्य इस्पात	16896	14602	15147	15069	14074	13867	12381	12842	12880	12385
– अर्द्ध निर्मित इस्पात	3171	3797	2995	3169	2610	3170	3054	3007	2760	2422
– तैयार इस्पात	13724	10805	12152	11900	11464	10697	9327	9835	10120	9962

दस वर्षों का संक्षेप सार

वित्तीय विशिष्टताएं

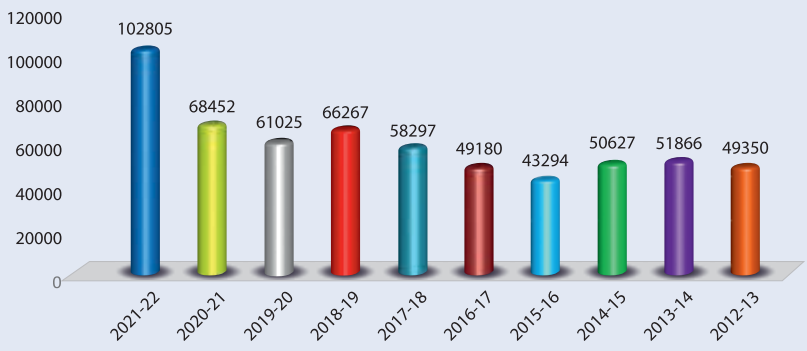

सकल बिक्री

(₹ करोड़ में)

निवल मूल्य

(इक्विटी पूंजी और आरक्षित और अधिशेष)

(₹ करोड़ में)

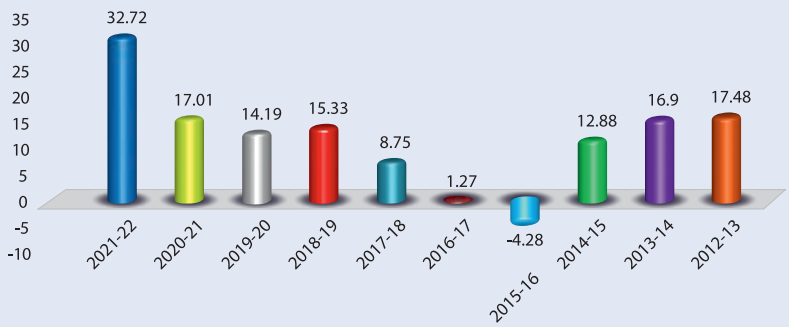

ईबीआईटीडीए

औसत नियोजित पूंजी के लिए

(% में)

मुख्य वित्तीय अनुपात

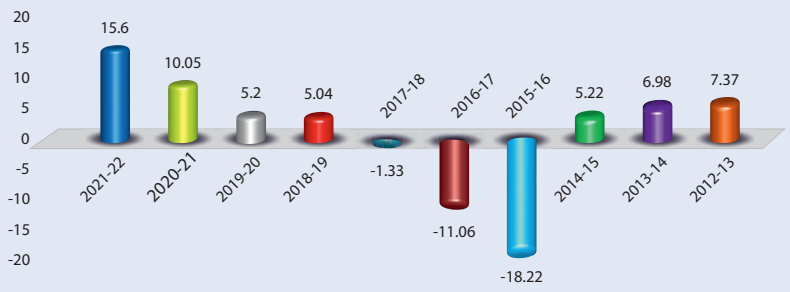

निवल बिक्री के लिए पीबीटी

(% में)

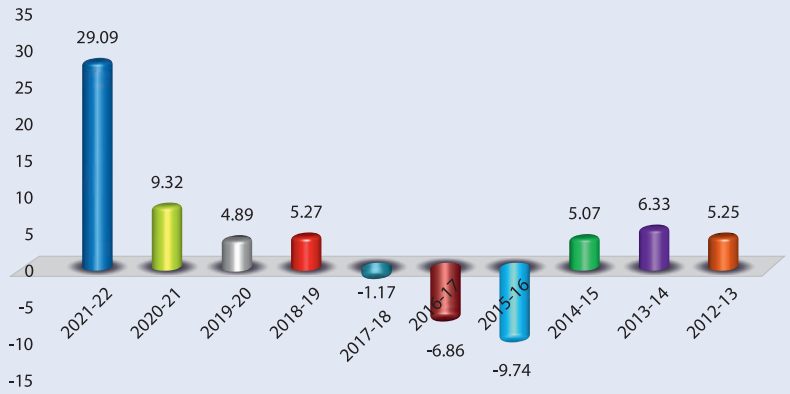

आय

₹10 प्रति शेयर

(राशि ₹ में)

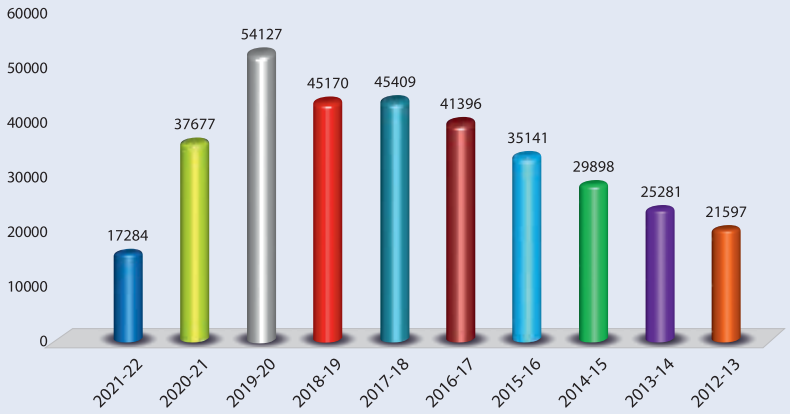

उधार

(₹ करोड़ में)

तप्त धातु
(इकाई: '000 टी)

उत्पादन

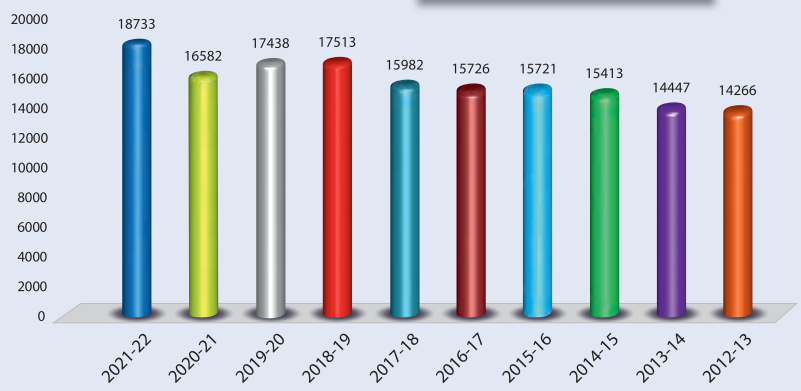

कच्चा इस्पात
(इकाई: '000 टी)

उत्पादन

बिक्री योग्य इस्पात
(इकाई: '000 टी)

उत्पादन

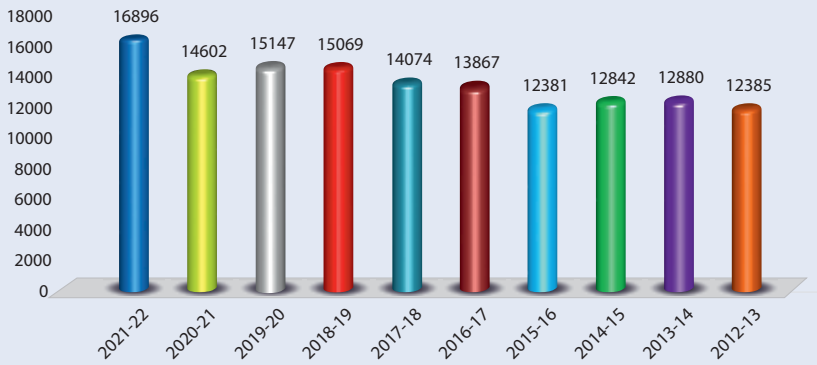

लागू मूल्य

(% में)

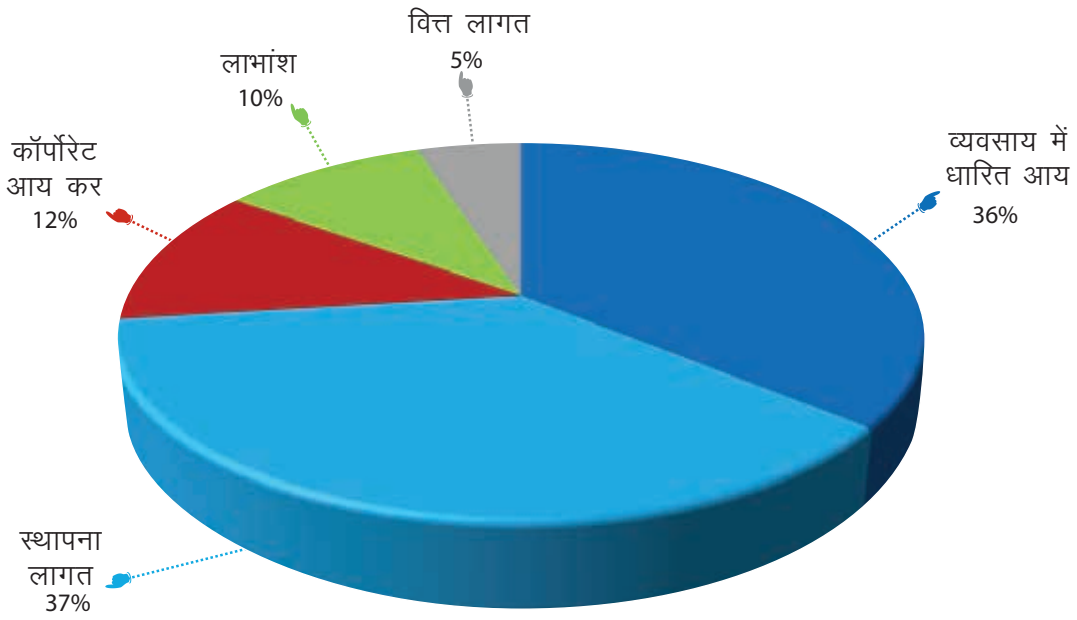

(₹ करोड़ में)

इस वर्ष के लिए		2021-22		2020-21
स्वयं के उत्पादन का मूल्य	103643		64589	
अन्य राजस्व	1647	105291	1509	66098
घटाएं: कच्ची सामग्रियों की लागत	42776		23136	
भंडार एवं कलपुर्जे	4486		3631	
विद्युत और ऊर्जा	6967		5709	
जावक मालभाड़ा	2669		2076	
अन्य परिचालन लागत	13534	70433	7301	41853
कुल सवंर्धित मूल्य		**34858**		**24245**
स्थापना लागत		12846		10446
वित्त लागत		1698		2817
लाभांश प्रावधान		3614		1157
संगठित आय शुल्क		4024		3029
व्यवसाय में धारित आय				
मूल्यह्रास	4274		4102	
बांड शोधन रिजर्व	-553		-291	
लाभ शेष	8954	12676	2984	6796
कुल लागू मूल्य		**34858**		**24245**

शेयरधारिता पैटर्न

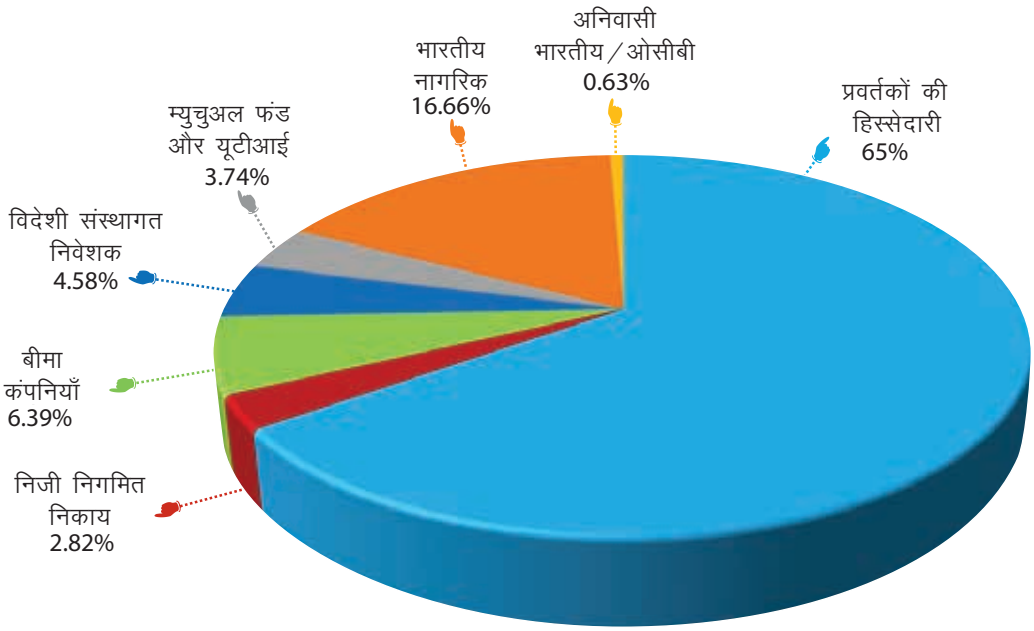

31.03.2022 की स्थिति के अनुसार धारित

क्रमांक	श्रेणी	धारक	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
क.	**प्रवर्तकों की हिस्सेदारी**			
	– भारतीय प्रवर्तक बनाम, भारत सरकार	1	2684714550	65.00
	– विदेशी प्रवर्तक			
2	कॉन्सर्ट में अभिनय करने वाले लोग:			
	उप कुल	**1**	**2684714550**	**65.00**
ख.	**गैर–प्रवर्तक धारण**			
3	**संस्थागत निवेशक**			
अ	म्युचुअल फंड और यूटीआई	37	154465775	3.74
ब	बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं	14	4435902	0.11
स	बीमा कंपनियां	20	264039123	6.39
द	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईएस)	168	189160430	4.58
	उप कुल	**239**	**612101230**	**14.82**
4	**अन्य**			
अ	निजी कॉरपोरेट निकाय	3719	116651252	2.82
ब	भारतीय नागरिक	1450834	687952196	16.66
स	एनआरआई/ओसीबी	12094	25877584	0.63
द	जीडीआर	2	110990	0.00
य	अन्य कोई (आईईपीएफ)	1	3117487	0.08
	उप कुल	**1466650**	**833709509**	**20.18**
	कुल योग	**1466890**	**4130525289**	**100.00**

बोर्ड का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्यगण,

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड,

नई दिल्ली

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित स्वतंत्र एवं समेकित वित्तीय विवरणों के साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल, कंपनी) की 50वीं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए निदेशक मंडल को प्रसन्नता हो रही है।

क. वित्तीय समीक्षा

वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	ब्यौरा/विवरण	समाप्त हुआ स्वतंत्र वर्ष	
		31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
		लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	**आय**		
	क) संचालन से राजस्व	103473.32	69110.02
	ख) अन्य आय	1042.03	1011.69
	कुल आय	**104515.35**	**70121.71**
2	**व्यय**		
	क) खपत की गई सामग्री की लागत	42776.46	23136.17
	ख) तैयार माल की सूची में परिवर्तन, कार्य–प्रगति और उप–उत्पाद	(284.99)	4268.58
	ग) कर्मचारी लाभ व्यय	12846.24	10445.94
	घ) वित्तीय लागत	1697.88	2817.14
	ङ) मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	4274.17	4102.00
	च) अन्य व्यय	26813.46	18531.28
	कुल व्यय	**88123.22**	**63301.11**
3	**असाधारण वस्तुओं और कर के पूर्व लाभ**	**16392.13**	**6820.60**
	जोड़/(घटा): विशिष्ट सामग्री	**(353.41)**	**58.43**
4	**कर पूर्व लाभ**	**16038.72**	**6879.03**
	घटा: कर व्यय		
	चालू कर		12.05
	आस्थगित कर	4023.68	3016.96
	कुल कर व्यय	**4023.68**	**3029.01**
5	**अवधि के लिए निवल लाभ**	**12015.04**	**3850.02**
	अन्य व्यापक आय (ओसीआई)		
A	(i) वे वस्तुएं जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(87.22)	374.16
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	22.77	(93.63)
6	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय**	**11950.59**	**4130.55**

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021–22 के दौरान ₹1,02,805 करोड़ का सर्वोत्तम बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में 50% से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, मुख्य रूप से बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन में (16%) वृद्धि, बिक्री योग्य एनएसआर इस्पात (41%), और बिक्री योग्य स्टील की बिक्री की मात्रा में (8%) वृद्धि, बेहतर तकनीकी–आर्थिक मापदंड, कम बिजली के उपयोग जैसे कारणों से कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बढ़ी हुई कीमतों, माध्यमिक उत्पादों की अधिक बिक्री, उच्च लाभांश आय और कम ब्याज शुल्क आदि के कारण कच्चे लोहे की अधिक बिक्री से लाभ में और सुधार हुआ है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने कर से पहले और कर के बाद लाभ में अब तक का सबसे अधिक ईबीआईटीडीए लाभ हासिल किया है।

आपकी कंपनी ने विकास के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ऋणों की समय पर चुकाने के साथ विवेकपूर्ण निधि प्रबंधन, ब्याज, अग्रिम योजना और धन जुटाने के लिए कार्रवाई आदि सहित पर अपना ध्यान केंद्रित रखा। इस संबंध में अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की उधारी में उल्लेखनीय कमी आई है, जो 31 मार्च, 2022 को ₹17,284 करोड़ थी, जबकि 31 मार्च, 2021 को ₹37,677 करोड़ (आईएनडीएएस) थी। परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2022 को कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात 31 मार्च, 2021 को 0.87:1 से सुधरकर 0.33:1 हो गया। कंपनी ने खरीदारों के ऋण और बाहरी वाणिज्यिक उधार पर विदेशी मुद्रा जोखिम को दूर रखा। कंपनी की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2022 तक ₹52,017 करोड़ हो गई, जो 31 मार्च, 2021 को ₹43,495 करोड़ थी।

40% और 25% के अंतरिम लाभांश की दो किस्तें अर्थात ₹4.00 प्रति इक्विटी शेयर और ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर क्रमशः अक्टूबर, 2021 और मार्च, 2022 में घोषित किए गए थे। आपकी कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी की आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन ₹2.25 प्रति इक्विटी शेयर के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है, अर्थात वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कुल लाभांश इक्विटी शेयर पूंजी पर 87.50 प्रतिशत है। इसके अलावा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी राशि सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित नहीं की गई है।

मेसर्स केयर रेटिंग में, मैसर्स इंडिया रेटिंग में और मैसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग, इन आरबीआई मान्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने सेल के दीर्घकालिक ऋण कार्यक्रम के लिए क्रमशः ''केअर एए आउटलुकः स्टेबल'', ''इंडिया रेटिंग्स एए आउटलुकः स्टेबल'' और ''बीडब्ल्यूआर एए आउटलुकः स्टेबल'' रेटिंग दी है।

ख. प्रचालन संबंधी समीक्षा

सुरक्षा

आपकी कंपनी अपने कर्मचारियों और इससे जुड़े लोगों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें इसके संयंत्रों, खानों और इकाइयों के नजदीन रहने वाले लोग भी शामिल हैं। सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ) विभिन्न इस्पात संयंत्रों/इकाइयों/खानों/स्टॉकयार्ड में किए गए सुरक्षा इंतजाम और आग रोकथाम गतिविधियों की निगरानी और मार्गदर्शन करता है। एसएसओ उपयुक्त सुरक्षा नीतियों, प्रक्रियाओं, प्रणालियों, कार्य योजनाओं, दिशानिर्देशों आदि को तैयार करता है और उनके कार्यान्वयन के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करता है और इस तरह दुर्घटना मुक्त कार्य वातावरण प्रदान करने में मदद करता है। संयंत्र आईएसओ–45001 प्रमाणित है, जो एक उन्नत सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली है और इसके अनुपालन के रूप में, अधिकांश संचालन और रखरखाव गतिविधियों के लिए जोखिम की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) किया गया है और

जोखिम के लिए स्वीकार्य सीमा तक उचित नियंत्रण उपायों को लागू किया गया है।

मानक संचालन और रखरखाव प्रक्रियाओं (एसओपी और एसएमपी) में सुरक्षा पहलुओं को शामिल किया गया है जो संचालन के साथ सुरक्षा को एकीकृत करने और आवश्यक तकनीकी अनुशासन बनाए रखने में मदद करता है। सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण करने की प्रणाली प्रचलन में है और टिप्पणियों का जल्द से जल्द अनुपालन किया जाता है। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, कंपनी ने भिलाई, राउरकेला और बोकारो में अपने संयंत्रों में सुरक्षा संस्कृति परिवर्तन के लिए सुरक्षा प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है और अन्य इस्पात संयंत्रों में यह व्यवस्था प्रक्रिया में है। स्टोर के प्रमुखों, लाइन प्रबंधकों, सुरक्षा कर्मियों और ट्रेड यूनियन नेताओं को कवर करने वाले क्षेत्रों पर नियमित एचआरडी हस्तक्षेपों, एलईओ कार्यशालाओं, वेबिनार आदि के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन क्षेत्र में सक्षम करने के लिए संयंत्रों और एसएसओ द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सभी संयंत्रों और इकाइयों में काम शुरू होने से पहले ठेका श्रमिकों को सुरक्षा प्रेरण और नौकरी पर प्रशिक्षण देने की प्रणाली मौजूद है। महत्वपूर्ण जानकारी, सुरक्षा संबंधी सुझावों आदि को साझा करने के लिए वेब पोर्टलों के माध्यम से सुरक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में इसके व्यापक उपयोग से प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जाता है। संयंत्रों और इकाइयों और अन्य उद्योगों में प्रचलित बेहतर सुरक्षा प्रथाओं को मजबूत बनाया जाता है और क्षैतिज परिनियोजन, ज्ञान साझा करने और सुधार लाने के लिए सभी के बीच परिचालित किया जाता है। प्रत्येक इस्पात संयंत्र और खदानों में उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं को देखने के लिए एक बहु–विषयक सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग मौजूद है। सुरक्षा प्रबंधन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। एसएसओ इस्पात उद्योग (जेसीएसएसआई) में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर संयुक्त समिति के सचिवालय का प्रबंधन भी कर रहा है, जो एक द्विपक्षीय मंच है जो प्रबंधन और केंद्रीय और संयंत्र स्तर की ट्रेड यूनियनों की सक्रिय भागीदारी के साथ इस्पात संयंत्र सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के मुद्दों पर बात करता है। सदस्य संगठनों को दिशा–निर्देश प्रदान करता है। सुरक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण पर बोर्ड की उप समिति द्वारा की गई गतिविधियों और उपायों की उच्चतम स्तर पर समीक्षा की जाती है।

प्रचालन

वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021–22, कोविड महामारी की दूसरी लहर के बीच में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र के आस–पास स्थानीय प्रतिबंध और लॉकडाउन लगा, जिससे श्रमशक्ति की कमी महसूस हुई। पिछले वित्तीय वर्ष 2021–22 की समाप्ति पर कार्य प्रभावित हुआ, जिससे पहली तिमाही के प्रदर्शन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। हालांकि, पहली तिमाही में कम उत्पादन के बावजूद, उत्साहजनक बाजार स्थितियों, नई इकाइयों को बढ़ाने पर केंद्रित दृष्टिकोण के साथ, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान गर्म धातु, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य स्टील और संचालन के कई अन्य क्षेत्रों में उत्पादन के स्तर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और अब तक के सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड हासिल किए।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, सेल ने गर्म धातु, क्रूड स्टील और बिक्री योग्य स्टील का उत्पादन क्रमशः 18.733 मिलियन टन, 17.366 मिलियन टन और 16.896 मिलियन टन किया। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने तकनीकी–आर्थिक मापदंडों जैसे–कोक दर, सीडीआई दर और विशिष्ट ऊर्जा खपत के संबंध में वार्षिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी हासिल किया है, जो कि बड़ी ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) की क्षमता उपयोग बढ़ाने, बीएफ संचालन के अनुकूलन और सीडीआई का तेज उपयोग पर ध्यान केंद्रित करने के कारण है।

कंपनी के लौह एवं इस्पात अनुसंधान (आरडीसीआईएस) और विकास केंद्र ने उत्पादकता और गुणवत्ता सुधार, उत्पाद विकास और व्यावसायीकरण, ऊर्जा संरक्षण और स्वचालन पर विशेष जोर देने के साथ, सेल के विभिन्न संयंत्रों को नवीन तकनीकी इनपुट प्रदान किए। उत्पाद विकास के संबंध में निरंतर गतिविधियों से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 11 नए इस्पात उत्पादों का विकास हुआ है। इनमें से नई कमीशन की गई उत्पादन सुविधाओं जैसे बार और रॉड मिल और यूनिवर्सल रेल मिल का उपयोग करके कुछ उत्पादों को भिलाई स्टील संयंत्र में, दुर्गापुर इस्पात संयत्र में मीडियम स्ट्रक्चरल मिल, राउरकेला इस्पात संयत्र में नई प्लेट मिल, बोकारो इस्पात संयत्र कोल्ड रोलिंग मिल–III, आईआईएससीओ इस्पात संयत्र में वायर रॉड मिल को तैयार किया गया है।

भिलाई स्टील संयंत्र (बीएसपी) में, एसएमएस–III ने 2.73 मिलियन टन का अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन हासिल किया, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सर्वश्रेष्ठ 2.21 मिलियन टन स्कोर को पार

कर गया।संयंत्र ने वर्ष 2010–11 में हासिल किए गए 4.57 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार करते हुए 4.67 मिलियन टन का अब तक का सबसे अधिक बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन किया। भारतीय रेलवे द्वारा नए ग्रेड (आर–260) और नई प्रोफाइल (60ई1) की मांग के मामले में नई चुनौती मिली। तब हमने आर–260 ग्रेड 60ई1 यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) और रेल एवं स्ट्रक्चरल मिल (आरएसएम) दोनों में रेल का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया, जिसमें 25 अप्रैल, 2021 को यूआरएम से पहली खपत भेजी गई थी। आरएसएम ने मई, 2021 से आर260/60ई1 का नियमित उत्पादन भी शुरू किया। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, लगभग 9.6 लाख टन आर260/60ई1 प्राइम रेल का उत्पादन किया। नई बार और रॉड मिल (बीआरएम) से 7.2 लाख टन उत्पादन में सुधार ने पिछले वित्तीय वर्ष में उत्पादित 3.8 लाख टन की तुलना में 87% की वृद्धि दर्ज की।

दुर्गापुर स्टील संयंत्र (डीएसपी) ने अपनी नई मीडियम स्ट्रक्चरल मिल (एमएसएम) से वित्तीय वर्ष 2021–22 में 4.37 लाख टन का उच्चतम उत्पादन हासिल किया, जो 2020–21 के दौरान 2.94 लाख टन था। इसी तरह, संयंत्र ने 2.23 मिलियन टन कच्चे इस्पात का अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन दर्ज किया, जो वित्तीय वर्ष 2020–21 में हासिल किए गए 2.09 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गया। इसके अलावा, भारतीय रेलवे को नव विकसित डब्ल्यूडीजी4 लोको व्हील्स की आपूर्ति जारी रही और वित्तीय वर्ष 2021–22 में 2,146 पहियों की आपूर्ति की।

राउरकेला स्टील संयंत्र (आरएसपी) ने 4.34 मिलियन टन गर्म धातु, 3.99 मिलियन टन क्रूड स्टील और 3.67 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया, जो वर्ष 2018–19 में 3.84 मिलियन टन गर्म धातु, 3.66 मिलियन टन कच्चे इस्पात और 3.33 मिलियन टन बिक्री योग्य इस्पात के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर लिया। नई प्लेट मिल ने भी 9.29 लाख टन का उच्चतम उत्पादन दर्ज किया, जो वर्ष 2019–20 में हासिल किए गए पिछले सर्वश्रेष्ठ 8.74 लाख टन को पार कर गया। नई हॉट स्ट्रिप मिल–2 (एचएसएम–2) को मार्च, 2022 में चालू हुआ था।

बोकारो स्टील संयंत्र (बीएसएल) ने हॉट स्ट्रिप मिल (एचएसएम) में अब तक का सबसे अधिक उत्पादन 3.91 मिलियन टन दर्ज किया है, जो वर्ष 2018–19 में प्राप्त 3.68 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ उत्पादन को पार कर गया है। इसी तरह, कोल्ड रोलिंग मिल (सीआरएम–III) ने भी 6.52 लाख टन का अब तक का सबसे अधिक उत्पादन दर्ज किया, जो वर्ष 2020–21 में हासिल किए गए 4.78 लाख टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ स्तर पर था। बीएसएल ने वर्ष 2018–19 में हासिल किए गए 3.63 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार करते हुए 3.83 मिलियन टन पर अब तक का सबसे अधिक तैयार इस्पात उत्पादन स्तर हासिल किया।

आईआईएससीओ इस्पात संयत्र (आईएसपी) में, कच्चे इस्पात का उत्पादन 2.23 मिलियन टन और बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन 2.16 मिलियन टन था, जो वर्ष 2019–20 में हासिल किए गए क्रमशः 2.08 मिलियन टन और 2.09 मिलियन टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गया। 4.65 लाख टन पर नई वायर रॉड मिल (डब्ल्यूआरएम), वर्ष 2019–20 में हासिल किए गए 4.12 लाख टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गई और 6.50 लाख टन पर बार मिल ने भी वर्ष 2019–20 में हासिल किए गए 6.32 लाख टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पीछे छोड़ दिया।

विद्युत

आपकी कंपनी ने हमेशा बिजली की आपूर्ति की विश्वसनीयता के साथ–साथ इष्टतम लागत पर बिजली की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए अपनी कैप्टिव बिजली क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 1368 मेगावाट की कुल आवश्यकता का लगभग 61% कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से पूरा किया गया था।

सेल देश का पहला गैर–उपयोगिता बिजली उत्पादक है, जिसने की अंतर–क्षेत्रीय व्हीलिंग को शुरू करने के माध्यम से विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्धारित ओपन पहुँच विनियमों की अवधारणा का लाभ उठाया है। विरासत को जारी रखते हुए, इस वर्ष भी, सेल संयंत्रों ने ओपन पहुँच प्रावधानों के तहत लगभग 480 मिलियन यूनिट बिजली की खरीद की। जिसमें अल्पकालिक ओपन पहुंच के माध्यम से प्राप्त हरित बिजली (नवीकरणीय) भी शामिल है। आपकी कंपनी ओपन पहुंच मार्ग के माध्यम से सस्ती विद्युत खरीद कर वित्तीय वर्ष 2021–22 में लगभग ₹121 करोड़ बचाने में सफल रही।

कैप्टिव विद्युत की हिस्सेदारी बढ़ाने और विस्तार परियोजनाओं के लिए इष्टतम लागत पर विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, राउरकेला इस्पात संयत्र में 250 मेगावाट की नई कैप्टिव बिजली सुविधा मार्च, 2022 में चालू की गई है। भविष्य में, आपकी कंपनी में सेल और एनटीपीसी लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) द्वारा दुर्गापुर स्टील संयंत्र में (2X20) मेगावाट क्षमता की नई कैप्टिव बिजली सुविधा स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

आपकी कंपनी हमेशा उपयोगिताओं से खरीदी गई बिजली के उपयोग के संबंध में बेहतर प्रदर्शन मानकों को प्राप्त करने और उच्च लोड कारक, विद्युत कारक इत्यादि प्राप्त करने के लिए बिजली टैरिफ में उपलब्ध छूट और प्रोत्साहन को अधिकतम करने की दिशा में दृष्टिकोण केंद्रित रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹144 करोड़ ग्रिड उपयोगिताओं से विद्युत शुल्क में प्रोत्साहन और छूट के रूप में प्राप्त हुए थे।

उपरोक्त के अलावा, विभिन्न इस्पात निर्माण प्रक्रियाओं में बिजली की खपत का अनुकूलन, बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन के प्रति टन बिजली की खपत को कम करने के लिए सेल संयंत्र मुख्य रूप से संलग्न रहता है। एक जिम्मेदार निगम घराने के रूप में, आपकी कंपनी ने रूफ टॉप सोलर (आरटीएस) बिजली संयंत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग पर पर्याप्त जोर दिया है। सेल संयंत्रों और इकाइयों में 6115 किलोवाट विद्युत क्षमता की रूपटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की पहले ही स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा, देश भर में कंपनी के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में 820 किलोवाट विद्युत क्षमता के रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना प्रगति पर है और कंपनी के संयंत्रों में कूलिंग तालाबों के ऊपर 19 मेगावाट विद्युत क्षमता के तैरते सौर संयंत्रों की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

कच्चा माल

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कैप्टिव स्रोतों से लौह अयस्क की कुल आवश्यकता को पूरा किया गया था। आपकी कंपनी की खानों ने लगभग 34.15 मिलियन टन (एमटी) लौह अयस्क का उत्पादन किया। हालांकि, स्वच्छ कोकिंग कोल के मामले में, कुल आवश्यकता में से लगभग 1.31 मिलियन टन स्वदेशी स्रोतों (कोल इंडिया लिमिटेड और कैप्टिव स्रोतों) से पूरा किया गया था और कोकिंग कोल (15.92 मिलियन टन) की शेष आवश्यकता के लिए, कंपनी को आयातों पर निर्भर रहना पड़ा था। देश के भीतर आवश्यक गुणवत्ता की उपलब्धता की कमी के कारण। वित्तीय वर्ष 2021–22 में, कंपनी की कैप्टिव कोलियरी में उत्पादन लगभग 0.88 मिलियन टन था, जिसमें से 0.42 मिलियन टन कच्चा कोकिंग कोल और शेष 0.46 मिलियन टन नॉन–कोकिंग कोल था। फ्लक्स के मामले में, 1.89 मिलियन टन, जिसमें लगभग 1.24 मिलियन चूना पत्थर और 0.65 मिलियन डोलोमाइट शामिल हैं, का उत्पादन कैप्टिव स्रोतों से किया गया था। थर्मल कोयले के लिए, आपकी कंपनी कैप्टिव खानों से उत्पादित छोटी मात्रा को छोड़कर पूरी तरह से कोल इंडिया लिमिटेड से खरीद पर निर्भर करती है।

कैप्टिव खानों से खुले बाजार में लौह अयस्क की बिक्री

देश में निजी व्यापारी खनिकों की खनन पट्टेदारी 31 मार्च, 2020 तक समाप्त होने के कारण भारत सरकार के खान मंत्रालय ने दिनांक 16 सितंबर, 2019 के आदेश द्वारा सेल को खुले बाजार में पिछले वर्ष के अपने कुल खनिज उत्पादन की 25% उपलब्धता देने की जिम्मेदारी सौंपी है। यह अनुमति 16 सितंबर 2019 से दो साल की अवधि तक के लिए वैध है।

इसके अलावा, दिनांक 16 सितंबर, 2019 को एक अन्य अलग आदेश में खान मंत्रालय ने सेल को कंपनी की विभिन्न कैप्टिव खानों में रखे गए 70 मिलियन टन निम्न स्तर के लौह फाइन और अयस्क (स्लाइम सहित) के पुराने स्टॉक को खत्म करने की अनुमति दी है। इस संबंध में संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों का अनुमोदन प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, संबंधित राज्य सरकारों और सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा अनुमति देने में देरी को देखते हुए, खान मंत्रालय ने 3 दिसंबर, 2020 के आदेश के तहत 16 सितंबर, 2019 के पहले के आदेशों को संशोधित किया और संचयी उत्पादन के 25% की बिक्री की अनुमति दी। इसके तहत एक राज्य में पिछले वर्ष के उत्पादन और संबंधित

राज्य सरकार और भारतीय खान ब्यूरो को सूचना के तहत विभिन्न कैप्टिव खानों में पड़े उप–ग्रेड खनिजों की बिक्री शामिल है।

इसके अलावा, खान मंत्रालय ने 28 मार्च, 2021 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से एमएमडीआर अधिनियम में संशोधन किया, बशर्ते कि कैप्टिव उद्देश्य के लिए खनिज का उपयोग करने वाला कोई भी पट्टेदार, आवश्यकता को पूरा करने के बाद निर्धारित शर्तों के अधीन खदान से जुड़े संयंत्र का उपयोग करते हुए एक वर्ष में उत्पादित कुल खनिज का 50% तक बेच सकता है।

तदनुसार, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में खदानों से लगभग 2.504 मिलियन टन लौह अयस्क खुले बाजार में उपलब्ध कराया गया था। हालाँकि, झारखंड राज्य सरकार से अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है।

पर्यावरण मंजूरी का अनुदान (ईसी)

कैप्टिव खानों से संरक्षित लौह अयस्क की बिक्री की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, मौजूदा पर्यावरण मंजूरी में संशोधन के प्रस्ताव एमओईएफसीसी को प्रस्तुत किए गए थे और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिश पर निम्नलिखित ईसी प्रदान किए गए हैं:

- 5 अगस्त, 2021 को बोलानी अयस्क की खान।
- 8.05 एमटीपीए की रोम क्षमता के लिए 25 जनवरी, 2022 को समामेलित लीज (बरसुआ–तलडीह–काल्टा)।
- रौघाट खदान के लिए दिसंबर, 2021 से आगे 2 साल के लिए ईसी का विस्तार।

खनन पट्टों की अवधि का विस्तार/नवीकरण

- मध्य प्रदेश सरकार ने कुटेश्वर चूना पत्थर खदान के उचित बैंक खदान पट्टे की अवधि 20 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दी है। 10 जून, 2021 और 15 मई, 2022 से 10 वर्षों की अवधि के लिए लेफ्ट बैंक माइनिंग पट्टे पर ली है।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने भिलाई स्टील संयंत्र के महामाया–दुल्की पट्टे की अवधि 4 नवंबर 2021 से 20 साल की अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।
- ओडिशा सरकार ने 6.9 वर्ग मील के पट्टे के निष्पादन को 9 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 13 नवंबर, 2032 तक कर दिया है।

सरकारी कंपनियों के कोयला खनन पट्टों की लीज (किराये) की अवधि का विस्तार

कोयला मंत्रालय ने 1 अक्टूबर, 2021 की गजट अधिसूचना के माध्यम से खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है, जिसमें किसी सरकारी कंपनी को कोयले या लिग्नाइट के लिए इस तरह के संशोधन पर या उसके बाद दिए गए सभी खनन पट्टे 50 साल की अवधि के लिए होंगे। इसके अलावा, कोयले और लिग्नाइट के लिए इस तरह के संशोधन से पहले किसी सरकारी कंपनी को निहित या दिए गए सभी मौजूदा खनन पट्टे 50 साल या 31 मार्च, 2030 तक, जो भी बाद में हो, के लिए मान्य रहेंगे।

खनन पट्टों की समाप्ति से कम से कम 3 महीने पहले किसी सरकारी कंपनी के आवेदन पर, राज्य सरकार खनन पट्टे की अवधि को एक बार में 20 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाएगी। तथापि, नीलामी के माध्यम से चुनी गई सरकारी कंपनी को खनन पट्टों की अवधि में कोई विस्तार नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, यदि राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टों की समाप्ति से कम से कम 3 महीने पहले सरकारी कंपनी द्वारा खनन पट्टे के विस्तार के लिए आवेदन का निपटान राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाता है, तो मानित वृद्धि का भी प्रावधान है।

उपरोक्त प्रावधानों से तसरा कोयला खनन पट्टे की लीज अवधि को 30 अप्रैल, 2022 से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

गुआ खान के भूतल पट्टा स्वामित्व रेलवे साइडिंग का समाधान

गुआ रेलवे साइडिंग के विकास के लिए 36.231 (6.80 + 29.431) एकड़ भूमि के विकास के लिए 35 वर्ष की अवधि के लिए लीज समझौते को 22 दिसंबर, 2021 को अंतिम रूप दिया गया था और 6.80 एकड़ रेलवे भूमि के लिए निर्विवाद रूप से भूमि पट्टे समझौते पर दक्षिण पूर्वी रेलवे, चक्रधरपुर के साथ 24 दिसम्बर, 2021 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे चक्रधरपुर में ₹4.23 करोड़ की राशि 6.8 एकड़ रेलवे भूमि को 35 वर्षों के लिए सेल को दीर्घकालीन पट्टे पर देने के लिए जमा की गई और रेलवे साइडिंग का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

गुआ अयस्क खदान के डुआरगैबुरु खनन पट्टों के तहत 361.295 हेक्टेयर विपथित वन भूमि को सौंपना

झारखण्ड सरकार ने गुआ खान के डुआरगैबुरु लीज के तहत 361.295 हेक्टेयर वन भूमि सौंपने के लिए 1 फरवरी, 2022 को अपनी सहमति दी है और इसे उसी प्रकार चरणों में किया जाएगा।

कैप्टिव भूमिगत खदानों के लिए रेत के भंडारण के लिए क्षेत्र का आरक्षण

कोयला मंत्रालय ने दिनांक 23 अगस्त, 2021 को पत्र के माध्यम से झारखंड राज्य सरकार को डूंगरी घाट, हेत कांद्रा घाट, चासनाला घाट और दामोदर नदी के तसरा घाट, जिला धनबाद के तहत 134.63 हेक्टेयर के सामूहिक क्षेत्र के आरक्षण के बारे में सूचित किया है। इससे इसके भूमिगत कोयला खनन कार्यों के लिए रेत की आपूर्ति को सुगम बनाने में मदद मिलेगी।

विक्रय और विपणन

वित्तीय वर्ष (एफवाई 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 8% की वृद्धि और 2019–20 में 13% की वृद्धि दर्ज करते हुए, लगभग 16.152 मिलियन टन (एमटी) की बिक्री योग्य इस्पात की अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ बिक्री हासिल की। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उपस्थिति बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए, कंपनी ने मौजूदा बाजारों को बनाए रखने के अलावा, विभिन्न उत्पाद श्रेणियों के लगभग 1.349 मिलियन टन का निर्यात किया, कई नए बाजारों तक पहुंच प्राप्त की।

वैश्विक महामारी की परिस्थितियों, रुक–रुककर होने वाले लॉक डाउन, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में अनिश्चितता के कारण बाजार की मुश्किल परिस्थितियों के कारण इस्पात व्यापार परिदृश्य शुरू में थोड़ा मंद हो गया था। वित्तीय वर्ष 2021–22 की दूसरी तिमाही में स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ और तीसरी तिमाही में मंदी के एक चरण के बाद चौथी तिमाही में इसमें तेजी आई। कंपनी ने अपनी बिक्री की मात्रा में सुधार, अपने मालसूची स्तर को कम करने के अलावा, बेहतर मूल्य प्राप्तियों के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया।

आपकी कंपनी दशकों से भारतीय रेलवे से इस्पात ट्रैक की प्रत्येक मांग को पूरा कर रही है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारतीय रेलवे को कुल 9.79 लाख टन रेल की आपूर्ति की गई, कुल रेल आपूर्ति में 260 मीटर लंबी रेल वेल्डेड–पैनल घटक लगभग 71% है, जो अब तक का सबसे अधिक है। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रेलवे को कुल रेल आपूर्ति का 94.5% ई–1 प्रोफाइल में नव विकसित आर–260 ग्रेड शामिल था।

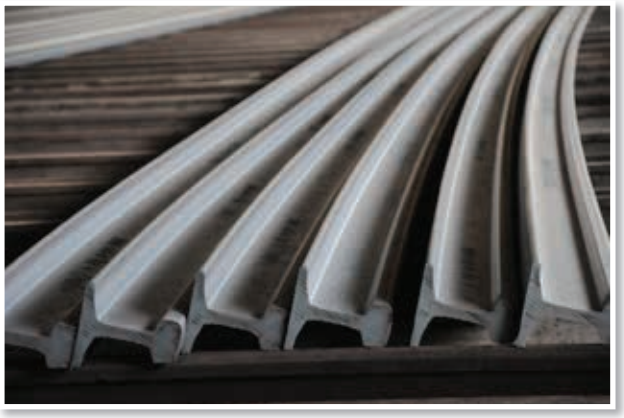

सेल एकमात्र घरेलू उत्पादक है जो भारतीय रेलवे की जाली इस्पात पहिया आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन वर्षों में, सेल द्वारा कई व्हील प्रोफाइल विकसित किए गए हैं, जिन्होंने आयात को प्रतिस्थापित किया है, जिससे भारत सरकार की आत्मानिर्भर पहल को आगे बढ़ाया गया है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान रेलवे को वैग9 लोकोमोटिव व्हील्स की 16529 संख्या की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ आपूर्ति हासिल कर ली गई है। इसके अलावा, आपकी कंपनी ने भारतीय रेलवे के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में एलएचबी एक्सल भी विकसित किए और 3872 एनओएस की आपूर्ति की है, जो एक आयात प्रतिस्थापन वस्तु भी है। इसके अलावा, डब्ल्यूडीजी–4 लोको व्हील्स, जो एक आयात प्रतिस्थापन वस्तु भी है, की 2146 संख्या की अब तक की सबसे अच्छी आपूर्ति को वित्तीय वर्ष 2021–22 में हासिल किया गया था।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय नौसेना से प्राप्त पानी के भीतर अनुप्रयोगों के लिए विशेष डीएमआर ग्रेड स्टील प्लेटों के लिए पहले वाणिज्यिक आदेश के साथ रक्षा के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपकी कंपनी की उपस्थिति रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रही है।

उपभोक्ताओं के लिए मूल्य वर्धित और विशेष गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाते हुए, ईडब्ल्यूएनआर (इलेक्ट्रोड गुणवत्ता) में विशेष ग्रेड वायर रॉड कॉइल्स, ऑटो सेगमेंट में निरंतर वेल्डिंग के लिए मिग, इलेक्ट्रिकल सेगमेंट के लिए केबल आर्मर गुणवत्ता, उच्च कार्बन के विभिन्न ग्रेड शामिल किए गए हैं। विभिन्न अनुप्रयोगों जैसे अंब्रेला रिब्स, साइकिल स्पोक, मशीन टूल्स में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग, टायर–बीड्स के लिए वायर रॉड कॉइल तैयार की। इसके अलावा, रस्सी और कन्वेयर के लिए तार, इलेक्ट्रिक केबल के लिए कोर वायर, वाइब्रेटिंग स्क्रीन के लिए क्रिम्प्ड वायर मेश, रेलवे स्लीपर और इलेक्ट्रिक पोल के निर्माण के लिए एचसीटी 1130 करोड़ (पीसी 115), ऑटो सेगमेंट के लिए ब्राइट बार के लिए एन 8 डी/एन 8 डी सीआर, विभिन्न ग्रेड वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सेल द्वारा फास्टनर और सामान्य इंजीनियरिंग, कृषि, कंक्रीट रीइन्फोर्सिंग मेश आदि के लिए भी आपूर्ति की गई है। इसके अलावा, नए ग्रेड और उत्पादों के लिए निरंतर जुड़ाव के साथ, आपकी कंपनी ने रेलवे स्लीपर के लिए वाइड समानांतर फ्लैंज बीम डब्ल्यूपीबी 200, इंफ्रा और निर्माण क्षेत्रों के लिए टीएमटी एफई550डी एचसीआर और एफई600, कृषि और सौर उद्योग के लिए उच्च शक्ति लेपित गैल्वेनाइज्ड उत्पाद, सीआर सिलिकॉन आदि विद्युत अनुप्रयोगों के लिए विकसित किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ब्रांड "सेल एसईक्यूआर" रीइन्फोर्समेंट बार 3.78 लाख टन के साथ पूरी ताकत से बढ़ रहा है, जो खुदरा चैनल में समान ब्रांड अनुभव को मजबूत करने में मदद करता है। आपकी कंपनी पूरे भारत में 2–टियर और 1–टियर वितरण नेटवर्क

के विस्तार की दिशा में काम कर रही है, जो बी2सी स्पेस में हमारी स्थिति को और मजबूत करेगी और वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 2–टियर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से लगभग 5.26 लाख टन टीएमटी की आपूर्ति की गई थी। इस पहल के पूरक के रूप में, ऑनलाइन ई–पोर्टल को 2020–21 के दौरान लॉन्च किया गया था, जिससे 2–टियर डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क के माध्यम से छोटी से छोटी मांग को पूरा किया जा सके, जिससे छोटे उपभोक्ता/गृह निर्माता ई–पोर्टल के माध्यम से ऑर्डर दे सकें।

डिजाइनिंग में इस्पात के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और स्ट्रक्चरल में 'नेक्स' ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए, आपकी कंपनी ने संयत्रों और ग्राहकों के साथ वर्चुअल मीटिंग आयोजित की, और स्ट्रक्चरल डिजाइनरों और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग समूहों के साथ वर्चुअल वर्कशॉप में भी भाग लिया। आईआईटी रुड़की ने अपना 175वां वर्ष मनाया, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने वर्चुअल माध्यम में एक 'सिविल कॉन्क्लेव' का आयोजन किया, जहां सेल उत्पादों पर और विशेष रूप से आयोजन के दौरान 'नेक्स' स्ट्रक्चरल पर प्रस्तुतियां दी गईं।

इस्पात मंत्रालय द्वारा 'मिशन पूर्वोदय' योजना के तहत, सेल द्वारा एक प्रोत्साहन योजना – 'इस्पात इलाकों का विकास–सेल के साथ' उन जिलों में स्थित एमएसएमई के विकास के लिए शुरू की गई थी जिनमें इसके एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थित हैं और 142 एमएसएमई शामिल हुए हैं।

इसके अलावा, राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुरूप, देश में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत में सुधार के लिए, इस्पात उपयोग के प्रचार के लिए पूरे भारत में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग 130 'गाँव की ओर' कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

आपकी कंपनी विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामरिक महत्व की परियोजनाओं की आवश्यकता को पूरा करके स्थापना के बाद से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रही है। वर्षभर, सेल ने बिजली परियोजनाओं, सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजनाओं, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं, उर्वरक उद्योग, तेल और गैस क्षेत्र, आदि के लिए पर्याप्त मात्रा में इस्पात की आपूर्ति की है। रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर, नेशनल हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन परियोजना, भारत का सबसे लंबा 19 किमी का रिवर रोड ब्रिज धुबरी से ब्रह्मपुत्र नदी पर फूलबाड़ी तक आदि इसमें प्रमुख हैं।

उपभोक्ता के दिल में आपकी कंपनी प्रमुख स्थान रखती है और बेहतर सेवाओं, उत्पादों और प्रक्रियाओं के साथ हमेशा बदलती उम्मीदों के अंतराल को पाटने के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रही है।

सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक प्राप्ति नीति

जैसा कि भारत सरकार की सार्वजनिक प्राप्ति नीति द्वारा आवश्यक है, वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद की जानकारी नीचे दी गई है:

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2021-22	2020-21
खरीद की कुल राशि	6561.33	3747.22
एमएसई से कुल खरीद	2233.73	1384.31
एमएसई से खरीद का प्रतिशत	34.04	36.94

आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ₹8,000 करोड़ के संशोधित अनुमान/योजना के मुकाबले ₹6,013 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए नियोजित पूंजीगत व्यय भी ₹8,000 करोड़ है। कार्यान्वयन के अंतर्गत परिवर्धन, संशोधन और प्रतिस्थापन (एएमआर) कार्यक्रम का विवरण प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण (एमडी एंड ए) रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया है।

ग. मानव संसाधन प्रबंधन समीक्षा

आपकी कंपनी इसे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने में अपने मानव संसाधन के योगदान को मानती है। कंपनी ने अपने मानव संसाधन में निवेश के माध्यम से अपने वर्तमान स्तर को प्राप्त किया है, जहां कौशल और ज्ञान हर पहल का आधार बनते हैं – चाहे

वह प्रौद्योगिकी हो या नवाचार हो। जनशक्ति उपयोग और श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए कर्मचारियों के कौशल और क्षमताओं का विकास करना कंपनी में मानव संसाधन प्रबंधन (एचआरएम) का महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

आपकी कंपनी अध्ययन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करती है, हर क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और कर्मचारियों में रचनात्मकता और नवीनता का पोषण करती है। सेल में मानव संसाधन उपक्रम टीम भावना, कर्मचारी सशक्तिकरण और विभिन्न सुधार गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर केंद्रित है। व्यावसायिक प्राथमिकताओं और उद्देश्यों के लिए मानव संसाधन विकास प्रबंधन के रणनीतिक संरेखण ने आधुनिकीकरण और विस्तार परियोजनाओं में 'स्टेट ऑफ़ दि आर्ट ' प्रौद्योगिकी के लिए एक सरल संक्रमण की सुविधा प्रदान की है।

पुनर्गठित श्रमशक्ति के साथ वर्धित उत्पादकता

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 में 474 टीसीएस/मनुष्य/वर्ष की श्रम उत्पादकता (एलपी) प्राप्त की। 1 अप्रैल, 2022 के दौरान कुल 3,383 श्रमशक्ति युक्तिसंगत करने के साथ कंपनी की श्रमशक्ति 62,181 थी। तर्कसंगत श्रमशक्ति के साथ बढ़ी हुई उत्पादकता को विवेकपूर्ण भर्तियों, निर्माण दक्षताओं और कर्मचारियों के बीच प्रतिबद्धता और उत्साह की भावना के परिणामस्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। 2012–13 के बाद से बढ़ी हुई उत्पादकता और जनशक्ति युक्तिकरण की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

पिछले 10 वर्षों के दौरान जनशक्ति और श्रम उत्पादकता

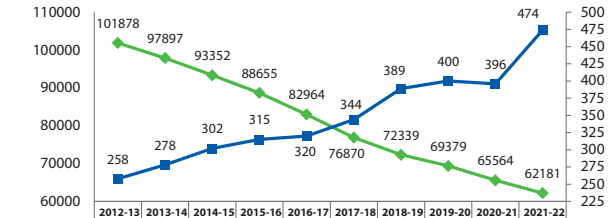

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जनशक्ति	101878	97897	93352	88655	82964	76870	72339	69379	65564	62181
श्रम उत्पादकता	258	278	302	315	320	344	389	400	396	474

श्रम उत्पादकता में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी उत्पादकता:
258 टीसीएस/मनुष्य/वर्ष (2012–13) से 474 टीसीएस/मनुष्य/वर्ष (2021–22) तक

कर्मचारी की कार्य क्षमताओं और दक्षता को विकसित करना

आपकी कंपनी का मानना है कि लोगों का विकास संगठन के समग्र विकास की कुंजी है। प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों ने कर्मचारी के ज्ञान और कौशल के विकास में सुविधा प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप दक्षताओं की उन्नति हुई है, जिससे संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति हुई। सेल प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से कौशल, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के संरक्षण, हस्तांतरण और सुधार पर ध्यान देने के साथ विभिन्न प्रशिक्षण और विकास गतिविधियों के माध्यम से निरंतर प्रयास कर रहा है।

कर्मचारियों को आने वाले कल के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके और नई भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के निर्वहन पर प्रमुख जोर दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न समकालीन तकनीकी और प्रबंधकीय मॉड्यूल पर कोविड 19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद 30,458 कर्मचारियों के लक्ष्य से बढ़कर कुल 32,571 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया था। इन–हाउस ई–लर्निंग पोर्टल में उपलब्ध कराए जा रहे नियमित कार्यक्रमों और ई–लर्निंग मॉड्यूल के अलावा विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से संगठन की सीखने और विकास निरंतरता को बनाए रखा गया था, जबकि महामारी से संबंधित सभी प्रोटोकॉल और स्थानीय दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया गया था।

कर्मचारियों के साथ सद्भावपूर्ण संबंध

सेल ने एक अनुकूल वातावरण निर्माण और अनुरक्षण एवं नियोक्ता–कर्मचारी के सद्भावपूर्ण संबंधों के परिपूर्ण करने की अपनी गौरवशाली परंपरा को बनाए रखा है। श्रमिक संघ/श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के माध्यम से मुद्दों को हल करने के स्वस्थ अभ्यास ने विभिन्न स्तरों पर श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने और एक शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध वातावरण स्थापित करने में कंपनी को सक्षम बनाया। सत्तर के दशक से कुछ द्विदलीय मंच कार्यरत हैं और वेतन, सुरक्षा और श्रमिकों के कल्याण से संबंधित समय–समय पर उठने वाले विभिन्न मुद्दों को हल करने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त हैं, इस प्रकार, एक अनुकूल कार्य वातावरण स्थापित करने में मदद करते हैं।

प्रमुख केंद्रीय श्रमिक संघों के प्रतिनिधित्व तथा संयंत्रों/इकाइयों के प्रतिनिधि संघों के साथ–साथ इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एन जे सी एस), इस्पात उद्योग में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संयुक्त समिति (जे सी एस एस आई) आदि, जैसे द्विदलीय मंच समय–समय पर मिलते हैं और संयुक्त रूप से एक सुरक्षित वातावरण और सामंजस्यपूर्ण कार्य संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए संस्तुतियों/कार्य योजनाओं को विकसित करते हैं जिसे सेल संयंत्रों/इकाइयों द्वारा वर्षों से प्राप्त किए गए बहु स्थानों पर विविध कार्य संस्कृति के साथ चिह्नित सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंधों से इसकी पुष्टि होती है।

इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता मंडल, सुझाव योजनाएँ, व्यापार स्थल कल्याण समितियाँ, सुरक्षा समिति, कैंटीन प्रबंधन समिति, उत्पादकता समिति आदि भी श्रमिकों की भागीदारी के लिए कई मार्ग प्रस्तुत करते हैं। श्रमिकों को नीतिक व्यापार निर्णयों और उनके विचारों को संरचित/संवादात्मक कार्यशालाओं के माध्यम से रखा गया है।

कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के साथ–साथ कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों के साथ कंपनी में संचार संरचित तरीके से किया जाता है। कर्मचारियों के बड़े समूह के साथ संरचित चर्चा से संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी/वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर बड़े पैमाने पर संचार अभियान चलाए जाते हैं। ये संवादात्मक सत्र कर्मचारियों को कंपनी के लक्ष्यों और उद्देश्य के साथ अपने काम को संरेखित करने में सहायता करते हैं, जिससे न केवल उच्च उत्पादन और उत्पादकता होती है, बल्कि कर्मचारियों की अपनेपन की भावना भी बढ़ती है।

शिकायत निवारण तंत्र

प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र, जो कार्यकारी अधिकारियों और गैर–कार्यकारी अधिकारियों के लिए भिन्न है, उसको विकसित किया गया है और सेल संयंत्रों/इकाइयों में विकसित एवं लागू किया गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए संयंत्र/इकाई स्तर पर संयुक्त शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

सेल संयंत्र/इकाइयाँ 3 चरण की शिकायत से निपटने के तंत्र को बनाए हुए हैं और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन अनियमितता, काम करने की स्थिति, स्थानान्तरण, छुट्टी, कार्य आवंटन और कल्याण सुविधाओं, आदि से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में विद्यमान पर्यावरण की

सहभागिता प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का निवारण अनौपचारिक रूप से किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान 261 कर्मचारियों की शिकायतें प्राप्त हुईं और पिछले वर्ष से 19 शिकायतें लंबित थीं, वर्ष के दौरान 85% की पूर्ति के साथ 238 कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा किया गया।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएमएस) के तहत 584 शिकायतें प्राप्त हुईं, जो एक राष्ट्रीय स्तर की ऑनलाइन प्रणाली है जिसका प्रबंधन भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा किया जाता है।

1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों की स्थिति निम्नानुसार है:

क्रमांक	विवरण	प्राप्त की गई शिकायतें (पिछली शिकायतों सहित)	निपटारा	निपटान में लगने वाला औसत समय	दिशा–निर्देशों के अनुसार अनुमत समय
1	सार्वजनिक शिकायतें	513	489	13	45
2	अपील	71	68		
	कुल	**584**	**557**		

पारिश्रमिक नीति

सेल में, अधिशासी अधिकारियों के लिए वेतन और अन्य लाभ भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित हैं। अधिकारियों के लिए 1 जनवरी, 2017 से देय वर्तमान वेतन संशोधन दिनांक 18 नवंबर, 2021 के राष्ट्रपति के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया। गैर–अधिशासी कर्मचारियों के मामले में, वेतन और मजदूरी को इस्पात राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विपक्षीय मंच में अंतिम रूप दिया/संशोधित किया गया है। 18 नवंबर, 2021 को इस्पात मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्राप्त हुआ और संशोधित मजदूरी, भत्तों आदि का भुगतान लागू कर दिया गया है। भारत सरकार के कॉरपोरेट कार्य के मंत्रालय द्वारा 5 जून, 2015 को जारी अधिसूचना के संदर्भ में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं हैं। इस प्रकार, अनुपस्थिति या लाभ की अपर्याप्तता के मामले में समग्र अधिकतम प्रबंधकीय पारिश्रमिक और प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में बोर्ड की रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटन इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए पहल

खदानों सहित, सेल संयंत्रों और इकाइयों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रभुत्व, देश के आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं। इसलिए, सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिक, चिकित्सा, शैक्षिक और अन्य सुविधाओं के समग्र विकास में योगदान दिया है। इनमें से कुछ योगदान निम्नानुसार हैं:

- आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में सेल इस्पात संयंत्रों की स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को गति दी है, इस प्रकार, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने वाली सहायता से आस–पास के क्षेत्रों में आबादी को लाभान्वित किया है। सेल द्वारा विकसित इस्पात नगरी में चिकित्सा, शिक्षा और नागरिक सुविधाएं सबसे अच्छी हैं और यह स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य आबादी के लिए एक सुखद जगह की तरह हैं जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि और विकास का लाभ उठाते हैं।
- गैर–अधिशासी कर्मचारियों की भर्ती मुख्य रूप से क्षेत्रीय स्तर पर की जाती है और इसलिए, बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्ग को सेल में रोजगार का लाभ मिलता है।
- पिछले कुछ वर्षों में, इस्पात संयंत्रों के आसपास के क्षेत्र में सहायक उद्योगों का एक बड़ा समूह भी विकसित हुआ है। इसने स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों के लिए नौकरियों और उद्यमिता के विकास के अवसर पैदा किए हैं।
- अस्थायी और सामयक प्रकृति की नौकरियों के लिए, आम तौर पर ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से काम करने वालों को नियुक्त करते हैं, जो फिर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के स्थानीय संसाधनों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं।

आपकी कंपनी ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए कई पहलें की हैं जो मुख्य रूप से निम्नानुसार हैं:

- पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों पर विशेष रूप से निर्धन, कमजोर बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। प्रदान की जाने वाली सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, अपराह्न भोजन, पोशाक, जूते पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और कुछ स्थिति में परिवहन शामिल हैं।

- कंपनी द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों से कोई शिक्षा शुल्क नहीं लिया जाता है, चाहे वे सेल के कर्मचारी हों या गैर–अधिशासी कर्मचारियों के बच्चे हों।
- निर्धनों के लिए निशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में स्थापित किए गए हैं, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों सहित बाहरी जनसंख्या के लिए निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाइयां आदि प्रदान करते हैं।
- सेल संयंत्र ने आदिवासी बच्चों को गोद लिया है। उन्हें आवासीय छात्रावासों, सारंदा सुवन छात्रावास, ज्ञानोदय छात्रावास और लगभग विलुप्त बिरहोर जनजाति के लिए एक विशिष्ट ज्ञान ज्योति योजना इन सबमें उनके समग्र विकास के लिए निःशुल्क शिक्षा, पोशाक, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, भोजन, बोर्डिंग, लॉजिंग और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।

- कौशल विकास और बेहतर रोजगार के लिए, जनजाति विद्यालयों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आईआईटी/जेईई प्रवेश परीक्षाओं के लिए प्रीमियर संस्थानो में कोचिंग के लिए और विभिन्न आईटीआई, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में मासिक वृत्ति, आवास, परिवहन और भोजन की सुविधा के साथ प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग आदि के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का कार्यान्वयन

- आपकी कंपनी भर्तियों और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का पालन करती है। 31 मार्च, 2022 तक, 62181 की कुल जनशक्ति में से, 10408 अनुसूचित जाति (16.73%), 9678 अनुसूचित जनजाति (15.56%) से संबंधित हैं।
- सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के अनुपालन के लिए अध्यक्षीय निर्देशों के अनुसार संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ सभी मुख्य संयंत्रों/इकाइयों में कार्य कर रहा है।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित एक सदस्य सभी डीपीसी/चयन समितियों में जुड़ा हुआ है। भर्ती बोर्ड/चयन समितियों/डीपीसी के स्तर के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के एक वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए नामित किया जाता है।
- 62181 की कुल जनशक्ति में से अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या 9692 है, जो जनशक्ति का 15.58% है। संयंत्रों/इकाइयों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण से संबंधित आदेशों और निर्देशों के उचित अनुपालन के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संपर्क अधिकारी और सेल संयंत्रों/इकाइयों के अन्य व्यवहार अधिकारियों के लिए आंतरिक कार्यशालाएं नियमित रूप से एक बाहरी विशेषज्ञ के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य संबंधित मामलों के लिए आरक्षण नीति पर अद्यतन रखने के लिए आयोजित की जाती हैं।
- सेल के संयंत्रों/यूनिटों के अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी कल्याण संघ हैं जो कि आरक्षण नीति और अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन पर संपर्क अधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित करते हैं। इसके अलावा, सेल में अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारियों के मुद्दों के समन्वित प्रतिनिधित्व के लिए सेल अनुसूचित जाति/जनजाति एम्पलॉइज फेडरेशन नामक एक सर्वोच्च निकाय भी है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के तहत प्रावधानों का अनुपालन सेल के सभी संयंत्रों और इकाइयों द्वारा किया जा रहा है। वार्षिक प्रतिवेदन सहित सभी वैधानिक प्रतिवेदन इस्पात मंत्रालय को भेजी जा रही हैं और इन्हें कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी अपलोड किया जा रहा है। आपकी कंपनी ने अधिनियम के तहत प्राप्त प्रश्नों के तीव्र निवारण के लिए प्रत्येक संयंत्र और इकाई में अधिनियम की धारा 5 और 19 (1) के तहत लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ)/सहायक लोक सूचना अधिकारियों और अपीलीय अधिकारियों और पारदर्शिता अधिकारी को नियुक्त किया है। धारा 5 (5) के तहत, पीआईओ को जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार सभी अधिकारियों/लाइन प्रबंधकों को मानित पीआईओ कहा जाता है, और आवेदक को समय पर सूचना प्रस्तुत करने के लिए पीआईओ के समान ही उत्तरदायी बनाया जाता है।

कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के साथ एक विशेष आरटीआई पोर्टल विकसित किया गया है। सभी संयंत्रों/इकाइयों ने 17 मैनुअल सूचीबद्ध किए हैं और अधिनियम के तहत अधिकारियों के विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। अधिनियम के कार्यान्वयन पर त्रैमासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न सीआईसी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा रहे हैं। ऑनलाइन अनुरोध का कार्यान्वयन 1 मई, 2015 से शुरू कर दिया गया है। कंपनी के वेबसाइट पर कॉरपोरेट कार्यालय के विभिन्न कार्यों के रिकॉर्ड अवधारण नीति का संकलन भी अपलोड किया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की वेबसाइट पर सीआईसी, डीओपीटी परिपत्रों और उच्च न्यायालय के मामलों के महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन भी उपलब्ध हैं।

'आरटीआई' के अंतर्गत सरकारी प्राधिकरणों की बाध्यता' पर जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाएं नियमित आधार पर संयंत्रों/इकाइयों में आयोजित की जा रही हैं और इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों में सूचना आयुक्त उपस्थित रहते हैं।

सेल को वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिनियम के तहत कुल 3,153 आवेदन और 483 अपीलें प्राप्त हुईं और उन सभी का अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटारा कर दिया गया है। सीआईसी ने 100 मामलों को भी उठाया है और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में किया गया।

अधिनियम लागू होने के बाद से, सेल को 31 मार्च, 2022 तक कुल 50,020 आवेदन और 7,588 अपीलें प्राप्त हुईं, जिनका निर्धारित समय के भीतर निस्तारण किया गया था। इनमें से 1040 मामले सीआईसी द्वारा उठाए गए थे और इनमें से अधिकांश मामलों का निपटारा कंपनी के पक्ष में हुआ था।

नागरिक अधिकार पत्र

सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए, नागरिकों की पहचान करने की एक निर्धारित प्रक्रिया तैयार की है जिसके द्वारा, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने में हमारी प्रतिबद्धता और सेवा वितरण प्रक्रिया बनाने के लिए आपकी कंपनी पूरी तरह से सुशासन के माध्यम से सार्वजनिक सेवा वितरण में उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है। सेल के नागरिक अधिकार–पत्र (सिटिजन चार्टर) ने अपने हितधारकों के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है, जिससे उन्हें बेहतर उत्पादों और सेवाओं की मांग करने का अधिकार मिला है। सेल नागरिक अधिकार–पत्र (सिटिजन चार्टर) के उद्देश्यों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

- उत्पादों और सेवाओं के सुधार के लिए सम्पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांतों को अपनाकर अपनी सभी प्रक्रियाओं पर नागरिक केंद्रित बनाए जाना सुनिश्चित करना।
- प्रभावशाली नागरिक संवाद माध्यमों को सुनिश्चित करना।
- कॉरपोरेट वेबसाइट पर नागरिक अधिकार–पत्र (सिटिजन चार्टर) की मेजबानी करके अपने व्यावसायिक कार्यों की पारदर्शिता और खुलेपन का प्रदर्शन करना।
- नागरिकों की प्रसन्नता की दिशा में कार्य करना, विफल–सुरक्षित प्रक्रियाओं द्वारा और अपनी सेवा वसूली प्रक्रियाओं का लाभ उठाने के मामले में, शिकायत निवारण, जैसे शिकायत निवारण, आदि करना।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण:

कंपनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, प्रतिबंध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के अनुरूप आंतरिक शिकायत समितियों की स्थापना की है। इन समितियों का गठन यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त निवारण के लिए किया गया है। कंपनी के सभी कर्मचारी इन नियमों के तहत आते हैं। वर्ष 2021–22 के दौरान यौन उत्पीड़न की शिकायतों का विवरण प्राप्त हुआ और उनका निस्तारण इस प्रकार है:

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल 2021 तक लंबित शिकायतों की संख्या	2
2021–22 में प्राप्त शिकायतों की संख्या	3
2021–22 के दौरान निस्तारित की गई शिकायतों की संख्या	4
31 मार्च 2022 तक लंबित शिकायतों की संख्या	1

घ. वर्ष के दौरान जीते गए पुरस्कार और सम्मान

आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार जीते हैं:

- वर्ष 2018 के लिए 6 प्रधान मंत्री श्रम पुरस्कार (31 कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) जीते हैं।
- प्रदर्शन वर्ष 2018 के लिए 11 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार (52 कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) जीते हैं।
- निदेशक संस्थान द्वारा इस्पात क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित गोल्डर पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता।
- 5 नवंबर, 2021 को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में राउरकेला स्टील संयंत्र ने पूर्वी क्षेत्र एनकॉन पुरस्कार 2021 में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता।
- बोकारो स्टील संयंत्र के झारखंड ग्रुप ऑफ माइन्स के तहत किरिबुरु लौह अयस्क खान (केओएम) और मेघाताबुरु लौह अयस्क खान (एमआईओएम) को स्थायी खनन प्रथाओं और लौह अयस्क श्रेणी में सर्वांगीण प्रदर्शन के लिए खान और खनिज पर 5वो राष्ट्रीय सम्मेलन में 5–स्टार की रेटिंग का सम्मान प्राप्त हुआ। वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए केआईओएम और वर्ष 2018–19 और 2019–20 के लिए एमआईओएम पुरस्कार प्रदान किया गया। 23 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय मामलों के मंत्री से अध्यक्ष, सेल द्वारा यह पुरस्कार दिया गया।
- जनवरी, 2022 में विकास और गंगा कायाकल्प के लिए जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी द्वारा आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में सेल को तीसरा स्थान मिला।
- सेल को ₹10,000 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले सार्वजनिक विनिर्माण मेगा श्रेणी में लागत प्रबंधन के लिए 2019 में उत्कृष्टता के लिए 17वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में तीसरा स्थान मिला।

ङ. पर्यावरणीय प्रबंधन

पर्यावरण में प्रदूषकों के उत्सर्जन और निर्वहन के लिए लागू पर्यावरणीय मानदण्डों के दायरे में और विभिन्न कचरे के पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन से संबंधित नियम, संयंत्र परिसर के अंदर और टाउनशिप में उत्पन्न होने के नाते, सेल संयंत्र और मिल्स, अपनी प्रक्रियाओं को बिना पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े संचालित करते हैं। आपकी कंपनी ने कॉरपोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपनी पर्यावरणीय दृष्टि भी तैयार की है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करती है, बल्कि आगे बढ़ने के लिए प्रयास पर भी जोर देती है। इसके अलावा, आपकी कंपनी हितधारकों की चिंताओं को दूर करने और सभी हितधारकों के लिए अपने पर्यावरण दर्शन को संप्रेषित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

उत्सर्जन और निरावेशन में सुधार

सेल संयंत्र और खान प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं का संचालन कर रहे हैं और नियमित रूप से बनाए रखने/नवीकरण/पुनर्जीवन के माध्यम से बनाए रखते हैं और जब तक आवश्यक हो, लागू पर्यावरणीय मानकों का पालन करने के उद्देश्य से, जैसा कि आवश्यक हो, उन्नयन करते हैं। निम्नलिखित क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान मुख्य प्रभाव प्राप्त हुए हैं:

- पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) एमिशन लोड लगभग 20% घटकर 0.59 किलोग्राम/टीसीएस हो गया है।
- विशिष्ट जल की खपत 14% से अधिक 3.12 मी^{3}/टीसीएस तक कम हो गई है।
- विशिष्ट प्रवाह मुक्ति लगभग 24% घटकर 1.35 मी^{3}/टीएसएस हो गया है।
- विशिष्ट प्रवाह भार में लगभग 23% की कमी आई है और यह 0.062 किलोग्राम/टीसीएस हो गई है।
- बीएफ स्लैग का उपयोग लगभग 13% बढ़कर 102.01% हो गया है।
- विशिष्ट कार्बनडाईऑक्साइड उत्सर्जन को 2% से अधिक घटा कर 2.51 टी/टीसीएस किया है।
- कुल ठोस अपशिष्ट उपयोग 14% से अधिक बढ़कर 94.66% हो गया है

ऊर्जा–कार्यक्षम प्रौद्योगिकियों और अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण/सुविधाओं को अपनाना

आपकी कंपनी ने अपनी आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के दौरान पहले से ही अत्याधुनिक स्वच्छ तकनीकों और सर्वोत्तम व्यवहार्य और उपलब्ध प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं को लागू किया है। कुछ प्रमुख स्वच्छ प्रौद्योगिकियां निम्नानुसार हैं:

- बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में कोक ड्राई कूलिंग संयंत्र, भूमि आधारित पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, संगणीकृत ज्वलन नियंत्रण प्रणाली आदि के साथ उच्चतर क्षमता कोक ओवन बैटरियाँ।
- सिंटर संयंत्र आरएसपी, बीएसएल और आईएसपी में उन्नत इग्निशन सिस्टम (मल्टी–स्लिट बर्नर), सिंटर कूलर से अपशिष्ट ताप प्राप्ति सुविधा आदि के साथ एकीकृत है।
- उच्च दबाव की ब्लास्ट फर्नेस, टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइन, वेस्ट हीट रिकवरी सुविधा, पल्वराइज्ड कोल इंजेक्शन, कास्ट हाउस डी–डस्टिंग सिस्टम और बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी पर टोरपिडो लेडल से सज्जित अपेक्षाकृत अधिक क्षमता का ब्लास्ट फर्नेस।
- बीएसपी, आरएसपी और आईएसपी में टारपीडो लैडल का उपयोग करके गर्म धातु की हैंडलिंग।
- उत्तरोत्तर स्लैग ग्रेनुलेशन सुविधा से कास्ट हाउस स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र में परिवर्तित करना।
- निरंतर कास्टिंग के माध्यम से अधिक ऊर्जा खपत होने वाली इनगोट माध्यम को चरणबद्ध तरीके से हटाना।
- ऊर्जा खपत को कम करने के साथ–साथ कार्बन डाई ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में रोलिंग मिल पर आरएचएफ के स्थान पर बीम रीहटिंग फर्नेस (आरएचएफ) चलना।
- संयंत्र मशीनरी में अस्थायी वोल्टेज अस्थायी फ्रीक्वेंसी (वीवीवीएफ) ड्राइव की शुरुआत।
- वसूली और ईंधन के रूप में इसका उपयोग करने के लिए बीएसपी के एसएमएस–III और बीएसएल के एसएमएस–I और II पर एक समर्पित गैस धारक के साथ नए बीओएफ कन्वर्टर्स लगाए गए।
- बीएसपी, डीएसपी और आईएसपी में बिजली उत्पादन के लिए गैस द्वारा संचालित नए बॉयलर।
- सभी नए कन्वर्टर्स में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल के लिए डीओजी हाउस। पुराने कन्वर्टर्स के मामले में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम की रेट्रोफिटिंग चरणबद्ध तरीके से की जा रही है।
- संयंत्रों और इकाइयों में परंपरागत प्रकाश व्यवस्था के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों की स्थापना।

नई पहलें

क. पॉली क्लोरीनयुक्त बाई–फेनाइल्स (पीसीबी) का पर्यावरण के अनुकूल निपटान – एक पर्यावरण प्रदूषक

भिलाई इस्पात संयंत्र ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और यू एन आई डी ओ के साथ भागीदारी में, पॉलीक्लोरिनेटेड बाई–फेनाइल्स (पीसीबी) के लिए एक निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिए एक परियोजना शुरू की है जिसे अपनी साइट पर लगातार कार्बनिक प्रदूषक (पॉप) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परियोजना पूर्ण होने के अंतिम चरण में है। चालू होने पर, परियोजना न केवल सेल संयंत्रों में बल्कि देश भर के अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वर्षों से जमा पीसीबी कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करेगी। यह अनूठी सुविधा राष्ट्र को अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद करेगी।

ख. 4आर (कमी, पुनःउपयोग, रिसायक्लिंग और रिकवरी) को लागू करके अपशिष्टो के उपयोग को बढ़ानाः

आपकी कंपनी ठोस अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और 100 प्रतिषत प्राप्त करने के लिए इसके उपयोग को अधिकतम करने के लिए प्रतिबद्ध है और अपनी सभी प्रक्रियाओं में '4आर की नीति' (कमी करना, पुनर्प्राप्त करना, रीसायकल करना और पुनः उपयोग करना) को अपनाया है। बीओएफ स्लैग के उपयोग को बढ़ाने की दृष्टि से, 'स्थायी कृषि और समावेशी विकास के लिए इस्पात स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों के विकास' पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना प्रस्ताव आईकार–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के माध्यम से इस्पात मंत्रालय के मार्गदर्शन

में लिया गया है। यह परियोजना इस्पात उद्योग और कृषि के सहजीवी विकास को सुनिश्चित करेगी।

ग. पर्यावरण के अनुकूल घरेलू अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा

एक ग्रीन पहल के रूप में और 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम, 2016' के अनुपालन में, बीएसपी ने एक ठोस तरल संसाधन प्रबंधन (एसएलआरएम) केंद्र स्थापित किया है। केंद्र में कचरे का प्रबंधन वैज्ञानिक और स्वच्छ तरीके से किया जाता है। एकीकृत सुविधा में कचरे को अलग करने, हरित कचरे को खाद में बदलने और प्लास्टिक कचरे को उपयोगी उप–उत्पादों में बदलने के लिए अलग–अलग सिस्टम हैं और हर दिन 50 टन कचरे का रखरखाव कर सकते हैं।

घ. बी एंड सी के बीएसपी के आउटलेट के लिए जल संरक्षण परियोजना

पानी की खपत को कम करने के साथ–साथ सभी संयंत्रों में जल संसाधन के संरक्षण के लिए, उपचार के माध्यम से 'शून्य तरल निर्वहन' के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और बहिर्वाह के माध्यम से संयंत्र के हर स्तर पर निर्वहन किए जा रहे अपशिष्ट का पुनर्चक्रण किया जा रहा है। इस संबंध में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान बीएसपी के आउटलेट बी एंड सी पर अपशिष्ट जल उपचार और रीसाइक्लिंग सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप, उपचार के बाद लगभग 8250 घनमीटर/घंटा अपशिष्ट को फिर से परिचालित किया जाता है और बीएसपी पर पुनः उपयोग किया जाता है।

ङ. डीएसपी पर स्थापित एसएमएस कंवर्टरों के साथ सेंकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम (डीओजी हाउस)

दुकान के अंदर और आसपास पलायक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए दुर्गापुर स्टील संयंत्र में तीनों बीओएफ कन्वर्टर्स के साथ सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम (डीओजी हाउस) स्थापित किए गए हैं, जिससे काम के माहौल में काफी सुधार हुआ है।

च. एलईडी प्रकाश व्यवस्था पर स्विच करना

आपकी कंपनी भारत सरकार की पहल 'सभी के लिए सस्ती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति(उजाला) योजना' के अनुरूप पारंपरिक प्रकाश व्यवस्था से अधिक ऊर्जा–कुशल और टिकाऊ एलईडी प्रकाश व्यवस्था में धीरे–धीरे स्थानांतरित हो रही है। इस संबंध में, कंपनी के सभी संयंत्रों और इकाइयों में 1.75 लाख से अधिक एलईडी लाइटें लगाई जा चुकी हैं।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आईएसओ–14001 के साथ समर्पित

आईएसओ 14001 से जुड़ा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) प्रक्रियाओं और प्रथाओं का एक समूह है जो किसी संगठन को उसके पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और उसकी परिचालन दक्षता बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ईएमएस के कार्यान्वयन ने सेल के संयंत्र और खान को यह सुनिश्चित करने में मदद की है जिससे कि उनका प्रदर्शन नियामक आवश्यकताओं के संलग्नित हो।

ईएमएस (आईएसओ–14001) सभी संयंत्रों में लागू किया गया और कंपनी पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के लिए सभी खानों को अपने दायरे में लाने का प्रयास कर रही है। हाल के वर्षों में, बरुआ लौह अयस्क खदान, गुआ अयस्क खदान, किरुबुरु और मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदान, बोलानी लौह अयस्क सीएमओ की खान, मनोहरपुर लौह अयस्क खदान, दल्ली लौह खदान और तेरह गोदामों (अहमदाबाद, हैदराबाद, गाजियाबाद, फरीदाबाद, विजाग, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, दुर्गापुर, दानकुनी, बोकारो, बैंगलोर और कानपुर) को भी आईएसओ 14001 प्रमाणित किया गया है।

संवहनीय विकास/पर्यावरण–बहाली परियोजनाएं

- जैव–विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के साथ–साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की भरपाई के लिए अवमानित पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और पुनर्वास आवश्यक है। पूर्णापानी में 250 एकड़ के पुराने बंजर अधिक म्लानता और 200 एकड़ के चूना पत्थर के क्षेत्र में पानी के बहाव को पूरी तरह कार्यात्मक पारिस्थितिक तंत्र में सफलतापूर्वक बहाल कर दिया गया है जो पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं और सामानों के साथ–साथ पृथक कार्बनडाईऑक्साइड भी उत्पन्न करता है।
- जनवरी, 2021 में वन उत्पादकता संस्थान, रांची के साथ खनन किए गए क्षेत्र की पर्यावरण बहानी और किरीबुरु लौह अयस्क खदानों और मेघाहातुबुरु लौह अयस्क खदानों के लिए अलग से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में, स्थानीय प्रजातियों और जल निकायों के वनस्पतियों और जीवों के विकास के साथ, लगभग 400 एकड़ भूमि को **'वसुंधरा'** नाम के जैव–विविधता पार्क में बदल दिया गया है।

एक नए युग की ओर नवीकरणीय ऊर्जा का अनुप्रयोग

आपकी कंपनी ने अपने संयंत्रों, खानों और आसपास के गांवों/क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। निम्नलिखित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को हाल के वर्षों में पहले ही लागू किया जा चुका है:

- आरएसपी पर राज्य बिजली बोर्ड के विद्युत ग्रिड सिस्टम से जुड़े 1 मेगावॉट का ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र ।
- बीएसएल के विभिन्न भवनों पर 2 मेगावॉट ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप माउंटेड सौर ऊर्जा इकाई।
- बीएसपी के विभिन्न भवनों पर 0.5 मेगावॉट रूफ टॉप सौर ऊर्जा इकाई।

इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में की गई कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं (i) ओडिशा लिमिटेड (गेडकोल) के हरित उर्जा विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम पहल के तहत मंदिरा बांध, आरएसपी में 10 मेगावाट जलविद्युत संयंत्र की स्थापना और (ii) 6.145 मेगावॉट की रूफ टॉप सोलर यूनिट्स विभिन्न भवनों/संयंत्रों/इकाइयों पर नए और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) योजना के तहत स्थापित किए गए।जिनमें से 2.045 मेगावॉट की रूफ टॉप सौर ऊर्जा इकाइयां पहले ही विभिन्न भवनों पर स्थापित की जा चुकी हैं।

वृक्षारोपण

आपकी कंपनी समग्र पर्यावरण प्रबंधन पहल में, वृक्षारोपण की अपनी भूमिका को मानती है। यह एक जाहिर तथ्य है कि संयंत्र पारिस्थितिकी तंत्र और कार्य को कार्बन सिंक के रूप में संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह के वृक्षारोपण देशी प्रजातियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण की बहाली के एक उपकरण के रूप में अवक्रमित भूमि पर वन पुनर्जनन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किए गए हैं। वनरोपण द्वारा विकसित हरियाली वातावरण में खूबसूरती तो बढ़ाती है, जो धूल और शोर अवरोधक बन जाता है और साथ ही कार्बनडाई ऑक्साइड का एक प्राकृतिक अवशोषक भी बन जाता है। पौधों के इस सहयोग को ध्यान में रखते हुए सेल ने अपने प्रारंभिक चरण से ही संयंत्रों और खानों में नियमित रूप से व्यापक वनरोपण कार्यक्रम को अपनाया है। वृक्षारोपण पर विशेष बल देते हुए वर्ष 2021–22 के दौरान 3.6 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। अब तक संयंत्रों और खदानों में 21.5 मिलियन से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।

च. कंपनी की रणनीतिक पहल

आपकी कंपनी ने एक बहु–आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें जैविक विकास, बाउन–फील्ड परियोजनाएं, नीतिक गठबंधनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी नेतृत्व, नई खानों को विकसित करके कच्चे माल की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संबद्ध क्षेत्रों में विविधता लाना, आदि सम्मिलित है। उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुरूप, सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों के साथ बिजली उत्पादन, रेल डिब्बों का निर्माण, सीमेंट चूर्ण उत्पादन, नए विदेशी स्रोतों से कोकिंग कोयले की आपूर्ति हासिल करना, आदि उद्देश्यों के साथ संयुक्त उद्यम का गठन किया।

- **गैर–परिचालन और गैर–निष्पादित संयुक्त उद्यम कंपनियों और सेल की सहायक कंपनियों से बंदी/निकासी:** वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, सेल दो संयुक्त उपक्रमों अभिनव–सेल जेवीसी और एस एंड टी माइनिंग लिमिटेड से अलग हो गई।
- **सेल संयंत्रों का विनिवेश:** आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील संयंत्र (विस्प), भद्रावती, कर्नाटक, सलेम स्टील संयंत्र (एसएसपी), तमिलनाडु और अलॉय स्टील्स संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी।

ईओआई बोलियां 10 सितंबर, 2020 को खोली गईं और योग्य बोलीदाताओं को चयनित किया गया। चयनित बोलीदाताओं को गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम), प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) और व्यापार हस्तांतरण समझौता (बीटीए) जारी किए गए हैं। विनिवेश प्रक्रियाधीन है।

व्यावसायिक उत्कृष्टता श्रेष्ठता की पहल

प्रबंधन प्रणालियों का कार्यान्वयन

सेल संयंत्रों/इकाइयों में से अधिकांश आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओएचएसएएस 18000 और एसए 8000, आईएसओ 50000 और आईएसओ 27000 प्रबंधन प्रणालियों से प्रमाणित हैं। इसके अलावा, तीसरे चक्र यानी 2020–2023 के लिए प्रमाणन एजेंसियों का पैनल मार्च, 2020 में छह प्रबंधन प्रणालियों यानी आईएसओ 9000, आईएसओ 14000, ओहसास 18000/आईएसओ 45000, एसए 8000, आईएसओ 27000 और आईएसओ 50000 और संबंधित प्रशिक्षण के प्रमाणीकरण के लिए पूरा किया गया था। जारी कोविड–19 महामारी माहौल के कारण, मौजूदा प्रमाणपत्रों के आसान संक्रमण और मानकों की आवश्यकताओं के अनुसार सभी प्रबंधन प्रणालियों को बनाए रखने के लिए कुछ स्थानों पर दूरस्थ बाहरी /आंतरिक ऑडिट के साथ–साथ ऑन–साइट ऑडिट किए गए थे।

सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित उपाय

आज के गतिशील कारोबारी माहौल की दुनिया में, आपकी कंपनी ने उद्योग 4.0 को अपनाकर डिजिटल परिवर्तन की यात्रा शुरू की है, जो जो डेटा उपलब्धता और स्वचालित व्यापार प्रक्रियाओं को गति और सटीकता प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है। त्वरित निर्णय लेने में सहायता करने, उपकरणों की खराबी को कम करने, निवारक कार्रवाई करने में मदद करने के अलावा, यह उत्पादकता बढ़ाने और परिचालन लागत को कम करने और अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं को मजबूत करने के लिए एक स्मार्ट फैक्ट्री बनाने में भी सहायता करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान की गई कुछ पहलों का विवरण नीचे दिया गया है:

- इसका रोडमैप संगठन के लिए इसके विजन को रेखांकित करते हुए तैयार किया गया है।
- कोविड–19 महामारी के दौरान ऑक्सीजन टैंकरों की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा के लिए केंद्र सरकार के ऑक्सीजन डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम (ओडीटी) पोर्टल के साथ संबंधित संयंत्र से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन के प्रेषण का एकीकरण किया गया।
- ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के लिए, ग्राहक ऑडर ट्रैकिंग प्रणाली और ग्राहक स्वयं सेवा पोर्टल लागू किया गया है, जिसमें शिकायतों का पंजीकरण, ग्राहक संतुष्टि सूचकांक (सीएसआई) और चालान और परीक्षण प्रमाण पत्र का प्रकाषन शामिल है।
- आपकी कंपनी ने ऑन–रोल कर्मचारियों की पेंशन निधि को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में स्थानांतरित करने की सुविधा के लिए ऑनलाइन प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया है।
- पारदर्शिता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए आपकी कंपनी में सतर्कता (सुविधा) के लिए निगमित शिकायत निगरानी पोर्टल लागू किया गया है।
- व्यापार स्वचालन को आगे ले जाने के लिए, मानव रहित वेटब्रिज, स्वचालित वाहन प्रवेश/निकास प्रणाली और गोदाम में वाहन ट्रैकिंग प्रणाली और विपणन उपकरणों के आधार पर भावी योजनाएं बताने के लिए एनएसआर का उत्पादन केंद्रीय विपणन संगठन (सीएमओ) में लागू किया गया है।
- व्यवसाय स्वचालन की निरंतरता में, भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) में विनिर्माण निष्पादन प्रणाली (एमईएस) लागू की गई है, जिससे गुणवत्ता में सुधार हुआ है, उत्पादकता में वृद्धि हुई है और परिचालन रखरखाव कम हो गया है और प्रमुख दुकानों में 2–स्तरीय स्वचालन हासिल किया गया है।
- मोबाइल एप्लिकेशन और डिजिटाइजेशन के विकास के साथ प्रौद्योगिकी तेजी से बदल रही है। इस संबंध में एसएपी–ईआरपी के लागत मॉड्यूल के कार्यान्वयन के साथ उत्पादन लागत की वास्तविक समय निगरानी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा, यह लागत को कम करने और अनुकूलित करने के उपायों को अपनाने में भी सहायता करता है।

- ईआरपी और मेसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड (नीलामी मंच)के बीच सिस्टम एकीकरण। सेल संयंत्रों से नीलामी विवरण स्थानांतरित करने और मेसर्स एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड से सफल बोलीदाता विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है।
- व्यक्तियों और दस्तावेजों की भौतिक आवाजाही को कम करने और पारदर्शिता और नियंत्रण के साथ गेट पास तेजी से जारी करने के लिए, ठेका मजदूरों के लिए कार्य–प्रवाह आधारित डिजिटल स्थायी गेट पास प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
- संपत्ति प्रबंधन बिलिंग के लिए एक ही स्थान पर समाधान के रूप में, अचल संपत्ति लचीला प्रबंधन मॉड्यूल पेश किया गया है।
- ऑनलाइन सुरक्षा सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण पुर्जों की ट्रैकिंग के लिए प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया।

कॉरपोरेट संवाद

लगातार विकसित हो रहे व्यापार प्रतिमान के साथ, विशेष रूप से कोविड 19 महामारी के बाद के युग में, त्वरित उत्तराधिकार में विघटनकारी परिवर्तन न्यू नॉर्मल हैं। परिवर्तनशील परिस्थितियों के लिए व्यावसायिक संगठनों द्वारा अपने हितधारकों और लक्षित दर्शकों तक जल्दी और प्रभावी ढंग से पहुंचने के लिए बढ़े हुए और प्रभावी संचार की आवश्यकता होती है। साथ ही, आज संचार के तरीकों और साधनों में बड़ी तेजी से परिवर्तन हो चुका है। ऐसी स्थिति में, विभिन्न चैनलों के माध्यम से अपने लक्षित दर्शकों तक वांछित संदेश पहुंचाते हुए अपने हितधारकों के लिए कंपनी के संचार और सूचना के निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए कॉर्पोरेट संचार की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। कॉर्पोरेट संचार व्यवसायों को रचनात्मकता और नवाचार, व्यावसायिक उत्कृष्टता, बेहतर कर्मचारी जुड़ाव और कंपनी के भीतर विकास की संस्कृति को बढ़ावा देने और एक सकारात्मक ब्रांड छवि बनाने और बाहरी हितधारकों के साथ जुड़ने में मदद करता है।

सेल में कॉर्पोरेट संचार की भूमिका कंपनी की आकस्मिक आवश्यकताओं और विकास प्रक्षेपवक्र के साथ मिलकर विकसित हो रही है। कंपनी ने कर्मचारियों के बीच एक जीवंत और सक्रिय जुड़ाव बनाने और बाहरी संचार पहल के माध्यम से सेल की ब्रांड छवि को बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के हितधारकों और लक्षित दर्शकों के साथ बेहतर जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संचार अभियान चलाए गए। निरंतर आधार पर हितधारकों से जुड़ने के लिए नए युग के माध्यमों का लाभ उठाया गया। पूरे वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के विकास और उपलब्धियों को सभी संचार चैनलों का इष्टतम उपयोग करके संगठन के साथ–साथ बाहरी हितधारकों तक नियमित रूप से प्रसारित किया गया।

कंपनी के सोशल मीडिया हैंडल, डिजिटल मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक जैसे पारंपरिक मीडिया के मिश्रण का उपयोग करते हुए बाहरी संचार अभियान कुशलतापूर्वक चलाया गया, जिसने सेल की एक और मजबूत छवि बनाने में सहायता की। संगठन में सहयोग और तालमेल में सुधार लाने के उद्देश्य से कंपनी में कर्मचारियों के बीच बड़ा और बेहतर जुड़ाव हासिल करने में आंतरिक संचार अभियान सफल रहे।

आंतरिक संवाद

हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। जैसा कि कोविड–19 महामारी के माध्यम से सेल ने होषियारी से फैसले लिए, कंपनी में आंतरिक संचार ने एक गतिशील परिवर्तन किया, जिसमें पूरी कंपनी में ऑनलाइन और भौतिक दोनों रूपों में बातचीत की गई। प्रबंधन के सभी स्तरों से सक्रिय भागीदारी के साथ बड़े पैमाने पर ऑनलाइन बातचीत को लागू किया गया, जिससे सर्वोत्तम प्रथाओं और समाधानों को साझा करने के लिए एक मंच तैयार किया गया। पुरस्कार विजेता इन–हाउस जर्नल 'सेल न्यूज' को कंपनी के ऑडियो–विजुअल न्यूज कैप्सूल 'सेल ट्रैक' के नियमित प्रकाषन के साथ–साथ नया रूप दिया गया है। इस्पात प्रचार के अभिनव वीडियो और अन्य संबंधित वीडियो, पूरी तरह से विकसित और आंतरिक संसाधनों का उपयोग करके उत्पादित, विभिन्न आंतरिक प्लेटफार्मों पर प्रसारित किए गए, जिससे कर्मचारियों को इस्पात/कंपनी से संबंधित विकास के साथ अद्यतन रहने में मदद मिली है।

कर्मचारियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने और देश भर में फैले कंपनी के सभी संयंत्रों/इकाइयों से जुड़ने के लिए 24 जनवरी, 2022 को सेल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहली बार 'सेल गौरव दिवस' और दूसरी बार ऑनलाइन मोड के माध्यम से लगातार आयोजित किया गया था।

बाहरी संचार

आपकी कंपनी अपने बाहरी हितधारकों के साथ एक पारदर्शी चैनल बनाए रखती है और नियमित और समय पर प्रेस विज्ञप्ति और मीडिया सूचना जारी करना उस प्रतिबद्धता का प्रमाण है। आधुनिक समय में मीडिया की ताकत और पहुंच को समझते हुए, सेल ने कंपनी में हो रहे विभिन्न विकासों के बारे में उपलब्धियों को नियमित रूप से बढ़ावा देने और अपडेट पोस्ट करने के लिए अपने विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल का व्यापक रूप से उपयोग किया। सेल के सोशल मीडिया हैंडल के फॉलोअर्स पर्याप्त संख्या के साथ–साथ तेजी से बढ़े हैं। इस्पात उद्योग के एक जिम्मेदार हितधारक के रूप में, आपकी कंपनी ने कई अनूठी पहल की हैं जिनमें 'स्टील में स्विच' और स्टील के उपयोग को बढ़ावा देने के अभियान शामिल हैं। इनका सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से नियमित प्रचार किया जाता है। साल 2021–22 के दौरान सेल के बारे में समाचार और जानकारी डिजिटल मीडिया पर व्यापक रूप से उपलब्ध रही है। सेल की वेबसाइट, जो संगठन के बारे में विश्वसनीय जानकारी का भंडार है, को एक बटन के क्लिक पर नवीनतम जानकारी प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अपडेट किया गया है। 2021–22 के दौरान वेबसाइट के दर्शकों की संख्या में भी बहुत अच्छी वृद्धि देखी गई है। ब्रांड 'सेल' को नवीन और प्रभावी तरीकों से बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग गतिविधियों को तैयार किया गया है। एक सहयोगी दृष्टिकोण के माध्यम से, जब भी संभव हो, ब्रांडिंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए बेहतर और लागत प्रभावी साधनों के लिए 'आउटरीच एंड कम्युनिकेशंस ब्यूरो (पूर्ववर्ती डीएवीपी) सेवाओं' की क्षमता का व्यापक रूप से विकास किया गया है।

सरकारी पहल को बढ़ावा देना

आपकी कंपनी 'आजादी का अमृत महोत्सव' (एकेएएम) मनाने और प्रचारित करने में सबसे सक्रिय प्रतिभागियों में से एक रही है। अधिक से अधिक लोगों तक आजादी का अमृत महोत्सव को व्यापक रूप से लोकप्रिय बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सेल विभिन्न कार्यक्रमों और माध्यमों के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव अभियान का प्रचार कर रहा है। कंपनी व्यापक नागरिकों की भागीदारी के लिए लोगों से जुड़ने और आजादी का अमृत महोत्सव

को एक 'जनांदोलन' में बदलने के लिए अपने सभी संयंत्रों और इकाइयों में अपने हितधारकों तक व्यापक रूप से पहुंच रही है।

आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, योग दिवस, जल संरक्षण आदि सहित अन्य पहलों को भी संगठन में विभिन्न संचार अभियानों के माध्यम से नियमित रूप से बढ़ावा दिया गया है।

बड़े पैमाने पर ब्रांड सेल और इस्पात को बढ़ावा देना सेल की कॉर्पोरेट संचार टीम का केंद्र बना हुआ है। सेल में सभी संचार टीमों के समकालिक कामकाज ने संगठन के लिए मजबूत संचार अभियान बनाने में मदद की। बेहतर कर्मचारी अनुभव और हितधारकों की भागीदारी को निरंतर संचार ड्राइव के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है और ये सेल की संचार टीम का केंद्रीय क्षेत्र बना हुआ है।

छ. सतर्कता गतिविधियां

सेल की सतर्कता का उद्देश्य लोगों को संगठन के लिए उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखते हुए लोगों को एकाग्रता, दक्षता और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए सक्षम करने वाले वातावरण की सुविधा प्रदान करना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, सतर्कता विभाग निवारक और सक्रिय कार्यों में अधिक जोर देने के साथ निवारक, सह क्रियाशील और दंडात्मक कार्यों को करता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गईः

- कर्मचारियों के बीच सतर्कता जागरूकता में वृद्धि लाने के लिए, कंपनी के विभिन्न संयंत्रों और इकाइयों में नियमित रूप से सतर्कता जागरूकता सत्र और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी, खरीद/अनुबंध प्रक्रियाओं, आचरण और अनुशासन नियम, सामान्य अनियमितता, प्रणाली और प्रक्रियाओं का सेल में पालन, आदि पर सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए 1686 प्रतिभागियों को सम्मिलित करते हुए कुल 102 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। 2021–22 के दौरान 45 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से समर्पित दो दिवसीय निवारक सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कुल 829 मध्य स्तर के अधिकारी और सेल के 160 नए प्रवेशकों को शामिल किया गया।
- कंपनी के संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित रूप से फाइल जांच और संयुक्त जांच सहित निवारक जांच की गई। विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में फाइल जांच और संयुक्त जांच सहित कुल 2282 निवारक जांच की गई।
- सतर्कता ऑपरेटिंग प्राधिकारियों को अधिक पारदर्शिता लाने के लिए प्रचलित प्रणालियों में सुधार के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करती है। तदनुसार, सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में तेरह प्रमुख प्रणाली सुधार परियोजनाओं (एसआईपी) को प्रारंभ किया गया।
- विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में गहन परीक्षण के लिए 14 प्रकरणों का चयन किया गया। इन गहन परीक्षणों के दौरान, उच्च–मूल्य की प्राप्ति/अनुबंधों की समावेषी रूप से परीक्षण किया जाता है और सुधार के लिए सुझावों को लागू करने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक संस्तुतियां अग्रसारित की जाती हैं।
- केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार, दिनांक 26 अक्टूबर से 1 नवंबर, 2021 सतर्कता जागरूकता सप्ताह सेल में मनाया गया। इस सप्ताह की शुरुआत सत्यनिष्ठा की शपथ लेने और 26 अक्टूबर, 2021 को सेल के कॉरपोरेट कार्यालय के साथ–साथ सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में गणमान्य व्यक्तियों के संदेशों को पढ़कर सुनाने के साथ हुई। सप्ताह के दौरान, कार्यशालाएं/संवेदीकरण कार्यक्रम, ग्राहकों से मिलना, भ्रष्टाचार विरोधी मार्च/वॉकथॉन, कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए प्रश्नोत्तरी, निबंध, स्लोगन और ड्राइंग/पोस्टर, वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती हैं। आउटरीच उपायों के रूप में, भाषण/वक्तृत्व प्रतियोगिता, पोस्टर/ड्राइंग प्रतियोगिता, निबंध/स्लोगन प्रतियोगिता, अंतर विद्यालय वाद–विवाद प्रतियोगिता, क्विज़ प्रतियोगिता जैसे विभिन्न आयोजन, सेल और दिल्ली और कोलकाता के विभिन्न मेट्रो शहरों में आयोजित किए गए।
- एक अन्य सहभागी सतर्कता पहल में, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में एथिक्स क्लब और एथिक्स सर्कल गतिविधियों को शुरू किया गया। बड़े पैमाने पर समाज में नैतिक व्यवहार का प्रचार करने के लिए, सेल टाउनशिप के स्कूलों में इस विश्वास के साथ नैतिकता क्लबों का गठन किया गया है कि नैतिक रूप से बेहतर समाज के गठन की सुविधा के लिए बच्चों के लिए एक मजबूत और नैतिक आधार बनाना आवश्यक है। 2021–22 के दौरान, विभिन्न स्कूलों के नैतिकता क्लबों ने अपने छात्रों को 'नैतिकता के युवा चौंपियन' के रूप में नामित किया, विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं जैसे कि विशेषज्ञ वार्ता, भाषण, गीत, नृत्य, वीडियो, चित्र आदि के माध्यम से नैतिकता/नैतिक मूल्यों का प्रचार किया। इसके अलावा, सलेम स्टील संयंत्र के एथिक्स सर्कल ने ईमानदारी, जिम्मेदारी, पारदर्शिता, टीम–वर्क, वफादारी आदि पर ध्यान देने के साथ कर्मचारियों के बीच एक मजबूत नैतिक संस्कृति के निर्माण के लिए 'नैतिक मूल्यों को विकसित करना' विषय पर एक पुस्तिका भी जारी की।
- आईएसओ 37001:2016 के अनुसार सेल में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली (एबीएम) को लागू करने का भी निर्णय लिया गया है। निदेशक मंडल ने रिश्वत विरोधी प्रबंधन नीति (विजन स्टेटमेंट) को मंजूरी दे दी है और पहला चरण कॉर्पोरेट कार्यालय और बोकारो स्टील संयंत्र में लागू किया जा रहा है।
- शिकायतों को दर्ज करने और उनके प्रसंस्करण के स्वीकार्य तरीकों के बारे में एकरूपता और स्पष्टता लाने के लिए, 1 जनवरी, 2022 से सेल सतर्कता के लिए एक शिकायत प्रबंधन नीति लागू की गई है। नीति यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार, कदाचार या भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं, दर्ज की जाती हैं और सीवीसी की शिकायत प्रबंधन नीति के अनुरूप तरीके से कार्रवाई की जाती है।

- सेल सतर्कता द्वारा निम्नलिखित तीन प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई:
  - (i) डीलिंग अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों पर विशेष जोर देने के साथ, सीजीएम और निचले स्तर के अधिकारियों को प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुमोदन के भीतर खरीद फाइलों की जांच।
  - (ii) निर्धारित समय–सीमा के पालन पर विशेष जोर देते हुए मौजूदा दिशानिर्देशों/सांविधिक प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति के बाद बकाया के अंतिम निपटान के मामलों की जांच।
  - (iii) ₹50.00 लाख और अधिक मूल्य के आदेशों के लिए पुनरावृत्त आदेशों और संबंधित मात्रा भिन्नता की संवीक्षा।
- 'इंसपिरेशन–प्रेरणा', सेल सतर्कता का एक आंतरिक प्रकाशन पुस्तिका नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है। उपरोक्त प्रकाशन में पाठकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए केस स्टडी और सूचनात्मक लेख शामिल हैं।
- 1 अप्रैल, 2021 को, कुल 75 शिकायतें प्रलंबित थीं और 31 मार्च, 2022 को समापन शेष 69 था। 2021–22 के दौरान शिकायतों के प्रसंस्करण का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण शिकायतें

विवरण	शिकायतें
गुमनाम/फर्जी नाम वाले पाये गई शिकायतों बंद कर दिया (सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुरू दाखिल)	172
सतर्कता दृष्टिकोण नहीं होने वाले/आरोप पुष्टि नहीं करने वाली शिकायतो को बंद कर दिया	219
अन्य विभागों को प्रेषित	165
निषेधात्मक/प्रशासनिक सिफारिशों के साथ बंद	98
नियमित विभागीय कार्रवाई (आरडीएएस) शुरू की गई (8 कर्मचारियों के विरुद्ध बड़े जुर्माना के 6 मामले और 18 कर्मचारियों के विरुद्ध मामूली जुर्माना के 10 मामले शामिल हैं)	16
कुल निवारण	**670**

निगरानी तंत्र

कंपनी ने व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार के उच्चतम मानकों को अपनाकर मामलों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए निगरानी तंत्र को अपनाया है। कंपनी के बोर्ड में कंपनी के सभी कर्मचारी और निदेशक इस तंत्र के अंतर्गत आते हैं। यह तंत्र कर्मचारियों के लिए अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में चिंताओं को रिपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया है। यह उन कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी प्रदान करता है जो तंत्र का लाभ उठाते हैं और असाधारण मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुंच की अनुमति देते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई और उससे संबंधित कार्रवाई की गई।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण का प्रतिवेदन

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी के प्रदर्शन और दृष्टिकोण को सम्मिलित करने वाली प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण प्रतिवेदन से संलग्नित है और इस प्रतिवेदन का भाग है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तरों को इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–I** पर रखा गया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां और इस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–II** में दिए गए हैं।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के तहत कंपनी को अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों में लागत लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता है। कंपनी के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर मैसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली, मेसर्स एबीके एंड असोसिएट्स, मुंबई और मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए लागत लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया। बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कंपनी द्वारा बनाए गए लागत रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा आयोजित करने के लिए ₹12.12 लाख और लागू करों और जेब खर्च की प्रतिपूर्ति का शुल्क तय किया था, जिसे शेयरधारकों द्वारा पिछली वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया गया था।

सचिवीय लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, कंपनी का सचिवीय लेखापरीक्षण करने के लिए सचिवीय लेखा परीक्षक के रूप में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए नियुक्त किया। सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–III** में संलग्नित गया है।

सचिवीय लेखा परीक्षक के अवलोकन के संबंध में, कि कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आवश्यकताओं के अनुसार नहीं थी, यह कहा गया है कि कंपनी के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति द्वारा भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। कंपनी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से अपने बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन के लिए अनुरोध किया है। नतीजतन, नवंबर, 2021 के दौरान कंपनी के बोर्ड में एक महिला स्वतंत्र महिला निदेशक सहित पांच स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की गई है और अप्रैल, 2022 में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है।

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की अनुसूची–II भाग डी (ए) के साथ पढ़े जाने वाले विनियम 17 (10), 25 (4) और 19 (4) के अनुपालन के लिए निदेशकों के प्रदर्शन के मूल्यांकन नहीं किए जाने के संबंध में अवलोकन (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यह उल्लेख किया गया है कि कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जून, 2015 की अधिसूचना को रद्द कर दिया है, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट को अधिसूचित किया है, जो परस्पर प्रदान करता है, जो कि उप नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178

की धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी। इसके अलावा, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 को अधिसूचना जारी की, जिसमें स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–IV में कुछ संशोधन अधिसूचित किए गए हैं। अधिसूचना के अनुसार, अनुसूची–IV में, गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और बोर्ड के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित खंडों को सरकारी कंपनियों के लिए छूट दी गई है?

कॉरपोरेट शासन

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में कॉरपोरेट शासन प्रतिवेदन और लेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र कॉरपोरेट शासन की शर्तों के अनुपालन को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–IV** में रखा गया है।

सेबी विनियमों के संदर्भ में, बोर्ड ने सभी बोर्ड सदस्यों और कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए एक आचार संहिता रखी है। आचार संहिता कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट की गई है। सभी बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

व्यवसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में, पर्यावरण, सामाजिक और शासन के दृष्टिकोण से कंपनी द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाली व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है और इसे **अनुलग्नक–V** में रखा गया है।

पूरक प्रतिष्ठान, संयुक्त उपक्रम और सहयोगी

इस्को–उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, तत्कालीन भारतीय लौह और इस्पात कंपनी लिमिटेड (इस्को) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, बीआईएफआर द्वारा समापन करने का आदेश दिया गया था। सरकारी परिसमापक अपनी परिसमापन प्रक्रिया को जारी रखे हुए है।

आपकी कंपनी की चार अन्य सहायक कंपनियाँ हैं, नामतः सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड (एसआरसीएल), सेल जगदीशपुर पावर संयंत्र लिमिटेड, सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड है।

एसआरसीएल सलेम रिफ्रेक्ट्री यूनिट का संचालन कर रही है जिसे 16 दिसंबर, 2011 को सेल द्वारा बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड से प्राप्त किया गया था। सेल जगदीशपुर पावर संयंत्र लिमिटेड, जगदीशपुर और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड में गैस आधारित पावर संयंत्र की स्थापना के लिए शामिल किया गया था, जिसे पुनरुद्धार के लिए शामिल किया गया था। फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सिंदरी यूनिट ने बंद नहीं किया है और बंद हो रही है।

छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड को विशेष प्रयोजन वाहन के रूप में शामिल किया गया था, सेल द्वारा अब इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है।

सहायक कंपनियों के वार्षिक खातों और संबंधित विस्तृत जानकारी, होल्डिंग और सहायक कंपनियों के शेयरधारकों को उपलब्ध कराई जाएगी, जो किसी भी समय ऐसी जानकारी की मांग करेंगे। इसके अलावा, सहायक कंपनियों के वार्षिक खाते किसी भी शेयरधारक द्वारा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय और सहायक कंपनियों में कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11 बजे से 1 बजे के बीच संबंधित निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं। लिखित अनुरोधों की प्राप्ति पर सहायक कंपनियों के खातों की एक हार्ड कॉपी शेयरधारकों को दी जाएगी।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के प्रावधानों के अनुसार, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए विधिवत लेखा परीक्षित समेकित वित्तीय विवरण इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–VI** पर प्रस्तुत किये गए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन के उत्तरों को इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–VII** में रखा गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143(6)बी के तहत 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियाँ, 2013 और उस पर प्रबंधन के उत्तर इस रिपोर्ट के **अनुलग्नक–VIII** में दिए गए हैं। इसके अलावा, निर्धारित प्रपत्र एओसी–1 में सहायक, संयुक्त उद्यम और सहयोगी कंपनियों के वित्तीय विवरणों की मुख्य विषेशताएं इस बयान में **अनुलग्नक–IX** में रखी गई हैं।

वार्षिक विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए वार्षिक रिटर्न https://www.sail.co.in/sites/default/files/2022-09/SAIL_DRAFT_ANNUAL_RETURN_2021_22.pdf पर उपलब्ध है।

बोर्ड की बैठकें

वर्ष के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की 9 बैठकें आयोजित की गईं, जिनका विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट के हिस्से के रूप में **अनुलग्नक–IV** में कॉर्पोरेट शासन प्रतिवेदन में दिया गया है।

लेखापरीक्षण समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षण समिति की शुरुआत 1998 में कंपनी द्वारा की गई थी। सेबी विनियम और कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के संदर्भ में लेखापरीक्षा समिति का समय–समय पर पुनर्गठन किया गया है। लेखा परीक्षण समिति की बैठकों का कार्यवृत्त बोर्ड को परिचालित किया जाता है, चर्चा की जाती है और उस पर ध्यान दिया जाता है। लेखापरीक्षा समिति से संबंधित संरचना और अन्य विवरण कॉरपोरेट षासन प्रतिवेदन में **अनुलग्नक–IV** में दिए गए हैं।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) और इसकी उपयुक्तता

कंपनी ने नीतियों और प्रक्रियाओं को अच्छी तरह से स्थापित और प्रलेखित किया है, जिनका पालन व्यापार के पारदर्शी, कुशल और नैतिक आचरण के लिए किया जाता है और अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियों का पता लगाने, सटीकता और लेखांकन रिकॉर्ड की पूर्णता और वित्तीय समय पर तैयारी के लिए किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी के पास एक अच्छा कॉरपोरेट प्रशासन ढांचा है, और मजबूत प्रबंधन प्रक्रियाएं, नियंत्रण, नीतियां और दिशानिर्देश हैं जो संगठन को उसके व्यावसायिक उद्देश्य की ओर ले जाते हैं और विभिन्न हितधारकों की जरूरतों को भी पूरा करते हैं।

आपकी कंपनी के मजबूत नवाचार जैसे कि स्वतंत्र आंतरिक लेखापरीक्षा, दस्तावेजित नीतियां, दिशानिर्देश, प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षा समिति/बोर्ड द्वारा नियमित समीक्षा, आदि कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, आदि के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अनुपालन में मदद करते हैं। कंपनी कॉरपोरेट प्रशासन के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ बोर्ड आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) की प्रभावशीलता और इसकी पर्याप्तता की रिपोर्टिंग के लिए सभी हितधारकों के प्रति जवाबदेह है। निगमित अभिषासन को कंपनी अधिनियम, 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015, आदि के अनुसार किया गया है।

निर्देशकों के दायित्वों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134 (3) (सी) के अनुसार, निदेशकों ने कहा कि:

(i) वार्षिक लेखा–जोखा की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ–साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है;

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें लगातार लागू किया है और निर्णय दिए हैं और जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति के उस अवधि के लिए कंपनी का लाभ या हानि के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके;

(iii) निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा–जोखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की है;

(iv) निदेशकों ने वार्षिक लेखा–जोखा के आधार पर तैयार किया है;

(v) निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं; तथा

(vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी तरीके से संचालित हो रही है।

स्वतंत्र निदेशकों की घोषणा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के संदर्भ में, प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक द्वारा यह कहते हुए आवश्यक घोषणा की गई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) में प्रदत्त स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करता है। इसके अनुसार, कंपनी के स्वतंत्र निदेशकों ने भारतीय निगमित मामलों के संस्थान के साथ बनाए गए स्वतंत्र निदेशकों के डेटा बैंक में अपना नाम दर्ज करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए हैं।

बोर्ड की राय में, वर्ष के दौरान नियुक्त स्वतंत्र निदेशक के पास सत्यनिष्ठा, आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव है।

धारा 186 के अनुसार ऋण, प्रत्याभूतियों या निवेशों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों (निदेशक मंडल की बैठक और उसके अधिकार) नियमों, 2014 के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान दिए गए ऋण, प्रत्याभूति और निवेश का विवरण दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो गया, वह इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–X** में प्रस्तुत है।

धारा 188 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट के अनुसार संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी द्वारा दर्ज किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्था/लेन–देन संबंधित पक्षों के साथ व्यापार के सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। वित्तीय विवरणों में संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन का खुलासा किया गया है। इसलिए, संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्था के विवरण धारा 188 (1) में निर्दिष्ट हैं, ऐसे अनुबंध या एओसी–2 में प्रवेश करने के औचित्य के साथ रिपोर्ट का भाग नहीं बनता है।

लाभांश वितरण नीति

सेबी के नियमन 43ए (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के संदर्भ में, कंपनी के निदेशक मंडल ने लाभांश वितरण नीति को अपनाया है जिसे कंपनी की वेबसाइट https://sail.co.in/sites/default/files/Dividend_Distribution_Policy_2017.pdf पर रखा गया गया है।

ऊर्जा का संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा अर्जन और व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी (लेख) नियमों, 2014 के नियम 8 के साथ ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय से संबंधित विवरण इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक– XI** में दिए गए हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) एक नीतिगत व्यावसायिक अनुशासन है जो अपने जोखिमों को संबोधित करके और इन जोखिमों के प्रभाव को प्रबंधित करके संगठन के उद्देश्यों का समर्थन करता है। यह एक संगठन की गतिविधियों की योजना बनाने, समन्वय, क्रियान्वयन और संचालन का अभ्यास है ताकि निवेश, आय और साथ ही रणनीतिक, वित्तीय और परिचालन जोखिमों पर जोखिम के प्रभाव को कम किया जा सके।

आपकी कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीति को वैधानिक आवश्यकता बनने से बहुत पहले निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था और तब से, सेल में जोखिम प्रबंधन आंतरिक और बाहरी परिवर्तनों के अनुरूप विकसित हुआ है। नीति पूरे संगठन में व्यावसायिक जोखिमों के प्रति प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि नियमित आधार पर किसी निश्चित समय सीमा के भीतर जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और शमन किया जाता है। वर्तमान में, सेल में उद्यम जोखिम प्रबंधन के आर्किटेक्चर में एक अच्छी तरह से डिज़ाइन की गई बहुस्तरीय संगठन संरचना शामिल है, जिसमें प्रत्येक संयंत्र/यूनिट के पास अपने स्वयं के कथित जोखिम हैं जो जोखिम मालिकों/जोखिम चैंपियनों द्वारा निरंतर निगरानी में हैं जो शमन रणनीति को लागू करते हैं। और इसे अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाते हैं। संयंत्र/यूनिट के प्रमुख द्वारा संचालित संयंत्र/यूनिट की जोखिम प्रबंधन समिति समय–समय पर जोखिमों और इसकी शमन स्थिति की समीक्षा करती है और सेल के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करती है। सेल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (एसआरएमसी) नीति

निर्माण से संबंधित मुद्दों के समाधान के साथ–साथ कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन की देखरेख करती है और इसके निरंतर प्रभाव का आकलन करने के लिए रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन का मूल्यांकन करती है। जोखिम प्रबंधन/जोखिम अधिकारी द्वारा पहचाने जाने वाले जोखिम जोखिम प्रबंधन समिति में विचार–विमर्श किए जाते हैं और ऐसे जोखिमों को कम करने की रणनीति तैयार की जाती है। बोर्ड, ऑडिट कमेटी, सेल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट स्टीयरिंग कमेटी, सीआरओ, रिस्क ऑफिसर/रिस्क चैंपियन से संबंधित रिस्क मैनेजमेंट की नीतियां पॉलिसी के तहत परिभाषित होती हैं और बोर्ड द्वारा अनुमोदित होती हैं। आपकी कंपनी की उद्यम जोखिम प्रबंधन नीति इसकी वेबसाइट https://sail.co.in/company/company-policies पर अपलोड की गई है।

कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर)

सेल का सामाजिक उद्देश्य कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व का पर्याय है। विनिर्माण इस्पात के व्यवसाय के अलावा, आपकी कंपनी का उद्देश्य उन समुदायों के लिए व्यवसाय का संचालन करना है जो उन समुदायों को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं, जिनमें यह संचालित होता है। किसी भी संगठन के लिए, सीएसआर समाज पर अपने व्यवसाय के प्रभाव के बारे में जागरूक होने से शुरू होता है। लोगों के जीवन में सार्थक अंतर लाने के लिए अंतर्निहित दर्शन और एक प्रमाण के साथ, आपकी कंपनी शुरुआत से ही सीएसआर पहल को संरचित और कार्यान्वित कर रही है। इन प्रयासों ने अस्पष्ट गांवों को देखा है, जहां सेल संयंत्र स्थित हैं, आज बड़े औद्योगिक केंद्रों में बदल गए हैं।

आपकी कंपनी की सीएसआर पहल हमेशा कंपनी अधिनियम–2013 और कंपनियों (कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 के अनुरूप की गई है। सेल ने कंपनी अधिनियम–2013 की अनुसूची–VII के अनुरूप होने वाले क्षेत्रों में देश भर में स्टील टाउनशिप, खान और दूर क्षेत्र की सीएसआर परियोजनाओं और आसपास की परियोजनाओं नामतः शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पीने के पानी तक पहुंच, स्वच्छता, ग्राम विकास, पर्यावरण स्थिरता, महिला सशक्तिकरण, दिव्यांगों को सहायता, स्थायी आय सृजन स्वयं सहायता समूह, खेल प्रशिक्षक, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना आदि का संचालन किया।

कंपनी द्वारा सीएसआर पर निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट के साथ की गई विभिन्न सीएसआर पहलों का विवरण इस रिपोर्ट में **अनुलग्नक–XII** में प्रस्तुत किया गया है। कंपनी की सीएसआर पॉलिसी इसकी वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

कोविड–19 पर सीएसआर पहल

कोरोनावायरस (कोविड–19) महामारी ने वैश्विक स्तर पर एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है। राष्ट्र ने कोविड–19 वेरिएंट यानी 'डेल्टा' के साथ–साथ 'ओमीक्रोन' के संचयी जोखिम को झेला, जो तेजी से उत्परिवर्तित और फैल गया, जिससे कोविड–19 मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। आपकी कंपनी, एक उत्तरदायी कॉरपोरेट संगठन के रूप में, अपनी सुविधाओं/परिसरों, संयंत्रों/इकाइयों के कर्मचारियों और साइट पर काम करने वाले अन्य सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल ने अपने संयंत्रों, इकाइयों, खानों और टाउनशिप में महामारी के प्रबंधन के लिए व्यापक प्रतिक्रिया को सक्रिय किया है। आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपात स्थिति राहत (पीएम केयर्स) कोष में ₹50 करोड़ का योगदान दिया है।

सेल ने रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से कोविड–19 से निपटने में भारत सरकार के प्रयास में भागीदारी करने के लिए देश के विभिन्न राज्यों को 1.3 लाख मीट्रिक टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन (एलएमओ) की आपूर्ति की है।

सेल संयंत्रों में 1444 बिस्तरों वाली कोविड देखभाल सुविधाएं, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड के अलावा अलग से जंबो कोविड–19 देखभाल सुविधाएं स्थापित कीं जो संयंत्रों से समर्पित पाइपलाइनों के माध्यम से गैसीय ऑक्सीजन से सुसज्जित हैं।

इसके अलावा, चौबीसों घंटे स्वास्थ्य सेवा का विस्तार करने के लिए 900 से अधिक योग्य डॉक्टरों और 1500 पैरा–मेडिकल कर्मचारियों द्वारा संचालित सेल अस्पतालों ने मामलों में वृद्धि को देखते हुए ऑक्सीजन समर्थन के साथ कोविड–19 समर्पित 1000 बेड और वेंटिलेटर समर्थन के साथ 129 आईसीयू बेड की व्यवस्था की। 600 बेड की क्वारंटाइन सुविधाओं का निर्माण किया और संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय में आरएटी, आरटीपीसीआर, ट्रू–नेट जैसी कोविड–19 परीक्षण सुविधाएं विकसित कीं। इसके अलावा, सभी परिधीय गांवों में पानी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्थानों पर डिजिटल थर्मल रिकॉर्डर का उपयोग करते हुए टच–फ्री हैंड–सैनिटाइजर, पानी के डिस्पेंसर, कीटाणुनाशक का छिड़काव करने की व्यवस्था की गई है।

समाज के कमजोर वर्गों की सहायता के लिए दैनिक वेतनभोगी/मजदूरों, गरीब किसानों और उनके परिवारों, सेल संयंत्रों और इकाइयों ने महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन, सूखे राशन के पैकेट, दूध के पैकेट, दूध पाउडर, खिचड़ी, नियमित दवाएं, दैनिक पका हुआ भोजन वितरण किया व रोगियों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए फेस मास्क, एप्रन और दस्ताने आदि की सिलाई/वितरण की सुविधा की।

स्वास्थ्य देखभालः सेल के व्यापक और विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने 2011–22 की अवधि के दौरान अपने संयंत्रों और इकाइयों के आसपास रहने वाले 177 लाख लोगों को विशिष्ट और बुनियादी स्वास्थ्य सेवा प्रदान की। जरूरतमंदों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के लिए, नियत दिनों पर विभिन्न गांवों में नियमित रूप से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन संयंत्रों/इकाइयों, खान और दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया गया है। संयत्र की परिधि में चल रही 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयु) ने लगभग 64,500 ग्रामीणों को अपने घर के द्वार पर लाभान्वित किया है। संयंत्रों में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों ने लगभग 11,300 कोविड–19 रोगियों सहित 1,25,000 से अधिक रोगियों को विशेष रूप से मुफ्त चिकित्सा देखभाल और दवाएं प्रदान कीं।

शिक्षाः समाज को शिक्षा के माध्यम से विकसित करने के लिए, सेल 77 स्कूलों का समर्थन कर रहा है, स्टील टाउनशिप में 40,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान कर रहा है, 19 विशेष स्कूल (कल्याण और मुकुल विद्यालय) एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थानों में 4865 बीपीएल श्रेणी के छात्रों को मुफ्त शिक्षा, मध्याह्न भोजन, जूते, पाठ्य पुस्तकों, स्टेशनरी आइटम्स, स्कूल बैग, पानी की बोतलें और सीएसआर के तहत परिवहन सहित सुविधाओं के साथ लाभान्वित हो रहे हैं।

आदिवासी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के 441 से अधिक बच्चों को सारंडा सुवन छत्रवास, किरीबुरुय ज्ञानोदय छत्रवास, बसपा स्कूल राजहरा, भिलाईय ज्ञानज्योति योजना, बोकारो से मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन, वर्दी और पाठ्यपुस्तकें आदि मिल रही हैं।

अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से सेल, भिलाई और राउरकेला में 600 से अधिक सरकारी स्कूलों में 63,000 छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान कर रहा है।

महिला सशक्तिकरण और सतत आय सृजनः सतत आय सृजन के लिए लक्षित व्यावसायिक और विशेष कौशल विकास प्रशिक्षण 223 युवाओं और 1306 महिलाओं को प्रदान किया गया है, जैसे कि नर्सिंग, फिजियोथेरेपी, एलएमवी ड्राइविंग, कंप्यूटर, मोबाइल मरम्मत, कृषि तकनीक, अचार/पापड़/अगरबत्ती/ मोमबत्ती बनाने , स्क्रीन प्रिंटिंग, हैंडीक्राफ्ट, सेरीकल्चर, यार्न वीविंग, टेलरिंग, स्पाइसेस, टॉवेल्स, गनी–बैग्स, लो–कॉस्ट–सेनेटरी नैपकिन, स्वीट बॉक्स, साबुन, स्मोकलेस चूल्हा बनाने आदि शामिल है। 418 युवाओं को बोलानी में आईटीआई, बोलानी, बालिपुर, बोकारो निजी आईटीआई और राउरकेला, आदि में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया गया है।

ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क और जल की सुविधाः 450 गांवों में से 79.03 लाख से अधिक लोग सड़क के निर्माण और मरम्मत के द्वारा इसकी स्थापना के बाद से सेल की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं। स्थापना के बाद से 8176 से अधिक जल स्रोत स्थापित किए गए हैं, जिससे दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले 50 लाख से अधिक लोगों को पीने के जल की आसान पहुंच मिल सके।

पर्यावरण संरक्षणः विभिन्न स्थलों में पार्कों, जल निकायों और वनस्पति उद्यान का रखरखाव और विभिन्न स्थानों पर 5 लाख से अधिक पेड़ों के रोपण और रखरखाव का कार्य किया गया है।

दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहयोगः दिव्यांग बच्चों/लोगों को तिपहिया, मोटर चालित वाहन, कैलीपर्स, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग इत्यादि उपकरणों के प्रावधान के माध्यम से समर्थन किया जा रहा है। भिलाई में "स्नेह सम्पदा", "प्रयास" और "मुस्कान" जैसे सीएसआर के अंतर्गत; "अंधे, बहरे और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए स्कूल" और राउरकेला में "होम एंड होप"; बोकारो में "आशालता केंद्र"; दुर्गापुर में विभिन्न कार्यक्रम जैसे "दिव्यांग उन्मुख शिक्षा कार्यक्रम" और "दुर्गापुर दिव्यांगों के लिए खुश घर"; और बर्नपुर में "चेशायर होम" को सेल समर्थन कर रहा है। भिलाई, आचार्य धाम और दुर्गापुर में बादशाह, आदि जैसे विभिन्न संयंत्र टाउनशिप में वृद्धाश्रम का समर्थन किया जा रहा है।

क्रीड़ा, कला और संस्कृतिः सेल नियमित रूप से अंतर–गाँव खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है, जो प्रमुख राष्ट्रीय खेल आयोजनों और टूर्नामेंटों के लिए समर्थन प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, बोकारो (फुटबॉल), राउरकेला (हॉकी) में अपने आवासीय खेल अकादमियों के माध्यम से पुरुष और महिला खिलाड़ियों का समर्थन और कोचिंग–विश्व स्तरीय एस्ट्रो–मैदान, भिलाई (लड़कों के लिए एथलेटिक्स), दुर्गापुर (लड़कियों के लिए एथलेटिक्स) और किरीबुरू, झारखंड (तीरंदाजी)। छत्तीसगढ़ लोक कला महोत्सव, ग्रामीण लोकोत्सव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम हर साल आयोजित किए जाते हैं।

आकांक्षी जिलों का विकासः भौतिक और सामाजिक दोनों बुनियादी ढांचे का व्यापक विकास प्रदान करने के लिए, सेल ने 6 आकांक्षी जिलों अर्थात छत्तीसगढ़ में कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव और झारखंड में पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, रांची में सीएसआर गतिविधियां शुरू की हैं।

लेखा परीक्षकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, न तो वैधानिक लेखा परीक्षकों और न ही सचिवीय लेखा परीक्षक ने लेखा परीक्षा समिति को अपने अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी के किसी भी मामले की सूचना दी है, जिसका बोर्ड की रिपोर्ट में उल्लेख करना आवश्यक होगा।

सामान्य प्रकटीकरण

i. वर्ष के दौरान, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत किसी भी जमा राशि को स्वीकार नहीं किया है।

ii. नियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कोई महत्वपूर्ण या सामग्री आदेश पारित नहीं किया गया था जो भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति और कंपनी के संचालन को प्रभावित करता है। हालाँकि, सदस्यों का ध्यान वित्तीय विवरणों के हिस्से के रूप में आकस्मिक देनदारियों पर बयान के लिए आकर्षित किया गया है।

iii. वर्ष के दौरान, कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

iv. वर्ष के दौरान दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

निदेशक एवं महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

- अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्तीय सलाहकार, इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव श्री शशांक प्रिया को 22 अप्रैल 2021 से सरकारी निदेशक से पदमुक्त हुए।
- इस्पात मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार श्रीमती सुकृति लिखी को 23 अप्रैल 2021 से निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री अशोक कुमार त्रिपाठी को दिनांक 8 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ।
- श्री कन्हैया सारदा को दिनांक 12 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्रीमती नीलम सोंनकर को 15 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू को दिनांक 16 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- डॉ. गोपाल सिंह भाटी को 18 नवंबर 2021 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री कृष्ण कुमार गुप्ता स्वतंत्र निदेशक पद से दिनांक 20 दिसंबर 2021 को पदमुक्त हुए।
- श्री वेजेंडला श्रीनिवासा चक्रवर्थी को दिनांक 24 दिसंबर 2021 से निदेशक (वाणिज्यिक) के रूप में नियुक्त किया गया है।
- श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त) के पद से दिनांक 31 दिसंबर, 2021 से पदमुक्त हुए।
- श्री अतानु भौमिक को निदेशक (प्रभारी–राउरकेला इस्पात संयंत्र) के रूप में 11 फरवरी 2022 से नियुक्त किया गया है।
- श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह को निदेशक (प्रभारी–बर्नपुर एवं दुर्गापुर इस्पात संयंत्र) के रूप में दिनांक 19 अप्रैल 2022 से नियुक्त किया गया है।
- प्रो. (डॉ.) के. जयप्रसाद को 26 अप्रैल 2022 से स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ।
- श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय और निदेशक, 26 अप्रैल 2022 को पदमुक्त हुए।
- श्री अभिजीत नरेंद्र, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय को 27 अप्रैल 2022 से बतौर सरकारी निदेशक नियुक्त किया गया है।
- श्री हरिनन्द राय, निदेशक (तकनीकी, परियोजनाएँ और कच्चा माल) दिनांक 30 अप्रैल 2022 से निदेशक से पदमुक्त हुए।
- श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी को निदेशक (वित्त) के रूप में दिनांक 20 जून, 2022 से नियुक्त किया गया है।

- श्री कृष्ण कुमार सिंह को निदेशक (कार्मिक) के रूप में दिनांक 25 अगस्त 2022 से नियुक्त किया गया है।
- श्री अरविन्द कुमार सिंह को निदेशक (तकनीकी परियोजना एवं कच्चा माल) के रूप में दिनांक 2 सितंबर 2022 से नियुक्त किया गया है।

कंपनी के शेयरधारकों ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से पारित प्रस्तावों के माध्यम से निदेशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	नाम	पद	प्रस्ताव/संकल्प	संकल्प की तारीख
1.	श्री अतानु भौमिक	पूर्णकालिक निदेशक	सामान्य	4 मई, 2022
2.	श्री अशोक कुमार त्रिपाठी	स्वतंत्र निदेशक	विशेष	13 जुलाई, 2022
3.	श्री कन्हैया सारदा	स्वतंत्र निदेशक	विशेष	13 जुलाई, 2022
4.	श्रीमती नीलम सोनकर	स्वतंत्र निदेशक	विशेष	13 जुलाई, 2022
5.	श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू	स्वतंत्र निदेशक	विशेष	13 जुलाई, 2022
6.	डॉ. गोपाल सिंह भाटी	स्वतंत्र निदेशक	विशेष	13 जुलाई, 2022
7.	श्री वेजेन्दला श्रीनिवासा चक्रवर्थी	पूर्णकालिक निदेशक	सामान्य	13 जुलाई, 2022
8.	श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह	पूर्णकालिक निदेशक	सामान्य	13 जुलाई, 2022
9.	प्रो (डॉ.) के. जयप्रसाद	स्वतंत्र निदेशक	विशेष	13 जुलाई, 2022
10.	श्री अभिजीत नरेंद्र	सरकारी निदेशक	सामान्य	13 जुलाई, 2022
11.	श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी	पूर्णकालिक निदेशक	सामान्य	2 सितंबर, 2022

स्वीकृति

निदेशक बोर्ड सेल परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा दिए गये ईमानदार, अथक और समर्पित सहयोग और मूल्य के लिए उनकी सराहना करना चाहता है। निदेशकगण भारत सरकार, विशेष रूप से इस्पात मंत्रालय, नियामक और सांविधिक प्राधिकरण, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, दीपम, नीति आयोग, विभाग से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन, सार्वजनिक उद्यमों, रेलवे, राज्य सरकारों, बिजली बोर्डों, आदि के लिए समर्थन और सहयोग की सराहना के लिए तहेदिल से आभारी हैं। बोर्ड अपने सभी हितधारकों, सदस्यों, निवेशकों, ग्राहकों, विक्रेताओं, बैंकरों और सलाहकारों को उनके निरंतर समर्थन और संगठन में विश्वास के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, वैधानिक लेखा परीक्षकों, लागत लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और कंपनी से जुड़े अन्य पेशेवरों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद देती हैं।

आपकी कंपनी की निदेशक महामारी से निपटने के लिए अपने जीवन और सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान के लिए बहुत आभारी हैं और कोविड–19 महामारी के कारण मानव जीवन की हानि पर गहरा खेद व्यक्त करती हैं।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

सोमा मंडल

(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 5 सितंबर, 2022

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

सेबी (सूचीबद्धता लिस्टिंग बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (2) (ई) के संदर्भ में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के प्रबंधन द्वारा कम्पनी के निष्पादन एवं आउटलुक से संबंधित विश्लेषण रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

क. उद्योग संरचना एवं विकास

विश्व आर्थिक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2020–21 की पहली छमाही के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था कोविड–19 महामारी की प्रारंभिक लहरों के प्रभाव से जूझ रही थी। वित्तीय वर्ष 2020–21 की दूसरी छमाही में एक महत्वपूर्ण सुधार देखा गया। वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान, सफल टीकाकरण अभियान और संबंधित सरकारों द्वारा बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देने वाले प्रोत्साहन खर्च के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए आर्थिक दृष्टिकोण में सुधार हुआ। सदियों में एक बार आने वाली महामारी के घाव के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था जीवन में वापस आ गई। सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन से समर्थित, अमेरिकियों ने फिर से खर्च करना शुरू कर दिया, जबकि बेरोजगारी में कमी आई और कॉरपोरेट मुनाफे में वृद्धि हुई। दूसरी ओर चीन की अर्थव्यवस्था को सहायकों की कमी, कोयला, बिजली, कोविड–19 के पुनरुत्थान के साथ–साथ चीनी सरकार द्वारा अचल संपत्ति के लिए कड़े मानदंडों के कारण बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ा। यूरोप को आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और कोविड महामारी के जोखिमों का सामना करना पड़ा जिसने इसकी आर्थिक सुधार को कम कर दिया।

हालाँकि, जैसे ही नए ओमीक्रोन वैरिएंट का प्रसार हुआ, कई देशों ने स्थानीय प्रतिबंधों को फिर से लागू कर दिया। इसने वैश्विक वित्तीय बाजारों को झकझोर कर रख दिया और विश्व अर्थव्यवस्था पर अनिश्चितता के बादल छा गए। ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के साथ–साथ आपूर्ति में व्यवधान ने अनुमान से अधिक उच्च और अधिक व्यापक–आधारित मुद्रास्फीति को जन्म दिया है, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में। चीनी मांग, जो 2021 में रियल एस्टेट क्षेत्र पर सख्त कार्रवाई के कारण धीमी हो गई, के सपाट रहने की उम्मीद है क्योंकि चीनी सरकार अचल संपत्ति बाजार को स्थिर करने की कोशिश करती है।

दुनिया भर में ग्राहकों को ईंधन, श्रमिकों और जहाजों की कमी के कारण उच्च मुद्रास्फीति की आवश्यकता महसूस होने लगी। जनवरी, 2022 में अमेरिकी उपभोक्ता कीमतों में 7.5% की वृद्धि हुई, जो 40 वर्षों में सबसे अधिक है। यूरोपीय संघ भी रिकॉर्ड मुद्रास्फीति की चपेट में था क्योंकि रूस–यूक्रेन तनाव के बीच ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही थीं।

24 फरवरी, 2022 से रूस–यूक्रेन युद्ध की शुरुआत ने आर्थिक चुनौतियों को और गहरा कर दिया। संघर्ष और प्रतिबंधों का प्रभाव सीधे यूक्रेन, रूस और बेलारूस पर पड़ा है। लेकिन बढ़ते मुद्रास्फीति दबाव और ब्याज दरों, व्यापार और वित्तीय संबंधों, श्रम आपूर्ति और मानवीय प्रभावों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय विस्तार ने बड़े प्रभाव को व्यापक रूप से फैलाया है – विशेष रूप से यूरोप में।

दुनिया की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं ने मुद्रास्फीति, आपूर्ति और मांग असंतुलन, उच्च ऊर्जा कीमतों, यूक्रेन युद्ध और चीन में कोविड लॉकडाउन से निपटने के लिए ब्याज दरों में वृद्धि की है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा उच्च मुद्रास्फीति और ब्याज दरों में वृद्धि के कारण अप्रैल–जून, 2022 के दौरान सीधे दूसरी तिमाही में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई। चीन की आर्थिक वृद्धि भी 2022 की दूसरी तिमाही में तेजी से धीमी होकर केवल 0.4% रह गई, जो कि कोविड लॉकडाउन के लगातार दबाव में थी। चीन की संपत्ति में गिरावट में सुधार के बहुत कम संकेत हैं। वैश्विक मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर में भारी उछाल आया है, जो 20 वर्षों में नहीं देखा गया है।

आईएमएफ ने जुलाई, 2022 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि 2022 में विश्व जीडीपी वृद्धि 3.2% होगी, जो अप्रैल, 2022 में तीन महीने पहले किए गए अनुमानों से 0.4% कम होगी। वैश्विक उत्पादन चालू वर्ष की दूसरी तिमाही में अनुबंधित है, जिसके कारण चीन और रूस में मंदी, जबकि अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में कमी आई। विश्व अर्थव्यवस्था को कई झटके लगे हैं, जो पहले से ही महामारी से कमजोर है। जैसे कि दुनिया भर में उच्च–अपेक्षित मुद्रास्फीति–विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और प्रमुख यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में, सख्त वित्तीय स्थितियों में तेजी लाना, चीन में अपेक्षित से भी बदतर मंदी, जो कोविड–19 के प्रकोप और लॉकडाउन को दर्शाती है, और आगे यूक्रेन में युद्ध से प्रतिकूल प्रभाव। वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के प्रक्षेपण का विवरण नीचे दिया जा रहा है:

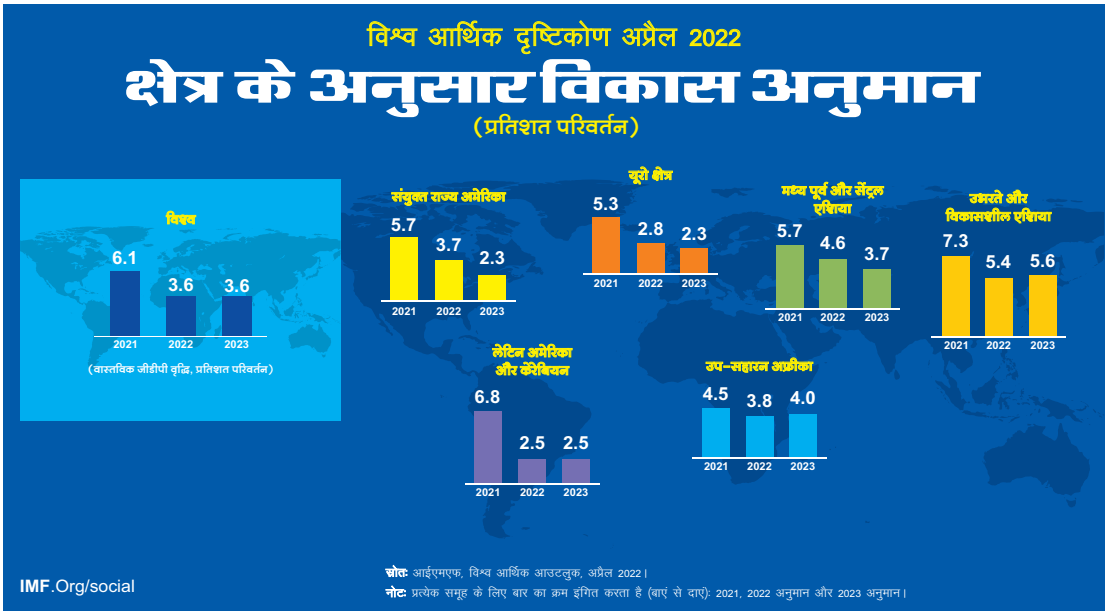

वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक के प्रक्षेपण

(जीडीपी वृद्धि प्रतिशत परिवर्तन)

	वर्ष की तुलना में वर्ष		
	अनुमानित	प्रक्षेपण	
	2021	2022	2023
विश्व उत्पादन	**6.1**	**3.2**	**2.9**
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	**5.2**	**2.5**	**1.4**
संयुक्त राज्य अमेरिका	5.7	2.3	1.0
यूरो क्षेत्र	5.4	2.6	1.2
जापान	1.7	1.7	1.7
उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	**6.8**	**3.6**	**3.9**
चीन	8.1	3.3	4.6
भारत	8.7	7.4	6.1
ब्राजील	4.6	1.7	1.1
रूस	4.7	(-)6.0	(-)3.5

स्रोत : आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनोमिक आउटलुक अपडेट, जुलाई, 2022

भारतीय आर्थिक परिवेश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान भारत को कोविड–19 महामारी की दो महत्वपूर्ण लहरों का सामना करना पड़ा, देश में पहली लहर पहली तिमाही में आई और स्थानीय बाजार प्रतिबंधित हुए, जहां बाद में एक आशाजनक आर्थिक सुधार होने की उम्मीद थी। दूसरी लहर आखिरी तिमाही में आई, लेकिन भारतीय आबादी के मजबूत टीकाकरण के कारण इसका प्रभाव अपेक्षाकृत हल्का था। महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹6.29 लाख करोड़ के राहत पैकेज को मंजूरी दी। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2022–23 के केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया और पूंजीगत व्यय को 35.4% बढ़ाकर ₹7.50 लाख करोड कर दिया गया।

रूस–यूक्रेन युद्ध के कारण, उत्पादों विशेष रूप से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि,, भारत के मैक्रो–इकोनॉमिक संकेतकों पर एक मजबूत असर पड़ेगा, जिसमें चालू खाता घाटा, विदेशी मुद्रा दर और मुद्रास्फीति शामिल हैं। इसके अलावा, भारतीय रुपये में हमारे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले काफी गिरावट आई और यह ₹80 प्रति अमेरिकी डॉलर के करीब है। नतीजतन, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान में कटौती की और अब इसके 6.9% से 7.8% के बीच रहने की उम्मीद है।

बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि प्रतिशत 2011–12

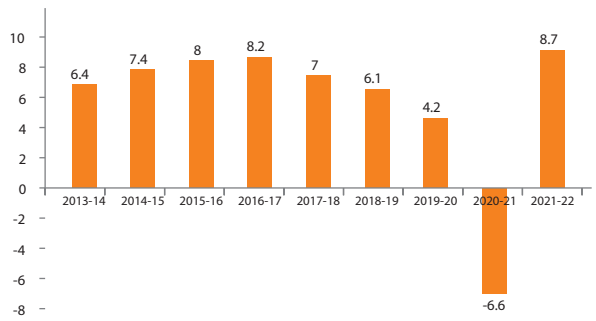

वित्तीय वर्ष 2021–22 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में पिछले वर्ष की तुलना में 11.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका कारण वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोविड–19 महामारी के कारण कम था। वित्तीय वर्ष 2021–22 में वित्तीय वर्ष 2019–20 की पूर्व–कोविड अवधि की तुलना में वृद्धि केवल 1.9% थी।

इसी तरह वित्तीय वर्ष 2021–22 में विनिर्माण, पूंजीगत सामान और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में वृद्धि, यदि पूर्व–कोविड अवधियों की तुलना में सुस्त या नकारात्मक बनी रही। औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में जून, 2022 में वर्ष की तुलना में वर्ष पर आधारित 12.3 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें विनिर्माण उत्पादन में स्वस्थ विकास, मांग की स्थिति में सुधार और आपूर्ति–पक्ष की चुनौतियों को कम करने का प्रतिबिंब दिखाया गया।

भारत ने पहली बार 400 अरब डॉलर मूल्य के माल का निर्यात किया। वित्तीय वर्ष 2021–22 में। हालांकि, बढ़ते आयात के कारण व्यापार घाटा बढ़ गया और यह 192.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 में चिप की कमी, ईंधन की बढ़ती कीमत और बढ़ती लागत के कारण भारत की कुल घरेलू ऑटोमोबाइल बिक्री सुस्त रही। वित्तीय वर्ष 2021–22 में भारत की कुल घरेलू ऑटोमोबाइल बिक्री, सियाम के अनुसार, 175.13 लाख यूनिट से अधिक थी, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.94% कम थी।

विश्व इस्पात

2021 में, विश्व तैयार स्टील की मांग 2.7% बढ़कर 1833.7 मिलियन टन तक पहुंच गई। 2021 में, आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और कोविड महामारी के बावजूद उम्मीद से अधिक मजबूत वापसी हुई। हालांकि, चीन की इस्पात की मांग में प्रत्याशित से तेज गिरावट ने 2021 में समग्र वैश्विक इस्पात मांग वृद्धि को कम कर दिया।

यूक्रेन में युद्ध और बढ़ती मुद्रास्फीति से महामारी से निरंतर और स्थिर वसूली की उम्मीद डगमगा गई है। विश्व इस्पात संगठन का अनुमान है कि 2022 में स्टील की मांग 0.4% बढ़कर 1,840.2 मिलियन टन हो जाएगी।

वार्षिक कच्चा इस्पात उत्पादन (मिलियन टन)

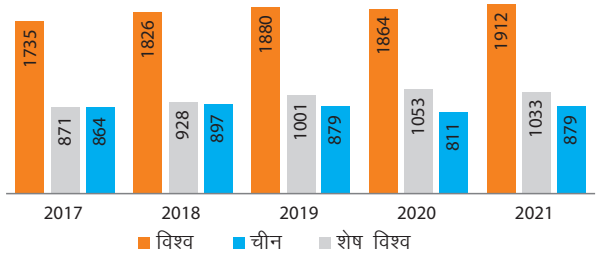

फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद, इस्पात की कीमतें बढ़ने लगीं क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष ने तैयार

इस्पात और कच्चे माल की आपूर्ति में कटौती कर दी। दोनों देश मिलकर सालाना लगभग 45 मिलियन टन इस्पात का निर्यात करते हैं। यूरोपीय इस्पात कंपनियों को भी प्राकृतिक गैस की कमी का सामना करना पड़ा।

सर्वोच्च 10 इस्पात उत्पादक देश

रैंक	देश	2021 (मी.टन)	2022 (मी.टन)	% परिवर्तन
1	चीन	1032.8	1064.8	(-)3.0
2	भारत	118.1	100.3	17.8
3	जापान	96.3	83.2	14.9
4	सं.रा.अमेरिका	86.0	72.7	18.3
5	रूस	76.0	71.6	6.1
6	दक्षिण कोरिया	70.6	67.1	5.2
7	टर्की	40.4	35.8	12.7
8	जर्मनी	40.1	35.7	12.3
9	ब्राजील	36.0	31.0	14.7
10	ईरान	28.5	29.0	(-)1.8

स्रोत : विश्व इस्पात संगठन

इस्पात उद्योग के लिए दृष्टिकोण

इस्पात उद्योग में सकारात्मक खपत और मांग की प्रवृत्ति पर सवार होकर, दृष्टिकोण स्पष्ट नजर आता है। डब्ल्यूएसए ने 2022 में इस्पात की मांग में 0.4% की वृद्धि 1,840.2 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान लगाया। वर्ष 2023, यह मानते हुए कि 2022 में रूस–यूक्रेन युद्ध समाप्त होने वाला है, मांग में 2.2% की और वृद्धि होगी, जो 1,881.4 मिलियन के स्तर तक पहुंच जाएगी। यह भी माना जाता है कि इस्पात की मांग में वृद्धि जारी रहेगी, हालांकि निरंतर कोविड प्रभाव और भू–राजनीतिक तनाव ने वर्तमान में विकास दर को धीमा कर दिया है। भविष्य के लिए, दुनिया भर में आर्थिक सुधार कार्यक्रमों से बुनियादी ढांचे के निवेश और निर्माण गतिविधियों को चलाने की उम्मीद है। अस्थिर कच्चे माल की कीमतों से लागत वृद्धि उद्योग के लिए चिंता का विषय बनी रहेगी और इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस्पात उत्पादन के निम्न कार्बन मार्गों में संक्रमण की आवश्यकता से दुनिया भर में तकनीकी उन्नयन, नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जैसा कि विद्युत गतिशीलता समाधानों की बढ़ती मांग होगी।

भारतीय इस्पात परिदृश्य

विश्व इस्पात संगठन के अप्रैल, 2022 शॉर्ट रेंज आउटलुक के अनुसार, भारत की तैयार इस्पात की खपत, जो 2021 में 106.1 मिलियन टन तक पहुंच गई थी, 2022 में 114.1 मिलियन, 7.5% की वृद्धि और फिर 2023 में 120.9 मिलियन, 6% की वृद्धि के साथ पहुंचने की उम्मीद है। भारत में, 2022 की शुरुआत में कोविड–19 की तीसरी लहर अल्पकालिक थी और इसने आर्थिक गतिविधियों को गंभीरता से प्रभावित नहीं किया। भारत की तिमाही जीडीपी ने 2021 की तीसरी तिमाही में पूर्व–कोविड स्तरों को छुआ और विकास के धीरे–धीरे सामान्य होने की उम्मीद है, जो कि निवेश के लिए सरकार के जोर और सेवाओं में अच्छे रिटर्न द्वारा समर्थित है। हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति के कारण उपभोक्ता धारणा और निवेश प्रभावित होने के कारण विनिर्माण क्षेत्र धीमा हो गया। 2022 में, अर्धचालक आपूर्ति में अपेक्षित सुधार के साथ, निर्माण और विनिर्माण को बुनियादी ढांचे पर खर्च और ऑटोमोटिव उत्पादन में क्रमिक पुनरुद्धार द्वारा समर्थित होने की संभावना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपेक्षित कच्चे माल की आपूर्ति बाधाओं के परिणामस्वरूप घरेलू खनन उत्पादन में वृद्धि होगी और पूंजीगत सामान क्षेत्र को समर्थन मिलेगा। हालांकि, यूक्रेन में युद्ध ने आपूर्ति में व्यवधान और मुद्रास्फीति का एक नया जोखिम पैदा किया है, जो आरबीआई के उदार रुख और उपभोक्ता भावना को प्रभावित कर सकता है।

जेपीसी के अनुसार, वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान भारतीय तैयार इस्पात का निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25.1% अधिक, 13.49 मिलियन टन के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर था। वर्ष के दौरान भारत की तैयार इस्पात की खपत 105.41 मिलियन टन थी, जो कि सीपीई की तुलना में 11.1% अधिक थी।

भारत में प्रमुख इस्पात के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने ₹6,322 करोड़ की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना शुरू की। इसके अलावा, सरकार ने स्क्रैप की घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज नीति भी शुरू की।

भारत सरकार द्वारा 15% निर्यात कर लगाने, अंतरराष्ट्रीय इस्पात की कीमतों में गिरावट और घरेलू बाजार में मांग–आपूर्ति बेमेल होने के कारण इस्पात की घरेलू कीमतों में लगातार गिरावट आई। कई भारतीय मिलों ने विदेशी और घरेलू मांग में कमी के कारण रखरखाव बंद करने का विकल्प चुना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस्पात की कीमतों में गिरावट के कारण कोकिंग कोल की कीमतों में तेजी आई थी।

ख. सेल के सम्मुख अवसर एवं जोखिम

अवसर:

- नई सरकार द्वारा प्रस्तावित नीतियों के परिणामस्वरूप अवसंरचना, पूंजी सामग्री एवं निर्माण, जैसे इस्पात गहन घटकों में तेजी आने की संभावनाओं से इस्पात उद्योग के लिए दृष्टिकोण उज्ज्वल बना हुआ है।
- यूरोपीय और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों में उच्च निर्यात क्षमता।
- कोविड–19 महामारी पूरी तरह समाप्त होने के बाद विकास में तेज उछाल की उम्मीद है और इस्पात की मांग में तेजी रहने की उम्मीद है।

खतरे

- भारत में स्थित घरेलू और अंतरराष्ट्रीय इस्पात कंपनियों से प्रतिस्पर्धा में वृद्धि।
- कोकिंग कोल की कीमतों में अस्थिरता और विनिमय दर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें।
- इस्पात की कीमतों में अस्थिरता।
- मुद्रास्फीति का दबाव।

ग. जोखिम एवं चिंताएं

- **गैर–परिचालन खनन पट्टों पर एमएमडीआर संशोधन अधिनियम, 2021 का प्रभाव**

  28 मार्च 2021 को लागू खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम अन्य बातों के साथ–साथ, खनन पट्टे के धारक के निष्पादन के बाद दो साल की अवधि के भीतर उत्पादन और प्रेषण करने में विफल रहने की स्थिति में प्रावधान करता है। खनन पट्टा या दो वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन और प्रेषण को बंद करने पर, पट्टा खनन पट्टे के निष्पादन या उत्पादन और प्रेषण को बंद करने, जैसा भी मामला हो, की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जाएगा। सेल और उसकी सहायक कंपनी के गैर–कार्यरत खनन पट्टों पर अधिनियम के संभावित प्रभाव के कारण, मार्च

2022 या उससे पहले कंपनी के खनन पट्टों के शीघ्र निष्पादन में तेजी लाने और झारखंड में सारंडा वन के लिए सतत खनन (एमपीएसएम) के लिए प्रबंधन योजना के संशोधन को शीघ्र अंतिम रूप देने के लिए सितंबर, 2021 में इस्पात मंत्रालय के साथ मामला उठाया गया था। इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, प्रत्येक गैर–परिचालन खनन पट्टे के लिए मार्च/अप्रैल, 2022 में संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक आवेदन प्रस्तुत किए गए थे। कंपनी उपयुक्त रूप से संबंधित अधिकारियों के साथ मामले को आगे बढ़ा रही है।

- **खनन निषेध क्षेत्र में होने के कारण चिरिया लौह अयस्क पट्टों पर प्रभाव**

एमओईएफसीसी द्वारा अनुमोदित सारंडा वन में सस्टेनेबल माइनिंग (एमपीएसएम) के लिए प्रबंधन योजना में चिरिया खान पट्टों (धोबिल पट्टे में पहले से टूटे हुए क्षेत्र को छोड़कर) को 'खनन निषध क्षेत्र' के रूप में प्रस्तावित किया गया है। सेल के साथ उपलब्ध लगभग 3.7 बिलियन टन (बीटी) लौह अयस्क संसाधन में से लगभग 42% यानी 1.6 बिलियन टन एक ही स्थान पर उपलब्ध है। झारखंड के सारंडा जंगल में चिरिया खदान, जो न केवल भविष्य के विस्तार के लिए इनपुट कच्चे माल को हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि सेलकी अन्य परिचालन खदानों में संसाधनों की कमी को देखते हुए चल रहे विस्तार का भी ध्यान रखेगी।

उल्लेखनीय है कि चिरिया खदान को छोड़कर झारखंड में आपकी कंपनी की अन्य सभी लौह अयस्क खदानें 2026 से 2040 की अवधि के दौरान समाप्त होने जा रही हैं। लौह अयस्क उत्पादन क्षमता और इसकी आवश्यकता के बीच की खाई को पाटने के लिए, सेल ने 2019–20 से 2040 तक चिरिया खानों के 7 एमटीपीए से 45 एमटीपीए तक चरणबद्ध विस्तार को विकसित करने की योजना है। 2040 के बाद, झारखंड में कंपनी के पास सेल के पूर्वी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र चिरिया एकमात्र लौह अयस्क संसाधन होगा जो देश की अधिकांश लौह अयस्क आवश्यकता को पूरा करेगा। इसलिए, चिरिया खानों का शीघ्र विकास न केवल उन इस्पात संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक है, जिनके लिए पहले ही विस्तार किया जा चुका है, बल्कि राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 और सेल विजन 2030 के अनुसार नियोजित सेल की विस्तार परियोजनाओं के लिए भी आवश्यक है।

इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप पर, एमओईएफसीसी ने आईसीएफआरई, भारतीय वन सर्वेक्षण, एमओईएफसीसी, आईआईटी (आईएसएम) धनबाद, आईआईटी खड़गपुर, खान मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय और झारखंड सरकार के सदस्यों को शामिल करते हुए पुनर्मूल्यांकन समिति का गठन किया। एमपीएसएम में संशोधन का सुझाव दें। हालांकि, एमओईएफसीसी ने सूचित किया है कि पहले किए गए अध्ययन और पहले से मौजूद एमपीएसएम के कारण, किसी भी पुनर्मूल्यांकन अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले को इस्पात मंत्रालय के समक्ष उठाया जा रहा है। इस बीच, सेल नियमित रूप से चिरिया पट्टों की लीज अवधि 31 मार्च, 2020 से आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है।

- **वन मंत्रालय द्वारा द्वितीय स्तरीय वन मंजूरी देने में विलम्ब**

किरीबुरु और मेघाहातुबुरु खदानों के दक्षिण और मध्य ब्लॉकों में नए खनन गड्ढों के विकास के लिए चरण प वन मंजूरी (एफसी) अक्टूबर, 2010 में दी गई थी और अप्रैल, 2016 में एमओईएफसीसी की मंजूरी के लिए झारखंड सरकार द्वारा अनुपालन रिपोर्ट अग्रेषित की गई थी।

तथापि, सारंडा वन के लिए स्थायी खनन के लिए प्रबंधन योजना (एमपीएसएम) को अंतिम रूप देने के साथ एफसी के अनुदान के प्रारंभिक लिंक अप के कारण और बाद में, पहचान की गई प्रतिपूरक वनरोपण भूमि की अनुपयुक्तता के कारण अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके बाद, झारखंड सरकार ने मार्च, 2022 में चरण पप एफसी के अनुदान के लिए अनुपालन रिपोट एमओईएफसीसी को अग्रेषित की। इस मामले को इस्पात मंत्रालय के समक्ष उठाया जा रहा है।

- **झारखंड खदानों से लौह अयस्क की बिक्री के लिए मंजूरी देने में देरी**

देश में लौह अयस्क की संभावित कमी को देखते हुए खान मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 16 सितंबर, 2019 के आदेश के द्वारा सेल को अपने कुल खनिज उत्पादन का 25% खुले बाजार में उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। पिछले वर्ष। इसके अलावा, एक अन्य आदेश दिनांक 16 सितंबर, 2019 में, खान मंत्रालय ने, कंपनी की विभिन्न कैप्टिव खानों में डंप किए गए 70 मिलियन निम्न ग्रेड लौह और अयस्क (स्लाइम सहित) के पुराने स्टॉक को निपटाने की अनुमति दी है। इस संबंध में, संबंधित राज्य सरकारों और अन्य संबंधित सांविधिक प्राधिकरणों की स्वीकृति प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। हालाँकि, चूंकि, सेल को झारखंड राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सेल खदानों से केवल 2.504 मिलियन टन लौह अयस्क खुले बाजार में उपलब्ध कराया गया था। झारखंड में सेल की लौह अयस्क खदानों से लौह अयस्क की बिक्री शुरू करने के लिए झारखंड राज्य सरकार से मंजूरी लेने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की दर में संशोधन**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 28 मार्च, 2008 के अनुपालन में, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) ने 6 जनवरी, 2022 से शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की दर को लगभग संशोधित कर दिया है।

1.5 गुना और वन मंजूरी के लिए लंबित प्रस्तावों पर लागू होते हैं, जिनमें (i) चरण–I एफसी/ 6 जनवरी, 2022 के बाद दी गई सैद्धांतिक मंजूरी शामिल है, (ii) चरण–I एफसी/सैद्धांतिक अनुमोदन 6 जनवरी, 2022 से पहले और 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिया गया और (iii) चरण–II एफसी/सैद्धांतिक अनुमोदन में निर्धारित शर्तों के पूर्ण अनुपालन को प्रस्तुत न करने के कारण चरण–II एफसी/अंतिम अनुमोदन प्रदान नहीं किया गया। हालांकि, संशोधित एनपीवी दरें लंबित वन मंजूरी प्रस्तावों पर लागू हैं, लेकिन झारखंड राज्य सरकार से 24 फरवरी, 2022 को किरीबुरु–मेघाहातुबुरु पट्टे और चिरिया पट्टे के लिए मांग नोटिस प्राप्त हुए हैं, जिसमें सेल को पूरे जंगल के लिए संशोधित दरों पर अंतर एनपीवी जमा करने के लिए कहा गया है। खनन पट्टे के भीतर भूमि जिसमें वह क्षेत्र भी शामिल है जहां एफसी अधिनियम, 1980 के तहत पहले ही एनपीवी का भुगतान किया जा चुका है। तदनुसार, मार्च, 2022 में एमओईएफसीसी से झारखंड राज्य सरकार को स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था और इसकी प्रतीक्षा की जा रही है।

- **सौंपे गए सीतानाला एवं परबतपुर कोकिंग कोल ब्लॉकों के स्थान पर उपयुक्त कोकिंग कोल ब्लॉकों के आवंटन में विलम्ब**

  आयातित कोकिंग कोल पर इसकी निर्भरता को कम करने के लिए, इस्पात मंत्रालय के हस्तक्षेप से, क्रमशः 2015 और 2016 में आवंटन मार्ग के माध्यम से दो कोकिंग कोल ब्लॉक अर्थात् सीतानाला और परबतपुर को आवंटित किया गया था। हालांकि, दोनों कोयला ब्लॉकों के लिए कोयला खनन पट्टा क्षेत्रों में कमी के कारण, सेल बोर्ड ने परबतपुर और सीतानाला कोयला ब्लॉकों को कोयला मंत्रालय (एमओसी) को वापस करने की मंजूरी दे दी। तद्नुसार, नामित प्राधिकारी, एमओसी, को परबतपुर और सीतानाला कोयला ब्लॉकों को वापस करने के बारे में सूचित किया गया था, जिसमें ब्लॉकों के आवंटन के समय सेल द्वारा जमा की गई बैंक गारंटी सहित भुगतान की गई राशि वापस करने का अनुरोध किया गया था। सेल ने नीति आयोग की सिफारिशों के अनुरूप परबतपुर और सीतानाला कोयला ब्लॉकों के बदले संभावित कोकिंग कोल ब्लॉकों के आवंटन के लिए भी मंत्रालय से अनुरोध किया था।

  इस बीच, कोयला मंत्रालय ने दोनों कोयला ब्लॉकों यानी सीतानाला और परबतपुर के आवंटन को समाप्त कर दिया और संबंधित बैंकों को बैंक गारंटी (बीजी) लागू करने की सलाह दी। दोनों मामलों में, सेल ने संबंधित आदेशों को चुनौती देने के लिए दिल्ली के उच्च न्यायालय के समक्ष लिखित याचिकाओं को प्राथमिकता दी है।

  सीतानाला कोयला ब्लॉक के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। हालांकि, माननीय अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता इस याचिका में प्रबल होता है, तो बैंक गारंटी की मांग करके एकत्र की गई राशि की वापसी के लिए परिणामी निर्देश पारित किया जाएगा। मामला विचाराधीन है। हालांकि, परबतपुर कोयला ब्लॉक के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई की अगली तारीख तक बैंक गारंटी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया।

  कोविड–19 महामारी के फैलने और परिणामी लॉकडाउन के कारण, दोनों मामलों के संबंध में मामले को निर्धारित तारीखों पर नहीं रखा जा सका और सुनवाई की अगली तारीख की सूचना दी जानी बाकी है।

- **लौह अयस्क के उत्पादन में तेजी लाने की चुनौतियाँ**

  कुछ खदानों में खनन गतिविधियों को शुरू करने के लिए वन मंजूरी प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इसके अलावा, रौघाट पर खनन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कार्रवाई की जा रही है और जहां भी आवश्यक हो रेलवे साइडिंग के विस्तार के लिए भारतीय रेलवे के साथ मामला उठाया जा रहा है।

- **चीन से आयात पर प्रतिबंध के कारण खुले भागों और आवश्यक उपकरणों की अनुपलब्धता**

  ₹200 करोड़ तक की स्वदेशी उपलब्धता वाली वस्तुओं की वैश्विक निविदा जांच के माध्यम से खरीद के लिए भारत सरकार के साथ मामले को आगे बढ़ाया जा रहा है।

- **इस्पात की कीमतों में अस्थिरता के कारण राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने में विफलता हो सकती है**

  उत्पादों के बाजार में मुश्किल होने के लिए खंड विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है और उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने के लिए सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

  चीन और अन्य प्रमुख देशों से मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण कम मूल्य के आयात में वृद्धि के खतरे को कम करने के लिए, कम मूल्य के आयात को हतोत्साहित करने के लिए निरंतर टैरिफ आधारित निवारण के लिए उद्योग संघों के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

- **विशिष्ट उत्पाद मिश्रण के संबंध में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कड़ी प्रतिस्पर्धा राजस्व सृजन और निर्यात से वृद्धि की योजनाओं को प्रभावित कर सकती है।**

  चूंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें व्यापक उतार–चढ़ाव के अधीन हैं, इसलिए सार्क और मध्य पूर्व क्षेत्र यानी नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में पड़ोसी बाजारों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आईएसपी, आरएसपी और डीएसपी में नई मिलों से निर्मित अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों और उत्पादों को शामिल करके निर्यात उत्पाद टोकरी के विविधीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं।

- **आयातित कोकिंग कोयले की आपूर्ति में व्यवधान।**

  खुले बंदरगाहों से आयातित कोयले के स्टॉक को खाली करने के लिए, रेक की समान उपलब्धता के मामले को लगातार भारतीय रेलवे के साथ अलग किया जा रहा है।

  बाजार की मौजूदा गतिशीलता के अनुरूप अधिक कोयला उत्पादकों/विक्रेताओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, रूस, मंगोलिया आदि जैसे विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से नए कोयला उत्पादक देशों की भी खोज की जा रही है।

घ. दृष्टिकोण

महामारी से विश्व इस्पात उद्योग के लिए निरंतर और स्थिर वसूली की उम्मीद, यूक्रेन में युद्ध और बढ़ती मुद्रास्फीति से हिल गई है। अंतहीन रूस–यूक्रेन युद्ध ने बाजार की गतिशीलता को बदल दिया है और आपूर्ति अंतराल को जन्म दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तु बाजार में व्यापक अस्थिरता है और अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति के दबाव को भी जन्म दिया है। भारत को इस अंतर को पूरा करने के अवसर मिलते रहेंगे, खासकर जब से भू–राजनीतिक झुकाव वर्तमान में हमारे देश के पक्ष में है। जारी रूसी–यूक्रेन युद्ध संकट ने विश्व अर्थव्यवस्था के लिए दृष्टिकोण को कम कर दिया है और इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अपने पूर्वानुमान को घटाकर 3.6% कर दिया है। रूसी तेल उद्योग पर प्रतिबंधों के कारण कच्चे तेल की कीमतें अधिक बनी रहने की संभावना है, जिससे मुद्रास्फीति अधिक होगी। चीन की सरकार ने कोविड लॉकडाउन से तबाह हुई घरेलू अर्थव्यवस्था का समर्थन करने और बड़े पैमाने पर आर्थिक प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। इसने अपने सुस्त निर्माण क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भी कदम उठाए हैं, जो इस्पात की खपत को समर्थन प्रदान करेगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में, भले ही विकास अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया गया हो, भारत के दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है। कोविड प्रतिबंधों को वापस लेने और अर्थव्यवस्था के सामान्य होने से अधिकांश क्षेत्रों में व्यापक आधार पर सुधार हुआ है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचा और विनिर्माण पहल विकास का समर्थन करती है, और स्वस्थ कर संग्रह सरकार को अधिक लचीलापन प्रदान करता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन निर्यात बढ़ाने के अवसर प्रदान करना जारी रखेगा। ऑटो बिक्री के लिए दृष्टिकोण, विशेष

रूप से पीवीएस और एम एंड एचसीवी, बेहतर रहता है। बढ़ती ब्याज दरों के बावजूद रियल एस्टेट बाजार मजबूत बना हुआ है। बेहतर बिजली खपत वृद्धि से नवीकरणीय ऊर्जा को जोड़ने में मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि, उच्च मुद्रास्फीति, ऊर्जा लागत, और आरबीआई और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा दरों में बढ़ोतरी विकास के लिए हानिकारक होगी।

भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात की तुलनात्मक रूप से कम खपत के कारण विकास की विशाल गुंजाइश के अलावा, महामारी ने कुछ प्रमुख रुझानों को तेज कर दिया है, जो भारत सरकार के 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' के तहत घरेलू विनिर्माण को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के कारण इस्पात की मांग में बदलाव लाएगा। विभिन्न उद्योगों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश, संपन्न ऑटोमोबाइल और रेलवे क्षेत्र, आदि विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 'उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना' की शुरूआत की।

ड. शक्तियां एवं दुर्बलताएं

शक्तियां

- बहु स्थित उत्पादन इकाइयां अन्य घरेलू इस्पात कंपनियों पर बढ़त देती हैं।
- सुस्थापित राष्ट्रव्यापी विपणन और वितरण नेटवर्क देश भर में सेल उत्पादों की पहुंच बढ़ाने में मदद करता है।
- कंपनी द्वारा किसी भी घरेलू इस्पात की पेश की जाने वाली सबसे विविध उत्पाद श्रृंखला।
- विद्यमान संयंत्र/यूनिट स्थलों पर भावी क्षमता संवर्धन के लिए पर्याप्त भूमि उपलब्ध होना।
- इनपुट सुरक्षा – लौह अयस्क के लिए 100% अनुकूलन।
- नई कमीशन की गई मिलें बुनियादी ढांचे के विकास को पूरा करने के लिए आवश्यक उत्पादों की ओर उन्मुख होना।
- नई और आधुनिकीकृत इकाइयों की परिचालन दक्षता और उपयोग के माध्यम से उत्पाद–मिश्रण में सुधार और लागत को कम करने की क्षमता।

दुर्बलताएं

- प्रमुख इनपुट अर्थात कोकिंग कोल के प्रति बाह्य स्रोतों पर निर्भरता से कम्पनी के सम्मुख बाजार जोखिम बढ़ जाता है।
- अधिक आयु वाले कर्मचारियों के कारण जनशक्ति लागत में वृद्धि और साथ ही जनशक्ति उत्पादकता में तुलनात्मक रूप में कमी आना।

च. वित्तीय निष्पादन की समीक्षा

1. सेल का वित्तीय विवरण

सेल ने वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021–22 के दौरान ₹1,02,805.13 करोड़ का बिक्री कारोबार हासिल किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि (सीपीएलवाई) की तुलना में ₹68,452.34 करोड़ के कारोबार की तुलना में 50.18% अधिक था। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कर पूर्व लाभ और कर पश्चात लाभ क्रमशः ₹16,038.72 करोड़ और ₹12,015.04 करोड़ रहा, जबकि कर पूर्व लाभ ₹6,879.03 करोड़ और कर पश्चात लाभ ₹3,850.02 करोड़ रहा। वित्तीय वर्ष 2021–22 और 2020–21 के दौरान प्रमुख वित्तीय मापदंडों पर आधारित तुलनात्मक निष्पादन नीचे दर्शाया गया है:

(₹ करोड़)

विवरण	2021-22	2020-21
बिक्री टर्नओवर	102805.13	68452.34
कर पूर्व ब्याज, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले लाभ (ईबीआईटीडीए)	22364.17	13739.74
घटाएं– ब्याज और वित्त प्रभार	1697.88	2817.14
घटाएं : मूल्यह्रास	4274.17	4102.00
असाधारण/असामान्य मदों से पूर्व लाभ	16392.13	6820.60
घटाएं: असाधारण मदों में लाभ (+)/ हानि (–)	353.41	-58.43
घटाएं: कराधान के लिए प्रावधान	16038.72	6879.03
कर पश्चात लाभ(+)/हानि (–)	4023.68	3029.01
अन्य विस्तृत आय	12015.04	3850.02
कुल व्यापक आय (+)/ हानि (–)	-64.45	280.53
कर से पहले लाभ (+)/ हानि (–)	11950.59	4130.55
निवल संपत्ति	52017.14	43495.88
निवल बिक्री पर ईबीआईटीडीए(%)	21.75	20.07
निवल मूल्य पर वापसी (पैट)(%)	23.10	8.85
नियोजित पूंजी के औसत के लिए ईबीआईटीडीए(%)	32.72	17.01
₹10 मूल्य के प्रत्येक शेयर पर आय	29.09	9.32
ऋण इक्विटी अनुपात	0.33:1	0.87:1
विद्यमान अनुपात	0.73:1	0.68:1
देनदार टर्नओवर अनुपात (दिन)	17	43
मालसूची टर्नओवर अनुपात (दिन)	14.46	9.58
ब्याज कवरेज अनुपात (अवसरों की संख्या)	9.56	2.86
प्रचालनात्मक लाभ मार्जिन (%)	17.60	14.08
निवल लाभ मार्जिन (%)	11.69	5.62

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, बिक्री योग्य इस्पात (41%) के एनएसआर में वृद्धि, बेहतर तकनीकी–आर्थिक मापदंडों और बिजली के उपयोग के कारण कंपनी के प्रदर्शन में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। बिक्री योग्य इस्पात की बिक्री मात्रा (8%), कच्चे लौह की उच्च बिक्री, माध्यमिक उत्पादों की उच्च बिक्री, उच्च लाभांश आय, ब्याज शुल्क में कमी आदि के कारण लाभ में और सुधार हुआ है। हालांकि, लाभ को आंशिक रूप से बदला गया है, जिसमें बढ़ी हुई कोयले की कीमतें, लौह अयस्क की कम बिक्री, अन्य कच्चे माल का अधिक उपयोग, वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के कारण वेतन और मजदूरी में वृद्धि, लौह अयस्क की रॉयल्टी दर में वृद्धि, खरीदी गई बिजली दरों और लौह अयस्क मिश्र धातु दरों में वृद्धि, सुरक्षा खर्च, मरम्मत और रखरखाव खर्च, स्टोर और स्पेयर, मूल्यह्रास शुल्क, आदि शामिल है।

सीपीएलवाई की तुलना में, देनदारों के टर्नओवर अनुपात में दिनों की संख्या में कमी मुख्य रूप से टर्नओवर में वृद्धि और देनदारों से वसूली के कारण हुई थी। बढ़ा हुआ चालू अनुपात मुख्य रूप से मालसूची स्तर में वृद्धि के साथ–साथ उधार में कमी के कारण है। उधारी में कमी से वित्त वर्ष 2021–22 में ऋण इक्विटी अनुपात कम हुआ है। ब्याज कवरेज अनुपात में वृद्धि मुख्य रूप से उधार में कमी और उच्च ईबिट के कारण कम ब्याज लागत के कारण है।

1.2.1 लागत नियंत्रण उपाय

- प्रक्रिया सुधार और अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के माध्यम से वर्ष के दौरान लागत में कमी, उत्पादकता में सुधार, मूल्यवर्धन और गुणवत्ता सुधार पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा, संचालन के सभी क्षेत्रों में लागत को नियंत्रित करने के लिए संचालन के सभी स्तरों पर मजबूत जागरूकता पैदा की गई थी।

- उच्च मूल्य की वस्तुओं की खरीद की निरंतर निगरानी, उपलब्ध स्वदेशी कोयले का अधिकतम उपयोग, इन–हाउस इंजीनियरिंग दुकानों का अधिकतम उपयोग, निष्क्रिय संपत्तियों की बिक्री, समुद्री माल में कमी और केंद्रीय रूप से खरीदी गई वस्तुओं के माध्यम से खरीद को अनुकूलित करना, जिसमें मूल्य में कमी के लिए आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान इनका पालन किया गया।
- कोयला मिश्रण इष्टतमीकरण और कोक दर, कोयला धूल इंजेक्शन और विशिष्ट ऊर्जा खपत, कंकास्ट उत्पादन जैसे परिचालन मानकों में सुधार ने वर्ष के दौरान लागत बचत में योगदान दिया है। कंकास्ट रूट से उत्पादन का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से बीएसएल में एसएमएस–1 इनगॉट रूट को जून, 2021 से बंद कर दिया गया।

1.2.2 विपणन

आपकी कम्पनी ने देश की अग्रणी इस्पात उत्पादक कम्पनी के रूप में अपनी स्थिति के समेकन और मजबूती लाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान विभिन्न प्रयास किए हैं।

इसी के साथ–साथ, कम्पनी द्वारा अपने ग्राहकों को दिए जाने वाले अपने उन विकल्पों के विस्तार के लिए उनकी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष निर्मित अथवा विशिष्ट विधि के उपयोज्य इस्पात उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के लिए वर्ष 2021–22 के दौरान अनेक नए उत्पाद विकसित किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- एलएचबी एक्सल, एक आयात प्रतिस्थापन वस्तु, विकसित की गई। इन 3872 धुरों की आपूर्ति भारतीय रेलवे को की गई थी।
- आपकी कंपनी ने उपभोक्ताओं को विशेष गुणवत्ता वाले वायर रॉड कॉयल की बिक्री बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को बढ़ाया है। आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र के नए वायर रॉड मिल में, वायर रॉड ड्राइंग के लिए निम्न इस्पात ग्रेड के अलावा, ईडब्ल्यूएनआर(इलेक्ट्रोड क्वालिटी) में स्पेशल ग्रेड वाले डब्ल्यूआरसी, ऑटो सेगमेंट में निरंतर वेल्डिंग के लिए एमईएक्स, विद्युत खंड के लिए केबल कवच गुणवत्ता, अनुप्रयोगों के लिए उच्च कार्बन वायर रॉड कॉइल के विभिन्न ग्रेड जैसे अंब्रेला रिब्स, साइकिल स्पोक्स, मशीन टूल्स में इस्तेमाल स्प्रिंग, टायर–बीड्स का इस्तेमाल किया गया।
- नए ग्रेड और उत्पादों के लिए निरंतर जुड़ाव के साथ, आपकी कंपनी ने रेलवे स्लीपर के लिए वाइड समानांतर फ्लैंज बीम डब्ल्यूपी200, इंफ्रा और निर्माण क्षेत्रों के लिए टीएमटी एफई 550डी एचसीआर और एफइ600, कृषि और सौर उद्योग के लिए उच्च शक्ति लेपित गैल्वेनाइज्ड उत्पाद, विद्युत अनुप्रयोगों के लिए सीआर सिलिकॉन आदि को विकसित किया है।

  बिक्री बढ़ाने के सामान्य प्रयासों के अलावा, आपकी कंपनी ने बिक्री और बाजार में उपस्थिति में सुधार के लिए कई पहल की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- 'आत्मनिर्भर भारत' और 'वोकल फॉर लोकल' के सरकार के आह्वान से प्रेरित होकर, सेल इस्पात के विकास में अथक प्रयास कर रहा है, जो इन मिशनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। सलेम इस्पात संयंत्र द्वारा विकसित इस्पात का नया ग्रेड 'एसएस 32205 ग्रेड में सुपर डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील' इसी दिशा में एक प्रयास है। इस इस्पात में उच्च शक्ति और निर्माण क्षमता के साथ बेहतर संक्षारण प्रतिरोध है और मुख्य रूप से अब तक इसका आयात किया जाता है।
- आपकी कंपनी ने छोटे उपभोक्ताओं, बी2बी औद्योगिक क्षेत्रों की मांग को पूरा करने की प्रणाली में सुधार लाने और मूल्य वर्धित सहित छोटे ग्राहकों की एकल विंडो सेवा प्रदान करने के लिए टियर–1 वितरक प्रणाली शुरू की है। गुवाहाटी और कोचीन जैसे दूरदराज इलाकों में यह योजना जुलाई, 2020 से शुरू की गई थी। 1 अप्रैल, 2022 तक, सेल के देश भर में टियर–1 वितरकों की संख्या 13 थी, और टियर–1 वितरकों के माध्यम से वित्त वर्ष 2021–22 में बिक्री 2.26 लाख टन थी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग के बारे में जागरूकता और स्वीकार करने में मदद करने के लिए, सेल का एक ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम 'गांव की ओर' चल रहा है। अभियान के तहत वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान देश भर में 130 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है, जिसमें छोटे उपभोक्ताओं आदि पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- आपकी कंपनी ने 2019–20 में अपना रीइन्फोर्समेंट बार ब्रांड 'सेल–सेक्यूआर' लॉन्च किया है। इस ब्रांड को सुरक्षित घरों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले इस्पात के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। यह ब्रांड ग्रामीण पैठ पर विशेष जोर देते हुए सेल की खुदरा उपस्थिति बढ़ाने पर केंद्रित है। वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी ने लगभग 3.78 लाख टन 'सेल–सेक्यूआर' सुदृढीकरण बार बेचे हैं। आने वाले वर्षों के दौरान, शीर्ष पंक्ति मूल्य में योगदान के अलावा, ब्रांड 'सेल–सेक्यूआर' से न केवल खुदरा क्षेत्र की गुणवत्ता अपेक्षाओं को पूरा करने की उम्मीद है, बल्कि कंपनी की ब्रांड उपस्थिति को भी बढ़ावा मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, जनता के बीच 'सेल–सेक्यूआर' ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए कार्यशालाओं और विभिन्न प्रचार बैठकों का आयोजन किया गया।
- वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 2 स्तरीय वितरक नेटवर्क के माध्यम से लगभग 5.26 लाख टन टीएमटी की आपूर्ति की गई। सेल द्वारा ऑनलाइन ई–पोर्टल 'सेल सुरक्षा' को वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान लॉन्च किया गया था ताकि घरेलू वर्ग को देश में किसी भी स्थान से सामग्री बुक करने में सक्षम बनाया जा सके।
- आपकी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन का आश्वासन देते हुए स्ट्रक्चरल के 'एनईएक्स' ब्रांड पर जोर देना जारी रखा है। सामान्य रूप से डिजाइनिंग में इस्पात के उपयोग को लोकप्रिय बनाने और ग्राहकों, वेबिनार के साथ वर्चुअल मीटिंग्स के माध्यम से स्ट्रक्चरल के 'नेक्स' ब्रांड के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं और वर्चुअल वर्कशॉप सेशन इन–हाउस और स्ट्रक्चरल डिजाइनरों, आर्किटेक्ट्स आदि द्वारा भी भाग लिया गया है।
- सेल शुरू से ही विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और सामरिक महत्व की परियोजनाओं की जरूरतों को पूरा करके राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहा है। वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, आपकी कंपनी ने बिजली परियोजनाओं, सड़क, रेल, हवाई अड्डे और बंदरगाह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, मेट्रो रेल परियोजना, सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं, उर्वरक उद्योग और तेल और गैस क्षेत्र को महत्वपूर्ण मात्रा में इस्पात की आपूर्ति की।
- वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आपकी कंपनी ने कई प्रतिष्ठित संरचनाओं और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं को इस्पात की आपूर्ति की है। प्रमुख परियोजनाओं में शामिल हैं–क्षेत्रीय रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन, कोस्टल रोड प्रोजेक्ट मुंबई, एनपीसीआईएल फतेहाबाद हरियाणा, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड बाड़मेर, राष्ट्रीय के

लिए अहमदाबाद से मुंबई तक बुलेट ट्रेन परियोजना हाई स्पीड रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से फूलबाड़ी तक 19 किमी का भारत का सबसे लंबा नदी सड़क पुल, लोअर सुबनश्री जलविद्युत परियोजना असम, बिहार में महात्मा गांधी सेतु, बिहार में गंगा जल लिफ्ट, त्रिपुरा में अगरतला–अखौरा रेल लिंक परियोजना, गुवाहाटी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा असम, एम्स गुवाहाटी, जिरीबाम–तुपुल–इंफाल को जोड़ने वाली 111 किमी लंबी बीजी विस्तार परियोजना, जिसमें 52 सुरंगें और 149 पुल शामिल हैं। सेल देश भर के 10 शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए इस्पात के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक था।

आपकी कंपनी का देश के सभी इस्पात उत्पादकों में सबसे बड़ा विपणन नेटवर्क है। 1 अप्रैल, 2022 तक, सेल के विपणन कार्यालयों के कार्यात्मक नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 4 ग्राहक संपर्क कार्यालय, 19 विभागीय गोदाम और 18 कार्यात्मक कंसाइनमेंट एजेंसी यार्ड शामिल हैं। विपणन प्रयासों को सेल के खुदरा चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है जो भारत के दूरदराज के कोनों में बड़े पैमाने पर खपत के उत्पादों तक पहुंचता है।

सेल का एक व्यापक डीलरशिप नेटवर्क है जिसमें देश भर में व्याप्त 4000 से अधिक डीलर शामिल हैं। 1 अप्रैल, 2022 तक 41 वितरक पहले से ही 2–स्तरीय वितरण नेटवर्क में मौजूद हैं, खुदरा बिक्री के इस चैनल को और मजबूत किया जा रहा है। सेल ने छोटे उपभोक्ताओं, बी2बी औद्योगिक क्षेत्रों की मांग को पूरा करने की प्रणाली में सुधार करने और मूल्य वर्धित सेवाओं सहित छोटे ग्राहकों की सिंगल विंडो सर्विसिंग प्रदान करने के लिए टियर–I वितरक प्रणाली भी शुरू की है और 1 अप्रैल, 2022 तक 13 वितरक हैं। यह विशाल नेटवर्क देश भर में फैले ग्राहकों की एक विस्तृत श्रृंखला की आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करता है जो देश भर में फैले हुए हैं।

आपकी कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहलों में हमारे एकीकृत इस्पात संयंत्रों में और उसके आसपास स्थित स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू करना शामिल है, जिसमें 142 एमएसएमई सेल योजना में शामिल हुए हैं।

1.3 निधि प्रबंधन

कंपनी के ऋण 31 मार्च, 2021 को 37,677 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2022 तक ₹17,284 करोड़ हो गए हैं। 31 मार्च, 2022 को कंपनी का ऋण इक्विटी अनुपात पिछले वर्ष के 0.87:1 की तुलना में 0.33:1 है। चालू वर्ष के दौरान परिचालन खाते पर ब्याज और वित्त प्रभार ₹1,698 करोड़ सीपीई की तुलना में ₹1,119 करोड़ कम है। कंपनी की निवल संपत्ति 31 मार्च, 2021 को ₹43,495 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2022 तक ₹52,017 करोड़ हो गई है। मेसर्स केयर रेटिंग, मैसर्स इंडिया रेटिंग और मेसर्स ब्रिकवर्क रेटिंग, आरबीआई द्वारा अनुमोदित क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, सेल के दीर्घकालिक उधार कार्यक्रम के लिए क्रमशः :केयर ए–आउटलुकः स्टेबल', 'इंडिया रेटिंग्स एए–आउटलुकः स्टेबल' और 'बीडब्ल्यूआर एए आउटलुकः स्टेबल' रेटिंग्स सौंपी गई हैं। उधार और निवल मूल्य की प्रवृत्ति निम्नानुसार दी गई है:

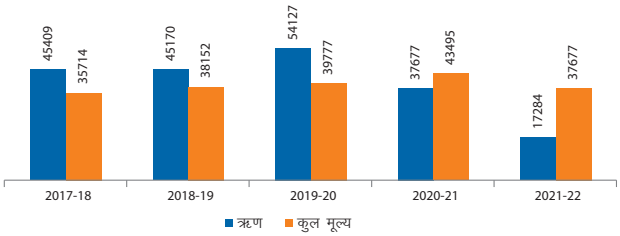

1.4 सेल के उपदान ट्रस्ट में अंशदान

कंपनी द्वारा उपदान के भुगतान के लिए किए गए समझौते के अनुसार, कंपनी को सेल उपदान ट्रस्ट द्वारा ₹754 करोड़ की राशि का वित्त पोषण किया गया है। कंपनी द्वारा उपदान ट्रस्ट को चलाने के लिए किए गए योगदान के अनुसार, 31 मार्च, 2022 तक फंड का आकार ₹5,936.18 करोड़ रहा है।

2. कम्पनी के वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

2.1 प्रचालनों से प्राप्त राजस्व

क) उत्पादों की बिक्री

क्रमांक	विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–21	% परिवर्तन
1	बिक्री योग्य इस्पात उत्पादों की बिक्री	98004.53	65211.87	50.29
2	अन्य उत्पादों की बिक्री	4800.60	3240.47	48.13
3	कुल बिक्री टर्नओवर	102805.13	68452.34	50.18

ख) घरेलू बिक्री एवं निर्यात का प्रवाह

घरेलू बिक्री

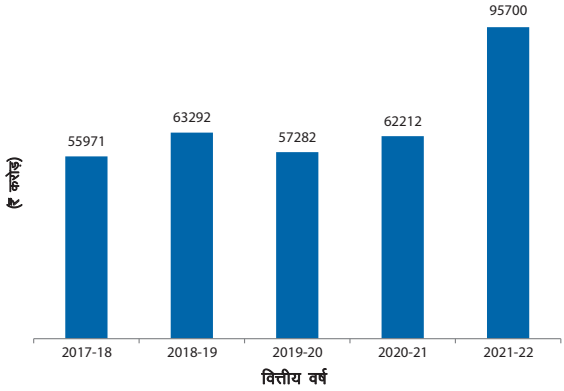

उत्प्रेरक सहित निर्यात

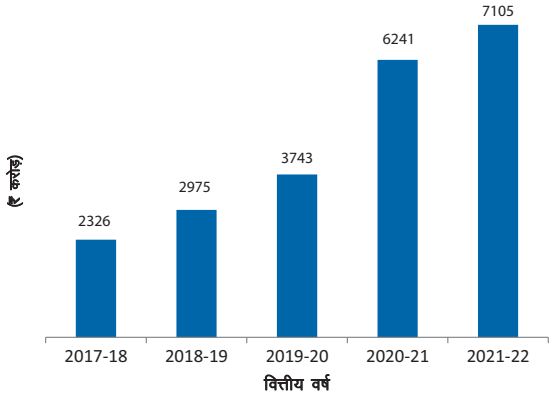

कम्पनी द्वारा हल्के इस्पात के व्यवसाय से प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति की गई है जिनमें प्लेट्स, एचआर क्वॉयल्स/शीट्स, सीआर क्वॉयल्स/शीट्स, गैल्वानायज्ड प्लेन/कोरूगेटिड शीट्स एवं रेल, संरचना, वॉयर रॉड्स तथा मर्चेंट जैसे लम्बे उत्पाद शामिल हैं। इसके अलावा इलैक्ट्रिक रेसिस्टेंस वैल्डिड पाइप्स, स्पायरल वैल्डिड पाइप्स तथा सिलिकॉन स्टील शीट्स जैसे उत्पाद हैं जो कम्पनी की समृद्ध उत्पाद श्रृंखला में शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान उत्पाद वर्ग–वार बिक्री टर्नओवर नीचे दर्शाया गया है:

उत्पाद वर्ग	बिक्री मूल्य का %
बिक्री योग्य इस्पात	
समतल उत्पाद (पाइप एवं विद्युत शीटों सहित (क)	52
लम्बे उत्पाद (ख)	38
एकीकृत इस्पात संयंत्र – हल्का इस्पात (ग=क+ख)	90
एलॉय एवं विशेष इस्पात संयंत्र – एलॉय एवं विशेष 4	3
कुल बिक्री योग्य इस्पात (ङ=ग+घ)	93
सैकेंडरी उत्पाद (पिग आयरन, स्क्रैप, कोल रसायन इत्यादि) (च)	7
योग (छ =ङ+च)	**100**

ग) सेवाओं की बिक्री – सेवा प्रभार **(₹ करोड़)**

वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–21	% परिवर्तन
24.38	20.57	18.52

सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व में चालू वर्ष के दौरान लगभग 3.81 करोड़ की वृद्धि हुई है।

घ) अन्य प्रचालन राजस्व **(₹ करोड़)**

वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–21	% परिवर्तन
643.81	637.11	1.05

अन्य प्रचालन राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6.70 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः विविध वस्तुओं से उच्चतर लाभ प्राप्त होने के कारण है।

2.2 अन्य आय

(₹ करोड़)

वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2022–21	% परिवर्तन
1042.03	1011.69	3.00

अन्य आय में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30.34 करोड़ की वृद्धि हुई है जो मुख्यतः ग्राहकों से प्राप्त ब्याज आय तथा बैंक जमा एवं निर्णित हानियों की वसूली के कारण है।

2.3 व्यय

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	% परिवर्तन
कच्ची सामग्री की खपत	42776	23136	84.89
कर्मचारी पारिश्रमिक एवं लाभ	12846	10446	22.97
वित्त लागत	1698	2817	-39.72
मूल्यह्रास	4274	4102	4.19
अन्य व्यय	26812	18531	44.69

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयातित कोयला मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने से इसका प्रभाव कच्ची सामग्री के मूल्यों पर हुआ है। वर्ष के दौरान कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं लाभों में मुख्य रूप से वेतन संषोधन प्रावधान के कार्यान्वयन के कारण वृद्धि हुई है। ऋणों तथा मूल्यह्रास में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप नई सुविधाओं का पूंजीयन होने से वित्त लागतों में बढ़ोतरी हुई है। अन्य व्ययों में हुई वृद्धि, भंडार एवं कलपुर्जो, मरम्मत तथा अनुरक्षण, ऊर्जा एवं ईंधन, रॉयल्टी एवं उपकर इत्यादि में हुई वृद्धि के परिणामस्वरूप है।

2.4 राजकोष में योगदान

वर्ष 2021–22 के दौरान सेल द्वारा राष्ट्रीय राजकोष में विभिन्न सरकारी एजेंसियों को चुकता किए गए करों तथा शुल्कों के भुगतान के माध्यम से 24,302 करोड़ का योगदान दिया गया है।

2.5 गैर चालू /चालू परिसम्पत्तियां

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	% परिवर्तन
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
क) सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	68363	64115	6.62
ख) पूंजीगत कार्य प्रगति पर	4017	8878	-54.76
ग) निवेश सम्पत्ति	3834	2054	86.65
घ) अमूर्त परिसम्पत्तिय	1	1	-2.75
ङ) वित्तीय परिसम्पत्तियां	1459	1429	2.10
च) मालसूची	4559	4236	7.62
छ) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) निवेश	1624	1595	1.85
(ii) व्यवसाय प्राप्य			
(iii) ऋण	560	636	-12.08
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियां	239	454	-47.36
ज) आस्थगित कर परिसम्पत्तियां (निवल)	0	0	
झ) गैर चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल)	294	217	35.17
ङ:) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियां	4117	1567	162.77
कुल गैर–चालू परिसम्पत्तियां	**89067**	**85184**	**4.56**

(₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	% परिवर्तन
चालू परिसम्पत्तियां			
(क) मालसूचियां	19569	15272	28.14
(ख) वित्तीय परिसम्पत्तियां			
(i) व्यवसाय प्राप्य	4737	8139	-41.80
(ii) रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य	60	468	-87.24
(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	588	212	177.23
(iv) ऋण	43	36	18.34
(v) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तिया	1341	1477	-9.26
(ग) चालू कर परिसम्पत्तियां (निवल	2322	4927	-52.87
(ङ) बिक्री के लिए वर्गीकृत धारित परिसम्पत्तियां	14	17	-17.70
कुल चालू परिसम्पत्तियां	**28674**	**30549**	**-6.14**
कुल परिसम्पत्तियां	**117741**	**115732**	**1.74**

- भिलाई इस्पात संयत्र में टर्बो ब्लोअर, राउरकेला स्टील संयंत्र में हॉट स्ट्रिप मिल और बोकारो स्टील में स्टील पिघलाने की दुकान शॉप के पूंजीकरण के कारण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में ₹4,248 करोड़ की वृद्धि हुई और पूंजीगत कार्य में ₹4,861 करोड़ की कमी आई। इसके अलावा, संपत्ति के उपयोग के अधिकार में मेसर्स एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और सेल के बीच एक संयुक्त उद्यम के साथ वित्त लीज समझौते के तहत ₹2,016 करोड़ शामिल हैं।
- अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में ₹2,550 करोड़ की वृद्धि हुई।
- मुख्य रूप से कच्चे माल की सूची, तैयार/अर्द्ध–तैयार उत्पादों की वृद्धि, भंडार और कलपुर्जों की सूची में वृद्धि के कारण सूची में ₹4,297 करोड़ की वृद्धि हुई।
- मुख्य रूप से रेलवे और अन्य देनदारों से वसूली के कारण व्यापार प्राप्तियों में ₹3,402 करोड़ की कमी आई।
- सरकारी अधिकारियों के पास जमा राशि में ₹2,895 करोड़ की कमी के कारण अन्य चालू संपत्ति में ₹2,605 करोड़ की कमी आई।

2.6 गैर चालू/चालू देयताएं (₹ करोड़)

विवरण	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	% परिवर्तन
गैर–चालू परिसम्पत्तियां			
(क) वित्तीय देयताए			
(i) ऋण	8136	17907	-54.6
(ii) पट्टेदारी परिसंपत्तियां	3606	1819	98.2
(iii) व्यवसाय प्राप्य			
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	1390	1231	12.9
(ख) दीर्घकालिक प्रावधान	5331	4526	17.8
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	5260	1253	319.7
(घ) अन्य गैर–चालू देयताए	2683	440	509.8
कुल गैर–चालू देयताएं	**26406**	**27176**	**-2.8**
चालू देयताएं			
(i) ऋण	5250	17701	-70.3
(ii) पट्टेदारी परिसंपत्तियां	292	249	17.2
(iii) व्यवसाय प्राप्य	16918	8042	110.4
(iv) अन्य वित्तीय देयताएं	11611	10889	6.6
(ख) अन्य चालू देयताए	4077	6128	-33.5
(ग) प्रावधान	1170	2040	-42.6
(घ) चालू कर देयताएं (निवल)		12	-100.0
योग चालू देयताएं	**39318**	**45062**	**-12.7**
कुल (चालू+गैर चालू देयताएं)	**65724**	**72238**	**-9.0**

- परिचालन से बेहतर नकदी प्रवाह के कारण दीर्घकालिक ऋणों में हुई 55% की बढ़ोतरी और अल्पकालिक ऋण में हुई ₹12,451 करोड़ की घटत आई है।

3. संयंत्र–वार वित्तीय निष्पादन (कर पूर्व लाभ) (₹ करोड़)

संयंत्र/यूनिट	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)	2272.53	1095.81
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डीएसपी)	1070.89	733.07
राउरकेला इस्पात संयंत्र (आरएसपी)	5609.38	2106.36
बोकारो इस्पात संयंत्र (बीएसएल)	6064.21	2251.50
इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी)	635.86	66.51
एलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी)	-88.11	-101.20
सालेम इस्पात संयंत्र (एसएसपी)	57.76	-127.47
विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी)	-36.23	-51.33
सेल रिफ्रेक्टरी यूनिट (एसआरयू)	25.92	25.38
चन्द्रपुर फैरो एलॉय संयंत्र (सीएफपी)	37.06	-47.22
कच्ची सामग्री डिवीजन/केन्द्रीय यूनिटें	389.45	927.62
सेलः कर पूर्व लाभ (+)/हानि(–)	**16038.72**	**6879.03**

छ. सामग्री प्रबंधन

सामग्री प्रबंधन की इनपुट लागतों में कमी लाने तथा निष्पादन में सुधार के लिए अनेकों प्रयास किए गए हैं तथा ऐसे प्रयासों का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

- जीईएम पोर्टल पर खरीदः वित्तीय वर्ष 2021–22 में, सरकारी ई–मार्केटप्लेस (जीईएम) पर उत्पादों और सेवाओं की खरीद के आधार पर, कंपनी को कुल खरीद के साथ जीईएम पर सीपीएसई के बीच सर्वोच्च खरीदार के रूप में उभरने में सक्षम बनाया। ₹4,613.80 करोड़ का मूल्य, पिछले वित्तीय वर्ष में ₹114 करोड़ की खरीद की तुलना में एक जबरदस्त वृद्धि हुई। यह वर्ष भर में किए गए विभिन्न उपायों के कारण प्राप्त की गई थीा ताकि हमारे सेल खरीददारों के सामने आने वाले रसद मुद्दों को हल करके खरीदारों के विश्वास को बढ़ाया जा सके। इसके अलावा, इस उपलब्धि के लिए प्रमुख चालक रहे हैं, जीईएम पर खरीद की प्रगति की प्रबंधन द्वारा नियमित समीक्षा, जीईएम पर उपलब्ध/नई/आगामी कार्यात्मकताओं पर सेल खरीदारों के लिए प्रशिक्षण/इंटरैक्टिव सत्र आयोजित करना, सामना आने वाली कठिनाइयों के बारे में जीईएम अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें करना। सेल खरीदारों द्वारा, वेंडर ऑनबोर्डिंग जीईएम, जिसके लिए 19,000 से अधिक विक्रेता रिकॉर्ड जीईएम के साथ साझा किए गए थे, विक्रेताओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना (दुर्दम्य/सहायक, आदि) जीईएम पर खरीद को बढ़ाने के लिए, जीईएम पर खरीद के लिए संयंत्र/इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना।
- वित्त वर्ष 2021–22 में एमएसई से सेल की खरीद 25% के लक्ष्य के मुकाबले 34.04% थी। सेल लगातार नए एमएसई विक्रेताओं को विकसित करने के लिए प्रयास कर रहा है और अपने चुने हुए क्षेत्रों में ऐसे एमएसईएस को सलाह, प्रशिक्षण, हैंडहोल्डिंग और तकनीकी सहायता प्रदान करके स्थानीय एमएसई को सहायता प्रदान कर रहा है। इस संबंध में, सेल संयंत्रों और इकाइयों ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 27 विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किए। विशेष रूप से एससी/एसटी एमएसएमई विक्रेताओं के लिए ऑनलाइन विक्रेता विकास कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, ताकि उन्हें संगठन में अवसरों, वस्तु की आवश्यकता और विक्रेता पंजीकरण प्रक्रियाओं के बारे में सूचित किया जा सके।

ज. विदेशी मुद्रा संरक्षण

निर्यात की तुलना में सेल का आयात बड़ा है, और इसलिए, विदेशी मुद्रा का कंपनी पर विदेशी मुद्रा बहिर्गमन के मामले में बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित होता है।

हमारा यह प्रयास रहा है कि जहां भी संभव हो घरेलू प्रतिस्थापन के माध्यम से आयात को कम किया जाए और निर्यात पर भी जोर दिया जाए। नतीजतन, कंपनी के तैयार उत्पादों का निर्यात धीरे–धीरे बढ़ रहा है। प्रमुख कच्चे माल में से एक जो सेल आयात कर रहा है वह कोकिंग कोल है। बढ़े हुए स्वदेशी कोयले के साथ मिश्रित कोयले के मिश्रण का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कीमती विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को कम करने के लिए आयातित कोकिंग कोल पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा, आयातित इनपुट/कच्चे माल के लिए आपूर्तिकर्ताओं के समूह/पूल का विस्तार करने के उपाय किए जा रहे हैं। ₹200 करोड़ तक की परियोजनाओं के लिए वैश्विक निविदा पर रोक लगाने वाली भारत सरकार की नीतिगत पहल से, जहां एक ओर घरेलू प्रतिभागियों को एक अवसर प्रदान करने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर इसके परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा का संरक्षण होगा। इसके अलावा, कंपनी ने व्यावसायिक रूप से स्वीकार्य कीमतों/लागतों पर कंपनी के लिए उपलब्ध कच्चे माल और अन्य इनपुट की खरीद को स्वदेशी बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं और कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकियों की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं।

झ. परियोजना प्रबंधन

एएमआर योजनाएं

आधुनिकीकरण एवं विस्तार की परियोजनाओं के साथ–साथ सुधार एवं प्रतिस्थापन (एएमआर) की योजनाएं भी प्रारम्भ की गई हैं जो विद्यमान प्रचालनों के प्रबंधन के लिए आवश्यक हैं तथा जिनमें प्रमुख ध्यान कार्य कौशल के वर्तमान स्तर में सुधार लाने तथा आउटपुट के लिए वर्धिक उपाय किए जाने की ओर केन्द्रित किया गया है। एएमआर योजनाओं का सम्पादन विद्यमान प्रचालनों की विद्यमान सुविधाओं में सुधार लाने अथवा उन्हें फिर से निर्मित करने, संतुलन स्थापित करने/उत्पादन की प्रक्रिया में सम्मुख प्रस्तुत होने वाली बाधाओं का निवारण करने, ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की खपत/सेवाओं/संरक्षा एवं पर्यावरण की संवहनीयता के लिए किया जाता है। प्रतिस्थापन के अंतर्गत मुख्यतः विद्यमान संयंत्र एवं उपकरण/सुविधा को बेहतर निष्पादक संयंत्र एवं उपकरण/सुविधा से प्रतिस्थापित किया जाना; कोक ओवन बैटरियों को उनके उपयोज्यता काल के पश्चात बदलने जैसी पुनःनिर्माण की प्रक्रियाएं प्रतिस्थापन योजना के दायरे में आती हैं। तदनुसार, कंपनी के विभिन्न संयंत्रों में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान लगभग ₹5,000 करोड़ की लागत वाली कई एएमआर योजनाएं निम्नानुसार कार्यान्वित की जा रही थीं:

- ब्लास्ट फर्नेस नंबर 4 के लिए स्टोव का उन्नयन, ब्लास्ट फर्नेस नंबर 7 में कास्ट हाउस डिफ्यूमिंग सिस्टम की स्थापना, पॉलीक्लोरीनेटेड बाइफिनाइल के पर्यावरणीय रूप से ध्वनि प्रबंधन के लिए स्टेटिक सुविधा की स्थापना, सिंटर संयंत्र–II के लिए मल्टी–साइक्लोन के प्रतिस्थापन के रूप में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर की स्थापना, आउटलेट–सी के अपशिष्ट जल का उपचार और पुनर्चक्रण, और भिलाई स्टील संयंत्र में कोक ओवन बैटरी नंबर 7 और 8 का पुनर्निर्माण और दल्ली माइंस के सीएसडब्ल्यू संयंत्र के वाशिंग सर्किट में संशोधन।
- 2x20 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र के लिए बिजली निकासी, बॉटम स्टिरिंग सिस्टम के साथ कन्वर्टर शेल को बदलना और एसएमएस के तीनों कन्वर्टर्स में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल की स्थापना, ब्लास्ट फर्नेस नंबर 4 में चौथे स्टोव की स्थापना, व्हील पर एनडीटी सुविधाओं की स्थापना दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में नए 1250 टीपीडी बू आधारित ऑक्सीजन संयंत्र के लिए और धुरी संयंत्र और बिजली वृद्धि योजना।
- एनएसपीसीएल से एमएसडीएस–IV तक 220 केवी पर बिजली निकासी, कोक ओवन बैटरी नंबर 2 के पुनर्निर्माण के साथ–साथ कोक हैंडलिंग और गैस हैंडलिंग सुविधा का विस्तार, जेडएलडी अवधारणा के साथ सह और सीसीडी के अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उन्नयन, स्थापना एसएमएस–II में लैडल फर्नेस के साथ चौथा स्लैब कैस्टर और राउरकेला स्टील संयंत्र में जेडएलडी के कार्यान्वयन के लिए ट्रीटमेंट सिस्टम–1 की स्थापना।
- नया सिंटर संयंत्र, कोक ओवन बैटरी नंबर 8 का पुनर्निर्माण, 6 का उन्नयन। लाइम भट्ठा के इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स में से, सिंटर संयंत्र में इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसिपिटेटर के साथ बैटरी साइक्लोन का प्रतिस्थापन, बीएसएल और टाउनशिप से दामोदर नदी से कच्चा पानी निकालने के लिए वैकल्पिक प्रणाली का विकास, एसएसआई द्वारा मौजूदा आरआई (रूट रिले इंटरलॉकिंग) सिस्टम को बदलना (रूट रिले इंटरलॉकिंग) सिस्टम एसडब्ल्यूएस (स्टील वर्क्स स्टेशन) में सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग) सिस्टम, प्रस्तावित 2000 टीपीडी ऑक्सीजन के लिए बिजली आपूर्ति व्यवस्था, बू आधारित 2000 टीपीडी ऑक्सीजन संयंत्र की स्थापना और बोकारो स्टील संयंत्र में एचएसएम के ऑटोमेशन सिस्टम का उन्नयन।

इसके अलावा, वर्ष 2021–22 के दौरान उपरोक्त में से, निम्नलिखित परियोजनाओं की कीमत लगभग ₹500 करोड़ तक पहुंच चुकी है:

- ब्लास्ट फर्नेस–4 के लिए स्टोव का बीएसपी पर उन्नयन।
- आउटलेट–सी के अपशिष्ट जल का उपचार और पुनर्चक्रण बसपा पर।
- डीएसपी पर 2x20 मेगावाट के नए बिजली संयंत्र के लिए बिजली निकासी।
- डीएसपी पर एसएमएस के तीनों कन्वर्टर्स में बॉटम स्टिरिंग सिस्टम और सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल के साथ कन्वर्टर शेल को बदलना।

ञ. आंतरिक डिजायन एवं इंजीनियरिंग

सेन्टर फॉर इंजीनियरिंग एंड टैक्नोलॉजी (सीईटी) आईएसओ 9001:2015 प्रमाणित, सेल की एक आंतरिक डिजायन, इंजीनियरिंग एवं परामर्शी यूनिट है जिसके द्वारा एकीकृत इस्पात संयंत्र तथा अपनी खानों की पूर्ण वैल्यू चेन में सेवाओं से लेकर सफल निष्पादन होने तक परियोजनाओं की संकल्पना किए जाने तक की पूर्ण सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। सीईटी खनन से लेकर फिनिशिंग तक स्टील व्यवसाय प्रक्रिया की पूरी वैल्यू चेन में कैपेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए कंसल्टेंसी मुहैया कराता है। क्षमता के प्रमुख क्षेत्र खनन योजना, विकास और खननों की क्षमता विस्तार, खनिज लाभकारी, लदान और परिवहन, लौह अयस्क पेलेटिजेशन, खनन के क्षेत्र में सामग्री प्रबंधन में हैय सिंटर संयंत्रों के लिए निवेश प्रस्तावों और डिजाइन और इंजीनियरिंग परामर्श की तैयारी, स्टोव, स्लैग ग्रेनुलेशन संयंत्र आदि जैसी संबद्ध सुविधाओं के साथ ब्लास्ट फर्नेस हैं। स्टील मेल्टिंग शॉप्स के साथ लौह और इस्पात बनाने के क्षेत्र में लैडल फर्नेस और कैस्टर, रोलिंग मिल और रीहीटिंग फर्नेस, उपयोगिता परियोजनाएं जैसे जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट, ऑक्सीजन संयंत्र, पावर संयंत्र, प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं, रिफ्रैक्टरी संयंत्र, ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आदि षामिल हैं। सेल संयंत्रों और ग्रीन फील्ड परियोजनाओं को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। सीईटी राउरकेला स्टील संयंत्र की अत्याधुनिक नई हॉट स्ट्रिप मिल की सलाहकार थी, जिसे 31 मार्च, 2022 को चालू किया गया था। सीईटी ने संयंत्र के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की थी और इसकी इंजीनियरिंग के दौरान लगभग 10,000 ड्रॉइंग की जांच की थी।

सीईटी द्वारा संचालित की जा रही वर्तमान प्रमुख परियोजनाओं में कई ब्राउनफील्ड के साथ–साथ ग्रीनफील्ड परियोजनाएं शामिल हैं और तसरा, तलडीह, गुआ में एमडीओ शामिल हैं, भिलाई खदानों में खनिज परिष्करणय बीएसपी, आरएसपी, डीएसपी और बीएसएल में कोक ओवन बैटरियों का पुनर्निर्माणय नई स्टाम्प चार्ज्ड कोक ओवन बैटरी की स्थापना (सेल में ऐसी पहली कोक ओवन बैटरी), डीएसपी, आईएसपी और बीएसएल में ब्लास्ट फर्नेस के लिए नए स्टोव की स्थापना, डीएसपी पर ब्लास्ट फर्नेस–3 का उन्नयन, बीएसएल में एसएमएस–आई का आधुनिकीकरण, बीएसएल में आरएच, आरएसपी पर नया एसएमएस–पपप, आरएसपी में चतुर्थ स्तरीय कास्टर की स्थापना, बीएसपी में कनवर्टर शेल बदलना, आईएसपी में लैडल फर्नेस, डीएसपी में नई बार मिल, बीएसपी की यूनिवर्सल रेल मिल में रेल के लिए रिफाइनिंग मिल कॉम्प्लेक्स, आरएसपी की नई प्लेट मिल में प्लेटों के लिए सामान्यीकरण की सुविधा, आरएसपी में प्लेटों के लिए नया टेस्ट हाउस, डीएसपी में पहियों के लिए गैर–विनाशकारी परीक्षण सुविधाएं, आरएसपी, आईएसपी और

बीएसएल में ऑक्सीजन संयंत्र, आईएसपी, डीएसपी और आरएसपी की जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) परियोजनाएं, डीएसपी, आरएसपी में बिजली निकासी परियोजनाएं, बीएसएल में हॉट स्ट्रिप मिल की फिनिशिंग मिलों और रीहीटिंग फर्नेस के स्वचालन का उन्नयन आदि।

ट. अनुसंधान एवं विकास

कम्पनी का लौह एवं इस्पात का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र (आरडीसीआईएस) लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र का भारत का एक प्रमुख अनुसंधान संगठन है। संवहनीय विकास के लिए विकास एवं नई प्रौद्योगिकियों के समावेश के मूल तत्व की स्वीकृति नवोपाय के रूप में करते हुए सेल द्वारा रांची में स्थित अपने पूर्णतः सुसज्जित अनुसंधान एवं विकास केन्द्र के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास की प्रक्रियाओं की ओर विशेष ध्यान दिया गया जा रहा है। अपनी पन्द्रह प्रमुख प्रयोगशालाओं के अध्याधीन इसमें तीन सौ से अधिक नैदानिक उपकरण एवं पर्याप्त पॉयलट सुविधाएं हैं। इस केन्द्र द्वारा लौह एवं इस्पात के संबंध में कच्ची सामग्री से लेकर तैयार उत्पादों की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी अनुसंधान परियोजनाओं पर कार्य किए जाते हैं। वर्ष 2021–22 में, संगठन को पर्याप्त लाभ के साथ 62 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं पूरी की गईं।

इस्पात मंत्रालय की सहायता से निरंतर कैस्टर के लिए मॉडल आधारित ब्रेकआउट प्रिडिक्षन सिस्टम के स्वदेशी विकास के संबंध में एक परियोजना भी वर्ष 2021–22 में पूरी की गई थी।

वार्षिक प्रदर्शन योजना परियोजनाओं के अलावा, तकनीकी मुद्दों की जांच करने और कोयला, सिंटर संयंत्र, ब्लास्ट फर्नेस, स्टील, रिफ्रैक्टरी और रोलिंग मिल्स आदि में प्रमुख चिंता क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपायों का सुझाव देने के लिए आरडीसीआई द्वारा 32 शॉर्ट टर्म असाइनमेंट (स्टास) भी किए गए थे। .

आरडीसीआई बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार आला उत्पादों के विकास के क्षेत्र में अग्रणी कार्य भी करती है, जिसका लक्ष्य अनुप्रयोग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करना है। वर्ष 2021–22 के दौरान, ग्यारह उत्पादों को विकसित किया गया है और कुछ उल्लेखनीय उत्पादों में उच्च शक्ति उच्च जीएसएम गैल्वेनाइज्ड स्टील, कम कार्बन (एसआई किल्ड) फॉर्मेबल गुणवत्ता वाले इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग स्टील, एपीआई एक्स 70 लाइन पाइप हॉट रोल्ड स्टील कॉइल्स, उच्च शक्ति शामिल हैं।घर्षण प्रतिरोधी स्टील प्लेट, निर्यात गुणवत्ता (सीई मार्क) संरचनात्मक स्टील, उच्च फॉस्फोरस क्रोनो इलेक्ट्रिकल स्टील, केबल कवच और मोटर वाहन घटकों के लिए विशेष गुणवत्ता वाले वायर रॉड तैयार किए गए। विभिन्न अनुसंधान क्षेत्रों में उत्कृष्टता की खोज में, आरडीसीआई प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों और शिक्षाविदों के साथ विशिष्ट क्षेत्रों में अनुसंधान के सहयोग मोड में प्रवेश करती है। वर्ष 2021–22 के दौरान, सी–डैक, तिरुवनंतपुरम के साथ सहयोग कार्य पूरा किया गया है, जहां निरंतर कैस्टर के लिए ब्रेकआउट प्रिडिक्शन सिस्टम के लिए मॉडल विकसित और कार्यान्वित किया गया था।

आरडीसीआई के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों के प्रयासों की परिणति 2021–22 के दौरान 14 पेटेंट और 9 कॉपीराइट (सेल संयंत्र के सहयोग से) दाखिल करने में हुई है। संगोष्ठियों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में 49 तकनीकी पत्र प्रस्तुत किए गए और 65 पत्र प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

ठ. आंतरिक नियंत्रण व्यवस्थाएं एवं उनकी सटीकता

कम्पनी में, निम्नलिखित व्यावसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यकुशल आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित है:–

- प्रचालनों की कार्यकुशलता
- सुसंगत उपयोग एवं संसाधनों का संरक्षण
- वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए सटीकता एवं तत्परता
- निर्धारित नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार अनुपालन
- विभिन्न कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन

सेल में आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्य विविध–अनुशासनात्मक प्रकृति के हैं जिसके अंतर्गत कम्पनी की विभिन्न व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं/नीतियों की समीक्षा, मूल्यांकन एवं निरूपण किया जाता है तथा उपयुक्त सुधार के लिए तर्कसंगत सुझाव दिए जाते हैं। इससे प्रबंधन को कुशल कॉरपोरेट शासन के प्रति जोखिम प्रबंधन की प्रभाव्यता के लिए प्रक्रियाबद्ध एवं अनुशासनिक पहुंच स्थापित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिल पाती है।

कम्पनी द्वारा अपनी आंतरिक लेखापरीक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने के प्रति निरंतर प्रयास किए जाते हैं। आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्य, निदेशक मंडल स्तरीय लेखापरीक्षाण समिति के पर्यवेक्षण के अध्याधीन किए जाते हैं जिससे आंतरिक लेखापरीक्षण के कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र स्वरूप में व्यवस्था में व्याप्त पारदर्शिता एवं कार्य कुशल आंतरिक लेखापरीक्षण कार्मिकों इत्यादि के योगदान से हो पाता है। व्यवस्था/प्रक्रिया तथा संयंत्रों/यूनिटों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले उत्तम व्यवहार के बेंचमार्कों के बल से संज्ञान किए गए प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित लेखापरीक्षण योजना तैयार की जाती है तथा कम्पनी के प्रचालनों में कौशल सुधार एवं लागतों में कमी लाकर समग्र कार्यकुशलता के उद्देश्य से इसे निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षण के कर्मियों को प्रशिक्षण, विकास के माध्यम से उनमें जागरूकता की उत्पत्ति करने, आंतरिक लेखापरीक्षा की अग्र सक्रिय भूमिका जैसे प्रमुख ध्यान केन्द्रित कार्य जारी रखे गए। कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठक में भी कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता एवं वित्तीय रिपोर्टों पर प्रेक्षण के संबंध में उनके विचार ज्ञात किए गए थे।

आंतरिक लेखापरीक्षा व्यवस्था की पूर्ति विधिवत निर्मित दस्तावेजों के स्वरूप में नीतियां, दिशानिर्देश एवं प्रक्रियाओं से होती हैं तथा आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा इनकी नियमित समीक्षा की जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षण निष्कर्षों से युक्त रिपोर्टों को समाधान/अद्यतन स्थिति के साथ आवधिक रूप से प्रबंधन तथा निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समित को प्रस्तुत किया जाता है।

सचेतक विवरण

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण में शामिल किए गए अनेक विवरणों में लागू कानूनों तथा विनियमों के दायरे में कम्पनी के लक्ष्यों, प्रक्षेपणों एवं अग्र विचार एवं प्रगति की प्रस्तुति की गई है। आर्थिक स्थितियों, सरकारी नीतियों एवं अन्य प्रासंगिक कारकों से वास्तविक स्थिति इसमें व्यक्त एवं अंतर्निहित अर्थ से भिन्न हो सकती है।

HB00 6787
6785
इन्टर चेन्ज
तारीख

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण

स्टैंडअलोन तुलन पत्र

31 मार्च, 2022 के अनुसार (₹ करोड़ में)

	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्तियाँ			
गैर–तत्कालिक परिसंपत्तियाँ			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**68362.72**	64115.26
(ख) पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	5	**4016.72**	8878.48
(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	4a	**3834.04**	2054.13
(घ) निवेश संपत्ति	6	**1.06**	1.09
(ड.) अमूर्त परिसंपत्तियां	7	**1459.35**	1429.28
(च) माल सूचियाँ	7a	**4559.16**	4236.26
(छ) वित्तीय परिसंपत्तियां			
(i) निवेश	8	**1624.49**	1595.01
(ii) व्यापार प्राप्तिया	9	**-**	-
(iii) ऋण	10	**559.54**	636.45
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	11	**239.00**	453.99
(ज) वर्तमान कर संपत्तियां (निवल)	13	**294.19**	216.78
(झ) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	14	**4117.13**	1566.81
		89067.40	85183.54
वर्तमान परिसंपत्तियाँ			
(क) माल सूचियाँ	15	**19569.31**	15272.04
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	16	**4736.83**	8138.84
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	**59.76**	468.40
(iii) उपरोक्त (ii) से इतर बैंक शेष	17 (ii)	**588.07**	212.12
(iv) ऋण	18	**43.10**	36.42
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	19	**1340.51**	1477.32
(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	20	**2322.16**	4926.74
		28659.74	30531.88
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति	21	**14.00**	17.01
कुल परिसंपत्तियाँ		**117741.14**	115732.43
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**47886.61**	39364.35
		52017.14	43494.88
देयताएं			
गैर वर्तमान देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	24	**8135.81**	17906.57
(i क) पट्टे की देनदारियाँ		**3606.41**	1819.39
(ii) व्यापार देय	25		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**-**	-
(ख) सूक्ष्म–उद्यम और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**-**	-
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	26	**1390.28**	1231.07
(ख) प्रावधान	27	**5331.02**	4525.89
(ग) आस्थगित कर देयताएं (निवल)	12	**5259.93**	1253.16
(घ) अन्य गैर–मौजूदा देनदारियाँ	28	**2682.82**	439.97
		26406.27	27176.05
चालू देयताएं			
(क) वित्तीय देयताएं			
(i) उधार	29	**5249.84**	17701.46
(i क) पट्टे की देनदारियाँ		**292.04**	249.16
(ii) व्यापार देय	30		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**140.65**	103.57
(ख) सूक्ष्म–उद्यम और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**16777.36**	7938.49
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	31	**11610.62**	10889.11
(ख) अन्य मौजूदा देनदारियाँ	32	**4076.75**	6127.81
(ग) प्रावधान	33	**1170.47**	2039.84
(घ) वर्तमान कर देनदारियाँ (निवल)	34	**-**	12.06
		39317.73	45061.50
कुल इक्विटी और देनदारियाँ		**117741.14**	115732.43

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ 3

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

स्टैंडअलोन लाभ और हानि का विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से राजस्व	35	**103473.32**	69110.02
अन्य आय	36	**1042.03**	1011.69
कुल आय		**104515.35**	70121.71
लागत			
खपत सामग्री की लागत	37	**42776.46**	23136.17
तैयार माल और प्रगति पर कार्य की सूची में परिवर्तन	38	**(284.99)**	4268.58
कर्मचारी लाभ व्यय	39	**12846.24**	10445.94
वित्तीय लागत	40	**1697.88**	2817.14
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**4274.17**	4102.00
अन्य व्यय	41	**26813.46**	18531.28
कुल व्यय		**88123.22**	63301.11
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		**16392.13**	6820.60
घटा: असाधारण मद	41a	**353.41**	(58.43)
कर से पहले लाभ		**16038.72**	6879.03
कर व्यय			
वर्तमान कर		**-**	12.05
आस्थगित कर		**4023.68**	3016.96
कुल कर व्यय		**4023.68**	3029.01
वर्ष के लिए लाभ		**12015.04**	3850.02
अन्य व्यापक आय			
(i) मदें जो लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत नहीं किए जाएंगे			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन		**(112.09)**	357.49
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर नामित इक्विटी		**24.87**	16.67
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे		**22.77**	(93.63)
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)		**(64.45)**	280.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**11950.59**	4130.55
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹10)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर बेसिक और डाइल्यूटिड कमाई (₹)	41b	**29.09**	9.32
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

स्टैंडअलोन इक्विटी में परिवर्तन के विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

विवरण	1 अप्रैल, 2020 को शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2020 को शेष
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

ख. अन्य इक्विटी

विवरण	रिजर्व और अधिशेष					अन्य व्यापक आय–रिजर्व	योग
	पूंजीगत रिजर्व	प्रतिभूति प्रीमियम रिजर्व	सामान्य रिजर्व	बांड्स रिडेम्पशन रिजर्व	रिटेंड आय	अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी इन्स्ट्रूमेंट्स	
1 अप्रैल, 2021 को शेष	1.75	235.10	5095.13	1084.15	32866.56	81.66	39364.35
वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	12015.04	-	12015.04
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (निवल कर का)	-	-	-	-	(83.65)	19.20	(64.45)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**11931.39**	**19.20**	**11950.59**
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(553.18)	553.18	-	-
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(3428.33)	-	(3428.33)
31 मार्च, 2022 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5095.13**	**530.97**	**41922.80**	**100.86**	**47886.61**
1 अप्रैल, 2020 को शेष	1.75	235.10	5095.13	1375.02	28871.07	68.78	35646.85
वर्ष के लिए लाभांश	-	-	-	-	3850.02	-	3850.02
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (हानि) (निवल कर का)	-	-	-	-	267.65	12.88	280.53
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**4117.67**	**12.88**	**4130.55**
बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(290.87)	290.87	-	-
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(413.05)	-	(413.05)
31 मार्च, 2021 को शेष	**1.75**	**235.10**	**5095.13**	**1084.15**	**32866.56**	**81.66**	**39364.35**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 3

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न हिस्सा है

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए (₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर से पहले लाभ	**16038.72**	6879.03
इसके लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**4274.17**	4102.00
अचल संपत्तियों के निपटान पर लाभ (शुद्ध)	**21.71**	37.74
ब्याज आय	**(279.11)**	(267.97)
लाभांश आय	**(192.99)**	(160.81)
वित्त लागत	**1606.92**	2822.61
विदेशी विनिमय में उतार–चढ़ाव पर गैर–मौजूदा हानि / (लाभ)	**90.96**	(5.47)
गैर–मौजूदा निवेश की बिक्री पर हानि/(लाभ)	**(0.08)**	(4.47)
संदिग्ध अग्रिम/प्राप्तियों के लिए खराब ऋण और प्रावधान	**98.24**	92.69
अन्य प्रावधान	**258.60**	169.26
अस्वामिक शेष और अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए हैं	**(351.50)**	(283.10)
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पहले परिचालन लाभ/(हानि)	**21565.64**	13381.51
संपत्ति और देनदारियों में बदलावः		
व्यापार प्राप्तियां	**3315.92**	1617.86
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्तियां और अन्य संपत्तियां	**288.22**	746.40
व्यापार भुगतान	**8875.95**	1715.02
अन्य वित्तीय देयताएं, अन्य देनदारियां	**2046.07**	1760.83
प्रावधान	**(176.33)**	102.00
मालसूची	**(4868.26)**	4094.62
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**31047.21**	23418.24
आयकर का भुगतान (शुद्ध)	**(83.61)**	(22.36)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**30963.60**	23395.88
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पूंजी कार्य–प्रगति सहित) और अप्रत्यक्ष संपत्ति की खरीद	**(3852.18)**	(3709.63)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से प्राप्त आय	**235.71**	143.11
वर्तमान और गैर–मौजूदा निवेश की खरीद	**(4.53)**	9.53
सावधि जमा में गति (शुद्ध)	**(737.40)**	(2.30)
प्राप्त ब्याज	**190.75**	125.45
प्राप्त लाभांश	**192.99**	160.81
निवेश की गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ख)	**(3974.66)**	(3273.03)
ग. वित्तीयन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**(9770.76)**	(14793.27)
पट्टे की देनदारियां	**(186.23)**	(115.48)
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय (शुद्ध)	**(12451.62)**	(1541.72)
वित्त लागत का भुगतान	**(1922.09)**	(2944.36)
लाभांश का भुगतान	**(3066.88)**	(413.05)
वित्तीय गतिविधियों में शुद्ध नकदी प्रवाह/(प्रयुक्त) (ग)	**(27397.58)**	(19807.88)
घ. नकदी और नकद समतुल्यों में वृद्धि (क+ख+ग)	**(408.64)**	314.97
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समतुल्य	**468.40**	153.43
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य	**59.76**	468.40

नकदी प्रवाह का विवरण अप्रत्यक्ष रूप में तैयार किया गया है जैसा कि भारतीय लेखांकन मानक–7 में निर्धारित किया गया है, नकदी प्रवाह का विवरण।

संलग्न नोट्स इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ

1. कॉरपोरेट और सामान्य जानकारी

भारत में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे "कंपनी" कहा जाता है), यह भारत में गठित और निगमित है। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त महारत्न पदक से सम्मानित यह कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, और जो देश के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसई लिमिटेड और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पीएलसी में कंपनी की प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं।

कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इन वित्तीय विवरणों को 23 मई, 2022 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया है और जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है।

2. प्रस्तुति का आधार

2.1 अनुपालन का विवरण

कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के अंतर्गत कंपनी के वित्तीय विवरणों को अधिसूचित किए गए है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानक और भारत में सामान्य स्वीकृत अन्य लेखांकन नियमों के अनुसार, संचित आधार पर तैयार किया गया है। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान लेखांकन नीतियों को समान रूप से लागू किया है।

2.2 माप का अधिकार

निम्न परिसंपत्तियों और देनदारियों को, वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत आधार पर उचित मूल्य पर मापा गया है, तैयार किया गया है:

- अन्य व्यापक आय के माध्यम से लाभ और हानि या निष्पक्ष मूल्य के माध्यम से वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को, जिन्हें उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए धारित परिसंपत्तियां, प्रचलित राशियों के निम्न मूल्य पर उचित मूल्य में से बिक्री के लिए लागत को कम करके;
- परिभाषित लाभ योजनाएं और योजना परिसंपत्तियाँ।

2.3 कार्यात्मक और प्रस्तुत मुद्रा

वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किया गया है जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। निकटतम दो दशमल तक, रु. में प्रस्तुत सभी वित्तीय सूचनाओं को करोड़ में, यदि अन्यथा नहीं दिया गया है, पूर्ण किया गया है।

2.4 आकलनों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

प्रबंधन को कंपनी की लेखा नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, आकलन करना और अनुमान लगाना आवश्यक है जो परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई मात्रा और वित्तीय विवरणों की तारीख को, आकस्मिक देनदारियों के प्रकटीकरण, रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व की मात्रा और व्ययों तथा वित्तीय विवरणों के नोट्स को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम उन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं। उस अवधि में इस तरह के आकलनों में कोई भी संशोधन मान्य होता है जिसमें वह निर्धारित होता है। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं।

2.5 चालू विरुद्ध गैर–चालू वर्गीकरण

तुलन–पत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को समूह चालू/गैर–चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करता है। किसी भी परिसंपत्ति को तभी वर्तमान रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब यह:

- बेची या खपत के लिए सामान्य ऑपरेटिंग चक्र में अभीष्ट या अभिप्रेत होने की उम्मीद रखती है
- मुख्य रूप से व्यापारिक उद्देश्य के लिए रखी गई है
- इसकी बिक्री रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर होने की आशा है या
- नगदी या समकक्ष को रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए, विनिमय या देनदारी को निपटान के लिए उपयोग करने से बशर्ते प्रतिबंधित किया गया है।

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

किसी देयता को वर्तमान रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में निपटारे की आशा हो
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए रखी गई हो
- इसका रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के अंदर निपटारा होना हो, या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने तक देयता के निपटारे को रोकने की कोई शर्त न हो।
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

परिसंपत्तियों के संसाधन हेतु इन्हें अर्जित करने और इन्हें नकदी या नकदी समतुल्य में वसूली के बीच का समय ऑपरेटिंग चक्र होता है। गैर वर्तमान परिसंपत्तियों और देनदारियों के रूप में स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को वर्गीकृत किया जाता है।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया हैं।

3.1 सम्पति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि इसकी संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के अधिग्रहण के लिए शुरू में खर्च की गई लागतों पर लागू होती है। उत्पादन या/और वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति, या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, ऐतिहासिक लागत पर किए गए फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, लागत, कम संचित मूल्यह्रास और हानि, यदि कोई हो, पर बताए गए हैं। प्रारंभिक लागत में अर्जित संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के नकदी मूल्य समकक्ष पर आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद कर, संपत्तियों को कार्य करने की स्थिति में और कार्यस्थल पर लाने तथा इसके इच्छित

उपयोग हेतु किसी भी अनिवार्य डि–कमीशनिंग लागत के वर्तमान मूल्य की प्रत्यक्ष आरोपित लागत, सभी इसके खरीद मूल्य में शामिल है। वित्त लीज के तहत ली गई संपत्ति संयंत्र और मशीनरी में भी शामिल है।

स्वनिर्मित परिसंपत्तियों के मामले में, लागत में निर्माण में प्रयुक्त समस्त सामग्रियों की लागतें, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड आवंटन, प्रत्यक्ष आरोपित उधार लागतें जिसमें परीक्षण चालन व्यय (राजस्व का शुद्ध) शामिल है।

ऐसे पुर्जे जिनकी उपयोग आयु एक वर्ष से अधिक है और प्रत्येक मामले में जिनका मूल्य ₹10 लाख या अधिक है, को संबंधित शीर्षक के तहत, जब कभी उपयोग हेतु उपलब्ध होता है, का पूंजीकरण किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र तथा उपकरण के निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को लाभ–हानि विवरण में शामिल किया जाता है। जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु में विभिन्न उपयोगी जीवन वाले प्रमुख घटक होते हैं, इन घटकों को अलग–अलग मदों के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति में उत्पादन और/या माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियां शामिल हैं या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त हानि हानि को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। उस बिंदु पर जब कोई परिसंपत्ति प्रबंधन के इरादे से काम कर रही है, निर्माण की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसी परिसंपत्ति के चालू होने से जुड़ी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है जहां परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है लेकिन चालू होने की अवधि पूरी होने तक सामान्य स्तर पर संचालन करने में असमर्थ होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो उसे अमान्य कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में दर्ज जाता है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में, जैसा उचित हो, केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित मदों की कैरिंग राशि को गैरमान्य किया जाता है।

यदि इस बात की संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होंगे और प्रतिस्थापित मद (मदों) वहन राशि को गैर मान्य किया जाता है तो ₹50 लाख या इससे अधिक मूल्य की सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण की दुरुस्ती को मद की वहन राशि के रूप में मान्यता दी जाती है। बदले गए आइटम (वस्तुओं) की अग्रणीत राशि को अमान्य कर दिया गया है।

3.2 निवेश संपत्तियां

जों संपत्तियां किराया अर्जित करने और/या पूंजी वृद्धि के लिए अधिग्रहित किया जाता है उन्हें निवेश संपत्तियां कहा जाता है। निवेश संपत्तियों को शुरुआत में लागत पर, लेनदेन लागत सहित मापा जाता है। शुरुआती मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान को कम करके लागत पर लिया जाता है। निवेश संपत्ति के निपटान पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और संपत्ति द्वारा वहन की जाने वाली राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और इसे लाभ और हानि विवरण में शामिल किया जाता है।

3.3 मूल्यह्रास

मूर्त संपत्तियों और संपत्ति में निवेश पर मूल्यह्रास, सीधी कटौती प्रणाली पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में दिए गए अनुसार, संपत्तियों के उपयोगी जीवन पर संपत्ति की लागत के 5% अधिशेष मूल्य पर विचार करते हुए, कारखाने के भवन, संयंत्र और मशीनरी, जल आपूर्ति और सीवरेज तथा रेलवे लाइनों और साइडिंग तथा इसके घटक के सिवाय, जहां तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा उपयोग जीवन निर्धारित किया जाता है, प्रदान किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मान्य उपयोगी जीवन निम्नानुसार है

परिसंपत्ति वर्ग	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्षों में)
फैक्ट्री भवन	35 to 40
संयंत्र और मशीनरी	10 to 40
जलापूर्ति और सीवरेज	25 to 40
रेलवे लाइन और साइडिंग	35 to 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर इन परिसंपत्तियों के वर्गों के लिए, कंपनी का मानना है कि उपर्युक्त उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करता है जिसके दौरान कंपनी इन संपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा रखती है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि का ह्रास नहीं होता है।

प्रत्याशित आधार पर अनुमान में किसी भी परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए,अनुमानित उपयोगी जीवन और मूल्यह्रास योग्य/अमूर्त परिसंपत्तियों के शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वर्ष के अंत में की जाती है।

जहां किसी मूल्यह्रासयोग्य परिसंपत्ति की ऐतिहासिक लागत में कोई परिवर्तन आता है तो संशोधित परिशोधित मूल्यह्रासयोग्य राशि पर मूल्यह्रास, परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन पर प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान परिसंपत्ति को अपनाने/त्यागने के मास के संदर्भ में मूल्यह्रास अनुपातिक आधार पर दिया जाता है। ₹5000/– तक की लागत वाली परिसंपत्तियों को जिस वर्ष में उपयोग किया जाता है, उसी में पूर्णतया मूल्यह्रासित कर दिया जाता है।

पूंजीगत स्पेयर पर मूल्यह्रास, स्पयेरज के उपयोगी जीवन या संबंधित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर, जो भी कम हो, पुनः मूल्यांकन के आधार पर, किया जाता है।

3.4 अमूर्त परिसंपत्तियां

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और इससे संबंधित सभी लागतों को, कुल अनुमानित खननयोग्य भंडारों में वार्षिक उत्पादन के आधार पर अमूर्तकृत किया जाता है। यदि खनन अधिकारों का नवीनीकरण नहीं किया जाता है तो संबंधित शेष राशि को उस वर्ष के राजस्व से चार्ज किया जाता है जिसमें गैर नवीनीकरण का निर्णय लिया जाता है।

अधिग्रहण लागत अर्थात लाइसेंस के अधिग्रहण और इसके दोहन के अधिकारों से जुड़ी लागतें जिसमें संबंधित पेशेवर फीस, सांविधिक वानिकी स्वीकृति हेतु भुगतान, जैसे और जब व्यय किए जाते है, शामिल है, को खनन अधिकारों के अतिरिक्त माना जाता है।

अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

अन्य अमूर्त परिसंपत्ति लाभ की अपेक्षित अवधि में सीधी–रेखा पद्धति पर परिशोधित होती हैं। सॉफ़्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का अभिन्न हिस्सा नहीं है, को अमूर्त परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है और पांच वर्ष या उसकी लाइसेंस अवधि, जो कम हो, के दौरान परिशोधित किया जाता है।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे विश्वसनीय रूप से मापा जा सके और संबंधित परिसंपत्ति तथा प्रक्रिया, कंपनी द्वारा पहचाने जाने योग्य और नियंत्रित हो। अनुसंधान और अन्य विकास व्यय को, जब कभी व्यय किया जाएगा तो राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है।

3.4.1 अनुवर्ती लागत

अनुवर्ती व्यय को संपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में, जैसा उचित हो, केवल तभी मान्यता दी जाती है जब इसकी संभावना होती है कि व्यय की गई लागत से कंपनी को भविष्य में आर्थिक लाभ प्रवाहित होगें अन्य सभी व्यय को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

3.4.2 अमूर्त परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द करना

एक अमूर्त संपत्ति को निपटान पर अमान्य कर दिया जाता है, जब भविष्य में उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति की पहचान रद्द कर दी जाती है तो लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.5 अनावृत लागत

किसी खनन की सतह के उत्पादन चरण के दौरान व्यय की गई अनावृत लागत को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि भावी अवधियों में, ऐसी लागत अयस्क तक उन्नत पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करें और निम्न मानदंड पूरे करें:

- यह संभव है कि अनावृत गतिविधि से जुड़े भावी आर्थिक लाभ (अयस्क निकाय तक उन्नत पहुंच) इकाई को प्राप्त हो,
- इकाई उस अयस्क निकाय के घटक की पहचान कर सकती हो जिस तक पहुंच में सुधार हुआ है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

व्यय, जिसे अयस्क तक पहुंचने के लिए विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सकता, परियोजना रिपोर्ट पर आधारित कॉलियरियों को छोड़कर, खदानों के लिए 5 वर्षीय खनन योजना के अनुसार अनावृत अनुपात पर राजस्व में लिया जाता है।

3.6 गैर वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

कंपनी, प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख को अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा, किसी एक संयंत्र की सभी परिसंपत्तियों को नकदी सृजन इकाइ (सीजीयू) के रूप में विचार करके करती है ताकि हानिकारक संकेतकों, यदि हो, को ज्ञात किया जा सके। यदि ऐसा कोई संकेत उपस्थित है तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान, जो शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य का उच्चतम है, लगाया जाता है। जब किसी परिसंपत्ति की कैरिंग राशि, उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है तो एक क्षति हानि की पहचान की जाती है।

जब कोई क्षति हानि बाद में उलट जाती है तो परिसंपत्ति की वहन राशि (या नकदी सृजन इकाई) उसकी वसूली योग्य राशि के संशोधित अनुमान से बढ़ जाती है ताकि बढ़ी हुई कैरिंग रकम, उस कैरिंग राशि से अधिक न हो जिसका निर्धारण पिछले वर्षों में परिसंपत्ति (या नकदी सृजक इकाई) के क्षति हानि न होने के लिए किया गया है। किसी भी क्षति हानि को लाभ और हानि विवरण में तुरंत रिवर्स मान्यता दी जाती है।

3.7 ऋण लागतें

ऋण लागतें प्रत्यक्ष रूप से योग्य परिसंपत्ति के अधिग्रहण या निर्माण के लिए जिम्मेदार लागत है जिसमें पर्याप्त अवधि लगती है, इन्हें उस परिसंपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में पूंजीकृत किया जाता है, जो उस अवधि के दौरान परिसंपत्ति के इच्छित उपयोग को पूरा करने और तैयार करने के लिए जरूरी है।

कंपनी पर्याप्त अवधि के रूप में बारह महीने या उससे अधिक की अवधि मानती है। दीर्घकालीन उधारों के संबंध में लेनदेन लागतें प्रभावी ब्याज विधि का उपयोग करके संबंधित ऋण के कार्यकाल में अमूर्त होती है। अन्य उधार लागतों को, जिस अवधि में यह व्यय की जाती है, लाभ–हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

3.8 मालसूचियां

कच्चा माल, स्टोर तथा स्पेयरज और निर्मित/अर्ध–निर्मित उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) को, संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की मदों को निम्न लागत और शुद्ध प्राप्य मूल्य के आधार पर लिया जाता है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर चलने वाली मदों के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व में लिया जाता है। अर्द्ध तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध प्राप्य मूल्य, जिनका प्राप्य मूल्य केवल निर्मित स्तर पर ही है, का आकलन, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए किया जाता है।

अवशेष उत्पादों और अन्य स्क्रैप का मूल्य, अनुमानित शुद्ध प्राप्य मूल्य पर किया जाता है।

लागत निर्धारण का आधार निम्न है:

कच्चा माल – आवधिक भारित औसत लागत

लघु कच्चा माल – गतिशील भारित औसत लागत

स्टोरज और स्पेयरज – गतिशील भारित औसत लागत

रास्ते में माल – लागत पर

निर्मित/अर्धनिर्मित उत्पादों की खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत का अन्य उचित हिस्सा जिसमें उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च की गई राशि शामिल हैं।

3.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान तभी दिए जाते हैं जब यह उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उससे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान प्राप्त हो जाएगा।

सरकारी अनुदान को लाभ–हानि विवरण में, उस अवधि में व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित लागत की प्रतिपूर्ति के इरादे हेतु इस व्यय के लिए अनुदान देती है। जहां अनुदान परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, इसे स्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन में परिशोधित किया जाता है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिनके लिए संबधित अनुदान कवर करने के इरादे से है।

जहां कंपनी को गैर मौद्रिक अनुदान प्राप्त होता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित रकम में सकल रिकार्ड किया जाता है और अपेक्षित उपयोगी जीवन और अंतर्निहित परिसंपत्ति के लाभ की खपत के पैटर्न के आधार पर आय विवरण को जारी किया जाता है।

3.10 विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, विदेशी मुद्राओं में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों का रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित दरों पर पुनः परिवर्तित किया जाता है।

उन गैर मौद्रिक मदों को जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है और जिन्हें उचित मूल्य निर्धारण की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा परिवर्तित किया गया है, के सिवाय गैर मौद्रिक मदों को अवधि के अंत में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और इन्हें ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों पर परिवर्तित किया जाएगा) पर मापा जाएगा।

कंपनी ने दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मदों में होने वाले विनिमय अंतरों के लेखांकन के लिए, भारत सरकार द्वारा 31 मार्च, 2009 (यथा संशोधित 29 दिसंबर, 2011)को अधिसूचित लेखांकन मानक–11 से संबंधित कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2009 के विकल्प को चुना है जो 31 मार्च, 2016 को, पहले से मौजूद दीर्घकालीन विदेशी मुद्रा मदों के लिए इंड–एएस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाले दीर्घकालिक मुद्रा मदों से संबंधित विनिमय अंतर, जहां तक वे स्थायी परिसंपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है, को ऐसी परिसंपत्तियों की कैरिंग रकम में समायोजित किया जाएगा।

अन्य मौद्रिक वस्तुओं के पुनः परिवर्तित या निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

3.11 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदायी योजना

परिभाषित अंशदायी योजना वह योजना है जिसमें कंपनी एक अलग इकाई में एक निश्चित योगदान देती है। परिभाषित अंशदायी सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के लिए भुगतान को व्यय के रूप में तब पहचाना जाता है जब कर्मचारियों ने अंशदान की पात्रता के लिए सेवा प्रदान की है। भविष्य निधि के लिए अंशदान, उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में लिया जाता है जब निधि में अंशदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजनाएं उस कर्मचारी की वह लाभ राशि है जो सेवा की लंबाई, अंतिम आहरित वेतन या ऐसे लाभों से संबंधित प्रत्यक्ष लागत के संदर्भ में सेवाओं को पूरा करने पर प्राप्त होगी। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व कंपनी के पास है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए मान्य दायित्व, रिपोर्ट करने की तिथि को परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य घटा योजना परिसंपत्तियों के निष्पक्ष मूल्य से है जिसमें अमान्य बीमांकिक लाभों या हानियों तथा पिछली सेवा की लागतों को समायोजित किया जाता है। प्रबंधन द्वारा डीबीओ का वर्तमान मूल्य किसी स्वतंत्र बीमांकिक के द्वारा वार्षिक आधार पर, अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि के उपयोग द्वारा कराया जाता है। बीमांकिक लाभों या हानियों को लाभ–हानि विवरण में या वर्ष की अन्य व्यापक आय में शामिल किया जाता है।

पुनः माप, जिसमें बीमांकिक लाभ और हानियां, होती है, पुनर्मूल्यांकन, जिसमें वास्तविक लाभ और हानि शामिल हैं, परिसंपत्ति की सीमा (यदि लागू हो) में परिवर्तन का प्रभाव और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज सहित) पर लाभ को तुलन–पत्र में अन्य व्यापक आय, उस अवधि में जिसमें ये घटित होती है, में मान्यता प्राप्त शुल्क या क्रेडिट के साथ दिया होता है। अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त पुनर्मूल्यांकन को तुरंत आय में दिखाया जाता है और लाभ और हानि विवरण में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्पकालीन कर्मचारी लाभ

अल्पकालीन कर्मचारी लाभों में कर्मचारियों की वह लागत जैसेकि वेतन, बोनस, अनुग्रह राशि, वार्षिक छुट्टी और बीमारी छुट्टी शामिल हैं जो उस वर्ष में अर्जित की जाती है जिसमें संबंधित सेवाएं, कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी के संबंध में दायित्वों की मान्यताओं को, संबंधित सेवाओं के बदले में प्रदत्त लाभों की गैर डिस्काउंट राशि के संबंध में मापा जाता है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर किए गए व्यय को तुरंत लाभ–हानि विवरण में लिया जाता है।

3.12 राजस्व मान्यता

कंपनी इस्पात और अन्य उत्पादों की एक श्रृंखला बनाती और बेचती है।

माल की बिक्री

बिक्रियों में उत्पादन शुल्क शामिल है तथा माल और सेवाकर, छूट तथा मूल्य छूट से शुद्ध राशि है। बिक्रियों को मान्यता तब दी जाती है जब माल और सेवाओं का स्वामित्व खरीदारों के पक्ष में डिलीवरी दस्तावेजों का पृष्ठांकन

करने के मामलों सहित खरीदारों को माल और सेवाओं के स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों का हस्तांतरण हो जाता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप दिया नहीं जाता है, बिक्रियों का लेखांकन अस्थायी आधार पर माना जाता है।

समुद्री निर्यात बिक्रियों को निम्न पर मान्यता दी जाती है:

i) लदान बिल का निर्गम, या

ii) निर्धारित अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों का परक्रामण, जिन मामलों में, शिपमेंट के बिना भौतिक मूल्य की वसूली के बारे में संबंधित अनुबंधों के साखपत्रों में दिया जाता है, इनमें से जो पहले हो।

विभिन्न योजनाओं के तहत निर्यात प्रोत्साहन की प्राप्ति की निश्चितता पर इन्हें आय के रूप में मान्यता दी जाती है। आसानी से उपयोग करने योग्य/ बिक्री योग्य न होने के कारण लौह अयस्क दंड को इन्वेंटरी में शामिल किया जाएगा और निपटान होने पर इसे राजस्व माना जाएगा।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है।

लाभांश आय को मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.13 पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के उद्घाटन को पुनः वर्णित किया जाता है।

3.14 परिसमाप्ति क्षति और मूल्य वृद्धि के लिए दावा

परिसमाप्ति क्षति के लिए दावे को अंतिम निपटारे पर, कंपनी द्वारा पुनःप्राप्त करने योग्य माना जाता है। इन्हें, परिसमाप्ति क्षति के अंतिम निपटारे के समय यथास्थिति, पूंजीगत लागत में समायोजित किया जाता है या लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों के मूल्यवृद्धि के दावों को, उस सीमा तक जितने कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाते हैं, लेखा में लिया जाता है।

3.15 लीज

एक अनुबंध की शुरुआत में, कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध है या नहीं, या अनुबंध के आधार पर एक पट्टा है या नहीं, अनुबंध प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए पहचान की गई संपत्ति का उपयोग के नियंत्रण का अधिकार देता है या नहीं।

पट्टाधारी के रूप में कंपनी

कंपनी बारह महीने या उससे कम के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, जिन्हें लाभ के विवरण में खर्च किया जाता है, पट्टे की शुरुआत की तारीख पर उपयोग की जाने वाली संपत्ति और पट्टे की देयता को मान्यता देती है। उपयोग के अधिकार की संपत्ति को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस साइट पर यह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने के लिए लागत का एक अनुमान, प्राप्त कोई कम पट्टा प्रोत्साहन राशि से मापा जाता है।

संपत्ति को इस्तेमाल करने के अधिकार को बाद में स्ट्रेट–लाइन मेथड का उपयोग करके शुरू की तारीख से लेकर संपत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक मूल्यह्रास किया जाता है। कुछ लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि बढ़ाने के विकल्प शामिल हैं। उपयोग के अधिकार की संपत्ति और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं जब यह निश्चित है कि उनका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जिस प्रकार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, इस संपत्ति की समय–समय पर हानि के संकेतकों के लिए समीक्षा की जाती है और, यदि कोई क्षति हानि हो, से मापा जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है।

लीज देयता को प्रारंभ में लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है, जिनका भुगतान प्रारंभ तिथि पर नहीं किया जाता है, लीज में निहित ब्याज दर के आधार पर छूट दी जाती है या यदि उस दर को आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो कंपनी की वृद्धिशील उधार दर के आधार पर मापा जाता है।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसकी पुनर्माप तब की जाती है जब किसी सूचकांक या दर में बदलाव से उत्पन्न होने वाले भविष्य के पट्टे के भुगतान में कोई बदलाव होता है, यदि कंपनी के अनुमान में एक अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने की अनुमानित राशि में बदलाव होता है, या यदि कंपनी मूल्यांकन बदल देती है कि कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

यदि उपयोग की जाने वाली संपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई है तो पट्टे की देयता को फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की वहन राशि के लिए एक समान समायोजन किया जाता है, या लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है।

लीजदाता के रूप में कंपनी

वित्तीय लीज

वित्तीय लीज वह लीज होती है, जो पट्टेदार को प्रभावी रूप से लीज की मदों के स्वामित्व के लिए आकस्मिक रूप से सभी जोखिमों और लाभों को हस्तांतरित करती हैं। लीज के किराए की रसीदों को वित्तीय आय तथा रिटर्न की निहित दर के आधार पर पूंजीगत पुनर्भुगतान के बीच विभाजित किया जाता है। आकस्मिक किराए को, उस अवधि के लिए जिसमें वे अर्जित होते है, राजस्व कहा जाता है।

ऑपरेटिंग लीज

वह लीज जिसमें कंपनी किसी परिसंपत्ति के सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व के पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से हस्तांतरित नहीं करती है, को ऑपरेटिंग लीज कहा जाता है। संबंधित लीज परिसंपत्ति को, उनकी प्रकृति के आधार पर तुलन–पत्र में शामिल कर लिया जाता है। लीज के किराए को, सीधी लाइन विधि के आधार पर लीज की शर्तों पर मान्यता दी जाती है सिवाय उन मामलों के जहां पर किराए में निर्धारित वृद्धि, अपेक्षित मुद्रास्फीति लागत के लिए कंपनी को प्रतिपूर्ति करती है।

3.16 बिक्री हेतु धारित गैर–चालू परिसंपत्तियां

कंपनी ने किसी ऐसी गैर–चालू परिसंपत्ति को बिक्री के लिए धारित किया है यदि इसकी वहन की जाने वाली राशि मुख्यतः इसकी बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी। इस स्थिति को केवल तभी पूरा किया जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभव है।

छूट संचालनों सहित गैर–चालू परिसंपत्तियों को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिसे कैरिंग राशि के निम्न और बिक्री की लागत को कम करके तर्कसंगत मूल्य पर मापा जाता है तथा वित्तीय विवरणों में अलग से दिया जाता है। एक बार बिक्री के लिए वर्गीकृत हो जाने पर, परिसंपत्तियां मूल्यह्रास या परिशोधन के अधीन नहीं होती हैं।

बिक्री के कारण या छूट संचालनों के पुनर्मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि विवरण में एक लाइन के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

3.17 खान बंद होना

खान बंद करने के प्रावधान में इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ना और विध्वंस करना, अधिशेष सामग्रियों को हटाना तथा खादानों के लिए बाधित क्षेत्रों का उपचार करना शामिल है। यह प्रावधान सर्वोत्तम उपलब्ध जानकारी के आधार पर, सभी नियामक आवश्यकताओं और संबंधित अनुमानित लागत पर आधारित है। खान बंद करने की लागतों को तब लेखांकन अवधि में प्रदान किया जाता है जब दायित्व, ऑपरेशन और खान बंद होने के बाद की अवधि के दौरान, किए जाने वाले पुनर्स्थापन की अनुमानित भावी लागत के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर उत्पन्न होता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियाँ

प्रावधान और आकस्मिक देयताएं

प्रावधानों को मान्यता तभी मिलती है जब कंपनी के पास किसी पिछली घटना के फलस्वरूप एक वर्तमान दायित्व होता है और यह भी संभव है कि संसाधनों का उत्प्रवाह उस दायित्व के निपटारे के लिए अपेक्षित होगा जिसके लिए एक विश्वसनीय अनुमान किया जा सके। जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण होता है वहां पर प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है।

जब किसी प्रावधान का निपटारा करने के लिए अपेक्षित कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल करने की आशा की जाती है तो प्राप्य राशि को अलग परिसंपत्ति के रूप में माना जाता है, यदि वास्तव में यह निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी और प्राप्य राशि को मापा जा सकता है।

आकस्मिक देयता पिछले घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की केवल तभी पुष्टि होगी जब एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या घटित न होने की पुष्टि हो जाए परंतु पहचान न हो क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभ को जोड़ने वाले संसाधनों का बहिर्वाह दायित्वों की आवश्यकता होगी ताकि दायित्वों का निपटान करने या दायित्वों की राशि का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। कंपनी वित्तीय विवरणों के अन्य नोट्स में आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का खुलासा करती है।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के फलस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित उत्प्रवाह को असंभव या दूरस्थ माना जाता है तो कोई प्रावधान मान्य नहीं किया जाता या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक परिसंपत्तियां आमतौर पर अनियोजित या अन्य उन अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती है जो आर्थिक लाभों के प्रवाह की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी गई है हालांकि जहां आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव है, वहा प्रकटीकरण किया गया है।

3.19 आय कर

लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कर व्यय में आस्थगित कर और वर्तमान कर का योग शामिल है, सिवाय उस सीमा को छोड़कर जो कर उन मदों से संबंधित है जिन्हें सीधे अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, जिस स्थिति में संबंधित कर है या तो सीधे ओसीआई या इक्विटी में तदनुसार मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान आयकर का माप, भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली राशि पर किया जाता है। समूह वर्तमान कर परिसंपत्तियों और वर्तमान कर देनदारियों को ऑफसेट करता है जब ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उनका उद्देश्य शुद्ध या एक साथ वसूल किया जाना होता है।

स्थगित आय करों की गणना तुलन पत्र देयता पद्धति/दृष्टिकोण का उपयोग करके की जाती है। स्थगित कर देनदारियों को आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्यता दी जाती है। स्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के विरुद्ध किया जाएगा। स्थगित कर परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि की प्रत्येक तुलन पत्र तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम कर दिया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि स्थगित कर संपत्ति के सभी या उसके हिस्से का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

स्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उन कर दरों पर मापा जाता है जिनकी उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद है जब परिसंपत्तियां की वसूली होगी या देयता का निपटारा किया जाएगा, ऐसा रिपोर्टिंग तिथि को अधिनियमित या वास्तव में अधिनियमित कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर होगा।

जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ निपटाने का इरादा होता है, तो समूह स्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को समायोजित करता है।

3.20 नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्यों में हाथ में नकदी और मांग जमाराशियां शामिल है। इसके साथ ही, अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश (मूल परिपक्वता 3 महीनो से कम अवधि वाले) भी शामिल है जोकि ज्ञात नकद राशि में आसानी से परिवर्तनीय है और जिनके मूल्य में परिवर्तन की जोखिम दर नगण्य है।

3.21 वित्तीय विलेख

मान्यता, प्रारंभिक माप और गैर मान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, उन्हें छोड़कर जिन्हें शुरुआत में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है, प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है।

जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और समूह ने स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और पुरस्कारों को स्थानांतरित कर दिया है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य कर दिया जाता है। एक वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व का एक हिस्सा) की मान्यता समाप्त हो जाती है जब अनुबंध में निर्दिष्ट दायित्व समाप्त हो जाता है या छुट्टी दे दी जाती है या रद्द कर दी जाती है या समाप्त हो जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजन हेतु, प्रारंभिक मान्यता के बाद वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- अमूर्त लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर (एफवीओसीआई) वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल के अतिरिक्त सभी वित्तीय परिसंपत्तियों की, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, हानि की समीक्षा की जानी हैं।

अमूर्त लागत

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है तो प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके अमूर्त लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापा जाता है:

क) वित्तीय परिसंपत्ति को ऐसे व्यापार मॉडल के अंदर रखा जाता है जिसका वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने का उद्देश्य अनुबंधित नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपति की संविदात्मक शर्तें, निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह की वृद्धि करती है जोकि बकाया मूलधन की राशि पर, मूलधन और ब्याज का भुगतान होती हैं।

कंपनी की नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार और अधिकतर अन्य प्राप्तियाँ, वित्तीय विलेखों की इसी श्रेणी में आती हैं।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीटीपीएल, वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो अमूर्त लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या जो व्यापार के लिए रखे गए इक्विटी विलेख हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामित हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय विलेख भी इस श्रेणी में आते हैं। एफवीटीपीएल वित्तीय संपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। लाभ और हानि को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है, ब्याज और लाभांश आय, हानि हानियों और मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अंतर को छोड़कर, जिन्हें लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

एफवीओसीआई पर वित्तीय परिसंपत्तियाँ

एफवीओसीआई की वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधन लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या जो ट्रेडिंग के लिए धारित इक्विटी साधन हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट हैं।

सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या एक मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किए जाते हैं जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण तथा अनुवर्ती माप

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, व्यापार के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियों को छोड़कर या एफवीटीपीएल पर नामित किया जाता है, जिसे बाद में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर ले जाया जाता है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों का हिसाब एफवीटीपीएल पर किया जाता है

इम्बेडेड व्युत्पन्न

कुछ हाइब्रिड वित्तीय देयता अनुबंधों में व्युत्पन्न और गैर–व्युत्पन्न दोनों घटक होते हैं। ऐसे मामलों में, व्युत्पन्न घटक को एम्बेडेड व्युत्पन्न कहा जाता है, जिसमें गैर–व्युत्पन्न घटक मेजबान वित्तीय देयता अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यदि एम्बेडेड व्युत्पन्न की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंध से निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंध को स्वयं एफवीटीपीएल पर नहीं मापा जाता है, तो एम्बेडेड व्युत्पन्न को विभाजित किया जाता है और शुद्ध लाभ (हानि) में मान्यता प्राप्त लाभ और हानि के साथ) लाभ या हानि (क्षति) के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों/देनदारियों पर उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है, मेजबान की वित्तीय देनदारी का हिसाब उपयुक्त उद्यम के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

इंड एएस 109 के अनुसार, समूह अन्य व्यापक आय के माध्यम से परिशोधित लागत या उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए क्षति हानि की माप और मान्यता के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार, कंपनी को देय होने वाली सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के बीच का अंतर है। व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता को प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित आजीवन हानियों को पहचानते हुए सरलीकृत हानि दृष्टिकोण का उपयोग करके मापा जाता है। अन्य वित्तीय आस्तियों पर हानि की पहचान के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

व्यापार प्राप्य

कंपनी भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 वित्तीय विलेखों में निर्दिष्ट दृष्टिकोण को लागू करती है, जिसके अनुसार अपेक्षित आजीवन हानियों को प्राप्तियों की प्रारंभिक मान्यता की आवश्यकता होती है।

वित्तीय विलेखों की ऑफसेटिंग

जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफ़सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार होता है और इन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करने तथा देयता को साथ में सुलझाने का इरादा होता है तो वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियां ऑफसेट होती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में दिया जाता है। कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार, भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार के दौरान तथा दूसरे पक्ष के दोष, दिवालियापन या दिवालिया होने की स्थिति में लागू होना चाहिए।

3.22 सहायक, संयुक्त उपक्रम, सहयोगियों और इक्विटी विलेखों में निवेश

कम्पनी ने इंड–एएस–27, अलग वित्तीय विवरणों के अनुसार अपने स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों में अपनी सहायक कंपनियों और सहयोगियों, संयुक्त उपक्रम की लागत गणना की है। इक्विटी उपकरणों में निवेश, जहां समूह ने अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऐसे उपकरणों को वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पीएंड आई तक की राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालाँकि, समूह संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

3.23 अनुभाग रिपोर्टिंग

कंपनी के पास 8 ऑपरेटिंग/रिपोर्ट योग्य अनुभागः पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र और तीन एलॉय इस्पात संयंत्र है, इनकी विनिर्माण इकाइयां होने के कारण इन्हें रिपोर्ट करने योग्य सेग्मेंट माना जाता है। इन ऑपरेटिंग सेग्मेंटों की पहचान करने में, प्रबंधन आम तौर पर कंपनी के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण संचालन को, अपने मुख्य संचालन का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से प्रत्येक ऑपरेटिंग सेग्मेंट का प्रबंध अलग से किया जाता है क्योंकि प्रत्येक को विविध तकनीक, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है।

सभी अंतर–खंड हस्तांतरण आर्म्स लैंथ की कीमतों के आधार पर किए जात हैं जो समान वस्तुओं या सेवाओं के स्टैंडअलोन बिक्री में असंबधित ग्राहकों को लगाए गए मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कॉर्पोरेट परिसंपत्तियां, जो किसी भी ऑपरेटिंग अनुभाग की व्यावसायिक गतिविधियों से सीधे संबंधित नहीं हैं उन्हें किसी भी अनुभाग को आवंटित नहीं किया गया है। यह मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन ऑपरेशनों पर लागू है।

रिपोर्ट किए गए अनुभाग के लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में, पूर्व अवधि से कोई बदलाव नहीं आया है।

3.24 महत्वपूर्ण निर्णय, मान्यताएं और लेखांकन नीतियों को लागू करने में आकलन

3.24.1 लीज

कंपनी मूल्यांकन करती है कि क्या कोई व्यवस्था 116 के रूप में इंडस्ट्रीज की आवश्यकताओं के अनुसार लीज होने के योग्य है। लीज की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। कंपनी लीज अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करती है।

3.24.2 बंद करने और पुनर्स्थापन के दायित्व

बंद करने और पुनर्स्थापन लागतें, खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम हैं और खान बंद होने के बाद के वर्षों में अधिकतर बंद करने और पुनर्स्थापन व्यय किया जाता है, हालांकि होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, कंपनी अपनी लागतों का अनुमान, वर्तमान बहाली तकनीकों के द्वारा लगाती है।

3.24.3 स्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान

वह सीमा जिस तक स्थगित कर संपत्ति को पहचाना जा सकता है, वह कंपनी की भावी कर योग्य आय की संभावना के मूल्यांकन पर आधारित है जिसके विरुद्ध स्थगित कर संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.24.4 मालसूचियां

कंपनी मालसूचियों की लागत का अनुमान, सबसे विश्वासाहार्य प्रमाणों को ध्यान में रख कर करती है जैसेकि ऐसी मालसूचियों की सामग्री की लागत और ऊपरी खर्च को उत्पादन की वास्तविक लागत सहित ऐसी वस्तुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। प्रबंधन भी मालसूचियों के शुद्ध प्राप्य मूल्यों का अनुमान, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय प्रमाण को ध्यान में रख कर करता हैं। इन माल सूचियों का भविष्य, भावी तकनीक या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकता है जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकती हैं।

3.24.5 परिभाषित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को वास्तविक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु और निकासी दर के साथ–साथ भावी विकास से संबंधित छुट दरें, चिकित्सा लागत के रुझान, भावी वेतन वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति दर शामिल है। कंपनी मानती है कि उसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताएं उचित हैं। हालांकि, इन धारणाओं में किसी भी बदलाव के फलस्वरूप गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।

3.24.6 उचित मूल्य माप

कंपनी वित्तीय विलेखों और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं है) निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीकों को लागू करती है। इसमें आकलनों को विकसित करना और विलेख के मूल्य के प्रति बाजार में सहभागियों की तर्कसंगत धारणाएं शामिल हैं। कंपनी की धारणाएं यथासंभव अवलोकन योग्य डेटा पर, अन्यथा उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित हैं। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक कीमतों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर किसी अन्य लेनदेन में हासिल किए जाएंगे।

3.24.7 प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन, भारतीय लेखांकन मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियों' के अनुसार किए गए हैं। प्रबंधन द्वारा संभावित हानि के जोखिम की संभावना के बारे में आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन को, सर्वोत्तम निर्णय के रूप में लागू किया गया है।

3.24.8 खान बंद करने और पुनर्स्थापना दायित्व

पर्यावरणीय देनदारियां और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ): पर्यावरणीय देनदारियां और एआरओ के आकलन के लिए, संभावना और भावी लागतों के बारे में धारणाओं के अतिरिक्त, वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता है।

3.24.9 मूल्यह्रासयोग्य/अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन (मूर्त और अमूर्त)

परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर अवमूल्यित/ अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का आकलन करती है। इन आकलनों में अनिश्चितताएं वास्तविक सामान्य टूट–फूट से संबंधित होती है जो संयंत्र और उपकरण की उपयोगिता को बदल सकती है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
–पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	354.26	-	(0.04)	354.30	0.81	-	-	0.81	353.49	353.45
–लीजहोल्ड भूमि	2.16	-	-	2.16	0.27	0.03	-	0.30	1.86	1.89
इमारतें और संबंधित उपकरण	5270.69	15.81	28.95	5257.55	2194.06	116.41	9.79	2300.68	2956.87	3076.63
संयंत्र और मशीनरी										
–स्टील संयंत्र	93616.63	7715.96	707.46	100625.13	36610.84	3492.55	534.73	39568.66	61056.47	57005.79
–अन्य – स्वामित्व	3366.99	138.03	51.84	3453.18	2246.78	126.08	49.58	2323.28	1129.90	1120.21
फर्नीचर व फिक्सचर	144.05	5.11	1.86	147.30	117.87	6.06	1.32	122.61	24.69	26.18
वाहन	1395.33	44.46	15.41	1424.38	1000.50	69.66	14.57	1055.59	368.79	394.83
कार्यालय उपकरण	61.77	0.94	1.53	61.18	53.05	1.65	1.38	53.32	7.86	8.72
विविध वस्तुएं	395.98	25.08	3.64	417.42	261.70	14.94	3.25	273.39	144.03	134.28
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	481.77	56.48	4.67	533.58	355.19	24.73	3.45	376.47	157.11	126.58
जल आपूर्ति और सीवरेज	721.96	43.64	1.08	764.52	428.72	36.24	1.06	463.90	300.62	293.24
ईडीपी उपकरण	448.71	6.70	3.11	452.30	396.00	12.34	2.21	406.13	46.17	52.71
रेलवे लाइन्स और सिडिंग्स	1033.32	18.31	2.96	1048.67	315.25	31.10	2.62	343.73	704.94	718.07
उप जोड़ 'क'	**107293.62**	**8070.52**	**822.47**	**114541.67**	**43981.04**	**3931.79**	**623.96**	**47288.87**	**67252.80**	**63312.58**
पिछले वर्ष के आंकड़े	105064.43	2673.06	443.87	107293.62	40548.33	3733.38	300.67	43981.04	63312.58	
ख. सोशल सुविधाएं										
भूमि										
– पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.89	-	0.01	10.88	-	-	-	-	10.88	10.89
– लीजहोल्ड भूमि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
इमारतें और संबंधित उपकरण	833.39	313.47	2.77	1144.09	437.37	34.62	1.23	470.76	673.33	396.02
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	199.41	1.83	0.89	200.35	125.26	7.26	0.80	131.72	68.63	74.15
फर्नीचर व फिक्सचर	27.26	1.67	0.42	28.51	22.64	0.99	(0.47)	24.10	4.41	4.62
वाहन	10.84	0.07	0.04	10.87	9.45	0.23	-	9.68	1.19	1.39
कार्यालय उपकरण	4.32	0.20	0.39	4.13	3.86	0.04	0.32	3.58	0.55	0.46
विविध वस्तुएं	244.31	31.25	3.45	272.11	168.60	11.87	3.04	177.43	94.68	75.71
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	149.71	24.79	7.37	167.13	125.45	6.34	6.99	124.80	42.33	24.26
जल आपूर्ति और सीवरेज	308.26	2.32	0.09	310.49	153.47	7.04	0.08	160.43	150.06	154.79
ईडीपी उपकरण	11.68	0.92	0.41	12.19	9.69	0.68	0.30	10.07	2.12	1.99
उप जोड़ 'ख'	**1800.07**	**376.52**	**15.84**	**2160.75**	**1055.79**	**69.07**	**12.29**	**1112.57**	**1048.18**	**744.28**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1771.87	32.01	3.81	1800.07	984.09	74.44	2.74	1055.79	744.28	
ग. सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियां	**58.40**	**57.76**	**54.42**	**61.74**	**-**	**-**	**-**	**-**	**61.74**	**58.40**
पिछले वर्ष के आंकड़े	65.54	29.31	36.45	58.40	-	-	-	-	58.40	
जोड़ ('क'+ 'ख'+ 'ग')	**109152.09**	**8504.80**	**892.73**	**116764.16**	**45036.83**	**4000.86**	**636.25**	**48401.44**	**68362.72**	**64115.26**
पिछले वर्ष के आंकड़े	106901.84	2734.38	484.13	109152.09	41532.42	3807.82	303.41	45036.83	64115.26	

4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

नोटः पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन (₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया	4274.17	3755.05
(ख) निर्माण के दौरान व्यय का चार्ज किया गया	-	2.77
	4274.17	3757.82

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 48.1 देखे

(ii) भूमिः

(क) 6105.95 एकड़ (31 मार्च, 2022 को 6013.78 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया।

(ख) में अनधिकृत कब्जे के तहत 4148.80 एकड़ (31 मार्च, 2021 को 4542.94 एकड़) शामिल है।

(ग) 1770.89 एकड़ (31 मार्च, 2021 को 1770.89 एकड़) भूमि जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, को कब्जे के रूप में दिखाया गया है।

(घ) वर्ष 2007 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास पहले से अधिग्रहित भूमि (31 मार्च, 2021 को ₹53.45 करोड़) के संबंध में ₹55.03 करोड़ जमा के तहत पड़ा है, भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के लिए।

(ड़) भारत के राजपत्र (असाधारण) में अधिग्रहण की अधिसूचना के अनुसार संख्या 1309 (ई) दिनांक 08.06.2012 और संख्या 2484ई दिनांक 13.10.2012, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएई) ने 34.471 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण किया था। झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009 द्वारा अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचित किया गया। उक्त भूमि के मूल्यांकन के संबंध में मामला विचाराधीन है।

(च) 525.43 एकड़ भूमि में 500 एकड़ भूमि शामिल है जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिभोग अधिकारों के तहत दी गई है, जो कंपनी द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार संपत्ति हस्तांतरण पर अनर्जित वेतन वृद्धि के भुगतान के लिए सहमत प्रतिबंधों के अधीन है।

(छ) झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ भूमि में से 5.51 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है। 42 और 43 दिनांक 26 अगस्त, 2009, विवाद के अधीन हैं, जिसके लिए आरडीसीआई–सेल के पक्ष में कोई मुआवजा तय नहीं किया गया था। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों में ₹13.07 करोड़ की राशि की 15.62 एकड़ की शेष फ्रीहोल्ड भूमि के मुआवजे पर विचार किया गया है।

(ज) ₹0.06 करोड़ वर्ष 2013 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेलम के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के रूप में जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) के तहत पड़ा है।

(iii) अन्य परिसंपत्तियाँ

(क) में 5693 (31 मार्च, 2021 को 7906), अनधिकृत कब्जे के तहत आवासीय क्वार्टर/घर शामिल हैं।

4क: संपत्ति के उपयोग का अधिकार

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष हेतु	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3971.08	2016.13	2.21	5985.00	1916.95	234.99	0.98	2150.96	3834.04	2054.13
उप जोड़ 'क'	**3971.08**	**2016.13**	**2.21**	**5985.00**	**1916.95**	**234.99**	**0.98**	**2150.96**	**3834.04**	**2054.13**
पिछले वर्ष के आंकड़े	3853.33	117.76	0.01	3971.08	1648.25	268.70	-	1916.95	2054.13	

5: प्रगति पर पूंजी कार्य

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
इस्पात संयंत्र और इकाइयां	**4160.07**		8798.95	
टाउनशिप	**64.56**		97.07	
अयस्क खान और खदान	**205.79**		247.68	
	4430.42		9143.70	
घटाएं : प्रावधान	**420.40**	**4010.02**	400.11	8743.59
निर्माण भंडार और स्पेयर	**10.88**		139.47	
घटायें: गतिशील वस्तुओं के लिए प्रावधान	**4.99**	**5.89**	5.19	134.28
लंबित निर्माण के दौरान व्यय आवंटन (नोट 5.1)		**0.81**		0.61
		4016.72		8878.48

5.1 निर्माण के दौरान व्यय लंबित आवंटन

आरंभिक शेष राशि (क)		**0.61**		2.78
वर्ष के दौरान किया गया व्यय				
कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन एवं मजदूरी	**96.33**		78.01	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	**4.10**		3.14	
यात्रा रियायत	**1.77**		1.39	
कल्याण व्यय	**0.02**		0.11	
ग्रेच्यूटी	**(0.08)**	**102.14**	1.14	83.79
अन्य व्यय				
तकनीकी सलाहकार की फीस और तकनीकें	**5.57**		1.19	
बिजली और ईंधन	**35.39**		31.29	
अन्य व्यय	**4.69**		6.06	
ब्याज और वित्त शुल्क	**193.53**		549.16	
मूल्यह्रास	**-**	**239.18**	2.77	590.47
		341.32		674.26
घटाएं: वसूली				
अर्जित ब्याज	-		0.01	
परिसमापन हर्जाना	-		0.08	
किराया प्रभार	**0.08**	**0.08**	0.25	0.34
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय (ख)		**341.24**		673.92
कुल (क)+(ख)		**341.85**		676.70
घटाएं: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/ प्रगति पर पूंजी कार्य को आवंटित राशि		**341.04**		676.09
अग्रेसित राशि		**0.81**		0.61

6: निवेश संपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. भवन										
भवन	2.06	-	-	2.06	0.97	0.03	-	1.00	1.06	1.09
उप जोड़ 'क'	**2.06**	**-**	**-**	**2.06**	**0.97**	**0.03**	**-**	**1.00**	**1.06**	**1.09**
पिछले वर्ष के आंकड़े	2.06	-	-	2.06	0.94	0.03	-	0.97	1.09	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति खरीदने, निर्माण या विकसित करने या इसकी मरम्मत, रख–रखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
किराए से आय	**1.80**	2.27
किराए पर आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय*	**-**	-
प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जो किराए पर आय उत्पन्न नहीं करता*	**-**	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.80**	2.27
मूल्यह्रास	**0.03**	0.03
निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.77**	2.24

' निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्च अलग–अलग पहचाने नहीं जा सकते हैं और उन्हें महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) पट्टे की व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्ति किरायेदारों को लंबी अवधि के परिचालन पट्टे के तहत किराए पर दी जाती है, जो मासिक रूप से देय किराये के साथ ली जाती हैं। निवेश संपत्ति के गैर–रद्द करने योग्य पट्टे के तहत न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्त करने योग्य मामले:

एक वर्ष के अन्दर	**0.29**	0.32
एक वर्ष बाद में लेकिन 5 वर्षो बाद नहीं	**1.91**	2.52
5 वर्षो से बाद	**-**	1.35
	2.20	4.19

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2022 तक निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹27.66 करोड़ (31 मार्च, 2021 को ₹26.71 करोड़) है।

(v) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत सक्रिय बाजार में इसी तरह की संपत्तियों की मौजूदा कीमत है। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है जिसमें निम्न शामिल हैं:

क) अलग–अलग तरह की संपत्तियों की एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में ऐसी संपत्तियों की हाल की कीमतें, उस अन्तर को समायोजित करते हुए।

ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

7: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष हेतु	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	120.12	2.80	0.64	122.28	107.33	4.82	0.91	111.24	11.04	12.79
खनन अधिकार	1847.77	65.27	(0.02)	1913.06	431.35	33.46	0.01	464.80	1448.26	1416.42
उप–जोड़ 'क'	**1967.89**	**68.07**	**0.62**	**2035.34**	**538.68**	**38.28**	**0.92**	**576.04**	**1459.30**	**1429.21**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1953.58	14.32	0.01	1967.89	510.24	28.33	(0.11)	538.68	1429.21	
ख. सोशल सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	0.69	-	0.20	0.49	0.62	0.01	0.19	0.44	0.05	0.07
उप–जोड़ 'ख'	**0.69**	**-**	**0.20**	**0.49**	**0.62**	**0.01**	**0.19**	**0.44**	**0.05**	**0.07**
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.69	-	-	0.69	0.61	0.01	-	0.62	0.07	
जोड़ ('क'+ 'ख')	**1968.58**	**68.07**	**0.82**	**2035.83**	**539.30**	**38.29**	**1.11**	**576.48**	**1459.35**	**1429.28**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1954.27	14.32	0.01	1968.58	510.85	28.34	(0.11)	539.30	1429.28	

* कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकृत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।
**सभी परिशोधन परिवर्तन मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च में शामिल हैं।

7 क : मालसूची – गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
स्टोर और पुर्जे	-			-
कच्चा माल				
स्लाइम	**141.25**		140.45	
अन्य	**-**	**141.25**	-	140.45
अन्य – उत्पाद द्वारा				
लौह अयस्क फाइन्स (उप–ग्रेड)	**3976.62**		3785.39	
तैयार / अर्ध–तैयार उत्पाद				
स्लैग डंप (एम्बेडेड स्क्रैप)	**441.29**	**4417.91**	310.42	4095.81
		4559.16		4236.26

8: निवेश – गैर चालू

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
लागत पर किया गया निवेश				
सहायक कंपनियों में				
सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	**100000**	100000	**0.05**	0.05
सेल–जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	**-**	50000	**-**	0.05
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	**-**	50000	**-**	0.05
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	**37000**	37000	**0.04**	0.04
			0.09	0.19
एसोसिएट कंपनियों में (गैर–उद्धृत)				
अल्मोड़ा मैगनासाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹100/– प्रति शेयर)	**40000**	40000	**0.40**	0.40
			0.40	0.40
संयुक्त उद्यमों में (गैर–उद्धृत)				
एनटीपीसी– सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**490250050**	490250050	**490.25**	490.25
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**124025000**	124025000	**124.03**	124.03
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	**98718048**	98718048	**52.51**	52.51
सेल– बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	**3200000**	3200000	**3.20**	3.20
एमजंक्शन सर्विसेज़ लिमिटेड	**4000000**	4000000	**4.00**	4.00
एस एंड टी खनन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	**-**	18141400	**-**	18.14
सेल मोइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	**-**	100000	**-**	0.10
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	**698371832**	693759279	**698.37**	693.76
सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	**13017801**	13017801	**18.75**	18.75
सेल–एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	**-**	100000	**-**	0.10
सेल राईट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	**24000000**	24000000	**24.00**	24.00
सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	**250000**	250000	**0.25**	0.25
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	**4680000**	4680000	**4.68**	4.68
उत्तरी बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड (अंकित मूल्य – ₹100/– प्रति शेयर)	**-**	97900	**-**	0.98
रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड	**63000**	63000	**0.06**	0.06
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	**35232600**	35232600	**35.23**	35.23
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	**-**	24499	**-**	0.02
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	**-**	10000	**-**	0.01
वीएसएल–सेल जेवीसी लिमिटेड	**1297780**	1297780	**1.30**	1.30
जीईडीसीओएल सेल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**2600000**	2600000	**2.60**	2.60
			1459.23	1473.97
जोड़ (क)			**1459.72**	1474.56
अन्य विस्तृत आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किए गए निवेश				
गैर–उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**2203150**	2203150	**61.76**	51.35
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**720000**	720000	**102.44**	88.26
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**5000000**	5000000	**5.28**	5.00
सीमेंट एंड अलाय प्रोडक्ट्स (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	**-**	-
केमिकल एंड फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	**-**	-
भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**5**	5	**-**	-
ईस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	**3000000**	3000000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड*	**180000**	180000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹100/– शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
			172.67	147.80

	शेयरों की संख्या		राशि (₹ करोड़ में)	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील कर्मचारी को–ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी	**116500**	116500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी	**250**	250	**0.00**	0.00
एनएमडीसी मेघाहतुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹100/– शेयर)	**25**	25	**0.00**	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹100/– शेयर)	**1377**	1377	**0.01**	0.01
बोलानी ओसी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹25/– शेयर)	**200**	200	**0.00**	0.00
ईस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹20/– शेयर)	**23000**	23000	**0.05**	0.05
			0.18	0.18
जोड़ (ख)			**172.85**	147.98
जोड़ योग (क + ख)			**1632.57**	1622.54
निवेश के मूल्य में हानि के लिए प्रावधान			**8.08**	27.53
निवल निवेश			**1624.49**	1595.01
उद्धृत निवेश की कुल राशि			**-**	-
(इसका बाजार मूल्य)				
गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि			**1632.57**	1622.54
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			**8.08**	27.53
			1624.49	1595.01

सभी इक्विटी शेयरों में अंकित मूल्य ₹10 है जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।
*संस्था परिसमापन के तहत है इसलिए शेयरधारकों के साथ संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।
#संस्था परिसमापन में है इसलिए कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
9: व्यापार प्राप्य – गैर चालू*		
अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	-	-
अच्छा माना जाता है – असुरक्षित	-	-
प्राप्य – प्रभावित क्रेडिट	**7.87**	7.83
	7.87	7.83
खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	**7.87**	7.83
	-	-

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

10: ऋण – गैर चालू*				
अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	-			-
अच्छा माना जाता है – असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**46.40**		58.98	
अन्य को ऋण	**516.34**	**562.74**	580.67	639.65
ऋण – प्रभावित क्रेडिट		**-**		-
		562.74		639.65
घटा: खराब और संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता		**3.20**		3.20
		559.54		636.45

* प्राप्तियों में निदेशकों से प्राप्य राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष शून्य)
इन वित्तीय लिखतों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को
11: अन्य वित्तीय संपत्तियां – गैर चालू				
प्रतिभूति		**122.06**		119.78
डेरिवेटिव संपत्तियां		**-**		190.80
शेयरों की खरीद के लिए अग्रिम		**3.52**		3.52
दावा वसूली योग्य		**8.07**		35.65
प्राप्तियां – अन्य		**52.27**		52.70
लीज समकरण रिजर्व		**1.46**		0.95
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**1.05**		0.07
प्राप्य बिल		**58.30**		58.30
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण और अग्रिम (नोट 51.2 देखें)	**10.53**		10.53	
घटाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिम के लिए प्रावधान	**10.53**	**-**	10.53	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के सावधि जमा		**0.24**		0.19
		246.97		461.96
घटाः संदिग्ध संपत्ति के लिए प्रावधान		**7.97**		7.97
		239.00		453.99

इन वित्तीय लिखतों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है

12: स्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)

आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	**7471.62**		6877.80	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**37.29**	**7508.91**	31.62	6909.42
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	**1238.04**		874.75	
भुगतान न किए गए कर और शुल्क के भुगतान की अनुमति	**133.24**		4378.06	
संचित व्यावसायिक हानियाँ और अनवशोषित मूल्यह्रास	**877.70**	**2248.98**	403.45	5656.26
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)		**5259.93**		1253.16

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में सारांशित किया गया है:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (निवल)	1 अप्रैल, 2021 तक	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2022 तक
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	6877.80	593.82	-	7471.62
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	31.62	-	5.67	37.29
	6909.42	**593.82**	**5.67**	**7508.91**
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	874.75	363.29	-	1238.04
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	4378.06	(4244.82)	-	133.24
संचित व्यावसायिक हानियाँ और अनवशोषित मूल्यह्रास	403.45	445.81	28.44	877.70
	5656.26	**(3435.72)**	**28.44**	**2248.98**
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	**1253.16**	**4029.54**	**(22.77)**	**5259.93**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतरों और अप्रयुक्त कर घाटे से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में सारांशित किया गया है: (₹ करोड़ में)

आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (निवल)	1 अप्रैल, 2020 तक	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2021 तक
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	11487.79	(4609.99)	-	6877.80
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	27.83	-	3.79	31.62
	11515.62	**(4609.99)**	**3.79**	**6909.42**
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	1321.40	(446.65)	-	874.75
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	10160.54	(5782.48)	-	4378.06
कर क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1266.57	(1266.57)	-	-
संचित व्यावसायिक हानियाँ और अनवशोषित मूल्यह्रास	846.10	(352.81)	(89.84)	403.45
	13594.61	**(7848.51)**	**(89.84)**	**5656.26**
आस्थगित कर (परिसम्पत्ति) देनदारियां (निवल)	**(2078.99)**	**3238.52**	**93.63**	**1253.16**

कंपनी को 31 मार्च, 2022 को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 529.41 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹17395.33 करोड़) ₹529.41 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹13834.78 करोड) के संचित अनवशोषित मूल्यह्रास सहित) का संचित व्यापार घाटा हो रहा है।

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को
13: वर्तमान कर संपत्ति (निवल)				
वर्तमान कर संपत्तियां				
अग्रिम आयकर (प्रावधान का निवल)		**294.19**		216.78
		294.19		216.78
14: अन्य परिसंपत्तियां – गैर वर्तमान				
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		**721.43**		527.92
अन्य को अग्रिम		**-**		1.18
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**3438.02**		726.23
प्रीपेड व्यय		**27.04**		13.04
पूंजीगत अग्रिम	**74.97**		391.49	
घटाः संदिग्ध पूंजीगत अग्रिम के लिए प्रावधान	**5.34**	**69.63**	5.34	386.15
		4256.12		1654.52
घटाः अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**138.99**		87.71
		4117.13		1566.81

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
15: इनवेंटरीज़*				
स्टोर और स्पेयर्स				
उत्पादन	**3127.07**		2884.68	
ईंधन भंडार	**151.47**		212.28	
अन्य	**34.15**		27.75	
	3312.69		3124.71	
जोड़े: इन–ट्रांजिट	**272.69**		241.49	
	3585.38		3366.20	
घटा: अचल/ अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	**255.62**	**3329.76**	244.88	3121.32
कच्चा माल				
कच्चा माल**	**3551.01**		3142.79	
जोड़े: इन–ट्रांजिट	**5591.96**		1885.15	
	9142.97		5027.94	
घटा: अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	**13.77**	**9129.20**	24.68	5003.26
तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद				
तैयार माल***	**4439.26**		4196.11	
प्रगति पर कार्य	**2397.75**	**6837.01**	2399.45	6595.56
अन्य – उप–उत्पाद (उप–ग्रेड फाइन्स)		**273.34**		551.90
		19569.31		15272.04

* लेखांकन नीति संख्या 3.8 के अनुसार मूल्य निर्धारण किया गया है।
** इसमें ₹26.40 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹103.71 करोड़) के स्लाइम् की सूची शामिल है।
*** इसमें ₹27.29 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹128.21 करोड़) के स्लैग डंप में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रैप की सूची शामिल है।

16: व्यापार प्राप्य – वर्तमान*

विचाराधीन माल – सुरक्षित	**4736.83**	8138.84
प्राप्य – प्रभावित क्रेडिट	**260.93**	236.88
	4997.76	8375.72
खराब और संदिग्ध प्राप्यों के लिए प्रावधान	**260.93**	236.88
	4736.83	8138.84

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)
नोट 43 और 48.4 देखें – अपेक्षित क्रेडिट हानियों के आकलन के लिए वित्तीय साधन।

17 (i): नगद और नगद समकक्ष

हाथ में नगदी और स्टैम्प		**0.11**		0.08
हाथ में चेक		**2.91**		5.48
बैंकों में शेष				
चालू खाते	**56.31**		12.51	
3 महीने तक की मूल परिपक्वता की अवधि की सावधि जमा	**0.41**		450.31	
कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	**0.02**	**56.74**	0.02	462.84
		59.76		468.40

17 (ii): ऊपर दिए गए 17 (i) के अलावा बैंक में शेष

निर्धारित बैंक शेष	**219.79**	207.84
अवैतनिक लाभांश खाते	**6.83**	4.11
लाभांश खाता	**361.45**	-
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	**-**	0.17
	588.07	212.12

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को
18: ऋण – वर्तमान*				
विचाराधीन माल – सुरक्षित		-		-
विचाराधीन माल – असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**43.79**		33.11	
संबंधित पार्टियों को ऋण	-		2.80	
अन्य को ऋण	**1.16**	**44.95**	2.31	38.22
		44.95		38.22
घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**1.85**		1.80
		43.10		36.42

* प्राप्य में निदेशकों से देय राशि शामिल है – शून्य (पिछले वर्ष–शून्य)

19: अन्य वित्तीय संपत्ति – वर्तमान				
डेरिवेटिव संपत्तियां		-		63.60
प्रतिभूति		**12.70**		14.05
दावे वसूली योग्य		**750.03**		746.61
प्राप्य– अन्य		**452.72**		472.15
कर्मचारियों से प्राप्तिया		**21.45**		4.82
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि		**413.04**		454.73
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	**44.66**		44.20	
घटाः संबंधित संदिग्ध पार्टियों के लिए अग्रिम प्रावधान	**1.65**	**43.01**	1.39	42.81
		1692.95		1798.77
घटा संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**352.44**		321.45
		1340.51		1477.32

20: अन्य संपत्ति – वर्तमान				
हाथ में सोने के सिक्के		**0.14**		0.19
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	**549.79**		423.7	
अन्य को अग्रिम	**1169.67**	**1719.46**	892.84	1316.54
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**125.75**		3022.35
जमा – जीएसटी		**10.71**		1.34
जीएसटी प्राप्य–इनपुट सेवा .		**36.45**		2.48
जीएसटी प्राप्य		**298.54**		304.96
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटे गए टीडीएस		**0.09**		0.01
प्रीपेड खर्च		**36.88**		68.34
दावे प्राप्य		**150.03**		142.98
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य		**67.70**		124.12
		2445.75		4983.31
घटाः अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**123.59**		56.57
		2322.16		4926.74

21: बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत				
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति		**14.00**		17.01
		14.00		17.01

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह माना जाता है कि ऐसी संपत्ति अगले 12 महीनों के भीतर बेची जाएगी और ऐसी संपत्तियों को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' के रूप में माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संयंत्र और मशीनरी को इसकी मूल लागत और उचित मूल्य से पुनः वर्गीकरण के समय बिक्री लागत घटाकर दोनों में से कम में मापा गया था। उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह एक स्तर तीन का माप है। इस दृष्टिकोण के तहत बाजार में धातु की कीमत मुख्य इनपुट है।

22: इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अधिकृत पूंजी		
₹10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(₹10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी, सब्स्क्राइब्ड और पूरी तरह चुकाई गई पूंजी		
(4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर ₹10 प्रत्येक पूरी तरह चुकाए गए)	**4130.53**	4130.53

वर्ष के शुरुआत में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4130414299	4130.42	4130414299	4130.42
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष#	**4130414299**	**4130.42**	**4130414299**	**4130.42**
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर*				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	110990	0.11	110990	0.11
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**110990**	**0.11**	**110990**	**0.11**
वर्ष के अंत में बकाया कुल इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i. *1996 में जारी किए गए ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) में 110990 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें 125 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल राशि के लिए प्रत्येक 29.55 अमेरिकी डॉलर का उपयोग किया गया।

ii. #3117487 शेयर सहित (पिछले वर्ष 2824877 शेयर) आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए, जिस पर मतदान के अधिकार फ्रॉजेन हुए हैं।

iii. कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।

iv. कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी नहीं है।

v. कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	**236800137**	**5.73**	382302962	9.26

vi. वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का ब्योरा।

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को		वर्ष के दौरान %परिवर्तन
	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	धारित कुल शेयर	% प्रतिधारण	
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00	-

(vii) कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को
रिजर्व और अधिशेष				
रिजर्व पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**1.75**		1.75	
वर्ष के दौरान जमा	**-**		-	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**1.75**	-	1.75
सिक्योरिटीज प्रीमियम				
प्रारंभिक शेष	**235.10**		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**-**	**235.10**	-	235.10
बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**1084.15**		1375.02	
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	**-**		-	
प्रतिधारित आय में स्थानांतरित	**553.18**	**530.97**	290.87	1084.15
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**5095.13**		5095.13	
वर्ष के दौरान जमा	**-**		-	
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**5095.13**	-	5095.13
प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक शेष	**32866.56**		28871.07	
जोड़े: वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	**12015.04**		3850.02	
जोड़ें: अन्य व्यापक आय/(हानि) –परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) की माप	**(83.65)**		267.65	
जोड़े: बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व से स्थानांतरण	**553.18**		290.87	
घटा: अंतिम लाभांश का भुगतान	**743.49**		-	
घटा: भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	**2684.84**		413.05	
घटा: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	**-**	**41922.80**	-	32866.56
अन्य विस्तृत आय				
अन्य विस्तृत आय के माध्यम से इक्विटी प्रपत्र				
प्रारंभिक शेष	**81.66**		68.78	
एफवीओसीआई इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**24.87**		16.67	
स्थगित कर	**(5.67)**	**100.86**	(3.79)	81.66
कुल अन्य इक्विटी		**47886.61**		39364.35

अन्य रिज़र्व की प्रकार और उद्देश्य

रिजर्व पूंजी

रिजर्व पूंजी पूंजीगत लाभ से बनाया गया है, इसे कुछ विशिष्ट पूंजीगत लेनदेन से अर्जित लाभ द्वारा बनाया गया है। आरक्षित पूंजी शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ में से बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व बनाया जाना है। इस रिजर्व को बांड के रिडेम्प्शन तक बनाए रखा जाता है।

अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) रिजर्व

कंपनी ने अन्य विस्तृत आय में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने के लिए इक्विटी प्रतिभूतियों को चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा किए जाते हैं। प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता ख़त्म होने पर कंपनी इस रिजर्व से प्रतिधारित आय में राशि स्थानांतरित करती है।

24: उधार – गैर चालू

(₹ करोड़ में)

				31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सुरक्षित					
प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	**परिपक्वता तिथि**	**कॉल/पुट विकल्प (वार्षिक)**	**प्रतिभूति संदर्भ**		
9.35%	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)	**455.00**	455.00
8.80%	26–अक्टूबर–2025		(क, ख)	**42.00**	56.00
9.00%	14–अक्टूबर–2024		(क)	**1000.00**	1000.00
8.75%	15–सितंबर–2024		(क, ग)	**50.00**	50.00
8.70%	25–अगस्त–2024		(क)	**-**	300.00
8.30%	3–अगस्त–2023		(क)	**800.00**	800.00
8.30%	1–अगस्त–2023		(क)	**1200.00**	1200.00
8.35%	19–नवंबर–2022		(क)	**-**	1185.00
9.30%	25–मई–2022		(क, ज)	**-**	72.00
कुल बांड				**3547.00**	5118.00
बैंकों से सावधि ऋण					
भारतीय मुद्रा (रुपया) में ऋण			(छ)	**4100.00**	10362.50
विदेशी मुद्रा ऋण			(छ)	**-**	1904.92
				7647.00	17385.42
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा ऋण					
1 केएफडब्ल्यू, जर्मन			(घ)	**278.18**	308.04
2 नटेक्सिस बैंक			(ड.)	**6.47**	8.95
इस्पात विकास निधि			(च)	**204.16**	204.16
				488.81	521.15
कुल गैर वर्तमान ऋण				**8135.81**	17906.57

निदेशकों और अन्य द्वारा कोई ऋण गारंटी नहीं दी गई है।

उधार और उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तिथि को कोई अप्राप्ति नहीं है।

सभी बॉन्ड परिपक्वता तिथि पर चुकाए जाने तक देय होते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बॉन्ड सुरक्षित हैं:

क) मौजे–वेदज सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि शामिल है जिसमें यह स्थापित है, इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) से संबंधित है, पारी–पासू इंटर–से पारस्परिक शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित है।

ख) 26 अक्टूबर, 2014 से शुरू होने वाले प्रत्येक 14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में भुनाया जा सकता है। 26 अक्टूबर, 2022 को देय किस्त को वर्तमान उधारों में दिखाया गया है।

ग) 15 सितंबर 2024 को भुनाया जा सकता है।

घ) ऋण 8.75% की कम वार्षिक ब्याज दर पर 1 (ए), 1 (बी) और 1 (सी) के रूप में वर्णित 3 हिस्सों में लिया गया था। 1 (ए) पर ब्याज 0.75% वार्षिक है और शेष 8% विनिमय उतार–चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने की दिशा में है। 1 (बी) के मामले में ब्याज 0.75% वार्षिक और शेष 8.0% परिधीय विकास की ओर है। किश्त 1 (सी) पूरी तरह से चुका दिया गया है। मूलधन और ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने है। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

ड.) ऋण 2030 तक चुकाने योग्य है। भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत मूलधन और ब्याज का भुगतान छमाही में किया जाता है।

च) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।

छ) ऋण की सीमा तक आरएसपी के वर्तमान और भविष्य के चल संयंत्र और मशीनरी पर पारी–पासू रैंकिंग शुल्क द्वारा सुरक्षित।

ज) 25 मई, 2018 से 5 समान वार्षिक किश्तों में भुनाया जा सकता है। 25 मई, 2022 को देय किस्त को वर्तमान उधारों में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
25: व्यापार देय – गैर वर्तमान		
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के कारण (नोट 43.2 देखें)	-	-
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	-	-
	-	-
26: अन्य वित्तीय देयताएँ – गैर वर्तमान		
कर्मचारी संबंधित देय	**703.70**	527.19
ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	**449.80**	573.20
अन्य देनदारियां	**236.78**	130.68
	1390.28	1231.07
27: प्रावधान – गैर वर्तमान		
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	**3383.61**	2945.06
पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**1381.38**	1041.46
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**19.41**	15.07
खानों के बंद होने के लिए प्रावधान	**131.58**	99.25
अन्य प्रावधान	**415.04**	425.05
	5331.02	4525.89
28: अन्य देयताएँ – गैर वर्तमान		
आस्थगित आय *	**426.73**	439.97
अन्य देय	**2256.09**	-
	2682.82	439.97

***आस्थगित आय में शामिल हैं:**

(क) इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किए गए पुरस्कार शामिल है और निधि से कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

(ख) इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उन्नयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹294.82 करोड़ की अनुदान राशि में से ₹3.52 करोड़ के बराबर राशि को 'अन्य आय' मद के तहत मान्यता दी गई है। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 20 के अनुसार ऐसे अनुदानों के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

29: उधार – वर्तमान

सुरक्षित		
मांग पर प्रतिदेय		
बैंकों से'	**3302.98**	3504.00
अन्य ऋण और अग्रिम		
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	**1296.86**	1851.22
असुरक्षित		
बैंकों से	**650.00**	7250.00
वाणिज्यिक पत्र	-	5096.24
	5249.84	17701.46

*** 31 मार्च, 2022 को बकाया अल्पकालिक उधार के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण:**

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार सुरक्षित हैं:

(i) सभी मौजूदा संपत्तियों का हाइपोथेकेशन है।

30: व्यापार देय – वर्तमान

सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को देय (नोट 48.3 देखें)	**140.65**	103.57
संबंधित पार्टियों को देय राशि	**201.10**	202.71
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**16576.26**	7735.78
	16918.01	8042.06

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
31: अन्य वित्तीय देनदारियां – वर्तमान		
कर्मचारी संबंधी बकाया	**262.46**	228.14
उधार पर ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	**251.12**	479.93
अर्जित ब्याज और इस्पात विकास निधि ऋण पर देय	**280.00**	152.00
अन्य देनदारियां – देनदार बैंकिंग व्यवस्था	**351.34**	462.77
अनधिकृत परिपक्व जमा और उस पर अर्जित ब्याज	**1.01**	1.01
सुरक्षा जमा	**1636.02**	1636.02
अप्रदत्त लाभांश	**368.29**	4.11
पूंजीगत कार्यों के लिए देय	**2630.09**	2630.09
अन्य देय*	**6228.00**	5295.04
	11610.62	10889.11

*अन्य देय राशियों में पूर्व कर्मचारियों के संबंध में देय राशि, रॉयल्टी और प्रदर्शन संबंधी वेतन आदि शामिल हैं।

32: अन्य देयताएँ – वर्तमान		
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय	**1844.34**	1836.80
अन्यों से अग्रिम प्राप्त आय	**97.46**	135.33
विलंबित आय*	**17.35**	12.93
देय जीएसटी	**1200.06**	1168.11
जीएसटी पर ब्याज के लिए देयता	**2.58**	0.76
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से टीडीएस काटा गया	**40.94**	22.48
अन्य देनदारियां	**874.02**	2951.40
	4076.75	6127.81

* भिलाई स्टील प्लांट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान की गई पुरस्कार की आय और निधि से आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

33: प्रावधान – वर्तमान		
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	**143.45**	262.59
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**221.76**	116.15
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**1.73**	2.50
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान	**42.02**	37.12
विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान	**35.91**	24.57
मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	**-**	1183.90
खनन वनीकरण/बहाली आदि के लिए प्रावधान	**176.43**	101.60
अन्य प्रावधान	**549.17**	311.41
	1170.47	2039.84

34: वर्तमान कर देयता (निवल)

प्रारंभिक शेष	**12.06**		179.50	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	**-**		11.55	
घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान/हस्तांतरित राशि	**6.20**		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया	**5.86**	**-**	178.99	12.06
		-		12.06

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
35: संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	**95700.30**	62211.75
निर्यात	**6988.42**	6109.57
निर्यात प्रोत्साहन	**116.41**	131.02
उप जोड़ (क)	**102805.13**	68452.34
सेवाओं की बिक्री		
सेवा प्रभार	**24.38**	20.57
उप जोड़ (ख)	**24.38**	20.57
अन्य प्रचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	**318.05**	308.26
खाली / कबाड़ की बिक्री।	**106.79**	79.74
विविध	**218.97**	249.11
उप जोड़ (ग)	**643.81**	637.11
जोड़ (क + ख+ ग)	**103473.32**	69110.02

राजस्व का पृथक्करण

माल और सेवाओं का स्वरुप

कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और केवल कंपनी उसी खंड का रिपोर्ट है।

(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत के अन्दर	**95700.30**	62211.75
भारत के बाहर	**7104.83**	6240.59
कुल	**102805.13**	68452.34
(2) मुख्य उत्पाद		
लोह एवं इस्पात	**98004.53**	65211.87
अन्य द्वितीयक एवं प्रति उत्पाद	**4800.60**	3240.47
कुल	**102805.13**	68452.34

अनुबंध शेष

निम्न तालिका ग्राहकों से प्राप्तियों के अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो 'व्यापार प्राप्य' में शामिल हैं।

व्यापार प्राप्य	**4736.83**	8138.84
अनुबंधित संपत्ति	**-**	-
अनुबंध देयताएं	**1844.34**	1836.80

36: अन्य आय		
ब्याज आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	**-**	0.55
ग्राहकों	**169.89**	141.45
कर्मचारियों	**6.36**	8.84
बैंक के जमा	**26.60**	1.78
अन्य	**76.26**	115.35
उप जोड़ (क)	**279.11**	267.97
लाभांश आय		
सहायक कंपनियों से लाभांश	**5.30**	-
निवेश से लाभांश	**187.69**	160.81
(निवेशों से लाभांश, ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य शामिल है)		
उप जोड़ (ख)	**192.99**	160.81
निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ उप जोड़ (ग)	**0.08**	4.47
अन्य गैर–प्रचालन आय		
सब्सिडी, राहत और रियायत	**0.28**	-
सरकार से प्राप्त अनुदान	**4.67**	1.15
प्रावधान जिनको अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है	**62.75**	160.42
वापस लिखित अन्य देनदारियां	**288.75**	122.68
परिसमापन हर्जाना	**136.67**	119.11
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (निवल)	**-**	104.17
अन्य	**76.73**	70.91
	569.85	578.44
घटा: गैर–परिचालन आय के कारण व्यय	**-**	-
उप कुल (घ)	**569.85**	578.44
जोड़ (क+ख+ग+घ)	**1042.03**	1011.69

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
37 : उपभुक्त सामग्री की लागत			
कच्चा लोहा		**9388.84**	5217.77
कोयला		**33761.24**	17422.64
कोक		**52.06**	13.88
चूना पत्थर		**1764.00**	1423.86
डोलोमाइट		**710.04**	464.39
फेरो मैंगनीज		**271.32**	174.80
फेरो सिलिकोन		**393.60**	224.07
सिलिको मैंगनीज		**2002.02**	1270.09
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील का तार		**0.83**	1.39
जस्ता		**128.17**	87.78
एल्युमीनियम		**528.04**	292.41
अन्य		**2204.47**	1456.70
		51204.63	28049.78
कमः अंतर खाता समायोजन		**8428.17**	4913.61
		42776.46	23136.17

38 : तैयार वस्तुओं और प्रगति कार्य व सह उत्पादों की इनवेंटरी में बदलाव

38क : तैयार वस्तुओं और प्रगति कार्य की इनवेंटरी में बदलाव

आरंभिक स्टॉक			
तैयार माल		**4506.53**	8912.92
कार्य प्रगति पर		**2399.45**	2478.08
		6905.98	11391.00
कमः बंद हुआ स्टॉक			
तैयार माल		**4880.55**	4506.53
कार्य प्रगति पर		**2397.75**	2399.45
		7278.30	6905.98
स्टॉक में वृद्धि (–)/ कमी	**(क)**	**(372.32)**	4485.02

38ख : सह उत्पादों की इनवेंटरी में बदलाव

उप ग्रेड कच्चा लोहा फाइन्स			
आरंभिक स्टॉक			
कच्चा लोहा फाइन्स (उप ग्रेड)		**4337.29**	3791.18
कमः बंद हुआ स्टॉक			
कच्चा लोहा फाइन्स (उप ग्रेड)		**4249.96**	4337.29
संचय (–)/स्टॉक में कमी	**(ख)**	**87.33**	(546.11)
कम : असाधारण वस्तुओं के रूप में माना जाने वाला कोविड 19 प्रभाव का उत्क्रमण	**(ग)**	**-**	(329.67)
स्टॉक में कुल वृद्धि (–)/ कमी	**(क)+(ख)+(ग)**	**(284.99)**	4268.58

39: कर्मचारी लाभ व्यय *

वेतन – मजदूरी	**9230.60**	8074.59
छुट्टी नकदीकरण	**1163.89**	586.53
भविष्य निधि और अन्य धन में कंपनी का योगदान	**1309.10**	1053.85
यात्रा रियायत	**62.82**	19.58
कल्याण व्यय	**845.29**	434.16
ग्रेच्यूटी	**234.54**	277.23
	12846.24	10445.94
***कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय को ऊपर शामिल नहीं किया गया है और चार्ज किया गया है:**		
निर्माण के दौरान व्यय	**102.14**	83.79

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देख

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
40: वित्त लागत		
वित्त लागत		
विदेशी पूंजी ऋण *	**135.71**	209.32
गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	**392.26**	474.16
बैंक उधार – कामकाजी पूंजी	**8.57**	6.24
इस्पात विकास निधि ऋण	**3.50**	4.08
अन्य बैंक ऋण और वाणिज्यिक पत्र	**972.10**	2095.93
अन्य उधार लागत	**185.74**	27.41
	1697.88	2817.14
*विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव सहित ₹90.96 करोड़ की हानि (31 मार्च, 2021 को ₹5.47 करोड़ लाभ)।		
ब्याज और वित्त प्रभारों पर व्यय जो ऊपर शामिल नहीं है और निर्माण के दौरान व्यय के लिए प्रभारित है:		
विदेशी मुद्रा ऋण	**1.89**	74.71
गैर परिवर्तनीय बांड	**75.42**	88.40
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज	**1.10**	1.33
अन्य बैंक ऋण	**115.12**	384.72
	193.53	549.16

41: अन्य व्यय

स्टोर और पुर्जों की खपत				
खपत	**5144.98**		4221.90	
कमः विभागीय निर्मित स्टोरज	**658.59**		590.99	
कमः तैयार उत्पाद को स्टोरेज तथा स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से उपभोग किया	**552.74**	**3933.65**	404.76	3226.15
मरम्मत और रख–रखाव				
इमारतें	**253.99**		217.32	
संयंत्र और मशीनरी	**1233.64**		1058.09	
अन्य	**387.90**	**1875.53**	354.13	1629.54
संचालन व्यय				
कच्चा माल	**594.48**		481.39	
स्क्रैप वसूली	**348.00**	**942.48**	312.51	793.90
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षण शुल्क	**3.05**		2.10	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.65**		0.59	
अन्य सेवाओं में	**1.39**		1.59	
कर्मचारी द्वारा किया गया व्यय	**0.50**	**5.59**	0.18	4.46
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, ऋण और अग्रिम	**98.24**		92.69	
निवेश	**-**		1.58	
स्टोर, स्पेयर्स और विविध व्यय	**258.60**	**356.84**	167.68	261.95
बिजली और ईंधन		**6966.92**		5709.46
मालभाड़ा बाहर की ओर		**2669.38**		2075.91
रॉयल्टी और सेस		**7060.09**		2398.85
रूपांतरण शुल्क		**116.87**		143.67
विलंब शुल्क और घाट शुल्क		**63.02**		36.44
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर		**164.52**		145.78
बीमा		**74.80**		69.87
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		**15.65**		15.71
छपाई और स्टेशनरी		**9.88**		8.30
दर और कर		**81.70**		39.08
किराया		**12.75**		16.22
सुरक्षा खर्च		**745.61**		727.17
यात्रा खर्च		**124.64**		109.54
कानून शुल्क		**23.75**		18.23
प्रशिक्षण खर्च		**58.12**		45.14
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय (नोट – 49.7 को देखे)		**94.24**		47.18
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)		**216.75**		-
स्थिर संपत्तियों की बिक्री/स्क्रैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)		**21.71**		37.74
लेखापरीक्षा शुल्क की लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति		**0.09**		0.08

41: अन्य व्यय (जारी)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बट्टे खाता – विविध	-	15.81
चालन व्यय – तैयार माल	**192.49**	172.47
बिक्री एजेंटों को कमीशन	**15.86**	14.98
निर्यात बिक्री व्यय	**140.60**	188.50
विविध	**829.93**	579.15
	26813.46	18531.28

41क: असाधारण मदें

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	-	103.70
प्रवेश कर और अन्य बकाया	-	167.54
कच्चा लोहा फाइन का कोविड–19 प्रभाव उत्क्रमण (उप–ग्रेड)	-	(329.67)
अन्य – नोट 47.8(क) देखें,	**353.41**	-
	353.41	(58.43)

41ख: प्रति शेयर अर्जन

वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	**12015.04**	3850.02
इक्विटी शेयरों की संख्या	**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर कमाई – मूल और मन्दित (₹)	**29.09**	9.32
प्रति शेयर शेयर मूल्य (₹)	**10.00**	10.00

42: वित्तीय विलेख

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के वक्तव्य में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट को पर्यवेक्षण के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

स्तर 1: वित्तीय प्रपत्रों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा के उपयोग पर अधिकतम विश्वास करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो प्रपत्र स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	-
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	-	-	-	-
गैर उद्धृत	-	-	172.85	172.85
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**-**	**172.85**	**172.85**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**-**	**-**

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	254.40	-	254.40
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	-	-	-	-
गैर उद्धृत	-	-	147.98	147.98
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**254.40**	**147.98**	**402.38**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**-**	**-**

iii) **वित्तीय संपत्ति और देनदारियां – जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है** (₹ करोड़ में)

	स्तर 1	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
		कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य	कैरिंग मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	स्तर–3	**602.64**	**837.76**	672.87	895.03
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	स्तर–2	-	-	254.40	254.40
इक्विटी उपकरण					
उद्धरित	स्तर–1	-	-	-	-
गैर उद्धृत'	स्तर–3	**172.85**	**172.85**	147.98	147.98
Total financial assets		**775.49**	**1010.61**	1075.25	1297.41
वित्तीय देनदारियां					
अन्य देय उधार (पट्टा देयता सहित)	स्तर–3	**18616.36**	**18764.70**	39344.48	39495.91
अन्य देनदारियाँ	स्तर–3	**11668.64**	**11787.70**	10452.28	10660.46
व्युत्पन्न देयता	स्तर–2	-	-	-	-
कुल वित्तीय संपत्तियां		**30285.00**	**30552.40**	49796.76	50156.37

* पहले से ही उचित मूल्य पर

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय प्रपत्रों का मूल्य निर्धारित करने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य इसी तरह के उपकरणों के लिए डीलर या काउंटरपार्टी उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर फारवर्ड की दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधार के बही मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का बही मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ङ) निश्चित ब्याज दर की वित्तीय संपत्तियों और देयताएं (वित्त पट्टे दायित्वों सहित) जो परिशोधित लागत पर हैं, का उचित मूल्य तुलन–पत्र तिथि को समान संपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के समान नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

(v) गैर उद्धृत निवेश:

गैर उद्धृत इक्विटी निवेश का उचित मूल्य अनुमान स्तर–3 में शामिल हैं और निवेषक कंपनी की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित हैं। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उपयुक्त अनुमान है, इसलिए उचित मूल्यों के संबंध में कोई बदलाव नहीं आया है।

(vi) निम्न तालिका स्तर–3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय प्रपत्रों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है: (₹ करोड़ में)

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2020 तक	**131.31**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ	16.67
31 मार्च, 2021 तक	**147.98**
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त लाभ	24.87
31 मार्च, 2022 तक	**172.85**

43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	अमूर्त लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	अमूर्त लागत
वित्तीय संपत्ति						
निवेश						
इक्विटी प्रपत्र*	-	**172.85**	-	-	147.98	-
व्यापार स्वीकार प्राप्य	-	-	**4736.83**	-	-	8138.84
नकद और नकद समकक्ष	-	-	**59.76**	-	-	468.40
अन्य बैंक शेष	-	-	**588.07**	-	-	212.12
ऋण	-	-	**602.64**	-	-	672.87
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	254.40	-	-
अन्य प्राप्तिया	-	-	**1579.51**	-	-	1676.91
कुल	-	**172.85**	**7566.81**	254.40	147.98	11169.14
वित्तीय देनदारियां						
उधार (पट्टा देयता सहित)	-	-	**18616.36**	-	-	39344.48
व्यापार देय	-	-	**16918.01**	-	-	8042.06
अन्य देनदारियां	-	-	**11668.64**	-	-	10452.28
कुल	-	-	**47203.01**	-	-	57838.82

*संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों की इक्विटी में निवेश भारतीय लेखा मानक–27 "अलग वित्तीय विवरण" के अनुसार लागत पर लिया गया है और इसलिए यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ii) जोखिम प्रबंधन

वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में विभिन्न जोखिमों का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को श्रेणीवार टिप्पणी–43 (i) में सारांशित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वयित किया जाता है और अस्थिर वित्तीय बाजारों की जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित करता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश को स्थायी रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रबंधन किया जाता है। कंपनी सक्रिय रूप से सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न नहीं है और न ही यह विकल्प लिखती है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक प्रतिपक्षी कंपनी के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करने में विफल रहती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में इस जोखिम का सामना करती है, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां देना, जमा करना आदि। कंपनी के क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों की बही मूल्य राशि तक ही सीमित है।

– नकद और नकद समकक्ष
– डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्र
– व्यापार प्राप्य
– अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो परिशोधित लागत पर मापी जाती है

कंपनी लगातार व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने जाने वाले ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफ़ॉल्ट पर नजर रखती है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। जहां ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट उचित लागत पर उपलब्ध है, कंपनी द्वारा इसे प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षियों के साथ व्यापार करना है।

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नगद और नगद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम केवल उच्च रेटेड बैंकों में खाते और विविध बैंक जमा को स्वीकार करके प्रबंधित किया जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को उच्च रेटेड बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्षियों के रूप में केवल इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करके प्रबंधित किया जाता है। कंपनी अपनी होल्डिंग्स को कई प्रतिपक्षियों के साथ विविधता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके। व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली "ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि परिभाषित सीमाओं के अंदर है।

ख) अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है

व्यापार प्राप्य

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान करती है और प्रत्येक श्रेणी की व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है:

व्यापार प्राप्तियों की एजिंग पर वर्णनात्मक नोट के लिए, नोट 48.4 (ख) देखें।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

कंपनी किसी भी संभावित क्रेडिट हानि के लिए व्यक्तिगत वित्तीय प्रपत्रों का आकलन करके "व्यापार प्राप्तियों के अलावा और ऋण अग्रिम" पर क्रेडिट हानि के लिए राशि प्रदान करती है। चूंकि इस श्रेणी में विविध प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्तियां शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि कंपनी सभी के लिए लगातार लागू करने के लिए आकर्षित कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति शुरुआती मान्यता पर 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानि प्रदान करती है और क्रेडिट जोखिम में व्यापक वृद्धि होने पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है। कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम क्रेडिट जोखिम प्रकृति को देखते हुए अपेक्षित हानि आधारित क्षति नहीं है, यद्यपि इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के तहत हानि प्रावधानों का खुलासा किया गया है।

ख) नकदी जोखिम

दूरदर्शी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता। व्यापार की प्रकृति के कारण, कंपनी प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर वित्त पोषण में लचीलापन रखती है। प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी की स्थिति और नकद और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों पर नज़र रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकद प्रवाह प्रक्षेपण करना और इनको पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं के लिए बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी अनुबंधिक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है और तालिका में प्रकट राशि संविदात्मक गैर रियायती नकदी प्रवाह होती है। 12 महीने के भीतर देय शेष राशि उनके वाहक शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का असर महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधार (पट्टा देयता व्यापार देय सहित)	5815.58	2427.08	1374.61	5761.01	15378.28
अन्य देनदारियां	16190.27	94.68	94.39	538.67	16918.01
व्यापार देनदारियां	9495.61	115.65	82.11	289.18	9982.55
कुल	**31501.46**	**2637.41**	**1551.11**	**6588.86**	**42278.84**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	जोड़
गैर–डेरिवेटिव					
उधार (पट्टा देयता व्यापार देय सहित)	20442.47	3668.88	4566.41	12977.14	41654.90
अन्य देनदारियां	7661.09	264.48	59.63	56.87	8042.07
व्यापार देनदारियां	6587.91	82.86	71.73	200.54	6943.04
कुल	**34691.47**	**4016.22**	**4697.77**	**13234.55**	**56640.01**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देयता (निवल निपटान)	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

ग) बाजार ज़ोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अधिकांश लेनदेन भारतीय रुपए में किए जाते हैं। मुद्रा विनिमय दरों के एक्सपोजर कंपनी की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर (यूएसडी)में अंकित होते हैं।

कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए, गैर–आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। आम तौर पर, कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लंबी अवधि के नकद प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकद प्रवाह (6 महीने तक देय) को अलग करती हैं। जहां एक विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली राशि और प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, वह बड़े पैमाने पर एक–दूसरे को ऑफसेट करने की उम्मीद होती है और आगे हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के लिए किए जाते हैं जिन्हें अन्य समान मुद्रा लेन–देन द्वारा ऑफसेट होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम जोखिमः

समीक्षाधीन अवधि के अंत में कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम के लिए महत्वपूर्ण एक्सपोजर ₹ करोड़ में व्यक्त किए गए हैं:

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय संपत्ति				
व्यापार स्वीकार योग्य	**149.70**	-	183.03	-
नकद और नकद समतुल्य	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
डेरीवेटिव वित्तीय संपत्ति (उधार हेज के लिए सम्पूर्ण राशि)	-	-	-	-
अन्य देनदारियां	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (संपत्ति) के लिए शुद्ध जोखिम	**149.70**	-	183.03	-
वित्तीय देनदारियां				
ऋण	-	**310.51**	2285.28	343.39
व्यापार स्वीकार योग्य	**11257.64**	**84.71**	2825.55	351.48
अन्य देनदारियां	**179.76**	**230.10**	27.18	75.92
विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियों) के लिए शुद्ध जोखिम	**11437.40**	**625.32**	5138.01	770.79

संवेदनशीलता

निम्नलिखित तालिका कंपनी की वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनिमय दर और यूरो/आईएनआर विनिमय दर 'अन्य सभी चीजों के बराबर' के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए पर आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर का +/- 4.65% परिवर्तन मानता है (वर्ष 2021: 4.69%)। आईएनआर/यूरो विनिमय दर के लिए +/- 5.63% परिवर्तन (वर्ष 2021: 6.78%) माना जाता है। इन दोनों प्रतिशतों को पिछले 12 महीनों में विनिमय दरों में औसत बाजार अस्थिरता के आधार पर निर्धारित किया गया है। संवेदनशीलता विश्लेषण प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आयोजित कंपनी के विदेशी मुद्रा वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होता है और मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन से होने वाले प्रभावों को ऑफ़सेट करने वाले खाते के फॉरवर्ड विनिमय अनुबंध भी ध्यान में रखता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर/युएसडी–4.65% की वृद्धि (31 मार्च 2022)	**529.39**	-
आईएनआर/युएसडी–4.65% की कमी (31 मार्च 2022)	**(529.39)**	-
आईएनआर/युएसडी–4.69% की वृद्धि (31 मार्च 2021)	-	280.02
आईएनआर/युएसडी–4.69% की कमी (31 मार्च 2021)	-	(280.02)
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर/युरो–5.63% की वृद्धि (31 मार्च 2022)	**42.40**	-
आईएनआर/युरो–5.63% की कमी (31 मार्च 2022)	**(42.40)**	-
आईएनआर/युरो–6.78% की वृद्धि (31 मार्च 2021)	-	58.35
आईएनआर/युरो–6.78% की कमी (31 मार्च 2021)	-	(58.35)

ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर दी जाती हैं। 31 मार्च, 2022 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में कंपनी के निवेश सभी सावधि ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। कंपनी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों का प्रभाव महत्त्वहीन माना जाता है। निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन +/- 1%) (वर्ष 2021: +/- 1%) के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को धारित वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य सभी चर स्थिर रहे हैं।

i) **देयताएं**

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। 31 मार्च, 2022 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है।

ब्याज दर जोखिम अनावृत्ति

ब्याज दर के जोखिम के लिए कंपनी का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफ़सेट एक्सपोजर को छोड़कर) –	**8052.98**	11022.50
निश्चित दर उधार	**5332.67**	28321.98
कुल उधारी	**13385.65**	39344.48

संवेदनशीलता

ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता नीचे दी गई है। **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ब्याज दर संवेदनशीलता		
ब्याज दर–100 आधार अंको की बढ़ोतरी	**80.53**	110.23
ब्याज दर–100 आधार अंको की कमी	**(80.53)**	(110.23)

ii) **परिसंपत्तियां**

कंपनी की सावधि जमा परिशोधित लागत पर की जाती है और निश्चित दर जमा होती हैं। इसलिए वे लेखा मानक–107 में परिभाषित ब्याज दर के जोखिम के अधीन नहीं हैं, क्योंकि बाजार ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वाहक राशि और न ही भविष्य में नकद प्रवाह में उतार–चढ़ाव होगा।

ब्याज दर जोखिम अनावृत्ति

वित्तीय संपत्ति का समग्र जोखिम नीचे दिया गया है: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनीय दर जमा/ ऋण	**-**	-
जमा/ ऋणों पर निश्चित दर	**1190.71**	884.99
कुल जमाराशि	**1190.71**	884.99

ग) **मूल्य जोखिम**

अनावृत्ति

कंपनी अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम का सामना करती है (नोट–8 देखें)। कंपनी शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानती है, इसलिए तुलन–पत्र तिथि पर बकाया एक्सपोजर पर मूल्य जोखिम की समस्या नहीं आती है।

44: पूंजी प्रबंधन

कंपनी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य निम्नलिखित हैं

– एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता सुनिश्चित करना

– शेयरधारकों को पर्याप्त लाभ प्रदान करना

कंपनी तुलन–पत्र में प्रस्तुत इक्विटी की वाहक राशि से कम नकद और नकद समकक्षों के आधार पर पूंजी पर नज़र रखती है। प्रबंधन अत्यधिक लाभ उठाने से बचते हुए एक कुशल समग्र वित्त पोषण संरचना को बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। यह कंपनी के ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तर को ध्यान में रखता है। कंपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों की जोखिम विशेषताओं के आलोक में समायोजन करती है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, कंपनी शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की राशि समायोजित कर सकती है, शेयरधारकों को पूंजी वापस कर सकती है, नए शेयर जारी कर सकती है, या ऋण को कम करने के लिए संपत्ति बेच सकती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
शुद्ध ऋण	17968.53	38663.96
कुल इक्विटी	52017.14	43494.88
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	**0.35**	**0.89**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इक्विटी शेयर		
सामान्य शेयर	**2684.84**	413.05
(i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया गया:		
क) ₹1652.21 करोड़ की कुल राशि के लिए पहला लाभांश ₹4 प्रति इक्विटी शेयर		
ख) ₹1032.63 करोड़ की कुल राशि के लिए ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर की दर से दूसरा लाभांश	**929.37**	743.50
(ii) रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश मान्यता प्राप्त नहीं है		

45: गिरवी रखी परिसंपत्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
वर्तमान		
इंवेंटरीज और व्यापार प्राप्तियां (वचनबद्ध सीमा तक)	**3302.98**	3504.00
गैर वर्तमान		
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति)–आरएसपी इस्पात संयंत्र (वचनबद्ध सीमा तक)	**4100.00**	12267.42
शहर तालुका मौज–वाडेज, जिला अहमदाबाद, गुजरात की भूमि और संयंत्र और मशीनरी – आईएसपी भूमि सहित जिस पर वह मौजूद है	**3547.00**	5118.00

46: प्रभावशाली कर मिलान

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
कर पूर्व लाभ	**16038.72**	6879.03
घरेलू कर दर	**25.168%**	25.168%
संभावित कर व्यय (क)	**4036.63**	1731.31
कर मुक्त आय / गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**33.00**	11.87
भिन्न कर दर मदों के लिए समायोजन	**-**	(14.57)
पूर्व वर्षों से संबंधित कर	**(45.95)**	1288.22
अन्य –	**-**	12.18
कुल समायोजन (ख)	**(12.95)**	1297.70
वास्तविक कर व्यय (ग = क + ख)	**4023.68**	3029.01
कर व्यय में शामिल हैं:		
वर्तमान कर व्यय	**-**	12.05
आस्थगित कर क्रेडिट	**4023.68**	3016.96
लाभ और हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त कर व्यय	**4023.68**	3029.01

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(i)	कंपनी के विरुद्ध लंबित अपीलीय/ न्यायिक निर्णय के दावे :		
	क) उत्पाद शुल्क	**5796.98**	5498.47
	ख) संयंत्रों से स्टॉकयार्डों को अंतरराज्य स्टॉक हस्तांतरण पर बिक्री कर '	**1115.62**	755.58
	ग) बिक्री कर संबंधी अन्य मामले	**209.43**	561.33
	घ) आयकर	**957.33**	937.96
	ङ) अन्य कर, उपकर और लेवी	**9714.52**	9238.04
	च) सिविल मामले **	**5117.34**	4799.57
	छ) प्रवेश कर	**1793.50**	1747.79
	ज) विविध **	**11401.60**	10058.81
	*कोई देयता उत्पन्न होने की संभावना नहीं है क्योंकि बिक्री कर अंतिम बिक्री पर भुगतान किया गया है।		
	**इसमें ₹13.74 करोड़ (31 मार्च, 2021 तक ₹13.74 करोड़) के दावे शामिल हैं, जिसके विरुद्ध ₹13.74 करोड़ (31 मार्च, 2021 तक ₹13.74 करोड़) के दावे हैं।		
(ii)	कंपनी के विरुद्ध अन्य दावे को ऋण के रूप में नहीं माना गया:		
	क) बिक्री कर	**88.72**	119.23
	ख) शुल्क, उपकर और लेवी	**376.12**	323.12
	ग) सिविल मामले	**165.34**	6.94
	घ) विविध#	**2695.28**	3437.47
	#इसमें ₹ शून्य करोड़ के दावे शामिल हैं (31 मार्च, 2021 तक ₹100.94 करोड़, जिसके खिलाफ ₹ शून्य करोड़ (31 मार्च, 2021 तक ₹103.95 करोड़) के दावे हैं।		
(iii)	संयुक्त उद्यम कंपनी पर विवादित आय कर/सेवा कर/अन्य मांग, जिनके लिए कंपनी उद्यम करार के तहत आकस्मिक रूप से उत्तरदायी हो सकती हैं	**48.86**	61.63
(iv)	ग्राहकों से आहरित बिल तथा बैंकों में भुनाया गया	**39.84**	255.35
(v)	संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वृद्धि संबंधी दावे तथा कर्मचारियों द्वारा दावे	**309.34**	336.32

47.2 **क)** माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 11.11.2016 के अपने फैसले की विवेचना की, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए प्रवेश कर अधिनियमों की लेवी की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और विचार के लिए सिद्धांतों या परीक्षणों को निर्धारित किया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, इस संबंध में मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों/सौंपे गए प्राधिकारियों की नियमित पीठों के समक्ष लंबित हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में प्रवेश कर के उद्ग्रहण पर अन्य न्यायालयों की नियमित पीठों द्वारा लंबित निर्णयों के तहत प्रवेश कर की मांग ₹1092.28 करोड़ के विवाद के तहत, 31 मार्च, 2022 तक क्रमशः ₹241.00 करोड़ और ₹86.23 करोड़ यानी कुल मिलाकर ₹1419.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1092.28 करोड़, ₹241.00 करोड़ और ₹40.14 करोड़ क्रमशः 31 मार्च, 2021 तक कुल ₹1373.42 करोड़) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है और इसमें ऊपर दिया गया नोट संख्या में 47.1 (i) (ज) शामिल हैं।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2009–14 के लिए बिजली शुल्क की अनंतिम टैरिफ याचिका से संबंधित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में कंपनी (बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित) द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया– कानून का सवाल खुला रखते हुए 18 जनवरी, 2017 को आदेश दिया गया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) की तारीख 7/8/2013 की तिथि 2009–14 के टैरिफ से संबंधित याचिका सं. 275/जीटी/2012 के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) (2014 की अपील संख्या 18) के समक्ष चुनौती दी गई है। जिसमें कंपनी ने भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लंबित है। इसके अलावा, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2004–05 से 2008–09 के टैरिफ से संबंधित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा दायर सिविल अपील के संबंध में, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जो टैरिफ के निर्धारण के लिए कुछ मापदंडों पर विचार करने के मद्देनजर भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी प्रभाव डाल सकता है। तदनुसार, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीएल द्वारा निर्देशित खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसका वित्तीय निहितार्थ केवल एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए जहां ₹587.72 करोड़ का विवाद उत्पन्न होता है, डीवीसी ने 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ नवंबर, 2020 में अपना खुदरा शुल्क आवेदन दायर किया और साथ ही 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की मांग की। कंपनी ने डीवीसी के उक्त आवेदन पर 28.12.2020 को भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। ऐसे विद्युत शुल्कों का लंबित निर्धारण, 31 मार्च, 2022 (31 मार्च, 2021 तक, ₹587.72 करोड़) तक ₹587.72 करोड़ के डीवीसी के विवादित दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और इसमें ऊपर दिया गया नोट संख्या 47.1 (i) (छ) शामिल किया गया है। उक्त दावों के खिलाफ, डीवीसी को पूरी राशि का भुगतान किया गया है और अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत खुलासा किया गया है। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2017 से लाभ और हानि के विवरण में पूर्ण चालान मूल्य पर विचार किया गया है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत, झारखंड राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक ₹4690.37 करोड़ (31 मार्च, 2021 तक ₹4356.65 करोड़) की मांग की है, जो कोयले, स्टील और लोहे के वस्तु की लेन–देन मूल्य पर बाज़ार शुल्क के लिए है। जैसा कि मामला उप–न्यायिक है, राशि को नोट नं 47.1 (i) (ड़) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

भारत सरकार द्वारा 03.12.2015 को खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 ('एमएमजीसी नियम') अधिसूचित किए गए थे। यद्यपि उक्त नियमों में पट्टों के विस्तार के लिए किसी धनराशि की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, गुआ के डुआरगैबुरु पट्टे, किरिबुरु–मेघाहातुबुरु के समामेलित पट्टों और चिरिया के धोबिल पट्टे के संबंध में एमएमजीसी नियम 2015 के तहत जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), चाईबासा, झारखंड द्वारा भुगतान की मांग उठाई गई थी। नोटिस के एवज में भुगतान की सामूहिक मांग लगभग ₹2980 करोड़ थी। सेल ने माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिसंबर 2019 कों रिट याचिका दायर करके मांग नोटिस को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.12.2019/20.12.2019 द्वारा ऐसे मांग नोटिसों के संचालन पर रोक लगा दी। इस बीच, झारखंड सरकार ने खान मंत्रालय, सरकार से खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 (एमएमजीसी) के नियम 5 के तहत मांग उठाने के अधिकार /दावे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। खान मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से स्पष्ट किया कि एमएमजीसी नियम, 2015 एक सरकारी कंपनी को दिए गए खनन पट्टों के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं देती है। झारखंड के उच्च न्यायालय, ₹4526.00 करोड़ (31 मार्च, 2021 को ₹3810.71 करोड़) की राशि को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है और जैसा कि मामला उप–न्यायिक है, राशि को नोट नं 47.1 (i) (झ) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

47.4 केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), कोलकाता ने अपने फैसले में, निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और भत्तों के बकाया के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और संशोधित अनुलाभ और भत्तों के ₹309.34 करोड़ की राशि 26.11.2008 से 4.10.2009 की अवधि के लिए अधिकारी के भुगतान

का उचित निर्णय लेगा। इस्पात मंत्रालय ने कंपनी को 7.12.2016 को मामले की सूचना दी। मामले में स्टे याचिका 22.12.2016 को दायर की गई है और माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। जैसा कि मामला उप–न्यायिक है, उपरोक्त नोट 47.1 (v) में राशि को आकस्मिक देयता के रूप में बताया गया है।

47.5 भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) और सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) ने अधिसूचित मूल्य पर 14 जनवरी, 2017 से एक पक्षीय रूप से अधिसूचित मूल्य पर स्वदेशी धुले हुए कोकिंग कोयले की आपूर्तियों का दावा किया गया है जो वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्यों से विपथन है। कंपनी ने सेल और बीसीसीएल और सीसीएल के बीच 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के बीच आपूर्ति के लिए संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कीमतों पर आधारित आपूर्तियों का उल्लेख किया है। बीसीसीएल और सीसीएल के अंतर दावे, एमओयू दरों से अधिक और एकतरफा अधिसूचित दरों पर ₹137.56 करोड़ की राशि, नोट नंबर 47.1 (ii) (घ) में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किए गए हैं।

47.6 (i) दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के अपने पत्र मे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने सं. 11–599/2014 एफसी के तहत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के अंतर्गत गैर–वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के लिए संशोधित दिशा–निर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशा–निर्देशों में विनिर्दिष्ट है कि वन भूमि (आंशिक अथवा पूरी तरह से) वाले मौजूदा खनन पट्टों, जहां एफसी अधिनियम के तहत वन भूमि के एक भाग के लिए ही अनुमोदन प्राप्त किया है, के मामले में कतिपय शर्तों, जो इस प्रकार की वन भूमि के एनपीवी के मामले में एफ सी अधिनियम की धारा 2 (iii) के तहत केंद्र सरकार ने खनन पट्टे में आने वाली संपूर्ण भूमि के लिए निवल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की वसूली शामिल है, इसके के अध्यधीन शेष वन क्षेत्र भूमि के लिए सामान्य अनुमोदन प्रदान किया है।

इस मामले में एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी कंपनी के लिए कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी मत के अनुसार लागू नहीं होंगे और एनपीवी केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करना अपेक्षित होगा जो एमओईएफ एंड सीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन कार्यकलाप किए जाने प्रस्तावित किए गए हैं और संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए नहीं हैं। झारखण्ड उच्च न्यायालय में संपूर्ण वन क्षेत्र के लिए एनपीवी की प्रयोज्यता के मामले को चुनौती दी गई है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में मामले को इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रखने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से पिछले साल प्राप्त ₹96.28 करोड़ की मांग के खिलाफ एक रिट याचिका छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई है।

कंपनी ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पास ₹96.28 करोड़ जमा किए हैं और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है। नोट संख्या 47.1.(i)(ड़) में आकस्मिक देयता के तहत ₹96.28 करोड़ की विवादित राशि का खुलासा किया गया है।

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ राज्य में निकाले गए खनिज पर छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास और पर्यावरणन) उपकार अधिनियम, 2005 और उपकर लगाया। बीएसपी ने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर अधिनियम को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती दी है। हालांकि, बीएसपी ने विरोध के तहत 2021–22 तक ₹190.80 करोड़ जमा कर सरकारी विभाग के पास जमा के रूप में दिखाया है। नोट संख्या 47.1.(i)(ड़) में आकस्मिक देयता के तहत ₹190.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹168.23 करोड़) की कुल विवादित राशि आकस्मिक देयता के तहत प्रकट की गई है।

47.7 दिनांक 2 अगस्त, 2017 के माननीय उच्चतम न्यायालय के अवैध खनन के संबंध में कॉमन कॉज मामले में दिये गये निर्णय के अनुसरण में, मांग/कारण बताओ नोटिस वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन स्वीकृति, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति के बिना और उससे परे उत्पादन किए गए खनिज पदार्थों की कीमत की वसूली करने तथा प्रचालित करने के लिए सहमति से खान एवं खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 की धारा 21(5) के अंतर्गत आगे अधिक उत्पादन के प्रति जारी की गई है। झारखंड और ओडिशा उच्च न्यायालय के समक्ष कंपनी ने अभिप्रायित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्थगन प्राप्त कर लिया है।

(क) चूंकि यह मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और वर्तमान मुकदमे के उलझाव पर विचार करते हुए कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार प्रावधान किया है:

(i) ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा लौह अयस्क के संबंध में क्रमशः ₹345.03 करोड़ और ₹2573.03 करोड़ (31 मार्च, 2021 को ₹311.99 करोड़ और ₹2347.52 करोड़) की राशि (ब्याज सहित)। कंपनी ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित आधार पर ₹329.67 करोड़ (31 मार्च, 2021 तक ₹378.65 करोड़) की राशि प्रदान की है। ऊपर दिए गए नोट नंबर 47.1 (i) (ज) में ₹2588.39 करोड़ की शेष राशि (31 मार्च, 2021 को ₹2280.86 करोड़) (ब्याज सहित) की शेष राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(ii) चूना पत्थर के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹52.35 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹51.01 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि। कंपनी ने आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अनुमानित आधार पर ₹6.86 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹12.20 करोड) राशि प्रदान की है। एक आकस्मिक देयता के रूप में ₹45.49 करोड (31 मार्च 2021 को ₹38.81

करोड) (ब्याज सहित) की शेष राशि को नोट नंबर 47.1 (i) (ज) में माना गया है।

(iii) कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹675.62 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹595.35 करोड़) (ब्याज सहित), खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 55 (5) के तहत संशोधन आवेदन दायर किया गया खनिज रियायत नियम, 1960 की धारा 55 (5) के तहत संशोधन आवेदन खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के साथ पढ़ा गया है। रीविजनल अथॉरिटी, कोयला मंत्रालय ने कंपनी को स्टे प्रदान किया है। एक आकस्मिक देयता के रूप में लंबित निपटान ₹675.62 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹595.35 करोड़) (ब्याज सहित) की शेष राशि को नोट नंबर 47.1 (i) (ज) में माना गया है।

47.8 **(क)** मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा एक पुरस्कार के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में, कंपनी अब अदालत से बाहर निपटान पर विचार कर रही है। तदनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मद के तहत ₹353.41 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है।

ख) अनुबंध से इंटरनेषनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए मेसर्स जेएससी क्रायोजेनमश ने सेल / भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ मामला दायर किया है। 20.07.2018 को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सेल/भिलाई स्टील प्लांट के खिलाफ ₹106.92 करोड़ की राशि प्रदान की है।

माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुरस्कार के खिलाफ, प्रबंधन ने दिल्ली में अपील दायर की है जिसे भर्ती किया गया आकस्मिक देयता के तहत अपील के निपटान में लंबित, नोट नंबर 47.1 (ii) (घ) में ₹133.65 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का खुलासा किया गया है।

47.9 5.545 एकड़ की भूमि की माप डीवीसी को 30 वर्षों के लिए आवंटित की गई थी, यानी लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर 12.07.1966 से, एएसपी के लाभ के लिए बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत सबस्टेशन स्थापित करने के लिए, डीवीसी को भूमि दी गई थी। बाद की अवधि के लिए कोई पट्टा समझौता नहीं था, अर्थात, 13/07/1996 से प्रभावी था। किसी भी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि, उचित निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। निपटान के वर्ष में उसी का हिसाब रखा जाएगा।

47.10 माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, होरोमोटो स्टैंड में भूमि के नोट नंबर 4 (ii) (ख) के तहत पट्टे के नवीकरण (2599.54 एकड़ क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल) के बारे में कंपनी के दावे को खारिज कर दिया गया, 222.54 एकड़ की सतह क्षेत्र को छोड़कर जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के लिए निर्देशित किया गया है।

47.11 मेसर्स गोयल एमजी गैस प्रा. लिमिटेड (दावेदार) और सेल / मिश्र धातु इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (प्रतिवादी) के बीच मध्यस्थता से प्राप्त होने वाली प्रोत्साहन राशि के तौर पर दावे की मांग को बड़े स्कोप में देखते हुए नई दिल्ली में दिनांक 18.05.2020 को पत्र के माध्यम से 22.05.2020 को ₹116.86 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

पूर्वोक्त निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण द्वारा दावा संख्या 1 और 2 की अनुमति दी गई। जिसके तहत दावेदार द्वारा दावा की गई बाजार दर के आधार पर डीएसपी बू प्लांट से एएसपी तक आर्गन के परिवहन शुल्क से संबंधित अंतर राशि और क्रमशः ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन की व्यापारिक बाजार बिक्री के कारण दावेदार के बिलों से एएसपी द्वारा रोकी गई/कटौती की गई राशि की वापसी कुल दावा राशि में से उस पर लागू ब्याज के साथ की जाए।

सेल एएसपी जिला अदालत/वाणिज्यिक अदालत के समक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (अधिनियम) की धारा 34 के तहत पुरस्कार को रद्द करने के लिए एक याचिका दायर करने के लिए और कदम उठाने की प्रक्रिया में है, क्योंकि मुद्दे पुरस्कार देते समय न्यायाधिकरण द्वारा पेटेंट अवैधता से संबंधित हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को ब्याज सहित ₹10.92 करोड़ की शुद्ध विवादित देनदारी को ऊपर बताए गए नोट संख्या 47.1(i)(ख) में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

48.1 **(क) निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि और (अग्रिमों के लिए) प्रदान नहीं की गई हैं:** **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पूंजी प्रतिबद्धताएं	5844.48	5066.03
अन्य प्रतिबद्धताएं	4220.20	4259.28

(ख) निम्नलिखित अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख/पट्टा समझौते (लाइन आइटम 'संपत्ति संयंत्र और उपकरण' और 'उपयोग संपत्ति का अधिकार' के तहत शामिल) कंपनी के नाम पर नहीं हैं:

31 मार्च, 2022 को

क्रमांक	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़)	टाइटल डीड के नाम पर धारित	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/डायरेक्टर आदि है (हां/नहीं)	संपत्ति धारित होने के बाद से दिनांक/माह/वर्ष	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	पंजीकरण लंबित
2	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड सरकार और सेल/बोकारो स्टील प्लांट के बीच एमओयू हस्ताक्षर औपचारिकताओं का इंतजार
3	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित
4	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	11.97	वाइजैग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित
5	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित
6	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित
7	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	3.85	चेन्नई मेट्रो विकास प्राधिकरण	नहीं	06.03.1995	पंजीकरण लंबित
9	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31.03.1984	पंजीकरण लंबित
10	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	23.04	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	नहीं	09.10.2009	पंजीकरण लंबित
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	इमारत	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01.08.2019	पंजीकरण लंबित
12	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.48	राज्य सरकार	नहीं	सितम्बर 1958	अधिकारों के अभिलेखों की प्राप्ति लंबित है(आरओआर)
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.56	राज्य सरकार द्वारा अधि–ग्रहित भूमि के लिए टाइटल डीड निष्पादित नहीं	नहीं	1972 से 1980	राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था
14	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
15	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	15.07	छत्तीसगढ़ सरकार	नहीं	01-03-2013	संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया
16	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.01	एशियाई रेफ्रेक्ट्रीज	नहीं	05-04-1963	उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से पुनर्वास
17	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
18	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-1960	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
19	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1986 से 2008	उत्परिवर्तन लंबित है
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1954-1974	उत्परिवर्तन लंबित है
21	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01.08.2011	99 साल के लिए लीज संपत्ति का अधिकार सेल के नाम पर है
22	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	147.81	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)	नहीं	01.02.2009	यूपीएसआईडीसी, यूपी के साथ मुकदमा
23	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	3.28	ओडिशा सरकार	नहीं	1960 तक	ओडिशा सरकार के साथ पट्टा समझौते का अभाव

31 मार्च, 2021 को

क्रमांक	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़)	टाइटल डीड के नाम पर धारित	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/ डायरेक्टर आदि है (हां/नहीं)	संपत्ति धारित होने के बाद से दिनांक/ माह/वर्ष	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	33.50	विभिन्न पार्टियां	नहीं	लागू नहीं	पंजीकरण लंबित
2	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01.08.2011	99 साल के लिए लीज संपत्ति का अधिकार सेल के नाम पर है
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	लंबित आरओआर
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960 से	झारखंड सरकार और सेल/ बोकारो स्टील प्लांट के बीच एमओयू साइनिंग औपचारिकताओं का इंतजार
5	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित
6	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	11.97	वाइजैग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित
7	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित
9	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित
10	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	3.85	चेन्नई मेट्रो विकास प्राधिकरण	नहीं	06.03.1995	पंजीकरण लंबित
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31.03.1984	पंजीकरण लंबित
12	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	23.04	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	नहीं	09.10.2009	पंजीकरण लंबित
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	इमारत	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01.08.2019	पंजीकरण लंबित
14	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	2.50	राज्य सरकार	नहीं	सितम्बर 1958	राजस्व रिकॉर्ड और अधिकारों के रिकॉर्ड की प्राप्ति के साथ लंबित मिलान (आरओआर)
15	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.56	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए टाइटल डीड निष्पादित नहीं	नहीं	1972 से 1980	राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया गया था
16	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
17	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	15.07	सीजी सरकार	नहीं	01-03-2013	संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया
18	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.01	एशियाई रेफ्रेक्ट्रीज	नहीं	23106.00	उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से पुनर्वास
19	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	22174.00	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
21	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1986 से 2008	उत्परिवर्तन लंबित है
22	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1954-1974	उत्परिवर्तन लंबित है
23	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.24	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1919-1972	उत्परिवर्तन लंबित है
24	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टे पर भूमि	0.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01.08.2011	99 साल के लिए लीज संपत्ति का अधिकार सेल के नाम पर है
25	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	124.74	यूपीएसआईडीसी और ओडिशा सरकार।	नहीं	01.02.2009 और 1960 के बाद से क्रमशः	यूपीएसडीसी के साथ मुकदमा,

48.2 (क) **सीडब्ल्यूआईपी एजिंग शेड्यूल**

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31/03/2022 को सीडब्ल्यूआईपी की राशि*

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीडब्ल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएँ प्रगति पर	833.02	475.39	328.31	2372.72	4009.44
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	0.12	0.65	2.23	4.28	7.28
	कुल	833.14	476.04	330.54	2377.00	4016.72

बैलेंस शीट में प्रारंभिक मान्यता से 31/03/2021 को सीडब्ल्यूआईपी की राशि*

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीडब्ल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	प्रगति पर परियोजनाएँ	1137.81	1536.65	1450.21	4749.93	8874.60
2	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएँ	-	0.01	1.32	2.55	3.88
	कुल	**1137.81**	**1536.66**	**1451.53**	**4752.48**	**8878.48**

*आंकड़े प्रावधान के निवल हैं

(ख) **31 मार्च, 2022 को अतिदेय परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम**

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक
	परियोजनाएँ प्रगति पर				
1	अतिरिक्त नाइट्रोजन कंप्रेसर ऑक्सी संयत्र स्थापना	4.77	-	-	-
2	ब्लास्ट फर्ना के पुराने जीसीपी कूलिंग का नवीनीकरण	5.08	-	-	-
3	स्टील मेल्टिंग शॉप पर लैडल टिल्टर्स	5.07	-	-	-
4	सिंटर प्लांट में ईएसपी–2 और न्यूमेटिक कन्वेक्शन सिस्टम	2.78	-	-	-
5	33केवी/11केवी पूनाबाद सब–स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति	8.95	-	-	-
6	रेलवे पहियों के लिए गतिशील संतुलन मशीन	2.45	-	-	-
7	बीओएफ में एलएफ–1 और एलएफ–2 के लिए बंद शीतल जल परिपथ	5.98	-	-	-
8	ऑक्सी–ईंधन गैस कटिंग टॉर्च द्वारा यांत्रिक कतरनी	5.10	-	-	-
9	कास्ट हाउस टैप होल ड्रिलिंग मशीन और मड गन	11.70	-	-	-
10	ब्लास्ट फर्नेस में चौथे स्टोव का प्रतिस्थापन 4	4.29	-	-	-
11	फर्नेस से बाकी प्लांट तक सह–गैस की डुप्ली लाइन	19.47	-	-	-
12	ब्लास्ट फर्नेस में पीएलसी सिस्टम को बदलना	2.06	-	-	-
13	डब्ल्यूएपी से आरएम तक स्वच्छ गड्ढे के पानी का पुनरावर्तन	0.50	-	-	-
14	सीओसीसी में कूलिंग टॉवर का नवीनीकरण।	-	0.02	-	-
15	सीओसीसी में एएसपी गैस बूस्टर की स्थापना	0.16	-	-	-
16	आरएमएचपी में बाल्टी व्हील ब्लेंडर	17.17	-	-	-
17	कोक में एक नई कोक ओवन गैस की स्थापना	-	0.07	-	-
18	बीओओ आक्सीजन संयंत्र में नियंत्रण केबलों का डायवर्जन	-	-	0.68	-
19	2 नंबर वाटर कम फोम फायर टेंडर की खरीद	0.01	-	-	-
20	इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग यूनिट	3.07			
21	पोर्टेबल ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर	0.37			
22	उद्यम खरीद प्रणाली	0.32			
23	स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप	4.49			
24	रेलवे यार्ड का विकास	8.34			
25	हीरापुर यार्ड में 25 केवी एसी ट्रैक्शन का निर्माण	5.60			
26	फ्लाईओवर का निर्माण	17.40			
27	बीएफ #05 तक इंटरप्लांट बाईपास पाइपलाइन	4.53			
28	सिंटर प्लांट से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और टीआरटी सहित पीबीएस	5.99			
29	सीसीपी, आरएचएफ, डब्ल्यूआरबीएम, यूएसएम, सीसीएएस और ऑक्सीजन संयंत्र से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण	5.23			

48.2 (ख) जारी...

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक
30	बीएफ, बीओएफ और पीबीएस सील पॉट से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण	4.10			
31	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	5.24			
32	एसआरयू आरआरआरपी–पर हैवी मोल्ड हैंडलिंग सिस्टम	1.44			
	अस्थायी रूप से निलंबित परियोजनाएं				
1	डायनामिक व्हील बैलेंसिंग के लिए व्हील हैंडलिंग सिस्टम	-	-	0.66	-
2	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	6.36	-	-	-

31 मार्च, 2021 को अतिदेय परियोजनाओं के लिए सीडब्ल्यूआईपी पूर्णता कार्यक्रम

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक
	परियोजनाएँ प्रगति पर				
1	अतिरिक्त नाइट्रोजन कंप्रेसर ऑक्सी संयत्र स्थापना	-	4.77	-	-
2	2 x 20 मेगावाट एनपीपी के लिए बिजली निकासी प्रणाली	51.82	-	-	-
3	नई रोटरी चूल्हा भट्टी रीहीटिंग भट्टी डब्ल्यूईएसएमएएन	35.25	-	-	-
4	ब्लास्ट फर्नेस के पुराने जीसीपी कूलिंग का नवीनीकरण	-	4.60	-	-
5	बीओएफ और सीसीपी ठंडा पानी संयंत्र का प्रतिस्थापन	3.13	-	-	-
6	4 नं. डिटाररर (इलेक्ट्रोस्टैटिक टार प्रीसिपिटेटर)	6.24	-	-	-
7	स्टील मेल्टिंग शॉप पर लैडल टिल्टर्स	-	4.67	-	-
8	1.0 एमटी कोयला रसायन में प्राथमिक गैस कूलर नंबर 1, 5 और 11	3.20	-	-	-
9	बीओएफ शॉप में कैंटिलीवर क्रेन का प्रतिस्थापन	0.97	-	-	-
10	सिंटर प्लांट में ईएसपी–2 और न्यूमेटिक कन्वेक्शन सिस्टम	-	2.62	-	-
11	सजारा के सबस्टेशन भवन में यात्री और माल लिफ्ट,	0.69	-	-	-
12	सीओबी–06 की कार नंबर–15 चार्ज करने के लिए एयर कंडीशनिंग मशीन	0.04	-	-	-
13	33केवी/11केवी पूनाबाद सब–स्टेशन पर बिजली की आपूर्ति	-	2.87	-	-
14	सीओबी3–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 की सिलिका ईंटों का प्रतिस्थापन	24.47	-	-	-
15	रेलवे पहियों के लिए गतिशील संतुलन मशीन	-	2.22	-	-
16	सी के कठोर फेसिंग के लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मशीन	-	-	-	0.12
17	बीओएफ में एलएफ–1 और एलएफ–2 के लिए बंद शीतल जल परिपथ	-	5.23	-	-
18	ऑक्सी–ईंधन गैस कटिंग टॉर्च द्वारा यांत्रिक कतरनी	-	2.48	-	-
19	कास्ट हाउस टैप होल ड्रिलिंग मशीन और मड गन	-	1.15	-	-
20	कोक ओवन बैटरी नं. 3 की मरम्मत/कूलिंग मरम्मत	14.04	-	-	-
21	बीएफ–2, बीएफ–3 और बीएफ–4 पर लिफ्टों का नवीनीकरण	-	0.68	-	-
22	4 नंबर 2 x 20 मेगावाट एनपीपी बिजली निकासी के लिए 33 केवी रिएक्टर	5.77	-	-	-
23	बीआरसी के लिए बैलेंस स्ट्रक्चरल वर्क्स	0.16	-	-	-
24	मर्चेंट मिल में अतिरिक्त कूलिंग वाटर लाइन	2.95	-	-	-
25	व्हील प्लांट में ऑनलाइन कठोरता परीक्षण मशीन	1.29	-	-	-
26	सीओबी–3–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 में पुशर साइड वेस्ट गैस टनल की मरम्मत	0.35	-	-	-
27	सीओबी–3–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 के लिए डोर फ्रेम और डोर बॉडी की खरीद	2.10	-	-	-
28	ब्लास्ट फर्नेस में चौथे स्टोव का प्रतिस्थापन 4	-	1.34	-	-
29	सीओसीसी–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 में 160 नंबर दरवाजे की बॉडी की खरीद	7.57	-	-	-
30	सीओसीसी–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 में 160 दरवाजे के लिए ईंटों की खरीद	0.14	-	-	-
31	आरएमएचपी में बाल्टी व्हील ब्लेंडर	-	1.82	-	-
32	डायनामिक व्हील बैलेंसिंग के लिए व्हील हैंडलिंग सिस्टम	-	-	-	0.54
33	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	-	6.36	-	-
34	प्रोजेक्ट 1 (एक्स–रे टोमोग्राफी सिस्टम)	2.61			
35	प्रोजेक्ट 2 (एक्स–रे डिफ्रेक्टोमीटर सिस्टम)	1.38			
36	रेलवे यार्ड का विकास	9.12			

48.2 (ख) जारी...

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	सीडब्ल्यूआईपी	में पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक
37	हीरापुर यार्ड में 25 केवी एसी ट्रैक्शन का निर्माण	2.64			
38	ओवर ब्रिज का निर्माण	5.75			
39	फ्लाईओवर का निर्माण	14.61			
40	बीएफ #05 तक इंटरप्लांट बाईपास पाइपलाइन	3.12			
41	सीवरेज उपचार संयंत्र	4.12			
42	2500 टन प्रेस	0.04			
43	सॉफ्टवेयर ईआरपी	1.08			
44	निर्माण अवधि के दौरान व्यय	-	-	-	0.59
	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित				
1	अवसंरचनात्मक सुविधाएं – विस्तार–ग्रामीण भारत	-	-	-	1.04

48.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (नोट सं. 30 में व्यापार देय के संबंध में प्रकट किए गए अनुसार) में परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय राशि कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर इस प्रकार के पक्षकारों की सीमा तक निर्धारित की गई है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(₹ करोड़ में)

संख्या	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i.	वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष मूलधन राशि।	140.65	103.57
ii.	वर्ष के दौरान संचित ब्याज की राशि तथा वर्ष के अंत में भुगतान नहीं की गई शेष राशि।	-	-
iii.	आगे ब्याज की बकाया और देय राशि, चाहे वह आगे के वर्षों में भी हो और उस तारीख तक उपरोक्त के अनुसार बकाया ब्याज वास्तव में धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में निषेधों के प्रयोजन के लिए लघु उद्यमों को वास्तव में भुगतान किया गया है।	-	-
iv.	उस पर देय ब्याज जो वर्ष के अंत में आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान किए जाने हेतु शेष रहता है।	-	
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
v.	धारा 16 की शर्तों के अनुसार वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान की गई राशि सहित भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
vi.	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और बकाया ब्याज की राशि (जिसका भुगतान कर दिया गया है परंतु वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के तहत विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-

48.4 (क) **व्यापार देय एजिंग अनुसूची**

(₹ करोड़ में)

भुगतान की देय तिथि से 31/03/22 तक बकाया								
क्रमांक	विवरण	बकाया बिल	देय नहीं	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएसएमई – निर्विवाद	-	24.11	116.54	-	-	-	140.65
	उप–योग – क	**-**	**24.11**	**116.54**	**-**	**-**	**-**	**140.65**
3	अन्य – विवादित	1.92	2.39	0.27	0.92	41.26	18.25	65.01
4	अन्य – निर्विवाद	1670.43	935.63	13241.25	127.41	196.40	541.23	16712.35
	उप–योग – ख	**1672.35**	**938.02**	**13241.52**	**128.33**	**237.66**	**559.48**	**16777.36**
	कुल योग (क+ख)	**1672.35**	**962.13**	**13358.06**	**128.33**	**237.66**	**559.48**	**16918.01**

(₹ करोड़ में)

भुगतान की देय तिथि से 31/03/21 तक बकाया								
क्रमांक	विवरण	बकाया बिल	देय नहीं	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएसएमई – निर्विवाद	-	20.50	83.07	-	-	-	103.57
	उप–योग – क	**-**	**20.50**	**83.07**	**-**	**-**	**-**	**103.57**
3	अन्य – विवादित	-	-	0.92	41.26	0.57	17.67	60.42
4	अन्य – निर्विवाद	1318.62	845.74	4956.49	456.82	115.02	185.38	7878.07
	उप–योग – ख	**1318.62**	**845.74**	**4957.41**	**498.08**	**115.59**	**203.05**	**7938.49**
	कुल योग (क+ख)	**1318.62**	**866.24**	**5040.48**	**498.08**	**115.59**	**203.05**	**8042.06**

ख) अपेक्षित क्रेडिट हानि

कंपनी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान करती है और प्रत्येक श्रेणी की व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है:

व्यापार प्राप्य एजिंग शेड्यूल

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को व्यापार प्राप्तियों की एजिंग									
विवरण	बकाया बिल	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
वर्तमान:									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	11.41	3371.78	740.22	100.82	117.42	223.00	163.94	7.81	4736.40
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	0.05	-	0.38	-	0.43
	11.41	**3371.78**	**740.22**	**100.82**	**117.47**	**223.00**	**164.32**	**7.81**	**4736.83**
अविवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	192.14	192.14
विवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	68.79	68.79
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.93**	**260.93**
कुल वर्तमान	**11.41**	**3371.78**	**740.22**	**100.82**	**117.47**	**223.00**	**164.32**	**268.74**	**4997.76**
(ख) गैर–वर्तमान									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अविवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04
विवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	7.83	-	-	7.83
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.87**	**-**	**-**	**7.87**
कुल गैर–वर्तमान	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.87**	**-**	**-**	**7.87**
सकल योग	**11.41**	**3371.78**	**740.22**	**100.82**	**117.47**	**230.87**	**164.32**	**268.74**	**5005.63**
अपेक्षित हानि (%)	-	-	-	-	-	0.11	0.02	0.89	1.02
ऋण हानि भत्ता	-	-	0.27	-	-	24.47	3.97	240.09	268.80
निवल वहन मूल्य	**11.41**	**3371.78**	**739.95**	**100.82**	**117.47**	**206.40**	**160.35**	**28.65**	**4736.83**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को व्यापार प्राप्तियों की एजिंग									
विवरण	बकाया बिल	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
वर्तमान:									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	3294.54	1147.44	723.22	1953.55	966.01	33.82	19.11	8137.69
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	0.05	-	0.38	-	0.72	1.15
	-	**3294.54**	**1147.44**	**723.27**	**1953.55**	**966.39**	**33.82**	**19.83**	**8138.84**
अविवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	145.69	145.69
विवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	91.19	91.19
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236.88**	236.88
कुल वर्तमान	**-**	**3294.54**	**1147.44**	**723.27**	**1953.55**	**966.39**	**33.82**	**256.71**	**8375.72**
(ख) गैर–वर्तमान									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अविवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – ऋण बाधित	-	-	-	-	-	7.83	-	-	7.83
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.83**	**-**	**-**	7.83
कुल गैर–वर्तमान	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.83**	**-**	**-**	7.83
सकल योग	**-**	**3294.54**	**1147.44**	**723.27**	**1953.55**	**974.22**	**33.82**	**256.71**	**8383.55**
अपेक्षित हानि (%)	-	-	-	-	0.00	0.01	0.10	0.88	1.00
ऋण हानि भत्ता	-	-	0.74	1.27	0.03	12.27	3.44	226.96	244.71
निवल वहन मूल्य	**-**	**3294.54**	**1146.70**	**722.00**	**1953.52**	**961.95**	**30.38**	**29.75**	**8138.84**

अपेक्षित ऋण हानि भत्ता का समाधान (₹ करोड़ में)

विवरण	
31 मार्च, 2020 तक	**215.40**
भत्ते में परिवर्तन	29.31
31 मार्च, 2021 तक	**244.71**
भत्ते में परिवर्तन	23.73
31 मार्च, 2022 तक	**268.44**

48.5 कुछ व्यापार प्राप्य, अन्य परिसंपत्तियों तथा अन्य देयों के शेष की पुष्टि/मिलान और बाद के समायोजन, यदि कोई हो, के अध्यधीन है। मिलान निरंतर आधार पर किए जाते हैं। प्रावधान, जहां आवश्यक समझे गए हैं, किए गए हैं। तथापि, प्रबंधन को इस प्रकार की लंबित पुष्टि/मिलान को कोई खास प्रभाव पड़ने की आशा नहीं है।

48.6 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 115बीएए की शुरूआत के अनुसार, कंपनी ने 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए उक्त धारा के तहत कम कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। नतीजतन, कंपनी ने मैट क्रेडिट के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को हटा दिया है और संशोधित प्रभावी कर दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को बहाल कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में ₹1288.22 करोड़ का एकमुश्त शुल्क लगाया गया है।

49.1 भारतीय लेखांकन मानक115 के अनुसार ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व, ₹16589.94 करोड़ की जीएसटी राशि (पिछले वर्षः ₹10579.84 करोड़) संचालन से राजस्व में शामिल नहीं है।

49.2 कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार, इन एजेंसियों को चालान अनंतिम कीमतों पर किया जाता है, जब तक कि अंतिम कीमत पर बाद में सहमति नहीं हो जाती। उपरोक्त अनंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 तक संचयी	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 तक संचयी
6237.41	21163.29	6902.50	14952.22

49.3 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने 31 दिसंबर, 2016 को दीर्घकालिक वेतन समझौते की समाप्ति के बाद 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी वेतन और मजदूरी संशोधन को लागू किया है। तदनुसार, कर्मचारियों के लाभ व्यय को लाभ का विवरण और 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निर्माण के दौरान हानि और व्यय (मजदूरी संशोधन के प्रावधान का शुद्ध) क्रमशः ₹837.25 करोड़ और ₹4.24 करोड़ है। इसके अलावा, वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों से संबंधित देनदारियों के संशोधित बीमांकिक मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि के विवरण के लिए ₹567.66 करोड़ की राशि वसूल की गई है।

49.4 सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशा–निर्देश के अनुसार, कंपनी को अधिशेष लाभ के रूप में कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में वेतन (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 30% तक योगदान करने की आवश्यकता है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन शामिल हो सकते हैं और निवृत्ति उपरांत लाभ तदनुसार कंपनी ने कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए 9% वेतन का प्रावधान किया है। 1 जनवरी, 2007 वेतन का 3% और 1 अप्रैल, 2015, आगे, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ वेतन 1 जनवरी, 2012 से 6% और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन का 2% प्रदान किया गया है। वेतन संशोधन के बाद, 1 नवंबर 2021 से गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ वेतन के 9% की दर से प्रदान किया गया है।

9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक बोर्ड की बैठक में पेंशन योजना को इस संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 से और उसके बाद, पेंशन के लिए योगदान को कर से पहले लाभ के प्रतिशत (पीबीटी) को औसत नेट–मूल्य रूप में मापा जाएगा। यदि पीबीटी का औसत नेटवर्थ का प्रतिशत 8% या उससे अधिक है, तो पेंशन अंशदान की राशि कार्यकारी अधिकारियों के लिए मूल वेतन अधिक डीए के 9% और गैर–कार्यकारी के लिए मूल वेतन अधिक डीए का 6% तक सीमित होगी, अन्यथा राशि पेंशन के लिए योगदान आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान नुकसान की स्थिति में भी, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतनमान डीए के 3% और 2% की दर से न्यूनतम पेंशन योगदान रखा जाएगा। चूंकि 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अर्जित लाभ औसतन नेट–मूल्य के 8% से अधिक है, 1 अप्रैल, 2018 क्रमशः कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों (पेंशन सहित) के लिए क्रमशः 9% और वेतन का 6% का प्रावधान किया गया है।

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ के लिए संचयी प्रावधान/देयता, 'कर्मचारी लाभ व्यय और निर्माण के दौरान व्यय' क्रमशः ₹1076.39 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹577.67 करोड़) और ₹55.77 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹3.45 करोड़) की राशि देय है। वर्ष के दौरान पेंशन कोष में ₹1716.68 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹118.35 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिए पात्र होने के लिए ₹1.53 करोड़ की राशि जमा की गई है।

49.5 अनुसंधान और विकास व्यय, लाभ और हानि के विवरण के लिए शुल्क लिया गया और वर्ष के दौरान अचल सम्पत्ति/पूंजी चालू कार्य के लिए क्रमशः ₹742.90 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹340.28 करोड़) और ₹71.91 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान क्रमशः ₹23.03 करोड़) आवंटित किया गया। अनुसंधान और विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि, खातों के संबंधित प्रमुख में दिखाया गया है। राशि का संबंध विच्छेद निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
कच्चा माल	**418.42**	198.05
कर्मचारियों के लाभ का खर्च	**152.07**	83.76
खपत किया गया स्टोर और स्पेयर	**23.52**	6.27
बिजली और ईंधन	**29.53**	17.77
मरम्मत और रख–रखाव	**11.30**	3.79
अवमूल्यन और परिशोधन खर्च	**20.05**	6.89
अन्य खर्च	**80.62**	21.45
वित्त लागत	**7.39**	2.30
कुल	**742.90**	340.28

49.6 कंपनी एक पूरे संयंत्र की संपत्ति को कैश जनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) मानती है। कंपनी ने आंतरिक रूप से समीक्षा की है कि क्या कोई संकेतक हैं कि सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर क्षीण हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेतक मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि को शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के रूप में अनुमानित किया जाता है। परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने वाले अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर उपयोग में मूल्य आधारित है। जब भी एक सीजीयू की परिसंपत्तियों की वहन राशि संपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो हानि को मान्यता दी जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के आगे, कंपनी सीजीयू की परिसंपत्तियों की शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करती है, जिसमें कोई भी ऐसा संकेत मौजूद होता है, जो एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा हर तीन साल में एक बार होता है।

कंपनी की लेखा नीति के अनुसार कंपनी द्वारा अपने अलग–अलग सीजीयू में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, किसी भी तरह की हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

49.7 **(क)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को हर वित्तीय वर्ष में खर्च करने की आवश्यकता होती है, कंपनी के औसत शुद्ध लाभ में से कम से कम 2% कंपनी के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुसार तुरंत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान किए जाते हैं। चूंकि, कंपनी ने वित्तीय वर्ष से पहले तीन तुरंत वित्तीय वर्ष के दौरान औसत शुद्ध नुकसान की सूचना दी; वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए कोई राशि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, ₹80.47 करोड़ (पिछले वर्ष ₹39.44 करोड़) की बजट राशि के तुलना में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹94.24 करोड़ (पिछले वर्ष ₹47.18 करोड़) की राशि निम्नलिखित प्रमुखों के तहत खर्च की है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2022
शिक्षा	**8.50**	8.30
स्वास्थ्य देख–भाल	**63.25**	28.48
आजीविका सृजन	**2.22**	2.14
नारी सशक्तिकरण	**1.11**	0.57
पेय जल	**1.03**	0.80
स्वच्छता	**1.54**	0.23
खेल–कूद	**0.80**	0.72
कला और संस्कृति	**1.33**	1.65
ग्रामीण विकास	**11.03**	1.19
सामाजिक सुरक्षा	**0.66**	0.46
पर्यावरण शाश्वतता	**1.08**	0.48
आपदा राहत	**1.38**	2.06
परियोजना अभिचिह्नीकरण और निगरानी	**0.18**	0.10
कार्मिकों का क्षमता निर्माण	**0.13**	0.00
कुल	**94.24**	47.18

(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर ₹7.95 करोड़ की राशि खर्च की है (पिछले वर्ष के दौरान ₹शून्य करोड़)।

(ग) अगले तीन वित्तीय वर्षों में सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अतिरिक्त राशि ₹13.77 करोड़ (पिछले वर्षः ₹7.74 करोड़) है।

(घ) चालू वर्ष के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में हस्तांतरित अव्ययित राशि ₹शून्य करोड़ (पिछले वर्ष– ₹शून्य करोड़) है।

49.8 सामान्य वित्तीय नियम 238 (5) और (6) के अनुपालन में, इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान का विवरण और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	खर्च किया गया अनुदान (प्रारंभिक शेष और वर्तमान वर्ष से)
2021-22	-	0.26
2020-21	-	1.50
2019-20	-	0.43

49.9 भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पट्टों की जानकारी (भारतीय लेखांकन मानक) 116 'पट्टों' पर:

(I) कंपनी के पास भूमि, कार्यालय भवन, संयंत्र और उपकरण, गोदामों और संबंधित सुविधाओं और वाहनों के लिए पट्टे हैं। अल्पकालिक पट्टों और कम–मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टा तुलन पत्र पर उपयोग की जाने वाली संपत्ति और पट्टे की देयता के रूप में परिलक्षित होता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें पट्टा देयता और उपयोग की संपत्ति के अधिकार के प्रारंभिक माप से बाहर रखा गया है। कंपनी अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों का वर्गीकरण करती है।

प्रत्येक पट्टा आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पार्टी को संपत्ति को उपठेका करने का कोई संविदात्मक अधिकार नहीं है, तो उपयोग के अधिकार का उपयोग केवल कंपनी द्वारा किया जा सकता है। कुछ पट्टों में पट्टे की अवधि आगे बढ़ाने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे पर दी गई संपत्ति को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों पर पट्टों के लिए कंपनी को उन संपत्तियों को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में संपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टा अनुबंधों के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि (नोट 4ए देखें) को नीचे निर्धारित किया गया है और इस अवधि के दौरान आंदोलनों को मान्यता दी गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे की भूमि	संयंत्र और उपकरण	वाहन	भवन	कुल संपत्ति के उपयोग का अधिकार
1 अप्रैल, 2021 तक	802.22	1231.37	9.21	11.33	2054.13
परिवर्धन/निपटान	38.62	1974.38	0.55	0.37	2013.92
मूल्यह्रास व्यय	58.49	166.81	3.94	4.77	234.01
31 मार्च, 2022 तक	**782.35**	**3038.94**	**5.82**	**6.93**	**3834.04**

पट्टे की देयताएं

वर्ष के दौरान पट्टे की देयताएं (ब्याज वाले ऋणों और उधारों के तहत शामिल) की अग्रणीत राशि और गतिविधियां नीचे निर्धारित की गई है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	पट्टे की देयता
1 अप्रैल, 2021 तक	2068.57
परिवर्धन	1963.29
अर्जित ब्याज	52.81
भुगतान	(186.23)
31 मार्च, 2022 तक	**3898.44**
वर्तमान	292.04
गैर वर्तमान	3606.40

क. पट्टा भुगतान पट्टा देयता के मापन में शामिल नहीं है

पट्टा देयता के मापन में शामिल न किए गए भुगतानों से संबंधित व्यय इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अल्पकालिक पट्टे	-	2.40
कम मूल्य की परिसंपत्तियों के पट्टे	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान	17.35	31.71
अन्य	-	-

ख. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए पट्टों के लिए कुल नकद बहिर्वाह ₹1196.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1117.03 करोड़) है।

ग. कंपनी की 31 मार्च, 2022 (पिछले वर्ष ₹0.70 करोड़) की स्थिति के अनुसार ₹0.08 करोड़ के अल्पकालिक पट्टों के लिए कुल प्रतिबद्धता है।

घ. पट्टा देयतायों की परिपक्वता

पट्टा देयतायों संबंधित अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित की जाती हैं। अनुमानित न्यूनतम पट्टा भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे का भुगतान	592.04	2134.00	5036.32	7762.36
ब्याज व्यय	329.79	1235.86	2298.27	3863.92
निवल वर्तमान मूल्य	**262.25**	**898.14**	**2738.05**	**3898.44**

विवरण	31 मार्च 20221 को देय न्यूनतम पट्टा भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
पट्टे का भुगतान	359.84	1081.47	2087.62	3528.93
ब्याज व्यय	126.20	420.90	913.28	1460.38
निवल वर्तमान मूल्य	**233.64**	**660.57**	**1174.34**	**2068.55**

ङ: परिवर्तनीय पट्टा भुगतान उस अवधि में जोड़े जाते हैं जिस अवधि में वे खर्च किए जाते हैं। 31 मार्च, 2022 तक अपेक्षित भावी नकदी बहिर्वाह ₹शून्य (पिछले वर्ष ₹शून्य करोड़) है।

च. विस्तार और समाप्ति विकल्पों के बारे में जानकारी:

संपत्ति के उपयोग का अधिकार	पट्टों की संख्या	शेष अवधि के पट्टों की संख्या सीमा	औसत शेष पट्टे की अवधि	विस्तार विकल्प के साथ पट्टों की संख्या	समाप्ति विकल्प के साथ पट्टों की संख्या
पट्टा भूमि	53	0.08-90	26.70	43	34
संयंत्र और उपकरण	9	0.12-15.01	4.78	5	1
वाहन	15	0.01-9.05	2.72	-	7
इमारतें	20	0.08-49.79	4.39	14	18

छ. 31 मार्च, 2022 को कुल भविष्य में नकद बहिर्वाह जो पट्टों के लिए अभी तक शुरू नहीं हुआ था, वह ₹शून्य (पिछले वर्ष) ₹शून्य करोड़) (कार्यालय परिसर में) है।

एक पट्टेदार के रूप में कंपनी

एक पट्टेदार के रूप में परिचालन पट्टे

कंपनी ने बैंकों, हाउसिंग सोसाइटियों, अस्पतालों, मोबाइल टावरों, भूमि भूखंडों और कर्मचारी क्वार्टरों/फ्लैट स्थानों आदि जैसे स्थानों के लिए पट्टा समझौते किए हैं।

इस तरह के पट्टों की अवधि प्रत्येक पट्टा व्यवस्था के नियमों और शर्तों के आधार पर 11 महीने से 50 वर्ष तक होती है।

ऑपरेटिंग पट्टे के तहत भविष्य में प्राप्त होने वाला न्यूनतम लीज भुगतान निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) एक वर्ष से अधिक नहीं	25.01	28.83
(ख) एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	64.26	70.96
(ग) 5 वर्ष से अधिक	126.54	129.27
कुल	**215.81**	**229.06**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल ऑपरेटिंग पट्टा ऋण आय ₹27.91 करोड़ (31 मार्च, 2021 : ₹34.85 करोड़) है।

पट्टेदार के रूप में वित्त पट्टा

कंपनी के पास स्वामित्व वाली भूमि है जिसे वित्त पट्टा व्यवस्था के तहत विभिन्न पार्टियों को पट्टे पर दिया गया है।

वित्त पट्टे के तहत प्राप्य भविष्य में न्यूनतम पट्टा भुगतान निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) एक वर्ष से अधिक नहीं	0.29	0.60
(ख) एक वर्ष से अधिक परन्तु 5 वर्ष से अधिक नहीं	1.01	0.78
(ग) 5 वर्ष से अधिक	9.74	9.57
कुल बिना छूट वाले पट्टे का भुगतान	**11.04**	**10.95**
अनर्जित वित्त आय	9.67	9.86
पट्टे में निवल निवेश	**1.37**	**1.09**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल वित्त पट्टा किराये की आय ₹0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.58 करोड़) है।

(II) प्रमुख पट्टा व्यवस्थाओं का विवरण

विद्युत संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ विद्युत क्रय करार होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे के रूप में एक विद्युत संयंत्र को सहभागी किया है। विद्युत क्रय करार की शर्तों के अनुसार कंपनी पक्षकारों द्वारा करार को समाप्त करने का निर्णय लिए जाने तक विद्युत क्रय करता रहेगा जो कि परिसंपत्ति के विशिष्ट स्वरूप और स्थान–स्थिति को ध्यान में रखते हुए अनार्थिक प्रस्ताव होना निर्धारित किया गया है। किसी भी नए पट्टा उपचार के लिए, उपचार भारतीय लेखा मानक–116 पट्टों के रूप में किया गया है।

ऑक्सीजन संयंत्र

कंपनी ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन क्रय करार होने के कारण भारतीय लेखांकन मानक 17 के परिशिष्ट ग के अंतर्गत वित्त पट्टे (अथवा प्रचालन पट्टे) के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है। ऑक्सीजन खरीदने के करार की निर्धारित अवधि 15 वर्ष है। भारतीय लेखा मानक–116 पट्टों के तहत उपचार में कोई बदलाव नहीं है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता के पश्चात् पट्टा करार के अंतर्गत अपने अधिकारों के कारण वित्त पट्टों के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया। भारतीय लेखा मानक 116–पट्टों के तहत उपचार में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

49.10 राजहारा से राउघाट के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए रेलवे प्राधिकारियों को वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक की अवधि के लिए नकदी और वस्तु में योगदान राउघाट खानों से आश्वस्त ट्रैफिक शुरू होने पर पूरा होने के पश्चात् सेल के योगदान में विमोचन के लिए कुल योगदान पर 37 वर्षों के लिए 7% वार्षिक की दर से नगदी में वसूला जाएगा। प्रबंधन का मत है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंड पूरे किए जाएंगे और ब्याज निवेश की तारीख से प्रोद्भूत होता है। वापस की जाने वाली राशि में मूलधन और ब्याज शामिल है। तदनुसार, ब्याज की गणना की गई है और वर्ष के दौरान ₹58.07 करोड़ (आज की तारीख तक ₹198.33 करोड़) ब्याज के रूप में माने गए हैं। वर्ष के दौरान भारत के सनदी लेखाकर संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत के अनुसार समय अनुपात आधार पर मान्यता का इस प्रकार व्यवहार सही है क्योंकि प्रबंधन का मत है कि राजस्व के संग्रहण और उपाय के बारे में कोई विशेष अनिश्चित्ता नहीं है।

49.11 कंपनी की कैप्टिव खानों में उत्पन्न उप–ग्रेड लौह अयस्क जुर्माना की सूची को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक कंपनी के खातों की पुस्तकों में कोई मूल्य नहीं दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 19 सितंबर 2012 ने सभी कैप्टिव खनिकों को इस तरह के उप–ग्रेड जुर्माना बेचने से प्रतिबंधित कर दिया।

भारत सरकार के आदेश संख्या फाइल संख्या 16/30/2019–एम.वीआई दिनांक 16 सितंबर 2019 के बाद, उप–ग्रेड लौह अयस्क जुर्माना की बिक्री की अनुमति देते हुए, कंपनी द्वारा रखे गए उप–ग्रेड जुर्माना की सूची ने आर्थिक मूल्य प्राप्त किया। इस संबंध में, कंपनी ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ–साथ भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से भी राय ली। उपरोक्त राय के आधार पर, कंपनी ने 31 मार्च 2020 तक इन इन्वेंट्री को उप–उत्पाद इन्वेंट्री के रूप में मान्यता दी। चूंकि, ये इन्वेंट्री कई वर्षों में उत्पन्न हुई थीं, इसलिए, वास्तविक मूल्यांकन का पता लगाना अव्यावहारिक बना दिया, कंपनी ने इस तरह के मूल्यांकन को सौंपा। भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), भारत सरकार के संगठन द्वारा घोषित और रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित के रूप में पिछले 36 महीनों में समान उप–ग्रेड जुर्माना के औसत बिक्री मूल्य के आधार पर सूची तैयार की।

कंपनी ने भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशक से पर्यावरण मंजूरी सहित सभी मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा, ओडिशा की राज्य सरकार से प्रक्रियात्मक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। झारखंड राज्य के संबंध में, मंजूरी में देरी प्रक्रियात्मक है और प्रबंधन को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह इस संबंध में कंपनी द्वारा ली गई कानूनी राय से भी समर्थित है।

नतीजतन, प्रबंधन कुछ स्थानों पर ऐसे माल को बेचने में सक्षम हो गया है। जबकि, वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसी सूची की मात्रा में नगण्य उतार–चढ़ाव (1.04 मिलियन टन) रहा है, उप–श्रेणी के जुर्माने के लिए बाजार में महत्वपूर्ण मांग है और हाल ही में बिक्री मूल्य प्रवृत्तियों का संकेत है इस तरह की सूची के वहन मूल्य के ऊपर काफी मार्जिन रहा। प्रबंधन की भविष्य में एक बीएटफकेशन संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है जो सालाना उप–ग्रेड जुर्माना की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेगा। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर इन आविष्कारों के वहन मूल्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

माल की पर्याप्त मात्रा को देखते हुए, अगले एक वर्ष के भीतर बेची जाने वाली अनुमानित मात्रा को वर्तमान माना गया है और शेष को गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है (नोट 7क और 15 देखें)।

31 मार्च 2022 तक, कंपनी 41.94 मिलियन टन (31 मार्च 2021 तकः 42.60 मिलियन टन) का मूल्य ₹4034.95 करोड़ (31 मार्च 2021 तक मूल्य ₹4089.03 करोड़) है, जिसमें ₹3786.62 करोड़ मूल्य का 39.24 एमटी शामिल है, जिसे इसकी विभिन्न खानों में गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसी तरह, कंपनी अपने बरसुआ और दल्ली माइन्स में भी 7.44 एमटी (31 मार्च 2021 तक की सूची ले रही हैः 8.68 मिलियन टन) मूल्य ₹382.66 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹492.41 करोड़ मूल्य) जिसमें ₹331.25 करोड़ मूल्य का 6.41 एमटी शामिल है, जो 31 मार्च 2022 को गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके अलावा, कंपनी अपने भिलाई, बोकारो, राउरकेला में और दुर्गापुर स्टील प्लांट 0.49 एमटी (31 मार्च 2021ः 0.57 एमटी) के बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड निकालने योग्य लौह और इस्पात स्क्रैप की सूची भी ले रहे हैं, जिसका मूल्य ₹507.10 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹438.63 करोड़ मूल्य) है। 31 मार्च 2022 को गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत ₹441.29 करोड़ मूल्य के 0.44 मिलियन टन शामिल हैं। कंपनी इन आविष्कारों के निपटान/खपत के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

बाजार की अस्थिरता, स्टील बाजार की गतिशीलता, देश में स्टील और पेलेट बनाने की क्षमता में भविष्य के परिवर्धन की संभावना को देखते हुए, जो इन सामग्रियों की मांग को बढ़ा सकता है, गैर–वर्तमान सूची के वहन मूल्य को भविष्य की कीमतों में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर उपरोक्त सूची के अग्रणी मूल्य सबसे अच्छे अनुमान हैं।

49.12 आर्थिक मामले संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 27 अक्तूबर 2016 को आयोजित अपनी बैठक में अलॉय इस्पात संयंत्र (एएसपी), दुर्गापुर, विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात संयंत्र (वीआईएसपी), भद्रावती, सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी), सलेम, का नीतिगत विनिवेश करने के लिए 'सैद्धांतिक' निर्णय लिया है। इसके अलावा भारत सरकार के 'सैद्धांतिक' अनुमोदन के अनुरूप, सेल के बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी का नीतिगत विनिवेश का अनुमोदन प्रदान किया। कंपनी ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए विभिन्न सलाहकारों की नियुक्ति की। सामरिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) द्वारा की जा रही है। आईएमजी की अध्यक्षता सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के सचिव और सचिव (इस्पात) द्वारा सह–अध्यक्षता की जाती है।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई), एएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के अनुरोध 4 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे। लेनदेन सलाहकार, मेसर्स एसबीआईकैप्स ने सूचित किया है कि, एएसपी के मामले में, संभावित बोलीदाताओं से निर्धारित तिथि तक कोई ईओआईएस प्राप्त नहीं हुआ था। एसएसपी और वीआईएसपी के ईओआई 10 सितंबर, 2019 को खोले गए थे। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी), गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) जारी किए गए हैं और शॉर्टलिस्ट द्वारा उचित परिश्रम जारी किया गया है।

49.13 कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (यानी ₹2.25 प्रति इक्विटी शेयर प्रत्येक ₹10) के 22.5% की दर से अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो आगामी वार्षिक आम कंपनी बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

49.14 कंपनी ने 1 जुलाई, 2021 को अपने कच्चे माल के विभाग ('डिवीजन') को विघटित कर दिया और तदनुसार, 30 जून 2021 को शेष राशि को राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और कंपनी के भिलाई स्टील प्लांट में मिला दिया गया।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त प्रभाग की वित्तीय जानकारी शामिल है जो ₹374.07 करोड़ के कुल राजस्व (₹1443.41 करोड़ के इंट्रा–कंपनी स्टॉक ट्रांसफर को छोड़कर), ₹1702.92 करोड़ के कुल खर्च, ₹114.56 करोड़ के कर के बाद कुल शुद्ध लाभ को दर्शाती है। 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹110.68 करोड़ की कुल व्यापक आय, जो कि डिवीजन के तत्कालीन लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थी और अब रिपोर्टिंग के उद्देश्य से संयंत्रों के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरणों के पूरे सेट की लेखा परीक्षा की गई है। इसके अलावा, ₹7448.85 करोड़ की कुल संपत्ति और की कुल देयताएं भी हैं। 30 जून 2021 को ₹4034.45 करोड़ उक्त संयंत्रों को हस्तांतरित किए गए और 31 मार्च, 2022 को इन संयंत्रों की शेष राशि में शामिल हैं, जिनका संबंधित संयंत्रों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है।

हालांकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत कंपनी इस मामले को डिवीजन के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेजने की प्रक्रिया में है।

49.15 कोविड–19 महामारी का प्रकोप और इसे कम करने के उपायों ने महत्वपूर्ण क्रियाओं और आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया था। आर्थिक गतिविधियों के क्रमिक सामान्यीकरण और सभी क्षेत्रों में देखे गए सकारात्मक आर्थिक वातावरण के बाद, प्रबंधन का मानना है कि यह प्रवृत्ति बाद की अवधि में भी जारी रहने की संभावना है और कोविड–19 का प्रभाव सामग्री पर, यदि कोई हो, आगे होने की संभावना नहीं है।

49.16 कंपनी संयंत्र के किसी एक स्थान पर माल रसीद/चालान रसीद (जीआर/आईआर) खातों ('व्यापार देय/पूंजीगत कार्यों के लिए देय', नोट संख्या 30/31) के समाधान की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2022 तक बकाया राशि ₹101.54 करोड़ (31 मार्च 2021 – ₹304.08 करोड़) है। सुलह प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, संयंत्र ने ₹186.16 करोड़ की राशि वापस लिखी है और इसे 'अन्य देनदारियों को वापस लिखें' (नोट संख्या 36) शीर्षक के तहत लाभ और हानि के विवरण में जमा किया है।

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रेच्युटी:	:	उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने 5 वर्ष अथवा उससे अधिक निरंतर सेवा की है, (गैर–कार्यपालक के मामले में 30 वर्षों के बाद सेवा की प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन 30 वर्षों से आगे की सेवा के लिए) को सेवा के पूरे किए गए प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक होने पर 15 दिन की दर से देय 01 जुलाई, 2014 को अथवा उसके पश्चात् कार्यभार ग्रहण करने वाले कार्यपालकों और गैर–कार्यपालकों के लिए ₹20 लाख की अधिकतम राशि और अन्य गैर–कार्यपालकों के लिए किसी आर्थिक अधिकतम सीमा के बिना बीमांकन संबंधी मूल्यांकन के लिए माना गया है। 1 जुलाई, 2014 से पहले शामिल हुए गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए, पूर्व संशोधित मूल वेतन और डीए पर अर्जित उपदान, वेतन संशोधन के कार्यान्वयन की तारीख को 18.10.2021 या ₹20 लाख जो भी अधिक हो, बीमांकिक मूल्यांकन के लिए विचार किया गया है।
छुट्टी नकदीकरण:	:	उन पात्र कर्मचारियों, जिन्होंने अर्जित और अर्द्ध वेतन छुट्टी संचित की है, अर्जित छुट्टियों और अर्द्ध वेतन छुट्टी के लिए संयुक्त रूप से 300 दिन की अधिकतम सीमा के अध्यधीन अधिवर्षिता पर देय। संचित अर्जित छुट्टी के नकदीकरण की भी अनुमति तक वित्तीय वर्ष 2021–22 में एक बार 30 दिनों तक के लिए दी गई है और उसके बाद रोक दिया गया।
भविष्य निधि	:	कंपनी द्वारा भविष्य निधि न्यासों को मूल वेतन महंगाई भत्ते के 12 प्रतिशत की दर से किया गया अंशदान।
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	:	सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को कंपनी के अस्पताल और/या स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ उपलब्ध।
सेवानिवृत्ति पश्चात् बसने का लाभ	:	अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देय।
दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	:	25 वर्ष की न्यूनतम सेवा करने और अधिवर्षिता पर भी वस्तु के रूप में देय।

50.1.2 परिभाषित लाभ देयताओं के संबंध में 'कर्मचारी लाभ' के संबंध में भारतीय लेखांकन मानक–19 के तहत अपेक्षितानुसार अन्य प्रकटीकरण नीचे दिए गए हैं:

(क) परिभाषित लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य का मिलान **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात् सेटलमेंट लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	वर्ष के प्रारम्भ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5780.54 (6044.55)	3207.65 (3005.03)	1046.79 (1055.03)	110.88 (103.40)	17.57 (18.79)
ii)	सेवा लागत	291.54 (323.03)	506.34 (434.58)	- (-)	- (-)	0.59 (0.50)
iii)	ब्याज लागत	381.22 (387.09)	197.94 (191.22)	67.89 (68.76)	7.49 (6.88)	1.10 (1.20)
iv)	बीमांकन लाभ(–)/हानि (+)	-107.68 (-270.18)	454.83 (-37.11)	228.13 (10.90)	23.39 (4.86)	5.20 (-0.66)
v)	पूर्व सेवा लागत	- -	- -	305.75 (-)	- -	- -
vi)	भुगतान किये गए लाभ	822.49 (703.95)	839.72 (386.07)	181.27 (87.90)	5.90 (4.32)	3.28 (2.30)
vii)	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v+vi)	5523.12 (5780.54)	3527.03 (3207.65)	1467.28 (1046.79)	135.86 (110.82)	21.18 (17.57)

(ख) परिसंपत्तियों और देयताओं के उचित मूल्य का मिलान

कंपनी ने एक पृथक निधि के जरिए उपदान देयता का निधियन किया है। योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों, जिनके जरिए निधि द्वारा निवेश किया गया है, द्वारा दी गई सूचना पर आधारित है। उपदान निधि की परिसंपत्तियों और परिभाषित लाभ उपदान देयताओं के उचित मूल्य का मिलान नीचे दिए गए अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	वर्ष के प्रारम्भ में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**6235.29**	6357.63
ii)	योजना परिसम्पत्तियों पर संभावित आय	**12.23**	98.22
iii)	कम्पनी का वास्तविक अंशदान	**68.38**	50.84
iv)	ब्याज आय/बीमांकन लाभ/हानि(–)	**442.70**	432.55
v)	लाभ भुगतान	**822.56**	703.95
vi)	वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	**5936.04**	6235.29
vii)	परिभाषित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य [50.1.2)(a)(vii)]	**5523.12**	5780.54
viii)	तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल देयताएं (vii)-(vi) *	**-413.04**	-454.73

* निवेश से प्राप्त होने वाले प्रतिफल पर विचार के पष्चात वर्श 2021–22 के दौरान उपदान निधि के व्यय के संबंध में कम्पनी द्वारा किसी राशि का अंशदान किए जाने की संभावना नहीं है।

उपदान के अलावा परिभाशित लाभ दायित्वों के लिए निधियन नहीं किया गया है।

(ग) वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किए गए व्यय:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रेच्युटी	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति पश्चात् सेटलमेंट लाभ	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार
i)	सेवा लागत	291.54 (323.03)	506.34 (434.58)	- (-)	- (-)	0.59 (0.54)
ii)	ब्याज लागत	-61.48 (-45.23)	197.94 (191.22)	67.89 (68.76)	7.49 (6.88)	1.10 (1.18)
iii)	बीमांकन लाभ (–)/हानियां	-107.68 (-270.18)	454.83 (-37.11)	228.13 (10.90)	23.39 (4.86)	5.20 (-0.02)
iv)	पूर्व सेवा लागत	- (-)	- (-)	305.75 (-)	- (-)	- (-)
v)	योजना परिसम्पत्तियों से संभावित आय	12.23 (98.22)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	110.15 (-90.60)	1159.10 (588.71)	601.77 (79.66)	30.88 (11.74)	6.89 (1.70)
vii)	कर्मचारी लाभ व्यय:					
	क) लाभ और हानि खाते में प्रभारित (नोट 39)	230.13 (277.23)	1157.20 (586.53)	373.63 (68.76)	30.89 (5.50)	6.89 (1.70)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय के लिए प्रभारित (नोट 5.1)	-0.07 (0.56)	-0.07 (0.56)	(-)	(-)	(-)
	ग) ओसीआई को चार्ज किया गया '	-119.90 (-368.39)	(-)	228.13 (10.90)	(-)	(-)
	घ) लाभ और हानि खाते के लिए प्रभारित–अन्य व्यय	(-)	(-)	(-)	30.89 (6.24)	(-)
viii)	योजना संपत्ति पर वास्तविक रिटर्न	455.05 (530.54)				

*परिभाषित लाभ योजनाओं पर पुनर्माप लाभ/(हानि) को पुनर्वर्गीकृत किया गया है और प्रतिधारित आय के तहत दिखाया गया है (नोट संख्या 23)

(घ) कटौती दर में आधे प्रतिशत के प्वांइट परिवर्तन से कर्मचारी लाभ योजनाओं पर प्रभाव (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	छूट दर में 0.5 प्रतिशत की कमी	छूट दर में 0.5 प्रतिशत की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	-179.01	168.80
ii)	छुट्टी	-135.95	127.05
iii)	सेवानिवृत्ति पश्चात् लाभ	-68.58	53.81
iv)	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार	-0.93	0.85
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	-6.00	5.56

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत प्वाइंट परिवर्तन का प्रभाव (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की कमी	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि
i)	ग्रेच्युटी	63.18	-60.34
ii)	छुट्टी	128.24	-136.04

(च) सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा लाभ योजना के अंतर्गत लाभों के मूल्यांकन के मामले में परिकल्पित मुद्रास्फीति दर में एक प्रतिशत प्वाइंट दर का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की कमी	वेतन वृद्धि दर में 1 प्रतिशत की वृद्धि
i)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-83.03	76.98

(छ) उपदान ट्रस्ट में निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
बीमा निवेश	**69.61**	95.25
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियां	**1.45**	1.39
राज्य सरकार प्रतिभूतियां	**0.73**	1.24
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम प्रतिभूतियाँ	**0.94**	2.12
बैंक में उपलब्ध नकदी	**0.27**	0.00
कुल	**100.00**	100.00

(ज) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	6.80 %
ii)	मृत्यु दर	अंतिम आईएएलएम (2012–14)	अंतिम आईएएलएम (2012–14)
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	कार्यकारी और गैर–कार्यकारी–उम्र के आधार पर 0.01% से 0.10%	कार्यकारी और गैर–कार्यकारी–उम्र के आधार पर 0.01% से 0.10%
iv)	चिकित्सा लागत रुख दर (प्रति वर्ष)	अस्पताल लागत के लिए 5% और मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल लागत के लिए 5% और मेडिक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना परिसम्पत्तियों पर लाभ की अनुमानित दर	7.10%	6.80%
vi)	वेतन संवर्धन	कार्यकारीः 6% प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी : 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी– 2017 से हर 10 साल की सेवा शुरू करने के 10 वर्ष के पश्चात 6% बढ़ोतरी	कार्यकारीः 6% प्रति वर्ष गैर–कार्यकारी : 6% प्रति वर्ष सभी कर्मचारी– 2017 से हर 10 साल की सेवा शुरू करने के 10 वर्ष के पश्चात 6% बढ़ोतरी
		मूल्यांकन हेतु भावी वेतन वृद्धि के अनुमान में मंहगाई दर, वरिष्ठता, पदोन्नति तथा अन्य सम्बद्ध कारको पर ध्यान रखा गया।	

(झ) परिभाषित लाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल **(₹ करोड़ में)**

अवधि	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष तक	**733.95**	674.40
1 से 2 वर्ष तक	**694.12**	670.99
2 से 3 वर्ष तक	**647.59**	665.46
3 से 4 वर्ष तक	**623.82**	617.76
4 से 5 वर्ष तक	**634.35**	591.43
5 से 10 वर्ष तक	**3062.02**	3093.35
10 से अधिक वर्षों के लिए	**3269.33**	4125.22
पूर्व सेवा से संबंधित कुछ गैर–छूट प्राप्त भुगतान	**9665.16**	10438.61
घटाएं: ब्याज के लिए छुट	**4142.04**	4658.06
संभावित लाभ देयताएं	**5523.12**	5780.55

51. सामान्य

51.1 अनुभाग रिपोर्टिंग

बिज़नेस अनुभाग: विनिर्माण यूनिटें होने के नाते पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों और तीन अलॉय इस्पात संयंत्रों को कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय लेखांकन मानक (भारतीय ए एस)–108–प्रचालन अनुभाग के अंतर्गत रिपोर्टिंग के लिए प्रमुख बिज़नेस अनुभाग के रूप में माना गया है।

51.2 संबंधित पार्टी

कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय द्वारा जारी भारतीय ए एस–24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुसार संबंधित पार्टियों के नाम नीचे दिए गए हैं:

क. संबंधित पार्टी का नाम और संबंध का स्वरूप
सहायक कंपनियां
सेल – रेफ़्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
संयुक्त उद्यम कंपनी
एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी. लिमिटेड
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
सेल–बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड
भिलाई जेपी सिमेंट लिमिटेड
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
सेल एससीएल केरल लिमिटेड
सेल राइट्स बंगाल वेगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
रोमल्ट–सेल (इंडिया) लिमिटेड
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड
जीइडीसीओएल सेल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
असोसिएट कंपनी
अल्मोड़ा मैग्नेसाईट लिमिटेड
अन्य कंपनी
आईसीवीएल मॉरीशियस
रिवेरडेल माइनिंग (पीटीवाई) लिमिटेड (आरएमएल)
मिनास दे बेंगा (मॉरीशियस) लिमिटेड मोज़ाम्बिक
आई सी वी एल जांबिज मॉरीशियस लिमिटेड
बेंगा पॉवर प्लांट (मॉरीशियस) लिमिटेड
मिनास दे बेंगा एलडीए
इस्को उज्जैन पाइप एंड फॉउंडरी कंपनी लिमिटेड
यूईसी – सेल इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड

रोजगार पश्चात लाभ योजनाएं

एचएसएल बीएसपी प्रोविडेंट फंड, भिलाई
डीएसपी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, राउरकेला
बोकारो स्टील एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड, बोकारो
इस्को लिमिटेड प्रोविडेंट इन्स्टिट्यूशन, बर्नपुर
कोल प्रॉविडेंट फंड ट्रस्ट, कोलियरीज
इस्को लिमिटेड वर्क्स प्रोविडेंट फंड, बुरनपुर
सेल एएसपी प्रोविडेंट फंड, दुर्गापुर
सेलम स्टील प्रोविडेंट फंड, सेलम
विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट, भद्रावती
सेल प्रोविडेंट फंड, नई दिल्ली
हिंदुस्तान स्टील प्रोविडेंट फंड, रांची
हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, सेंट्रल परचेज़ ऑर्गनाईजेशन, सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, कलकत्ता प्रोविडेंट फंड
भारत रीफ्रैक्टरीज प्रोविडेंट फंड, बोकारो
इफको प्रोविडेंट फंड, रामगढ़
सीसीएसओ प्रोविडेंट फंड, धनबाद
सेल आर एम डी इस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस एम्प्लॉईज़ प्रोविडेंट फंड,
कोलकता बोलानी ओर्स माइन्स प्रोविडेंट फंड, बोलानी
सेल एम्प्लॉईज़ सुपरन्यूएशन बेनिफिट फंड
सेल ग्रैचुइटी फंड
सेल पेंशन फंड

ख. प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

श्रीमती सोमा मंडल
श्री हरिनन्द राय
श्री अमित सेन (31.12.2021 तक)
श्रीमती सुकृति लिखी
श्री पुनीत कंसल
श्री ए के त्रिपाठी
श्री कन्हैया सारदा
श्रीमती नीलम सोनकर
श्री एसकेवी राजू
डॉ. जी एस भाटी
श्री एन शंक्रप्पा
श्री ए दासगुप्ता
श्री वी.एस. चक्रवर्थी (24.12.2021 से प्रभावी)
श्री अमरेंदु प्रकाश
श्री डी छत्रराज (31.07.2021 तक)
श्री ए.वी. कमलाकर (31.01.2022 तक)
श्री अतानु भौमिक (11.02.2022 से प्रभावी)
श्रीमती के रमन
श्री जगदीश अरोड़ा
श्री संजीव तनेजा
श्री एस सुब्बाराज
श्री राजीव सहगल (01.06.2021 से प्रभावी)
श्री सुरजीत मिश्रा
श्री अजय अरोड़ा (31.05.2021 तक)
श्री निर्विक बनर्जी (01.06.2021 से प्रभावी)
श्री एम वी जोडे
श्री एम बी बालाकृष्णन
श्री एमपी सिंह (31.05.2021 तक)
श्री सी एन भट्टाचार्य (31.12.2021 तक)
श्री सुभाशिष सेनगुप्ता (01.01.2022 से प्रभावी)

ग. वर्ष के दौरान कंपनी तथा संबंधित पार्टी के बीच लेन–देन का ब्यौरा **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	योग	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश	5.00 (-)		5.00 (-)	8 : निवेश
ii)	शेयरों की अग्रिम खरीद के लिए	5.00 (-)		5.00 (-)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
iii)	प्रदान की गई सेवाएं	8.28 (14.03)		8.28 (14.03)	36: अन्य आय
iv)	किराया आय	- (0.26)		- (0.26)	
v)	प्राप्त लाभांश	192.70 (157.41)		192.70 (157.41)	
vi)	वस्तुओं की बिक्री	6.63 (17.18)		6.63 (17.18)	35 : संचालन से राजस्व
vii)	अन्य ऑपरेटिंग राजस्व	16.11 (15.18)		16.11 (15.18)	35 : संचालन से राजस्व
viii)	वस्तुओं की खरीद	2158.80 (1133.69)		2158.80 (1133.69)	25/30 : व्यापार देनदारियां
ix)	विद्युत की खरीद	2374.04 (2505.42)		2374.04 (2505.42)	41 : अन्य व्यय
x)	प्राप्त सेवाए	64.11 (57.44)		64.11 (57.44)	401: अन्य व्यय
		0.96 (1.17)		0.96 (1.17)	5 : पूंजीगत डब्लूआईपी
xi)	ब्याज आय	0.01 (0.58)		0.01 (0.58)	
xii)	रूपांतरण शुल्क	- (-)		- (-)	
xii)	प्रबंधकीय पारिश्रमिक		13.18 (7.86)	13.18 (7.86)	39 : कर्मचारी लाभ व्यय

घ. वर्ष के अंत में संबंधित पार्टियों के पास शेष **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	सहायक कंपनी/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	नोट सं. और लेखा शीर्ष
i)	निवेश	1459.72 (1474.56)	8 : निवेश
ii)	निवेश के लिए प्रावधान	5.03 (24.45)	
iii)	अन्य ऋण और अग्रिम	64.70 (63.30)	11/18/19: ऋण
iv)	ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	11.92 (11.92)	
v)	शेयरों की अग्रिम खरीद के लिए	3.52 (3.52)	11/19 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ
vi)	व्यापार प्राप्य	15.35 (10.55)	9/16 : व्यापार प्राप्य
vii)	व्यापार देय	414.07 (224.86)	25/30 : व्यापार देय
viii)	प्रतिभूति जमा	0.37 (1.22)	26/31 : अन्य वित्तीय देयताएं

ङ. संबंधित पार्टियों के साथ सामग्री लेन–देन का विवरण **(₹ करोड़ में)**

स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	नोट सं. और लेखा शीर्ष
लाभांश आय सेल रिफ्रैक्टरी कम्पनी लिमिटेड बोकारो बिजली आपूर्ति कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी–सेल बिजली आपूर्ति कम्पनी लिमिटेड एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	**5.30** **12.40** **100.00** **75.00**	- 55.81 95.00 6.60	
निवेश आईसीवीएल एसएंडटी माइनिंग	**4.61** **0.39**	- -	
शेयरों की अग्रिम खरीद के लिए आईसीवीएल एसएंडटी माइनिंग	**4.61** **0.39**	- -	
वस्तुओं की बिक्री भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड एनटीपीसी– सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**4.57** **2.06** **-**	4.76 10.84 1.58	35: संचालन से राजस्व
अन्य ऑपरेटिंग राजस्व एनटीपीसी –सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**16.11**	15.18	35: संचालन से राजस्व
वस्तुओं की खरीद सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी. लिमिटेड अल्मोरा मॅग्नेसाईट लिमिटेड आईसीवीएल	**202.30** **6.19** **1950.31**	149.13 5.66 970.45	25/30 : व्यापार देय
विद्युत की खरीद बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी –सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**901.52** **1472.52**	827.63 1437.60	41 : अन्य व्यय
दी गई सेवाएं भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड सेल–बंसल सर्विसेज सेंटर लिमिटेड बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड सेल रिफैक्ट्री कंपनी. लिमिटेड एलआरडब्ल्यूआईपीएल	**0.54** **0.11** **0.04** **0.38** **-** **2.65** **4.56**	0.70 0.04 0.05 0.35 8.76 1.49 2.64	36: अन्य आय
नीलामी सेवाएं एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	**64.11** **0.96**	57.44 1.74	41 : अन्य व्यय 5 : पूंजीगत डब्ल्यूआईपी

च. वर्ष के दौरान केंद्र सरकार (भारतीय रेलवे सहित) के साथ लेन–देन के लिए बिक्री और व्यापार प्राप्य में ₹8574.03 करोड़ (पिछले वर्ष ₹12158.75 करोड) तथा ₹1147.08 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3806.12 करोड़) शामिल हैं, जो बिक्री तथा व्यापार प्राप्य का क्रमशः 8.29% (पिछले वर्ष 17.76%) और 24.22% (पिछले वर्ष 53.43%) है।

छ. दिए गए ऋणों और अग्रिमों का विवरण जो इस प्रकार हैं:

(i) **मांग पर चुकाने योग्य, या**

(ii) **भुगतान की कोई शर्त या अवधि बताए बिना**

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
		बकाया राशि	कुल का %	बकाया राशि	कुल का %
1	प्रवर्तक	शून्य			
2	निदेशक				
3	केएमपी				
4	सम्बन्धित पार्टी				
	कुल				

ज. स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध **(₹ करोड़ में)**

क्रमांक	स्ट्रक ऑफ कंपनी का नाम	लेनदेन की प्रकृति	संबंध	तक शेष	
				31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
i)	हाइवेल फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	-	-
ii)	विस्माया मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	0.40	0.40
iii)	मद्रास ऑथो कपलिंग प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	-	-
iv)	ऑटो फील्ड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	-	-
v)	सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड	निवेश	सहायक	-	0.05
vi)	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	निवेश	सहायक	-	0.05
vii)	उत्तर बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.98
viii)	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.02
ix)	सेल मोइल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.10
x)	सेल बंगाल अलॉय कास्ट प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.01
xi)	सेल साइंस शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.10
xii)	छिड़काव प्रणाली (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	वेंडर	-	-
xiii)	डेक्कन स्मिथ्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	0.11	0.11
xiv)	श्विंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	0.05	0.05
xv)	हंटिंग हॉक्स सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस लिमिटेड	देय	वेंडर	0.01	0.1

* आंकड़े ₹करोड़ तक पूर्णांकित किए गए

51.3 भारतीय लेखांकण मानक (भारतीय ए एस) 37 द्वारा आवश्यक 'आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्ति, प्रावधान' को प्रकट करना।

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरण

खनन वनरोपण लागत	नवीकरण (जिसमें नवीकरण माना जाने वाला भी शामिल है)/ सरकारी प्राधिकारियों से पट्टे पर लिए खनन की मंजूरी पर वन भूमि के खनन उद्देश्य हेतु उपयोग के लिए खान पर वनरोपण कार्य के संबंध में देय।
खनन समापन लागत	खदानों के समापन हेतु अनुमानित देयता, यह खनन कार्य की समाप्ति पर लगाया जाता है।
पीछे का अतिरिक्त भार हटाने का खर्च	भविष्य के वर्षों में कार्य के लिए खदान पर पीछे का अतिरिक्त भार हटाने में लगाया जाता है।

(₹ करोड़ में)

प्रावधानों का संचालन	खनन वनरोपण लागत	खनन समापन लागत	अतिरिक्त भार हटाने का खर्च	कुल
01 अप्रैल, 2021 तक शेष	34.35	99.25	67.24	200.84
वर्ष के दौरान वृद्धि	27.19	30.47	55.00	112.66
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.16	-0.74	0.00	-0.58
वर्ष के दौरान वापस की गई अप्रयुक्त राशि	-	-1.12	7.19	6.07
31 मार्च, 2022 को शेष राशि	61.38	131.58	115.05	308.01

51.4 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के विनियमन 34 (3) की प्रकटीकरण अपेक्षाओं के अनुसार ऋणों और अग्रिमों के संबंध में ब्यौरा:

(₹ करोड़ में)

सहायक कंपनी का नाम*	वर्ष के अंत में बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋण और अग्रिम	वर्ष के दौरान बकाया ऋणों के स्वरूप में ऋणों और अग्रिमों की अधिकतम राशि
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के अधीन)	2.53* (2.53)*	2.53 (2.53)

* वसूली के लिए संदेहास्पद होने के कारण ₹2.53 करोड़ (₹2.53 करोड़) के लिए बही–खातों में प्रावधान किया गया है।

ii) कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को ऋणों के अलावा) जिनमें, पुनःभुगतान के लिए कोई समय कार्यक्रम नहीं है अथवा सात वर्ष से अधिक की भुगतान अवधि है; और

फर्मों/कंपनियों, जिनमें निदेशक इच्छुक हैं, को ऋणों के रूप में कोई ऋण और अग्रिम नहीं है।

51.5 दायर त्रैमासिक स्टॉक/प्राप्य विवरण का समाधान (₹ करोड़ में)

समाप्त तिमाही	बैंक का नाम	प्रदान की गई प्रतिभूतियों का विवरण	त्रैमासिक रिटर्न में रिपोर्ट की गई राशि	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि	अंतर राशि	भौतिक विसंगतियों के कारण
मार्च–22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	इन्वेंटरी	19967	19296	671	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
मार्च –22	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	व्यापार प्राप्य	4859	4737	122	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
दिसंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	इन्वेंटरी	19184	19148	36	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
दिसंबर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	व्यापार प्राप्य	6472	6463	9	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
सितम्बर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	इन्वेंटरी	15927	15722	205	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
सितम्बर–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	व्यापार प्राप्य	8088	8087	1	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
जून–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	इन्वेंटरी	13325	15907	-2582	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।
जून–21	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	व्यापार प्राप्य	7241	7162	79	दाखिल करने की तिथि के अनुसार अन्तरिम डेटा।

51.6 संशोधित अनुसूची–III के अनुसार अनुपात

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021	प्रसरण (%)	कारण
1.	वर्तमान अनुपात *(चालू संपत्तियां चालू दायित्व)*	0.73:1	0.68:1	+7%	
2.	ऋण इक्विटी अनुपात *(कुल उधारी/कुल इक्विटी)*	0.33:1	0.87:1	+62%	ऋण की महत्वपूर्ण भुगतान और लाभ का संचय
3.	ऋण सेवा कवरेज अनुपात (कई बार) *(ब्याज और कर/ऋण से पहले की कमाई सेवा)*	1.53	0.36	+325%	ऋण की महत्वपूर्ण भुगतान और ईबीआईटी में वृद्धि
4.	लाभांश पर रिटर्न(%) *(कर के बाद निवल लाभ/औसत निवल मूल्य)*	25.16	9.25	+16%	
5.	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात (दिनों की संख्या) *(औसत सूची/राजस्व से संचालन)*365*	77	114	+32%	बिक्री की मात्रा और प्राप्ति में वृद्धि के कारण
6.	व्यापार प्राप्य कारोबार अनुपात (दिनों की संख्या) *(औसत व्यापार प्राप्य/राजस्व संचालन से)*365*	23	45	+49%	बिक्री की मात्रा में वृद्धि, बिक्री की प्राप्ति और व्यापार प्राप्तियों में कमी के कारण
7.	व्यापार देय कारोबार अनुपात (दिनों की संख्या) *(औसत व्यापार देय/माल की खरीद)*365*	92	119	+23%	आयातित कोयले और अन्य कच्चे माल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण
8.	निवल पूंजी कारोबार अनुपात* *(संचालन/कार्यशील पूंजी से राजस्व)*	-	-	-	
9.	निवल लाभ अनुपात (%) *(कर/राजस्व के बाद शुद्ध लाभ संचालन)*	11.61	5.57	+6%	
10.	नियोजित पूंजी पर रिटर्न (%) *(ब्याज और कर/पूंजी नियोजित से पहले की कमाई)*	29.97	16.67	+13%	
11.	निवेश पर प्रतिफल (%) *(निवेशित निधियों से उत्पन्न आय/औसत निवेशित फंड)*	11.99	10.11	+2%	

*कार्यशील पूंजी ऋणात्मक है

51.7 **(क)** कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों' सहित) को या किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (ओं) में कोई फंड अग्रिम या उधार या निवेश नहीं किया गया है'), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगा ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

(ख) कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ('फंडिंग पार्टियों') सहित किसी भी व्यक्ति (ओं) या संस्था (ओं) से कोई फंड प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि कंपनी, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रति संशोधित अनुसूची–iii किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में निवेश करें या फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थियों') की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें।

52. प्रचालन खण्ड सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	अन्तर खंड बिक्री	कुल
राजस्व											
– बाह्य बिक्री											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	26299.91	11146.83	24130.47	25680.67	11495.65	699.32	2632.13	243.21	476.94	-	102805.13
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	18987.44	8344.30	13910.18	16019.87	7900.98	381.33	1692.97	105.63	1109.64	-	68452.34
– अंतर खंड बिक्री											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	1499.17	659.19	2591.85	2607.65	687.31	190.43	16.79	128.19	2808.56	(11189.14)	-
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	705.83	369.33	1136.70	220.51	389.87	164.42	9.52	57.19	4843.28	(7896.65)	-
– उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	27799.08	11806.02	26722.32	28288.32	12182.96	889.75	2648.92	371.40	3285.50	(11189.14)	102805.13
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	19693.27	8713.63	15046.88	16240.38	8290.85	545.75	1702.49	162.82	5952.92	(7896.65)	68452.34
परिणाम											
– संचालन लाभ / (–) ब्याज और असाधारण मदों से पूर्व हानि											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	2853.35	1157.02	6347.65	6386.86	827.14	(71.46)	97.79	(35.88)	527.54	-	18090.01
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	2301.63	973.19	2598.92	2487.29	513.30	(70.83)	(54.20)	(50.06)	938.50	-	9637.74
– वित्तीय लागत											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1697.88
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2817.14
– असाधारण मद											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.41
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58.43)
– कराधान व्यय											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4023.68
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3029.01
– वर्ष के लिए लाभ / हानि (–)											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12015.04
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3850.02
अन्य सूचना											
– खंड की परिसंपत्तियां											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	31351.06	6283.17	25844.95	20785.61	15750.29	565.31	2211.64	271.24	14677.87		117741.14
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	31122.24	6232.20	23040.23	20639.31	16551.10	545.00	2300.83	326.76	14974.76		115732.43
– सेगमेंट देयताएं (लंबी अवधि की उधार सहित)											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	9195.16	3016.83	8367.33	7016.39	1752.99	250.07	534.20	63.54	35527.49		65724.00
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	8705.53	2823.31	5686.67	5242.73	1548.56	213.34	439.49	46.15	47531.77		72237.55
– पूंजीगत व्यय											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	1214.86	270.84	3525.48	848.48	268.09	0.03	2.01	2.76	(405.31)		5727.24
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	711.37	246.30	750.80	952.87	182.89	1.06	10.31	0.42	137.36		2993.38
– मूल्यह्रास											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	1177.46	278.72	935.29	888.10	798.07	8.60	99.00	7.32	81.61		4274.17
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	1148.10	265.30	837.74	771.48	755.70	8.74	98.29	7.56	209.09		4102.00
– मूल्यह्रास के अलावा गैर नकद खर्च											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	75.23	25.73	120.26	33.02	22.83	1.18	0.83	0.29	77.47		356.84
31 मार्च, 2021 को समाप्त पूर्व वर्ष	53.91	12.52	29.95	9.75	36.74	2.38	2.44	0.53	113.73		261.95

53. पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत किया गया है, ताकि वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप हो।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–I

1.	**तेज राज और पाल** सनदी लेखाकार ए60, अमरपाली सोसाइटी, लालपुर, गंगा डायग्नोसिस लेन, रायपुर – 492001	2.	**एस जयकिशन** सनदी लेखाकार 12, हो ची मिन्ह सरानी, दूसरी मंजिल, सुइट नं. 2डी, 2ई और 2एफ, कोलकाता – 700071	3.	**वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एल–41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001	4.	**के ए एस जी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार दूसरी मंजिल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद – 826001

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट **सशर्त राय** 1. हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("कंपनी") के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का लेखापरीक्षण पूर्ण किया है जिसमे, 31 मार्च, 2022 तक के तुलन पत्र, लाभ और हानि के विवरण (जिनमें अन्य व्यापक आय शामिल हैं), नकद प्रवाह विवरण, उस समय समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इक्विटी परिवर्तन का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्याएं (जिन्हें यहाँ "भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण" संबोधित किया है) शामिल है, जिसमें परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं।	
2. हमारी राय और जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, और नीचे दिए गए अन्य मामलों के अनुभाग में उल्लिखित शाखाओं के वित्तीय इंडस्ट्रीज़ के अलग–अलग इंडस्ट्रीज़ पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों के आधार पर, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़कर, उपरोक्त स्टैंडअलोन इंडस्ट्रीज़ के रूप में वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और सत्यता पूर्वक देते हैं और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष दृष्टिकोण, जिसमें भारतीय लेखा मानक कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के साथ अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित हैं, 31 मार्च, 2022 को कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार और इसके लाभ (कुल व्यापक आय सहित), इसका नकदी प्रवाह और वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन उस तिथि को समाप्त हो गया।	
सशर्त राय के आधार पर 3. जैसा कि नोट 47.2 (क) के साथ–साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संदर्भित है, प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामले अब सुप्रीम कोर्ट/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय/सौंपे गए प्राधिकरण के नियमित बेंच के समक्ष लंबित हैं। अन्य न्यायालयों द्वारा निर्णय लंबित होने पर, प्रबंधन का विचार है कि 31 मार्च 2022 तक ₹1,419.51 करोड़ की राशि के विभिन्न राज्यों में विवादित प्रवेश कर की मांग के लिए कंपनी के साथ के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य के अभाव में, हमारी राय है कि एकल वित्तीय विवरणों में प्रवेश कर देयता के प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए।	सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को जारी रखा। हालाँकि, बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कि कर की भेदभावपूर्ण दरें, दूसरे देश से भारत के भूभाग में प्रवेश करने वाले सामानों पर कर, आदि मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठों द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। तदनुसार, सेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालयों के लंबित निर्णय के कारण, ₹1,419.51 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देयताओं को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
4. जैसा कि नोट 47.2 (ख) के साथ संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संदर्भित है, चालू संपत्ति में 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए गए बिलों के खिलाफ दामोदर घाटी निगम को विवाद के तहत भुगतान किए गए ₹587.72 करोड़ का अग्रिम शामिल है। मामला है टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग के साथ मुकदमेबाजी के तहत, प्रबंधन का मानना है कि राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और इस प्रकार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन शेष राशि की वसूली के प्रबंधन के तर्क का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त सबूत के अभाव में, हमारी राय है कि इस तरह के अग्रिम की संभावित गैर–वसूली के लिए एक भत्ता स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में बनाया जाना चाहिए।	कंपनी का विचार है कि मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय से विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के खिलाफ 2004–09 के टैरिफ से संबंधित डीवीसी द्वारा दायर नागरिक अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 के अनुसार खारिज कर दिया है। राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) एपीटीईएल द्वारा निर्देशित खुदरा टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसका वित्तीय निहितार्थ केवल एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही पता लगाया जा सकता है। डीवीसी ने 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ नवंबर 2020 में अपना खुदरा शुल्क आवेदन दायर किया और 2012–13 से 2014–15 तक की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की भी मांग की। कंपनी ने 28 दिसंबर, 2020 को डीवीसी के उक्त आवेदन पर अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराई हैं। उपरोक्त विवादित मांगों (3) और (4) में बताई गई, वैध और वास्तविक आधार पर लड़ी गई, को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि वर्तमान दायित्व 31 मार्च, 2022 को मौजूद हैं। इसलिए इसका इस साल के मुनाफे पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
5. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त सभी योग्यताओं का प्रभाव निम्नानुसार है: (राशि ₹ करोड़ में)	

विवरण	31 मार्च 2022 तक	
	रिपोर्ट की गई शेष राशि	परिमाणित सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि
अन्य इक्विटी	47,886.61	46,384.56
स्थगित कर देयता	5,259.93	4,754.75
अन्य चालू परिसंपत्तियां	2,322.16	1,734.44
अन्य वर्तमान देनदारियां	4,076.75	5,496.26

उपरोक्त मामलों के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी संशोधित किया गया था।

6. संलग्न स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 49.16 में वर्णित मामले के संबंध में, कंपनी की एक शाखा दुर्गापुर स्टील प्लांट के वित्तीय विवरणों पर निम्नलिखित योग्यता पैराग्राफ दिया गया है, जिसे हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: 'प्रबंधन माल रसीद/चालान रसीद–जीआर/आईआर खातों (पूंजीगत कार्यों के लिए व्यापार देय/देय के तहत समूहीकृत) के मिलान की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2022 तक बकाया राशि ₹101.54 करोड़ (31 मार्च 2021– ₹304.08 करोड़) है। प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, संयंत्र ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹186.16 करोड़ की राशि वापस लिखी है। अपेक्षित सहायक दस्तावेज के अभाव में, हम वापस लिखी गई राशि की सटीकता और पूर्णता पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर चल रहे समाधान का प्रभाव'।	लेखापरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार जीआई/आईआर के अंतर्गत शेष के समाधान की प्रक्रिया विधिवत पूरी कर ली गई है।
7. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और इसके तहत नियम, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं और जो शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा प्राप्त किए गए हैं, उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में नीचे दिए गए अन्य मामले खंड के अनुच्छेद 20 में संदर्भित है, हमारी योग्य राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	
मामलों पर जोर 8. हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं: (i) साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ध्यान दें 49.2, जो बताता है कि संचालन से होने वाले राजस्व में सरकारी एजेंसियों को बिक्री 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹6,237.41 करोड़ (₹21,163.29 करोड़ के 31 मार्च 2022 तक संचयी) शामिल है, जिसे मान्यता प्राप्त है ऐसी सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार अंतरिम कीमतों के आधार पर। (ii) साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर ध्यान दें 49.14, जो बताता है कि इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कंपनी के पूर्ववर्ती कच्चे माल के डिवीजन (दं डिवीजन) की 1 जुलाई 2021 से कंपनी के राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट (एक साथ प्लांट के रूप में संदर्भित) के साथ 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय जानकारी शामिल है जो विघटित और विलय हो गई है। इस तरह की वित्तीय जानकारी को डिवीजन के तत्कालीन लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किया गया था और अब कंपनी के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों/संयंत्रों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जैसा कि कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के पूरे सेट पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य से उक्त नोट में बताया गया है। हालांकि, जैसा कि नोट में आगे कहा गया है, कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत आवश्यक रूप से डिवीजन के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मामले को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजने की प्रक्रिया में है। इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।	
प्रमुख लेखापरीक्षा मामले 9. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, जैसा कि नीचे पैराग्राफ 20 में संदर्भित है, वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
10. योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के अतिरिक्त, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में निर्धारित किया है।	

मुख्य लेखापरीक्षा मामले	हमारे लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देयताएं प्रावधान और आकस्मिक ऋण कंपनी कई कानूनी, विनियामक और कर मामलों के अधीन है जिसका अंतिम परिणाम आसानी से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता और जो संभावित रूप से महत्वपूर्ण ऋणों मे प्रमाणित हो सकता है। प्रासंगिक ऋणों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे नोट सं. 47 और नोट संख्या 3.18 के साथ भारतीय लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के रूप में पढ़ा जाता है। यह आकलन कि क्या किसी दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों और विनियमों, नियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित आकलनों की व्याख्या और सावधानीपूर्वक जांच में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय के लिए आवश्यक है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और माप की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की। – लंबित मुकदमों के परिणाम के आकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। – मुकदमेबाजी के मामलों के सारांश का निरीक्षण किया और कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की। – निरीक्षण और मूल्यांकन, जहां लागू हो, कंपनी द्वारा मांगी गई बाहरी कानूनी और/या नियामक सलाह। कुछ सामग्री चल रहे मुकदमों के लिए निपटने वाले वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त की।
चूंकि शामिल राशियां महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण उच्च अनुमान अनिश्चितता है जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है, इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	– कुछ भौतिक मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के आकलन पर चर्चा की और चुनौती दी। तदनुसार, हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए मान्यता प्राप्त प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की राशि की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। – लागू लेखा मानकों के अनुसार कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त संपत्ति (आईए) और पूंजीगत कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) क्रमशः ₹68,362.72 करोड़, ₹1,459.35 करोड़ के मूल्य के साथ है। और ₹4,016.72 करोड़, जैसा कि साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में बताया गया है। ऐसी गैर–चालू परिसंपत्तियों की पहचान और माप के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों के लिए नोट 3 देखें। पीपीई, आईए और सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्यों और उनके संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन मात्रा के निर्धारण के लिए काफी प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत, वार्षिक परिसंपत्ति, जीवन समीक्षा, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग शामिल हैं, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार इंड एएस 16 –संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस 16) और इंड एएस 38–अमूर्त संपत्ति (इंड एएस 38) के सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के निर्धारण और माप के लिए हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों का मूल्यांकन इंड एएस 16 और इंड एएस 38 की आवश्यकताओं के अनुसार किया। – उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। – वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण करके और मूल्यांकन किया कि क्या पूंजीकृत संपत्तियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और सही अवधि में और सही मात्रा में सटीक रूप से पहचानी गई थीं।

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) 31 मार्च 2022 तक कंपनी के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त संपत्ति (आईए) और पूंजीगत कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) क्रमशः ₹68,362.72 करोड़, ₹1,459.35 करोड़ के मूल्य के साथ है। और ₹4,016.72 करोड़, जैसा कि साथ में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में बताया गया है। ऐसी गैर–चालू परिसंपत्तियों की पहचान और माप के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों के लिए नोट 3 देखें। पीपीई, आईए और सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्यों और उनके संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन मात्रा के निर्धारण के लिए काफी प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत, वार्षिक परिसंपत्ति, जीवन समीक्षा, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग शामिल हैं, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार इंड एएस 16–संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (इंड एएस 16) और इंड एएस 38–अमूर्त संपत्ति (इंड एएस 38) के सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के निर्धारण और माप के लिए हैं। सीडब्ल्यूआईपी के वहन मूल्य में लंबी अवधि की परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि भी शामिल होती है, जिसमें ऐसी परियोजनाओं की निरंतरता और व्यवहार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है। कंपनी की तुलन पत्र के संदर्भ में शामिल राशियों के महत्व और आवश्यक निर्णयों और अनुमानों के स्तर पर विचार करते हुए, हम इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – कंपनी द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और कंपनी द्वारा इंड एएस 16 और इंड एएस 38 की आवश्यकताओं के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों का मूल्यांकन किया। – उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। – वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण करके और मूल्यांकन किया कि क्या पूंजीकृत संपत्तियां मान्यता मानदंडों को पूरा करती हैं और सही अवधि में और सही मात्रा में सटीक रूप से पहचानी गई थीं। – पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण, मूल्यह्रास की गणना में लागू उपयोगी जीवन की उपयुक्तता सहित निर्दिष्ट गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की। जैसा कि प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया जाता है, जहां आवश्यक हो, और दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चली आ रही सीडब्ल्यू आईपी शेष राशि की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया। – लागू लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया है।	
उप–उत्पाद इन्वेंट्री 31 मार्च 2022 तक ₹4,924.71 करोड़ की राशि के उप–उत्पादों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश के नोट 3.8 और महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण से संबंधित धारणाओं के लिए नोट 3.24.4 देखें। उप–उत्पादों की सूची में मुख्य रूप से सब–ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग और स्लाइम में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रैप और लौह अयस्क फाइन युक्त टेलिंग शामिल हैं, जो स्टॉक पाइल्स में जमा होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि नोट 49.11 में बताया गया है, खान मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा दिनांक 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार, कुछ उप–उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी और इसलिए, पिछले वर्षों में पहली बार उनका मूल्यांकन किया गया था।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं की समझ प्राप्त की, जिसमें उप–ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में एम्बेडेड लौह और इस्पात स्क्रैप और लौह अयस्क फाइन्स (उप उत्पाद) से संबंधित नियंत्रण शामिल हैं। – प्रबंधन द्वारा प्राप्त ईएसी राय के संयोजन के रूप में इंड एएस 2, इन्वेंट्री की आवश्यकताओं के अनुसार उप–उत्पाद इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति का मूल्यांकन किया। – उप–उत्पादों के मूल्य के प्रबंधन के मूल्यांकन का आकलन करने में, हमने मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उप–उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) का पता लगाने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा की।	

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
मुख्य लेखापरीक्षा मामले	**हमारे लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया**	
कंपनी के प्रबंधन ने उप–उत्पाद सूची की मान्यता और माप पर पिछले वर्ष और चालू वर्ष में आईसीएआई (ईएसी राय) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय भी मांगी। ऐसी वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को इन वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यांकन दर के निर्धारण के लिए अनुमानों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इस तरह के उप–उत्पाद सूची के कैप्टिव खपत के लिए अपेक्षित भविष्य की बिक्री योग्यता और योजनाओं के आधार पर, प्रबंधन ने तुलन पत्र की तारीख से 12 महीने के बाद कंपनी के परिचालन चक्र के गैर–वर्तमान भंडार के रूप में बिक्री/उपभोग की उम्मीद की सूची को वर्गीकृत किया है। इस तरह के उप–उत्पादों की सूची की बिक्री/खपत में नगण्य आंदोलन, उसके वहन मूल्य की भौतिकता और ऊपर चर्चा की गई जटिलताओं के कारण, हमने इस क्षेत्र को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है। इसके अलावा, नोट 49.11 में वर्णित उपरोक्त सूची के वर्गीकरण और मूल्यांकन के प्रबंधन के मूल्यांकन को स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए मौलिक माना जाता है।	– एनआरवी के प्रबंधन के अनुमान को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के संदर्भ में सत्यापित किया गया था। हमने उप–उत्पादों की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा मांगी गई बाहरी विशेषज्ञों से तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट और जुर्माने की गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त की। – वर्तमान और गैर–वर्तमान के बीच उप–उत्पाद सूची के वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली अनुमानित बिक्री/खपत के प्रबंधन के कामकाज को प्राप्त किया, और अंतर्निहित धारणाओं का परीक्षण प्रसंस्करण की हमारी समझ और प्रबंधन के मूल्यांकन के अलावा ऐसी सूची की बिक्री के लिए आवश्यक अनुमोदन के आधार पर ऐसे उप–उत्पादों की मांग की उपलब्धता पर अनुमान लगाया। – लागू लेखा मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।	

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

11. कंपनी के निदेशक मंडल अन्य जानकारी के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वार्षिक रिपोर्ट इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

    स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

    स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या इसमें प्राप्त हमारी जानकारी ऑडिट या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है।

    जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक गलत विवरण है, तो हमें इस मामले को प्रमुख लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है।

प्रबंधन की जिम्मेदारियां और उन पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए शासन का प्रभार

12. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। कंपनी के निदेशक मंडल इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय स्थिति के वित्तीय प्रदर्शन का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं, अधिनियम की धारा 133 और भारत में आम तौर पर स्वीकृत अन्य लेखांकन सिद्धांतों के तहत निर्दिष्ट भारतीय मानकों के अनुसार कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन को शामिल किया गया है। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है, उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना है जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है, जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और गलत विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं।

13. स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कंपनी को एक चालू कंपनी के रूप में जारी रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि निदेशक मंडल द्वारा लेखांकन के आधार पर जारी मुद्दों और लेखांकन के आधार पर लागू होने वाले मामलों का खुलासा किया जाता है। या तो वे कंपनी का परिसमापन करना चाहते हैं या परिचालन बंद करना चाहते हैं, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
14. वे निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं। **स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां** 15. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा पर मानकों के अनुसार आयोजित एक लेखा परीक्षा हमेशा एक महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें सामग्री माना जाता है, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उम्मीद की जा सकती है।	
16. अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। इसके साथ ही हम : • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार और निष्पादित किया जाता है, ताकि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक साक्ष्य प्राप्त हों, जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम एक से अधिक त्रुटि के परिणामस्वरूप हो सकता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण आदि शामिल हो सकता है। • परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण को समझें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है। • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें। • निदेशक मंडल की उपयुक्तता के आधार पर लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के उपयोग के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित एक सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या शर्तों के कारण कंपनी मौजूदा चिंता के रूप में विचार करना बंद कर सकती है। • प्रकटीकरण सहित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और पता लगाते हैं कि क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है। • स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए कंपनी और उसकी शाखाओं की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करती है। हम कंपनी की वित्तीय जानकारी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी शाखाओं की लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें से हम स्वतंत्र लेखा परीक्षक हैं। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य शाखाओं के लिए, जिनकी शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे शाखा लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षाओं के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं। 17. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं। 18. हम उन प्रभारित आदेशों की भी पहचान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए, जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है और जहां लागू संबंधित सुरक्षा उपायों के बारे में सोचा जा सकता है। 19. शासन के प्रभारी लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की उचित रूप से इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों को पछाड़ने की अपेक्षा की जाएगी।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
अन्य मामला 20. हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में शामिल ग्यारह शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों की वार्षिक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनके 31 मार्च 2022 तक वार्षिक वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी कुल संपत्ति और निवल संपत्ति क्रमशः ₹56,600.50 करोड़ और ₹30,665.77 करोड़ और कुल राजस्व ₹39,506.31 करोड़, 7,568.75 करोड़ का कर के बाद कुल निवल लाभ, ₹7,580.83 करोड़ रुपये की कुल व्यापक आय और समाप्त वर्ष के लिए ₹12.75 करोड़ रुपये का नकद बहिर्वाह (निवल) को दर्शाती है। इन वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है, जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह शाखाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उपरोक्त शाखाओं से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं हैं। **अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट** 21. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और ऊपर पैराग्राफ 20 में संदर्भित शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि हमारी कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है। तदनुसार, धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। 22. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा 11 के संबंध मे केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2010 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 के में निर्धारित मामलों पर **अनुलग्नक 1** मे एक कथन दे रहे हैं। 23. अधिनियम की धारा 143 (3) की आवश्यकता के अनुसार, **अनुलग्नक 1 में हमारी टिप्पणियों के अलावा,** हमारे लेखापरीक्षण और शाखाओं के वित्तीय विवरणों पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, जिसका जिक्र ऊपर दिए गए पैराग्राफ 20 में किया गया है, पर विचार करने के आधार पर हम, जहां तक लागू हो, रिपोर्ट पेश करते हैं किः (क) हमने वे सभी आवश्यक सूचनाएं और व्याख्याएं प्राप्त की हैं जो हमारे श्रेष्ठ ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारे लेखापरीक्षण के उद्देश्य के लिए आवश्यक थी । (ख) ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत योग्यता अनुभाग में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में कानून के अनुसार अनिवार्य उचित खातों का रखरखाव कंपनी द्वारा किया गया है, जहां तक हमारे द्वारा उन खातों की जांच से प्रतीत होता है। (ग) अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखापरीक्षण किए गए कंपनी के शाखा कार्यालयों के खातों पर शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट को हमारे पास भेजा गया है और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय हमने उसे अच्छी तरह से देखा है। (घ) अन्य व्यापक आय, नकदी प्रवाह विवरण और इक्विटी में परिवर्तन के विवरण सहित बैलेंस सीट और लाभ और इस रिपोर्ट में हानि विवरण को संबंधित खातों के अनुसार ध्यान में रखा गया है। ड.) ऊपर "सशर्त राय के लिए आधार" शीर्षक के अंतर्गत वर्णित मामलो के प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत कथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के साथ–साथ जारी किए गए संबंधित नियमों के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों की अनुपालना करते हैं। च) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित एक सरकारी कंपनी है, छ) खातों के रख–रखाव से संबंधित योग्यता और उससे जुड़े अन्य मामले, जैसा कि "सशर्त राय के लिए आधार खंड में बताया गया है, ज) 31 मार्च 2022 को कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **अनुलग्नक 2** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें जिसमें हमने संशोधित राय व्यक्त की है, झ) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 (संशोधनों सहित) के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल मामलों के संबंध में, हमारी राय में और श्रेष्ठ सूचना के और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार : जैसा कि ऊपर पैरा 20 में संदर्भित हैः i. "सशर्त राय के लिए आधार" के पैराग्राफ 3 और 4 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए 31 मार्च 2022 को कंपनी की स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं, जैसा कि नोट 47 में विस्तृत वर्णन किया गया है। ii. कंपनी, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 43(ii)(ख) में विस्तृत वर्णित है, ने 31 मार्च 2022 तक प्रावधान किया है, जैसा कि लागू कानून या लेखा मानकों के तहत आवश्यक है, भौतिक पूर्वाभास योग्य नुकसान, यदि कोई हो, के लिए लंबे समय तक–व्युत्पन्न अनुबंधों सहित सावधि अनुबंध है,	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
iii. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में हस्तांतरित करने के लिए आवश्यक राशियों को हस्तांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है, केवल ₹1.00 करोड़ का दावा लावारिस परिपक्व जमा से संबंधित है, जिसे निवेशक शिक्षा में जमा करना आवश्यक था। और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान सुरक्षा निधि और जिसे 31 मार्च 2022 तक जमा नहीं किया गया है, iv. क. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट 51.7 (क) में खुलासा किया गया है, कोई भी धन उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या प्रतिभूति प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से कंपनी द्वारा या किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (संस्थाओं) में, विदेशी संस्थाओं (मध्यस्थों) सहित, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, कंपनी (परम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार या निवेश करें या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई गारंटी प्रदान करें, ख. प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में नोट 51.7 (ख) में खुलासा किया गया है, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति (यों) या इकाई (संस्थाओं) से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें शामिल हैं विदेशी संस्थाएं (फंडिंग पार्टियां)। इस समझ के साथ, चाहे वह लिखित रूप में दर्ज हो या अन्य, कि कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरह से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करेगी। फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थी) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करना, तथा ग. ऐसी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उपरोक्त उप–खंड (क) और (ख) के तहत प्रबंधन के अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।	व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा परिपक्व जमा का दावा पहले ही किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लंबित है। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमा राशि वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
24. पिछले वर्ष के लिए घोषित ऐसे लाभांश के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान किया गया अंतरिम/अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है और जैसा कि नोट 44 और 49.13 के साथ–साथ स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए कहा गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है।	
25. अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, हमने **अनुलग्नक 3** में कंपनी के संबंध में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।	

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678
यूडीआईएनः 22214678AJOGWW4504
स्थानः नई दिल्ली

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
सी.ए. विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636
यूडीआईएनः 22062636AJLPPQ3664
स्थानः नई दिल्ली

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
सी.ए. नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103
यूडीआईएनः 22502103AJKYRT9482
स्थानः नई दिल्ली

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751
यूडीआईएनः 22034751AJLQXV7763
स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2022

परिशिष्ट 1

शाखा लेखापरिक्षकों द्वारा लेखापरिक्षित शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों की सूची

1. केंद्रीय विपणन संगठन – दक्षिणी क्षेत्र
2. केंद्रीय विपणन संगठन – पश्चिमी क्षेत्र
3. केंद्रीय विपणन संगठन – पूर्वी क्षेत्र
4. केंद्रीय विपणन संगठन – परिवहन और नौवहन
5. अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची
6. राउरकेला इस्पात संयंत्र
7. आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र, बर्नपुर
8. सेलम इस्पात संयंत्र
9. विश्वेश्वरैया लौह व इस्पात संयंत्र
10. सेल अपवर्तक इकाई
11. चंद्रपुर फेरो एलॉय संयंत्र

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षक की स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर सम तिथि की रिपोर्ट के पैराग्राफ 22 में संदर्भित अनुलग्नक 1

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
हमारे द्वारा मांगी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के संदर्भ में और कंपनी द्वारा दी गई और लेखा पुस्तकों और अभिलेखों की लेखा परीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि:	
(i) (क) (अ) कंपनी ने अधिकतम मामलों में पूरे विवरण का अभिलेख रखा है जिसमें मात्रात्मक विवरण के साथ इसकी स्थायी सम्पत्तियों, संयंत्र और उपकरण, उपयोग का अधिकार संपत्ति और निवेश की स्थिति शामिल है। लेकिन कुछ भूमियों के संबंध में लोकेशन और क्षेत्रफल की सीमा को अद्यावत स्थायी सम्पत्तियों के रजिस्टर में करने की जरूरत है और आय के रिकॉर्ड को भूमि की होल्डिंग और लोकेशन की सीमा के संबंध में समायोजित करना होगा। इसमें देरी उन प्रक्रियात्मक मामलों के कारण हुई जो संबंधित राज्य सरकारों के राजस्व विभागों के राजस्व रिकार्ड के साथ सुनिश्चित करने और समायोजित करने में शामिल हैं।	स्थायी संपत्ति रजिस्टरों में संबंधित संयंत्रों के क्षेत्रों की लोकेशन और क्षेत्रफल की सीमा को अपडेट करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
(ब) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।	
(ख) कंपनी के पास अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संपत्ति के उपयोग के अधिकार और निवेश संपत्ति के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जिसके तहत तीन साल की अवधि में संपत्ति को चरणबद्ध तरीके से भौतिक रूप से सत्यापित किया जाता है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और उसकी संपत्ति की प्रकृति के संबंध में उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, वर्ष के दौरान कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, संपत्ति के उपयोग के अधिकार और निवेश संपत्ति का सत्यापन किया गया और इस तरह के सत्यापन पर कोई भौतिक विसंगतियां नहीं देखी गईं। हालांकि, कुछ भूमि और भवन हैं जो अतिक्रमण/अनधिकृत कब्जे के अधीन हैं और इसलिए, भौतिक सत्यापन के अधीन नहीं थे।	अतिक्रमण/अनधिकृत व्यवसाय के तहत भूमि और भवनों से निवासियों को बेदखल करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
(ग) कंपनी द्वारा धारित सभी अचल संपत्तियों (निवेश संपत्तियों सहित) के शीर्षक विलेख (संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौतों को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) वित्तीय विवरणों में खुलासा किया गया है कंपनी के नाम पर, निम्नलिखित संपत्तियों को छोड़कर, जिसके लिए कंपनी का प्रबंधन कंपनी के नाम पर पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया में है:	

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड़ में)	के नाम पर आयोजित	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	आयोजित होने के बाद की अवधि	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	10.29	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1986-2008	उत्परिवर्तन लंबित है
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.09	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1954-1974	उत्परिवर्तन लंबित है
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.01	एशियाई रेफ्रेक्ट्रीज	नहीं	05-04-1963	उद्योग विभाग बिहार की ओर से पुनर्वास
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.12	असम सिकिमिनेट एंड भारत रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	लागू नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	इंडियन फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-1960	लागू नहीं
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	7.56	तमिलनाडु राज्य सरकार	नहीं	1972-80	तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा निजी मालिकों से भूमि का अधिग्रहण किया गया था और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि को भी सलेम संयंत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके लिए कोई शीर्षक विलेख निष्पादित नहीं किया गया था, लेकिन राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार भूमि सलेम स्टील प्लांट के नाम पर पंजीकृत है।
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	1960	झारखंड राज्य सरकार और सेल/बोकारो स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन की औपचारिकताओं की प्रतीक्षा है
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल की सरकार	नहीं	1963	लंबित पंजीकरण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	लंबित पंजीकरण

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड में)	के नाम पर आयोजित	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	आयोजित होने के बाद की अवधि	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	3.85	चेन्नई मेट्रो विकास प्राधिकरण	नहीं	06-03-1995	लंबित पंजीकरण
पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31-03-1984	लंबित पंजीकरण
भवन	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01-08-2019	लंबित पंजीकरण

संपत्तियों के लिए जहां कंपनी एक पट्टेदार है, पट्टे की व्यवस्था कंपनी के पक्ष में निम्नलिखित मामलों को छोड़कर विधिवत निष्पादित की गई है:

संपत्ति का विवरण	सकल वहन मूल्य (₹ करोड में)	के नाम पर आयोजित	क्या प्रमोटर, निदेशक या उनके रिश्तेदार या कर्मचारी	आयोजित होने के बाद की अवधि	कंपनी के नाम नहीं होने का कारण
पट्टा भूमि	0.49	बुरानपुर	पश्चिम बंगाल की सरकार	01-08-2011	सेल के नाम पर 99 साल के लिए संपत्ति का अधिकार
पट्टा भूमि	0.20	रांची	मेकॉन लिमिटेड	1979-80	मेकॉन लिमिटेड द्वारा आयोजित (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
पट्टा भूमि	147.81	राउरकेला	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)	01-02-2009	यूपीएसआईडीसी, उत्तर प्रदेश में मुकदमा
पट्टा भूमि	3.28	राउरकेला	उड़ीसा सरकार	1960	ओडिशा के सरकार के साथ लीज समझौते का अभाव।
पट्टा भूमि	15.07	भिलाइ	छत्तीसगढ़ राज्य	मार्च, 2013	संबंधित अधिकारियों के साथ उठाया गया
पट्टा भूमि	16.80	कोलकाता	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	07-05-2014	लंबित पंजीकरण
पट्टा भूमि	11.97	विशाखापटनम	वाइजैग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	27-07-2004	लंबित पंजीकरण
पट्टा भूमि	0.91	जम्मू	जम्मू और कश्मीर सरकार	05-07-1968	लंबित पंजीकरण
पट्टा भूमि	0.67	कानपुर	कानपुर विकास प्राधिकरण	1986	लंबित पंजीकरण
पट्टा भूमि	23.04	कोलकाता	कोलकाता महानगर विकास प्राधिकरण	09-10-2009	लंबित पंजीकरण
पट्टा भूमि	0.48	दुर्गापुर	पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार	1956-57	1872.39 एकड़ के लिए राज्य सरकार के पास लंबित है क्योंकि उक्त सरकार के साथ सूचित मामला उठाया गया है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और उपयोग के अधिकार संपत्ति या अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ड़) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ड.) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ii) (क) प्रबंधन ने तीसरे पक्ष के पास पड़ी इन्वेंट्री को छोड़कर, वर्ष भर उचित अंतराल पर इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया। हमारी राय में, प्रबंधन द्वारा इस तरह के सत्यापन की कवरेज और प्रक्रिया उपयुक्त है और सूची के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक की कोई विसंगति नहीं देखी गई। कुछ मामलों में, दृश्य सर्वेक्षणों/अनुमानों के आधार पर थोक माल का सत्यापन किया गया है। वर्ष के अंत में तीसरे पक्ष के पास मौजूद इन्वेंट्री के लिए, प्रबंधन द्वारा लिखित पुष्टि प्राप्त की गई है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

(ख) कंपनी की मौजूदा परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों द्वारा स्वीकृत पूंजी सीमा ₹ 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ कार्यशील पूंजी सीमा के संबंध में तिमाही विवरण दाखिल किए गए हैं और ऐसे विवरण संबंधित अवधि के लिए कंपनी के खाते की पुस्तकों के अनुरूप नहीं हैं, जो नीचे दिए गए सारांश के अनुसार लेखा परीक्षा/समीक्षा के अधीन थे।

(₹ करोड़ में)

बैंक/वित्तीय संस्थान का नाम	कार्यशील पूंजी की सीमा स्वीकृत	प्रतिभूति के रूप में दी जाने वाली वर्तमान परिसंपत्तियों की प्रकृति	समाप्त तिमाही	रिटर्न के अनुसार खुलासा राशि	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि	अंतर	टिप्पणी/कारण, यदि कोई हो
भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों का संघ	10,000	स्टॉक और व्यापार प्राप्य	30 जून 2021	20,566	23,069	(2,503)	जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमें सूचित किया गया था, बैंकों को सूचना अंतरिम संख्या के आधार पर प्रदान की गई थी
			30 सितंबर 2021	24,015	23,809	206	
			31 दिसंबर 2021	25,656	25,611	45	
			31 मार्च 2022	24,826	24,033	793	

(iii) (क) कंपनी ने दो कंपनियों को ऋण की प्रकृति में अग्रिम प्रदान किया है। उसी का विवरण नीचे दिया गया है। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पक्ष को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है।

विवरण	ऋण की प्रकृति में अग्रिम
वर्ष के दौरान सकल राशि – संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	-
तुलन पत्र की तारीख को बकाया शेष राशि – संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं	8.10

(ख) किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और ऋण और गारंटी की प्रकृति में सभी ऋणों और अग्रिमों के अनुदान के नियम और शर्तें, प्रथम दृष्टया, कंपनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं।

(ग) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों की प्रकृति के ऋणों और अग्रिमों के संबंध में, मूलधन की चुकौती और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है और मूलधन और ब्याज की चुकौती/प्राप्तियां नियमित हैं।

(घ) ऐसी कंपनियों को दिए गए ऋणों की प्रकृति में ऋण या अग्रिम के संबंध में कोई अतिदेय राशि नहीं है।

(ड.) कंपनी ने ऋण दिया है जो वर्ष के दौरान देय तिथि पर या उससे पहले चुकाया गया था। इसके अलावा, किसी भी पक्ष को ऋण की प्रकृति के अतिदेय ऋणों/अग्रिमों के निपटान के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया गया।

(च) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है, जो मांग पर या चुकौती की शर्तों या अवधि को निर्दिष्ट किए बिना चुकाया जा सकता है।

(iv) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश, गारंटी और सुरक्षा, जैसा लागू हो, के संबंध में अधिनियम की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया है। इसके अलावा, कंपनी ने धारा 185 के तहत किए गए किसी भी लेनदेन में हिस्सेदारी नहीं की है।

(v) कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है या ऐसी कोई राशि नहीं है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) के अर्थ के तहत जमा माना गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(vi) केंद्र सरकार ने कंपनी के उत्पादों के संबंध में अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत लागत रिकॉर्ड का रखरखाव निर्दिष्ट किया है। हमने लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार कंपनी द्वारा बनाए गए खाते की किताबों की व्यापक समीक्षा की है और हमारी राय है कि, प्रथम दृष्टया, निर्धारित खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए गए हैं। हालांकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से लागत रिकॉर्ड की विस्तृत जांच नहीं की है कि वे सही या पूर्ण हैं।

(vii) (क) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वस्तु और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री–कर, सेवा कर सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया,, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री सांविधिक देय, जैसा लागू हो, कंपनी द्वारा नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किया गया है, हालांकि कुछ मामलों में मामूली देरी हुई है। इसके अलावा, इसके संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि वर्ष के अंत में देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, उप–खंड (क) में निर्दिष्ट कोई वैधानिक बकाया नहीं है जो निम्नलिखित को छोड़कर किसी भी विवाद के कारण उपयुक्त अधिकारियों के पास जमा नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	सकल राशि	भुगतान की गई राशि	विवरणी के अनुसार प्रकट की गई राशि	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि
बिक्री कर कानून	बिक्री कर	3.09	-	1989-90, 1991-92	सर्वोच्च न्यायालय
		357.47	25.82	1987-91, 1992-93, 1996-98, 2004-05, 2009-14	उच्च न्यायालय
		818.29	102.64	1990-92, 1993-99, 2001-17	न्यायाधिकरण
		3.61	2.46	2006-07, 2009-10, 2011-12, 2016-17	अतिरिक्त आयुक्त (अपील)
		6.81	3.01	1997-99, 2014-15	अपर आयुक्त
		15.34	0.96	1984-85, 1995-96, 1997-99, 2006-11, 2012-15	आयुक्त (अपील)
		42.62	5.27	1987-88, 1996-98, 2007-14, 2015-18, 2019-20	बिक्री कर आयुक्त
		38.50	1.76	1993-94, 1995-96, 2007-18	संयुक्त आयुक्त
		0.17	-	1984-85	सहायक आयुक्त
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	237.65	3.98	1991-96, 2001-03, 2005-06, 2007-08, 2011-12, 2014-16	सर्वोच्च न्यायालय
		188.75	-	1997-98, 2000-01, 2002-03, 2006-12, 2013-14	उच्च न्यायालय
		5,346.13	22.32	1992-93, 1996-2019	न्यायाधिकरण
		29.8	0.23	1988-89, 2004-05, 2007-08, 2014-15, 2016-18, 2021-22	आयुक्त (अपील)
		5.77	1.19	1993-94, 1998-99, 2004-18	आयुक्त
वित्त अधिनियम, 1994	सेवा कर	36.56	-	2004-05	उच्च न्यायालय
		251.92	0.45	2001-04, 2012-17	न्यायाधिकरण
		4.53	0.13	2011-17, 2021-22	आयुक्त (अपील)

टिप्पणियां						प्रबंधन के उत्तर
अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	सकल राशि	भुगतान की गई राशि	विवरणी के अनुसार प्रकट की गई राशि	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि	
सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	1.65	-	2008-09	उच्च न्यायालय	
		4.3	-	2009-10, 2015-16, 2017-18, 2020-21	न्यायाधिकरण	
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	310.24	-	1998-2010	उच्च न्यायालय	
		382.88	2.18	2003-04, 2006-07, 2009-11, 2013-14	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण	
		429.88	38.45	2011-17	आयुक्त (अपील)	
माल और सेवा कर अधिनियम, 2017	माल और सेवा कर	27.24	-	2017-18	उच्च न्यायालय	
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1947	कर्मचारी राज्य बीमा	66.71	-	1999-2007	कर्मचारी राज्य बीमा न्यायालय	
कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	भविष्य निधि	0.69	-	1998-99	उच्च न्यायालय	
नगर निगम अधिनियम, 1956	संपत्ति कर	885.67	-	2015-21	उच्च न्यायालय	
ओडिशा प्रवेश कर अधिनियम, 1999	प्रवेश कर	164.98	76.02	2008- 2017	सर्वोच्च न्यायालय	
		276.47	17.9	2008-14	उच्च न्यायालय	
		28.61	6.7	2004-10	बिक्री कर न्यायाधिकरण	
		40.48	4.02	2005-07, 2013-15	अतिरिक्त आयुक्त	
छत्तीसगढ़ प्रवेश कर अधिनियम, 1976	प्रवेश कर	3,278.84	2164.2	1990-91, 2008-09 से आगे	उच्च न्यायालय	
		597.7	122.56	2010-15	वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण	
		6.21	2.03	2013-2017	अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील)	
झारखंड अधिनियम संख्या 11, 2011	प्रवेश कर	86.23	-	2001-02, 2012-18	उच्च न्यायालय	
स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर उत्तर प्रदेश कर अधिनियम, 2007	प्रवेश कर	0.33	0.13	2008-11	उच्च न्यायालय	
		0.83	-	2013-14	न्यायाधिकरण (अपील)	
एचपी एंट्री टैक्स एक्ट 2010	प्रवेश कर	3.18	0.25	2010-11	उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त, अपील	
छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकार अधिनियम 2005	पर्यावरण उपकर	190.72	190.72	2006-07 से 2021-22	उच्च न्यायालय	
छत्तीसगढ़ उपकार (संशोधन) अधिनियम, 2004	ऊर्जा विकास उपकर	215.97	-	Dec-2006 से आगे	सर्वोच्च न्यायालय	
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	एन पी वी	96.28	96.28	2017-18	सर्वोच्च न्यायालय	
छत्तीसगढ़ उपकार (संशोधन) अधिनियम, 2004	ऊर्जा विकास उपकर	2.77	0.15	2021-22	उच्च न्यायालय	
तटरक्षक नगर निगम अधिनियम, 1956	समेकित कर	0.72	0.72	2001-02 से 2009-10	उच्च न्यायालय	
अन्य सांविधिक बकाया	वन विकास कर	5.01	-	2010-11	सर्वोच्च न्यायालय	
	स्टाम्प शुल्क	2,320.40	-	1992	उच्च न्यायालय	
	ट्रांजिट पास– छत्तीसगढ़ ट्रांजिट (वन उपज) नियम, 2001	99.64	54.86	2001-02 to October 2012	उच्च न्यायालय	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	सकल राशि	भुगतान की गई राशि	विवरणी के अनुसार प्रकट की गई राशि	लेखा पुस्तकों के अनुसार राशि
अन्य सांविधिक बकाया	चुंगी	21.77	-	1992-93 to 1999-2000	उच्च न्यायालय
	अन्य	24.53	0.13	2000-2016	उच्च न्यायालय / घरेलू न्यायालय

(viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में कोई भी लेन–देन अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया गया था, जो लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

(ix) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और कंपनी के प्रबंधन से प्राप्त प्रतिनिधित्व के अनुसार, और हमारी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा जानबूझकर चूककर्ताया अन्य ऋणदाता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, सावधि ऋण के माध्यम से जुटाए गए धन को उन उद्देश्यों के लिए लागू किया गया था, जिनके लिए ये प्राप्त किए गए थे।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी द्वारा अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ड.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगी के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति या संयुक्त उद्यम से कोई धन नहीं लिया है।

(च) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग) (क) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या (पूरी तरह से, आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ग)(ड.) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) (क) हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) हमारे लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के लिए अधिनियम की धारा 143(12) के तहत केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसल ब्लोअर शिकायतों, जैसा कि प्रबंधन द्वारा हमारे साथ साझा किया गया है, पर लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय हमारे द्वारा विचार किया गया है।

(xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है और निधि नियम, 2014 इस पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा संबंधित पक्षों के साथ किए गए सभी लेनदेन अधिनियम की धारा 177 और 188, जहां लागू हो, के अनुपालन में हैं। इसके अलावा, इस तरह के संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 24, संबंधित पार्टी प्रकटीकरण कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियम 2015 में निर्दिष्ट है, जैसा कि धारा 133 के तहत निर्धारित किया गया है।

(xiv) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है जो कंपनी के आकार और प्रकृति के अनुरूप है, सिवाय इसके कि कंपनी कुछ पहलुओं पर आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है, जैसे कि पर्यावरण का परीक्षण, ईआरपी प्रणाली के भीतर स्वचालित नियंत्रण और किए गए परीक्षण के उन्नत प्रलेखन।

(ख) हमने कंपनी के आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की अवधि के लिए अब तक जारी की गई रिपोर्टों पर विचार किया है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन नहीं किया है और तदनुसार, अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (xvi) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
(xvii) कंपनी को चालू वित्तीय वर्ष के साथ–साथ तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कोई नकद हानि नहीं हुई है।	
(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।	
(xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों के आधार पर, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी, योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी निदेशक मंडल और प्रबंधन, हमारी राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी तुलन पत्र की तारीख में मौजूदा अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है और जब वे एक अवधि के भीतर देय हो जाते हैं तुलन पत्र की तारीख से एक साल। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा कंपनी के रूप में और जब वे देय हो जाते हैं, तब छुट्टी दे दी जाएगी।	
(xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी परियोजना के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की उप–धारा (5) के तहत कोई भी अव्ययित राशि नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(क) और 3(xx)(ख) लागू नहीं हैं।	
(xxi) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में खंड (xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट के तहत उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।	

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678
यूडीआईएनः 22214678AJOGWW4504
स्थानः नई दिल्ली

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

हस्ता./–
सी.ए. विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636
यूडीआईएनः 22062636AJLPPQ3664
स्थानः नई दिल्ली

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

हस्ता./–
सी.ए. नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103
यूडीआईएनः 22502103AJKYRT9482
स्थानः नई दिल्ली

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751
यूडीआईएनः 22034751AJLQXV7763
स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 2

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के अनुच्छेद (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट 1. हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरणों पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ओडिट के साथ–साथ भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण का इसी तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लेखापरीक्षण किया है। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी और उस पर लगाया गया प्रभार** 2. कंपनी के निदेशक मंडल वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी किया गया है वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (दिशानिर्देश नोट) स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के डिजाइन, प्रयोग और रखरखाव शामिल हैं, जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाना और उनकी रोकथाम करना शामिल है। अधिनियम के तहत आवश्यक त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना शामिल है। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी** 3. हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर हमारी जिम्मदारी है कि वित्तीय प्रवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपनी राय देना। हम हमारा लेखापरीक्षण वित्तीय प्रवेदन (दिशानिर्देश नोट) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में दिशानिर्देश नोट और आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुसार किया है और इसका प्रावधान कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10), जहां तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होता है, के अंतर्गत किया गया है, और ये दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर लागू होते हैं, दोनों ही को इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। इन मानकों और दिशानिर्देश नोट के अनुसार आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं की अनुपालना करें और लेखापरीक्षण की योजना बनाएं और उसे पूरा करें ताकि इस बारे में उचित गारंटी दी जा सके कि क्या वित्तीय प्रवेदन पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण था और उसे बनाए रखा गया और क्या इस प्रकार के नियंत्रणों का सभी तरह से प्रभावी संचालन हुआ या नहीं। 4. वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करना, ये हमारे लेखापरीक्षण में शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के हमारे लेखापरीक्षण में वित्तीय प्रवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, इस जोखिम का मूल्यांकन करना कि महत्वपूर्ण कमजोरी है, और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रभावी संचालन की जांच और मूल्यांकन इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर करना ये शामिल था। चुनी गई विधियां लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित थी, जिनमें भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में जालसाजी या त्रुटि के कारण बड़ी त्रुटि के जोखिम का मूल्यांकन करना शामिल है। 5. हम विश्वास करते हैं कि जो लेखापरीक्षण प्रमाण हमें प्राप्त हुआ है वह हमारी लेखापरीक्षण राय के लिए वित्तीय प्रवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर पर्याप्त है। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ** 6. वित्तीय प्रतिवेदन पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जिसे भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित गारंटी प्रदान करने के लिए और भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत वित्तीय विवरण की तैयारी के लिए डिजाइन किया जाता है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नितियां और विधियां शामिल हैं जो (1) उस रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं जो उचित विस्तारपूर्वक, शुद्धता और ईमानदारी से कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और स्थिति को प्रस्तुत करता है; (2) जो इस बात की उचित गारंटी देता है कि उन लेनदेनों को दर्ज किया गया है जो सामान्यतः स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के अधिकारों के अनुसार किया गया है; और जो (3) कंपनी की सम्पत्तियों की अनाधिकृत खरीद, प्रयोग, या स्थिति की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित गारंटी प्रदान करता है जिनका भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की निहित सीमाएँ** 7. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की आंतरिक सीमाओं के कारण, जिनमें नियंत्रणों की अभिसंधि या अनुचित प्रबंधन उल्घन शामिल हैं, गलती या जालसाजी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और पकड़ में न आने की संभावना होती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन के भावी अनुमानों में इस बात का जोखिम हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या पॉलिसी या विधियों की अनुपालना की डिग्री कम हो सकती है। **योग्य राय** 8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार के आधार पर, कंपनी की एक शाखा के संबंध में 31 मार्च 2022 को निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है। निम्नलिखित महत्वपूर्ण कमजोरियों के संभावित प्रभावों को सामग्री के रूप में मूल्यांकन किया गया है लेकिन इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों तक व्यापक नहीं है: आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर दुर्गापुर स्टील प्लांट के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, कंपनी की एक शाखा, लेखाकार की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा जारी की गई लेखाकारों ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 23 मई 2022 के द्वारा, हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की:	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
माल रसीद/चालान रसीद–जीआर/आईआर खातों (व्यापार देय/पूंजीगत कार्यों के लिए देय) के समाधान की प्रक्रिया से संबंधित 31 मार्च 2022 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संयंत्र के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है।	लेखापरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार जीआई/आईआर के अंतर्गत शेष के समाधान की प्रक्रिया विधिवत पूरी कर ली गई है। इसलिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर संयंत्र के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई कमजोरी नहीं है।
9. एक 'महत्वपूर्ण कमजोरी' वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की एक सामग्री गलत विवरण को रोका नहीं जाता या समय पर पता चल जाता है।	
10. हमारी राय में, कंपनी के पास आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर, 31 मार्च 2022 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। आईसीएआई द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है, और नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के प्रभावों/संभावित प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रूप से कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण काम कर रहे थे।	
11. हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारी लेखा परीक्षा में लागू किए गए लेखा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर बताई गई और दर्ज की गई महत्वपूर्ण कमजोरी पर विचार किया है, और कमजोरी ने कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है।	
अन्य मामला	
12. हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की, जहां तक यह ग्यारह शाखाओं/इकाइयां/विपणन क्षेत्रों से संबंधित है जिनके वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी कुल संपत्ति और निवल संपत्ति क्रमशः ₹56,600.50 करोड़ और ₹30,665.77 करोड दर्शाती है। 31 मार्च 2022 तक और कुल राजस्व ₹39,506.31 करोड़, ₹7,568.75 करोड़ का कर के बाद कुल निवल लाभ, ₹7,580.83 करोड़ की कुल व्यापक आय और समाप्त वर्ष के लिए ₹12.75 करोड़ का नकद बहिर्वाह (निवल), जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण में माना गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जहां तक यह ऐसी शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों से संबंधित है, का लेखा परीक्षण शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है और हमारी रिपोर्ट पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जहां तक यह ऐसी शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्य और रिपोर्ट पर हमारी निर्भरता के संबंध में इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678
यूडीआईएनः 22214678AJOGWW4504
स्थानः नई दिल्ली

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

हस्ता./–
सी.ए. विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636
यूडीआईएनः 22062636AJLPPQ3664
स्थानः नई दिल्ली

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

हस्ता./–
सी.ए. नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103
यूडीआईएनः 22502103AJKYRT9482
स्थानः नई दिल्ली

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751
यूडीआईएनः 22034751AJLQXV7763
स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अनुलग्नक 3

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
कंपनी के रिकार्डों के सत्यापन पर आधारित और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 5 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश, हम निम्नलिखित रिपोर्ट करते हैं:		
क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत दिशा–निर्देश		
प्रश्न	**लेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ**	
1. क्या कंपनी के पास सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए आईटी सिस्टम के माध्यम से प्रणाली है? यदि हाँ, तो वित्तीय निहितार्थ, साथ–साथ खातों की अखंडता पर आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण, यदि हो, बताया जा सकता हैं।	कंपनी चार एकीकृत इस्पात संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठन के संबंध में लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए एसएपी सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है। अन्य संयंत्र/इकाइयों के संबंध में कंपनी विरासत सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग करती है। हमारे लेखापरीक्षण के आधार पर, परीक्षण के आधार पर, और शाखाओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, जहाँ भी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के बाहर कामकाज पर आधारित हैं, खातों की अखंडता की कमी के कोई उदाहरण नहीं हैं और कोई वित्तीय निहितार्थ नोट/प्रतिवेदन नहीं किया गया है।	
2. क्या किसी मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या कर्ज की ऋण/उधार/ब्याज आदि के मामले मे, कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी द्वारा ऋण दिया गया हो? यदि हाँ, तो वित्तीय असर कहा जा सकता है।	प्राप्त हुई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के ऋण की अदायगी में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को कर्ज ऋण/उधार/ब्याज आदि की छूट/ऋणशोधन के मामलों के पुनर्स्थापन का कोई मामला नहीं था।	
3. क्या केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि प्राप्त/स्वीकार्य की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हमारी सर्वोत्तम जानकारी के लिए, हमारे लेखापरीक्षण के दौरान हमारे द्वारा लागू किए गए चेक और शाखाओं/इकाइयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, हमारी यह राय हैं कि केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि/स्वीकार्य ठीक से खाते थे/इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उपयोग किया जाता है।	
4. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने 42.98 मिलियन टन सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन्स की सूची का मूल्यांकन शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण में ₹ 3791.18 करोड़ है। कंपनी द्वारा उप–ग्रेड लौह अयस्क के पुराने डंप से पिछले दो वर्षों के दौरान उप–ग्रेड लौह अयस्क जुर्माना के स्टॉक के परिसमापन में अनिश्चितता को देखते हुए इस जुर्माने की बिक्री के लिए झारखंड राज्य सरकार की अनुमति के अभाव में ग्रेड लौह अयस्क जुर्माना और राज्य में स्थित खदानों से निम्नलिखित की जांच की जा सकती है:		
i) क्या सेल के तुलन पत्र में 31 मार्च 2022 तक ऐसे सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन का मूल्यांकन जारी है। यदि हां, तो यह बताया जा सकता है कि बिक्री और मांग की मात्रा को देखते हुए कंपनी की विभिन्न कैप्टिव खानों में पड़े उप–ग्रेड लौह अयस्क फाइन के स्टॉक की आयु के रूप में मूल्यांकन उचित है या नहीं।	हां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के तुलन पत्र में 31 मार्च 2022 तक ऐसे सब–ग्रेड लौह अयस्क फाइन का मूल्यांकन जारी है। जैसा कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 49.11 में बताया गया है, कंपनी द्वारा भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से ली गई राय के आधार पर, कंपनी को मान्यता प्राप्त है। 31 मार्च 2020 तक इन इन्वेंट्री को उप–उत्पाद इन्वेंट्री के रूप में और चूंकि, ये इन्वेंट्री कई वर्षों में उत्पन्न हुई थीं, इसलिए कंपनी ने ऐसी इन्वेंट्री को समान उप–भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), भारत सरकार के संगठन द्वारा घोषित और रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित के रूप में पिछले 36 महीनों में ग्रेड जुर्माने के वास्तविक मूल्यांकन का पता लगाना अव्यावहारिक बना दिया।	

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
	इसके अलावा, जैसा कि नोट में बताया गया है, जबकि, चालू और पिछले वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसे माल की मात्रा में मामूली उतार–चढ़ाव रहा है, उप–ग्रेड जुर्माना और हाल की बिक्री मूल्य प्रवृत्तियों के लिए बाजार में महत्वपूर्ण मांग है। ऐसे मालसूची के वहन मूल्य से अधिक और अधिक मार्जिन के संकेत हैं। प्रबंधन की भविष्य में एक लाभकारी संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है जो सालाना उप–ग्रेड जुर्माना की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेगा। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर इन आविष्कारों के वहन मूल्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। नोट 49.11 में वर्णित उपरोक्त सूची के वर्गीकरण और मूल्यांकन के प्रबंधन के मूल्यांकन को भी स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए मौलिक माना जाता है। हमारी मुख्य रिपोर्ट के 'प्रमुख लेखापरीक्षा मामले' खंड को भी देखें।	
ii) क्या वास्तविक बाजार दर निर्धारित करने के लिए मूल्यांकित संपूर्ण मात्रा की तुलना में बड़ी मात्रा में बिक्री हुई थी?	कुल मूल्यांकित मात्रा की तुलना में वर्ष के दौरान उप–श्रेणी के लौह अयस्क फाइनों का नगण्य संचलन होता है। हालांकि, नोट 49.11 में उल्लिखित कारणों के लिए, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर इन इन्वेंट्री के वहन मूल्य में कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।	

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678
यूडीआईएनः 22214678AJOGWW4504
स्थानः नई दिल्ली

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

हस्ता./–
सी.ए. विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636
यूडीआईएनः 22062636AJLPPQ3664
स्थानः नई दिल्ली

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

हस्ता./–
सी.ए. नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103
यूडीआईएनः 22502103AJKYRT9482
स्थानः नई दिल्ली

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751
यूडीआईएनः 22034751AJLQXV7763
स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–II

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का जवाब

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षक, अधिनियम की धारा 143 के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 23 मई, 2022 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है। मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की अधिनियम की धारा 143(6)(अ) के तहत एक पूरक लेखापरीक्षण आयोजित किया है। यह पूरक लेखापरीक्षा स्वतंत्र रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों के कामकाजी दस्तावेजों तक पहुंच के बिना आयोजित की गई और यह मुख्य रूप से वैधानिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कर्मियों की जांच व कुछ लेखांकन रिकॉर्ड के चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। मेरे लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहती हूं जो मेरे संज्ञान में आए हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं।		
क	**लाभप्रदता तुलन पत्र पर टिप्पणियाँ**	
	i. नोट–5: पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹ 4016.72 करोड़ **नोट 41: अन्य खर्च: ₹ 26813.46 करोड़** उपरोक्त में 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए तसरा कोलियरी में 11.99 करोड़ रुपये (निर्माण के दौरान वेतन और ब्याज सहित) शामिल हैं। कोलियरी में उत्पादन 2017–18 में शुरू हुआ था, लेकिन माइन्स डेवलपर और ऑपरेटर के काम छोड़ने के कारण इसे रोक दिया गया था। कार्य 29 जून 2021 से संविदात्मक रूप से किया गया था। चूंकि कोलियरी में उत्पादन सितंबर 2017 में शुरू हुआ था, बाद के सभी व्यय लाभ और हानि के विवरण के लिए चार्ज किए जाने चाहिए थे। उपरोक्त शुल्क न वसूलने के परिणामस्वरूप वर्ष के लिए अन्य खर्चों को कम करके और वर्ष के लिए ₹ 11.99 करोड़ से अधिक के लाभ का विवरण दिया गया है।	सेल बोर्ड ने अपनी 390वीं बैठक दिनांक 12 फरवरी, 2013 के माध्यम से 2 साल की निर्माण और विकास अवधि सहित 28 साल की परियोजना अवधि के साथ सेल तसरा खान के विकास और संचालन के लिए खान डेवलपर सह ऑपरेटर (एमडीओ) के साथ अनुबंध करने को मंजूरी दी। एमडीओ अनुबंध 2018 में समाप्त कर दिया गया था। तसरा खान के विकास के लिए 31 मार्च, 2021 तक किए गए खर्चों को पूंजीगत कार्य–प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) के तहत बुक किया गया था। इसके अलावा, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2022 को अपनी 486वीं बैठक के माध्यम से तसरा खान के विकास और संचालन के लिए एक नए एमडीओ की नियुक्ति के लिए नई मंजूरी दी। तसरा खान के विकास के संबंध में किए गए खर्च को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में माना गया और तसरा खान से वाणिज्यिक/टिकाऊ उत्पादन शुरू होने के बाद पूंजीकृत किया जाएगा।
	लाभ और हानि का विवरण **ii. नोट 41: अन्य खर्च: ₹ 26813.46 करोड़** **बिजली और ईंधन: ₹ 6966.92 करोड़** इंड एएस 10 के पैराग्राफ 8 के अनुसार 'एक इकाई अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन की घटनाओं को दर्शाने के लिए समायोजित करेगी।' रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं को समायोजित करना वह है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों का प्रमाण प्रदान करते हैं। आईआईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट, सेल का दुर्गापुर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन (डीवीसी) से बिजली खरीदता है। पश्चिम बंगाल बिजली नियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी) ने डीवीसी के उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ शेड्यूल का निर्धारण करते हुए 5 मई 2022 को आदेश पारित किए। आदेश में उल्लिखित टैरिफ की सभी दरें और शर्तें 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी थीं। उपरोक्त आदेश में डब्ल्यूबीईआरसी ने निर्देश दिया कि डीवीसी उस तारीख के बाद ईंधन की बढ़ी हुई लागत और बिजली खरीद के लिए अतिरिक्त रकम का हकदार होगा, जिस तारीख से टैरिफ आदेश प्रभावी होता है। आईआईएससीओ स्टील प्लांट, बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट ने डब्ल्यूबीईआरसी के उपरोक्त आदेश के अनुसार डीवीसी को देय ईंधन और बिजली की बढ़ी हुई लागत के प्रति देयता प्रदान नहीं की। उपरोक्त का प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप बिजली और ईंधन शुल्क को कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹ 70.17 करोड़ (आईएसपी– ₹ 47.19 करोड़ और डीएसपी– ₹ 22.98 करोड़) से अधिक बताया गया है।	पश्चिम बंगाल बिजली नियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी) ने दिनांक 5 मई, 2022 के टैरिफ आदेश के तहत 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी डीवीसी के उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ शेड्यूल और आयोग के अगले आदेश तक इसे जारी रखने का निर्धारण किया। तदनुसार, 23 मई, 2022 को सेल बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए खातों की पुस्तकों में संशोधित शुल्क पर विचार करते हुए वित्तीय प्रभाव प्रदान किया गया था। तत्पश्चात, अर्थात् सेल बोर्ड द्वारा खातों को अपनाने के बाद, डीवीसी ने 2 जून, 2022 को बकाया बिल उठाया। ईंधन लागत के कारण बकाया की गणना के लिए आवश्यक जानकारी के अभाव में, वित्तीय वर्ष 2021–22 में राशि प्रदान नहीं की जा सकी। इस तथ्य की पुष्टि डीवीसी के दिनांक 8 जुलाई, 2022 के मेल से होती है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि डिफरेंशियल एनर्जी चार्ज बिल तैयार करने के लिए *"अप्रैल 17 से अप्रैल 22 तक के सभी डेटा डीवीसी वेबसाइट में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं थे, ताकि आपको ईंधन बिल की अंतर लागत की गणना स्वयं करने में सक्षम बनाता है।"* जैसा कि जून, 2022 में उपलब्ध कराया गया था, हमने 2022–23 की पहली तिमाही में इसके प्रभाव पर विचार किया है।

	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	वर्तमान देयताएं: ₹ 39317.73 करोड़ **iii. नोट–33: प्रावधान: ₹ 1170.47 करोड़** रेलवे ने चयनित दोहरीकरण परियोजनाओं पर रेल की आपूर्ति के प्रति समायोजित करने के लिए ₹1000 करोड़ की अग्रिम राशि दी थी। 2016–17 के दौरान आपूर्ति की गई रेल की कीमत (अक्टूबर 2019) को अंतिम रूप देते समय, यह सहमति हुई थी कि सेल मुख्य सलाहकार (लागत) द्वारा तय किए गए उधार की भारित औसत कार्यशील पूंजी लागत के अनुसार उन्हें अर्जित बचत/लाभ पर पारित करेगा। , वित्त मत्रांलय। तदनुसार, बकाया अग्रिम पर ब्याज को 2016–17 के दौरान और उसके बाद आपूर्ति की गई रेल की कीमत में समायोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार (लागत) ने 2019–20 के दौरान भारतीय रेलवे को सेल द्वारा आपूर्ति की गई रेल की कीमत की सिफारिश (अगस्त 2021) की और कीमतों में अपेक्षित कमी का प्रावधान खातों में किया गया था। तथापि, कंपनी ने बकाया अग्रिम पर ₹30.79 करोड़ देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। वर्ष 2019–20 के लिए सीए/लागत द्वारा तय की गई ब्याज दर के आधार पर भारतीय रेलवे से लिए गए अग्रिम पर देय ब्याज के लिए गैर प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम करके और वर्ष के लिए लाभ को ₹30.79 करोड़ से अधिक बताया गया।	दिनांक 18 मार्च, 2016 के स्वीकृति पत्र में रेलवे द्वारा दिए गए अग्रिम पर ब्याज का कोई उल्लेख नहीं है। मुख्य सलाहकार (लागत), एमओएफ द्वारा रेल के मूल्य निर्धारण के बाद, रेलवे और सेल के प्रतिनिधियों के बीच एक संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें रेल मूल्य के लिए अंतिम बातचीत होती है और अनुबंध समझौते से परे मुद्दों का निपटारा किया जाता है। जेपीसी की 2019–20 की बैठक के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
ख.	**वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ**	
	i. नोट: 4 – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: ₹ 68362.72 करोड़ झारखंड स्थित सेल की कैप्टिव खानों और कोलियरी की वित्तीय जानकारी को बोकारो स्टील प्लांट के वित्तीय विवरणों में 2021–22 तक मिला दिया गया था। उपरोक्त नोट में झारखंड समूह की खदानों से संबंधित भूमि और आवासीय क्वार्टरों/घरों (अनधिकृत, मानित कब्जे के तहत और पंजीकरण के लिए लंबित संपत्ति) की स्थिति से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया गया था। **लौह अयस्क और फ्लक्स खदानें:** (क) 31 मार्च 2022 को 6020.57 एकड़ (गुआ खदान–89.73 एकड़ और मनोहरपुर खदान–5930.84 एकड़), कंपनी के स्वामित्व/कब्जे/पट्टे पर ली गई है, जिसके संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए लंबित है। (ख) 31 मार्च 2022 (मनोहरपुर खदान) को 96 एकड़ जमीन जिसके संबंध में मालिकाना हक विवादाधीन है (ग) 31 मार्च 2022 को 30.75 एकड़ (किरिबुरु खदानें) अनधिकृत कब्जे के तहत। (घ) 31 मार्च 2022 तक अनधिकृत कब्जे के तहत 1710 आवासीय क्वार्टर/मकान (किरीबुरु–445, मेघाहातुबुरु–170, गुआ–88, भवनाथपुर–300 और मनोहरपुर–707)। **कोलियरी:** (ड.) 695.28 एकड़ भूमि जिसका राज्य सरकार के साथ समाधान लंबित है। (च) 30.01 एकड़ भूमि अतिक्रमण के अधीन (छ) 1646 में से 681 क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं। इस प्रकार, नोट 4 उपरोक्त सीमा तक त्रुटिपूर्ण था	खानों और कोलियरियों से संबंधित भूमि और आवासीय क्वार्टरों/घरों (अनधिकृत, मानित कब्जे के तहत और पंजीकरण के लिए लंबित संपत्ति) के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया जाएगा।
ग.	**प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ**	
	खातों के लिए नोट्स **i. नोट संख्या 51.6: संशोधित अनुसूची III के अनुसार अनुपात** कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में संशोधन किया, ताकि खातों में 11 वित्तीय अनुपातों के प्रकटीकरण की आवश्यकता के साथ–साथ कंपनी के रूप में कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करने के लिए सामान्य निर्देश शामिल किए जा सकें। कंपनी उपरोक्त अनुपातों की गणना के लिए अंश और हर में शामिल मदों की व्याख्या करेगी। पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में 25 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन के लिए आगे स्पष्टीकरण प्रदान किया जाएगा। कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में भिन्नता प्रतिशत की गणना के बजाय 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 के आंकड़े के बीच अंतर के रूप में इक्विटी, शुद्ध लाभ अनुपात, नियोजित पूंजी पर वापसी और निवेश पर वापसी की गणना की। इसके अलावा, चूंकि पिछले वर्ष की तुलना में अनुपात में परिवर्तन तीन अनुपातों (इक्विटी पर प्रतिलाभ, शुद्ध लाभ अनुपात और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ) के संबंध में 25 प्रतिशत से अधिक था, उसी के लिए स्पष्टीकरण का खुलासा करना आवश्यक था। जिनका लेखा–जोखा नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2021–22 के लिए सेल के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में संशोधनों के अनुपालन में कमियां हुई हैं।	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III में संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। चूंकि यह कार्यान्वयन का पहला वर्ष है, कंपनी ने अनुसूची–III में संशोधन की अपनी समझ के आधार पर व्याख्या की है। हालाँकि, लेखापरीक्षा की सिफारिश को वित्त वर्ष 2022–23 में आगे की समीक्षा के लिए नोट किया गया है।

	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	ii. नोट संख्या 47.1 आकस्मिक देनदारियां (क) उपरोक्त में 2001–02 से 2013–14 की अवधि से संबंधित ₹68.40 करोड़ की मांग पर उत्पाद शुल्क पर अंतर ब्याज के लिए ₹31.06 करोड़ शामिल नहीं हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट ने इसके लिए ब्याज का खुलासा किया था जो, 31 मार्च 2017 तक लागू ₹40.94 करोड़, वास्तविक ब्याज के बजाय 31 मार्च, 2022 तक ₹72 करोड़ है। इस प्रकार, ₹31.06 करोड़ की आकस्मिक देनदारियों का संक्षिप्त खुलासा हुआ। (ख) उपरोक्त में ₹23.63 करोड़ (₹37.48 करोड़ घटा ₹13.85 करोड़) शामिल नहीं हैं, जो 2009–10 से 2013–14 की अवधि के लिए बिक्री कर के अंतर दावों को 31 मार्च 2022 तक बोकारो स्टील प्लांट द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार, आकस्मिक देनदारियों के बिक्री कर दावे के शीर्ष के तहत ₹23.63 करोड़ की कमी पाई गई। (ग) उपरोक्त में रामनगर सीम के सालनपुर में वैज्ञानिक शोषण के लिए कार्य से संबंधित कार्य आदेश दिनांक 22/26 जून 1998 के खिलाफ मेसर्स जी एस अटवाल (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड के दावे के लिए ₹21.52 करोड़ शामिल हैं। मध्यस्थ ने सेल के खिलाफ अपना निर्णय दिया है और कंपनी द्वारा फरवरी 2022 में पार्टी को ₹4.69 करोड़ का भुगतान किया गया था। जैसा कि मामला सुलझाया गया था, उसे आकस्मिक देनदारियों से बाहर रखा जाना चाहिए था। इसका अपवर्जन/निष्कासन न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता का ₹21.52 करोड़ से अधिक विवरण हुआ है।	वित्तीय वर्ष 2022–23 में आकस्मिक देयता में उचित सुधार किया जाएगा
	iii. नोट 49.14: नोट 49.14 में, कंपनी ने खुलासा किया है कि *'कंपनी ने 1 जुलाई 2021 को अपने कच्चे माल डिवीजन (प्रभाग) को विघटित कर दिया और तदनुसार, 30 जून 2021 को शेष राशि को राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील संयत्र में मिला दिया गया। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त प्रभाग की वित्तीय जानकारी शामिल है जो ₹374.07 करोड़ (₹1443.41 करोड़ के इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफर को छोड़कर), ₹1702.92 करोड़ का कुल खर्च, ₹114.56 करोड़ का कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ और 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹110.68 करोड़ की कुल व्यापक आय सहित कुल राजस्व को दर्शाती है। डिवीजन के पूर्व लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन और अब कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के पूरे सेट पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य से संयंत्रों के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों/लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। इसके अलावा 30 जून 2021 को ₹7448.85 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹4034.45 करोड़ की कुल देनदारियों को उपरोक्त संयंत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया और 31 मार्च 2022 को संयंत्रों के शेष में शामिल किया गया, जिनका लेखा परीक्षकों द्वारा संबंधित संयत्रों की लेखा–परीक्षा की गई है।* *हालांकि, कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत आवश्यक रूप से डिवीजन के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मामले को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पास भेजने की प्रक्रिया में है।* लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएमडी की वित्तीय जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त पूर्व लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थी। इसके अलावा, आरएमडी के 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही–1 की शेष राशि वर्ष 2021–22 के लिए बोकारो, राउरकेला और भिलाई स्टील संयंत्रों के वित्तीय विवरणों में स्थानांतरित कर दी गई थी और वर्ष 2021–22 के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोट के तहत प्रकटीकरण 49.14 आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, वित्तीय विवरण के नोट 49.14 की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल मामले (8–ii) पर गौर करना भी आवश्यक नहीं है।	लेखापरीक्षा का मत नोट किया गया है।
	कृते और भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक की ओर से **(यू. एस. प्रसाद)** लेखापरीक्षा महानिदेशक (इस्पात), रांची **स्थान:** रांची **दिनांक:** 28 जुलाई, 2022	निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से हस्ता./– **(सोमा मंडल)** **अध्यक्ष** **स्थान:** नई दिल्ली **दिनांक:** 10 अगस्त, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

सचिवीय लेखापरीक्षण रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

{कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में}

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हमारे द्वारा संगत सांविधिक प्रावधानों एवं मान्य निगमित व्यवहारों का अनुसरण किए जाने के प्रति स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एतद्द्वारा "सेल/कम्पनी" के रूप में उल्लिखित) का सचिवीय लेखापरीक्षण गया है। सचिवीय लेखापरीक्षण की प्रक्रिया का संचलन निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन का औचित्यपरक आधार प्राप्त करने तथा उनके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करने के विचार से किया गया था।

हमारे द्वारा कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षण किए जाने के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा भी उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं के आधार पर, हम, एतद्द्वारा, यह सूचित करते हैं कि हमारे मतानुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की समाहित लेखापरीक्षण अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा यहां सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का पूर्णत अनुसरण किया गया है तथा कम्पनी में यहां किए गए उल्लेख के अनुसार बोर्ड प्रक्रियाएं एवं अनुसरण की यंत्र–व्यवस्था रिपोर्टिंग की शर्त के साथ यथोचित ढंग से की गई है:

हमने निम्नलिखित प्रावधानों का अनुसरण किए जाने के संदर्भ में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कम्पनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्य विवरण पुस्तिकाओं, फार्मों एवं दाखिल की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किए गए अन्य रिकार्ड की जांच की है:

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;

(iii) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 तथा उसके अधीन निर्धारित किए गए विनियम एवं उप नियम;

(iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के लिए बनाए गए नियम और विनियम;

(v) भारतीय प्रतिभूति और विनियम परिषद अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनयम एवं दिशानिर्देश:

(क) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम परिषद (शेयरों का अत्यधिक अधिग्रहण और हस्तानान्तरण) विनियम, 2011;

(ख) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम परिषद (भीतरी व्यापार निषेध) विनियम, 2015;

(ग) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम परिषद (ऋण प्रतिभूति को जारी एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2018;

(घ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम परिषद (ऋण प्रतिभूति को जारी एवं सूचीबद्ध करना) विनियम, 2008

(ड.) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम परिषद (निर्गम और शेयर अंतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) विनियम, 1993 जो कम्पनी अधिनियम और ग्राहक के साथ संव्यवहार से संबंधित है

(च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2021,

(छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018,

(ix) कम्पनी के संबंध में नीचे उल्लिखित विशिष्ट लागू विधियों (उद्योग पर यथा लागू) के अंतर्गत अनुपालनों/प्रक्रियाओं/प्रणालियों का सत्यापन कम्पनी के निदेशक मंडल को प्रस्तुत समयकालिक प्रमाण पत्र के आधार पर किया जा रहा है:

(क) खदान अधिनियम, 1952

(ख) खदान और लवण (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957

(ग) कारखाना अधिनियम, 1948

(घ) विस्फोटक अधिनियम, 1884

हमने निम्नलिखित लागू अनुच्छेदों के अनुपालन का परीक्षण किया है:

(क) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों का सामान्यतः अनुपालन किया गया है।

(ख) नेशनल स्टाक एक्सचेंज ऑफ इंडिया तथा बीएसई लिमिटेड के साथ भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम परिषद (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ।

(ग) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशानिर्देश।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी ने निम्नलिखित अवलोकनों की शर्त पर ऊपर उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

I. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(क) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1) के दूसरे प्रावधान के अनुसार, निदेशक

मंडल में 01.04.2021 से 14.11.2021 की अवधि के लिए एक स्वतंत्र महिला निदेशक शामिल नहीं है और बोर्ड पर गैर–कार्यकारी निदेशकों की संख्या 01.04.2021 से 07.11.2021 की अवधि के दौरान पचास प्रतिशत से कम थी।

II. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4) और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.4 के विनियम 17(1)(ख) के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की संख्या 01.04.2021 से 17.11.2021 और 21.12.2021 से 31.03.2022 के दौरान पचास प्रतिशत से कम है। नतीजतन, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के खंड 3.1.2 के अनुसार, कंपनी के पास कंपनी के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशकों की अपेक्षित संख्या होनी चाहिए।

III. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के विनियम 17(10) और 25(4) के अनुसार, कंपनी निदेशकों का निष्पादन मूल्यांकन करेगी।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी के निदेशक मंडल को कार्यकारी निदेशकों, गैर–कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ विधिवत गठित नहीं किया गया था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान हुए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

सामान्यतः निदेशक मंडल को बैठकों की अनुसूची तैयार करने के लिए पर्याप्त नोटिस दिए जाते हैं, कार्यसूची तथा कार्यसूची के विस्तृत नोट सभी निदेशकों को बैठक से कम से कम सात दिन पहले भेजे गए थे, और बैठकों से पूर्व कार्यसूची की मदों पर और अधिक सूचना या स्पष्टीकरणों को प्राप्त करने और अर्थपूर्ण प्रतिभागिता को संभव बनाने के लिए एक व्यवस्था विद्यमान है।

निदेशक मंडल की बैठक/समिति (समितियों) में लिए जाने वाले निर्णय बैठक में उपस्थित निदेशकों/सदस्यों की एकमत से सहमति से लिए गए हैं तथा किसी प्रकार की असहमति, यदि कोई हो, को बैठक के कार्यवृत्त में दर्शाया गया है।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों के अनुपालन को नियंत्रित और सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और संचालनों के अनुरूप उपयुक्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड ने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 17 के तहत गैर–अनुपालन के लिए मौद्रिक जुर्माना लगाया है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 1 में उल्लिखित है, जिसके खिलाफ कंपनी ने कंपनी पर लगाए गए जुर्माने से छूट का अनुरोध करते हुए जवाब दिया है कि बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है, न कि सेल बोर्ड की शक्तियों द्वारा।

हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान, कम्पनी में ऐसी कोई घटना/क्रियाएं घटित नहीं हुई हैं जिनसे ऊपर संदर्भित कानूनों के अनुसरण में कम्पनी की कार्यप्रणाली पर कोई प्रमुख प्रभाव हुआ हो।

कृते अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोडः पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्याः 626/2019

हस्ता./–
सीएस सचिन अग्रवाल
पार्टनर
एफसीएस संख्या : 5774
सीपी संख्याः 5910

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 25.08.2022
यूडीआईएनः एफ005774डी000846746

इस रिपोर्ट को **"अनुबंध क"** के रूप में अनुबंधित हमारे सम तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाए जो इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक ए"

सेवा में,
सदस्यगण,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

हमारी समतिथि की रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए:

1. सचिवीय रिकार्डों का अनुरक्षण कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व लेखापरीक्षा के लिए हमें प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के आधार पर इन सचिवीय रिकार्डों पर अपना मत अभिव्यक्त करना है।

2. हमने सचिवीय रिकार्डों की विषयवस्तु की सत्यता के संबंध में युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने के सुनिश्चय के लिए औचक जांच आधार पर सत्यापन किए गए हैं। हमारा मत है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई पद्धतियां और प्रक्रियाएं, हमारे मत के लिए युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती हैं।

3. हमने कम्पनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है तथा हमारी रिपोर्ट में अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा पहले से ही सूचित किए गए प्रेक्षण/टिप्पणियां/खामियों को शामिल नहीं किया गया है।

4. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है वहां हमने कानूनों, नियमों, विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन का प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

5. निगमित एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारी जांच औचक आधार पर परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं का सत्यापन करने तथा इस मत की प्रस्तुति करने तक ही सीमित है कि क्या कम्पनी में उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं स्थापित है तथा क्या अनुपालन स्थापित है अथवा नहीं।

6. यह सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कम्पनी की भावी व्यवहार्यता के प्रति किसी प्रकार के आश्वासन की प्रस्तुति है और न ही उस प्रभावोत्पादकता या प्रभावशालिता का आश्वासन जिससे प्रबंधन ने कंपनी के सभी कार्यों का निष्पादन किया है।

कृते अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव,
आईसीएसआई विशिष्ट कोड: पी2003डीई049100
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणपत्र संख्या: 626/2019

हस्ता./–
सीएस सचिन अग्रवाल
पार्टनर
एफसीएस संख्या : 5774
सीपी संख्या: 5910

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 25.08.2022

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट 2021–22

कॉरपोरेट गवर्नेंस नीतियों, नियमों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं की प्रणाली है जिसके द्वारा एक कंपनी को सभी हितधारकों के लिए मूल्य को अधिकतम करने के लिए सरकार, निवेशक, शेयरधारक, ग्राहक, विक्रेता, कर्मचारी, पर्यावरण और समाज के अंतिम उद्देश्य के साथ प्रशासित, निर्देशित या नियंत्रित किया जाता है। एक सुशासन उपाय के रूप में एक कंपनी के अभिन्न अंग होने के कारण, कंपनी के संबंधित अधिकारी अपने हितधारकों के प्रति उनके द्वारा लिए गए निर्णयों में पारदर्शिता, निष्पक्षता, नैतिकता और पेशेवर दृष्टिकोण के प्रति जवाबदेह होते हैं।

क) कम्पनी का सिद्धांत

कॉरपोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में कम्पनी का तत्व विचार विधियों, विनियमों तथा लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों सहित दिशानिर्देशों के पूर्ण अनुपालन की पुष्टि के लिए पारदर्शिता, प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग का सुनिश्चय करना तथा समग्र संगठन में शेयरधारक मूल्य में संवर्धन किए जाने के प्रारंभिक उद्देश्य के साथ एक उत्तरदायी कॉरपोरेट सिटिजन की भूमिका का निर्वाह करते हुए सम्पूर्ण संगठन आचरण पूर्ण व्यवहार को बढ़ावा देना है। देश में कॉरपोरेट शासन के उच्चतर मानकों की अनुरूपता के प्रति कम्पनी प्रतिबद्ध है। शेयरधारकों के प्रति निदेशक मंडल की उत्तरदेयता होने तथा निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य का प्रथम कर्तव्य कम्पनी के हितों का सरंक्षण और संवर्धन करने के तथ्य को कम्पनी द्वारा मान्यता दी गई है।

(ख) निदेशक मंडल

हमारे कॉर्पोरेट प्रशासन के मूल में निदेशक मंडल को प्रबंधन की जिम्मेदारी, कंपनी के निर्देशन के प्रदर्शन और यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि हितधारकों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा की जाती है और हितधारकों के मूल्य में वृद्धि होती है। बोर्ड प्रबंधन की रणनीतिक योजनाओं और व्यावसायिक उद्देश्यों की समीक्षा और अनुमोदन करता है और कंपनी की रणनीतिक दिशा की निगरानी करता है। निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015, डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन दिशानिर्देशों और समय–समय पर भारत सरकार द्वारा जारी अन्य दिशानिर्देशों के तहत प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार कार्य करता है, जैसा कि कंपनी पर लागू होता है।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के तहत सरकारी कंपनी है। कंपनी के एसोसिएशन के लेखों के प्रावधानों के संदर्भ में, बोर्ड की क्षमता में छह से कम या चौबीस से अधिक निदेशक नहीं होंगे।

संघ, निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। बोर्ड के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पत्र सं. 3(4)/2007–सेल (पीसी)(पीटी) दिनांक 25 सितंबर, 2020, भारत सरकार (भारत सरकार), इस्पात मंत्रालय (जीओआई) ने निदेशक मंडल की स्वीकृत संख्या को निम्नानुसार सूचित किया है:

(i) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और चार निदेशक प्रभारी सहित नौ कार्यात्मक निदेशक;

(ii) सरकार द्वारा नामित दो निदेशक; तथा

(iii) सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के अनुसार ग्यारह स्वतंत्र निदेशक।

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, निदेशक मंडल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक निदेशक (अर्थात कार्यकारी निदेशक) और 8 गैर–कार्यकारी निदेशक (जिसमें 2 सरकारी नामित निदेशक और 6 स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं) शामिल थे। वर्ष के दौरान, 9 बोर्ड बैठकें क्रमशः 20 अप्रैल, 2021, 10 जून, 2021, 6 अगस्त, 2021, 1 सितंबर, 2021, 29 अक्टूबर, 2021, 17 दिसंबर, 2021, 31 जनवरी, 2022, 9 फरवरी, 2022 और 16 मार्च, 2022 को आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित किन्हीं दो बोर्ड बैठकों के बीच का अंतर 120 दिनों से अधिक नहीं था और सभी में अपेक्षित कोरम मौजूद था। आमने–सामने बैठक प्रक्रिया करने के अलावा वित्तीय वर्ष 2012–22 के दौरान बोर्ड की बैठकें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए भी हुईं।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कोई भी निदेशक 10 से अधिक समितियों में सदस्य या सभी सूचीबद्ध संस्थाओं में 5 से अधिक समितियों में अध्यक्ष नहीं थे, जहां वे निदेशक थे। इस संबंध में, 31 मार्च, 2022 तक बोर्ड की उप समितियों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से, लेखा परीक्षा समिति और हितधारकों की संबंध समिति की अध्यक्षता और सदस्यता को सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के 26(1)(ख) के अनुसार माना गया है। आगे, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां बोर्ड ने किसी भी बोर्ड उप समिति की किसी भी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया था। इसके अलावा, बोर्ड में निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं हैं।

निदेशकों के नाम तथा वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों वार्षिक आम सभा में उनकी उपस्थिति तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा धारित अन्य निदेशक पदों की संख्या, किए गए प्रकटीकरण के अनुसार, का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	निदेशक पद का वर्ग	2021–22 में बोर्ड की बैठकों की संख्या		अंतिम आम सभा में उपस्थिति	अन्य निदेशकों की संख्या*		अध्यक्ष/ सदस्य के रूप में बोर्ड समिति (समितियों) की संख्या**
		कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	उपस्थिति		कुल	सूचीबद्ध कंपनियों में	
1. श्रीमती सोमा मंडल निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के पदों के अतिरिक्त प्रभार के साथ	कार्यकारी अध्यक्ष	9	9	हां	1	–	एम–1 (कार्मिक एवं वित्त निदेशक के रूप में)
2. श्री शशांक प्रिया (22 अप्रैल, 2021 तक)	गैर–कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार नामित)	1	0	लागू नहीं	–	–	–
3. श्रीमती सुकृति लिखी (23 अप्रैल, 2021 से)	गैर–कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार नामित)	8	7	नहीं	5	3	एम–1
4. श्री पुनीत कंसल	गैर–कार्यकारी निदेशक (भारत सरकार नामित)	9	8	नहीं	–	–	–
5. श्री हरिनन्द राय	कार्यकारी निदेशक	9	9	हां	2	–	–
6. श्री के. के गुप्ता (20 दिसंबर, 2021 तक)	स्वतंत्र निदेशक	6	6	हां	–	–	–
7. श्री अमित सेन (31 दिसंबर, 2021 तक)	कार्यकारी निदेशक	6	6	हां	–	–	–
8. श्री एन. शंक्रप्पा	स्वतंत्र निदेशक	9	9	हां	–	–	एम–2
9. श्री अनिर्बान दासगुप्ता	कार्यकारी निदेशक	9	9	हां	3	–	एम–1
10. श्री अमरेंदु प्रकाश	कार्यकारी निदेशक	9	9	हां	–	–	–
11. श्री अशोक कुमार त्रिपाठी (8 नवंबर, 2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	–	–	एम–1
12. श्री कन्हैया सारदा (12 नवंबर, 2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	2	–	एम–1
13. श्रीमती नीलम सोनकर (15 नवंबर, 2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	1	लागू नहीं	–	–	सी–1 एम–1
14. श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू (16 नवंबर, 2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	3	–	सी–1 एम–1
15. डॉ. गोपाल सिंह भाटी (18 नवंबर, 2021 से)	स्वतंत्र निदेशक	4	4	लागू नहीं	2	–	–
16. श्री वेजेंडला श्रीनिवासा चक्रवर्थी (24 दिसंबर, 2021 से)	कार्यकारी निदेशक	3	3	लागू नहीं	1	–	–
17. श्री अतानु भौमिक (11 फरवरी, 2022 से)	कार्यकारी निदेशक	1	1	लागू नहीं	2	–	–

* स्थिति 31 मार्च, 2022 तक है और इसमें निजी कंपनियों में धारित निदेशक पद भी शामिल है।
**31 मार्च, 2022 तक की स्थिति है और इस उद्देश्य से केवल लेखापरीक्षा समिति तथा शेयरधारक संबंध समिति को ही विचार में लिया गया है।
एम = सदस्य, सी = अध्यक्ष

उपरोक्त निदेशकों में से कोई नहीं, श्री शशांक प्रिया और श्रीमती सुकृति लिखी के अलावा 2021–22 के दौरान सेल के अलावा किसी भी सूचीबद्ध इकाई के बोर्ड में थीं। सेल के अलावा, श्रीमती सुकृति लिखी एनएमडीसी लिमिटेड, एमओआईएल लिमिटेड और केओसीएल लिमिटेड के बोर्ड में थीं और श्री शशांक प्रिया सरकार द्वारा नामित निदेशकों के रूप में एनएमडीसी लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड, बीएचईएल, एसटीसी, एमएमटीसी और एचएमटी लिमिटेड के बोर्ड में थे।

सूचना, जैसा कि सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) दायित्वों, 2015 की अनुसूची–II के भाग–क के साथ पठित विनियम 17(7) के तहत आवश्यक है, को बोर्ड के समक्ष रखा गया है। कंपनी पर लागू सभी कानूनों की अनुपालन रिपोर्ट सहित एजेंडा, व्याख्यात्मक नोटों के साथ बोर्ड के सदस्यों को अग्रिम रूप से प्रदान किया जाता है। बोर्ड के सदस्य बोर्ड और बोर्ड उप समिति में विचार–विमर्श में सक्रिय तौर पर भाग लेते हैं। कंपनी के व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों पर मूल्यवान सुझाव, सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करके बैठकें करना, इस प्रकार निर्णय लेने की प्रक्रिया में मूल्य जोड़ना। मांगी गई अतिरिक्त जानकारी सदस्यों को प्रदान की जाती है। बोर्ड की उपसमिति की बैठकों की बैठकों की सिफारिशों को आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है। बैठक के बाद अनुवर्ती प्रणाली के प्रभावी होने के रूप में, इसके निर्णयों पर की गई कार्रवाई से बोर्ड को अवगत कराया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के भाग के दौरान, निदेशक मंडल की संरचना न्यूनतम संख्या में स्वतंत्र निदेशकों, महिला स्वतंत्र निदेशक और गैर–कार्यकारी निदेशकों के संबंध में सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), 2015 विनियम के 17 (1) (क) की आवश्यकता के अनुसार नहीं थी।

ग) लेखापरीक्षा समिति

(i) संदर्भ शर्तें:

सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 की अनुसूची–II के भाग सी के साथ पठित विनियम 18(3) के अनुरूप सेल बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तों में शामिल हैं: लेखापरीक्षा समिति के प्राथमिक जिम्मेदारी वित्तीय विवरण, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर कम्पनी द्वारा की गई व्यवस्था, जोखिम प्रबंधन प्रणाली, प्रबंधन एवं निदेशक द्वारा प्रमाणित लेखांकन एवं विधिक अनुपालन तथा कम्पनी के लेखापरीक्षण, लेखांकन एवं सामान्यतः वित्तीय विवरण प्रक्रिया के प्रति निदेशक मंडल को उनके प्रबंध उत्तरदायित्वों की समीक्षा के कार्य में सहयोग प्रदान करना है। कंपनी और कंपनी के ऑडिटिंग, लेखा और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंधित पार्टी लेनदेन के अनुसार संबंधित पार्टी लेनदेन की समीक्षा आमतौर पर करें।

लेखापरीक्षा समिति द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों की समीक्षा, सांविधिक लेखापरीक्षकों से सम्पर्क, निष्कर्षों पर विचार–विमर्श किया जाता है और सुझाव दिए जाने के साथ–साथ अन्य संबद्ध मामलों एवं कम्पनी द्वारा अनुसरण की जा रही लेखांकन नीतियों की समीक्षा की जाती है। निदेशक मंडल के सम्मुख तिमाही एवं वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने से पूर्व लेखापरीक्षा समिति द्वारा इनकी समीक्षा प्रबंधन के साथ की जाती है।

लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के कार्यवृत्त निदेशक मंडल की बैठकों में चर्चा के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तथा इनमें प्रस्तुत तथ्यों को संज्ञान में लिया जाता है।

(ii) संरचना:

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति का गठन प्रारंभ में 1998 में किया गया था और समय–समय पर इसका पुनर्गठन किया गया है। 31 मार्च, 2022 तक, लेखा परीक्षा समिति में श्री सागी कासी विश्वनाथ राजू, (अध्यक्ष), श्री एन. शंक्रप्पा, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, श्रीमती नीलम सोनकर, श्री कन्हैया सारदा और निदेशक (प्रभारी–बीएसपी)। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, समिति की 9 बार बैठक हुई और बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति नीचे दी गई है:

निदेशक का नाम	पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष (28 दिसंबर, 2021 से)	अध्यक्ष	2	2
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष (20 दिसंबर, 2021 तक)	अध्यक्ष	7	7
श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	9	9
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	2	2
श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	2	2
श्रीमती नीलम सोनकर, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	2	0
श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–बीएसपी)	सदस्य	9	9

घ) नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

(i) सरकारी उपक्रम होने के नाते सेल के निदेशकों की नियुक्ति और उनके नामांकन एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के कार्य भारत सरकार द्वारा किए जाते है। तथापि, कंपनी द्वारा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) गठित की गई है जो मानव संसाधन से जुड़े विभिन्न मामलों, कम्पनी अधिनियम, 2013, सेबी विनियमन से सम्बद्ध मामलों और कंपनी के कार्यकारी के प्रदर्शन संबंधी वेतन (पीआरपी) को अंतिम रूप प्रदान करने के कार्य देखती है। इसमें समिति केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के विभागों के दिशा–निर्देशों को मानती है।

31 मार्च, 2022 तक, श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) की नामांकन और पारिश्रमिक समितिय श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष, सेल; श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय (सरकार द्वारा नामित निदेशक), श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक; श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक; और डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान आयोजित एनआरसी की 7 बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष (28 दिसंबर, 2021 से)	अध्यक्ष	1	1
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष (20 दिसंबर, 2021 तक)	अध्यक्ष	6	6
श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष, निदेशक (कार्मिक) का अतिरिक्त प्रभार	सदस्य	7	5
श्री पुनीत कंसल, संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय	सदस्य	7	7
श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	7	7
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	1	1
डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	1	1

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(2) के अनुसार, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) ऐसे व्यक्तियों की पहचान करेगी जो निदेशक बनने के लिए योग्य हैं और जिन्हें निर्धारित मानदंडों के अनुसार वरिष्ठ प्रबंधन में नियुक्त किया जा सकता है। बोर्ड उनकी नियुक्ति और निष्कासन और बोर्ड, उसकी समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों के प्रदर्शन के प्रभावी मूल्यांकन के तरीके को निर्दिष्ट करेगा। मूल्यांकन या तो बोर्ड, एनआरसी या एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा किया जाना है और एनआरसी मूल्यांकन प्रणाली के कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करेगा। इसके अलावा, सेबी 2015 के विनियम 17(10) और 25(4) और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(8) के अनुसार स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड के लिए स्वतंत्र निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन की आवश्यकता है ताकि उनकी निरंतरता या अन्यथा निर्णय लिया जा सके। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 5 जून, 2015 की अपनी अधिसूचना के माध्यम से सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों से छूट अधिसूचित की है, जो अन्य बातों के साथ–साथ उप धारा (2), (3) और (4) नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की धारा सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी। सेल के बोर्ड में कार्यात्मक निदेशकों के साथ–साथ अंशकालिक गैर–आधिकारिक निदेशकों (स्वतंत्र निदेशकों) की नियुक्ति भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा नामांकन/नियुक्ति के आधार पर की जाती है। नियुक्ति के नियम और शर्तों के साथ–साथ सभी निदेशकों का कार्यकाल भी भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा कार्यात्मक निदेशकों और सीएमडी के मूल्यांकन के लिए एक अच्छी तरह से निर्धारित प्रक्रिया है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 5 जुलाई, 2017 की अधिसूचना के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों के लिए कोड से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV में संशोधनों को अधिसूचित किया है, जिसमें गैर–स्वतंत्र निदेशकों, अध्यक्ष और के प्रदर्शन के मूल्यांकन से संबंधित खंड हैं। सरकारी कंपनियों के लिए बोर्ड को छूट दी गई है।

(ii) वित्त वर्ष 2021–22 के लिए पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

निदेशक का नाम	वेतन*	अनुलाभ	योग (₹)
श्रीमती सोमा मंडल	74,76,332	16,97,513	91,73,845
श्री हरिनन्द राय	67,60,042	13,76,188	81,36,230
श्री अमित सेन (31 दिसंबर, 2021 तक)	66,27,720	14,89,781	81,17,501
श्री अनिर्बान दासगुप्ता	66,41,037	6,97,539	73,38,576
श्री अमरेंदु प्रकाश	81,51,614	4,24,735	85,76,349
श्री वेजेंडला श्रीनिवासा चक्रवर्थी (24 दिसंबर, 2021 से)	17,53,523	27,539	17,81,062
श्री अतानु भौमिक (11 फरवरी, 2022 से)	6,22,798	51,001	6,73,799
योग	**3,80,33,066**	**57,64,296**	**4,37,97,362**

* वेतन में पेंशन शामिल है।

(iii) जैसा कि 31 जनवरी, 2022 को आयोजित अपनी 485वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, गैर–कार्यकारी निदेशकों (सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अलावा) को प्रत्येक निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप–समिति/स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में भाग लेने के लिए केवल बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता था। प्रत्येक निदेशक मंडल/निदेशक मंडल उप–समिति/स्वतंत्र निदेशकों की बैठक में भाग लेने के लिए ₹20,000 सिटिंग शुल्क का भुगतान किया जाता था, जिसे संशोधित करके ₹25,000 और ₹30,000 किया गया था।

(iv) पूर्णकालिक निदेशकों का वेतन का संचलन लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी वेतनमानों तथा नियमों के अनुसार होता है। लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार वार्षिक आधार पर चुकता किए जाने वाले निष्पादन सम्बद्ध वेतन (पीआरपी) के अलावा अन्य कोई परिवर्तनशील प्रोत्साहन चुकता नहीं किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कोई बोनस अथवा स्टॉक ऑप्शन का भुगतान नहीं किया गया है।

(v) नियम एवं शर्तें

पूर्णकालिक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा निदेशक के तौर पांच साल अथवा उनकी अधिवार्षिता की आयु अथवा आगामी आदेशों तक के लिए, इनमें से जो भी पहले हो, नामित किया जाता है। निदेशक मंडल द्वारा उनकी प्रारंभिक नियुक्ति अतिरिक्त निदेशक के रूप में की जाती है तथा इसके पश्चात कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शेयरधारकों की वार्षिक आम सभा में उनकी नियुक्ति की जाती है। तथापि, प्रभावी 1 जनवरी, 2022, सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 के विनियमन 17(1सी) के अनुसार, शेयरधारकों की मंजूरी अगली आम बैठक में नियुक्ति या तारीख से तीन महीने की समय अवधि, जो भी पहले हो, के भीतर ली जाती है।

तथापि, इस नियुक्ति को किसी भी पक्ष द्वारा तीन महीने की पूर्व सूचना अथवा उसके स्थान पर तीन माह के वेतन का भुगतान किए जाने के आधार पर समाप्त किया जा सकता है।

ङ) हितधारक संबंध समिति

(i) एक हितधारक संबंध समिति जिसमें श्रीमती नीलम सोनकर, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्षय श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक; श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक; और दो पूर्णकालिक निदेशक, अर्थात निदेशक (वित्त) और निदेशक (कार्मिक) कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार करने और उनका समाधान करने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें तुलन पत्र न मिलने, लाभांश की प्राप्ति, शेयरों का संचरण/हस्तांतरण से संबंधित शिकायतें शामिल हैं। वर्ष के दौरान, हितधारकों की संबंध समिति की एक बैठक 29 मार्च, 2022 को आयोजित की गई थी और इसमें सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्रीमती नीलम सोनकर, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	अध्यक्ष	1	1
श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष 27 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	1	1
श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष, निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के पदों का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं	सदस्य	1	0
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	1	1
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (20 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	शून्य	शून्य
श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त) (31 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	शून्य	शून्य

(ii) अनुपालन अधिकारी का नामः श्री एम.बी. बालाकृष्णन, कंपनी सचिव।

(iii) 31 मार्च, 2022 को निवारण के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं थी। वर्ष के दौरान 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या 42 थी। 31 मार्च, 2022 तक निवारण के लिए सभी 42 शिकायतों का समाधान किया गया और कोई शिकायत लंबित नहीं थी। सामने आने वाली और हल की गई शिकायतों का विवरण निम्नानुसार हैः

से प्राप्त शिकायतें	शिकायतों की संख्या
सेबी	18
बीएसई	2
एनएसई	20
सीपीजीआरएमएस	2
कुल	**42**

च) **जोखिम प्रबंधन समितिः** कम्पनी द्वारा सेल जोखिम प्रबंधन समिति (एसआरएमसी) का गठन किया गया है तथा कम्पनी के प्रमुख जोखिम अधिकारी द्वारा इस समिति में सचिव की भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं तथा कम्पनी के निदेशक मंडल के अधिकांश निदेशक इस समिति में सदस्य हैं। रोजमर्रा के कार्यों के निर्वाह की प्रक्रिया में आने वाले जोखिमों के समाधान के लिए कम्पनी द्वारा जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया गया है। गतिशील व्यवसाय वातावरण में जोखिम प्रबंधन नीतियों का प्रभाव अत्यंत व्यापक एवं प्रभावी होता है। जोखिम प्रबंधन समिति सेल में जोखिम प्रबंधन से संबंधित मामलों के समाधान के साथ–साथ नीति निर्माण एवं अनवरत प्रभाव्यता के लिए जोखिम प्रबंधन क्रियाओं के मूल्यांकन भी करती हैं। समिति के विचारार्थ विषयों में मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण, अंगीकरण और कार्यान्वयनय जोखिम प्रलेखन के लिए मानक निर्धारित करना, इसकी निरंतर प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए उद्यम जोखिम प्रबंधन ढांचे की समीक्षा करना, उभरते मुद्दों की निगरानी करना और जोखिम प्रबंधन की निगरानी करना शामिल है। 31 मार्च, 2022 को, श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक, अध्यक्ष; और श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक; निदेशक (तकनीकी), निदेशक (वित्त), निदेशक (वाणिज्यिक), निदेशक (कार्मिक) सदस्य के रूप में वर्ष के दौरान, 19 जून, 2021 और 2 दिसंबर, 2021 को जोखिम प्रबंधन समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2021–22 में आयोजित बैठकों के दौरान समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार हैः

निदेशक का नाम	पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	अध्यक्ष	शून्य	शून्य
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (20 दिसंबर, 2021 तक)	अध्यक्ष	2	2
श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
श्री हरिनन्द राय, निदेशक (तकनीकी, परियोजना एवं कच्चा माल)	सदस्य	2	2
श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त) (31 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	2	2
श्री वेजेंडला श्रीनिवासा चक्रवर्थी, निदेशक (वाणिज्यिक) (27 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	शून्य	शून्य
श्री अनिर्बान दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी–बीएसपी) (26 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	2	2
श्री दीपक छत्रराज, सीईओ (आरएसपी) (31 जुलाई, 2021 तक)	सदस्य	1	1
श्री अमरेंदु प्रकाश, निदेशक (प्रभारी–बीएसएल) के पास निदेशक का अतिरिक्त प्रभार (प्रभारी–आरएसपी) (26 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	1	0

छ) **कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समितिः** कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नैतिक, पारदर्शी, जवाबदेह और सुशासन प्रथाओं के माध्यम से अभिनव सीएसआर पहलों को बढ़ावा देने और समुदायों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और स्थायी सीएसआर पहलों में एक कॉर्पोरेट नेता के रूप में जाना जाता है। कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति वस्तुतः आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण के प्रति संवहनीय स्वरूप में अपने व्यवसाय संव्यवहार करने के लिए अपने स्टेकधारकों के साथ की गई एक ऐसी प्रतिबद्धता है जिसमें संगठनों द्वारा अपने क्रियाकलापों के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हितों का संरक्षण किया जाता है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति के गठन के साथ–साथ कम्पनी की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in. पर उपलब्ध है। 31 मार्च, 2022 तक श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक

समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों में डॉ. गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक, श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक, और श्रीमती सोमा मंडल, निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ अध्यक्ष शामिल थे। वर्ष के दौरान, 15 अप्रैल, 2021, 21 अगस्त, 2021 और 28 जनवरी, 2022 को सीएसआर समिति की तीन बैठकें आयोजित की गईं और सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है:

निदेशक का नाम	पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
श्री के.के. गुप्ता, स्वतंत्र निदेशक (20 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	2	2
श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ 1 जनवरी, 2022 से।	सदस्य	3	2
श्री अमित सेन, निदेशक (वित्त) (31 दिसंबर, 2021 तक)	सदस्य	2	2
डॉ गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	1	1
श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक (28 दिसंबर, 2021 से)	सदस्य	1	1

ज) वर्ष के दौरान निदेशक मंडल की उप समितियों (बीएससी) की समीक्षा की गई थी तथा कुछ समितियों का पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान में, अनिवार्य समितियों के अलावा निदेशक मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किए जाने से पूर्व मामलों की विस्तृत जांच किए जाने एवं विचार किए जाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल की निम्नलिखित उप समितियां कम्पनी द्वारा गठित की गई हैं: 31 मार्च, 2022 तक इन बीएससी का उद्देश्य और संरचना नीचे दी गई है:

क्रमांक	मंडल उप समिति	संक्षेप में बीएससी का उद्देष्य	31 मार्च, 2022 तक बीएससी की संरचना
1.	**सामरिक मुद्दे और संयुक्त उद्यम समिति**	कंपनी के रणनीतिक गठबंधन (गठबंधन) और संयुक्त उद्यमों के गठन से संबंधित मुद्दों की जांच करना और बोर्ड को सिफारिश करना और उनके प्रदर्शन की समीक्षा करना।	• श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय और निदेशक, सेल • श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक • श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू, स्वतंत्र निदेशक • श्रीमती नीलम सोनकर, स्वतंत्र निदेशक • निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) • निदेशक (वित्त) • प्रभारी निदेशक (बीएसपी)
2.	**परियोजना समिति**	नई परियोजनाओं को शुरू करने, अनुमोदित योजना की तुलना में प्रमुख पूंजी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी आदि से संबंधित मामलों की निगरानी और बोर्ड को सिफारिश करना।	• श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • संयुक्त सचिव, इस्पात मंत्रालय और निदेशक, सेल • डॉ गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक • श्री कन्हैया सारदा, स्वतंत्र निदेशक • निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) • निदेशक (वित्त) • प्रभारी निदेशक (बीएसएल)
3.	**स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति**	संयंत्रों और खानों के संबंध में स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरणीय मामलों पर नीति, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा करना।	• डॉ गोपाल सिंह भाटी, स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष) • श्री एन. शंक्रप्पा, स्वतंत्र निदेशक • श्री अशोक कुमार त्रिपाठी, स्वतंत्र निदेशक • श्रीमती नीलम सोनकर, स्वतंत्र निदेशक • निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) • निदेशक (कार्मिक) • प्रभारी निदेशक (बीएसपी) • प्रभारी निदेशक (बीएसएल)
4.	**शेयर स्थानांतरण समिति**	(i) पारेषण, अस्वीकृति, डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र और विभाजित शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करना; और (ii) शेयरों का हस्तांतरण जिसके लिए 31 मार्च, 2019 से पहले अनुरोध प्राप्त हुआ था, लेकिन विसंगतियों के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और आपत्तियों को ठीक करने के बाद फिर से जमा किया गया था।	• निदेशक (कार्मिक) • निदेशक (तकनीकी, परियोजना और कच्चा माल) • निदेशक (वित्त) • निदेशक (वाणिज्यिक)

झ) **निदेशक मंडल की विभिन्न उप समितियों की वर्ष के दौरान आयोजित बैठकों तथा उनमें निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:**

निदेशक मंडल की उप समिति	लेखापरीक्षा समिति		परियोजना समिति		रणनीतिक मामले एवं सं.उ. समिति		नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति		कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति		स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण समिति		हितधारक संबंध समिति		प्रचालनात्मक मामलों की समिति		शेयर स्थानांतरण समिति की बैठकें	
	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया	कार्यकाल के दौरान आयोजित	भाग लिया
1	2		3		4		5		6		7		8		9		10	
2021–22 में आयोजित बैठकें	**9**		**9**		**2**		**7**		**3**		**5**		**1**		**0**		**10**	
निदेशकों की उपस्थिति																		
श्रीमती सोमा मंडल*	-	-	2	0	1	0	7	5	3	2	5	2	1	0	-	-	10	0
श्री शशांक प्रिया (22 अप्रैल, 2021 तक)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रीमती सुकृति लिखी (23 अप्रैल, 2021 से)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री पुनीत कंसल	-	-	9	9	2	2	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
श्री हरिनन्द राय	-	-	9	9	2	2	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	10	10
श्री के.के. गुप्ता (20 दिसंबर, 2021 तक)	7	7	7	7	1	1	6	6	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-
श्री अमित सेन (31 दिसंबर, 2021 तक)	-	-	7	7	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	7	7
श्री एन. शंक्रप्पा	9	9	7	7	1	1	7	7	3	3	5	5	1	1	-	-	-	-
श्री अनिर्बान दासगुप्ता	9	9	7	7	2	2	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
श्री अमरेंदु प्रकाश	-	-	9	9	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
श्री अशोक कुमार त्रिपाठी (8 नवंबर, 2021 से)	2	2	2	2	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
श्री कन्हैया सारदा (12 नवंबर, 2021 से)	2	2	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
श्रीमती नीलम सोनकर (15 नवंबर, 2021 से)	2	0	-	-	1	0	-	-	-	-	1	0	1	1	-	-	-	-
श्री सागी कासी विश्वनाथं राजू (16 नवंबर, 2021 से)	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
डॉ. गोपाल सिंह भाटी (18 नवंबर, 2021 से)	-	-	2	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
श्री वेजेंडला श्रीनिवासा चक्रवर्ती (24 दिसंबर, 2021 से)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
श्री अतानु भौमिक (11 फरवरी, 2022 से)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 1 जनवरी, 2022 से 31 मार्च, 2022 तक निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल रही थी।

ञ) **उपर्युक्त के अलावा स्वतंत्र निदेशकों की 1 बैठक का आयोजन वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किया गया था।**

ट) **आम सभाएं:**

स्थल तथा समय जहां पिछली तीन वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया है:

वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल
2020-21	28.09.2021	10.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से
2019-20	22.10.2020	10.30 बजे	वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों के माध्यम से
2018-19	30.08.2019	10.30 बजे	एनडीएमसी इंडोर स्टेडियम, तालकटोरा गार्डन, नई दिल्ली–110001।

(i) पिछले 3 वर्षों के दौरान वार्षिक आम बैठकों में नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 4 विशेष संकल्प पारित किए गए थे तथा इनमें से कोई पोस्टल बैलेट से नहीं किया गया था:

वित्तीय वर्ष	विशेष पारित संकल्पों की संख्या
2020-21	शून्य
2019-20	शून्य
2018-19	4

(ii) 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार, केवल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से छह विशेष प्रस्तावों को पारित करने का प्रस्ताव है।

(ढ) प्रकटीकरण:

(i) **आर्थिक संबंध:** कम्पनी द्वारा ऐसे किसी प्रोमोटर , निदेशक अथवा प्रबंधन, उनकी सहायक कम्पनियों, संबंधियों, इत्यादि के साथ कोई सामग्रीगत प्रकृति का ऐसा कोई संव्यवहार नहीं किया गया है जिससे मुख्यतः कम्पनी के हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव होना संभावित हो। निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्रता से सम्बद्ध मापदंडों के संबंध में की गई घोषणा एवं पुष्टि को संज्ञान में ले लिया है। केवल निदेशक मंडल/निदेशक मंडल की उप समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए दी जाने वाली फीस के अलावा किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के साथ किसी प्रकार की आर्थिक संबद्धता अथवा संव्यवहार नहीं हुआ है। किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक के पास कम्पनी के कोई शेयर/परिवर्तनीय उपकरण (कंवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट) नहीं हैं।

(ii) **स्वतंत्र निदेशक का अधिकतम कार्यकाल:** सेल एक सरकारी कम्पनी है तथा इसके स्वतंत्र निदेशकों के नामांकन एवं उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(iii) **स्वतंत्र निदेशकों के नियुक्ति पत्र:** एक सरकारी कम्पनी के रूप में सेल के निदेशक मंडल में निदेशकों का नामांकन/नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान कम्पनी के निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा 1 स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति की गई है। स्वतंत्र निदेशक को जारी किया गया नियुक्ति पत्र स्वतंत्र निदेशक के नामांकन/नियुक्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा उल्लिखित नियम एवं शर्तों पर आधारित था। स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाओं, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में सूचित किया जाता है और निदेशकों को आचार संहिता की प्रतियां प्रदान की जाती हैं। स्वतंत्र निदेशकों को उनकी भूमिकाओं, कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के बारे में सूचित किया जाता है और निदेशकों के लिए आचार संहिता की प्रतियां प्रदान की जाती हैं।

(iv) **स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय (फैमिलियराइजेशन) कार्यक्रम:** स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति के पश्चात एक इंडक्शन एवं परिचय कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन में कम्पनी के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जाती है जिसमें अन्यों के साथ–साथ संगठनात्मक संरचना, कम्पनी के संयंत्र एवं यूनिटें, उत्पाद पोर्टफोलियो, वित्तीय एवं प्रचालनात्मक निष्पादन, आधुनिकीकरण एवं विस्तार कार्यक्रम इत्यादि की प्रस्तुति की जाती है। कम्पनी द्वारा कम्पनी के विभिन्न संयंत्रों/यूनिटों के लिए निदेशकों के दौरे की व्यवस्था भी की जाती है जिससे उन्हें संयंत्रों/यूनिटों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त हो पाती है। इसके अलावा, निदेशकों का नामांकन लोक उद्यम विभाग, स्कोप, आईओडी इत्यादि जैसे विभिन्न संस्थानों द्वारा निगमित शासन के संबंध में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भी किया जाता है। स्वतंत्र निदेशकों द्वारा परिचय कार्यक्रम में की गई प्रतिभागिता का विवरण कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(v) कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग की व्हीसल ब्लोअर नीति को अपनाया गया है तथा किसी भी कार्मिक को किसी भी मामले के संबंध में लेखापरीक्षा समिति/प्रबंधन से सम्पर्क करने की मनाही नहीं की गई है। व्हीसल ब्लोअर नीति कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। कम्पनी द्वारा व्यावसायिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं नैतिकता के उच्चतर मानकों को अंगीकार करके अपने क्रियाकलापों के संबंध में स्पष्ट एवं पारदर्शी चौकसी तंत्र व्यवस्था का निर्माण भी किया गया है। कम्पनी के सभी कर्मचारी तथा कम्पनी के निदेशक मंडल के सभी निदेशक इस तंत्र व्यवस्था के दायरे में आते हैं। कर्मचारियों के लिए इस तंत्र–व्यवस्था का निर्माण उन्हें अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदेहास्पद जालसाजी अथवा आचार संहिता से संबंधित मामलों की जानकारी देने के लिए किया गया है। इस तंत्र व्यवस्था का उपयोग करने वाले कर्मचारियों के लिए इसमें कर्मचारियों को उचित व्यवहार से बचाव करने एवं विशिष्ट मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक उनकी पहुंच स्थापित किए जाने की व्यवस्था भी की गई है। चौकसी तंत्रव्यवस्था से संबंधित जानकारी कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है।

(vi) कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सार्वजनिक उपक्रम विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान महिला स्वतंत्र निदेशक सहित एक से पांच स्वतंत्र निदेशकों की कमी थी। सेल एक सरकारी कंपनी होने के कारण, इसके बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नामांकन के आधार पर की जाती है। सेल के बोर्ड में महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आवश्यक संख्या में स्वतंत्र निदेशकों को नामित करने का मामला भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के साथ उठाया गया था। इसके अलावा, कंपनी ने सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 और उसके संशोधनों की गैर–अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरी तरह से नहीं अपनाया है।

(vii) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के बोर्ड में एक पूर्णकालिक महिला निदेशक, एक गैर–कार्यकारी सरकारी नामित महिला निदेशक और एक स्वतंत्र महिला निदेशक थीं।

(viii) सेल में बोर्ड स्तर के और बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए राष्ट्रपति के निर्देश इस्पात मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2021 के पत्र के माध्यम से जारी किए गए थे। 1 जनवरी, 2017 की तिथि से। कंपनी ने इसका अनुपालन किया है और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण पर राष्ट्रपति के निर्देशों का भी पालन किया है। गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के मामले में, इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एनजेसीएस) के द्विदलीय फोरम में वेतन को अंतिम रूप/संशोधित किया जाता है। 18 नवंबर, 2021 को इस्पात मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर पहुंचा गया है और संशोधित वेतन, भत्तों/भत्तों आदि का भुगतान शुरू कर दिया गया है।

(ix) स्वतंत्र निदेशकों द्वारा सेबी लिस्टिंग विनियम का विनियमन 25(8) के तहत जो आवश्यक है उसे कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149(7) के सहित अपेक्षित स्वतंत्रता की घोषणा यह कहते हुए कर दी गई है कि वे सेबी लिस्टिंग विनियमन 16(1)(बी) के सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के खंड 149 के उप खंड (6) में उल्लिखित स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करते हैं। और इस बात की पुष्टि की है कि वे ऐसी किसी भी स्थिति से अवगत नहीं हैं जो अस्तित्व में है या उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है जो उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को प्रभावित या प्रभावित कर सकता है। बोर्ड द्वारा उसी को रिकॉर्ड मे लिया गया है।

(x) **आचार संहिताः** निदेशक मंडल द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों तथा कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा अनुपालन किए जाने के लिए आचार संहिता तैयार की गई है। वार्षिक आधार पर उनसे आचार संहिता के अनुपालन के प्रति पुष्टि प्राप्त की जाती है। आचार संहिता कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in. पर उपलब्ध है।

(xi) **सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार नीति :** सूचीबद्धता अनुबंध के अनुबंधों के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार नीति को अंगीकार किया गया है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in. पर उपलब्ध है। ऐसा कोई संबंधित पार्टी लेन–देन नहीं था जिससे कंपनी के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो।

(xii) **महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी से संबंधित नीतिः** कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी के निर्धारण के लिए एक नीति स्वीकार की गई है। यह नीति कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in. पर उपलब्ध है। वर्ष 2021–22 में कोई महत्वपूर्ण सहायक कम्पनी नहीं थी।

(xiii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 43क के अंतर्गत कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा लाभांश वितरण नीति तैयार की गई है तथा इसे कम्पनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर अपलोड किया गया है।

(xiv) वित्तीय विवरणों पर कंपनी के अध्यक्ष और निदेशक (वित्त) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, जो कंपनी के क्रमशः सीईओ और सीएफओ हैं। हालांकि, एक पूर्णकालिक निदेशक (वित्त) की नियुक्ति के अभाव में, 1 जनवरी, 2022 से 3 महीने की अवधि के लिए कंपनी के अध्यक्ष को निदेशक (वित्त) के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था।

(xv) कंपनी के बोर्ड में निदेशक भारत सरकार द्वारा मनोनीत/नियुक्त किए जाते हैं। इसलिए, निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को निर्धारित करने वाला चार्ट या मैट्रिक्स तैयार करना सेल के बोर्ड के दायरे से बाहर है।

(xvi) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान अधिमान्य आवंटन अथवा योग्य संस्थान स्थापन के माध्यम से कोई निधियां सृजित नहीं की गई हैं।

(xvii) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) के विनियम 34(3) तथा अनुसूची V के पैरा सी के खंड 10(i) के अनुसरण में मैसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव द्वारा यह प्रमाणन किया गया है कि सेल के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड/कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय अथवा ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कम्पनियों के निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए विवर्जित अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

(xviii) कम्पनी तथा इसकी सहायक कम्पनियों को प्रदान की गई सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों से सम्बद्ध नेटवर्क फर्म/नेटवर्क की सभी इकाईयों को समेकित आधार पर ₹5.61 करोड़ की राशि का भुगतान/देय है।

(xix) कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिशेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरणः

कम्पनी द्वारा महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की अपेक्षाओं के अनुसार आंतरिक शिकायत समितियों का गठन कर लिया गया है। इन शिकायत समितियों का गठन लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायत निवारण के लिए किया गया है। कम्पनी के सभी कर्मचारी इस नियमावली के अंतर्गत आते है। वर्ष 2021–22 के दौरान लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित कुल शिकायतों तथा निवारण की गई शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया हैः

विवरण	शिकायतों की संख्या
1 अप्रैल 2020 के अनुसार लंबित शिकायतों की कुल संख्या	2
वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या	3
वित्तीय वर्ष के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	4
31.3.2021 के अनुसार लंबित शिकायतों की कुल संख्या	1

(xx) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी स्वतंत्र निदेशक द्वारा अपने कार्यकाल से पूर्व त्यागपत्र नहीं दिया गया था।

(xxi) किसी भी गैर–कार्यकारी निदेशक द्वारा शेयर/परिवर्तनीय उपकरण (कनवर्टिबल इंस्ट्रूमेंट) का धारण नहीं किया गया है।

(xxii) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान किसी भी संशोधन के साथ प्राप्त क्रेडिट रेटिंग निम्नानुसार हैं:

क. भारत में रेटिंग	₹ करोड़ों में	वर्तमान रेटिंग		पिछली रेटिंग
विवरण	रेटेड राशि	7 सितंबर, 2021	स्थिति	9 नवंबर, 2020
दीर्घकालिक बॉन्ड्स	5132^	इंड एए स्थिर दृष्टिकोण	अपग्रेडेड	इंड एए–नकारात्मक दृष्टिकोण
अल्पावधि (सीपी)	8000	इंड ए1 (20 अक्टूबर, 2021)	संशोधित	इंड ए1+
फंड आधारित चालू धनराशि सीमाएं	10000	इंड एए स्थिर/इंड ए1+	दीर्घावधि रेटिंग अपग्रेडेड और अल्पावधि रेटिंग	इंड एए–नकारात्मक दृष्टिकोण/इंड ए1+
नॉन–फंड–आधारित चालू धनराशि सीमाएं	5000	इंड ए1+	संशोधित	इंड ए1+
नॉन–फंड–आधारित सीमाएं$	5000	इंड एए स्थिर दृष्टिकोण	अपग्रेडेड	इंड एए–नकारात्मक दृष्टिकोण
प्रस्तावित बैंक लोन#	2000	इंड एए स्थिर दृष्टिकोण	सौंपा गया	
बैंक लोन	2000	डब्ल्यू डी	वापिस लिया गया (कंपनी ने परिकल्पित साधन के साथ आगे नहीं बढ़ी)	इंड एए– नकारात्मक दृष्टिकोण
सार्वजनिक जमा राशियां	1000	इंड टीएए स्थिर दृष्टिकोण	पुनः पुष्टि की गई, दृष्टिकोण को नकारात्मक से स्थिर किया गया	इंड टीएए नकारात्मक दृष्टिकोण

^ रेटिंग के समय बकाया ₹5,132 करोड़।

आवंटित नहीं किया गया

ख. केयर रेटिंग	₹ करोड़ों में	वर्तमान रेटिंग		पिछली रेटिंग
विवरण	रेटेड राशि	5 अगस्त, 2021	स्थिति	9 नवंबर, 2020
दीर्घकालिक बॉन्ड प्रोग्राम	6232*	केयर एए दृष्टिकोण स्थिर	संशोधित	केयर एए – नकारात्मक दृष्टिकोण
दीर्घकालिक पब्लिक डिपॉजिट	1000	केयर एए दृष्टिकोण स्थिर	संशोधित	केयर एए – नकारात्मक दृष्टिकोण
अल्पावधि सीपी/आईसीडी प्रोग्राम	8000	केयर ए1+ (9 अक्टूबर, 2020)	पुनः पुष्टि की गई	केयर ए1+
दीर्घकालिक बैंक सुविधाएं (आवधिक लोन)	9983.75	केयर एए सिथर दृष्टिकोण	संशोधित	केयर एए – नकारात्मक दृष्टिकोण

*रेटिंग के समय बकाया राशि ₹6,232 करोड़

ग. ब्रिकवर्क्स रेटिंग	₹ करोड़ों में	वर्तमान रेटिंग		पिछली रेटिंग
विवरण	रेटेड राशि	12 नवम्बर, 2021	स्थिति	27 अक्टूबर, 2020
दीर्घकालिक बॉन्ड प्रोग्राम	5000	BWR एए (स्थिर)	दृष्टिकोण में बदलाव के साथ पुनः पुष्टि की गई	BWR एए नकारात्मक दृष्टिकोण

(xxiii) वस्तुओं के संबंध में जोखिमः दिनांक 15 नवंबर, 2018 के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/ CMD1/ CIR/ P/2018/0000000141 के अनुसार सेल को वस्तुओं के संबंध में कोई जोखिम नहीं लगता है, क्योंकि इसने प्रमुख सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं। सेल के पास कोयले के विभिन्न स्त्रोत हैं और पांच देशों, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, इंडोनेशिया और मोजाम्बिक के विभिन्न भौगोलिक स्थानों से दीर्घकालिक समझौतों के माध्यम से कोयले की खरीद कर रहा है। लौह अयस्क के लिए, सेल की अपनी आबद्ध लौह अयस्क खदानें हैं जो इसकी आवश्यकता को पूरा करती हैं। इसी तरह, आग रोधक और लौह मिश्रित धातु के लिए, सेल के अपने आबद्ध प्लांट हैं और सेल दीर्घकालिक अनुबंध के तहत लाइमस्टोन की खरीद कर रहा है।

(xxiv) वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड दोनों ने जुर्माना लगाया है – (1) 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹5,31,000 का; (2) 30 जून, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹5,36,900 का; और (3) सेबी (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं की सूची के साथ) विनियम, 2015 के विनियम 17(1) के संबंध में गैर–अनुपालन के लिए प्रत्येक 30 सितंबर, 2021 और 31 दिसंबर, 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹5,42,800। बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को जुर्माना माफ करने के लिए एक अर्जी लगाई क्योंकि कंपनी के बोर्ड में निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा की जाती है।

(एम) संचार के साधनः

तिमाही परिणाम प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित तिथियों पर प्रकाशित किए गए हैं:

समाप्त तिमाही	30 जून, 2021	30 सितंबर, 2021	31 दिसंबर, 2021	31 मार्च, 2022
प्रकाशन की तिथि	7 अगस्त, 2021	30 अक्टूबर, 2021	10 फरवरी, 2022	24 मई, 2022
समाचार पत्रों का नाम ई–अंग्रेजी एच–हिंदी	मिंट (ई) हिंदुस्तान और दैनिक जागरण (एच)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (ई) जनसत्ता (एच)	बिजनेस स्टैंडर्ड और फाइनेंशियल एक्सप्रेस (ई) बिजनेस स्टैंडर्ड और जनसत्ता (एच)	फाइनेंशियल एक्सप्रेस (ई) जनसत्ता (एच)

तिमाही/वार्षिक परिणाम कंपनी की वेबसाइट–www.sail.co.in पर भी उपलब्ध हैं। कंपनी अपनी वेबसाइट पर आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी प्रदर्शित करती है।

कंपनी तिमाही/वार्षिक वित्तीय प्रदर्शन के संबंध में कॉन्फ्रेंस कॉल में भाग लेती है। इसके अलावा, संस्थागत निवेशकों या विश्लेषकों के लिए प्रेज़ेंटेशन बनाई जाती हैं और वे कंपनी की वेबसाइट–www.sail.co.in पर भी उपलब्ध हैं।

(एन) सामान्य शेयरधारकों संबंधी सूचनाः

(i) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5 मई, 2022 के अनुसार सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021 के साथ पठित वार्षिक आम बैठक (एजीएम) है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों से पंजीकृत कार्यालय में 28 सितंबर, 2022 को सुबह 10:30 बजे आयोजित होने वाली है। एमसीए परिपत्र–सामान्य परिपत्र सं. 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र सं. 17 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और सामान्य परिपत्र सं. 20 दिनांक 5 मई, 2020 के लिए आवश्यक सार्वजनिक नोटिस, प्रकाशन और अन्य व्यवस्थाएं की गई थीं।

(ii) वित्तीय वर्षः 1 अप्रैल, 2021 – 31 मार्च, 2022।

(iii) खाता बंद करने की तिथिः एजीएम के उद्देश्य से 22 सितंबर, 2022 से 28 सितंबर, 2022 (दोनों दिन इसमें शामिल हैं)। एजीएम के नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों पर ई–वोटिंग प्रक्रिया के दौरान शेयरधारकों की वोट डालने की पात्रता निर्धारित करने और एजीएम में शामिल होने के लिए कट–ऑफ तिथि 21 सितंबर, 2022 (कारोबार की अवधि की समाप्ति तक) निर्धारित की गई है।

(iv) वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम लाभांश के भुगतान की रिकॉर्ड तिथि। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम लाभांश प्राप्त करने के लिए शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित करने की रिकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 निर्धारित की गई। अंतिम लाभांश, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा स्वीकृत की जाती है, तो शेयरधारकों द्वारा स्वीकृत तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती के बाद भुगतान किया जाएगा। अंतिम लाभांश का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उन सदस्यों को किया जाएगा जिनके बैंक खाते का अपडेट विवरण उपलब्ध है। यदि इलेक्ट्रॉनिक बैंक मैंडेट आदि का पंजीकरण न होने के कारण कंपनी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस या किसी अन्य माध्यम से किसी भी सदस्य को सीधे बैंक खाते में लाभांश का भुगतान करने में असमर्थ है, तो कंपनी ऐसे सदस्यों को लाभांश वारंट/बैंकर्स चेक/डिमांड ड्राफ्ट भेजेगी। 29 अक्टूबर, 2021 और 16 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल द्वारा घोषित अंतरिम लाभांश का भुगतान पात्र शेयरधारकों को क्रमशः नवंबर, 2021 और मार्च/अप्रैल, 2022 में किया गया।

(v) कंपनी के शेयर सक्रिय रूप से कारोबार कर रहे हैं और निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं:
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड,
फिरोज जीजीभॉय टावर्स,
दलाल स्ट्रीट, फोर्ट मुंबई–400001
(स्टॉक कोड संख्या 500113)

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051 (कोडः सेल)

कंपनी द्वारा 1996 में जारी जीडीआर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, 10 पैटरनोस्टर स्क्वायर, लंदन ईसी4एम 7एलएस, यूके में सूचीबद्ध हैं।

प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज को 2021–22 के लिए वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान किया गया है।

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कंपनी की प्रतिभूतियों को ट्रेडिंग से हटाया नहीं गया था।

(vi) बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रत्येक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों के मासिक उच्च और निम्न उल्लेख नीचे दर्शाया गया है:

महीना और साल	सेंसेक्स		बीएसई में सेल (₹)		निफ्टी		एनएसई में सेल (₹)	
	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न	उच्च	निम्न
अप्रैल, 2021	50375.77	47204.50	121.30	79.45	15044.35	14151.40	121.35	79.55
मई, 2021	52013.22	48028.07	151.10	116.40	15606.35	14416.25	151.30	116.45
जून, 2021	53126.73	51450.58	139.75	119.60	15915.65	15450.90	139.75	119.55
जुलाई, 2021	53290.81	51802.73	145.85	120.85	15962.25	15513.45	145.90	120.80
अगस्त, 2021	57625.26	52804.08	144.15	112.55	17153.50	15834.65	144.30	112.55
सितंबर, 2021	60412.32	57263.90	124.95	105.00	17947.65	17055.05	125.00	105.00
अक्टूबर, 2021	62245.43	58551.14	131.75	110.75	18604.45	17452.90	131.80	110.80
नवंबर, 2021	61036.56	56382.93	130.35	99.05	18210.15	16782.40	130.30	99.25
दिसंबर, 2021	59203.37	55132.68	121.10	100.20	17639.50	16410.20	123.45	100.25
जनवरी, 2022	61475.15	56409.63	113.60	94.15	18350.95	16836.80	113.65	94.15
फरवरी, 2022	59618.51	54383.20	106.70	84.50	17794.60	16203.25	106.75	84.35
मार्च, 2022	58890.92	52260.82	105.10	93.50	17559.80	15671.45	105.15	93.50

(vii) **रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट**

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–1, नई दिल्ली–110020
फोन नंबर 011–41406149

(viii) **शेयर ट्रांसफर सिस्टम:**

कंपनी के इक्विटी शेयरों को मुख्य रूप से डीमैट रूप में कारोबार किया जाता है। सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40(1) के अनुसार, प्रतिभूतियों के संचरण या स्थानान्तरण के लिए प्राप्त अनुरोध मामलों को छोड़कर 1 अप्रैल, 2019, से प्रतिभूतियों को केवल अभौतिक रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। बोर्ड की शेयर ट्रांस्फर समिति नियमित अंतराल पर बैठक करती है, प्रसारण, अस्वीकृति, डुप्लिकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने, विभाजित शेयर प्रमाण पत्र और शेयरों के हस्तांतरण के अनुरोधों पर विचार करने के लिए, जिसके लिए अनुरोध 31 मार्च, 2019 से पहले प्राप्त हुआ था, लेकिन विसंगतियों के कारण पहले खारिज कर दिया गया था, और आपत्तियों में विधिवत सुधार करने के बाद पुनः सबमिट किया गया। पूरे वर्ष के दौरान, शेयर ट्रांस्फर समिति की 10 बैठकें 13 अप्रैल, 2021, 11 मई, 2021, 26 जुलाई, 2021, 19 अगस्त, 2021, 17 सितंबर, 2021, 12 अक्टूबर, 2021, 13 दिसंबर, 2021, 7 जनवरी, 2021, 19 जनवरी, 2022 और 11 मार्च, 2022 को हुईं।

(ix) **31 मार्च, 2022 को शेयरधारिता का वितरण:**

शेयरधारिता	शेयरधारक		राशि	
	संख्या	कुल का %	₹ में	कुल का %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
501 तक	1272635	86.76	1378801360	3.34
501 - 1000	96301	6.56	767955430	1.86
1001 - 2000	49724	3.39	753154090	1.82
2001 - 3000	16715	1.14	429280460	1.04
3001 - 4000	7821	0.53	282137630	0.68
4001 - 5000	6697	0.46	316931440	0.77
5001 - 10000	9614	0.66	715987240	1.73
10001 - 50000	6089	0.41	1237468000	3.00
50001 - 100000	624	0.04	458278320	1.11
100000 से ऊपर	670	0.05	34965258920	84.65
कुल	**1466890**	**100.00**	**41305252890**	**100.00**

(x) **31 मार्च 2022 को शेयरधारिता पैटर्न**

क्र. सं.	श्रेणी	धारित शेयरों का संख्या	शेयरधारिता का %
ए.	**प्रमोटरों की शेयर धारिता**		
1	प्रमोटर		
	– भारतीय प्रमोटर अर्थात, भारत सरकार	2684714550	65.00
	– विदेशी प्रमोटर	-	-
2	कॉन्सर्ट में कार्य करने वाले व्यक्ति	-	-
	उप–कुल	**2684714550**	**65.00**
बी.	**नॉन–प्रमोटर शेयर धारिता**		
3	संस्थागत निवेशक		
ए	म्युचुअल फंड और यूटीआई	154465775	3.74
बी	बैंक और वित्तीय संस्थान	4435902	0.11
सी.	बीमा कंपनियां	264039123	6.39
डी	विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआईएस)	189160430	4.58
	उप–कुल	**612101230**	**14.82**
4	अन्य		
ए	निजी कॉर्पोरेट निकाय	113688543	2.74
बी	भारतीय जनता	687952196	16.66
सी	ट्रस्ट और सोसायटी, आदि।	2962709	0.07
डी	एनआरआई/ओसीबी	25877584	0.63
ई	जीडीआर	110990	0.00
एफ	आईईपीएफ	3117487	0.08
	उप–कुल	**833709509**	**20.18**
	कुल योग	**4130525289**	**100.00**

(xi) **31 मार्च, 2022 को अभौतिकीकरण की स्थिति**

विवरण	शेयरों की संख्या	पूंजी का %	खातों की संख्या
एनएसडीएल	3709999662	89.82	437578
सीडीएसएल	417245184	10.10	1011415
कुल डीमैटरियलाइज्ड	**41272444846**	**99.92**	**1448993**
भौतिक	3280443	0.08	18429
कुल	**4130525289**	**100.00**	**1467422**

भारत सरकार के शेयर डीमैट रूप में रखे जाते हैं।

(xii) कंपनी के संयंत्र/इकाइयां/सहायक कंपनियां निम्न जगहों पर स्थित हैं:

इस्पात संयंत्र

- भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई–490001, छत्तीसगढ़
- दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर–713203, पश्चिम बंगाल
- राउरकेला इस्पात संयंत्र, राउरकेला–769011, ओडिशा
- बोकारो इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील सिटी–827001, झारखंड
- इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर–713325, पश्चिम बंगाल
- एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर–713208, पश्चिम बंगाल
- सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम–636013, तमिलनाडु
- विश्वेश्वरैया लोह और इस्पात संयंत्र, भद्रावती–577031, कर्नाटक
- चंद्रपुर फेरो एलॉय संयंत्र, चंद्रपुर, महाराष्ट्र

इकाइयां

- केंद्रीय विपणन संगठन, इस्पात भवन, 40, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700 071, पश्चिम बंगाल
- इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र, रांची –834002, झारखंड
- पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग, सेल हाउस, तीसरी मंजिल, 50, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल।
- सेल ग्रोथ वर्क्स, कुल्टी, जिला बर्दवान, पश्चिम बंगाल।
- प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान, रांची–834002, झारखंड
- रसद एवं बुनियादी ढांचा विभाग, इस्पात भवन, 40, जवाहरलाल नेहरू रोड, कोलकाता–700071
- कोलियरी डिवीजन, सेल ऑफिसर्स कॉलोनी, चासनाल्ला

धनबाद, झारखंड–828135

- लौह एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची–834002, झारखंड
- सेल कंसल्टेंसी डिवीजन, 16–20 मंजिल, स्कोप मीनार, उत्तरी टावर, लक्ष्मी नगर डिस्ट्रिक्ट केंद्र, दिल्ली–110092
- सेल सुरक्षा संगठन, रांची–834002, झारखंड
- सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, बोकारो–827004, झारखंड

सहायक कंपनियां

- इस्को–उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड, कोलकाता (परिसमापन के तहत)
- सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, सेलम–636013, तमिलनाडु
- छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड, भिलाई, छत्तीसगढ़
- सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड, नई दिल्ली–110003 (बंद कर दी गई)
- सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, चासनाला–828135, झारखंड (बंद कर दी गई)

(13) सवाल/शिकायत, यदि कोई हो, के लिए शेयरधारकों से पत्राचार के लिए पताः

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I,
नई दिल्ली–110020
फोन नं. 91–11–41406149,
फैक्स नं. 91–11–41709881
ई–मेलः admin@mcsregistrars.com

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(सोमा मंडल)

अध्यक्ष

1.	**तेज राज और पाल** सनदी लेखाकार ए60, अमरपाली सोसाइटी, लालपुर, गंगा डायग्नोसिस लेन, रायपुर – 492001	2.	**एस जयकिशन** सनदी लेखाकार 12, हो ची मिन्ह सरानी, दूसरी मंजिल, सुइट नं. 2डी, 2ई और 2एफ, कोलकाता – 700071	3.	**वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एल–41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001	4.	**के ए एस जी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार दूसरी मंजिल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद – 826001

निगम संचालन पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र

सेवा में,

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सदस्य

1. यह प्रमाणपत्र हमारे दिनांक 29 मार्च 2022 के कार्य पत्र की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है।
2. हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ('कंपनी') द्वारा निगम संचालन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है, जैसा कि विनियम 17 से 27, विनियम 46(2) के खंड (बी) से (आई) में और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (तय दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 ('लिस्टिंग विनियम') की अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी और ई में निर्धारित है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी

3. कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी में तय नियमों में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता को डिजाइन करना, कार्यान्वित करना और बनाए रखना शामिल है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

4. लिस्टिंग विनियमों की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी जिम्मेदारी है कि एक राय के रूप में एक उचित आश्वासन व्यक्त करें कि क्या कंपनी ने उपरोक्त पैरा 2 में बताई गई कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है। हमारी जिम्मेदारी कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और उसके कार्यान्वयन की जांच करने तक सीमित है। यह न तो ऑडिट है और न ही कंपनी के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।
5. हमने भारत में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार कंपनी के प्रासंगिक अभिलेखों की जांच की है, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन के प्रमाणीकरण पर मार्गदर्शन नोट, और मार्गदर्शन नोट पर आईसीएआई द्वारा जारी किए गए विशेष उद्देश्यों के लिए रिपोर्ट या प्रमाण पत्र जिसके लिए यह आवश्यक है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता की नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें।
6. हमने उन फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, गुणवत्ता नियंत्रण की प्रासंगिक लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है जो ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी की ऑडिट और समीक्षा, और अन्य आश्वासन और सेवा संबंधित कार्य करती हैं।

योग्य राय

7. हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के आधार पर और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदान किए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी ने सभी भौतिक मामलों में, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान निम्नलिखित के अनुसार लिस्टिंग विनियम में निर्धारित कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

   क. विनियमन 17 (ए): 1 अप्रैल से 14 नवंबर 2021 तक निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र महिला निदेशक की आवश्यकता और 1 अप्रैल 2021 से 7 नवंबर 2021 निदेशक मंडल की संरचना में गैर–कार्यकारी निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता के साथ।

   ख. विनियमन 17 (बी): 1 अप्रैल 2021 से 17 नवंबर 2021 और 21 दिसंबर 2021 से 31 मार्च 2022 की अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में स्वतंत्र निदेशकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता।

   हम बयान देते हैं कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

उपयोग पर प्रतिबंध

8. यह प्रमाणपत्र केवल उपरोक्त विनियमों के अनुपालन के उद्देश्य से जारी किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होगा।

तेज राज और पाल के लिए	**कृते एस जयकिशन**	**कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी**	**कृते केएएसजी एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार	*सनदी लेखाकार*	*सनदी लेखाकार*	*सनदी लेखाकार*
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई	फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई	फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013	फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–	हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,	**सी.ए. विवेक नेवतिया,**	**सी.ए. नीरज शर्मा,**	**सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,**
साझीदार	*साझीदार*	*साझीदार*	*साझीदार*
एम. नं. 214678	एम. नं. 062636	एम. नं. 502103	एम. नं. 034751
यूडीआईएन: 22214678AMNFRI7007	यूडीआईएन: 22062636AMOJTC9131	यूडीआईएन: 22502103AMPHXJ7449	यूडीआईएन: 22034751AMSUOU8502
स्थान: नई दिल्ली	स्थान: नई दिल्ली	स्थान: नई दिल्ली	स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 8 जुलाई 2022

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–V

व्यावसायिक जिम्मेदारी और स्थिरता रिपोर्ट (बीआरएसआर) वित्तीय वर्ष 2021–22

खंड एः सामान्य प्रकटीकरण

I. सूचीबद्ध इकाई का विवरणः

1.	कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L27109DL1973GOI 006454
2.	कंपनी का नाम	स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
3.	निगमन का वर्ष	1973
4.	पंजीकृत कार्यालय का पता	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
5.	कॉर्पोरेट कार्यालय का पता	
6.	ई–मेल	investor.relation@sail.in
7.	टेलीफोन	011-24367481
8.	वेबसाइट	www.sail.co.in
9.	वित्तीय वर्ष जिसके लिए रिपोर्टिंग की जा रही है	2021–22
10.	स्टॉक एक्सचेंज का नाम जहां शेयर सूचीबद्ध हैं	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई'), बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ('बीएसई') और लंदन स्टॉक एक्सचेंज ('एलएसई') में सूचीबद्ध जीडीआर।
11.	चुकाई गई पूंजी	₹41,30,52,52,890
12.	उस व्यक्ति का नाम और संपर्क विवरण, जिसे BRSR रिपोर्ट पर किसी भी सवाल के मामले में संपर्क किया जा सकता है	**श्री एम.बी. बालाकृष्णन** **सीजीएम (वित्त) और कंपनी सचिव,** **स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड** **secy.Sail@Sail.in** **011-24300227**
13.	रिपोर्टिंग सीमा	व्यावसायिक जिम्मेदारी से संबंधित डेटा स्टैंडअलोन आधार पर है। इसमें सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों को छोड़कर संपूर्ण रूप से सेल इकाई शामिल हैं। रिपोर्टिंग सीमा में निम्नलिखित शामिल हैं: **क. एकीकृत इस्पात संयंत्रः** भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, इस्को इस्पात संयंत्र **ख. विशेष इस्पात संयंत्रः** एलॉय इस्पात संयंत्र, सेलम इस्पात संयंत्र, विश्वेश्वरैया लोह और इस्पात संयंत्र **ग. इकाइयांः** चंद्रपुर फेरो–अलॉय प्लांट, केंद्रीय विपणन संगठन, लोह और इस्पात के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र, सेल रिफ्रैक्टरी यूनिट, सेल सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन, सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी, पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन, सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी **घ. लौह अयस्क की खदानें–** • झारखंड खान समूहः किरिबुरु लौह अयस्क खदान, मेघाहातुबुरु लौह अयस्क की खदानें, गुआ अयस्क की खदानें, मनोहरपुर लौह अयस्क की खदानें • ओडिशा खान समूहः बोलानी अयस्क खदान, बरसुआ – तलधी – कल्टा • बीएसपी ग्रुप ऑफ खानः राजहरा ग्रुप, दल्ली ग्रुप, रावघाट **ड़. फ्लक्स खानः** कुटेश्वर लाइमस्टोन खान, नंदिनी लाइमस्टोन खान, भदीगुंड लाइमस्टोन खान, भवनाथपुर लाइमस्टोन खान, हिर्री डोलोमाइट खान, केंचपुरा ड्यूनाइट खान, तुलसीदामार डोलोमाइट खान, बरदुआर

II. उत्पाद और सेवाएं

14. व्यावसायिक गतिविधियों का विवरणः

क्र.सं.	मुख्य गतिविधि का विवरण	व्यावसायिक गतिविधि का विवरण	इकाई के कारोबार का %
1.	लौह और इस्पात का विनिर्माण	लौह और इस्पात का विनिर्माण	100%

15. संस्था द्वारा बेचे गए उत्पाद/सेवाएंः

क्र.सं.	उत्पाद/सेवा	एनआईसी कोड	कुल टर्नओवर का %
1.	लौह और इस्पात का विनिर्माण	241	100%

III. संचालन

16. उन स्थानों की संख्या जहां संस्था के संयंत्र और/या संचालन/कार्यालय स्थित हैं

कंपनी के कारोबार और संचालन देश भर में फैले हुए हैं। संयंत्रों के स्थानों का विवरण नीचे दिया गया हैः

संयंत्रों का स्थानः

क. भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो और बर्नपुर में पांच एकीकृत इस्पात संयंत्र

ख. दुर्गापुर, सेलम और भद्रावती में तीन विशेष इस्पात संयंत्र।

कार्यालयों की संख्याः कंपनी के कार्यालय पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

17. इकाई द्वारा बाजार को प्रदान की जाने वाली सेवाएं

क. स्थानों की संख्या

स्थान	संख्या
राष्ट्रीय (राज्यों की संख्या)	राज्य – 28, केंद्र शासित प्रदेश – 8
अंतरराष्ट्रीय (देशों की संख्या)	30

ख. इकाई के कुल कारोबार के प्रतिशत के रूप में निर्यात का योगदान क्या है?

वित्त वर्ष 2021–22	6.91% (निर्यात प्रोत्साहन सहित)

ग. ग्राहकों के प्रकार के बारे में संक्षिप्त जानकारी

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) भारत में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों की मांगों को पूरा करने वाली सबसे बड़ी स्टील बनाने वाली कंपनियों में से एक है। ग्राहक विभिन्न सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों, वितरकों, पुनर्विक्रेताओं आदि से हैं।

IV. कर्मचारी

18. वित्तीय वर्ष के अंत में विवरण:

क. कर्मचारी और श्रमिक (दिव्यांग जनों सहित):

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			नं. (बी)	% (बी/ए)	नं. (सी)	% (सी/ए)
			कर्मचारी*			
1.	स्थायी (डी)	62,181	58,459	94%	3,722	6%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	कोई नहीं				
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	62,181	58,459	94%	3,722	6%
			श्रमिक#			
4.	स्थायी (एफ)	कोई नहीं				
5.	स्थायी के अलावा (जी)	62,040	लागू नहीं**	–	लागू नहीं**	–
6.	**कुल श्रमिक (एफ+जी)**	**62,040**	–	–	–	–

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#कर्मचारी अनुबंध कर्मचारियों आदि को संदर्भित करते हैं।

**उपलब्ध नहीं

ख. दिव्यांग कर्मचारी और श्रमिक:

वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के विभिन्न विभागों में 743 दिव्यांग कर्मचारी काम कर रहे हैं।

क्र. सं.	विवरण	कुल (ए)	पुरुष		महिला	
			नं. (बी)	% (बी/ए)	नं. (सी)	% (सी/ए)
			दिव्यांग कर्मचारी			
1.	स्थायी (डी)	743	686	92.33%	57	7.67%
2.	स्थायी के अलावा अन्य (ई)	कोई नहीं				
3.	कुल कर्मचारी (डी + ई)	743	686	92.33%	57	7.67%
			दिव्यांग श्रमिक			
4.	स्थायी (एफ)	लागू नहीं*				
5.	स्थायी के अलावा (जी)	लागू नहीं**	लागू नहीं**	–	लागू नहीं**	–
6.	**कुल श्रमिक (एफ+जी)**	–	–	–	–	–

*लागू नहीं

**उपलब्ध नहीं

19. महिलाओं की भागीदारी/समावेश/प्रतिनिधित्व

क्र.सं.	विवरण	कुल (ए)	महिलाओं की संख्या और प्रतिशत	
			सं. (बी)	% बी/ए)
1.	निदेशक मंडल	14	3	21.42%
2.	प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी	16	2	12.50%

20. स्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए टर्नओवर दर

विवरण	वित्तीय वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2020–21			वित्तीय वर्ष 2019–20		
	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	dqy
स्थायी कर्मचारी	लागू नहीं*	लागू नहीं*	6.66%	लागू नहीं*	लागू नहीं*	6.31%	लागू नहीं*	लागू नहीं*	5.69%
स्थायी श्रमिक	लागू नहीं #								

*लागू नहीं **उपलब्ध नहीं

V. स्वामित्व, सहायक और सहयोगी कंपनियां (संयुक्त उद्यम सहित)

21. (ए) स्वामित्व/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के नाम

क्र.सं.	स्वामित्व/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के नाम (ए)	इंगित करें कि क्या यह स्वामित्व/सहायक/सहयोगी/संयुक्त उद्यम	सूचीबद्ध इकाई द्वारा धारित शेयरों का %	क्या कॉलम ए में इंगित इकाई, सूचीबद्ध इकाई की व्यावसायिक जिम्मेदारी भरे कार्य में भाग लेती है ? (हां/नहीं)
1.	सेल अपवर्तक कंपनी लिमिटेड	सहायक	100.00	Yes
2.	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक	74.00	No
3.	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सहयोगी	20.00	No
4.	एनटीपीसी– सेल पावर कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00	No
5.	बोकारो बिजली आपूर्ति कंपनी	संयुक्त उद्यम	50.00	No
6.	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	12.00	No
7.	रोमेल्ट–सेल इंडिया लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	15.00	No
8.	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00	No
9.	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	40.00	No
10.	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	No
11.	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	No
12.	इंटरनेशनल कोल वेंचर प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	47.82	No
13.	सेल–एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	49.26	No
14.	सेल–रीट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज	संयुक्त उद्यम	50.00	No
15.	सेल–कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00	No
16.	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	20.58	No
17.	अभिनव–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	No
18.	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	26.00	No
19.	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	50.00	No

VI. सीएसआर विवरण

22. (i) क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर लागू है: (हां/नहीं)।
हां, सीएसआर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार लागू है।
(ii) 31 मार्च 2022 को वर्ष के अंत के लिए कंपनी का टर्नओवर – ₹1,03,473.32 करोड़
(iii) 31 मार्च 2022 तक कंपनी की कुल संपत्ति – ₹52,017.14 करोड़

VII. पारदर्शिता और प्रकटीकरण अनुपालन

23. जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश (NGRBC) के तहत किसी भी सिद्धांत (सिद्धांत 1 से 9) पर शिकायतें/आपत्तियां।

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2021–22		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
समुदाय	हां। नियमित सामुदायिक बैठकों, नगरपालिकाओं और नगर प्रशासनिक समितियों के साथ समय–समय पर बातचीत और स्थानीय समाज के साथ सक्रिय रूप से जुड़ कर समुदायों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए सेल के पास एक विविध और बहु–आयामी दृष्टिकोण है ताकि यह समझा जा सके कि क्या उनके पास कोई विचार, मुद्दे, शिकायतें और हस्तक्षेप से संबंधित आपत्तियां हैं।			
शेयरधारक और निवेशक	हां। हितधारकों और निवेशकों की समस्याओं को दूर करने के लिए बोर्ड के सदस्यों को शामिल करते हुए एक समर्पित हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। समिति कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों पर विचार करने और उनका समाधान करने का कार्य करती है। कंपनी ने अपने कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। कंपनी की एक अलग ईमेल आईडी (investor.relation@sail.in, admin@mcsregistrars.com) भी है, जिस पर हितधारक अपनी शिकायतें भेज सकते हैं, जिनका कंपनी द्वारा तुरंत समाधान किया जाता है। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in में निवेशक शिकायत निवारण के लिए सेल अधिकारियों के संपर्क विवरण की जानकारी है। कंपनी द्वारा जारी शेयरों के लिए मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को कंपनी के आर एंड टीए के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें शेयरों, डिपॉजिटरी से संबंधित गतिविधियों, लाभांश सर्विसिंग, और शेयरधारकों के साथ संबंधित सभी गतिविधियों के मामले में किसी भी प्रश्न/शिकायत आदि पर काम करने का कार्य सौंपा गया है। कंपनी द्वारा प्राप्त और हल की गई निवेशक शिकायतों का विवरण तिमाही आधार पर संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों को दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, 42 हितधारकों की शिकायतें प्राप्त हुईं और उनका समाधान किया गया। 31 मार्च, 2022 तक निवारण के लिए कोई शिकायत लंबित नहीं थी।			

हितधारक समूह जिससे शिकायत प्राप्त होती है	शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है (हां/नहीं)	वित्तीय वर्ष 2021–22		
		वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	टिप्पणियां
कर्मचारी और श्रमिक	हां। सेल एक सामंजस्यपूर्ण, अनुकूल और पूर्ण नियोक्ता–कर्मचारी संबंध की संस्कृति को बढ़ावा देता है और पोषित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए, ट्रेड यूनियनों और कर्मचारी/श्रमिक प्रतिनिधियों के साथ विचार–विमर्श के माध्यम से मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना एक स्वस्थ अभ्यास समय–परीक्षणित नियमित अभ्यास है। इसके अलावा, शांतिपूर्ण औद्योगिक संबंध सुनिश्चित करने के लिए, प्रक्रिया को अधिक समग्र, सहभागी और इंटरैक्टिव बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर चर्चा में कर्मचारियों की भागीदारी को प्रोत्साहित किया गया। कर्मचारी की समस्याओं और शिकायतों को दूर करने के लिए, एक विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है जिसके लिए शिकायत निवारण तंत्र संयंत्र/इकाई में स्थित है। हाल ही में, इंट्रानेट आधारित ऑनलाइन शिकायत निवारण तंत्र ने जोर पकड़ा, हालांकि, अधिकांश संयंत्र/इकाइयां अभी भी ऑफलाइन मोड में शिकायतों को दूर करती हैं। वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान दर्ज की गई 261 शिकायतों की तुलना में वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान कुल 250 शिकायतें दर्ज की गईं। प्राप्त 250 शिकायतों में से 231 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है और वर्ष के अंत में केवल 19 का समाधान लंबित है।			
उपभोक्ता, खरीदार और खुदरा विक्रेता	हां। सेल में ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए मजबूत प्रणालियां स्थापित की गई हैं। सेल लगातार उपभोक्ताओं के साथ फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं, यदि कोई हो, को समय पर दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। ग्राहक गुणवत्ता शिकायत (क्यूसी) दर्ज कर सकते हैं जिसके बाद शाखा कार्यकारी द्वारा क्यूसी के तहत सामग्री का निरीक्षण किया जाता है। सेल क्षेत्रीय एई (एप्लिकेशन इंजीनियर) या संबंधित संयंत्र की मदद से शाखा कार्यकारी को सहायता प्रदान करता है और यदि आवश्यक हो तो प्रक्रिया में तेजी लाता है। शिकायत की सत्यतता के आधार पर, ग्राहकों का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ग्राहक को ऑर्डर वापस करने और बाद में धन वापसी जारी किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, गुणवत्ता संबंधी सभी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है और उनका समाधान कर दिया गया है।			
मूल्य श्रृंखला पार्टनर	हां। सेल ने मूल्य श्रृंखला पार्टनर्स की समस्याओं को दूर करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया है। पीड़ित मूल्य श्रृंखला पार्टनर सेल के उचित अधिकारी को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध है। इसके अलावा, सेल ने एक अखंडता समझौता अप.नाया है, जिसके तहत ₹20 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की निविदा में पीड़ित बोलीदाता केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुमोदन से नियुक्त स्वतंत्र बाहरी मॉनिटरों को शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अखड़ंता समझौता सेल और बोली लगाने वाले के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के बीच नैतिक आचरण सुनिश्चित करता है।			

24. इकाई की भौतिक जिम्मेदार व्यवसाय आचरण के मुद्दों का अवलोकन

सेल नियमित अंतराल पर प्रत्येक मुद्दे को पहचानने और संबोधित करने के लिए एक व्यापक भौतिकता मूल्यांकन करता है। कंपनी के पास 3–स्तंभ दृष्टिकोण– पूर्णता, भौतिकता और प्रतिक्रिया के आधार पर भौतिकता के मुद्दों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। पूर्णता में मुद्दों को जानना और पारदर्शी और संतुलित रिपोर्टिंग शामिल है। भौतिकता में हितधारकों और प्रबंधन के लिए मुद्दों के महत्व का आंकलन करना और रिपोर्टिंग पर निर्णय लेना शामिल है। जवाबदेही में मुद्दों का जवाब देना और प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच प्रदान करना शामिल है।

पिछले वर्ष के दौरान पहचाने गए भौतिक मुद्दों को वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के लिए बनाए रखा गया है। कोविड –19 महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार पर लगाए गए प्रतिबंध पर विचार करते हुए सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से अंतिम भौतिकता का आंकलन किया गया था। समावेशिता के लिए, संयंत्रों, खानों और इकाइयों के सबसे प्रासंगिक आंतरिक और बाहरी हितधारकों से संपर्क किया गया और भौतिकता के मुद्दों की मैपिंग के लिए बढ़ती स्थिरता चुनौतियों (अर्थात जलवायु परिवर्तन, संचालन के पर्यावरणीय प्रभाव, व्यवसायों के भीतर विविधता, महामारी की भयावह स्थिति में कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी नीतियां, साथ ही व्यापार निरंतरता आदि के लिए डिजिटल नवाचारों का बढ़ता और रणनीतिक महत्व आदि) के महत्व के संबंध में हितधारक के विचारों को उचित महत्व दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, भौतिकता मूल्यांकन अभ्यास के एक भाग के रूप में हितधारकों के जुड़ाव के दौरान विभिन्न भौतिक मुद्दों की पहचान की गई है। पहचाने गए मुद्दे हैं –

क) लाभप्रदता और विकास को बढ़ाना

ख) परिचालन लागत को कम करना और लागत बचत को प्रोत्साहित करना

ग) उचित और समान तनख्वाह प्रदान करना

घ) संसाधनों का प्रबंधन और खनिजों का संरक्षण

ड़) ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना

च) पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके पानी का संरक्षण

छ) जैव विविधता का संरक्षण और भूमि पुनर्वास

ज) ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन और कार्बन की निशानी को कम करना

प) पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति और कम करके कचरे का प्रबंधन करना

फ) कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि करना

ब) कर्मचारियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा

भ) प्रक्रिया सुरक्षा और आपातकाल स्थिति के लिए तैयारी

म) कर्मचारी उत्पादकता बढ़ाना और समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना।

पहचाने गए मुद्दों का ग्रिड पहलुओं के साथ व्यापक संबंध है और इसमें ऊर्जा, पर्यावरण, आर्थिक प्रदर्शन, जैव विविधता, श्रम प्रबंधन संबंध, सामग्री, स्थानीय समुदाय, प्रशिक्षण और शिक्षा के विभिन्न आयाम शामिल हैं।

खंड ख: प्रबंधन और प्रक्रिया प्रकटीकरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा लाए गए जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण (एनजीआरबीसी) के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश नीचे दिए गए अनुसार पी 1–पी 9 के रूप में संदर्भित नौ सिद्धांतों की वकालत करते हैं:

पी1	व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से आचरण और संचालन करना चाहिए
पी2	व्यवसायों को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करनी चाहिए
पी3	व्यवसायों को अपने मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की भलाई का सम्मान और प्रचार करना चाहिए
पी4	व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए
पी5	व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और प्रचार करना चाहिए
पी6	व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना का सम्मान करना चाहिए और इसके लिए प्रयास करना चाहिए
पी7	व्यवसाय, जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें इसे ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हों
पी8	व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए
पी9	व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ एक जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
नीति और प्रबंधन प्रक्रियाएं									
1. क. क्या आपकी इकाई की नीतियां एनजीआरबीसी के प्रत्येक सिद्धांत और उसके मूल तत्वों का पालन करती हैं। (हां/नहीं)	हां, सेल की विभिन्न नीतियां एनजीआरबीसी सिद्धांतों (पी1 से पी9) और अंतर्निहित मूल तत्वों को व्यापक रूप से कवर करती हैं।								
ख. क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? (हां/नहीं)	हां, नीतियां बोर्ड द्वारा अनुमोदित हैं।								
ग. नीतियों का वेब लिंक, यदि उपलब्ध हो	नीतियों का वेब लिंक: https://www.sail.co.in								
2. क्या संस्था ने नीति को प्रक्रियाओं में अपनाया है। (हां/नहीं)	हां								
3. क्या सूचीबद्ध नीतियां आपके मूल्य श्रृंखला पार्टनरों तक फैली हुई हैं? (हां/नहीं)	हां। कंपनी अपने हितधारकों से अपेक्षा करती है कि वे उनके साथ व्यवहार करते समय उन पर लागू सभी नीतियों का पालन करें।								
4. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कोड/प्रमाणपत्र/लेबल/मानकों का नाम (उदाहरण के लिए, वन प्रबंधन परिषद, निष्पक्ष व्यापार, वर्षावन गठबंधन, ट्रस्टी) मानकों (जैसे SA 8000, OHSAS, ISO, BIS) को आपकी इकाई द्वारा अपनाया गया और प्रत्येक सिद्धांत के लिए मैप किया गया है।	सेल की विनिर्माण स्थानों में अच्छी तरह से परिभाषित पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा (ईएचएस) और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां हैं और अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ संरेखित हैं जैसे ईएमएस के लिए आईएसओ 14001, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों के लिए आईएसओ 9000, सामाजिक जवाबदेही के लिए SA 8000 और व्यावसायिक के लिए OHSAS 18001 स्वास्थ्य और सुरक्षा और सामाजिक जवाबदेही के लिए SA 8000।								
5. विशिष्ट समय–सीमा के साथ इकाई द्वारा निर्धारित विशिष्ट प्रतिबद्धताएं, लक्ष्य और प्रयोजन, यदि कोई हो। **6. विशिष्ट प्रतिबद्धताओं, लक्ष्यों और प्रयोजनों के साथ इकाई का प्रदर्शन, यदि वे पूरे नहीं होते हैं तो कारणों के साथ।**	COP26 में भारत सरकार की बढ़ी हुई महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप, सेल ने 2030 तक CO_2 उत्सर्जन को काफी हद तक कम करने और नवीकरणीय/गैर–पारंपरिक ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के साथ–साथ 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। आगे, ऐसी कार्रवाई की जा रही है जिससे सभी सेल संयंत्रों में "शून्य तरल निर्वहन" के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके और इसके लिए पर्याप्त उपचार और संयंत्र की सीमा पर आउटफॉल के माध्यम से छोड़े जाने वाले अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के माध्यम से किया गया है। एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, सेल ने कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के अनुरूप अपना पर्यावरणीय दृष्टिकोण तैयार किया है, जो न केवल निर्धारित मानदंडों के अनुपालन की आवश्यकता को संबोधित करता है बल्कि इससे अधिक करने के प्रयास पर जोर देता है। जहां सेल संयंत्र और खदानें पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़े बिना अपनी प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं, वहीं सेल भी खराब पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और पुनर्वास करने और जैव विविधता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए सभी उचित उपाय कर रहा है। इनमें खनन किए गए क्षेत्रों की पारिस्थितिक बहाली, ताजा वृक्षारोपण, CO_2 का जैव–अनुक्रमण, कचरे का उपयोग बढ़ाना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग आदि शामिल हैं। सेल संयंत्रों और खानों में हर साल संरचित वृक्षारोपण कार्यक्रम किए जाते हैं। सेल संयंत्र और खदानें प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों/सुविधाओं का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं और उन्हें नियमित रूप से सुधार/नवीनीकरण/पुनरोद्धार और अपग्रेड करके बनाए रख रहे हैं। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, ठोस अपशिष्ट उपयोग, विशिष्ट जल खपत, विशिष्ट चड उत्सर्जन भार, विशिष्ट बहिःस्राव निर्वहन, विशिष्ट बहिःस्राव भार आदि जैसे सभी स्थिरता मानकों ने पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दिखाया है। परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और पर्यावरण स्थिति में सुधार की महत्वाकांक्षा के साथ, सेल ने ICAR-IARI के साथ औद्योगिक भागीदार के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और "टिकाऊ कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का विकास करने में हिस्सेदारी की है"।								
शासन, नेतृत्व और निरीक्षण									
7. व्यापार जिम्मेदारी रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार निदेशक द्वारा बयान, ईएसजी से संबंधित चुनौतियों, लक्ष्यों और उपलब्धियों (सूचीबद्ध इकाई के पास इस प्रकटीकरण की नियुक्ति के संबंध में लचीलापन है)। कृपया वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट और कॉर्पोरेट स्थिरता रिपोर्ट 2021–22 में शेयरधारकों को अध्यक्ष का पत्र देखें।								
8. व्यावसायिक जिम्मेदारी नीति (ओं) के कार्यान्वयन और निरीक्षण के लिए जिम्मेदार उच्चतम प्राधिकरण का विवरण। बोर्ड सेल में शासन ढांचे के शीर्ष पर है।	आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों का प्रबंधन विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों द्वारा नियमित रूप से किया जाता है। संयंत्र/इकाई प्रमुख एजेंडा पत्रों के साथ स्थिति रिपोर्ट की समीक्षा और निगरानी करते हैं। ये रिपोर्ट संबंधित विभागों/मंडलों द्वारा प्रदान किए गए मूल्यवान इनपुट के साथ, कानूनी अनुपालन सहित आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन पर तैयार की जाती हैं और नियमित व व्यवस्थित रूप से जांच, टिप्पणियों और सिफारिशों के लिए बोर्ड उप समितियों के सामने रखी जाती हैं। शीर्ष प्रबंधन द्वारा बोर्ड उप–समितियों के इनपुट और टिप्पणियों की जांच और विश्लेषण किया जाता है। बोर्ड को इन टिप्पणियों के बारे में सूचित किया जाता है, जो बाद में की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा के बाद व्यावसायिक निर्णय लेने में सहायक होती है।								

प्रकटीकरण प्रश्न	पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
9. क्या संस्था के पास बोर्ड/निदेशक की एक निर्दिष्ट समिति है जो स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो विवरण दें।	हां। स्थिरता संबंधी मुद्दों पर निर्णय लेने/निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड की निम्नलिखित समितियां अपने विशिष्ट संदर्भ के साथ मौजूद हैं– • कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति • स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति • हितधारक संबंध समिति • परिचालन मुद्दा समिति • परियोजना समिति • सेल जोखिम प्रबंधन समिति								
10. कंपनी द्वारा एनजीआरबीसी (NGRBCS) की समीक्षा का विवरण:									
समीक्षा का विषय	**यह इंगित करता है कि क्या समीक्षा बोर्ड के निदेशक/समिति/किसी अन्य समिति द्वारा की गई थी और ऐसी समीक्षा की आवृत्ति।**								
उपरोक्त नीतियों और अनुवर्ती कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन	नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन की समीक्षा की जाती है और नीतियों में निर्धारित दायरे के अनुसार संगठनात्मक संरचना में विभिन्न स्तरों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा, बोर्ड/बोर्ड उप–समितियां मूल्यांकन, नीतियों के विरूद्ध प्रदर्शन की निगरानी और जरूरत के अनुसार नियमित अंतराल पर नीतियों की समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार हैं।								
सिद्धांतों की प्रासंगिकता की वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन, और किसी भी गैर–अनुपालन में सुधार करना	कंपनी लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करती है।								
11. क्या संस्था ने किसी बाहरी एजेंसी द्वारा अपनी नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र आंकलन/मूल्यांकन किया है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो एजेंसी का नाम बताएं।	सेल के एक सरकारी कंपनी होने के कारण, संगठन विभिन्न क्षेत्रों/कार्यों में भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा समीक्षा और लेखा परीक्षा के अधीन है, जिसमें एनजीआरबीसी (NGRBC) दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न नीतियां शामिल हैं। जैसे भी लागू हो, प्रक्रियाओं और अनुपालनों की समीक्षा आंतरिक लेखा परीक्षकों और नियामक अनुपालनों द्वारा की जाती है। इसके अलावा, सेल के संचालन के क्षेत्र में समृद्ध तकनीकी विशेषज्ञता है और तदनुसार, उनके अन्य संयंत्रों द्वारा सहकर्मी समीक्षा की जा रही है। सर्वोत्तम प्रथाओं और साथ ही जोखिम के दृष्टिकोण से, नीतियों को समय–समय पर मूल्यांकन और अपडेट किया जाता है। नीतियों के कामकाज का आंतरिक मूल्यांकन नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सेल ने भिलाई, राउरकेला और बोकारो में अपने संयंत्रों में सुरक्षा संस्कृति परिवर्तन के लिए सुरक्षा प्रबंधन सलाहकार को नियुक्त किया है और अन्य इस्पात संयंत्रों में इसका पालन करने की प्रक्रिया में है।								

नोट: सिद्धांत–वार नीतियां

पी1	पी2	पी3	पी4	पी5	पी6	पी7	पी8	पी9
बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता	सतत विकास नीति	सतत विकास नीति	शिकायत निवारण तंत्र	बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	नागरिक चार्टर	कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति	गुणवत्ता नीति
रिश्वत विरोधी प्रबंधन नीति	सामग्री सहायक कंपनियों पर नीति	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेल मेडिक्लेम योजना	अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आचार संहिता कॉर्पोरेट निष्पक्ष प्रकटीकरण प्रथाएं	भर्ती और पारिश्रमिक नीति	सतत विकास नीति			सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति
भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की प्रतिभूतियों से निपटने में अंदरूनी व्यापार की रोकथाम के लिए आंतरिक आचार संहिता	स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के प्रकटीकरण के लिए घटनाओं/सूचनाओं की भौतिकता का निर्धारण करने के लिए नीति	मानव संसाधन नीति		मानव संसाधन नीति				
भर्ती और पारिश्रमिक नीति	इस्पात उद्योग में अंतर संयंत्र मानकीकरण	एचआईवी/एड्स नीति		सेल समान अवसर नीति				
निदेशकों के प्रशिक्षण के लिए मुखबिर नीति	कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति	सेल की समान अवसर नीति		यौन उत्पीड़न की रोकथाम				
स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति के लिए नियम और शर्तें		यौन उत्पीड़न की रोकथाम						
दस्तावेजों के संरक्षण के लिए नीति								
जागरूकता								

खंड ग: सिद्धांत के अनुसार प्रदर्शन प्रकटीकरण

इस खंड का उद्देश्य संस्थाओं को प्रमुख प्रक्रियाओं और निर्णयों के साथ सिद्धांतों और मूल तत्वों को एकीकृत करने में उनके प्रदर्शन को प्रदर्शित करने में मदद करना है। मांगी गई जानकारी को "आवश्यक" और "नेतृत्व" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इस रिपोर्ट को दर्ज करने के लिए हालांकि अनिवार्य प्रत्येक इकाई को खोलने की आवश्यकता है, नेतृत्व संकेतक स्वेच्छा से उन संस्थाओं द्वारा प्रकट किए जा सकते हैं जो सामाजिक, पर्यावरणीय और नैतिक रूप से जिम्मेदार होने की अपनी खोज में उच्च स्तर तक प्रगति की इच्छा रखते हैं।

सिद्धांत 1: व्यवसायों को ईमानदारी के साथ और नैतिक, पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से खुद का संचालन करना चाहिए।

आवश्यक संकेतक

1. वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी सिद्धांत पर प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों द्वारा प्रतिशत कवरेज:

खंड	आयोजित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल विषय/सिद्धांत और इसका प्रभाव	जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल संबंधित श्रेणी के व्यक्तियों का :
निदेशक मंडल	कंपनी के निदेशकों को बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता के बारे में जानकारी दी जाती है, जिसे विशेष रूप से सेबी एलओडीआर (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) नियमों के अनुसार तैयार किया गया है। इस संहिता का उद्देश्य कंपनी के मामलों के प्रबंधन में एक नैतिक और पारदर्शी प्रक्रिया को और बढ़ाना है। निदेशकों को कॉरपोरेट गवर्नेंस, रिश्वत विरोधी आदि से संबंधित आवधिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे रिश्वत विरोधी आचरण के बारे में जागरूक हों। शीर्ष प्रबंधन को जागरूक रखने से सेल में उच्चतम आदेश की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए पारदर्शिता और नैतिक प्रथाओं की संस्कृति को कम करने में मदद मिलेगी। वे स्थिरता से संबंधित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिशानिर्देशों पर भी उन्मुख हैं ताकि वे विश्व स्तर पर की जा रही पहल से अवगत और परिचित हों। कंपनी सुशासन प्रथाओं पर नियमित सत्रों के माध्यम से पारदर्शिता की संस्कृति के निर्माण को बढ़ावा देती है जो आगे चलकर सूचित निर्णय लेने को पूरक बनाती है।		
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मचारी			
बीओडी और केएमपी के अलावा कर्मचारी*	सेल निम्नलिखित पर आवधिक अंतराल पर सत्रों की सुगमता और संचालन करता है: क. सेल की आचार संहिता ख. रिश्वत विरोधी प्रबंधन नीति ग. कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति घ. मानव संसाधन नीति ड़. सतत विकास नीति प. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति फ. सुरक्षा नीति ब. सूचना सुरक्षा नीति		
कर्मचारी#			

वित्तीय वर्ष 2021–22 में, प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों के भाग के रूप में 13,810 कर्मचारियों (बीओडी और केएमपी के अलावा) को विभिन्न संचार अभ्यासों में शामिल किया गया था।

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं।*

#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं।

2. वित्तीय वर्ष में नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों के साथ कार्यवाही में भुगतान किए गए जुर्माने/पैनेल्टी/दंड/पुरस्कार/कंपाउंडिंग शुल्क/निपटान राशि का विवरण (संस्था या निदेशकों/केएमपीए द्वारा) निम्नलिखित प्रारूप में।

शून्य

3. उपरोक्त प्रश्न 2 में प्रकट किए गए मामलों में से, उन मामलों में अपील/संशोधन का विवरण दिया गया है जहां मौद्रिक या गैर–मौद्रिक कार्रवाई की अपील की गई है।

उपलब्ध नहीं

4. क्या संस्था के पास भ्रष्टाचार विरोधी या रिश्वत विरोधी नीति है? यदि हां, तो संक्षेप में विवरण प्रदान करें और यदि उपलब्ध हो तो पॉलिसी के लिए एक वेब–लिंक प्रदान करें।

एक संगठन के रूप में सेल रिश्वतखोरी को रोकने, पता लगाने और कार्यवाही करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित प्रणालियों और प्रक्रियाओं का पालन करता है। इनमें खरीद और अनुबंध प्रक्रिया, अखंडता समझौता, आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों के साथ व्यापार व्यवहार पर प्रतिबंध, सेल आचरण, अनुशासन और अपील नियम, शक्ति को सौंपना, टर्नकी परियोजनाओं के लिए मानक बोली दस्तावेज, सतर्कता नियमावली आदि शामिल हैं। सेल बोर्ड ने आईएसओ 37001:2016 के अनुसार सेल में एंटी–रिश्वत प्रबंधन प्रणाली (एबीएम) का चरण–वार कार्यान्वयन का निर्णय लिया है। पहले चरण में, कॉर्पोरेट कार्यालय और बोकारो स्टील प्लांट में कार्यान्वयन उन्नत चरण में है। सेल की विस्तृत रिश्वत विरोधी प्रबंधन नीति के लिए, लिंक https://www.Sail.co.in/sites/default/files/comp_policies/2022-04/abms.pdf को देखें।

5. निदेशकों/केएमपीएस/कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनके खिलाफ रिश्वत/भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी:

	साल	
	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21
कर्मचारी	26	56

6. हितों के टकराव के संबंध में शिकायतों का विवरण:

	वित्त वर्ष 2021–22		वित्त वर्ष 2020–21	
	संख्या	टिप्पणी	संख्या	टिप्पणी
निदेशकों के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-
केएमपी के हितों के टकराव के मुद्दों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या	शून्य	-	शून्य	-

7. भ्रष्टाचार और हितों के टकराव के मामलों पर जुर्माना/पैनल्टी/नियामकों/कानून प्रवर्तन एजेंसियों/न्यायिक संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सीबीआई के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2021–22 में 1 अधिकारी और 2020–21 में 9 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी दी गई है।

सिद्धांत 2: व्यवसायों को टिकाऊ और सुरक्षित तरीके से सामान और सेवाएं प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई द्वारा किए गए कुल अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय निवेश के लिए उत्पाद और प्रक्रियाओं के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को सुधारने के लिए विशिष्ट प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास और पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) निवेश का प्रतिशत।

	वर्तमान वित्तीय वर्ष (2021– 2022)	पिछला वित्तीय वर्ष (2020–2021)	पर्यावरण और सामाजिक प्रभावों में सुधार का विवरण
आर एंड डी	11.93 %	7.03 %	अपने पर्यावरण और सामाजिक चिह्नों में सुधार करने के लिए, सेल कोल ब्लेंडिंग ऑप्टिमाइजेशन, सिंटर बॉलिंग इंडेक्स ऑप्टिमाइजेशन, उत्पादकता और सभी प्रक्रियाओं में गुणवत्ता वृद्धि, हीटिंग कंट्रोल में सुधार और री–हीटिंग फर्नेस और कोक ओवन बैटरी के थर्मल शासन, बीओएफ स्लैग और कीचड़ की क्षमता, छर्रों का इष्टतम उपयोग, अपशिष्ट उपचार, दुर्दम्य अस्तर, आदि के विभिन्न अनुप्रयोगों की दिशा में अनुसंधान गतिविधियों को आगे बढ़ा रहा है।

अधिक जानकारी के लिए, वित्त वर्ष 2021–22 के स्टैंडअलोन खातों में अनुसंधान और विकास अनुभाग देखें और *"ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण"* के शीर्षक वाली वित्त वर्ष 2021–22 के वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बने। .

2. क. क्या स्थायी सोर्सिंग के लिए संस्था के पास प्रक्रियाएं हैं?

ख. यदि हां, तो कितने प्रतिशत इनपुट स्थायी रूप से प्राप्त किए गए थे?

हां। सेल देश में इस्पात उद्योग में ईएमएस की स्थापना में अग्रणी रहा है। 90 के दशक के मध्य में, सेल ने अपने सेलम स्टील प्लांट में आईएसओ 14001 से जुड़े ईएमएस का कार्यान्वयन शुरू किया। अब, सेल के सभी एकीकृत इस्पात संयंत्र, प्रमुख खदानें/इकाइयां और गोदाम ईएमएस आईएसओ: 14001 मानक के अनुरूप हैं। इस अभ्यास ने कंपनी को संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण के अलावा उत्पादकता बढ़ाने और निरंतर सुधार करने में मदद की है। इसके अलावा, सेल अपनी अधिकांश इकाइयों में अन्य प्रबंधन प्रथाओं जैसे आईएसओ 9001, ओएचएसएएस 18001 और एसए 8000 को धीरे–धीरे शुरू कर रहा है।

सेल संयंत्रों के लिए लौह अयस्क की संपूर्ण आवश्यकता ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों में स्थित इसकी कैप्टिव लौह अयस्क खानों से की जा रही है। कैप्टिव खानों में ईएमएस (EM) का कार्यान्वयन शुरू किया गया है और वर्तमान में अधिकांश सेल खानों ने आईएसओ 9001:2015, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली मानक आईएसओ 14001:2015, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक; और आईएसओ 45001: 2018, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएच एंड एस) प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को संभालने के साथ–साथ एकीकृत प्रबंधन प्रणाली को लागू किया है। इसके अलावा, भारतीय खान ब्यूरो द्वारा स्टार रेटिंग प्रारूप में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए सेल खानों ने अपने संचालन में सतत विकास ढांचे को भी शामिल किया है। आपूर्तिकर्ताओं को भी अपने कार्यों में पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके अलावा, ठेकेदारों के लिए आईएसओ–14001 के तहत प्रक्रियाएं विकसित की गई हैं।

अधिकांश कोयले की खरीद अंतरराष्ट्रीय बाजार से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित आपूर्तिकर्ताओं से की जाती है जो वैश्विक टिकाऊ मानकों के अनुरूप हैं। इन सभी प्रथाओं ने हमें स्थायी सोर्सिंग के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने में सक्षम बनाया है। पारदर्शी और टिकाऊ खरीद को सुरक्षित करने के लिए सक्रिय उपाय किए जाते हैं जैसे जीईएम (सरकारी ई–मार्केटप्लेस) पर बोर्डिंग वेंड्र्स, जिसके लिए 19,000 से अधिक विक्रेता रिकॉर्ड जेम के साथ साझा किए गए, वेंड्र्स (रिफैक्टरी/सहायक, आदि) के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना, खरीद, पैनल, समीक्षा और विक्रेता डेटाबेस को अपडेट करने आदि के लिए संयंत्रों/इकाइयों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना को प्रोत्साहित करना।

3. (क) प्लास्टिक (पैकेजिंग सहित) (ख) ई–कचरा (ग) खतरनाक अपशिष्ट और (घ) अन्य अपशिष्ट अपने उत्पादों को पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण के लिए सुरक्षित रूप से पुनः प्राप्त करने और निपटान के लिए और पूरी तरह खराब होने पर उनका निपटारा करने के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

सेल ने अपनी सभी प्रक्रियाओं में "4आर नीति" (कम करना, पुनर्प्राप्त, रीसायकल और पुनः उपयोग) को अपनाया है और ठोस अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और इसके उपयोग को 100% तक अधिकतम करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के प्रति प्रतिबद्ध हैं।

4आर की नीति के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में, सेल द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम इस प्रकार हैं:

क. आयरन एंड स्टील स्लैग: आयरन स्लैग और स्टील स्लैग ठोस अपशिष्ट उत्पादन के लिए दो प्रमुख योगदानकर्ता हैं और उनके पुनः उपयोग और सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सीमेंट उद्योगों में क्लिंकर के विकल्प के रूप में दानेदार बीएफ (BF) स्लैग का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार सीमेंट उद्योगों के माध्यम से लौह धातुमल का 100% उपयोग दानेदार बनाने के बाद प्राप्त किया जाता है। भूमि सुधारक के रूप में BOF स्लैग का उपयोग, ग्रामीण सड़क निर्माण में, सीमेंट बनाने में, रेल ट्रैक विस्फोट के रूप में विभिन्न रास्ते तलाशे जा रहे हैं।

ख. ठोस अपशिष्ट (स्लैग के अलावा): ठोस अपशिष्ट जैसे मिल स्केल, बीएफ (BF) ग्रिप डस्ट, और अपशिष्ट अपवर्तक ईंटों का पूरी तरह से उपयोग किया जाता है। सेल नगर निगम के कचरे को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से उपयोग करने की दिशा में भी काम कर रहा है। तीन इस्पात संयंत्रों ने दैनिक आधार पर कैंटीन कचरे के प्रसंस्करण के लिए बायो–डाइजेस्टर स्थापित किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र परिसर के अंदर कैंटीन से बायोडिग्रेडेबल कचरे का सुरक्षित निपटान होता है। ये बायो–डाइजेस्टर बायोडिग्रेडेबल ठोस कचरे को खाद में बदल देते हैं, जिसे बाद में बागवानी के लिए खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।

ग. खतरनाक अपशिष्ट: वे अपशिष्ट जो अपनी भौतिक और/या रासायनिक विशेषताओं के कारण प्रकृति में खतरनाक होते हैं, उनका सुरक्षित निपटान *"खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम, 2016"* के नियमों के अनुसार सुरक्षित लैंडफिल सुविधा (SLF) में या खतरनाक कचरे के उपचार, भंडारण और निपटान से संबंधित अधिकृत एजेंसी के माध्यम से किया जाता है। कुछ खतरनाक अपशिष्टों का पुनः उपयोग/सह–प्रसंस्करण किया जाता है।

घ. पैकेजिंग अपशिष्ट: आमतौर पर पैकेजिंग सामग्री ग्राहकों को खेप के साथ भेजी जाती है; उत्पादों को भेजने के बाद ढीले/बचे हुए पैकेजिंग को नियमित अंतराल पर गोदामों से स्थायी रूप से निपटाया जाता है।

BOF स्लैग के उपयोग में सुधार के लिए या तो इन–हाउस रिसर्च विंग के माध्यम से या अन्य अनुसंधान केंद्रों या राष्ट्रीय ख्याति की अकादमियों के सहयोग से विभिन्न अनुसंधान एवं विकास पहल की जा रही है। अनुसंधान एवं विकास पहलों में से कुछ उल्लेखनीय नीचे दिए गए हैं:

क. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में स्टील स्लैग का उपयोग

ख. आईसीएआर–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) के सहयोग से टिकाऊ कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील–स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों का विकास

ग. पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट (पीएससी) बनाने के लिए मिश्रित धातुमल (BF स्लैग और BOF स्लैग का मिश्रण) के उपयोग पर अध्ययन

4. क्या विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी (ईपीआर) इकाई की गतिविधियों पर लागू होती है (हां/नहीं)। यदि हां, तो क्या कचरा संग्रहण योजना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी (ईपीआर) योजना के अनुरूप है? यदि नहीं, तो इसके समाधान के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दें।

नहीं, सेल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का थोक उपभोक्ता होने के कारण हर साल काफी मात्रा में ई–कचरा उत्पन्न करता है। प्रचलित ई–कचरा नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सूचीकरण और उत्पादन, स्टॉक की स्थिति और उपयुक्त निपटान का रिकॉर्ड रखा जा रहा है। ई–कचरे की स्थिति प्रतिवर्ष नियामक एजेंसी को प्रस्तुत की जाती है। प्लास्टिक कचरे का निपटान भी वैधानिक दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

सिद्धांत 3: व्यवसायों को उनकी मूल्य श्रृंखला में शामिल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों की सम्मान करना चाहिए और उनकी बेहतरी को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. क. कर्मचारियों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी*											
पुरुष	58,459	58,459	100%	58,459	100%	उपलब्ध नहीं**	उपलब्ध नहीं**	58,459	100%	-	-
महिला	3,722	3,722	100%	3,722	100%	3,722	100%	उपलब्ध नहीं**	उपलब्ध नहीं**	-	-
कुल	62,181	62,181	100%	62,181	100%	3,722	100%	58,459	100%	-	-
स्थायी कर्मचारियों के अलावा#											
कानून के अनुसार सभी लाभ बढ़ाए गए हैं											

उपरोक्त के अलावा कंपनी के कर्मचारी कर्मचारी परिवार लाभ योजना के अंतर्गत आते हैं।

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं* ***उपलब्ध नहीं*

ख. श्रमिकों की भलाई के लिए उपायों का विवरण:

श्रेणी	कवर किए गए कर्मचारियों का %										
	कुल (ए)	स्वास्थ्य बीमा		दुर्घटना बीमा		मातृत्व लाभ		पितृत्व लाभ		डे केयर सुविधाएं	
		संख्या (बी)	% (बी/ए)	संख्या (सी)	% (सी/ए)	संख्या (डी)	% (डी/ए)	संख्या (ई)	% (ई/ए)	संख्या (एफ)	% (एफ/ए)
स्थायी कर्मचारी*											
पुरुष	** उपलब्ध नहीं										
महिला											
कुल											
स्थायी कर्मचारियों के अलावा#											
कानून के अनुसार सभी लाभ बढ़ाए गए हैं											

#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं। ***उपलब्ध नहीं*

2. चालू वित्तीय वर्ष और पिछले वित्तीय वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति लाभों का विवरण।

लाभ	वित्तीय वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2020–21		
	कर्मचारियों की संख्या* कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए	कर्मचारियों की संख्या# कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए	प्राधिकरण के पास काटे गए और जमा किए गए कुल श्रमिक (हां/नहीं/उपलब्ध नहीं)	कर्मचारियों की संख्या* कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए	कर्मचारियों की संख्या# कुल कर्मचारियों के % के रूप में कवर किए गए	प्राधिकरण के पास काटे गए और जमा किए गए कुल श्रमिक (हां/नहीं/उपलब्ध नहीं)
पीएफ	100%	-	हां, सेल पीएफ ट्रस्ट में	100%	-	हां, सेल पीएफ ट्रस्ट में
ग्रेच्युटी	100%	-	उपलब्ध नहीं**	100%	-	उपलब्ध नहीं**
ईएसआई	शून्य					
छुट्टी नकदीकरण	100%	-	उपलब्ध नहीं**	100%	-	उपलब्ध नहीं**
सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ	100%	-	उपलब्ध नहीं**	100%	-	उपलब्ध नहीं**
सेवानिवृत्ति के बाद निपटान लाभ	100%	-	उपलब्ध नहीं**	100%	-	उपलब्ध नहीं**

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं*

#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं। ***उपलब्ध नहीं*

3. कार्यस्थलों तक पहुंच

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 की आवश्यकताओं के अनुसार, क्या संस्था के परिसर/कार्यालयों तक विकलांग कर्मचारियों और श्रमिकों की पहुंच है? यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में संस्था द्वारा कोई कदम उठाया जा रहा है।

हां, हमारे सभी कार्यालय परिसर विकलांग कर्मचारियों के लिए सुलभ हैं। सेल विकलांग व्यक्तियों के लिए बुनियादी ढांचे की पहुंच में सुधार की दिशा में लगातार काम कर रहा है।

4. क्या विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार संस्था के पास समान अवसर नीति है? यदि हां, तो पॉलिसी के लिए एक वेब–लिंक प्रदान करें।

हां, सेल के पास समान अवसर नीति है। अधिक जानकारी के लिए, कृपया लिंक देखें – https://www.sail.co.in/en/personnel-policies

5. माता–पिता बन छुट्टी लेने वाले स्थायी कर्मचारियों और कामगारों की काम पर वापसी और प्रतिधारण दर।

लिंग	स्थायी कर्मचारी*		स्थायी श्रमिक#	
	कार्य पर वापसी दर	प्रतिधारण दर	कार्य पर वापसी दर	प्रतिधारण दर
पुरुष	100%	100%	उपलब्ध नहीं**	
महिला	100%	100%		
कुल	**100%**	**100%**		

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं*

#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं। ***उपलब्ध नहीं*

6. क्या कर्मचारियों और कामगारों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध है? यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप विवरण दें।

हां, नियमित कर्मचारियों (कार्यकारी और गैर–कार्यकारी दोनों) के लिए सेल संयंत्रों और इकाइयों में प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए संयंत्र/इकाई स्तर पर समर्पित शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

सेल संयंत्र/इकाइयां शिकायत प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखती हैं और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानांतरण, छुट्टी, कार्य असाइनमेंट और कल्याण सुविधाओं आदि जैसे सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में विद्यमान पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है। श्रमिकों (संविदा कर्मचारी आदि) के मामले में, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाता है

	हां/नहीं (यदि हां, तो तंत्र का संक्षेप में विवरण दें)
स्थायी कर्मचारियों के अलावा#	हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है
स्थायी कर्मचारी*	हां, जैसा कि ऊपर बताया गया है

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं*

#कर्मचारी संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं।

7. सूचीबद्ध इकाई द्वारा मान्यता प्राप्त संघ (घों) या यूनियनों में कर्मचारियों और कार्यकर्ता की सदस्यता:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2020–21		
	संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारी	संबंधित श्रेणी में, कर्मचारियों* की संख्या जो संघ (घों) या यूनियनों (बी) का हिस्सा हैं	%(बी/ए)	संबंधित श्रेणी (ए) में कुल कर्मचारी	संबंधित श्रेणी में, कर्मचारियों* की संख्या जो संघ (घों) या यूनियनों (बी) का हिस्सा हैं	%(बी/ए)
कर्मचारी						
पुरुष	58,459	58,459	100%	61,736	61,736	100%
महिला	3,722	3,722	100%	3,828	3,828	100%
कुल	**62,181**	**62,181**	**100%**	**65,564**	**65,564**	**100%**

नोटः ट्रेड यूनियनों को संबंधित संयंत्रों/इकाइयों द्वारा मान्यता प्राप्त है। सेल के लगभग सभी कर्मचारी ट्रेड यूनियनों या अधिकारी संघों के सदस्य हैं।
**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं*

8. कर्मचारियों और श्रमिकों को दिए गए प्रशिक्षण का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22				
	कुल (ए)	स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों पर		कौशल उन्नयन पर	
		सं. (बी)	%(बी/ए)	सं.(सी)	%(सी/ए)
कर्मचारी* और श्रमिक#	30,458	9,458	31%	14,117	46%

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं*
#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं।

9. कर्मचारियों और श्रमिकों के प्रदर्शन और करियर विकास की समीक्षा का विवरण:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22		
	कुल (ए)	कुल (बी)	%(बी/ए)
कर्मचारी*			
पुरुष	58,459	58,459	100%
महिला	3,722	3,722	100%
कुल	**62,181**	**62,181**	**100%**
कर्मचारी*			
पुरुष	उपलब्ध नहीं*		
महिला			
कुल			

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं*
**कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं।*
***उपलब्ध नहीं*

10. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली:

क. क्या संस्था द्वारा व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है? (हां/नहीं)। यदि हां, तो ऐसी प्रणाली को कैसे किया जाता है?

हां, सेल ने व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली लागू की है।

सेल का लक्ष्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए किसी भी नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने और पार करने के लिए आवश्यक उच्चतम मानकों को स्थापित करना है। अधिकांश सेल संयंत्रों और इकाइयों के पास आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन है, और कवरेज सिस्टम के अनुरूप है। वैधानिक आवश्यकताओं/ विनियमों/ दिशानिर्देशों/पॉलिसियों के अनुरूप, सेल कार्यस्थल से संबंधित सभी बीमारियों और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तदनुसार, स्वास्थ्य और सुरक्षा इसके सभी कार्यों के महत्वपूर्ण घटक हैं। यह जोखिम मूल्यांकन में सहायता करता है और संचालन और गतिविधियों में स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के विरूद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। आंतरिक और निगरानी ऑडिट और मूल्यांकन नियमित आधार पर किए जाते हैं, जिससे सुरक्षा मानकों और प्रदर्शन में निरंतर सुधार होता है।

ख. कार्य से संबंधित खतरों की पहचान करने और इकाई द्वारा नियमित और गैर–नियमित आधार पर जोखिमों का आंकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं कौन सी हैं?

अच्छी तरह से परिभाषित खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) प्रक्रिया लागू की गई है। इसके अलावा, खतरे की पहचान और जोखिम मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले अन्य उपकरण और तकनीकें इस प्रकार हैं:

क. मात्रात्मक जोखिम मूल्यांकन और एचएजेडओपी अध्ययन

ख. निरीक्षण

ग. लेखा परीक्षा

घ. सुरक्षा अवलोकन और व्यवहारिक हस्तक्षेप दौर

ड़. आरओकेओ–टीओकेओ ड्राइव और अभियान

ग. क्या आपके पास काम से संबंधित खतरों की रिपोर्ट करने और ऐसे जोखिमों से खुद को दूर करने के लिए श्रमिकों के लिए प्रक्रियाएं हैं। (हां/नहीं)

हां, कंपनी के पास नियमित और गैर–नियमित दोनों प्रकार के कार्यों के लिए एक स्थापित जोखिम पहचान और जोखिम मूल्यांकन (एचआईआरए) प्रक्रिया है, जिसके आधार पर विभाग स्तर पर एसओपी और एसएमपी तैयार किए गए हैं और लोगों को प्रशिक्षण के माध्यम से मुख्य सुरक्षा पहलुओं पर संवेदनशील बनाया गया है। इन प्रक्रियाओं की समय–समय पर समीक्षा और अपडेट किया जाता है और विशेष रूप से किसी भी घटना के बाद।

घटना की रिपोर्टिंग की प्रक्रिया और जांच मूल कारणों की पहचान करने के लिए मौजूद है और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी संयंत्रों में सिफारिशें समान रूप से लागू की जाती हैं। गंभीर चोटों को रोकने के लिए संयंत्र के साथ–साथ कॉर्पोरेट स्तर पर भी घटनाओं (अचानक हुई घटनाओं) की रिपोर्टिंग के लिए प्रेरक योजनाएं लागू हैं। कार्यस्थल के खतरों/घटनाओं की तुरंत रिपोर्ट करने के लिए सुरक्षा पोर्टल, व्हाट्सएप ग्रुप, मोबाइल ऐप आदि जैसे डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा, सभी कर्मचारियों/ठेकेदारों को सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करने से रोकने के लिए चल रहे सुरक्षा प्रबंधन परामर्श कार्य के तहत "शून्य सहनशीलता नियम" और "जीवन रक्षक नियम" बनाए गए हैं।

घ. क्या संस्था के कर्मचारियों/श्रमिकों की गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है? (हां/नहीं)

हां, सभी संयंत्रों और इकाइयों के पास गैर–व्यावसायिक चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच या तो साइट पर या निकट के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थाओं के साथ टाई–अप से होती है। साथ ही, कर्मचारियों/श्रमिकों को अपनी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की देखभाल के लिए कंपनी द्वारा संचालित अस्पतालों/स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंच प्राप्त है।

11. निम्नलिखित प्रारूप में सुरक्षा संबंधी घटनाओं का विवरण:

सुरक्षा घटना/संख्या	श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22	वित्तीय वर्ष 2020–21
बरबाद हुए समय चोट आवृत्ति दर (एलटीआईएफआर/LTIFR) (प्रति दस लाख–व्यक्ति–घंटे काम किया गया)*	कर्मचारी	0.060	0.052
	श्रमिक	0.183	0.136
कुल रिकॉर्ड की गईं कार्य–संबंधी चोट**	कर्मचारी	37	35
	श्रमिक	34	21
मरने वालों की संख्या	कर्मचारी	3	4
	श्रमिक	16	10
उच्च परिणाम वाली कार्य–संबंधी चोट या अस्वस्थता (मृत्यु को छोड़कर)	कर्मचारी	-	-
	श्रमिक	-	-

**आरएलटीआईएफआर/RLTIFR (रिपोर्टेबल लॉस्ट टाइम इंजरी फ्रिक्वेंसी रेट)*
***रिपोर्ट की गई और और रिपोर्ट नहीं की गईं दुर्घटनाएं शामिल हैं*

12. सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल सुनिश्चित करने के लिए संस्था द्वारा किए गए उपायों का वर्णन करें।

सेल ने "सुरक्षा नीति" अपनाई है जो अपने कर्मचारियों और इससे जुड़े लोगों सहित संयंत्रों/इकाइयों/खानों के पड़ोस में रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण मामलों पर नीति, प्रक्रियाओं और प्रणालियों की समीक्षा के लिए समर्पित स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण उप–समिति मौजूद है। सुरक्षा मानकों पर प्रदर्शन की समीक्षा प्रत्येक सोमवार को प्रत्येक संयंत्र/इकाई में उच्चतम स्तर पर की जाती है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, सुरक्षा के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाता है और कार्यस्थल के खतरों की पहचान की जाती है, जोखिमों का आंकलन किया जाता है और तदनुसार, जोखिम को स्वीकार्य स्तर तक लाने के लिए निरंतर आधार पर नियंत्रण उपाय किए जाते हैं। इस्पात उद्योग से बाईस जी–सैप्स (वैश्विक सुरक्षा अभ्यास) की पहचान की जाती है और विभिन्न स्तरों पर कार्यान्वित किए जाते हैं।

सुरक्षित कामकाज सुनिश्चित करने और सुरक्षा प्रदर्शन में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी संयंत्रों, इकाइयों और खानों में नियमित आधार पर विभिन्न प्रकार की पहल और ड्राइव/अभियान चलाए जाते हैं। कुछ पहल इस प्रकार हैं:

क. ओएचएस नीति

ख ओएचएस इंडक्शन, ऑन–द जॉब, रिफ्रेशर ट्रेनिंग और एलईओ वर्कशॉप

ग. सुरक्षा प्रचार और प्रेरक कार्यक्रम

घ. मानक संचालन और रखरखाव प्रक्रियाएं

ड़. ओएचएस समितियां (द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय)

च. टूलबॉक्स वार्ता

छ. कार्य और प्रोटोकॉल प्रणाली की अनुमति का पालन

ज. उच्च जोखिम मानकों और एमओएस सुरक्षा दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन (ऊंचाई पर काम, पीटीडब्ल्यू, सीमित स्थान, विद्युत सुरक्षा, गैस सुरक्षा, कन्वेयर बेल्ट सुरक्षा, रेल और सड़क सुरक्षा, आदि)

झ. उच्च खतरनाक प्रक्रियाओं का सुरक्षित प्रबंधन (क्यूआरए, एचएजेडओपी, बो टाई, आदि)

ट. औद्योगिक स्वच्छता सर्वेक्षण (शोर, धूल, रोशनी, आदि), प्रारंभिक और आवधिक चिकित्सा परीक्षा

ठ. ओएचएस निरीक्षण

ड. थीम आधारित ड्राइव और अभियान

ढ. घटना जांच प्रणाली

ण. दृश्य प्रदर्शन प्रबंधन

त. उपकरण, टैकल और उपकरण का निरीक्षण/प्रमाणन

थ. सांविधिक अनुपालन

द. घटना की रिपोर्टिंग, जांच और विश्लेषण

ध. आपातकालीन योजना और प्रक्रिया और मॉक ड्रिल के माध्यम से पूर्वाभ्यास

न. विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा प्रदर्शन निगरानी और समीक्षा (एचएसई, कॉर्पोरेट और संयंत्र स्तरों पर बोर्ड/बोर्ड उप–समिति)

प. सेल सुरक्षा संगठन द्वारा ''एकीकृत इस्पात संयंत्र (आई–एसईए) के लिए सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार'' नामक एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, सेल ने अपने भिलाई, राउरकेला और बोकारो स्टील प्लांट में सेफ्टी कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जाने–माने सेफ्टी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया है और अन्य स्टील प्लांट्स में तैनाती की प्रक्रिया में है जो मौजूदा सुरक्षा सुधार प्रयासों को और गति प्रदान करेगा।

13. कर्मचारियों और श्रमिकों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्या।

सेल संयंत्रों और इकाइयों को वित्त वर्ष 2021–22 और वित्त वर्ष 2020–21 में ''स्वास्थ्य और सुरक्षा'' और ''काम करने की स्थिति'' पर कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि, कर्मचारियों और श्रमिकों को एक निवारक कार्रवाई के रूप में कार्यस्थल पर असुरक्षित कृत्यों और स्थितियों की सक्रिय रूप से रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

14. वर्ष के लिए आंकलनः

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या सांविधिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
स्वास्थ्य और सुरक्षा अभ्यास	100%
काम करने की स्थिति	100%

15. सुरक्षा से संबंधित घटनाओं (यदि कोई हो) और स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों के आंकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

क. सुरक्षा संबंधी सभी घटनाओं की जांच की जाती है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों को लागू करने के लिए जांच से मिली सीख को संगठन में साझा किया जाता है। सुरक्षा ऑडिट के दौरान सुधारात्मक कार्रवाई परिनियोजन की प्रभावशीलता की जांच की जाती है।

ख. संबंधित क्षेत्र या समारोह जहां घटना हुई है वहां के सुरक्षा मैनुअल, एसओपी और एसएमपी का रिव्यू/समीक्षा की जाती है।

ग. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं के मूल्यांकन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को निम्नलिखित जोखिम नियंत्रण पदानुक्रम अर्थात उन्मूलन, प्रतिस्थापन, इंजीनियरिंग नियंत्रण (प्रौद्योगिकी/डिजिटीकरण आदि का उपयोग), प्रशासनिक नियंत्रण (सुरक्षा क्षमता निर्माण, निगरानी और पर्यवेक्षण, दृश्य डिस्प्ले आदि) और पीपीई का उपयोग कर संबोधित किया जाता है।

नेतृत्व संकेतक

1. क्या संस्था (क) कर्मचारियों (हां/नहीं) (ख) श्रमिकों (हां/नहीं) की मृत्यु की स्थिति में कोई जीवन बीमा या कोई प्रतिपूरक पैकेज प्रदान करती है।

क.	कर्मचारी*	हां
ख.	कार्यकर्ता#	हां

*कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं

#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं।

2. यह सुनिश्चित करने के लिए कि वैल्यू चेन भागीदारों द्वारा वैधानिक देय राशि काट ली गई है और जमा कर दी गई है, इकाई द्वारा किए गए उपायों को प्रदान करें।

कंपनी समय–समय पर लागू होने वाले आयकर, भविष्य निधि, पेशेवर कर, ईएसआईसी, आदि के लिए कर्मचारियों के सांविधिक बकाया का अनुपालन करती है। वैल्यू चेन भागीदारों को अनुबंध के अनुसार इसका अनुपालन करने के लिए भी जिम्मेदार बनाया गया है।

3. उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या प्रदान करें, जिन्हें काम से संबंधित चोट/बीमारी/मृत्यु का सामना करना पड़ा है (जैसा कि ऊपर आवश्यक संकेतकों के प्र.11 में बताया गया है), जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है।

	प्रभावित कर्मचारियों*/श्रमिकों# की कुल संख्या		उन कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या जिनका पुनर्वास किया गया है और उन्हें उपयुक्त रोजगार में रखा गया है या जिनके परिवार के सदस्यों को उपयुक्त रोजगार में रखा गया है	
	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21	वित्त वर्ष 2021–22	वित्त वर्ष 2020–21
कर्मचारी*	दुर्घटना के कारण मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता के मामले में 'रोजगार से और उस दौरान' और ऐसे मामले में जहां गठित समिति द्वारा कर्मचारी को शारीरिक/मानसिक कारणों, पुरानी दुर्बल बीमारियों से पीड़ित होने के कारण से अपने सामान्य कर्तव्य को करने में असमर्थ घोषित किया गया, ऐसे में (दिशानिर्देशों के अनुसार) कम्पैसिनेट रोजगार प्रदान किया गया। वर्ष 2020 और 2021 में रोजगार प्रदान करने वाले परिवार के सदस्यों की कुल संख्या क्रमशः 94 और 166 रही। इसमें ऊपर प्र.11 में संदर्भित मामले और अन्य कम्पैसिनेट मामले शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा, इसमें चालू वर्ष के साथ–साथ पिछले वर्ष में प्रदान किया गया पुनर्वास भी शामिल हो सकता है।			
श्रमिक#				

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं* *#कार्यकर्ता संविदा कर्मियों आदि को संदर्भित करते हैं।*

4. क्या संस्था सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति के परिणामस्वरूप निरंतर रोजगार और कैरियर की समाप्ति पर प्रबंधन की सुविधा के लिए संक्रमण सहायता कार्यक्रम प्रदान करती है? (हां/नहीं)

सेल में सेवा पूरी होने के बाद अधिकांश अधिकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यद्यपि उनकी रोजगारपरकता के लिए ऐसा कोई सहायता कार्यक्रम नहीं है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उनके सेवानिवृत्त जीवन के लिए सहायता कार्यक्रम है।

5. वैल्यू चेन भागीदारों के मूल्यांकन पर विवरण:

कंपनी अपने वैल्यू चेन भागीदारों से अपेक्षा करती है कि वे स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और काम करने की स्थितियों सहित मौजूदा नियमों का पालन करें, जो अनुबंध दस्तावेज में निर्दिष्ट हैं। नौकरी की सुरक्षा आवश्यकताओं को अनुबंध के नियमों और शर्तों में परिभाषित किया गया है जिनका मूल्यांकन समय–समय पर साइट निरीक्षण के माध्यम से किया जाता है। सुरक्षा उल्लंघनों और समय की चूक से हुई घटनाओं से निपटने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित परिणाम प्रबंधन प्रणाली भी मौजूद है।

6. स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रथाओं और वैल्यू चेन भागीदारों की कार्य स्थितियों के आंकलन से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

स्थल निरीक्षण के दौरान कोई महत्वपूर्ण खतरा/जोखिम पाए जाने पर तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। सिस्टम को मजबूत करने के उपाय के रूप में, तैनात सलाहकारों के विशेषज्ञ मार्गदर्शन के तहत संयंत्रों में एक संरचित 'ठेकेदार सुरक्षा प्रबंधन मानक' चल रहा है।

सिद्धांत 4: व्यवसायों को अपने सभी हितधारकों के हितों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी होना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. इकाई के प्रमुख हितधारक समूहों की पहचान के लिए प्रक्रियाओं का वर्णन करें।

हितधारक कंपनी की विकास रणनीति का एक अभिन्न अंग हैं। जोखिमों की पहचान करने और कंपनी के व्यवसाय मॉडल में एकीकरण के लिए प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए हितधारकों के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण है। सेल में, दृढ़ हितधारक जुड़ाव दृष्टिकोण का पालन किया जा रहा है, जिसमें हितधारकों की पहचान करना और उन्हें बनाए रखना शामिल है; उनके विचारों का आंकलन और मूल्यांकन; प्रमुख भौतिक मुद्दों को प्राथमिकता देना; स्थिरता संकेतकों की पहचान करना; कार्य योजना तैयार करना; कार्यान्वयन और संचार शामिल है।

विभिन्न हितधारकों की पहचान काफी हद तक कंपनी की व्यावसायिक रणनीति और स्थिरता की दृष्टि पर उनके भौतिक प्रभाव पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, कमजोर और सीमांत हितधारकों की पहचान करने के लिए डेस्क रिसर्च (डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस), कम्युनिटी नीड असेसमेंट, साथियों के खिलाफ बेंचमार्किंग और संगठन के प्रमुख कर्मियों के साथ साक्षात्कार भी किए जाते हैं।

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट के विवरण के लिए, सेल की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2022 का 'स्टेकहोल्डर' सेक्शन देखें।

2. अपनी इकाई के लिए कुंजी के रूप में पहचाने गए हितधारक समूहों और प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति की सूची बनाएं।

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के चैनल	प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति	इस तरह की व्यस्तताओं के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
शेयरधारक	नहीं	वार्षिक जनरल मीटिंग, शेयरधारकों को त्रैमासिक और अर्ध–तिमाही रिपोर्ट, निवेशक मीटिंग, निवेशक शिकायत निवारण आदि।	वार्षिक/त्रैमासिक/अर्ध त्रैमासिक	कंपनी की लाभप्रदता, धन का सृजन, स्टॉक मूल्य, शिकायतें और अभियोग
कर्मचारी	हां	श्रमिक संघ, द्विदलीय और त्रिपक्षीय मीटिंग, विभागीय और क्षेत्रीय समिति की मीटिंग, संवाद और संचार के लिए विभिन्न मंच, अध्यक्ष और डी आई/सी बातचीत, कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण, वार्षिक मूल्यांकन, आंतरिक समाचार पत्र, आदि।	प्रतिदिन	सुरक्षा और स्वस्थ कार्य स्थिति, अच्छा पारिश्रमिक पैकेज, पेशेवर विकास, जीवन की गुणवत्ता, कल्याणकारी उपाय, प्रशिक्षण और करियर विकास

हितधारक समूह	क्या कमजोर और सीमांत समूह के रूप में पहचान की गई है (हां/नहीं)	संचार के चैनल	प्रत्येक हितधारक समूह के साथ जुड़ाव की आवृत्ति	इस तरह की व्यस्तताओं के दौरान उठाए गए प्रमुख विषयों और चिंताओं सहित जुड़ाव का उद्देश्य और दायरा
आपूर्तिकर्ता	हां	विक्रेता मीटिंग, आपूर्तिकर्ताओं के साथ मीटिंग, सहायक संघ मीटिंग, आपूर्तिकर्ता संबंध प्रबंधन	त्रैमासिक और जब भी आवश्यक हो	मूल्य निर्माण के साथ साझेदारी, समय पर भुगतान, अधिक स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करना, आपूर्तिकर्ता संतुष्टि
ग्राहक	नहीं	ग्राहक मीटिंग, संयंत्र का दौरा, ग्राहक समूहों के साथ निदेशक का सम्मेलन, ग्राहकों से मिलना और ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण	जब भी आवश्यक हो	मूल्य निर्माण, उत्पाद गुणवत्ता, वितरण अनुपालन, ग्राहक संतुष्टि, शिकायतों का समाधान।
समुदाय	हां	सामुदायिक मीटिंग, नगर पालिकाओं के साथ बातचीत, नगर प्रशासनिक समिति, स्थानीय समाज के कार्यों में भागीदारी।	जब भी आवश्यक हो	जीवन की गुणवत्ता, नौकरी के अवसर, शिक्षा, कल्याणकारी उपाय, चिकित्सा सुविधाएं, सतत आजीविका
गैर सरकारी संगठन	नहीं	संयंत्रों का दौरा, संगोष्ठियों, सम्मेलनों, बातचीत आदि।	त्रैमासिक और जब भी आवश्यक हो	पर्यावरण गुणवत्ता, मानवाधिकार, संघ की स्वतंत्रता, नियमों का अनुपालन
नियामक	नहीं	केंद्रीय और राज्य सरकार/इस्पात मंत्रालय/व्यापार निकायों, उद्योग संघों, पर्यावरण मंत्रालय, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, अन्य वैधानिक निकायों आदि के साथ मीटिंग।	वार्षिक/ जब भी आवश्यक हो	आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक अनुपालन, मानवाधिकार, सुरक्षा, आई. एल.ओ. सम्मेलनों का अनुपालन
प्रतिस्पर्धी	नहीं	ज्ञान साझा नहीं करना, मूल्य निर्माण के साथ साझेदारी, प्रतिस्पर्धा–विरोधी व्यवहार, उपभोक्ता गोपनीयता	जब भी आवश्यक हो	निष्पक्ष व्यापार, साझेदारी, सार्वजनिक नीति वकालत
उद्योग संघ	नहीं	सम्मेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां	वार्षिक/जब भी आवश्यक हो	उद्योग नीति, विनियम, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, सीएसआर, व्यापार उत्कृष्टता, जलवायु परिवर्तन
शैक्षणिक निकाय	नहीं	सम्मेलन, कार्यशालाएं, संगोष्ठियां	जब भी आवश्यक हो	ज्ञान प्रबंधन गतिविधियां, मूल्य सृजन के लिए साझेदारी
पेशेवर/ सलाहकार	नहीं	संयंत्रों का दौरा, सेमिनार, सम्मेलन, बातचीत	जब भी आवश्यक हो	मूल्य निर्माण, प्रशिक्षण और विकास के साथ साझेदारी
मीडिया	नहीं	प्रेस मीट, संयंत्रों के साथ बातचीत और कॉर्पोरेट संचार	जब भी आवश्यक हो	आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक प्रदर्शन उपलब्धियां

नेतृत्व संकेतक

1. **आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक विषयों पर हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श के लिए प्रक्रियाएं प्रदान करें या यदि परामर्श प्रत्यायोजित किया जाता है, तो बोर्ड को इस तरह के परामर्श से फीडबैक कैसे प्रदान किया जाता है।**

सेल का मानना है कि समावेशी विकास के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी हितधारक जुड़ाव प्रक्रिया आवश्यक है। सेल का उद्देश्य सरकार, शेयरधारकों, कर्मचारियों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, समुदाय, गैर सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, सलाहकारों, प्रतिस्पर्धियों, वित्तीय संस्थानों आदि जैसे पहचाने गए प्रमुख हितधारक समूहों के साथ गठबंधन को मजबूत करना है। हितधारकों और बोर्ड के बीच परामर्श की प्रक्रिया दैनिक बातचीत से लेकर होती है। शेयरधारकों के साथ वार्षिक जनरल बैठक (एजीएम) में कर्मचारियों के साथ।

लेखा परीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, परियोजना समिति, परिचालन मुद्दे समिति और सामरिक मुद्दों और संयुक्त उद्यम समिति जैसे आर्थिक विषयों से निपटने के लिए समर्पित बोर्ड उप–समितियां हैं। इसके अलावा, पर्यावरण और सामाजिक विषयों से निपटने के लिए, स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति और हितधारक संबंध समिति जैसी समर्पित उप–समितियां नियमित रूप से मीटिंग करती हैं और पहचाने गए मुद्दों पर चर्चा करती हैं। बोर्ड की उप–समिति की बैठकों की सिफारिशों को आवश्यक अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखा जाता है और एक प्रभावी अनुवर्ती तंत्र बोर्ड को समय–समय पर की गई कार्रवाई से अवगत कराता है।

स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट मैट्रिक्स में एक प्रभावी जुड़ाव तंत्र शामिल है। तद्नुसार, यह निम्नलिखित सिद्धांतों पर हितधारकों की भागीदारी को सुनिश्चित करता है:

क पूर्णता – हितधारकों और उनकी अपेक्षाओं की प्रमुख चिंताओं और पारदर्शी और संतुलित रिपोर्टिंग को समझना

ख भौतिकता – हितधारकों के साथ–साथ संगठन के लिए महत्वपूर्ण होने के लिए पहचाने जाने वाले आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर प्राथमिकता से विचार करना

ग. उत्तरदायित्व – ऐसे मुद्दों और चिंताओं के लिए सुसंगत और पारदर्शी रूप से प्रतिक्रिया देना।

इसके अतिरिक्त, सेल अपने आंतरिक और बाहरी दोनों हितधारकों के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ने के लिए कई तरीकों का उपयोग करता है और सचेत रूप से उनकी अपेक्षाओं को पूरा करता है। हितधारकों, विशेष रूप से आपूर्तिकर्ताओं के साथ लगातार बातचीत से कंपनी को फोकस क्षेत्रों को पहचानने और उनके साथ संबंधों को मजबूत करने की अनुमति मिलती है। कंपनी ने हितधारकों

की प्रतिक्रिया को मापने और मापने के लिए कुछ मीट्रिक और कार्यप्रणाली के रूप में ग्राहक संतुष्टि सूचकांक और कर्मचारी संतुष्टि सूचकांक को अपनाया है। प्राप्त फीडबैक के परिणाम संगठन की मध्यम और दीर्घकालिक रणनीति और योजना में एकीकृत होते हैं। कंपनी और समाज के साझा विकास के लिए पहचाने गए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कंपनी सहजता से प्रयास करती है।

साथ ही, ग्राहक प्रतिक्रिया, ग्राहक प्रतिधारण, बाजार में पैठ और विकास के लिए आवश्यक उत्पाद सुधार, उत्पादों और सेवाओं के विकास के लिए आधार बनाने में जाती है।

सिद्धांत 5: व्यवसायों को मानवाधिकारों का सम्मान और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. कर्मचारी और श्रमिक जिन्हें निम्नलिखित प्रारूप में मानव अधिकारों के मुद्दों और संस्था की नीति (ओं) पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)			वित्तीय वर्ष 2020–21 (पिछला वित्तीय वर्ष)		
	कुल (ए)	नं. (बी)	% (बी/ए)	कुल (सी)	नं. (डी)	% (डी/सी)
	कर्मचारी* और श्रमिक#					
स्थायी	सभी कर्मचारियों को समय–समय पर दिए जाने वाले प्रशिक्षण में मानवाधिकारों के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है।					
स्थायी के अलावा						

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं #कार्यकर्ताओं में संविदा कर्मचारी आदि शामिल हैं।*

2. कर्मचारियों और श्रमिकों को भुगतान की गई न्यूनतम मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2021–22 (वर्तमान वित्तीय वर्ष)					वित्तीय वर्ष 2020–21 (पिछला वित्तीय वर्ष)				
	कुल (ए)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक		कुल (डी)	न्यूनतम वेतन के बराबर		न्यूनतम वेतन से अधिक	
		नं. (बी)	% (बी/ए)	नं. (सी)	% (सी/ए)		नं. (ई)	% (ई/डी)	नं. (एफ)	% (एफ/डी)
कर्मचारी*										
स्थायी										
पुरुष	58,459	शून्य	शून्य	58,459	100%	61,736	शून्य	शून्य	61,736	100%
महिला	3,722	शून्य	शून्य	3,722	100%	3,828	शून्य	शून्य	3,828	100%
स्थायी के अलावा	लागू नहीं**									
पुरुष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
महिला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कर्मचारी#										
स्थायी										
पुरुष	लागू नहीं**									
महिला										
स्थायी के अलावा##	ठेका मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा सेल में विशिष्ट नौकरियों/कार्यों के लिए अनुबंध पर लगाया जाता है। सेल संयंत्रों और इकाइयों में लगे ठेका मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा मजदूरी का भुगतान किया जा रहा है जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी से बहुत अधिक है। विभिन्न भत्ते जैसे अतिरिक्त कल्याण सुविधा ₹1,750 से ₹2,500 प्रति माह की सीमा में न्यूनतम मजदूरी के ऊपर भुगतान किया जाता है।									
पुरुष	48,863	शून्य		48,863	100%	51,852	शून्य		51,852	100%
महिला	2,814			2,814	100%	2,930			2,930	100%

**कर्मचारियों में कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारी शामिल हैं #कार्यकर्ताओं में संविदा कर्मचारी आदि शामिल हैं।*
***लागू नहीं ##स्थायी के अलावा यानि संविदा कर्मी –*

3. पारिश्रमिक/वेतन/मजदूरी का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में:

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी का वेतन	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी का वेतन
निदेशक बोर्ड (बीओडी)	11	अध्यक्ष: ₹2,00,000–3,70,000 निदेशक (कार्यात्मक) ₹1,80,000–3,40,000	3	अध्यक्ष: ₹2,00,000–3,70,000 निदेशक (कार्यात्मक) ₹1,80,000–3,40,000
प्रमुख प्रबंधकीय अधिकारी	14	अध्यक्ष: ₹2,00,000–3,70,000 निदेशक (कार्यात्मक): ₹1,80,000–3,40,000 कार्यकारी निदेशक (ई–9 ग्रेड): ₹1,50,000–3,00,000	2	अध्यक्ष: ₹2,00,000–3,70,000 निदेशक (कार्यात्मक): ₹1,80,000–3,40,000 कार्यकारी निदेशक (ई–9 ग्रेड): ₹1,50,000–3,00,000

	पुरुष		महिला	
	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी का वेतन	संख्या	औसत पारिश्रमिक/वेतन/संबंधित श्रेणी का वेतन
निदेशक बोर्ड और प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के अलावा अन्य कर्मचारी (कार्यकारी)	9,582	एस–9 और उससे नीचे के ग्रेड एस–0 30,000-1,20,000 एस–1 50,000-1,60,000 60,000-1,80,000 एस–2 70,000-2,00,000 एस–3 80,000-2,20,000 एस–4 90,000-2,40,000 एस–5 1,00,000-2,60,000 एस–6 1,20,000-2,80,000 एस–7 1,20,000- 2,80,000 एस–8 1,20,000-2,80,000 एस–9 1,50,000-3,00,000	906	एस–9 और उससे नीचे के ग्रेड एस–0 30,000-1,20,000 एस–1 50,000-1,60,000 60,000-1,80,000 एस–2 70,000-2,00,000 एस–3 80,000-2,20,000 एस–4 90,000-2,40,000 एस–5 1,00,000-2,60,000 एस–6 1,20,000-2,80,000 एस–7 1,20,000- 2,80,000 एस–8 1,20,000-2,80,000 एस–9 1,50,000-3,00,000
कर्मचारी (गैर–कार्यकारी)	48,863	एस–1 25,070-35,070 एस–2 25,810-36,730 एस–3 26,600-38,920 एस–4 27,080-42,900 एस–5 27,390-47,640 एस–6 27,710-53,590 एस–7 27,870-60,820 एस–8 28,030-68,980 एस–9 28,180-80,080 एस–10 28,340-94,870 एस–11 28,500-1,07,900	2,814	एस–1 25,070-35,070 एस–2 25,810-36,730 एस–3 26,600-38,920 एस–4 27,080-42,900 एस–5 27,390-47,640 एस–6 27,710-53,590 एस–7 27,870-60,820 एस–8 28,030-68,980 एस–9 28,180-80,080 एस–10 28,340-94,870 एस–11 28,500-1,07,900

नोटः संबंधित ग्रेड में वेतनमान पर विचार किया गया है

4. क्या आपके पास व्यवसाय द्वारा उत्पन्न या योगदान किए गए मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए कोई केंद्र बिंदु (व्यक्ति/समिति) है? (हां नहीं)

हां, सेल, महारत्न पीएसयू, एक सामाजिक रूप से जागरूक संगठन है जो ग्रह, लोगों और लाभ के लिए विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी जिम्मेदारी से काम करता है। कंपनी ने मानवाधिकार प्रभावों या मुद्दों को संबोधित करने के लिए अच्छी तरह से निर्धारित प्रणालियां और नीतियां बनाई हैं। संगठन अपने विभिन्न मंचों/गतिविधियों के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देता है। आरटीआई, सीपीजीआरएएम, एनसीएससी/एनसीएसटी/एनसीबीसी/एनएचआरसी, सीवीसी, सीएजी आदि जैसे आयोग प्रमुख केंद्र बिंदु हैं जो एचआर के प्रभावों को संबोधित करने में सहायता करते हैं। इसके अलावा, शिकायतों की प्रभावी रिकॉर्डिंग और निवारण के लिए संयंत्र/इकाई स्तर पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

5. मानवाधिकार मुद्दों से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए मौजूद आंतरिक तंत्रों का वर्णन करें।

हां, नियमित कर्मचारियों (कार्यकारी और गैर–कार्यकारी दोनों) के लिए सेल संयंत्रों और इकाइयों में प्रभावी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र विकसित और स्थापित किया गया है। शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए संयंत्र/इकाई स्तर पर समर्पित शिकायत समितियों का गठन किया गया है।

सेल प्लांट/इकाइयां शिकायत प्रबंधन प्रणाली को बनाए रखती हैं और कर्मचारियों को हर स्तर पर वेतन अनियमितताओं, काम करने की स्थिति, स्थानांतरण, छुट्टी, कार्य असाइनमेंट और कल्याण सुविधाओं आदि जैसे सेवा मामलों से संबंधित शिकायतों को उठाने का अवसर दिया जाता है। इस्पात संयंत्रों में विद्यमान पर्यावरण की सहभागी प्रकृति को देखते हुए अधिकांश शिकायतों का अनौपचारिक रूप से निवारण किया जाता है। प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में प्रभावी साबित हुई है। श्रमिकों (संविदा कर्मचारी आदि) के मामले में, वैधानिक प्रावधानों के अनुसार शिकायतों का निपटारा किया जाता है।

6. कर्मचारियों और कामगारों द्वारा निम्नलिखित पर की गई शिकायतों की संख्याः

	वित्त वर्ष 2021–22			वित्तीय वर्ष 2020–21		
	चालू वित्तीय वर्ष			पिछला वित्तीय वर्ष		
	वर्ष के दौरान दायर की गईं	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां	वर्ष के दौरान दायर की गईं	वर्ष के अंत में लंबित संकल्प	टिप्पणियां
यौन उत्पीड़न	3	1	-	7	2	-
कार्यस्थल पर भेदभाव	0	0	-	0	0	-
बाल श्रम	0	0	-	0	0	-
जबरन श्रम/अनैच्छिक श्रम	0	0	-	0	0	-
वेतन	शुन्य					
मानवाधिकार से जुड़े अन्य मुद्दे						

7. **भेदभाव और उत्पीड़न के मामलों में शिकायतकर्ता पर होने वाले प्रतिकूल असर को रोकने के लिए तंत्र।**

सेल में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (पीओएसएच) के निषेध, रोकथाम और निवारण के लिए नीति और समान अवसर नीति है।

नीति में तंत्र अच्छी तरह से रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए, पॉलिसी लिंक देखें (*https://sail.co.in/sites/default/files/upload/2022-06/Policy-for-Prohibition-Prevention-Redressal-of-Sexual-Harassment-of-Women-at-Workplace.pdf*)

8. **क्या मानवाधिकार आवश्यकताएं आपके व्यापार समझौतों और अनुबंधों का हिस्सा हैं? (हां/नहीं)**

मानवाधिकार पहलुओं को कंपनी के व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के साथ–साथ विभिन्न मानव संसाधन नीतियों और प्रथाओं में शामिल किया गया है।

9. **वर्ष के लिए आंकलन:**

	आपके संयंत्रों और कार्यालयों का % जिनका मूल्यांकन किया गया था (इकाई या वैधानिक प्राधिकरणों या तृतीय पक्षों द्वारा)
बाल श्रम	आंकलन नहीं किया गया
जबरन/अनैच्छिक श्रम	
यौन उत्पीड़न	
कार्यस्थल पर भेदभाव	
वेतन	
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	

10. **उपरोक्त प्रश्न 9 में मूल्यांकनों से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण जोखिमों/चिंताओं को दूर करने के लिए की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।**

कोई महत्वपूर्ण जोखिम या खतरा नहीं था

सिद्धांत 6: व्यवसायों को पर्यावरण की रक्षा और पुनर्स्थापना के लिए सम्मान और प्रयास करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **कुल ऊर्जा खपत (जूल या गुणकों में) और ऊर्जा तीव्रता का विवरण।**

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
अपनी साइटों के लिए कुल बिजली खपत (ए) (टीजे)	1,37,186	1,24,940
अपनी साइटों के लिए कुल ईंधन खपत (बी) (टीजे)	4,52,269	4,09,536
अन्य स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा की खपत (सी) (टीजे)	684	946
कुल ऊर्जा खपत (एबीसी) (टीजे)	5,90,139	5,35,422
टर्नओवर के प्रति रुपया ऊर्जा तीव्रता (कुल ऊर्जा खपत/टर्नओवर रुपये में) (जे/आरएस)	5,70,331	7,82,190

2. **क्या संस्था के पास भारत सरकार की प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना के तहत नामित उपभोक्ताओं (डीसीएस) के रूप में पहचानी गई कोई साइट/सुविधाएं हैं? (हां/नहीं) यदि हां, तो बताएं कि क्या पैट योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है। यदि लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, तो की गई उपचारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, उसे प्रदान करें।**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए भारत सरकार की पीएटी योजना के तहत किसी भी सेल संयंत्र को नामित उपभोक्ता (डीसी) के रूप में पहचाना नहीं गया है।

3. **पानी से संबंधित निम्नलिखित खुलासे का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:**

पैरामीटर	इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
स्रोत से जल निकासी (किलोलीटर में)			
(i) सतही जल	किलो लीटर	35,25,84,582	33,09,35,396
(ii) भूजल	किलो लीटर	शून्य	
(iii) थर्ड पार्टी वाटर	किलो लीटर		
(iv) समुद्री जल/विलवणीकृत जल	किलो लीटर		
(v) अन्य	किलो लीटर		
अन्य – कृपया निर्दिष्ट करें	किलो लीटर		
जल निकासी की कुल मात्रा (किलोलीटर में) (i + ii + iii + iv + v)	किलो लीटर	35,25,84,582	33,09,35,396
पानी की खपत की कुल मात्रा	किलो लीटर	5,35,09,221	5,03,57,181
पानी की तीव्रता प्रति रुपया टर्नओवर (पानी की खपत/टर्नओवर)	लीटर/₹	0.052	0.074
पानी की तीव्रता (वैकल्पिक)	m^3/tcs	3.12	3.37

4. क्या इकाई ने शून्य तरल निर्वहन के लिए तंत्र लागू किया है? यदि हां, तो इसके कवरेज और कार्यान्वयन का विवरण प्रदान करें

सभी सेल संयंत्रों में, संयंत्र की सीमा पर बहिःस्राव के माध्यम से छोड़े जा रहे अपशिष्ट के पर्याप्त उपचार और पुनर्चक्रण के माध्यम से "शून्य तरल निर्वहन" के दीर्घकालिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। सेल में अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण योजनाओं के माध्यम से 236 मिलियन एम^3/वर्ष पानी बचाने की क्षमता है। 109 मिलियन एम^3/वर्ष के लिए अपशिष्ट जल शोधन सुविधा पहले ही चालू की जा चुकी है और 127 मिलियन एम^3/वर्ष क्षमता की अपशिष्ट जल शोधन सुविधा कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है। 2021–22 के दौरान, कुल क्षमता 2,900 एम^3/घंटा के दो अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण संयंत्रों को बीएसपी पर चालू किया गया है।

5. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (हीह उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
NOx (NO_2)	µg/m^3	8 to 66	6 to 74
SOx (SO_2)	µg/m^3	5 to 68	3 to 75
पार्टिकुलेट मैटर (PM) (PM_{10})	µg/m^3	27 to 99	19 to 99
निरंतर कार्बनिक प्रदूषक (POP) (बेंजो–ए–पाइरीन)	ng/m^3	<1	<1
वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOC)	-	-	-
खतरनाक वायु प्रदूषक (HAP)	-	-	-
अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-

6. कृपया निम्नलिखित प्रारूप में इकाई द्वारा वायु उत्सर्जन (जीएचजी उत्सर्जन के अलावा) का विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	इकाई निर्दिष्ट करें	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
कुल स्कोप 1 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में GHG का ब्रेकअप)	मिलियन टन	45.31	40.42
कुल स्कोप 2 उत्सर्जन (यदि उपलब्ध हो तो CO_2, CH_4, N_2O, HFCs, PFCs, SF6, NF3, में GHG का ब्रेकअप)	मिलियन टन	3.3	2.4
कुल टर्नओवर की प्रति यूनिट स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन	T/₹ करोड़ में	416.14 (इसमें क्रेडिट संबंधी अन्य उत्सर्जन शामिल हैं)	557.24 (इसमें क्रेडिट संबंधी अन्य उत्सर्जन शामिल हैं)
कुल स्कोप 1 और स्कोप 2 उत्सर्जन तीव्रता – प्रासंगिक मीट्रिक को इकाई द्वारा चुना जा सकता है (वैकल्पिक)	T/tcs	2.51	2.55

7. क्या संस्था के पास ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो विवरण दें।

परियोजना का विवरण
वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट से *"ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और आउटगो के विवरण"* अध्याय का संदर्भ लें।

8. संस्था द्वारा अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
उत्पन्न कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
(i) प्लास्टिक अपशिष्ट	2,278	2,193
(ii) ई–कचरा	18	20
(iii) बायोमेडिकल वेस्ट	136	173
(iv) निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	महत्वहीन मात्रा	महत्वहीन मात्रा
(v) बैटरी अपशिष्ट		
(vi) रेडियोधर्मी कचरा	लागू नहीं	लागू नहीं
(vii) अन्य खतरनाक अपशिष्ट	1,58,022	1,57,233
(viii) अन्य गैर–खतरनाक अपशिष्ट	1,14,36,992	96,83,271
कुल (उपरोक्त का योग)	1,15,97,446	98,42,890

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग या अन्य पुनर्प्राप्ति कार्यों के माध्यम से प्राप्त कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
पुनर्नवीनीकरण	27,68,677	25,31,907
पुनः उपयोग		
अन्य पुनर्प्राप्ति विकल्प (बेचा गया)	82,07,561	63,52,900
कुल	**1,09,76,238**	**88,84,807**
उत्पन्न कचरे की प्रत्येक श्रेणी के लिए, निपटान विधि की प्रकृति के अनुसार कुल अपशिष्ट (मीट्रिक टन में)		
भस्मीकरण	27	32
लैंडफिलिंग	4,328	3,674
अन्य निपटान विकल्प	108	141
कुल	**4,464**	**3,847**

9. अपने प्रतिष्ठानों में अपनाए गए अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का संक्षेप में वर्णन करें। अपने उत्पादों और प्रक्रियाओं में खतरनाक और जहरीले रसायनों के उपयोग को कम करने के लिए आपकी कंपनी द्वारा अपनाई गई रणनीति और ऐसे कचरे के प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रथाओं का वर्णन करें।

सेल ने उद्योग की स्थिरता में सुधार के लिए स्टीलमेकिंग से संबंधित अपनी सभी प्रक्रियाओं में "4आर की नीति" (कम करना, पुनर्प्राप्त करना, रीसायकल और पुनः उपयोग करना) अपनाया है। सेल ठोस अपशिष्ट उत्पादन को कम करने और 100% प्राप्त करने के लिए इसके उपयोग को अधिकतम करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट पर्यावरण नीति के लिए प्रतिबद्ध है। ठोस अपशिष्ट उत्पादन की दिशा में लौह धातुमल और इस्पात धातुमल दो प्रमुख योगदानकर्ता हैं। सीमेंट उद्योगों के माध्यम से लौह धातुमल का 100% उपयोग दानेदार बनाने के बाद प्राप्त किया जाता है। दूसरी ओर, BOF स्लैग वर्तमान में आंतरिक रूप से या तो ब्लास्ट फर्नेस और स्टील मेल्टिंग शॉप में चूना पत्थर के प्रतिस्थापन के रूप में या बेस–मिक्स के माध्यम से सिंटर बनाने में उपयोग किया जाता है। मिल स्केल और लाइम/डोलो फाइन जैसे ठोस अपशिष्टों को पूरी तरह से सिंटर बनाकर पुनर्नवीनीकरण किया जाता है और अपशिष्ट अपवर्तक ईंटों का पूरी तरह से उपयोग या तो बाहरी एजेंसियों को बेचने के लिए या आंतरिक रूप से पुनः उपयोग के माध्यम से किया जाता है। BOF स्लैग के उपयोग को बढ़ाने के लिए संभावित रास्ते तलाशने के लिए या तो इन–हाउस रिसर्च विंग के माध्यम से या अन्य अनुसंधान केंद्रों या राष्ट्रीय ख्याति की अकादमियों के सहयोग से सेल द्वारा विभिन्न अनुसंधान एवं विकास आधारित अध्ययन किए गए हैं। अपशिष्ट जो प्रकृति में खतरनाक हैं, उनकी भौतिक और/या रासायनिक विशेषताओं के कारण सुरक्षित रूप से सुरक्षित लैंडफिल सुविधा (एसएलएफ) में **"खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमावर्ती आंदोलन) नियम, 2016"** के नियमों के अनुसार या खतरनाक कचरे के उपचार, भंडारण और निपटान से संबंधित अधिकृत एजेंसी के माध्यम से सुरक्षित रूप से निपटाया जाता है। कुछ खतरनाक कचरे का पुनः उपयोग/सह–प्रसंस्करण किया जाता है।

10. यदि संस्था के पास पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, आर्द्रभूमि, जैव विविधता हॉटस्पॉट, वन, तटीय विनियमन क्षेत्र आदि) में संचालन/कार्यालय हैं, तो कृपया निर्दिष्ट करें। निम्नलिखित प्रारूप में विवरण प्रदान करें:

कोई भी सेल संयंत्र पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं है।

11. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021–22 में लागू कानूनों के आधार पर इकाई द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन का विवरण

परियोजना का नाम और संक्षिप्त विवरण	ईआईए अधिसूचना संख्या (ईसी पहचान संख्या)	दिनांक	क्या स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा संचालित किया जाता है (हां/नहीं)	सार्वजनिक डोमेन में संप्रेषित परिणाम (हां/नहीं)	प्रासंगिक वेब लिंक
दुर्गापुर स्टील प्लांट में 2.7 एमटीपीए सकल गर्म धातु के उत्पादन के लिए आधुनिकीकरण– सह– विस्तार परियोजना का संशोधित विन्यास	EC22A008WB155554	29.07.2022	हां	हां	www.sail.co.in
राउरकेला स्टील प्लांट में हॉट मेटल का उत्पादन करने के लिए 4.5 एमटीपीए से बढ़ाकर 4.855 एमटीपीए, क्रूड स्टील 4.2 एमटीपीए से 4.850 एमटीपीए और बिक्री योग्य स्टील 3.88 एमटीपीए से 4.325 एमटीपीए तक आधुनिकीकरण सह विस्तार परियोजना	EC22A008OR110441	30.03.2022	हां	हां	www.sail.co.in
बोकारो स्टील प्लांट में कच्चे इस्पात के उत्पादन में 5.006 एमटीपीए से 4.656 मिलियन टन प्रति वर्ष की वृद्धि	EC22A008JH176264	24.01.2022	हां	हां	www.sail.co.in

12. क्या संस्था भारत में लागू पर्यावरण कानून/विनियमों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करती है; जैसे जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उसके तहत नियम (हां/नहीं)। यदि नहीं, तो ऐसे सभी गैर–अनुपालनों का विवरण निम्नलिखित प्रारूप में प्रदान करें:

संयंत्र का स्थान	उन कानून/विनियम/दिशानिर्देश को निर्दिष्ट करें जिनका पालन नहीं किया गया था	गैर–अनुपालन का विवरण प्रदान करें	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या अदालतों जैसी नियामक एजेंसियों द्वारा की गई कोई भी जुर्माना/दंड/कार्रवाई की गई सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो	यदि कोई हो तो सुधारात्मक कार्रवाई की गई
बीएसपी	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम	शर्तों को संचालित करने के लिए सहमति का गैर–अनुपालन	सीईसीबी द्वारा जारी निर्देश	कार्यान्वयन के तहत दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिए बैंक गारंटी (बीजी) के साथ एक समयबद्ध कार्य योजना।
डीएसपी	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	एसएमएस–बीओएफ से लाल धुएं का उत्सर्जन और कोक ओवन बैटरी#5 और 6 से गैस का रिसाव	डब्ल्यूबीपीसीबी द्वारा जारी निर्देश	कार्यान्वयन के तहत निर्देश के अनुपालन के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना।
आरएसपी	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम	शर्तों को संचालित करने के लिए सहमति का गैर–अनुपालन।	ओएसपीसीबी द्वारा जारी निर्देश	कार्यान्वयन के तहत निर्देश के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्य योजना।
बीएसएल	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	पर्यावरण मानकों का पालन न करना।	सीपीसीबी द्वारा जारी निर्देश	कार्यान्वयन के तहत निर्देश के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्य योजना।
आईएसपी	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम	पर्यावरण मंजूरी की शर्त का पालन न करना।	एमओईएफऔ सीसी द्वारा जारी निर्देश	कार्यान्वयन के तहत निर्देश के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्य योजना।
सीएफपी	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम	पर्यावरण मानकों का पालन न करना।	एमपीसीबी द्वारा जारी निर्देश	कार्यान्वयन के तहत निर्देश के अनुपालन के लिए समयबद्ध कार्य योजना।
	जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम			

नेतृत्व संकेतक

2. छोड़े गए पानी से संबंधित निम्नलिखित विवरण प्रदान करें:

पैरामीटर	वित्तीय वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
गंतव्य द्वारा छोड़ा गया पानी और उपचार का स्तर (किलोलीटर में)		
(1) सतही जल के लिए	-	-
– कोई इलाज नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	2,21,49,378	2,29,25,071
(2) भूजल के लिए	-	-
– कोई इलाज नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(3) समुद्री जल के लिए	-	-
– कोई इलाज नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(4) तीसरे पक्ष को भेजा गया	-	-
– कोई इलाज नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
(5) अन्य	-	-
– कोई इलाज नहीं	-	-
उपचार के साथ – कृपया उपचार का स्तर निर्दिष्ट करें	-	-
कुल छोड़ा गया पानी (किलोलीटर में)	2,21,49,378	2,29,25,071

5. उपरोक्त आवश्यक संकेतकों के प्रश्न 10 में बताए गए पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के संबंध में, रोकथाम और उपचारात्मक गतिविधियों के साथ–साथ ऐसे क्षेत्रों में जैव विविधता पर इकाई के महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का विवरण प्रदान करें।

क्र.सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	संचालन का प्रकार	महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष प्रभाव	महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष प्रभाव	रोकथाम गतिविधियां	उपचारात्मक गतिविधियां
लागू नहीं						

6. यदि संस्था ने कोई विशिष्ट पहल की है या संसाधन दक्षता में सुधार के लिए नवीन प्रौद्योगिकी या समाधानों का उपयोग किया है, या उत्सर्जन/अपशिष्ट निर्वहन/अपशिष्ट उत्पन्न होने के कारण प्रभाव को कम किया है, तो कृपया उसका विवरण और साथ ही इस तरह की पहल के परिणाम निम्नलिखित के अनुसार प्रदान करें।

क्र.सं.	संचालन/कार्यालयों का स्थान	रोकथाम गतिविधियां	उपचारात्मक गतिविधियां
1.	पॉलीक्लोराइनेटेड बाइफिनाइल्स (PCBs) का पर्यावरण के अनुकूल निपटान, बीएसपी पर एक स्थायी जैविक प्रदूषक (पीओपी)	देश में अपनी तरह की पहली परियोजना होने के नाते, स्टॉकहोम सम्मेलन की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए एमओएफ–सीसी और नदपकव के साथ साझेदारी में कार्यान्वयन किया जा रहा है, जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों (पीओपी) से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। पीसीबी का उपयोग ट्रांसफार्मर में अपरिचालक द्रव के रूप में और सफाई विलायक के रूप में भी किया जाता है।	एक बार चालू होने के बाद, यह अनूठी परियोजना सेल की इकाइयों और देश के अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में वर्षों से जमा हुए पीसीबी कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करेगी, जिससे राष्ट्र को अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने में मदद मिलेगी।
2.	"स्थायी कृषि और समावेशी विकास के लिए स्टील स्लैग आधारित लागत प्रभावी पर्यावरण के अनुकूल उर्वरकों के विकास" पर एक अनुसंधान एवं विकास परियोजना	इस परियोजना को भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय ने सेल के सहयोग से आईसीएआर–आईएआरआई, नई दिल्ली के माध्यम से एक उद्योग भागीदार के रूप में लिया है, जिसके लिए 06.07.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पूरे भारत में फैले आईएआरआई के विभिन्न आठ उपकेंद्रों पर शोध कार्य किया जा रहा है। परियोजना को तीन साल की समयावधि के भीतर पूरा किया जाएगा।	भारत में 157 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से लगभग 49 मिलियन हेक्टेयर भूमि अम्लीय है। पोटाशियम, सिलिकॉन और फॉस्फोरस जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ चूने की मात्रा में समृद्ध स्टील स्लैग को मिट्टी उर्वरक के रूप में लाभकारी रूप से उपयोग किया जा सकता है।
3.	स्टील बनाने के लिए बीओएफ कन्वर्टर्स में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल।	सेल के आधुनिकीकरण सह विस्तार योजना के दौरान ग्रीन फील्ड साइटों में अत्याधुनिक सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम (डॉग हाउस) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और इसे ब्राउन फील्ड साइट पर/मौजूदा सेट में भी लागू/रेट्रोफिट किया जा रहा है।	कार्य क्षेत्र उत्सर्जन में महत्वपूर्ण सुधार।
4.	पर्यावरण चिह्नों में सुधार के लिए अत्याधुनिक ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का कार्यान्वयन	निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्यान्वित ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियां: (1) 7 मीटर लंबी कोक ओवन बैटरियों से सुसज्जित कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) (2) आधुनिक ब्लास्ट फर्नेस के साथ टॉप प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी), कोल डस्ट इंजेक्शन (सीडीआई) और वेस्ट हीट रिकवरी (डब्ल्यूएचआर) (3) हॉट मेटल को पकड़ने के लिए टारपीडो लैडल (4) सिंटर प्लांट के साथ वेस्ट हीट रिकवरी (डब्ल्यूएचआर) सिस्टम (5) रोलिंग मिलों में वॉकिंग बीम टाइप रीहीटिंग फर्नेस (6) प्लांट मशीनरी में वीवीवीएफ ड्राइव।	ऊर्जा खपत के साथ–साथ जीएचजी (CO_2) उत्सर्जन के संबंध में पर्यावरण चिह्न में सुधार

सिद्धांत 7: व्यवसाय जब सार्वजनिक और नियामक नीति को प्रभावित करने में संलग्न होते हैं, तो उन्हें इसे ऐसा करना चाहिए जो जिम्मेदार और पारदर्शी हो

आवश्यक संकेतक

1. क. व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों के साथ संबद्धता की संख्या।

सेल विभिन्न सरकारी और नियामक प्राधिकरणों से जुड़ा है जो कंपनी को उसके मूल्यों का पालन करने और अखंडता और पारदर्शिता के साथ काम करने में सहायता करते हैं। हमारे हितधारक हमारे लिए मायने रखते हैं, और हम इन संघों के माध्यम से अपने हितधारकों की सार्वजनिक भलाई से संबंधित मामलों में खुद को संलग्न करते हैं। वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, कंपनी के व्यापार और उद्योग चैंबर संघों के साथ 19 सक्रिय संबद्धताएं हैं।

ख. शीर्ष 10 व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों (ऐसे निकाय के कुल सदस्यों के आधार पर निर्धारित) की सूची बनाएं, जिसकी इकाई सदस्य/संबंद्धित है।

क्र.सं.	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों का नाम	व्यापार और उद्योग मंडलों/संघों की पहुंच (राज्य/राष्ट्रीय)
1	अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (एआईएमए)	राष्ट्रीय
2	सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं का मंच (डब्ल्यूआईपीएस)	राष्ट्रीय
3	वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी साइंस (डब्ल्यूसीपीएस)	अंतरराष्ट्रीय
4	वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन और इंटरनेशनल स्टेनलेस–स्टील फोरम (आईएसएसएफ)	अंतरराष्ट्रीय
5	संगठन विकास केंद्र (सीओडी)	राष्ट्रीय
6	फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)	राष्ट्रीय
7	सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन (एससीओपीई)	राष्ट्रीय
8	इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए)	राष्ट्रीय
9	इंडियन आयरन एंड स्टील सेक्टर स्किल काउंसिल (आईआईएसएससी)	राष्ट्रीय
10	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेटल्स कोलकत्ता (आईआईएमके)	राष्ट्रीय

2. नियामक प्राधिकरणों के प्रतिकूल आदेशों के आधार पर इकाई द्वारा प्रतिस्पर्धा–विरोधी आचरण से संबंधित किसी भी मुद्दे पर की गई या चल रही सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें।

सेल किसी भी प्रतिस्पर्धी विरोधी आचरण में शामिल नहीं हुआ है।

सिद्धांत 8: व्यवसायों को समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **चालू वित्तीय वर्ष में लागू कानूनों के आधार पर संस्था द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) का विवरण।**

   वित्तीय वर्ष 2021–22 में सेल द्वारा शुरू की गई किसी भी परियोजना में सामाजिक प्रभाव आंकलन (एसआईए) की आवश्यकता नहीं थी।

2. **उन परियोजना (ओं) के बारे में जानकारी प्रदान करें जिसके लिए आपकी संस्था द्वारा चल रहे पुनर्वास और पुनर्स्थापना (आर एंड आर) किया जा रहा है।**

   लागू नहीं

3. **समुदाय की शिकायतों को प्राप्त करने और उनका निवारण करने के तंत्र का वर्णन करें।**

   नियमित सामुदायिक बैठकों, नगरपालिकाओं और नगर प्रशासनिक समितियों के साथ समय–समय पर बातचीत और स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय जुड़ाव जैसे सेल के पास विविध और बहु–आयामी दृष्टिकोण है ताकि हमारे हस्पाक्षेपों पर उनके विचारों, मुद्दों, शिकायतों और विवादों को समझा जा सके।

   सामुदायिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए, वार्षिक रिपोर्ट 2021–22 के "शिकायत निवारण तंत्र" अनुभाग को देखें।

4. **आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त इनपुट सामग्री का प्रतिशत (मूल्य द्वारा कुल इनपुट में इनपुट)।**

	वित्त वर्ष 2021–22 चालू वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष 2020–21 पिछला वित्तीय वर्ष
एमएसएमई/छोटे उत्पादकों से सीधे प्राप्त किया गया	एमएसई खरीदः ₹2233.72 करोड़ (कुल खरीद का 34.04%)	एमएसई खरीदः ₹1384.31 करोड़ (कुल खरीद का 36.94%)
सीधे जिले के भीतर और पड़ोसी जिलों से प्राप्त किया गया	कंपनी ने हमेशा परिधीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दी है। 1950 के दशक से चल रहे सेल के इस्पात संयंत्रों और इकाइयों ने अज्ञात गांवों को बड़े औद्योगिक केंद्रों में बदलते देखा है। इस संबंध में, उपलब्धता और व्यवहार्यता के अधीन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता दी गई है। भारत सरकार द्वारा मिशन पूर्वोदय के तहत हाल ही में पहल **"इस्पाति इलाकों का विकास – सेल के साथ"** ने 140 से अधिक एमएसएमई को इस योजना में शामिल होते देखा है।	

नेतृत्व संकेतक

1. **सामाजिक प्रभाव आंकलन में पहचाने गए किसी भी नकारात्मक सामाजिक प्रभाव को कम करने के लिए की गई कार्रवाइयों का विवरण प्रदान करें (संदर्भः उपरोक्त आवश्यक संकेतकों का प्रश्न 1)**

   लागू नहीं

2. **सरकारी निकायों द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों में आपकी संस्था द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:**

   सेल का झारखंड और छत्तीसगढ़ के 6 आकांक्षी जिलों में सीएसआर हस्तक्षेप है। पश्चिम सिंहभूम, बोकारो, रांची, कांकेर, नारायणपुर और राजनांदगांव जिले हैं। इन आकांक्षी जिलों के विकास के लिए कुल सीएसआर व्यय ₹1,011 लाख है जो कुल सीएसआर व्यय का 16% है।

क्र.सं.	राज्य	आकांक्षी जिला	खर्च की गई राशि (₹ में)
1	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम, बोकारो और रांची	778 लाख
2	छत्तीसगढ़	कांकेर, नारायणपुर और राजनंदगांव	233 लाख

3. **क. क्या आपके पास अधिमान्य खरीद नीति है जहां आप हाशिए पर/कमजोर समूहों वाले आपूर्तिकर्ताओं से खरीद को प्राथमिकता देते हैं? (हां/नहीं):**

   सेल एमएसई विक्रेताओं, एससी/एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद के माध्यम से समावेशी विकास और समान विकास को बढ़ावा देता है। ऐसे साधनों से खरीद वित्त वर्ष 2020–21 में ₹1,384.31 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2021–22 में ₹2,233.72 करोड़ हो गई है। सेल कई हितधारकों के साथ सहयोग करने और उभरते बाजारों के लिए क्षमता निर्माण में उनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।

   ख. आप किन हाशिए पर/कमजोर समूहों से खरीदते हैं?

   एससी/एसटी और महिला एमएसई।

6. **सीएसआर परियोजनाओं के लाभार्थियों का विवरण:**

   विवरण के लिए, कृपया बोर्ड रिपोर्ट (वार्षिक रिपोर्ट), 2021–22 के "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व" पर अनुभाग को देखें।

सिद्धांत 9: व्यवसायों को अपने उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदार तरीके से जुड़ना चाहिए और उन्हें मूल्य प्रदान करना चाहिए

आवश्यक संकेतक

1. **उपभोक्ता शिकायतों और फीडबैक को प्राप्त करने और उनका जवाब देने के लिए तंत्र का वर्णन करें।**

   ग्राहकों की शिकायतों से संबंधित मामलों के समाधान के लिए सेल के पास एक प्रणाली है। ग्राहक गुणवत्ता की शिकायत या तो निर्धारित प्रारूप में या एक साधारण पत्र द्वारा या यहां तक कि निकटतम शाखा सेल्स ऑफिस में टेलीफोन पर भी दर्ज कराई जा सकती है, जरूरी नहीं कि उसी शाखा पर जहां से सामग्री मूल रूप से उठाई गई थी। टेलीफोनिक शिकायत के मामले में, शाखा बिक्री कार्यालय में संबंधित कार्यकारी या टेलीफोन कॉल में भाग लेने वाले कार्यकारी को शिकायत के तत्काल निपटान की सुविधा के लिए ग्राहक से विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध करना चाहिए।

2. **सभी उत्पादों/सेवाओं से टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में उत्पादों और/सेवाओं का टर्नओवर, जो उत्पाद, सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग, पुनर्चक्रण और/या सुरक्षित निपटान के लिए प्रासंगिक पर्यावरणीय और सामाजिक मापदंडों के बारे में जानकारी रखता है:**

   कंपनी लागू कानून के तहत आवश्यक सभी उत्पादों के लिए निर्धारित जानकारी प्रदान करती है।

3. **निम्नलिखित के संबंध में उपभोक्ता शिकायतों की संख्या:**

	वित्तीय वर्ष 2021–22 और वित्तीय वर्ष 2020–21 (प्राप्त और लंबित)
डाटा प्राइवेसी	शून्य
विज्ञापन देना	
साइबर सुरक्षा	
आवश्यक सेवाओं का वितरण	
प्रतिबंधित व्यापार प्रथाएं	
अनुचित व्यापार व्यवहार	
अन्य	वित्तीय वर्ष 2021–22 के अंत में 19 ग्राहक शिकायतें लंबित थीं और 1 अप्रैल, 2021 को 36 नंबर लंबित थीं। 2021–22 के दौरान कुल 869 शिकायतें प्राप्त हुईं और वर्ष के दौरान शिकायतों की 886 संख्या संतोषजनक ढंग से हल की गई।

4. **सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों का विवरण:**

	संख्या	याद करने के लिए कारण
स्वैच्छिक कॉल	शून्य। सुरक्षा मुद्दों के कारण उत्पाद को याद करने की कोई घटना नहीं हुई है।	
जबरन कॉल		

5. **क्या कंपनी/इकाई के पास साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता से संबंधित जोखिमों पर कोई बुनियादी ढांचा/नीति है? (हां/नहीं) यदि उपलब्ध हो, तो पॉलिसी का वेब–लिंक प्रदान करें।**

   सेल की सूचना प्रौद्योगिकी नीति इससे संबंधित मामलों के प्रति मजबूत दृष्टिकोण रखती है। इसमें सूचना संवेदनशीलता, स्वीकार्य उपयोग नीति, सर्वर सुरक्षा नीति, नेटवर्क अवसंरचना सुरक्षा नीति, डेटाबेस पासवर्ड नीति, एक्स्ट्रानेट नीति, स्वीकार्य एन्क्रिप्शन नीति, डायल–इन एक्सेस सुरक्षा नीति और एंटी–वायरस नीति से संबंधित मामले शामिल हैं।

   अधिक जानकारी के लिए, कृपया पॉलिसी लिंक देखें: https://www.sail.co.in/sites/default/files/Comp_policies/2020-02/sail_it_security_policy.pdf

6. **विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों पर की गई या चल रही किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई का विवरण प्रदान करें; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर नियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई पैनल्टी/कार्रवाई।**

मुद्दों का विवरण	सुधारात्मक कार्रवाई की गई या चल रही है	नियामक प्राधिकरण द्वारा की गई पैनल्टी/कार्रवाई (यदि कोई हो)
विज्ञापन और आवश्यक सेवाओं के वितरण से संबंधित मुद्दों की शिकायतों की संख्या; साइबर सुरक्षा और ग्राहकों की डेटा गोपनीयता; उत्पाद रिकॉल के उदाहरणों की पुनः घटना; उत्पादों/सेवाओं की सुरक्षा पर विनियामक प्राधिकारियों द्वारा की गई पैनल्टी/कार्रवाई शून्य थी। इसलिए सुधारात्मक कार्रवाइयों के ऐसे कोई उदाहरण नहीं हैं। कॉर्पोरेट कार्यालय सेल के कार्यकारी निदेशक (सी एंड आईटी) को कंपनी के मुख्य आईटी सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।		

समेकित वित्तीय विवरण

बोर्ड की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक–VI

समेकित तुलन पत्र

31 मार्च, 2022 को

(₹ करोड़ में)

	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिसंपत्ति			
अप्रचलित परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	4	**68382.92**	64133.48
(ख) पूंजीगत कार्य – प्रगति पर	5	**4016.72**	8880.63
(ग) संपत्ति के उपयोग का अधिकार	4a	**3834.10**	2054.21
(घ) निवेश संपत्ति	6	**1.06**	1.09
(ड़) अमूर्त संपत्ति	7	**1459.41**	1429.38
(च) इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए कुल निवेश		**3587.35**	3297.56
(छ) सामग्री	7a	**4559.16**	4236.26
(ज) वित्तीय संपत्ति			
(i) निवेश	8	**169.57**	144.70
(ii) व्यापार प्राप्य	9	**-**	0.90
(iii) ऋण	10	**559.61**	636.52
(iv) अन्य वित्तीय संपत्ति	11	**236.18**	456.72
(झ) वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)	13	**296.34**	217.56
(ट) अन्य गैर–चालू संपत्ति	14	**4119.97**	1572.65
		91222.39	87061.66
वर्तमान संपत्ति			
(क) सामग्री	15	**19607.57**	15334.17
(ख) वित्तीय संपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्तियां	16	**4770.85**	8168.54
(ii) नकद और नकद समकक्ष	17 (i)	**131.54**	518.28
(iii) उपरोक्त (2) के अलावा अन्य बैंक शेष	17 (ii)	**654.52**	278.07
(iv) ऋण	18	**43.10**	36.42
(v) अन्य वित्तीय संपत्ति	19	**1340.93**	1477.53
(ग) अन्य वर्तमान संपत्ति	20	**2324.22**	4926.96
		28872.73	30739.97
बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत संपत्ति	21	**14.00**	17.01
कुल संपत्तियां		**120109.12**	117818.64
इक्विटी और देनदारियां			
इक्विटी			
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	22	**4130.53**	4130.53
(ख) अन्य इक्विटी	23	**50081.15**	41275.69
(ग) गैर–नियंत्रित ब्याज		**0.01**	0.01
		54211.69	45406.23
देयताएं			
गैर मौजूदा देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	24	**8135.81**	17906.57
(ia) लीज देनदारियां		**3606.44**	1819.46
(ii) व्यापार देय	25		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया राशि		**-**	-
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया राशि		**3.34**	4.10
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	**1424.79**	1304.08
(ख) प्रावधान	27	**5342.89**	4533.75
(ग) आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	12	**5358.42**	1334.08
(घ) अन्य गैर–वर्तमान देनदारियां	28	**2682.82**	439.97
		26554.51	27342.01
वर्तमान देनदारियां			
(क) वित्तीय देनदारियां			
(i) उधार	29	**5249.84**	17701.46
(ia) लीज देनदारियां		**292.08**	249.18
(ii) व्यापार देय	30		
(क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया राशि		**140.65**	103.57
(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया राशि		**16781.18**	7939.08
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	31	**11629.95**	10895.73
(ख) अन्य वित्तीय देनदारियां	32	**4076.89**	6127.92
(ग) प्रावधान	33	**1171.67**	2041.40
(घ) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	34	**0.66**	12.06
		39342.92	45070.40
कुल इक्विटी और देनदारियां		**120109.12**	117818.64

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 3

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
आय			
संचालन से राजस्व	35	**103476.84**	69113.61
अन्य आय	36	**858.55**	860.67
कुल आय		**104335.39**	69974.28
खर्च			
उपभोग की गई सामग्री की लागत	37	**42890.12**	23213.59
तैयार माल की सामग्री में परिवर्तन, प्रगति पर काम और बाई–प्रोडक्ट	38	**(279.54)**	4276.64
कर्मचारी लाभ व्यय	39	**12861.99**	10461.05
वित्तीय खर्च	40	**1697.89**	2817.15
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय		**4275.02**	4102.78
अन्य खर्चे	41	**26662.75**	18423.59
कुल खर्च		**88108.23**	63294.80
असाधारण वस्तुओं से पहले लाभ, इक्विटी पद्धति और कर का उपयोग करने के लिए निवेश के शुद्ध लाभ का हिस्सा		**16227.16**	6679.48
निवेश में लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति के उपयोग के लिए जिम्मेदार है		**418.12**	467.74
असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ		**16645.28**	7147.22
कमः असाधारण आइटम	41ए	**353.41**	(58.43)
कर देने से पूर्व लाभ		**16291.87**	7205.65
कर व्यय			
वर्तमान कर		**7.25**	16.35
अस्थगित कर		**4041.15**	3041.17
कुल कर व्यय		**4048.40**	3057.52
साल का मुनाफा		**12243.47**	4148.13
अन्य व्यापक आय			
क (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप		**(111.68)**	355.96
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्दिष्ट इक्विटी दस्तावेजों में निवेश से लाभ और हानि		**24.87**	16.67
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		**22.67**	(93.25)
ख (i) आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा			
इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए सहयोगी और संयुक्त उद्यमों के ओसीआई का हिस्सा जिम्मेदार है		**54.46**	(118.48)
(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		**-**	-
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि)		**(9.68)**	160.90
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)		**12233.79**	4309.03
लाभ के लिए जिम्मेदारः			
मुख्य कंपनी के स्वामी		**12243.47**	4148.13
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
		12243.47	4148.13
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय			
मुख्य कंपनी के स्वामी		**12233.79**	4309.03
अनियंत्रित ब्याज		**-**	-
		12233.79	4309.03
प्रति इक्विटी शेयर आय			
इक्विटी शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य प्रति ₹10)		**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर मूल और मिश्रित आय (₹)	41b	**29.64**	10.04
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	3		

संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

इक्विटी में बदलाव का समेकित विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर पूंजी (₹ करोड़ में)

विवरण	1 अप्रैल, 2021 तक शेष	इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 तक शेष
वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
वोटिंग अधिकार के बिना इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**
विवरण	**1 अप्रैल, 2020 तक शेष**	**इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन**	**31 मार्च, 2021 तक शेष**
वोटिंग अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर	4130.42	-	4130.42
वोटिंग अधिकार के बिना इक्विटी शेयर	0.11	-	0.11
कुल	**4130.53**	**-**	**4130.53**

ख. अन्य इक्विटी (₹ करोड़ में)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष					अन्य व्यापक आय – आरक्षित		कुल अन्य इक्विटी	गैर–नियंत्रित ब्याज	कुल
	कैपिटल रिजर्व	सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व	जनरल रिजर्व	बॉन्ड रिडेम्पशन रिजर्व	प्रतिधारित कमाई	अन्य व्यापक आयक के माध्यम से इक्विटी उपकरण	आय निवेश का हिसाब इक्विटी विधि के रूप मे			
1 अप्रैल, 2021 को शेष राशि	511.67	235.10	5108.93	1084.15	34081.59	81.66	172.59	41275.69	0.01	41275.70
साल का मुनाफा	-	-	-	-	12243.47	-	-	12243.47	-	12243.47
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कुल कर)	-	-	-	-	(83.34)	19.20	54.46	(9.68)	-	(9.68)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**12160.13**	**19.20**	**54.46**	**12233.79**	**-**	**12233.79**
बांड रिडेम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(553.18)	553.18	-	-	-	-	-
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में मालिकों के साथ लेनदेन										
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(3428.33)	-	-	(3428.33)	-	(3428.33)
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	**511.67**	**235.10**	**5108.93**	**530.97**	**43366.57**	**100.86**	**227.05**	**50081.15**	**0.01**	**50081.16**
1 अप्रैल, 2020 तक शेष राशि	**511.67**	**235.10**	**5107.74**	**1375.02**	**29790.32**	**68.78**	**291.07**	**37379.70**	**0.01**	**37379.71**
साल का मुनाफा	-	-	-	-	4148.13	-	-	4148.13	-	4148.13
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (कुल कर)	-	-	-	-	266.50	12.88	(118.48)	160.90	-	160.90
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय/(हानि)	**-**	**-**	**-**	**-**	**4414.63**	**12.88**	**(118.48)**	**4309.03**	**-**	**4309.03**
बांड रिडिम्पशन रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	-	(290.87)	290.87	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व से स्थानांतरण	-	-	1.19	-	(1.19)	-	-	-	-	-
मालिकों के रूप में उनकी क्षमता में मालिकों के साथ लेनदेन										
इक्विटी लाभांश	-	-	-	-	(413.05)	-	-	(413.05)	-	(413.05)
गैर–नियंत्रित ब्याज के साथ लेनदेन	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01
31 मार्च, 2021 को शेष राशि	**511.67**	**235.10**	**5108.93**	**1084.15**	**34081.59**	**81.66**	**172.59**	**41275.69**	**0.01**	**41275.70**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**16291.87**	7205.65
के लिए समायोजनः		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**4275.02**	4102.78
अचल संपत्तियों के निपटान पर नुकसान (कुल)	**21.71**	37.74
ब्याज आय	**(284.41)**	(272.98)
लाभांश आय	**(0.29)**	(3.40)
वित्तीय खर्च	**1606.93**	2822.62
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव पर अप्राप्त हानि/(लाभ)	**90.96**	(5.47)
गैर–वर्तमान निवेशों की बिक्री पर लाभ	**(0.08)**	(4.47)
अशोध्य ऋण और संदिग्ध अग्रिमों/प्राप्तियों के लिए प्रावधान	**98.24**	92.69
अन्य भत्ते	**266.58**	169.31
संयुक्त उद्यमों से लाभ का हिस्सा	**(418.12)**	(467.74)
छोड़ी गई शेष राशि और अतिरिक्त प्रावधान वापस लिखे गए	**(354.54)**	(284.41)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन लाभ	**21593.87**	13392.32
संपत्ति और देनदारियों में परिवर्तनः		
व्यापार प्राप्तियां	**3312.55**	1620.52
ऋण, अन्य वित्तीय संपत्ति और अन्य संपत्ति	**297.71**	749.03
व्यापार देय	**8878.42**	1713.68
अन्य वित्तीय देनदारियां और अन्य देनदारियां	**2020.31**	1757.42
प्रावधान	**(172.27)**	102.10
सामग्रियां	**(4852.37)**	4121.51
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	**31078.22**	23456.58
भुगतान किया गया आयकर (शुद्ध)	**(91.57)**	(26.21)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह (क)	**30986.65**	23430.37
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त की खरीद (पूंजीगत कार्य–प्रगति सहित)	**(3665.49)**	(3554.97)
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री/निपटान से आय	**235.80**	143.11
वर्तमान और गैर–वर्तमान निवेशों की खरीद	**(4.53)**	7.98
सावधि जमा में संचलन (शुद्ध)	**(737.90)**	(23.59)
प्राप्त ब्याज	**196.05**	129.24
प्राप्त लाभांश	**0.29**	3.40
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ख)	**(3975.78)**	(3294.83)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
लंबी अवधि के उधार से आय (कुल)	**(9770.76)**	(14793.27)
लीज देनदारियां	**(186.25)**	(115.39)
अल्पकालिक उधार से प्राप्त आय (कुल)	**(12451.62)**	(1541.72)
वित्त लागत का भुगतान	**(1922.10)**	(2944.37)
लाभांश दिया	**(3066.88)**	(413.05)
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी (ग)	**(27397.61)**	(19807.80)
घ. नकद और नकद समकक्षों में शुद्ध परिवर्तन (क+ख+ग)	**(386.74)**	327.74
वर्ष की शुरुआत में नकद और नकद समकक्ष	**518.28**	190.54
वर्ष के अंत में नकद और नकद समकक्ष	**131.54**	518.28

कैश फ्लो स्टेटमेंट को इंड एएस–7, कैश फ्लो स्टेटमेंट में निर्धारित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करके तैयार किया गया है।
संलग्न नोट इन समेकित वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न अंग हैं।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. कॉर्पोरेट जानकारी

संचालन की प्रकृति

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('सेल' या 'मुख्य कंपनी'), एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जिसे भारत सरकार और उसकी सहायक कंपनियों (मूल कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित) द्वारा महारत्न का दर्जा दिया गया है। संयुक्त उद्यम और इसके सहयोगी देश में मुख्य रूप से इस्पात निर्माण व्यवसाय में लगे हुए हैं।

इंड एएस के अनुपालन की सामान्य जानकारी और विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत कंपनियों के साथ पठित भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) के अनुसार समूह और संयुक्त उद्यमों और सहयोगी के समेकित वित्तीय विवरणों के रूप में इंड के साथ अनुपालन की सामान्य जानकारी और तैयार विवरण (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) और अन्य लेखांकन सिद्धांत भारत में आम तौर पर स्वीकार किए जाते हैं। प्रस्तुत अवधि के दौरान समूह ने समान रूप से लेखांकन नीतियों को लागू किया है।

समेकित वित्तीय विवरणों को 23 मई, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित और अधिकृत किया गया है।

2. महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश

क) समग्र विचार

समेकित वित्तीय विवरण नीचे संक्षेप में दी गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और माप आधारों का उपयोग करके तैयार किए गए हैं, जिन्हें प्रस्तुत अवधि के दौरान समान रूप से लागू किया गया था:

तैयारी का आधार

समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित सम्पत्तियों और देनदारियों को छोड़कर ऐतिहासिक लागत के आधार पर वर्तमान चिंताओं के आधार पर तैयार किया गया है, जिन्हें संबंधित उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार उचित मूल्य पर मापा गया है:

- कुछ वित्तीय सम्पत्तियां और देनदारियां जिन्हें लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- बिक्री के लिए धारित सम्पत्तियां, आगे बढ़ाने वाली राशियों में से कम पर और बेचने की लागत से कम उचित मूल्य;
- परिभाषित लाभ योजनाएं–उचित मूल्य पर मापी गई योजनाबद्ध संपत्ति।

समेकन का आधार

सहायक कंपनियां

सहायक कंपनियां वे सभी संस्थाएं (संरचित संस्थाओं सहित) हैं जिन पर समूह का नियंत्रण होता है। समूह एक संस्थाओं को तब नियंत्रित करता है जब समूह के संपर्क में होता है, या उसके पास संस्थाओं के साथ अपनी भागीदारी से परिवर्तनीय रिटर्न का अधिकार होता है और संस्थाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को निर्देशित करने के लिए अपनी शक्ति के जरिए उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता होती है। सहायक कंपनियों को उस तारीख से पूरी तरह से समेकित किया जाता है जिस दिन समूह को नियंत्रण स्थानांतरित किया जाता है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से वे विघटित हो जाते हैं। अवधि के दौरान अर्जित या निपटान की गई सहायक कंपनियों के लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय ओसीआई को अधिग्रहण की प्रभावी तिथि से, या निपटान की प्रभावी तिथि तक, जैसा लागू हो, मान्यता प्राप्त है। सभी समेकित सहायक कंपनियों की रिपोर्टिंग तिथि 31 मार्च, 2022 है।

समूह संपत्ति, देनदारियों, इक्विटी, आय और व्यय की वस्तुओं को एक साथ जोड़कर मुख्य और उसकी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को पंक्ति दर पंक्ति आधार पर समेकित करता है। समूह कंपनियों के बीच लेन–देन पर कंपनी के भीतर लेनदेन, शेष राशि और अप्राप्त लाभ समाप्त हो गए हैं। अप्राप्त हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है जब तक कि लेन–देन हस्तांतरित परिसंपत्ति की हानि का प्रमाण प्रदान नहीं करता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जहां आवश्यक हो, सहायक कंपनियों की लेखा नीतियों को बदल दिया गया है।

गैर–नियंत्रित हित, इक्विटी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, एक सहायक कंपनी के लाभ और हानि और शुद्ध संपत्ति के विवरण के हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर समूह का अधिकार नहीं होता है। लाभ/(हानि) और ओसीआई के प्रत्येक घटक को मूल कंपनी के इक्विटी धारकों और गैर–नियंत्रित हितों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, भले ही इसका परिणाम गैर–नियंत्रित हितों में घाटा ही हो। समूह मुख्य मालिकों और उनके संबंधित स्वामित्व हितों के आधार पर गैर–नियंत्रित हितों के बीच सहायक कंपनियों को कुल व्यापक आय या हानि का श्रेय देता है।

समूह के इक्विटी मालिकों के साथ लेनदेन के रूप में समूह गैर–नियंत्रित हितों के साथ लेन–देन करता है जिसके परिणामस्वरूप नियंत्रण का नुकसान नहीं होता है। स्वामित्व हित में इस तरह के बदलाव के परिणामस्वरूप सहायक कंपनी में उनके सापेक्ष हितों को प्रतिबिंबित करने के लिए नियंत्रित और गैर–नियंत्रित हितों की अग्रणी राशियों के बीच समायोजन होता है। गैर–नियंत्रित हितों के समायोजन की राशि और भुगतान या प्राप्त किसी भी प्रतिफल के बीच किसी भी अंतर को इक्विटी के भीतर मान्यता प्राप्त है।

सहयोगी और संयुक्त उपक्रम

सहयोगी

ऐसी संस्थाओं में निवेश जिनमें महत्वपूर्ण प्रभाव मौजूद है, लेकिन इक्विटी पद्धति के तहत एक नियंत्रित ब्याज का हिसाब नहीं दिया जाता है अर्थात निवेश शुरू में लागत पर दर्ज किया जाता है, अधिग्रहण के समय उत्पन्न होने वाले किसी भी सद्भावना/पूंजी आरक्षित की पहचान करना, जैसा कि मामला हो सकता है, जो 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट निवेश में अंतर्निहित होगा। निवेश की वहन राशि उसके बाद समायोजित कर दी जाती है ताकि निवेश करने वाले की कुल संपत्ति के हिस्से में पोस्ट अधिग्रहण परिवर्तन हो, जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सके। लाभ

और हानि के समेकित बयान में निवेशी के संचालन के परिणामों के समूह का हिस्सा शामिल है। सहयोगी उपक्रमों से प्राप्त या प्राप्य सकल लाभांश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाने जाते हैं। समूह और सहयोगियों के बीच लेनदेन पर अवास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं।

संयुक्त उपक्रम

संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्वों पर निर्भर करता है।

- **संयुक्त उद्यम –** संयुक्त उद्यम में ब्याज का आरंभिक रूप से लागत पर मान्यता के बाद इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए किया जाता है। निवेश की वहन राशि उसके बाद समायोजित कर दी जाती है ताकि निवेश करने वाले की कुल संपत्ति के हिस्से में अधिग्रहण पश्चात परिवर्तन हो, जिसे समूह की लेखा नीतियों के साथ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए समायोजित किया जा सके। लाभ और हानि के समेकित बयान में निवेशी के संचालन के परिणामों के समूह का हिस्सा शामिल है। संयुक्त उपक्रम से प्राप्त या प्राप्य लाभांश निवेश की वहन राशि में कमी के रूप में पहचाने जाते हैं। समूह और संयुक्त उद्यमों के बीच लेन–देन पर वास्तविक लाभ इन संस्थाओं में समूह के हित की सीमा तक समाप्त हो जाते हैं।
- **संयुक्त संचालन –** समूह संयुक्त संचालन की संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय के अपने प्रत्यक्ष अधिकार को मान्यता देता है और यह किसी भी संयुक्त रूप से या संपत्ति, देनदारियों, राजस्व और व्यय का संयुक्त हिस्सा है। इन्हें उपयुक्त शीर्षक के तहत वित्तीय विवरण में शामिल किया गया है।

जब एक इक्विटी–हिसाब निवेश में समूह के नुकसान का हिस्सा बराबर हो जाता है या किसी अन्य असुरक्षित दीर्घकालिक प्राप्तियों सहित इकाई में अपनी रुचि से अधिक हो जाता है, तो समूह आगे के नुकसान की पहचान नहीं करता है, जब तक कि उसने दायित्वों को पूरा नहीं किया है या अन्य संस्था का भुगतान नहीं किया है।

बी) व्यावसायिक संयोजन

समूह व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में अधिग्रहण विधि को लागू करता है। किसी सहायक का नियंत्रण प्राप्त करने के लिए समूह द्वारा हस्तांतरित विचार की गणना अधिग्रहण तिथि पर हस्तांतरित संपत्तियों के उचित मूल्यों और समूह द्वारा जारी किए गए इक्विटी हितों के योग के रूप में की जाती है, जिसमें किसी भी संपत्ति या देयता का उचित मूल्य एक आकस्मिक विचार व्यवस्था से उत्पन्न शामिल होता है। अधिग्रहण की लागत के रूप में खर्च किया जाता है।

व्यापार संयोजन में ग्रहण की गई पहचान योग्य संपत्ति और देनदारियों और आकस्मिक देनदारियों को शुरू में अधिग्रहण–तिथि पर उनके उचित मूल्यों पर मापा जाता सद्भावना को प्रारंभिक रूप से लागत पर मापा जाता है, जो कि हस्तांतरित विचार और गैर–नियंत्रण वाले हितों के लिए मान्यता प्राप्त राशि के अतिरिक्त होने के नाते और शुद्ध पहचान योग्य संपत्ति अधिग्रहित और देनदारियों पर किसी भी पिछले ब्याज का अधिग्रहण किया गया है। यदि अर्जित की गई शुद्ध संपत्ति का उचित मूल्य हस्तांतरित कुल विचार से अधिक है, तो सौदे की खरीद पर परिणामी लाभ ओसीआई में मान्यता प्राप्त है और पूंजी आरक्षित के रूप में इक्विटी में जमा हुआ है। हालांकि, अगर सौदे की खरीद का कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, तो इकाई ओसीआई के माध्यम से एक ही उपाय के बिना, पूंजी आरक्षित के रूप में इक्विटी में सीधे लाभ के तौर पर पहचाने जाते हैं।

जहां नकद मूल्य के किसी भी हिस्से के निपटान को स्थगित कर दिया जाता है, भविष्य में देय राशि को विनियम की तिथि के अनुसार उनके वर्तमान मूल्य में छूट दी जाती है। छूट की दर का उपयोग समूह की वृद्धिशील उधारी दर है, जिस दर पर समान उधार को एक स्वतंत्र निवेशक से तुलनीय नियम और शर्तों के तहत प्राप्त किया जा सकता है।

आकस्मिक विचार को इक्विटी या वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वित्तीय देयता के रूप में वर्गीकृत राशि को बाद में लाभ और हानि के कथनों के अनुरूप मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन के साथ उचित मूल्य पर फिर से मापा जाता है।

ब्याज नियंत्रण प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए सामान्य नियंत्रण के तहत संस्थाओं या व्यवसायों से जुड़े व्यापारिक संयोजनों का लेखा–जोखा लिया गया है। संयोजन इकाइयों की संपत्ति और देनदारियों को उनकी वहन मात्रा पर परिलक्षित किया जाता है। लेखांकन नीतियों में सामंजस्य बनाने के लिए किए गए परिवर्तनों को छोड़कर उचित मूल्यों को प्रतिबिंबित करने के लिए या किसी भी नई संपत्ति या देनदारियों को पहचानने के लिए कोई समायोजन नहीं किया गया है।

सी) वर्तमान बनाम गैर–वर्तमान वर्गीकरण

समूह वर्तमान/गैर–वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करता है। किसी संपत्ति को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसमें हो:

- सामान्य परिचालन चक्र में बेचा या उपभोग किए जाने की उम्मीद या प्राप्ति का इरादा है
- मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है
- रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर महसूस किए जाने की उम्मीद है, या
- नकद या नकद समतुल्य जब तक कि विनियम किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए एक दायित्व का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता

अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब:

- इसके सामान्य परिचालन चक्र में व्यवस्थित होने की उम्मीद है
- यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए आयोजित किया जाता है
- यह रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर तय होने के कारण है, या

- रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

संचालन चक्र प्रसंस्करण के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के बीच का समय है और नकदी और नकद के समतुल्य है। आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियों को गैर–वर्तमान संपत्ति और देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

2.1 कार्यात्मक और मुद्रा प्रस्तुति

वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (₹) में प्रस्तुत किए गए हैं, जो समूह की कार्यात्मक मुद्रा है। जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो तब तक सभी वित्तीय सूचनाओं को निकटतम दो दशमलव (₹ करोड़) में पूर्ण किया गया है ।

2.2 अनुमान और प्रबंधन निर्णय का उपयोग

समूह के लेखांकन नीतियों के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए, प्रबंधन को अनुमानों और मान्यताओं को बनाने की आवश्यकता होती है जो रिपोर्ट की गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रभावित करती हैं और वित्तीय विवरणों की तिथि के अनुसार आकस्मिक देनदारियों के राजस्व और व्यय की राशि वित्तीय विवरणों की सूचित अवधि और नोट्स का खुलासा होता है। ऐसे अनुमानों के लिए किसी भी संशोधन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वही निर्धारित किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन भावी रूप से पहचाने जाते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं।

3 महत्वपूर्ण लेखा और नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय वक्तव्यों में प्रस्तुत सभी अवधियों पर लगातार लागू किया गया है।

3.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

3.1.1 मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि आइटम से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। यह मान्यता सिद्धांत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु के अधिग्रहण के लिए शुरू में खर्च की गई लागतों पर लागू होता है। माल या सेवाओं के उत्पादन या/और आपूर्ति में या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए रखी गई संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, लागत पत्रक में, किसी भी बाद में संचित मूल्यह्रास और हानि के नुकसान में बताए गए हैं। संपत्ति, संयंत्र और उपार्जित नकद मूल्य तुल्यता की प्रारंभिक लागत में इसकी खरीद मूल्य शामिल है, जिसमें आयात शुल्क और गैर–वापसी योग्य खरीद कर शामिल हैं, परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति और स्थान पर लाने के किसी भी सीधे जिम्मेदार लागत और किसी भी अनिवार्य वर्तमान मूल्य इसके इच्छित क्षयकारी उपयोग के लिए है।

निर्मित संपत्ति के मामले में, लागत में निर्माण में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, उपरिव्यय का आवंटन, पूर्व परीक्षण खर्च (राजस्व का शुद्ध) सहित सीधे जिम्मेदार उधार लागत शामिल है।

एक वर्ष से अधिक के उपयोगी जीवन वाले और प्रत्येक मामले में 10 लाख या उससे अधिक के मूल्य वाले पुर्जों को उपयोग के लिए उपलब्ध होने पर संबंधित शीर्षों के तहत पूंजीकृत किया जाता है। जहां संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु में विभिन्न उपयोगी जीवन वाले प्रमुख घटक होते हैं, इन घटकों को अलग–अलग मदों के रूप में माना जाता है।

पूंजीगत कार्य–प्रगति में उत्पादन और/या माल या सेवाओं की आपूर्ति या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए निर्माण के दौरान संपत्तियां शामिल हैं या अभी तक निर्धारित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त हानि को घटाकर लागत पर वहन किया जाता है। उस बिंदु पर जब कोई परिसंपत्ति प्रबंधन के इरादे से काम कर रही है, निर्माण की लागत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की उपयुक्त श्रेणी में स्थानांतरित कर दी जाती है। किसी परिसंपत्ति के चालू होने से जुड़ी लागतों को पूंजीकृत किया जाता है जहां परिसंपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है लेकिन चालू होने की अवधि पूरी होने तक सामान्य स्तर पर संचालन करने में असमर्थ होती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को निपटान पर या जब संपत्ति के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं है, तो उसे अमान्य करार कर दिया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के निपटान या सेवानिवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है और लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.1.2 अनुवर्ती लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है या एक अलग परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जब उचित हो, तभी यह संभव है कि आने वाले खर्च से प्राप्त भविष्य के आर्थिक लाभ समूह के लिए प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मज़बूती से मापा जा सकता है। बदली गईं मद(ओं) की वहन राशि को गैर मान्य किया जाना है।

50 लाख या उससे अधिक की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी भी मरम्मत को संबंधित मद की वहन राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि भविष्य में होने वाली लागत का आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होगा। बदले गए आइटम (वस्तुओं) की वहन राशि को अमान्य कर दिया गया है।

3.2 निवेश संपत्तियां

निवेश संपत्तियां ऐसी संपत्ति होती है जो किराया लेने के साथ–साथ पूंजीगत मूल्य वृद्धि/लाभ के लिए ली जाती हैं। निवेश संपत्तियों को शुरू में लेन–देन की लागत के रूप में मापा जाता है। शुरुआती मान्यता के बाद निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास और खराब हानि के रूप में घोषित/नियत किया जाता है। निवेश संपत्ति की बिक्री पर कोई लाभ या हानि शुद्ध बिक्री आय और संपत्ति की वहन राशि के बीच के अंतर के रूप में निर्धारित की जाती है और इसी को लाभ और हानि का ब्यौरा माना जाता है।

3.3 मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्दिष्ट संपत्ति के उपयोगी जीवन से अधिक, संपत्ति की लागत का 5% के अवशिष्ट मूल्य पर विचार करते हुए, सीधी रेखा

पद्धति पर मूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा ग्रहण किया गया उपयोगी जीवन निम्नानुसार है:

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी जीवन (वर्ष में)
फैक्ट्री भवन	35 to 40
संयंत्र और मशीनरी	10 to 40
जल आपूर्ति और सीवरेज	25 to 40
रेलवे पटरियां और साइडिंग	35 to 40

बाहरी तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा किए गए तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर परिसंपत्तियों के इन वर्गों के लिए, समूह का मानना है कि ऊपर दिए गए उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर समूह इन परिसंपत्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा करता है। इसलिए, इन परिसंपत्तियों के लिए उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से अलग है।

फ्रीहोल्ड भूमि मूल्यह्रास नहीं है।

अनुमान के आधार पर किसी भी बदलाव के प्रभाव के कारण प्रत्येक वर्ष के अंत में मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्य की समीक्षा की जाती है।

जहां मूल्यह्रास संपत्ति की ऐतिहासिक लागत एक परिवर्तन से गुजरती है, संपत्ति के अवशिष्ट उपयोगी जीवन पर संशोधित अप्रकाशित मूल्यह्रास राशि पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है। वर्ष के दौरान जोड़/विलोपन पर मूल्यह्रास प्रो–राटा के आधार पर इसके अलावा/विलोपन के महीने के संदर्भ में प्रदान किया जाता है। ₹5000 तक की लागत वाली परिसंपत्तियां उस वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास की जाती हैं जिसमें वे उपयोग करते हैं।

पूंजीगत पुर्जों पर मूल्यह्रास के अतिरिक्त जीवन या मूल संपत्ति के शेष उपयोगी जीवन को प्रदान किया जाता है, जैसा कि आश्वस्त है, जो भी कम हो।

3.4 अमूर्त संपत्तियां

खनन अधिकार

खनन अधिकारों को अमूर्त संपत्तियों के रूप में माना जाता है और सभी संबंधित लागतों को कुल अनुमानित न्यूनतम भंडार के लिए वार्षिक उत्पादन के आधार पर संशोधित किया जाता है। यदि खनन अधिकार का नवीनीकरण नहीं किया जाता है, तो शेष नवीकरण से संबंधित निर्णय के वर्ष में राजस्व से संबंधित शेष राशि वसूल की जाएगी।

अधिग्रहण लागत यानी लाइसेंस के अधिग्रहण से जुड़ी लागत और संबंधित व्यावसायिक शुल्क सहित पता लगाने के अधिकार, वैधानिक वानिकी मंजूरी के लिए भुगतान, जैसा कि आश्यकता अनुसार खनन अधिकार के अलावा इस्तेमाल किया जाता है।

अन्य अमूर्त संपत्तियां

अन्य अमूर्त संपत्ति लाभ की अपेक्षित अवधि के दौरान सीधी–रेखा पद्धति पर ऋण चुकाया जाता है। सॉफ्टवेयर, जो संबंधित हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है, उसे अमूर्त संपत्ति के रूप में माना जाता है और पांच साल या इसे लाइसेंस के समय से अधिक परिशोधित किया जाता है, जो भी कम हो।

अनुसंधान और विकास

विकास व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इसे मज़बूती से मापा जा सके और संबंधित परिसंपत्ति और प्रक्रिया को समूह द्वारा पहचाना जा सके और नियंत्रित किया जा सके। अनुसंधान और अन्य विकास व्यय राजस्व व्यय के रूप में जब इस्तेमाल किया जाता है, तब मान्यता प्राप्त है।

3.4.1 अनुवर्ती लागत

इसके बाद के खर्च को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह भविष्य में होने वाले आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जो कि इससे संबंधित संपत्ति में होता है। अन्य सभी व्यय लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

3.4.2 अमूर्त संपत्तियों की मान्यता रद्द करना

अमूर्त संपत्ति को निपटान पर अमान्य करार कर दिया जाता है, या जब भविष्य में उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। एक अमूर्त संपत्ति की मान्यता से उत्पन्न होने वाले लाभ या हानि, शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणी राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है, जब परिसंपत्ति की पहचान रद्द कर दी जाती है तो लाभ और हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

3.5 स्ट्रिपिंग लागत

सतह की खान के उत्पादन चरण के दौरान किए गए स्ट्रिपिंग लागत को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि ऐसी लागत भविष्य की अवधि में अयस्क की बेहतर पहुंच के संदर्भ में लाभ प्रदान करती है और निम्नलिखित मानदंड पूरे होते हैं:

- यह संभावना है कि स्ट्रिपिंग गतिविधि से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ (एक अयस्क निकाय में सुधार) इकाई के लिए प्रवाह होगा,
- इकाई एक अयस्क निकाय के घटक की पहचान कर सकती है जिसके लिए पहुंच में सुधार किया गया है, और
- उस घटक तक बेहतर पहुंच से संबंधित लागतों को मज़बूती से मापा जा सकता है।

व्यय, जिसे विशेष रूप से पहचाना नहीं जा सका है कि अयस्क तक पहुंचने के लिए प्रभारित राजस्व है, खदानों को छोड़कर 5 साल की खनन योजना के अनुसार स्ट्रिपिंग अनुपात के आधार पर, कोलियरियों को छोड़कर, जो परियोजना रिपोर्ट पर आधारित है।

3.6 गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

समूह, कैश जेनरेटिंग यूनिट (सीजीयू) के रूप में पूरे एक प्लांट की परिसंपत्तियों पर विचार करके, यदि कोई है, तो संकेतक सूचियों का पता लगाने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख को अपनी संपत्ति की राशि की समीक्षा करता है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है, जो कुल विक्रय मूल्य और उपयोग में मूल्य से अधिक है। जब भी किसी परिसंपत्ति की वहन राशि उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है, तो लाभ–हानी में क्षति नुकसान को मान्यता दी जाती है।

यह निर्धारित करने के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर एक मूल्यांकन किया जाता है कि क्या कोई संकेत है कि पहले से मान्यता प्राप्त हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो गई है। यदि ऐसा संकेत मौजूद है, तो समूह परिसंपत्ति या सीजीयू की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाता है। पहले से मान्यता प्राप्त हानि को केवल तभी उलट दिया

जाता है जब पिछली हानि की पहचान के बाद से सम्पत्ति की वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली मान्यताओं में कोई परिवर्तन हुआ हो।

3.7 उधार की लागत

अर्हक संपत्ति के लिए अधिग्रहण या निर्माण के लिए उधार लेने की लागत सीधे जिम्मेदार है, जिसमें पर्याप्त समय होता है, उस परिसंपत्ति की लागत के एक हिस्से के रूप में पूंजीकृत होती है, जो परिसंपत्ति को उसके उद्देश्य के लिए पूरा करना और तैयार करना आवश्यक है।

समूह बारह महीने या उससे अधिक की अवधि को पर्याप्त अवधि मानता है।

लंबी अवधि के उधार के संबंध में लेन–देन की लागत प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके संबंधित ऋणों के कार्यकाल में परिशोधन की जाती है। अन्य उधार लेने की लागत को उस अवधि में लाभ और हानि के बयान में मान्यता प्राप्त है, जिसमें ये खर्च किए गए हैं।

3.8 इन्वेंटरी

कच्चे माल, भंडारण और पुर्जों और तैयार/अर्ध–तैयार उत्पादों (प्रक्रिया स्क्रैप सहित) का मूल्य संबंधित संयंत्रों/इकाइयों की वस्तुओं के मूल्य और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम है। अप्रचलित/अधिशेष/गैर–चलती वस्तुओं की पहचान के मामले में, आवश्यक प्रावधान किया जाता है और राजस्व का शुल्क लिया जाता है। अर्द्ध–तैयार विशेष उत्पादों का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो केवल समाप्त चरण में वसूली योग्य मूल्य है, लागत के साथ तुलना के उद्देश्य के लिए अनुमानित है।

अवशेषी उत्पाद और अन्य स्क्रैप अनुमानित शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर हैं।

लागत का निर्धारण करने का आधार है:

कच्चे माल – आवधिक भारित औसत लागत

मामूली कच्चे माल – गतिमान औसत लागत

स्टोर और पुर्जे – गतिमान औसत लागत

सामग्री पारगमन में – लागत पर

तैयार/अर्द्ध–तैयार उत्पादों की खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और लागत का अन्य उचित हिस्सा जिसमें उन्हें उनके संबंधित वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में खर्च किए गए ओवरहेड्स शामिल हैं।

3.9 सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को मान्यता तब दी जाती है जब उचित आश्वासन दिया जाता है कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी और अनुदान प्राप्त है।

सरकारी अनुदान को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में व्यवस्थित अवधि के आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसमें कंपनी संबंधित लागतों को खर्च के रूप में मान्यता देती है जिसके लिए अनुदान की क्षतिपूर्ति करने का इरादा है। जहां अनुदान एक परिसंपत्ति मूल्य से संबंधित है, यह आस्थगित आय के रूप में मान्यता प्राप्त है, और परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवन पर परिशोधित है। अन्य अनुदानों को लाभ और हानि के बयान के लिए मान्यता दी जाती है, जो ऐसे अनुदानों से संबंधित हैं/जिन्हें कवर करना वांछनीय है।

जहां पर कंपनी गैर–आर्थिक अनुदान प्राप्त करता है, परिसंपत्ति और अनुदान को उचित राशि में सकल रूप में अभिलिखित किया जाता है और अन्तर्निहित परिसंपत्ति के अपेक्षित उपयोगी जीवनकाल और लाभ के खपत के तरीके पर आय के विवरण के लिए अवमुक्त किया जाता है।

3.10 विदेशी मुद्रा लेन–देन

लेन–देन की तिथि में प्रचलित विनियम दरों का उपयोग करके विदेशी मुद्रा लेन–देन को समूह की कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। विदेशी मुद्रा लाभ और हानि के परिणामस्वरूप निपटान और विदेशी मुद्रा में मूल्य मौद्रिक वस्तुओं के समझौता और पुनर्विचार को अवधि–अंत विनियम दरों पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि–अंत में रेट नहीं किया जाता है और ऐतिहासिक लागत (लेन–देन की तारीख में विनियम दरों का उपयोग करके परिवर्तित) पर मापा जाता है, उचित मूल्य पर मापा जाने वाले गैर–मौद्रिक वस्तुओं को छोड़कर, जब तिथि में विनियम दरों का उपयोग करके परिवर्तित किया जाता है, उचित मूल्य निर्धारित किया गया।

समूह ने 31 मार्च, 2009 को (29 दिसम्बर, 2011 के संशोधित के अनुसार) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित लंबी अवधि के विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों की रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियमों 2009 से संबंधित लेखा मानक–11 के संबंध में उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर का लेखा–जोखा लिया। 31 मार्च 2016 तक सभी पूर्व–मौजूदा दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक वस्तुओं के लिए इंड–एएस 101 के अनुसार जारी रहेगा। तदनुसार, 31 मार्च, 2016 से पहले लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, मूल्यह्रास योग्य अचल संपत्तियों के कारण दीर्घकालिक मौद्रिक वस्तुओं से संबंधित विनियम दर भिन्नता से उत्पन्न समायोजन के लिए पूंजीकृत किया जाता है। 31 मार्च, 2016 के बाद लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के लिए, दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के निपटान या बदलाव पर उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

अन्य मौद्रिक वस्तुओं के पुनः बदलाव या निपटान पर उत्पन्न होने वाले विनियम अंतर को अवधि के लिए लाभ और हानि के विवरण में शामिल किया गया है।

3.11 कर्मचारी लाभ

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित योगदान योजना एक रोजगार–पश्चात लाभ योजना है जिसके तहत समूह एक अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करता है। परिभाषित अंशदान को सेवानिवृत्ति लाभ योजना के भुगतान को उस खर्च के रूप में जाना जाता है, जो कर्मचारियों ने योगदान के लिए सेवा प्रदान की है। प्रोविडेंट फंड्स की ओर योगदान उस अवधि के लाभ और हानि के ब्यौरे के लिए लिया जाता है जब फंड में योगदान देय होता है।

परिभाषित लाभ योजना

परिभाषित लाभ योजना लाभ की वह राशि है जो किसी भी कर्मचारी को सेवा या नौकरी के पूरा होने पर उसकी नौकरी की लंबाई, आखिरी सैलरी व अन्य संबंधित प्रत्यक्ष लागतों के आधार पर मिलेगी। हालांकि किसी भी लाभ को लेकर कानूनी शर्त या दायित्व समूह के पास ही रहता है।

परिभाषित लाभ योजना के लिए मान्य देनदारी योजना संपत्ति के उचित मूल्य को कम करने वाली रिपोर्टिंग तिथि के परिभाषित लाभ भार के वर्तमान मूल्य के साथ–साथ गैर मान्यता प्राप्त बीमांकिक लाभ व हानि और पिछली सेवा की लागतों का समायोजन है। प्रबंधन सालाना एक स्वतंत्र मुनीम द्वारा अनुमानित क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए परिभाषित लाभ भार (डीबीओ) के वर्तमान मूल्य का आंकलन करता है। बीमांकिक लाभ और हानि वर्ष के लाभ और हानि या अन्य व्यापक आय के विवरण में शामिल होते हैं।

विमुद्रीकरण, बीमांकिक लाभ और हानि, संपत्ति की सीलिंग में परिवर्तन का प्रभाव (यदि लागू हो) और योजना परिसंपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) पर लाभ बैलेंस शीट में उस चार्ज या क्रेडिट के साथ प्रतिबिंबित होता है, जो उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्य होते हैं, प्लान एसेट्स (ब्याज को छोड़कर) पर रिटर्न, बैलेंस शीट में उस चार्ज या क्रेडिट के साथ परिलक्षित होता है, जो उस अवधि में अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। अन्य व्यापक आय में पुनःमापन को तुरंत प्रतिपूर्ति को बरकरार रखे गए आय में प्रतिबिंबित किया जाता है और इसे लाभ व हानि के ब्यौरे में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।

अल्प अवधि कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ में वेतन, बोनस, एक्स–ग्रेसिया, वार्षिक अवकाश और सिक लीव जैसी चीजें शामिल हैं। ये सभी उस वर्ष दी जाती हैं, जिसमें कर्मचारियों द्वारा संबंधित सेवाएं समूह को दी जाती हैं।

अल्पकालिक कर्मचारी लाभों के संबंध में मान्य देनादारियों को संबंधित सेवाओं के बदले में अपेक्षित लाभों की अघोषित मात्रा के आधार पर मापा जाता है।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना पर हुए खर्च को फौरन लाभ और हानि वाले ब्यौरे से लिया जाता है।

3.12 राजस्व मान्यता

समूह स्टील और अन्य उत्पादों की एक श्रृंखला का निर्माण और बिक्री करता है।

सामानों की बिक्री

सेल्स यानी बिक्री माल और सेवा कर (जीएसटी), छूट और मूल्य रियायतों से निर्धारित होता है। सेल्स तब मान्य होता है जब यह प्रदर्शन के दायित्वों की पूर्ति ग्राहकों को अच्छा सामान व सेवाएं देकर करता है और ग्राहक जब उन सामान व सेवाओं पर नियंत्रण प्राप्त कर लेता है। जहां सरकारी एजेंसियों के साथ अनुबंध की कीमतों को अंतिम रूप नहीं दिया जाता है, वहां बिक्री का हिसाब अल्पकालीन या अस्थायी रूप से किया जाता है।

समुद्री निर्यात बिक्री मान्य है :

i) लदान के बिल का मुद्दा, या

ii) परत अवधि की समाप्ति पर निर्यात बिलों पर सौदेबाजी, ऐसे मामलों में जहां शिपमेंट के बिना सामग्री मूल्य की प्राप्ति संबंधित अनुबंधों के क्रेडिट के पन्नों में प्रदान की जाती है, जो भी पहले हो।

ब्याज और लाभांश आय

ब्याज आय बकाया मूलधन और लागू प्रभावी ब्याज दर के संदर्भ में समय अनुपात के आधार पर अर्जित की जाती है। लाभांश आय को तब मान्यता दी जाती है जब लाभांश प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

3.13 पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित समायोजन

सामग्री पूर्व अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से ठीक किया जाता है, जिसमें पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई है, तो प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के उद्घाटन को पुनः वर्णित किया जाता है।

3.14 चल संपत्ति नुकसान और मूल्य वृद्धि के लिए दावा

चल संपत्ति के क्षति के दावों का हिसाब तब किया जाता है जब ये मूल कंपनी द्वारा पुनर्प्राप्त करने योग्य माना जाता है। क्योंकि यह मामला ऋण संबंधि क्षति के अंतिम निपटान पर हो सकता है। ऐसे में ये कैपिटल कॉस्ट से समायोजित किए जाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में मान्य होते हैं।

दामों में वृद्धि के लिए आपूर्तिकर्ता और ठेकेदारों के दावों को उस हद तक महत्व दिया जाता है, जब तक कि मूल कंपनी इन दावों को स्वीकार न कर ले।

3.15 पट्टे

अनुबंध की शुरुआत में, समूह यह मूल्यांकन करता है कि क्या अनुबंध, या इसमें एक पट्टा है जो इस आधार पर है कि क्या अनुबंध किसी पहचान की गई संपत्ति के उपयोग को विचार के बदले में समय की अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

पट्टेदार के रूप में समूह

समूह बारह महीने या उससे कम के अल्पकालिक पट्टों और पट्टों को छोड़कर, जिनके लिए अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की है, जिन्हें लाभ के विवरण में खर्च किया जाता है, पट्टे की शुरुआत की तारीख पर उपयोग की जाने वाली संपत्ति और पट्टे की देयता को पहचानता है। और पट्टे की अवधि में एक सीधी रेखा के आधार पर हानि। संपत्ति के उपयोग के अधिकार को शुरू में लागत पर मापा जाता है, जिसमें प्रारंभ तिथि पर या उससे पहले किए गए किसी भी पट्टे के भुगतान के लिए समायोजित लीज देयता की प्रारंभिक राशि शामिल होती है, साथ ही कोई भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत और अंतर्निहित परिसंपत्ति को हटाने या अंतर्निहित परिसंपत्ति या जिस साइट पर यह स्थित है, को पुनर्स्थापित करने के लिए लागत का एक अनुमान, प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन से कम है।

संपत्ति के उपयोग के अधिकार को बाद में सीधी रेखा तरीके का उपयोग करके शुरू की तारीख से लेकर संपत्ति के उपयोग के अधिकार के उपयोगी जीवन के अंत तक या लीज अवधि के अंत तक मूल्यह्रास किया जाता है। कुछ लीज व्यवस्थाओं में लीज अवधि बढ़ाने के विकल्प शामिल हैं। संपत्ति के उपयोग के अधिकार और पट्टे की देनदारियों में ये विकल्प शामिल हैं जब यह निश्चित हो जाए कि उनका प्रयोग किया जाएगा। उपयोग के अधिकार वाली संपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन का निर्धारण उसी आधार पर किया जाता है जैसे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, संपत्ति के उपयोग के अधिकार की समय–समय पर हानि के संकेतकों के लिए समीक्षा की जाती है और हानि, यदि कोई हो, तो

उसे कम किया जाता है, और पट्टा देयता के कुछ पुनः माप के लिए समायोजित किया जाता है।

पट्टे की देयता को शुरू में पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापा जाता है जिन्हें प्रारंभिक तिथि पर भुगतान नहीं किया जाता है, पट्टे में निहित ब्याज दर के आधार पर डिस्काउंट या यदि यह दर आसानी से परिभाषित नहीं की जा सकती है तो समूह की वृद्धिशील उधार दर पर किया जाता है।

पट्टे की देयता को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। इसका पुनर्माप तब किया जाता है जब किसी सूचकांक या दर में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले भावी पट्टा भुगतानों में कोई परिवर्तन होता है, यदि अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय होने वाली अपेक्षित राशि के समूह के अनुमान में कोई परिवर्तन होता है, या यदि समूह अपना परिवर्तन करता है यह मूल्यांकन कि क्या यह खरीद, विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगा।

जब पट्टे की देयता को फिर से मापा जाता है, तो उपयोग के अधिकार की संपत्ति की वहन राशि के लिए एक समान समायोजन किया जाता है, या लाभ या हानि में दर्ज किया जाता है यदि उपयोग की जाने वाली संपत्ति की वहन राशि शून्य हो गई हो।

पट्टे के रूप में समूह

वित्त पट्टे

पट्टे जिन्हें प्रभावी ढंग से पट्टेदार/ठेकेदार को हस्तांतरित किया जाता है और पट्टे पर दिए गए मद के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और लाभों को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और वित्त पट्टे के लिए जिम्मेदार माना जाता है। पट्टे के किराये की रसीदें वित्त आय और पूंजीगत पुनर्भुगतान के बीच वापसी की निहित दर के आधार पर जमा की जाती है। आकस्मिक किराये को उस अवधि में राजस्व के रूप में मान्यता दी जाती है, जिसमें वे अर्जित किए जाते हैं।

परिचालन ठेके/पट्टे

ऐसे पट्टे जिनमें समूह पर्याप्त रूप से सभी जोखिमों और परिसंपत्ति के स्वामित्व के इनाम को स्थांतरित नहीं करता है, को परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। संबंधित पट्टे की संपत्ति उनकी प्रकृति के आधार पर बैलेंस शीट में शामिल किए जाते हैं। किराये की आय को किराये की अवधि के आधार पर सीधे जोड़ा जाता है, सिवाय इस परिस्थिति के जहां किराए में निर्धारित बढ़ोतरी समूह को अपेक्षित मुद्रास्फीति लागतों में कम क्षतिपूर्ति करती है।

3.16 गैर वर्तमान संपत्ति बिक्री के लिए

समूह बिक्री के लिए गैर–वर्तमान परिसंपत्ति का वर्गीकरण करता है, अगर इसकी वहन राशि बिक्री के माध्यम से मुख्य रूप से वापस पाई जा सके। इस स्थिति को तभी माना जाता है जब परिसंपत्ति अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो और इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित हो।

बिक्री के लिए रखे गए बंद किए गए संचालन सहित गैर मौजूदा परिसंपत्तियों को ढुलाई मात्रा में मापा जाता है और वित्तीय विवरणों में बेचेने के लिए ठीक दाम को कम और अलग से पेश किया जाता है। एक बार अगर संपत्ति बिक्री के लिए वर्गीकृत हो जाए तो वह मूल्यह्रास व परिशोधन के अधीन नहीं रहती।

बंद किए गए संचालन की बिक्री या फिर से माप से उत्पन्न किसी भी लाभ या हानि को लाभ–हानि के ब्यौरे में एक पंक्ति वस्तु के हिस्से के रूप में प्रस्तु किया जाता है।

3.17 खदान/भंडार बंद होना

खदान बंद करने के प्रावधान में अवसंरचना का विखंडन और उजाड़, अवशिष्ट पदार्थों को हटाना और खदान के लिए अशांत क्षेत्रों का इलाज शामिल है। यह प्रावधान सभी विनियामक आवश्यकताओं और संबंधित अनुमानित लागत पर उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित है। लेखांकन अवधि के लिए खदान बंद करने की लागतें तब प्रदान की जाती हैं, जब ऑपरेशन और पोस्ट बंद होने के दौरान बहाली की अनुमानित भविष्य की लागतों के शुद्ध वर्तमान मूल्य के आधार पर दायित्व उत्पन्न होता है।

3.18 प्रावधान, आकस्मिक देनदारी और आकस्मिक संपत्ति

प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां

प्रावधान को मान्यता तब दी जाती है जब समूह ने एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप दायित्व (कानूनी या निर्माणकारी) प्रस्तुत किया है और यह संभव है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, जिसके बारे में विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधान के तहत उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दिए जाते हैं, जहां धन का समय मूल्य भौतिक है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की अपेक्षा की जाती है और अगर यह निश्चित रूप से तय हो कि प्रतिपूर्ति प्राप्त होगी व प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है तो प्राप्य को एक अलग संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है।

आकस्मिक देनदारियां पिछली घटनाओं से उत्पन्न होने वाला एक संभावित दायित्व है और जिसके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के समूह या नियंत्रण के अंदर पूरी तरह से नहीं होने वाली घटना या अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होने वाले वर्तमान दायित्व से की जाएगी, क्योंकि यह संभव नहीं है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्वों की मात्रा का विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। समूह अन्य विवरणों में वित्तीय देनदारियों के लिए आकस्मिक देनदारियों के अस्तित्व का खुलासा करता है।

ऐसे मामलों में जहां वर्तमान दायित्व के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों के संभावित बहिर्वाह को अनुचित या दूरस्थ माना जाता है, किसी भी प्रावधान को मान्यता नहीं दी जाती है या प्रकटीकरण नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां

आकस्मिक संपत्ति आमतौर पर अनियोजित या अन्य अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न होती हैं जो आर्थिक लाभ की आमद की संभावना को जन्म देती हैं। आकस्मिक आस्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है, हालांकि जहां

आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित है वहां इसका खुलासा किया जाता है।

3.19 आयकर

कर व्यय को लाभ और हानि के ब्यौरे में आस्थगित/विलंबित कर के साथ वर्तमान कर का योग शामिल होता है, सिवाय उस सीमा तक जो कर उन मदों से संबंधित है जिन्हें सीधे यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त है, जिस स्थिति में संबंधित कर है या तो सीधे ओसीआई या इक्विटी में तदनुसार मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान आयकर को भारतीय आयकर अधिनियम के अनुसार कर अधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि पर मापा जाता है। जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ निपटाने या महसूस करने का इरादा होता है, तो समूह आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बदल देता है।

आस्थगित आयकर की गणना देयता विधि का उपयोग करके की जाती है। आस्थगित कर देनदारियों को आमतौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पूर्ण रूप से मान्य होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित है कि अंतर्निहित कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट या कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग भविष्य की कर योग्य आय के खिलाफ किया जाएगा। गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्तियों का प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर फिर से मूल्यांकन किया जाता है और उन्हें इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभव हो कि भविष्य में कर योग्य लाभ आस्थगित कर संपत्ति को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को उस कर दरों पर मापा जाता है जो उस वर्ष में लागू होने की उम्मीद होती है। जब संपत्ति का एहसास होता है या देयता तय की जाती है, जो कर दरों (और कर कानूनों) के आधार पर बनाई गई है या रिपोर्टिंग तिथि में अधिनियमित किया गया है।

जब मौजूदा कर परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करने का कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार मौजूद होता है और उन्हें एक साथ निपटाने या महसूस करने का इरादा होता है, तो समूह आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों को बदल देता है।

3.20 नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्षों में नकद और मांग जमा शामिल हैं, साथ ही तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अन्य अल्पकालिक अत्यधिक तरल निवेश जो आसानी से नकदी की ज्ञात राशि में परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

3.21 वित्तीय उपकरण

मान्यता, प्रारंभिक माप और पुनःमान्यता

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को तब मान्यता दी जाती है जब समूह संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाता है और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। लेन–देन की लागतें जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के अधिग्रहण या जारी करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, केवल उन्हें छोड़कर, जिन्हें शुरुआत में लाभ और हानि (एफवीटीपीएल) के माध्यम से उचित मूल्य पर वर्गीकृत किया गया है, और प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के साथ समायोजित किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों को तब पहचाना जाता है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के अनुबंध संबंधी अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय संपत्ति और सभी पर्याप्त जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित हो जाते हैं। एक वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के हिस्से) की पहचान तब की जाती है जब इसे बुझा दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है, रद्द किया जाता या फिर खत्म कर दिया जाता है।

वित्तीय संपत्तियों का वर्गीकरण और आगामी माप

आगामी माप के उद्देश्य से, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- परिशोधित या बढ़ी हुई लागत
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति (एफवीओसीआई)

एफवीटीपीएल को छोड़कर सभी वित्तीय परिसंपत्तियां प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में कम से कम हानि के लिए समीक्षा के अधीन हैं।

परिशोधन/अमूर्त या बढ़ी लागत

एक वित्तीय परिसंपत्ति को प्रभावी ब्याज दरों का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है, यदि इसमें दोनों निम्न शर्तें पूरी होती हों तो :

क) वित्तीय परिसंपत्ति एक व्यावसायिक मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों को रखना है।

ख) वित्तीय परिसंपत्ति के अनुबंध की शर्तें नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं जो मूल रूप से मूलधन और मूल राशि पर ब्याज का भुगतान करती हैं।

समूह के नकद और नकद समकक्ष, व्यापार और अधिकांश अन्य प्राप्य वित्तीय साधनों की श्रेणी में आते हैं।

एफवीओसीआई पर वित्तीय संपत्ति

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियां या तो ऋण साधन हैं जिन्हें व्यापार मॉडल को इकट्ठा करने और बेचने के लिए प्रबंधित किया जाता है या गैर–व्यापारिक इक्विटी उपकरण हैं जो इस श्रेणी के लिए नामित हैं।

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। ब्याज और लाभांश आय, हानि के नुकसान और मौद्रिक परिसंपत्तियों पर विदेशी मुद्रा अंतर को छोड़कर अन्य व्यापक आय में लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है, इन्हें लाभ या हानि के ब्यौरे में मान्यता दी जाती है।

एफवीटीपीएल पर वित्तीय संपत्ति

एफवीटीपीएल वित्तीय परिसंपत्तियों में वे वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे व्यापार के लिए आयोजित इक्विटी साधन हैं या जो कुछ शर्तों को पूरा

करती हैं और प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में निर्दिष्ट हैं। सभी व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जहां कोई सक्रिय बाजार मौजूद नहीं है।

वित्तीय देनदारियों का वर्गीकरण और बाद में इनका माप

वित्तीय देनदारियों को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है, ट्रेडिंग के लिए आयोजित वित्तीय देनदारियों या एफवीटीपीएल में नामित को छोड़कर, जो बाद में लाभ या हानि के उचित मूल्य पर किए जाते हैं उन्हें नफा और नुकसान के रूप में गिना जाता है। सभी व्युत्पन्न/गौण वित्तीय साधनों का लेखा एफवीटीपीएल पर दिया जाता है।

एंबेडेड व्युत्पन्न

कुछ हाइब्रिड वित्तीय देयता अनुबंधों में व्युत्पन्न और गैर–व्युत्पन्न दोनों घटक होते हैं। ऐसे मामलों में, व्युत्पन्न घटक को एम्बेडेड व्युत्पन्न कहा जाता है, जिसमें गैर–व्युत्पन्न घटक मेजबान वित्तीय देयता अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यदि एम्बेडेड व्युत्पन्न की आर्थिक विशेषताएं और जोखिम मेजबान अनुबंध से निकटता से संबंधित नहीं हैं और अनुबंध को स्वयं जिस पर नहीं मापा जाता है, तो एम्बेडेड व्युत्पन्न को विभाजित किया जाता है और उचित मूल्य पर रिपोर्ट किया जाता है, जिसमें उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्तियों/देनदारियों पर शुद्ध लाभ (हानि) में मान्यता प्राप्त लाभ और हानि के साथ (एफवीटीपीएल)। मेजबान की वित्तीय देनदारी का हिसाब उपयुक्त इंड एएस के अनुसार किया जाता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

इंड एएस–109 के अनुसार, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए खराब/दुर्बल हानि की माप और मान्यता के लिए प्रत्याशित ऋण हानि/एक्सपैक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) मॉडल लागू करता है।

ईसीएल, अनुबंध के अनुसार, कंपनी को देय होने वाली सभी संविदात्मक नकदी प्रवाहों और कंपनी द्वारा प्राप्त होने वाले सभी प्रत्याशित नकदी प्रवाहों के बीच का अंतर है। व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता को प्रारंभिक मान्यता से अपेक्षित आजीवन हानियों को पहचानते हुए सरलीकृत हानि दृष्टिकोण का उपयोग करके मापा जाता है। अन्य वित्तीय संपत्तियों पर हानि की पहचान के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है या नहीं।

व्यापार प्राप्य राशियां

व्यापार प्राप्तियों को शुरू में विनियम की गई राशियों के आधार पर उचित मूल्य पर और बाद में इंड एएस 109 के रूप में किसी भी हानि को घटाकर परिशोधित लागत पर मान्यता दी जाती है।

वित्तीय विलेखों की ऑफसेटिंग

जब मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफ़सेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार होता है और इन्हें निवल आधार पर निपटाने या परिसंपत्ति की वसूली करने तथा देयता को साथ में सुलझाने का इरादा होता है तो वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां ऑफसेट होती हैं और शुद्ध राशि को तुलन–पत्र में दिया जाता है। कानूनी रूप से लागू करने का अधिकार, भविष्य की घटनाओं पर आकस्मिक नहीं होना चाहिए और सामान्य व्यापार के दौरान तथा दूसरे पक्ष के दोष, दिवालियापन या दिवालिया होने की स्थिति में लागू होना चाहिए।

3.22 इक्विटी उपकरणों में निवेश

इक्विटी उपकरणों में निवेश, जहां समूह ने अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऐसे उपकरणों को वर्गीकृत करने का विकल्प चुना है, अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। निवेश की बिक्री पर भी ओसीआई से पी एंड एल में राशि का पुनर्चक्रण नहीं होता है। हालांकि, समूह संचयी लाभ या हानि को इक्विटी के भीतर स्थानांतरित कर सकता है। ऐसे निवेशों पर लाभांश को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जब तक कि लाभांश स्पष्ट रूप से निवेश की लागत के हिस्से की वसूली का प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

3.23 खंड रिपोर्टिंग

समूह के लिए 8 रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट हैं : 5 एकीकृत स्टील प्लांट और 3 मिश्र धातु स्टील प्लांट, जो अलग–अलग विनिर्माण इकाइयां हैं। इन सभी को रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट माना गया है। इन ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान करने में प्रबंधन आमतौर पर समूह के अलग–अलग पहचाने जाने योग्य विनिर्माण संचालन को अपने मुख्य संचालन के रूप में बताता है।

इनमें से प्रत्येक ऑपरेटिंग सेगमेंट को अलग से प्रबंधित किया जाता है क्योंकि प्रत्येक को विभिन्न तकनीकों, कच्चे माल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है। सभी अंतर–खंड हस्तांतरण हाथ की लंबाई की कीमतों पर किए जाते हैं जो समान वस्तुओं या सेवाओं के अकेले बिक्री में असंबंधित ग्राहकों को लगाए गए मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

इसके अलावा, कॉरपोरेट परिसंपत्तियां जो किसी भी ऑपरेटिंग सेगमेंट की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए सीधे जिम्मेदार नहीं हैं, एक खंड को आवंटित नहीं की जाती हैं। यह मुख्य रूप से समूह के प्रशासनिक प्रधान कार्यालय और खनन कार्यों पर लागू होता है।

रिपोर्ट किए गए सेगमेंट लाभ या हानि को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली माप विधियों में पूर्व अवधियों से कोई बदलाव नहीं किया गया है।

3.24 लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण निर्णय, अनुमान और आंकलन

3.24.1 पट्टा/लीज़

समूह मूल्यांकन करता है कि क्या कोई व्यवस्था इंड एएस 116 की आवश्यकताओं के अनुसार लीज होने के योग्य है। लीज की पहचान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है। समूह पट्टा/लीज़ अवधि (प्रत्याशित नवीनीकरण सहित) और लागू छूट दर का आंकलन करने में महत्वपूर्ण निर्णय का उपयोग करता है।

3.24.2 बंद होने व पुनःस्थापन के दायित्व

बंद होना और पुनःस्थापन लागत खनन या उत्पादन का सामान्य परिणाम है और बंदी और पुनःस्थापन खर्च का अधिकांश हिस्सा खदान बंद होने के बाद के वर्षों में होता है। हालांकि खर्च होने वाली अंतिम लागत अनिश्चित है, लेकिन समूह वर्तमान बहाली तकनीक का इस्तेमाल करके अपनी लागत का अनुमान लगाता है।

3.24.3 आस्थगित कर संपत्तियों की मान्यता

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को किस हद तक पहचाना जा सकता है, यह समूह की भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी कानूनी या आर्थिक सीमा के प्रभाव का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता होती है।

3.24.4 सामान

समूह सबसे विश्वसनीय सबूतों को ध्यान में रखते हुए सामान/स्टॉक/माल सूची की लागत का अनुमान लगाता है, जैसे कि सामग्री की लागत, ऊपरी खर्च और उत्पादन की वास्तविक लागत आदि। प्रबंधन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामान के शुद्ध वसूली योग्य मूल्यों का भी अनुमान लगाता है। इन आविष्कारों की प्राप्ति, भविष्य की तकनीक या अन्य बाजार संचालित परिवर्तनों से प्रभावित हो सकती है जो भविष्य में बिक्री की कीमतों को कम कर सकते हैं।

3.24.5 निर्धारित लाभ दायित्व (डीबीओ)

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दर के साथ–साथ छूट दरों में भविष्य के विकास, चिकित्सा लागत के रुझान, भविष्य के वेतन में वृद्धि की प्रत्याशा और मुद्रास्फीति की दर से संबंधित धारणाएं शामिल हैं। समूह मानता है कि अपने दायित्वों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धारणाएं उपयुक्त हैं। हालांकि, इन मान्यताओं में किसी भी परिवर्तन के परिणामस्वरूप गणनाओं पर एक भौतिक प्रभाव हो सकता है।

3.24.6 उचित मूल्य माप

समूह वित्तीय साधनों (जहां सक्रिय बाजार उद्धरण उपलब्ध नहीं हैं) और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन तकनीक लागू करता है। इसमें उपकरण की कीमत के लिए बाजार के प्रतिभागियों के अनुरूप विकासशील अनुमान और धारणाएं शामिल हैं। समूह की धारणाएं जहां तक संभव हो, अवलोकन योग्य आंकड़ों या उपलब्ध सर्वोत्तम जानकारी पर आधारित होती हैं। अनुमानित उचित मूल्य वास्तविक मूल्यों से भिन्न हो सकते हैं जो रिपोर्टिंग तिथि पर सुरक्षित व सुविधाजनक लेन–देन में प्राप्त किए जा सकते हैं।

3.24.7 प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन भारतीय लेखा मानकों (इंड एएस) 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। संभावित नुकसान के संपर्क की संभावना के बारे में प्रबंधन द्वारा आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन को सर्वोत्तम निर्णय लागू किया जाता है।

3.23.8 खदान बंद करने और बहाली की बाध्यता

पर्यावरण दायित्व और परिसंपत्ति सेवानिवृत्ति दायित्व (एआरओ) : संभावना और भविष्य की लागत के बारे में मान्यताओं के अलावा, पर्यावरणीय देनदारियों और एआरओ के आकलन के लिए वैज्ञानिक और कानूनी डेटा की व्याख्या की आवश्यकता होती है।

3.24.9 मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्ति (मूर्त और अमूर्त) के उपयोगी जीवन

प्रबंधन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगिता के आधार पर प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य संपत्तियों के उपयोगी जीवन के अपने अनुमान की समीक्षा करता है। इन अनुमानों में अनिश्चितता वास्तविक सामान्य उपयोग अपक्षय से संबंधित हैं जो संयंत्र और उपकरणों की उपयोगिता को बदल सकती है।

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				नेट ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष के लिए	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च 2021 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
भूमि										
– पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि	359.37	-	(0.04)	359.41	0.81	-	-	0.81	358.60	358.56
– लीजहोल्ड भूमि	2.16	-	-	2.16	0.27	0.03	-	0.30	1.86	1.89
इमारतें और संबंधित उपकरण	5274.67	15.81	28.95	5261.53	2194.58	116.47	9.79	2301.26	2960.27	3080.09
संयंत्र और मशीनरी										
– स्टील संयंत्र	93616.63	7715.96	707.46	100625.13	36610.84	3492.55	534.73	39568.66	61056.47	57005.79
– अन्य – स्वामित्व	3381.77	140.18	51.84	3470.11	2256.23	126.44	49.58	2333.09	1137.02	1125.54
फर्नीचर व फिक्सचर	144.24	5.22	1.86	147.60	117.96	6.08	1.32	122.72	24.88	26.28
वाहन	1396.31	44.46	15.41	1425.36	1000.79	69.75	14.57	1055.97	369.39	395.52
कार्यालय उपकरण	62.76	1.48	1.53	62.71	53.66	1.76	1.38	54.04	8.67	9.10
विविध वस्तुएं	397.89	25.12	3.64	419.37	261.84	15.08	3.25	273.67	145.70	136.05
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	481.85	56.48	4.67	533.66	355.26	24.73	3.45	376.54	157.12	126.59
जल आपूर्ति और सीवरेज	722.05	43.64	1.08	764.61	428.80	36.24	1.06	463.98	300.63	293.25
ईडीपी उपकरण	448.90	6.72	3.11	452.51	396.14	12.34	2.21	406.27	46.24	52.76
रेलवे लाइन्स और सिडिंग्स	1033.32	18.31	2.96	1048.67	315.25	31.10	2.62	343.73	704.94	718.07
उप जोड़ 'क'	**107321.92**	**8073.38**	**822.47**	**114572.83**	**43992.43**	**3932.57**	**623.96**	**47301.04**	**67271.79**	**63329.49**
पिछले वर्ष के आंकड़े	105088.89	2676.90	443.87	107321.92	40559.06	3734.04	300.67	43992.43	63329.49	
ख. सोशल सुविधाएं										
भूमि										
– फ्रीहोल्ड भूमि	10.89	-	0.01	10.88	-	-	-	-	10.88	10.89
इमारतें और संबंधित उपकरण	833.66	313.47	2.77	1144.36	437.45	34.63	1.23	470.85	673.51	396.21
संयंत्र और मशीनरी – अन्य	199.41	1.83	0.89	200.35	125.26	7.26	0.80	131.72	68.63	74.15
फर्नीचर व फिक्सचर	27.26	1.67	0.42	28.51	22.64	0.99	(0.47)	24.10	4.41	4.62
वाहन	10.84	0.07	0.04	10.87	9.45	0.23	-	9.68	1.19	1.39
कार्यालय उपकरण	4.32	0.20	0.39	4.13	3.86	0.04	0.32	3.58	0.55	0.46
विविध वस्तुएं	244.31	31.25	3.45	272.11	168.60	11.87	3.04	177.43	94.68	75.71
सड़कें, पुल और कल्वरट्स	149.71	24.79	7.4	167.13	125.45	6.34	6.99	124.80	42.33	24.26
जल आपूर्ति और सीवरेज	308.26	2.32	0.09	310.49	153.47	7.04	0.08	160.43	150.06	154.79
ईडीपी उपकरण	11.68	0.92	0.41	12.19	9.69	0.68	0.30	10.07	2.12	1.99
उप जोड़ 'ख'	**1800.34**	**376.52**	**15.84**	**2161.02**	**1055.87**	**69.08**	**12.29**	**1112.66**	**1048.36**	**744.47**
पिछले वर्ष के आंकडे	1772.14	32.01	3.81	1800.34	984.16	74.45	2.74	1055.87	744.47	
ग. सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण										
सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियां	**59.52**	**57.76**	**54.51**	**62.77**	**-**	**-**	**-**	**-**	**62.77**	**59.52**
पिछले वर्ष के आंकड़े	66.66	29.31	36.45	59.52	-	-	-	-	59.52	
जोड़ ('क'+ 'ख'+ 'ग')	**109181.78**	**8507.66**	**892.82**	**116796.62**	**45048.30**	**4001.65**	**636.25**	**48413.70**	**68382.92**	**64133.48**
पिछले वर्ष के आंकडे	106927.69	2738.22	484.13	109181.78	41543.22	3808.49	303.41	45048.30	64133.48	

4: सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण (जारी)

नोटः पीपीई, अमूर्त संपत्ति और निवेश संपत्ति के मूल्यह्रास का आवंटन

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(क) लाभ और हानि खाते में चार्ज किया गया	**4275.02**	4102.78
(ख) निर्माण के दौरान व्यय का चार्ज किया गया	-	2.77
	4275.02	4105.55

(i) संविदात्मक दायित्व

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अधिग्रहण के लिए संविदात्मक प्रतिबद्धताओं के लिए नोट 48.1 देखे

(ii) भूमिः

(क) 6105.95 एकड़ (31 मार्च, 2021 को 6013.78 एकड़) विभिन्न एजेंसियों/कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों को पट्टे पर दिया गया।

(ख) अनधिकृत कब्जे के तहत 4148.80 एकड़ (31 मार्च, 2021 को 4542.94 एकड़) शामिल है।

(ग) 1770.89 एकड़ (31 मार्च, 2021 को 1770.89 एकड़) भूमि जो वास्तविक कब्जे में नहीं है, को कब्जे के रूप में दिखाया गया है।

(घ) वर्ष 2007 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बोकारो के पास पहले से अधिग्रहित भूमि (31 मार्च, 2021 को ₹53.45 करोड़ की रही) के संबंध में ₹55.03 करोड़ जमा है, जो भूमि खोने वालों को मुआवजे के लिए दिए गए हैं।

(ड़) भारत के राजपत्र में अधिग्रहण की अधिसूचना (असाधारण) जिसकी बीयरिंग नम्बर एस.ओ.1309 (ई) दिनांक 08.06.2012 और नम्बर एसओ.2484ई दिनांक 13.10.2012 के जरिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएचएआई) ने 34.471 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि का अधिग्रहण किया था। झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43, दिनांक 26 अगस्त, 2009 के माध्यम से अधिग्रहण के लिए भी अधिसूचित किया। उक्त भूमि के मूल्यांकन के संबंध में मामला विचाराधीन है।

(च) 525.43 एकड़ भूमि में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अधिभोग अधिकारों के तहत दी गई 500 एकड़ भूमि शामिल है, जो कंपनी द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार संपत्ति हस्तांतरण पर अनर्जित वेतन वृद्धि के भुगतान के लिए सहमत प्रतिबंधों के अधीन है।

(छ) झारखंड सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या 42 और 43, दिनांक 26 अगस्त, 2009 के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित 21.13 एकड़ भूमि में से 5.51 एकड़ फ्रीहोल्ड भूमि शामिल है, विवादाधीन हैं, जिसके लिए आरडीसीआईएस–सेल के पक्ष में कोई मुआवजा निर्धारित नहीं किया गया। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए खातों में ₹13.07 करोड़ की राशि की 15.62 एकड़ की शेष फ्रीहोल्ड भूमि के मुआवजे पर विचार किया गया है।

(ज) ₹0.06 करोड़ वर्ष 2013 के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेलम के पास भूमि खोने वालों को देय मुआवजे के रूप में जमा (पहले से अधिग्रहित भूमि के संबंध में) है।

(iii) अन्य संपत्तियांः

(क) 5950 (31 मार्च, 2021 को 7906), अनधिकृत कब्जे के तहत आवासीय क्वार्टर/मकान शामिल हैं।

4कः संपत्ति के उपयोग का अधिकार

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				नेट ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/समायोजन	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष के लिए	निपटान/समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च 2021 को
संपत्ति के उपयोग का अधिकार	3971.18	2016.13	2.21	5985.10	1916.97	235.01	0.98	2151.00	3834.10	2054.21
उप कुल	**3971.18**	**2016.13**	**2.21**	**5985.10**	**1916.97**	**235.01**	**0.98**	**2151.00**	**3834.10**	**2054.21**
पिछले वर्ष के आंकड़े	3853.33	117.86	0.01	3971.18	1648.25	268.72	-	1916.97	2054.21	

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
5: प्रगति पर पूंजी कार्य				
इस्पात संयंत्र और इकाइयां	**4160.07**		8801.10	
टाउनशिप	**64.56**		97.07	
अयस्क खान और खदान	**205.79**		247.68	
	4430.42		9145.85	
घटाएं : प्रावधान	**420.40**	**4010.02**	400.11	8745.74
निर्माण भंडार और स्पेयर	**10.88**		139.47	
घटायें: गतिशील वस्तुओं के लिए प्रावधान	**4.99**	**5.89**	5.19	134.28
लंबित निर्माण के दौरान व्यय आवंटन (नोट 5.1)		**0.81**		0.61
		4016.72		8880.63
5.1 निर्माण के दौरान व्यय लंबित आवंटन				
आरंभिक शेष राशि (क)		**0.61**		2.78
वर्ष के दौरान किया गया व्यय				
कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ				
वेतन एवं मजदूरी	**96.33**		78.01	
भविष्य निधि में कंपनी का योगदान	**4.10**		3.14	
यात्रा रियायत	**1.77**		1.39	
कल्याण व्यय	**0.02**		0.11	
ग्रेच्यूटी	**(0.08)**	**102.14**	1.14	83.79
अन्य व्यय				
तकनीकी सलाहकार की फीस और तकनीकें	**5.57**		1.19	
बिजली और ईंधन	**35.39**		31.29	
अन्य व्यय	**4.69**		6.06	
ब्याज और वित्त शुल्क	**193.53**		549.16	
मूल्यह्रास	**-**	**239.18**	2.77	590.47
		341.32		674.26
घटाएं: वसूली				
अर्जित ब्याज	**-**		0.01	
परिसमापन हर्जाना	**-**		0.08	
किराया प्रभार	**0.08**	**0.08**	0.25	0.34
वर्ष के दौरान शुद्ध व्यय (ख)		**341.24**		673.92
कुल (क)+(ख)		**341.85**		676.70
घटाएं: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण/प्रगति पर पूंजी कार्य के लिए आबंटित राशि		**341.04**		676.09
अग्रेसित राशि		**0.81**		0.61

6: निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष के लिए	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. भवन										
भवन	2.06	-	-	2.06	0.97	0.03	-	1.00	1.06	1.09
उप जोड़ 'क'	**2.06**	**-**	**-**	**2.06**	**0.97**	**0.03**	**-**	**1.00**	**1.06**	**1.09**
पिछले वर्ष के आंकड़े	2.06	-	-	2.06	0.94	0.03	-	0.97	1.09	

(i) संविदात्मक दायित्व

निवेश संपत्ति खरीदने, निर्माण या विकसित करने या इसकी मरम्मत, रख–रखाव या वृद्धि के लिए कोई संविदात्मक दायित्व नहीं है।

(ii) निवेश संपत्तियों के लिए लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
किराए से आय	**1.80**	2.27
किराए पर आय उत्पन्न करने वाले प्रत्यक्ष परिचालन व्यय*	**-**	-
प्रत्यक्ष परिचालन खर्च जो किराया उत्पन्न नहीं कर पाए*	**-**	-
मूल्यह्रास से पहले निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.80**	2.27
मूल्यह्रास	**0.03**	0.03
निवेश संपत्तियों के पट्टे से लाभ	**1.77**	2.24

*निवेश संपत्तियों के संबंध में प्रत्यक्ष खर्च अलग–अलग पहचाने नहीं जा सकते हैं और उन्हें महत्वहीन होने की उम्मीद है।

(iii) लीजिंग व्यवस्था

कुछ निवेश संपत्ति किरायेदारों को लंबी अवधि के परिचालन पट्टे के तहत किराए पर दी जाती है, जो मासिक रूप से देय किराये के साथ ली जाती हैं। निवेश संपत्ति के गैर–रद्द करने योग्य पट्टे के तहत न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्त करने योग्य मामले:

एक वर्ष के अन्दर	**0.29**	0.32
एक वर्ष बाद में लेकिन 5 वर्षो बाद नहीं	**1.91**	2.52
5 वर्षो से बाद	**-**	1.35
	2.20	4.19

(iv) उचित मूल्य

31 मार्च, 2022 तक निवेश संपत्तियों का उचित मूल्य ₹ 27.66 करोड़ (31 मार्च, 2021 को ₹ 26.71 करोड़) है।

(iv) उचित मूल्य का अनुमान

उचित मूल्य का सबसे अच्छा सबूत सक्रिय बाजार में इसी तरह की संपत्तियों की मौजूदा कीमत है। जहां ऐसी जानकारी उपलब्ध नहीं है, कंपनी विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित करती है जिसमें निम्न शामिल हैं:

क) अलग–अलग तरह की संपत्तियों की एक सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें या कम सक्रिय बाजारों में ऐसी संपत्तियों की हाल की कीमतें, जो उस अन्तर को समायोजित करता है।

ख) भावी नकदी प्रवाह के विश्वसनीय अनुमानों के आधार पर रियायती नकद प्रवाह अनुमान।

ग) राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई संपत्ति की सर्किल दर।

7: अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				संचित मूल्यह्रास/अमूर्तीकरण				निवल ब्लॉक	
	31 मार्च 2021 को	परिवर्धन/ समायोजन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 तक	वर्ष के लिए	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
क. संयंत्र, खान और अन्य										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	120.57	2.80	0.64	122.73	107.70	4.86	0.91	111.65	11.08	12.87
खनन अधिकार	1847.79	65.27	(0.02)	1913.08	431.35	33.46	0.01	464.80	1448.28	1416.44
उप–जोड़ 'क'	**1968.36**	**68.07**	**0.62**	**2035.81**	**539.05**	**38.32**	**0.92**	**576.45**	**1459.36**	**1429.31**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1954.05	14.32	0.01	1968.36	510.52	28.42	(0.11)	539.05	1429.31	
ख. सामाजिक सुविधाएं										
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर*	0.69	-	0.20	0.49	0.62	0.01	0.19	0.44	0.05	0.07
उप–जोड़ 'ख'	**0.69**	**-**	**0.20**	**0.49**	**0.62**	**0.01**	**0.19**	**0.44**	**0.05**	**0.07**
पिछले वर्ष के आंकड़े	0.69	-	-	0.69	0.61	0.01	-	0.62	0.07	
जोड़ ('क'+ 'ख')	**1969.05**	**68.07**	**0.82**	**2036.30**	**539.67**	**38.33**	**1.11**	**576.89**	**1459.41**	**1429.38**
पिछले वर्ष के आंकड़े	1954.74	14.32	0.01	1969.05	511.13	28.43	(0.11)	539.67	1429.38	

* कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में पूंजीकृत विकास लागत शामिल होती है जो आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्ति होती है।

**सभी परिशोधन परिवर्तन मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च में शामिल हैं।

7 क : सामग्रियां – गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
स्टोर और स्पेयर	-			-
कच्चा माल				
स्लाइम	**141.25**		140.45	
अन्य	**-**	**141.25**	-	140.45
अन्य – बाई–प्रोडक्ट				
लौह अयस्क फाइन्स (उप–ग्रेड)	**3976.62**		3785.39	
तैयार / अर्ध–तैयार उत्पाद				
धातुमल कचरा (एम्बेडेड स्क्रैप)	**441.29**	**4417.91**	310.42	4095.81
		4559.16		4236.26

8: निवेश – गैर चालू

(₹ करोड़ में)

	शेयरों की संख्या		कीमत	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया गया निवेश				
गैर–उद्धृत इक्विटी				
टीआरएल क्रोजाकी रेफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	**2203150**	2203150	**61.76**	51.35
इंडियन पोटाश लिमिटेड	**720000**	720000	**102.44**	88.26
हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	**5000000**	5000000	**5.28**	5.00
सीमेंट और संबद्ध उत्पाद (बिहार) लिमिटेड	**2**	2	**-**	-
रासायनिक और उर्वरक निगम (बिहार) लिमिटेड	**1**	1	**-**	-
भिलाई बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	**5**	5	**-**	-
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड (परिसमापन के तहत)#	**3000000**	3000000	**3.00**	3.00
यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड*	**180000**	180000	**0.18**	0.18
बिहार राज्य वित्त निगम (अंकित मूल्य ₹ 100 / शेयर)	**500**	500	**0.01**	0.01
कुल (ए)			**172.67**	**147.80**
सहकारी समिति में				
बोकारो स्टील कर्मचारी सहकारी ऋण समिति	**116500**	116500	**0.12**	0.12
बोकारो स्टील सिटी सेंट्रल कंज्यूमर को–ऑपरेटिव सोसाइटी	**250**	250	**0.00**	0.00
एनएमडीसी मेघाहातुबुरु कर्मचारी सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 100 / शेयर)	**25**	25	**0.00**	0.00
डीएसपी कर्मचारी सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 100 / शेयर)	**1377**	1377	**0.01**	0.01
बोलानी अयस्क कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति लिमिटेड (अंकित मूल्य ₹ 25 / शेयर)	**200**	200	**-**	0.00
ईस्को कर्मचारी प्राथमिक सहकारी समिति (अंकित मूल्य ₹ 20 / शेयर)	**23000**	23000	**0.05**	0.05
कुल (बी)			**0.18**	0.18
कुल (ए+बी)			**172.85**	147.98
निवेश के मूल्य में हानि के लिए भत्ता			**3.28**	3.28
शुद्ध निवेश			**169.57**	144.70
उद्धृत निवेश की कुल राशि			**-**	-
(उसका बाजार मूल्य)				
गैर–उद्धृत निवेश की कुल राशि			**172.85**	147.98
निवेश के मूल्य में हानि के लिए सकल राशि			**3.28**	3.28
			169.57	144.70

सभी इक्विटी शेयरों का अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक है, जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

*संस्था परिसमापन के अधीन है, इसलिए, शेयरधारकों के बीच संयुक्त समझौते के बावजूद संयुक्त उद्यम के रूप में नहीं माना जाता है।

#इकाई परिसमापन के अधीन है इसलिए मूल कंपनी के नियंत्रण में नहीं है।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
9: व्यापार प्राप्य – गैर चालू*		
अच्छा माना जाता है – असुरक्षित	-	0.90
प्राप्य – प्रभावित क्रेडिट	**14.58**	14.59
	14.58	15.49
संदिग्ध प्राप्तियों के लिए भत्ता	**14.58**	14.59
	-	0.90

*कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)

10: ऋण – गैर चालू*

विचाराधीन माल – असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**46.40**		58.98	
अन्य को ऋण	**516.41**	**562.81**	580.74	639.72
		562.81		639.72
घटाः संदिग्ध ऋणें के लिए भत्ता		**3.20**		3.20
		559.61		636.52

* मूल कम्पनी के निदेशकों से प्राप्त प्राप्तियाँ शुन्य है (पिछले वर्ष शून्य)
इन वित्तीय लिखतों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है।

11: अन्य वित्तीय संपत्तियां – गैर चालू

डेरिवेटिव संपत्तियां		-		190.80
सिक्योरिटी डिपॉज़िट		**122.75**		120.47
दावे वसूले गए		**8.32**		35.90
प्राप्तियां – अन्य		**52.27**		52.70
लीज इक्वलाइजेशन रिजर्व		**1.46**		0.95
कर्मचारियों से प्राप्तियां		**1.05**		0.07
प्राप्य बिल		**58.30**		58.30
संबंधित पार्टियों के लिए ऋण और अग्रिम	**10.53**		10.53	
घटाः संदिग्ध संबंधित पार्टी अग्रिम के लिए प्रावधान	**10.53**	**-**	10.53	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता अवधि के सावधि जमा		**0.24**		5.74
		244.39		464.93
घटाः संदिग्ध संपत्ति के लिए प्रावधान		**8.21**		8.21
		236.18		456.72

इन वित्तीय लिखतों से संबंधित वित्तीय जोखिमों और उचित मूल्य माप के जोखिम का वर्णन नोट 43 में किया गया है

12: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)

आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	**7473.57**		6879.52	
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	**37.29**	**7510.86**	31.62	6911.14
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	**1238.04**		874.75	
भुगतान न किए गए कर और शुल्क के भुगतान की अनुमति	**133.24**		4378.06	
संचित व्यावसायिक हानियाँ और अनवशोषित मूल्यह्रास	**781.16**	**2152.44**	324.25	5577.06
आस्थगित कर देनदारियां (निवल)		**5358.42**		1334.08

12: आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध) जारी...

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर हानियों से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर देनदारियां (निवल)	1 अप्रैल, 2021 को	लाभ या हानि में मान्य	अन्य व्यापक आय में मान्य	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर देनदारियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	6879.52	594.05	-	7473.57
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	31.62	-	5.67	37.29
	6911.14	**594.05**	**5.67**	**7510.86**
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल मदों का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	874.75	363.29	-	1238.04
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	4378.06	(4244.82)	-	133.24
संचित व्यावसायिक हानियाँ और अनवशोषित मूल्यह्रास	324.25	428.47	28.44	781.16
	5577.06	**(3453.06)**	**28.44**	**2152.44**
आस्थगित कर देनदारियां (शुद्ध)	**1334.08**	**4047.11**	**(22.77)**	**5358.42**

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अस्थायी अंतर और अप्रयुक्त कर हानियों से उत्पन्न होने वाले आस्थगित करों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(₹ करोड़ में)

आस्थगित कर (संपत्ति) / देनदारियां (शुद्ध)	1 अप्रैल, 2020 तक	लाभ या हानि में पहचाने गए	अन्य व्यापक आय में पहचाने गए	31 मार्च, 2021 तक
आस्थगित कर देनदारियों को बनाने वाली वस्तुओं का कर प्रभाव				
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	11486.29	(4606.77)	-	6879.52
ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य समायोजन	27.83	-	3.79	31.62
	11514.12	(4606.77)	3.79	6911.14
आस्थगित कर संपत्तियों में शामिल सम्पत्ति का कर प्रभाव				
भुगतान के आधार पर कटौती योग्य राशि	1321.40	(446.65)	-	874.75
भावी कर योग्य आय के खिलाफ ऑफसेटिंग के लिए उपलब्ध हानि	10160.54	(5782.48)	-	4378.06
टैक्स क्रेडिट (न्यूनतम वैकल्पिक कर)	1266.57	(1266.57)	-	0.00
संचित व्यापार घाटा और अनवशोषित मूल्यह्रास	787.78	(374.07)	(89.46)	324.25
	13536.29	**(7869.77)**	**(89.46)**	**5577.06**
आस्थगित कर (संपत्ति)/देनदारियां (शुद्ध)	**(2022.17)**	**3263.00**	**93.25**	**1334.08**

कंपनी को 31 मार्च, 2022 को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार ₹ 529.41 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 17395.33 करोड़) का संचित घाटा हो रहा है; जिसमें ₹ 529.41 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹13834.78 करोड़) का संचित अनवशोषित मूल्यह्रास शामिल है।

13: वर्तमान कर संपत्ति (शुद्ध)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
वर्तमान कर संपत्तियां				
अग्रिम आयकर (भत्तों का शुद्ध)		**296.34**		217.56
		296.34		217.56

14: अन्य परिसंपत्तियां – गैर चालू

ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम राशि		**724.49**		533.98
दूसरों को अग्रिम राशि		**-**		1.18
सरकारी अधिकारियों के पास जमा पूंजी		**3438.02**		726.23
प्रीपेड खर्चे		**27.04**		13.04
अग्रिम राशि पूंजी	**74.97**		391.49	
घटा: संदिग्ध पूंजी अग्रिमों के लिए भत्ता	**5.34**	**69.63**	5.34	386.15
		4259.18		1660.58
घटा: संदिग्ध अन्य संपत्तियों के लिए भत्ता		**139.21**		87.93
		4119.97		1572.65

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
15: इनवेंटरीज़*				
स्टोर और स्पेयर्स				
उत्पादन	**3134.78**		2892.25	
ईंधन भंडार	**152.33**		212.72	
अन्य	**34.15**		27.75	
	3321.26		3132.72	
जोड़े: इन–ट्रांजिट	**272.69**		241.49	
	3593.95		3374.21	
घटा: अचल / अप्रचलित वस्तुओं के लिए प्रावधान	**258.40**	**3335.55**	246.45	3127.76
कच्चा माल				
कच्चा माल**	**3565.42**		3168.19	
जोड़े: इन–ट्रांजिट	**5591.96**		1891.93	
	9157.38		5060.12	
घटा: अनुपयोगी सामग्री के लिए प्रावधान	**13.77**	**9143.61**	24.68	5035.44
तैयार/अर्द्ध तैयार उत्पाद				
तैयार माल***	**4453.56**		4213.11	
प्रगति पर कार्य	**2401.51**	**6855.07**	2405.96	6619.07
अन्य – बाई–प्रोडक्ट (सब–ग्रेड जुर्माना)		**273.34**		551.90
		19607.57		15334.17

*लेखांकन नीति संख्या 3.8 के अनुसार मान्य

**इसमें ₹ 26.40 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 103.71 करोड़) के स्लाइम् की सूची शामिल है।

*** इसमें ₹ 27.29 करोड़ (पिछले वर्ष – ₹ 128.21 करोड़) के स्लैग डंप में एम्बेडेड आयरन और स्टील स्क्रैप की सूची शामिल है।

16: व्यापार प्राप्य – वर्तमान*

अच्छा माना गया – असुरक्षित		**4770.85**		8168.54
प्राप्य – प्रभावित क्रेडिट		**260.93**		236.88
		5031.78		8405.42
संदिग्ध प्राप्यों के लिए भत्ता		**260.93**		236.88
		4770.85		8168.54

* कंपनी के निदेशकों और अधिकारियों से प्राप्य राशि शून्य है (पिछले वर्ष शून्य)
नोट 43 और 48.4 देखें – अपेक्षित क्रेडिट हानियों के आकलन के लिए वित्तीय साधन।

17 (i): नगद और नगद समकक्ष

हाथ में नगदी और स्टैम्प		**0.11**		0.08
हाथ में चेक		**2.91**		5.48
बैंकों में शेष राशि				
चालू खाते	**79.82**		35.73	
3 महीने तक की मूल परिपक्वता की अवधि की सावधि जमा	**48.68**		476.97	
कोर्ट के आदेशानुसार 3 महीने तक की परिपक्वता अवधि की सावधि जमा	**0.02**	**128.52**	0.02	512.72
		131.54		518.28

17 (ii): ऊपर दिए गए 17 (i) के अलावा बैंक में शेष

निर्धारित बैंक शेष राशि		**219.79**		207.84
अवैतनिक लाभांश खाते		**6.83**		4.11
लाभांश खाता		**361.45**		-
3 महीने से अधिक लेकिन 12 महीने से कम परिपक्वता अवधि की सावधि जमा		**66.45**		66.12
		654.52		278.07

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
18: ऋण – वर्तमान*				
अच्छा माना गया – असुरक्षित				
कर्मचारियों को ऋण	**43.79**		33.11	
संबंधित पार्टियों को ऋण	**-**		2.80	
अन्य को ऋण	**1.16**	**44.95**	2.31	38.22
		44.95		38.22
घटाः संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान		**1.85**		1.80
		43.10		36.42

* मुख्य कंपनी के निदेशकों से प्राप्य राशि शामिल शून्य है (पिछले वर्ष–शून्य)

19: अन्य वित्तीय संपत्ति – वर्तमान				
डेरिवेटिव संपत्तियां		**-**		63.60
प्रतिभूति जमा		**12.70**		14.05
दावे वसूली योग्य		**750.38**		746.61
प्राप्य– अन्य		**452.72**		472.15
कर्मचारियों से प्राप्तिया		**21.52**		5.03
ग्रेच्युटी ट्रस्ट से वसूली योग्य राशि		**413.04**		454.73
संबंधित पार्टियों के लिए अग्रिम	**44.66**		44.20	
घटाः संबंधित संदिग्ध पार्टियों के लिए अग्रिम प्रावधान	**1.65**	**43.01**	1.39	42.81
		1693.37		1798.98
घटा संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**352.44**		321.45
		1340.93		1477.53

20: अन्य संपत्ति – वर्तमान				
सोने के सिक्के		**0.14**		0.19
ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं के लिए अग्रिम	**551.85**		423.92	
अन्य को अग्रिम	**1169.67**	**1721.52**	892.84	1316.76
सरकारी प्राधिकरण के पास जमा		**125.75**		3022.35
जमा – जीएसटी		**10.71**		1.34
जीएसटी प्राप्य–इनपुट सेवा .		**36.45**		2.48
जीएसटी प्राप्य		**298.54**		304.96
जीएसटी पर ग्राहकों द्वारा काटे गए टीडीएस		**0.09**		0.01
प्रीपेड खर्च		**36.88**		68.34
दावे प्राप्य		**150.03**		142.98
निर्यात प्रोत्साहन प्राप्य		**67.70**		124.12
		2447.81		4983.53
घटाः अन्य संदिग्ध संपत्तियों के लिए प्रावधान		**123.59**		56.57
		2324.22		4926.96

21: बिक्री के लिए रखी गई संपत्तियों के रूप में वर्गीकृत				
बिक्री के लिए रखी गई वर्गीकृत संपत्ति		**14.00**		17.01
		14.00		17.01

(i) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वस्तुओं की बिक्री के लिए निविदा जारी करने पर, यह माना जाता है कि ऐसी संपत्ति अगले 12 महीनों के भीतर बेची जाएगी और ऐसी संपत्तियों को 'बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में वर्गीकृत संपत्ति' के रूप में माना जाता है।

(ii) रिपोर्टिंग अवधि के दौरान बिक्री के लिए रखी गई संयंत्र और मशीनरी को इसकी मूल लागत और उचित मूल्य से पुनः वर्गीकरण के समय बिक्री लागत घटाकर दोनों में से कम में मापा गया था। उचित मूल्य माप प्रकटीकरण में निर्धारित उचित मूल्य पदानुक्रम के अनुसार यह एक स्तर तीन का माप है। इस दृष्टिकोण के तहत बाजार में धातु की कीमत मुख्य इनपुट है।

22: इक्विटी शेयर कैपिटल

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अधिकृत पूंजी		
₹ 10 प्रत्येक के इक्विटी शेयर		
(₹ 10 प्रत्येक के 5,00,00,00,000 इक्विटी शेयर)	**5000.00**	5000.00
जारी, सब्स्क्राइब्ड और पूरी तरह चुकाई गई पूंजी		
(4,13,05,25,289 इक्विटी शेयर ₹ 10 प्रत्येक पूरी तरह चुकाए गए)	**4130.53**	4130.53

वर्ष के शुरुआत में और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का मिलान

विवरण	31 मार्च, 2022 तक		31 मार्च, 2021 तक	
	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
मतदान अधिकारों के साथ इक्विटी शेयर				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	4130414299	4130.42	4130414299	4130.42
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के दौरान वापस खरीदे गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष#	**4130414299**	**4130.42**	**4130414299**	**4130.42**
मतदान अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर*				
वर्ष के प्रारंभ में शेष	110990	0.11	110990	0.11
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	-	-	-	-
वर्ष के दौरान शेयरों का मतदान अधिकारों के साथ शेयरों में परिवर्तन	-	-	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**110990**	**0.11**	**110990**	**0.11**
वर्ष के अंत में बकाया कुल इक्विटी शेयर	**4130525289**	**4130.53**	**4130525289**	**4130.53**

i). *1996 में जारी किए गए ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद (जीडीआर) में 110990 शेयरों की वर्तमान होल्डिंग द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जिसमें 125 मिलियन यूएस डॉलर की कुल राशि के लिए प्रत्येक यूएस डॉलर 29.55 का उपयोग किया गया।

ii). #3117487 शेयर सहित (पिछले वर्ष 2824877 शेयर) आईईपीएफ प्राधिकरण को हस्तांतरित किए गए, जिस पर मतदान के अधिकार फ्रॉजेन हुए हैं।

iii). कंपनी के परिसमापन की स्थिति में पूंजी के पुनर्भुगतान के संबंध में सभी शेयर समान रूप से रैंक करते हैं।

(iv) कंपनी में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले अंशधारकों का विवरण:

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिधारण का %	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिधारण का %
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00
भारतीय जीवन बीमा निगम	**236800137**	**5.73**	382302962	9.26

(v) वर्ष के अंत में प्रमोटरों द्वारा धारित शेयरों का ब्योरा।

प्रमोटरों का नाम	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को		वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिधारण का %	धारित शेयरों की संख्या	प्रतिधारण का %	
भारत के राष्ट्रपति	**2684714550**	**65.00**	2684714550	65.00	-

(vi) मुख्य कंपनी ने पिछले 5 वर्षों के दौरान न तो बोनस शेयर जारी किए हैं और न ही कोई शेयर वापस खरीदा है।

23: अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
रिजर्व और अधिशेष				
रिजर्व पूंजी				
प्रारंभिक शेष	**511.67**		511.67	
वर्ष के दौरान जमा	**-**		-	
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**511.67**	-	511.67
सिक्योरिटीज प्रीमियम				
प्रारंभिक शेष	**235.10**		235.10	
वर्ष के दौरान परिवर्तन	**-**	**235.10**	-	235.10
बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**1084.15**		1375.02	
प्रतिधारित आय से स्थानांतरण	**-**		-	
प्रतिधारित आय में स्थानांतरित	**553.18**	**530.97**	290.87	1084.15
सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष	**5108.93**		5107.74	
वर्ष के दौरान जमा	**1.97**		1.19	
घटाः वर्ष के दौरान उपयोग	**-**	**5110.90**	-	5108.93
प्रतिधारित आय				
प्रारंभिक शेष	**34081.59**		29790.32	
जोड़ेः वर्ष के लिए शुद्ध लाभ	**12243.47**		4148.13	
जोड़ेंः अन्य व्यापक आय/(हानि)	**(83.34)**		266.50	
परिभाषित लाभ योजनाओं के लाभ/(हानि) की माप				
जोड़ेः बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व से स्थानांतरण	**553.18**		290.87	
घटाः अंतिम लाभांश	**743.49**		-	
घटाः अंतरिम लाभांश का भुगतान	**2684.84**		413.05	
घटाः गैर–नियंत्रित ब्याज के साथ लेन–देन	**-**		(0.01)	
घटाः सामान्य रिजर्व में स्थानांतरण	**1.97**	**43364.60**	1.19	34081.59
अन्य व्यापक आय				
अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखत				
प्रारंभिक शेष	**81.66**		68.78	
एफवीओसीआई इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**24.87**		16.67	
आस्थगित कर	**(5.67)**	**100.86**	(3.79)	81.66
इक्विटी खाते में निवेश करने वालों का अन्य व्यापक आय में हिस्सा				
प्रारंभिक शेष	**172.59**		291.07	
एफवीओसीआई इक्विटी प्रपत्रों के उचित मूल्य में परिवर्तन	**54.46**	**227.05**	(118.48)	172.59
कुल अन्य इक्विटी		**50081.15**		41275.69

अन्य रिज़र्व के प्रकार और उद्देश्य

रिजर्व पूंजी

रिजर्व पूंजी पूंजीगत लाभ से बनाया गया है, इसे कुछ विषिश्ट पूंजीगत लेनदेन से अर्जित लाभ द्वारा बनाया गया है। आरक्षित पूंजी शेयरधारकों को वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व

सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व शेयर जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम का प्रतिनिधित्व करता है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ में से बॉन्ड रिडेम्प्शन रिजर्व बनाया जाना है। इस रिजर्व को बांड के रिडेम्प्शन तक बनाए रखा जाता है।

अन्य विस्तृत आय (ओसीआई) रिजर्व

कंपनी ने अन्य विस्तृत आय में कुछ निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को पहचानने के लिए इक्विटी प्रतिभूतियों को चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर एफवीओसीआई इक्विटी निवेश रिजर्व में जमा किए जाते हैं। प्रासंगिक इक्विटी प्रतिभूतियों की मान्यता समाप्त होने पर कंपनी इस रिजर्व से प्रतिधारित आय में राशि स्थानांतरित करती है।

24: उधार – गैर चालू

(₹ करोड़ में)

				31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
सुरक्षित					
रिडीम योग्य गैर परिवर्तनीय बांड					
ब्याज दर	**परिपक्वता तिथि**	**कॉल/पुट विकल्प (वार्षिक)**	**प्रतिभूति संदर्भ**		
9.35%	9–सितंबर–2026	12/शून्य	(क)	**455.00**	455.00
8.80%	26–अक्टूबर–2025		(क, ख)	**42.00**	56.00
9.00%	14–अक्टूबर–2024		(क)	**1000.00**	1000.00
8.75%	15–सितंबर–2024		(क, ग)	**50.00**	50.00
8.70%	25–अगस्त–2024		(क)	**-**	300.00
8.30%	3–अगस्त–2023		(क)	**800.00**	800.00
8.30%	1–अगस्त–2023		(क)	**1200.00**	1200.00
8.35%	19–नवंबर–2022		(क)	**-**	1185.00
9.30%	25–मई–2022		(क, ज)	**-**	72.00
कुल बांड				**3547.00**	5118.00
बैंकों से सावधि ऋण					
भारतीय मुद्रा (रुपया) ऋण			(छ)	**4100.00**	10364.50
विदेशी मुद्रा ऋण			(छ)	**-**	1902.92
				7647.00	17385.42
असुरक्षित					
विदेशी मुद्रा ऋण					
1 केएफडब्ल्यू, जर्मनी			(घ)	**278.18**	308.04
2 नटेक्सिस बैंक			(ड़)	**6.47**	8.95
इस्पात विकास निधि			(च)	**204.16**	204.16
				488.81	521.15
कुल गैर वर्तमान ऋण				**8135.81**	17906.57

निदेशकों और अन्य द्वारा कोई ऋण गारंटी नहीं दी गई है।
उधार और उस पर देय ब्याज के पुनर्भुगतान में बैलेंस शीट की तिथि को कोई अप्राप्ति नहीं है।
सभी बॉन्ड परिपक्वता तिथि पर चुकाए जाने तक देय होते हैं जब तक कि अन्यथा न कहा गया हो।

संबंधित सुविधाओं के संबंध में बॉन्ड सुरक्षित हैं:

क) मौजे–वेदज सिटी तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात में सभी वर्तमान और भविष्य की अचल संपत्ति और कंपनी के संयंत्र और मशीनरी तथा भूमि शामिल है जिसमें यह स्थापित है, इस्को इस्पात संयंत्र (आईएसपी) से संबंधित है, पारी–पासू इंटर–से पारस्परिक शुल्क रैंकिंग द्वारा सुरक्षित है।

ख) ₹ 14 करोड़ की 12 समान वार्षिक किस्तों में प्रतिदेय प्रत्येक शुरुआती 26 अक्टूबर, 2014 से लागू है। 26 अक्टूबर, 2022 को देय किस्त अन्य मौजूदा देयताओं में दर्शाई गई है।

ग) 15 सितंबर 2024 प्रतिदेय।

घ) ऋण 8.75% की कम वार्षिक ब्याज दर पर 1 (ए), 1 (बी) और 1 (सी) के रूप में वर्णित 3 हिस्सों में लिया गया था। 1 (ए) पर ब्याज 0.75% वार्षिक है और शेष 8% विनियम उतार–चढ़ाव (4%) और प्रदूषण नियंत्रण योजनाओं (4%) को पूरा करने की दिशा में है। 1 (बी) के मामले में ब्याज 0.75% वार्षिक और शेष 8.0% परिधीय विकास की ओर है। किश्त 1 (सी) पूरी तरह से भुगतान किया गया है। मूलधन और ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर चुकाने है। ऋण भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत है।

ड.) ऋण 2030 तक चुकाने योग्य है। भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत मूलधन और ब्याज का भुगतान छमाही में किया जाता है।

च) पुनर्भुगतान की शर्तें एसडीएफ प्रबंधन समिति द्वारा तय की जानी हैं।

छ) ऋण की सीमा तक आरएसपी के वर्तमान और भविष्य के चल संयंत्र और मशीनरी पर पारी–पासु की रैंकिंग के आरोपों से सुरक्षित।

ज) 25 मई, 2018 से प्रभावी 5 बराबर वार्षिक किश्तों में प्रतिदेय। किस्त 25 मई, 2022 को देय है, वर्तमान देनदारियों में दिखाया गया है।

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
25: व्यापार देय – गैर वर्तमान		
सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यम को देय (नोट 48.3 देखें)	-	-
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**3.34**	4.10
	3.34	4.10
26: अन्य वित्तीय देयताएँ – गैर वर्तमान		
कर्मचारी संबंधित देय	**711.12**	531.53
ब्याज अर्जित लेकिन उधार पर देय नहीं	**449.80**	573.20
अन्य देनदारियां	**263.87**	199.35
	1424.79	1304.08
27: प्रावधान – गैर वर्तमान		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	**0.56**	3.51
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	**3383.84**	2945.11
पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**1381.38**	1041.46
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**19.41**	15.07
खानों के बंद होने के लिए प्रावधान	**131.61**	99.28
अन्य प्रावधान	**426.09**	429.32
	5342.89	4533.75
28: अन्य देयताएँ – गैर वर्तमान		
आस्थगित आय*	**426.73**	439.97
अन्य देय	**2256.09**	-
	2682.82	439.97

***आस्थगित आय:**

(क) इसमें भिलाई इस्पात संयंत्र को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान किए गए पुरस्कार शामिल है और निधि से कमाई का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

(ख) इस्पात सामान्य अस्पताल, राउरकेला को सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में उन्नयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹ 294.82 करोड़ की अनुदान राशि में से ₹ 3.52 करोड़ के बराबर राशि को 'अन्य आय' मद के तहत मान्यता दी गई है। कंपनी ने इंड एएस 20 के अनुसार ऐसे अनुदानों के लिए सभी शर्तों का अनुपालन किया है।

29: उधार – वर्तमान

सुरक्षित		
मांग पर प्रतिदेय		
बैंकों से*	**3302.98**	3504.00
अन्य ऋण और अग्रिम		
दीर्घकालिक ऋणों की वर्तमान परिपक्वता	**1296.86**	1851.22
असुरक्षित		
बैंकों से	**650.00**	7250.00
वाणिज्यिक पत्र	-	5096.24
	5249.84	17701.46

* **31 मार्च, 2022 को बकाया अल्पकालिक उधार के लिए सुरक्षा प्रकटीकरण:: संबंधित सुविधाओं के संबंध में बैंकों से उधार सुरक्षित हैं:**

(i) सभी मौजूदा संपत्तियों का हाइपोथेकेशन है।

30: व्यापार देय – वर्तमान

सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों को देय (नोट 48.3 देखें)	**140.65**	103.57
संबंधित पार्टियों को देय राशि	**201.10**	202.71
ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/अन्य को देय राशि	**16580.08**	7736.37
	16921.83	8042.65

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
31: अन्य वित्तीय देनदारियां – वर्तमान		
कर्मचारी संबंधी बकाया	**262.46**	228.14
उधार पर ब्याज अर्जित परंतु देय नहीं	**251.12**	479.93
अर्जित ब्याज और इस्पात विकास निधि ऋण पर देय	**280.00**	152.00
अन्य देनदारियां – देनदार बैंकिंग व्यवस्था	**351.34**	462.77
अनधिकृत परिपक्व जमा और उस पर अर्जित ब्याज	**1.01**	1.01
सुरक्षा जमा	**1700.13**	1637.14
अप्रदत्त लाभांश	**368.29**	4.11
पूंजीगत कार्यों के लिए देय	**2169.49**	2630.09
अन्य देनदारियां*	**6246.11**	5300.54
	11629.95	10895.73

*अन्य देय राशियों में पूर्व कर्मचारियों के संबंध में देय राशि, रॉयल्टी और प्रदर्शन संबंधी वेतन आदि शामिल हैं।

32: अन्य देयताएं – वर्तमान		
ग्राहकों से अग्रिम प्राप्त आय	**1844.34**	1836.80
अन्यों से अग्रिम प्राप्त आय	**97.46**	135.33
विलंबित आय*	**17.35**	12.93
देय जीएसटी	**1200.06**	1168.11
जीएसटी पर ब्याज के लिए देयता	**2.58**	0.76
जीएसटी पर आपूर्तिकर्ताओं से टीडीएस काटा गया	**40.94**	22.48
अन्य देनदारियां	**874.16**	2951.51
	4076.89	6127.92

*भिलाई स्टील प्लांट को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भारत में सर्वश्रेष्ठ एकीकृत इस्पात संयंत्र के रूप में प्रदान की गई पुरस्कार की आय और निधि से आय का उपयोग भिलाई में कर्मचारियों के कल्याण के लिए किया जाता है।

33: प्रावधान – वर्तमान		
ग्रेच्युटी के लिए प्रावधान	**-**	-
अर्जित छुट्टी देयता के लिए प्रावधान	**143.45**	262.59
सेवानिवृत्ति पश्चात् चिकित्सा और निपटान लाभ के लिए प्रावधान	**221.76**	116.15
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार के लिए प्रावधान	**1.73**	2.50
प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रावधान	**42.02**	37.12
विदेशी मुद्रा में उतार चढ़ाव के लिए प्रावधान	**35.91**	24.57
मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान	**-**	1183.90
खनन वनीकरण/बहाली आदि के लिए प्रावधान	**176.43**	101.60
अन्य प्रावधान	**550.37**	312.97
	1171.67	2041.40

34: वर्तमान कर देयता (नेट)

प्रारंभिक शेष	**12.06**		179.50	
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्रावधान	**7.25**		11.55	
घटाएं: वर्ष के दौरान भुगतान/हस्तांतरित राशि	**12.79**		-	
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रावधान वापस लिखा गया	**5.86**	**0.66**	178.99	12.06
		0.66		12.06

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
35: संचालन से राजस्व		
उत्पादों की बिक्री		
घरेलू	**95703.71**	62215.27
निर्यात	**6988.42**	6109.57
निर्यात प्रोत्साहन	**116.41**	131.02
उप जोड़ (क)	**102808.54**	68455.86
सेवाओं की बिक्री		
सेवा प्रभार	**24.38**	20.57
उप जोड़ (ख)	**24.38**	20.57
अन्य प्रचालन राजस्व		
सामाजिक सुविधाएं–वसूली	**318.13**	308.33
खाली/कबाड़ की बिक्री आदि	**106.79**	79.74
विविध	**219.00**	249.11
उप जोड़ (ग)	**643.92**	637.18
जोड़ (क + ख+ ग)	**103476.84**	69113.61

राजस्व का पृथक्करण

माल और सेवाओं का स्वरुप

कंपनी लौह और इस्पात उत्पादों के निर्माण में लगी हुई है और लौह और इस्पात उत्पादों की बिक्री से राजस्व उत्पन्न करती है और केवल कंपनी उसी खंड का रिपोर्ट है।

(1) प्राथमिक भौगोलिक बाजार		
भारत के अन्दर	**95703.71**	62215.27
भारत के बाहर	**7104.83**	6240.59
कुल	**102808.54**	68455.86
(2) मुख्य उत्पाद		
लोह एवं इस्पात	**98004.53**	65211.87
अन्य द्वितीयक एवं उप–उत्पाद	**4804.01**	3243.99
कुल	**102808.54**	68455.86

अनुबंध शेष

निम्न तालिका ग्राहकों से प्राप्तियों के अनुबंधों से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और अनुबंध देनदारियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है जो 'व्यापार प्राप्य' में शामिल हैं।

व्यापार प्राप्य	**4770.85**	8169.44
अनुबंधित संपत्ति	**-**	-
अनुबंध देयताएं	**1844.34**	1836.80

36: अन्य आय		
ब्याज से आय		
अन्य कंपनियों को ऋण और अग्रिम	**-**	0.55
ग्राहक	**169.89**	141.45
कर्मचारी	**6.36**	8.84
बैंक में जमा	**31.90**	6.79
अन्य	**76.26**	115.35
उप जोड़ (क)	**284.41**	272.98
लाभांश आय		
निवेश से लाभांश	**0.29**	3.40
(निवेशों से लाभांश, ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य शामिल है)		
उप जोड़ (ख)	**0.29**	3.40
निवेश की बिक्री पर शुद्ध लाभ उप जोड़ (ग)	**0.08**	4.47
अन्य गैर–प्रचालन आय		
सब्सिडी, राहत और रियायत	**0.28**	-
सरकार से प्राप्त अनुदान	**4.67**	1.15
प्रावधान जिनको अब वापस लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है	**65.79**	161.73
वापस लिखित अन्य देनदारियां	**288.75**	122.68
परिसमापन हर्जाना	**136.67**	119.11
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**-**	104.09
अन्य	**77.61**	71.06
	573.77	579.82
घटाएं: गैर–परिचालन आय के कारण व्यय	**-**	-
उप जोड़ (ग)	**573.77**	579.82
जोड़ (क+ख+ग)	**858.55**	860.67

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
37 : उपभुक्त सामग्री की लागत			
कच्चा लोहा		**9388.84**	5217.77
कोयला		**33761.24**	17422.64
कोक		**52.06**	13.88
चूना पत्थर		**1764.00**	1423.86
डोलोमाइट		**710.04**	464.39
फेरो मैंगनीज		**271.32**	174.80
फेरो सिलिकोन		**393.60**	224.07
सिलिको मैंगनीज		**2002.02**	1270.09
हॉट रोल्ड स्टेनलेस स्टील कॉइल		**0.83**	1.39
जस्ता		**128.17**	87.78
एल्युमीनियम		**528.04**	292.41
अन्य		**2318.13**	1534.12
		51318.29	28127.20
घटाएं: अंतर खाता समायोजन		**8428.17**	4913.61
		42890.12	23213.59
38 : तैयार माल की सूची, कार्य–प्रगति में और उप–उत्पाद में परिवर्तन			
38ए : तैयार माल की सूची में परिवर्तन और कार्य–प्रगति में			
आरंभिक स्टॉक			
तैयार माल		**4523.53**	8949.15
कार्य प्रगति पर		**2405.96**	2473.42
		6929.49	11422.57
घटाएं: समाप्ति पर स्टॉक			
तैयार माल		**4894.85**	4523.53
कार्य प्रगति पर		**2401.51**	2405.96
		7296.36	6929.49
(अभिवृद्धि)/स्टॉक में कमी	**(ए)**	**(366.87)**	4493.08
38B : बाई उत्पादों की सूची में परिवर्तन			
उप ग्रेड लौह अयस्क जुर्माना			
आरंभिक स्टॉक			
लौह अयस्क जुर्माना (उप–ग्रेड)		**4337.29**	3791.18
घटाएं: क्लोजिंग स्टॉक			
लौह अयस्क जुर्माना (उप–ग्रेड)		**4249.96**	4337.29
जोड़ें: कोविड–19 लौह अयस्क फाइन्स का प्रभाव उत्क्रमण (उप–ग्रेड)		**-**	329.67
(अभिवृद्धि)/स्टॉक में कमी	**(बी)**	**87.33**	(216.44)
स्टॉक में कुल (वृद्धि)/कमी	**(ए+बी)**	**(279.54)**	4276.64
39: कर्मचारी लाभ व्यय*			
वेतन और मजदूरी		**9243.64**	8086.59
छुट्टी नकदीकरण		**1164.29**	586.92
भविष्य निधि और अन्य धन में कंपनी का योगदान		**1309.84**	1054.67
यात्रा रियायत		**62.82**	19.97
कल्याण व्यय		**846.28**	435.03
ग्रेच्यूटी		**235.12**	277.87
		12861.99	10461.05
***कर्मचारियों के पारिश्रमिक और लाभ पर व्यय को ऊपर शामिल नहीं किया गया है और चार्ज किया गया है:**			
निर्माण के दौरान व्यय		**102.14**	83.79

परिभाषित लाभ दायित्व के प्रकटीकरण पर वर्णनात्मक नोट्स के लिए, नोट 50.1 देखें

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को

40: वित्त लागत

ब्याज लागत		
विदेशी पूंजी ऋण*	**135.71**	209.32
गैर–परिवर्तनीय बॉण्ड	**392.26**	474.16
बैंक उधार – कामकाजी पूंजी	**8.57**	6.24
इस्पात विकास निधि ऋण	**3.50**	4.08
अन्य बैंक उधार और वाणिज्यिक पत्र	**972.11**	2095.94
अन्य उधार लागत	**185.74**	27.41
	1697.89	2817.15

*'विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव सहित ₹90.96 करोड़ का नुकसान (31 मार्च, 2021 को: ₹5.47 करोड़ का लाभ)।

ब्याज और वित्त प्रभारों पर व्यय जो ऊपर शामिल नहीं है और निर्माण के दौरान व्यय के लिए प्रभारित है:		
विदेशी मुद्रा ऋण	**1.89**	74.71
गैर परिवर्तनीय बांड	**75.42**	88.40
इस्पात विकास निधि ऋण – ब्याज	**1.10**	1.33
अन्य बैंक उधार	**115.12**	384.72
	193.53	549.16

41: अन्य व्यय

स्टोर और पुर्जों की खपत				
खपत	**4955.49**		4081.9	
घटाएं: विभागीय निर्मित स्टोरज	**658.59**		590.99	
घटाएं: तैयार उत्पाद को स्टोरेज तथा स्पेयर्स के रूप में आंतरिक रूप से उपभोग किया	**552.86**	**3744.04**	405.96	3084.95
मरम्मत और रख–रखाव				
इमारतें	**254.18**		217.51	
संयंत्र और मशीनरी	**1233.75**		1058.19	
अन्य	**387.99**	**1875.92**	354.22	1629.92
संचालन व्यय				
कच्चा माल	**595.80**		482.63	
कबाड़ से वसूली	**348.00**	**943.80**	312.51	795.14
लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक				
लेखापरीक्षण शुल्क	**3.06**		2.11	
कर लेखापरीक्षा शुल्क	**0.65**		0.59	
अन्य सेवाओं में	**1.40**		1.59	
फुटकर व्यय	**0.50**	**5.61**	0.19	4.48
प्रावधान				
संदिग्ध ऋण, लोन और अग्रिम राशि	**98.24**		92.69	
निवेश	**-**		1.58	
स्टोर, स्पेयर्स और विविध व्यय	**266.58**	**364.82**	167.73	262.00
बिजली और ईंधन		**6975.31**		5715.89
मालभाड़ा बाहर की ओर		**2675.92**		2080.01
रॉयल्टी और सेस		**7060.27**		2399.03
रूपांतरण शुल्क		**116.87**		143.67
हर्जाना और घाट शुल्क		**63.02**		36.44
जल प्रभार और जल प्रदूषण पर उपकर		**164.52**		145.78
बीमा		**74.98**		70.05
डाक, टेलीग्राम और टेलीफोन		**15.72**		15.78
छपाई और स्टेशनरी		**9.90**		8.42
दर और कर		**81.77**		39.11

41: अन्य व्यय (जारी...) (₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
किराया	**12.75**	16.22
कानूनी खर्च	**23.76**	18.25
सुरक्षा खर्च	**747.80**	729.42
यात्रा खर्च	**124.73**	109.57
प्रशिक्षण खर्च	**58.36**	45.33
कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पर व्यय (नोट – 49.7 को देखे)	**94.71**	47.67
विदेशी मुद्रा में उतार–चढ़ाव (शुद्ध)	**216.85**	-
स्थिर संपत्तियों की बिक्री/स्क्रैपिंग पर नुकसान (शुद्ध)	**21.71**	37.74
लेखापरीक्षा शुल्क की लागत और खर्चों की प्रतिपूर्ति	**0.10**	0.09
बट्टे खाता – विविध	**0.09**	15.81
चालन व्यय – तैयार माल	**193.89**	173.53
बिक्री एजेंटों को कमीशन	**15.86**	14.98
निर्यात बिक्री व्यय	**140.60**	188.50
विविध	**839.07**	595.81
	26662.75	18423.59

41a: असाधारण सामग्रियों

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मुआवजा	-	103.70
प्रवेश कर और अन्य देय राशि	-	167.54
कोविड–19 लौह अयस्क फाइन्स का प्रभाव उत्क्रमण (उप–ग्रेड)	-	(329.67)
अन्य (नोट 47.8(ए) देखें)	**353.41**	-
	353.41	(58.43)

41b: **प्रति शेयर आय**

वार्षिक लाभ (₹ करोड़ में)	**12243.47**	4148.13
इक्विटी शेयरों की संख्या	**4130525289**	4130525289
प्रति शेयर कमाई – मूल और मन्दित (₹)	**29.64**	10.04
प्रति शेयर फेस वैल्यू (₹)	**10.00**	10.00

42: वित्तीय विलेख

i) उचित मूल्य पदानुक्रम

वित्तीय स्थिति के वक्तव्य में उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्ति और वित्तीय देनदारियों को उचित मूल्य पदानुक्रम के तीन स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। माप के लिए महत्वपूर्ण इनपुट को पर्यवेक्षण के आधार पर तीन स्तरों को परिभाषित किया गया है, जो कि निम्नानुसार है:

स्तर 1: वित्तीय प्रपत्रों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतें (असमायोजित)।

स्तर 2: सक्रिय बाजारों में कारोबार नहीं किए जाने वाले वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा के उपयोग पर अधिकतम विश्वास करता है, इकाई विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट पर्यवेक्षण योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं है, तो प्रपत्र स्तर 3 में शामिल किया गया है।

ii) उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	-
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	-	-	-	-
गैर उद्धृत	-	-	172.85	172.85
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**-**	**172.85**	**172.85**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**-**	**-**

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय संपत्तियां और देनदारियां – उचित मूल्य माप पुनरावर्ती (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	जोड
वित्तीय संपत्ति				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	254.40	-	254.40
एफवीओसीआई में निवेश				
इक्विटी उपकरण				
उद्धरित	-	-	-	-
गैर उद्धृत	-	-	147.98	147.98
कुल वित्तीय संपत्तियां	**-**	**254.40**	**147.98**	**402.38**
वित्तीय देयताएं				
एफवीटीपीएल में वित्तीय उपकरण				
व्युत्पन्न देयता	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां	**-**	**-**	**-**	**-**

iii) वित्तीय संपत्ति और देनदारियां – जिनके लिए उचित मूल्यों का खुलासा किया गया है (₹ करोड़ में)

	स्तर 1	जैसा कि 31 मार्च, 2022 को		जैसा कि 31 मार्च, 2021 को	
		मूल कीमत	उचित मूल्य	मूल कीमत	उचित मूल्य
वित्तीय संपत्ति					
ऋण	स्तर–3	602.71	837.83	672.94	843.81
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्ति	स्तर–2	-	-	254.40	254.40
इक्विटी उपकरण					
उद्धृत	स्तर–1	-	-	-	-
गैर–उद्धृत*	स्तर–3	172.85	172.85	147.98	147.98
कुल वित्तीय संपत्ति		**775.56**	**1010.68**	**1075.32**	**1246.19**
वित्तीय देनदारियां					
उधार (पट्टा देयता सहित) अन्य देय राशि	स्तर–3	18616.43	18468.09	39344.57	39495.91
अन्य देनदारियाँ	स्तर–3	11722.48	11841.54	10531.91	10660.46
व्युत्पन्न देयता	स्तर–2	-	-	-	-
कुल वित्तीय देनदारियां		**30338.91**	**30309.64**	**49876.48**	**50156.37**

*पहले से ही उचित मूल्य पर

(iv) उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यांकन प्रक्रिया और तकनीक

वित्तीय प्रपत्रों का मूल्य निर्धारित करने वाली विशिष्ट मूल्यांकन तकनीकों में शामिल हैं:

(क) ब्याज स्वैप का उचित मूल्य इसी तरह के उपकरणों के लिए डीलर या काउंटरपार्टी उद्धरण के आधार पर निर्धारित किया जाता है।

(ख) विदेशी मुद्रा अनुबंध और मूल स्वैप का उचित मूल्य बैलेंस शीट तिथि पर फारवर्ड की दर का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

(ग) परिवर्तनीय ब्याज दर वाले उधार के बही मूल्य को उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(घ) 12 महीने से कम परिपक्वता वाले वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का बही मूल्य उनके उचित मूल्य का प्रतिनिधि माना जाता है।

(ङ) निश्चित ब्याज दर की वित्तीय संपत्तियों और देयताएं (वित्त पट्टे दायित्वों सहित) जो परिशोधित लागत पर हैं, का उचित मूल्य तुलन–पत्र तिथि को समान संपत्तियों और देनदारियों पर लागू बाजार ब्याज दर के समान नकदी प्रवाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है।

(v) गैर उद्धृत निवेश:

गैर उद्धृत इक्विटी निवेश का उचित मूल्य अनुमान स्तर–3 में शामिल हैं और निवेशक कंपनी की शुद्ध संपत्ति के मूल्य से संबंधित जानकारी पर आधारित हैं। सहकारी समितियों में निवेश के लिए, कंपनी ने निर्धारित किया है कि लागत उचित मूल्य का उपयुक्त अनुमान है, इसलिए उचित मूल्यों के संबंध में कोई बदलाव नहीं आया है।

vi) निम्न तालिका स्तर–3 इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय प्रपत्रों के मूल्य में परिवर्तन प्रस्तुत करती है:

(₹ करोड़ में)

असूचीबद्ध इक्विटी प्रतिभूतियां	
31 मार्च, 2020 को	**131.31**
लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है	16.67
31 मार्च, 2021 को	**147.98**
लाभ / हानि अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है	24.87
31 मार्च, 2022 को	**172.85**

43: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

(i) श्रेणीवार वित्तीय विलेख

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को			31 मार्च, 2021 को		
	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	अमूर्त लागत	एफवीटीपीएल	एफवीओसीआई	अमूर्त लागत
वित्तीय संपत्ति						
इक्विटी प्रपत्र	-	172.85	-	-	147.98	-
व्यापार स्वीकार प्राप्य	-	-	4770.85	-	-	8169.44
नकद और नकद समकक्ष	-	-	131.54	-	-	518.28
अन्य बैंक शेष	-	-	654.52	-	-	278.07
ऋण	-	-	602.71	-	-	672.94
व्युत्पन्न वित्तीय संपत्तियां	-	-	-	254.40	-	-
अन्य प्राप्तिया	-	-	1577.11	-	-	1679.85
कुल	**-**	**172.85**	**7736.73**	**254.40**	**147.98**	**11318.58**
वित्तीय देनदारियां						
उधारी (पट्टा देयता सहित)	-	-	18616.43	-	-	39344.57
व्यापार देय	-	-	16925.17	-	-	8046.75
अन्य देनदारियां	-	-	11722.48	-	-	10531.91
कुल	**-**	**-**	**47264.08**	**-**	**-**	**57923.23**

ii) जोखिम प्रबंधन

वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में विभिन्न जोखिमों का सामना करती है। कंपनी की वित्तीय संपत्ति और देनदारियों को श्रेणीवार टिप्पणी–43 (i) में सारांशित किया गया है। मुख्य प्रकार के जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम शामिल हैं। कंपनी का जोखिम प्रबंधन मुख्यालय में निदेशक मंडल के साथ घनिष्ठ सहयोग में समन्वयित किया जाता है और अस्थिर वित्तीय बाजारों की जोखिम को कम करके कंपनी के लघु से मध्यम अवधि के नकद प्रवाह को सक्रिय रूप से सुरक्षित करने पर केंद्रित करता है। दीर्घकालिक वित्तीय निवेश को स्थायी रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रबंधन किया जाता है। कंपनी सक्रिय रूप से सट्टा उद्देश्यों के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार में संलग्न नहीं है और न ही यह विकल्प लिखती है। कंपनी के सामने आने वाले सबसे प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे दिया गया है।

क) क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम वह जोखिम है जिसमें एक प्रतिपक्षी कंपनी के प्रति अपने दायित्व को निर्वहन करने में विफल रहती है। कंपनी विभिन्न वित्तीय प्रपत्रों के संबंध में इस जोखिम का सामना करती है, उदाहरण के लिए ग्राहकों को ऋण और प्राप्तियां देना, जमा करना आदि। कंपनी के क्रेडिट जोखिम का अधिकतम जोखिम निम्न प्रकार की वित्तीय संपत्तियों की बही मूल्य राशि तक ही सीमित है।

- नकद और नकद समकक्ष
- डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्र
- व्यापार प्राप्य
- अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां जो परिशोधित लागत पर मापी जाती है

कंपनी लगातार व्यक्तिगत रूप से या कंपनी द्वारा पहचाने जाने वाले ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों के डिफ़ॉल्ट पर नजर रखती है, और इस जानकारी को अपने क्रेडिट जोखिम नियंत्रण में शामिल करती है। जहां ग्राहकों और अन्य प्रतिपक्षियों की बाहरी क्रेडिट रेटिंग और/या रिपोर्ट उचित लागत पर उपलब्ध है, कंपनी द्वारा इसे प्राप्त कर उपयोग किया जाता है। कंपनी की नीति केवल क्रेडिट योग्य प्रतिपक्षियों के साथ व्यापार करना है।

क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

नगद और नगद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष से संबंधित क्रेडिट जोखिम केवल उच्च रेटेड बैंकों में खाते और विविध बैंक जमा को स्वीकार करके प्रबंधित किया जाता है।

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्र

डेरिवेटिव वित्तीय प्रपत्रों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को उच्च रेटेड बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ प्रतिपक्षियों के रूप में केवल इस तरह की व्यवस्था में प्रवेश करके प्रबंधित किया जाता है। कंपनी अपनी होल्डिंग्स को कई प्रतिपक्षियों के साथ विविधता प्रदान करती है।

व्यापार प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित क्रेडिट जोखिम ग्राहकों से बैंक गारंटी प्राप्त करके कम किया जाता है, जहां क्रेडिट जोखिम अधिक होता है। कंपनी देनदारों की क्रेडिट–योग्यता पर बारीकी से नजर रखती है और केवल क्रेडिट योग्य पक्षों को सामान बेचती है। कंपनी की आंतरिक प्रणाली ग्राहकों की क्रेडिट सीमा को परिभाषित करने के लिए कॉन्फ़िगर की गई है, ताकि क्रेडिट जोखिम को पूर्व–गणना की गई राशि तक सीमित किया जा सके।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कर्मचारियों और अन्य लोगों को ऋण और अग्रिम शामिल हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित क्रेडिट जोखिम को लगातार इस तरह की रकम की वसूली की निगरानी करके प्रबंधित किया जाता है, जबकि साथ ही आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि राशि परिभाषित सीमाओं के अंदर है।

ख) अपेक्षित क्रेडिट हानि

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करते हैं:

व्यापार प्राप्य

कंपनी एक सरल दृष्टिकोण का उपयोग करके व्यापार प्राप्य पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट घाटे की पहचान करती है और प्रत्येक श्रेणी की व्यापार प्राप्तियों के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करती है।

व्यापार प्राप्तियों की उम्र बढ़ने पर वर्णनात्मक नोट के लिए, नोट 48.4 (बी) देखें।

परिशोधित लागत पर मापी जाने वाली अन्य वित्तीय संपत्तियां

कंपनी किसी भी संभावित क्रेडिट हानि के लिए व्यक्तिगत वित्तीय प्रपत्रों का आकलन करके "व्यापार प्राप्तियों के अलावा और ऋण अग्रिम" पर क्रेडिट हानि के लिए राशि प्रदान करती है। चूंकि इस श्रेणी में विविध प्रकृति और उद्देश्य के ऋण और प्राप्तियां शामिल हैं, इसलिए ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं है कि कंपनी सभी के लिए लगातार लागू करने के लिए आकर्षित कर सके। ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, कंपनी की नीति शुरुआती मान्यता पर 12 महीने की संभावित क्रेडिट हानि प्रदान करती है और क्रेडिट जोखिम में व्यापक वृद्धि होने पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रदान करती है। कंपनी के पास ऐसी परिसंपत्तियों पर उनकी कम क्रेडिट जोखिम प्रकृति को देखते हुए अपेक्षित हानि आधारित क्षति नहीं है, यद्यपि इस तरह की वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक उप–श्रेणी के तहत हानि प्रावधानों का खुलासा किया गया है।

ख) नकदी जोखिम

दूरदर्शी जोखिम प्रबंधन का अर्थ है कि पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट सुविधाओं के माध्यम से वित्त पोषण की उपलब्धता। व्यापार की प्रकृति के कारण, कंपनी प्रतिबद्ध सुविधाओं के तहत उपलब्धता को बनाए रखकर वित्त पोषण में लचीलापन रखती है। प्रबंधन अपेक्षित नकद प्रवाह के आधार पर कंपनी की नकदी की स्थिति और नकद और नकद समकक्षों के पूर्वानुमानों पर नज़र रखता है। कंपनी उस बाजार की तरलता को ध्यान में रखती है जिसमें इकाई संचालित होती है। इसके अलावा, कंपनी की तरलता प्रबंधन नीति में प्रमुख मुद्राओं में नकद प्रवाह प्रक्षेपण करना और इनको पूरा करने के लिए आवश्यक तरल परिसंपत्तियों के स्तर पर विचार करना, आंतरिक और बाह्य नियामक आवश्यकताओं के लिए बैलेंस शीट तरलता अनुपात की निगरानी करना और ऋण वित्तपोषण योजनाओं को बनाए रखना शामिल है।

वित्तीय देनदारियों की परिपक्वता

नीचे दी गई सारणी सभी गैर–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों के लिए उनकी अनुबंधिक परिपक्वता के आधार पर प्रासंगिक परिपक्वता कंपनी की वित्तीय देनदारियों का विश्लेषण करती है और तालिका में प्रकट राशि संविदात्मक गैर रियायती नकदी प्रवाह होती है। 12 महीने के भीतर देय शेष राशि उनके वाहक शेष के बराबर होती है क्योंकि छूट का असर महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	कुल
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी (पट्टा देयता सहित) व्यापार देयता	5815.58	2427.08	1374.61	5761.01	15378.28
व्यापार देनदारियां	16194.09	94.68	94.39	538.67	16921.83
अन्य देनदारियां	9513.75	117.86	84.28	316.47	10032.36
कुल	**31523.42**	**2639.62**	**1553.28**	**6616.15**	**42332.47**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देनदारियां	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2021 को वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता	1 साल से कम	1–2 साल	2–3 साल	3 साल से अधिक	कुल
गैर–डेरिवेटिव					
उधारी (पट्टा देयता सहित) व्यापार देयता	20442.47	3668.88	4566.41	12977.14	41654.90
व्यापार देनदारियां	7657.57	264.69	59.90	60.49	8042.65
अन्य देनदारियां	6594.54	105.49	73.99	248.73	7022.75
कुल	**34694.58**	**4039.06**	**4700.30**	**13286.36**	**56720.30**
डेरिवेटिव					
व्युत्पन्न देनदारियां	-	-	-	-	-
कुल	-	-	-	-	-

ग) बाजार ज़ोखिम

क) विदेशी मुद्रा जोखिम

कंपनी के अधिकांश लेनदेन भारतीय रुपए में किए जाते हैं। मुद्रा विनियम दरों के एक्सपोजर कंपनी की विदेशी उधार व्यवस्था से उत्पन्न होते हैं, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर (यूएसडी) में अंकित होते हैं। कंपनी के विदेशी मुद्रा जोखिम को कम करने के लिए, गैर–आईएनआर नकदी प्रवाह की निगरानी की जाती है और फॉरवर्ड विनियम अनुबंध कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों के अनुसार दर्ज किए जाते हैं। आम तौर पर, कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाएं लंबी अवधि के नकद प्रवाह (6 महीने के बाद देय) से अल्पकालिक विदेशी मुद्रा नकद प्रवाह (6 महीने तक देय) को अलग करती हैं। जहां एक विशिष्ट मुद्रा में भुगतान की जाने वाली राशि और प्राप्त होने की अपेक्षा की जाती है, वह बड़े पैमाने पर एक–दूसरे को ऑफसेट करने की उम्मीद होती है और आगे हेजिंग गतिविधि नहीं की जाती है। फॉरवर्ड विनियम अनुबंध को मुख्य रूप से महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र के लिए किया जाता है जिनकी अन्य समान–मुद्रा लेनदेन द्वारा समायोजित होने की उम्मीद नहीं है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजरः

समूह के विदेशी मुद्रा जोखिम के महत्वपूर्ण एक्सपोजरों को, रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, ₹ करोड़ में निम्न अनुसार दिया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	यूएसडी	यूरो	यूएसडी	यूरो
वित्तीय परिसंपत्तियां				
व्यापार प्राप्य	149.70	-	183.03	-
नकद और नकद समकक्ष	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष	-	-	-	-
ऋण	-	-	-	-
व्युत्पन्न वित्तीय परिसंपत्तियां (सकल राशि, उधार को रोकने के लिए)	-	-	-	-
विदेशी मुद्रा जोखिम (परिसंपत्तियों) के लिए शुद्ध एक्सपोजर	**149.70**	**-**	**183.03**	**-**
वित्तीय देनदारियां				
उधारी	-	310.51	2285.28	343.29
व्यापार देय	11257.64	84.71	2825.55	351.48
अन्य देनदारियां	179.76	230.10	27.18	75.92
शुद्ध विदेशी मुद्रा जोखिम (देनदारियां)	**11437.40**	**625.32**	**5138.01**	**770.69**

संवेदनशीलता

निम्न तालिका समूह की वित्तीय संपत्तियों और वित्तीय देनदारियों और यूएसडी/आईएनआर विनियम दर और यूरो/आईएनआर विनियम दर के संबंध में लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता 'अन्य सभी चीजें समान रहने पर', को दर्शाती है। यह 31 मार्च, 2022 (2021: 4.69%) को समाप्त वर्ष के लिए आईएनआर/यूएसडी विनिमय दर का +/– 4.65% परिवर्तन मानती है। आईएनआर/यूरो विनिमय दर (2021: 6.78%) के लिए +/– 5.63% परिवर्तन माना जाता है। ये दोनों प्रतिशत पिछले 12 महीनों में विनियम दरों में बाजार में औसत उतार–चढ़ाव के आधार पर निर्धारित किए गए हैं। संवेदनशीलता विश्लेषण, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, समूह की विदेशी मुद्रा वित्तीय लिखतों पर आधारित होता है और यह फारवर्ड विनियम अनुबंधों को भी ध्यान में रखता है जो मुद्रा विनियम दरों में बदलाव से होने वाले प्रभावों को समायोजित करता है। (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
यूएसडी संवेदनशीलता		
आईएनआर/युएसडी – 4.65% की वृद्धि (31 मार्च 2022)	529.39	-
आईएनआर/युएसडी – 4.65% की कमी (31 मार्च 2022)	(529.39)	-
आईएनआर/युएसडी – 4.69% की वृद्धि (31 मार्च 2021)	-	280.02
आईएनआर/युएसडी – 4.69% की कमी (31 मार्च 2021)	-	(280.02)
यूरो संवेदनशीलता		
आईएनआर/युरो – 5.63% की वृद्धि (31 मार्च 2022)	42.40	-
आईएनआर/युरो – 5.63% की कमी (31 मार्च 2022)	(42.40)	-
आईएनआर/युरो – 6.78% की वृद्धि (31 मार्च 2021)	-	58.35
आईएनआर/युरो – 6.78% की कमी (31 मार्च 2021)	-	(58.35)

ख) ब्याज दर जोखिम

कंपनी की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। इसलिए दीर्घकालिक उधार आमतौर पर निश्चित दरों पर दी जाती हैं। 31 मार्च, 2022 को, कंपनी ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है। अन्य उधार निश्चित ब्याज दरों पर हैं। बॉन्ड में कंपनी के निवेश सभी सावधि ब्याज दरों का भुगतान करते हैं। कंपनी के मनी मार्केट फंड के लिए ब्याज दरों का प्रभाव महत्त्वहीन माना जाता है। निम्नलिखित तालिका ब्याज दरों में उचित रूप से संभावित परिवर्तन +/– 1% (वर्ष 2021: +/– 1%) के लिए लाभ और इक्विटी की संवेदनशीलता को दर्शाती है। वर्तमान बाजार स्थितियों के अवलोकन के आधार पर इन परिवर्तनों को उचित रूप से संभव माना जाता है। गणना प्रत्येक अवधि के लिए औसत बाजार ब्याज दर में परिवर्तन और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को धारित वित्तीय प्रपत्रों पर आधारित होती है जो ब्याज दरों में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होती हैं। अन्य सभी चर स्थिर रहे हैं।

i) देयताएं

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की नीति लंबी अवधि के वित्तपोषण पर ब्याज दर नकद प्रवाह जोखिम एक्सपोजर को कम करना है। 31 मार्च, 2022 को, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स ब्याज दरों पर बैंक उधार के माध्यम से बाजार ब्याज दरों में परिवर्तन के संपर्क में आ गई है।

ब्याज दर जोखिम अनावृत्ति

ब्याज दर के जोखिम के लिए समूह का समग्र एक्सपोजर नीचे दिया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनीय दर उधार (डेरिवेटिव द्वारा ऑफ़सेट एक्सपोजर को छोड़कर)	8052.98	3898.45
निश्चित दर उधार	5332.67	28321.98
जोड़ उधारी	**13385.65**	**39344.57**

संवेदनशीलता

नीचे ब्याज दरों में लाभ या हानि और इक्विटी परिवर्तन की संवेदनशीलता है। (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
ब्याज संवेदनशीलता		
ब्याज दरें– 100 आधार अंकों से बढ़ोतरी	**80.53**	38.98
ब्याज दरें–100 आधार अंकों से कम	**(80.53)**	(38.98)

ii) परिसंपत्तियां

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की स्थिर जमा राशियों को अमूर्त लागत और स्थिर दरों पर किया जाता है। इसलिए वे इंड एएस 107 में परिभाषित ब्याज दर जोखिम के अधीन नहीं हैं क्योंकि बाजार में ब्याज दरों में बदलाव के कारण न तो वहन राशि और न ही भविष्य के नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव नहीं होगा।

ब्याज दर जोखिम एक्सपोजर

नीचे वित्तीय परिसंपत्तियों के समग्र एक्सपोजर को दर्शाया गया है: (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
परिवर्तनीय दर जमा/ ऋण	-	-
स्थिर दर जमा/ ऋण	1257.23	951.01
जोड़ जमाराशि	**1257.23**	**951.01**

ग) मूल्य जोखिम

एक्सपोजर

समूह अन्य कंपनियों के अपने निवेश शेयरों के संबंध में अन्य मूल्य जोखिम के एक्सपोजर में है (देखें नोट 8)। समूह शेयरों में अपने निवेश के मूल्य में परिवर्तन को महत्वहीन नहीं मानता है, इसलिए तुलन पत्र की तारीख पर बकाया एक्सपोज़र पर मूल्य जोखिम के एक्सपोजर में नहीं है।

44: पूंजी प्रबंधन

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी के पूंजी प्रबंधन उद्देश्य हैं:

– समूह की क्षमता को एक सुनाम–प्रतिष्ठान के रूप में जारी रखना सुनिश्चित करना

– शेयरधारकों को पर्याप्त रिटर्न प्रदान करना

समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स तुलन पत्र में प्रस्तुत इक्विटी कम नकदी और नकदी समकक्षों की वहन राशि के आधार पर पूंजी की निगरानी करता है।

प्रबंधन अत्यधिक लिवरेज से बचने के लिए, कुशल समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स की पूंजी आवश्यकताओं का आकलन करता है। समूह इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स इसके लिए ऋण के विभिन्न वर्गों के अधीनस्थ स्तरों को ध्यान में रखता है। समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स इसके पूंजी संरचना का प्रबंधन करता है और आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन और अंतर्निहित परिसंपत्तियों के जोखिम विशेषताओं के मद्देनजर इसमें समायोजन करता है। पूंजी संरचना को बनाए रखने या समायोजित करने के लिए, समूह, इसके संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स शेयरधारकों को भुगतान किए गए लाभांश की मात्रा को समायोजित कर सकता है, शेयरधारकों को पूंजी लौटा सकता है, नए शेयर जारी कर सकता है या ऋण को कम करने के लिए परिसंपत्तियां बेच सकता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
शुद्ध ऋण	17830.37	38548.22
कुल इक्विटी	54211.68	45406.22
इक्विटी अनुपात के लिए शुद्ध ऋण	**0.33**	**0.85**

लाभांश (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इक्विटी शेयर		
(i) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान निम्नानुसार किया गया:	**2684.84**	413.05
क) ₹1652.21 करोड़ की कुल राशि के लिए पहला लाभांश/₹ 4 प्रति इक्विटी शेयर		
ख) ₹1032.63 करोड़ की कुल राशि के लिए दूसरा लाभांश/₹ 2.50 प्रति इक्विटी शेयर		
(ii) अंतिम लाभांश रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मान्यता प्राप्त नहीं हुई।	**929.37**	743.50

44क. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विवरण

						% में आनुपातिक स्वामित्व	
क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	निगमन का प्रमुख स्थान	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	सहायक कंपनी	रिफ्रैक्टरी सामग्री का उत्पादन	भारत	भारत	100%	100%
2	सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	सहायक कंपनी	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	-	100%
3	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	सहायक कंपनी	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	74%	74%
4	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
5	बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
6	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	परामर्शदात्री सेवाए	भारत	भारत	50%	50%
7	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	परामर्शदात्री सेवाए	भारत	भारत	40%	40%
8	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	सीमेंट उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
9	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	कोयला खनन	भारत	भारत	-	50%
10	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	कोयला खनन	भारत	मोजाम्बिक	47.82%	47.82%
11	सेल–मॉइल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	फेरो मैंगनीज उत्पादन	भारत	भारत	-	50%
12	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	लॉजिस्टिक्स	भारत	भारत	-	50%
13	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	49.26%	49.26%
14	सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे वैगन उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
15	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	50%	50%
16	सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	-	50%
17	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	इस्पात उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%

						% में आनुपातिक स्वामित्व	
क्र. सं.	नाम	संबंध	गतिविधि की प्रकृति	निगमन का प्रमुख स्थान	व्यवसाय का प्रमुख स्थान	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
18	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	20.58%	20.58%
19	अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	मिश्र धातु ढलाई	भारत	भारत	26%	26%
20	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	-	49%
21	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	रेलवे परियोजना	भारत	भारत	12%	12%
22	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड	संयुक्त उपक्रम	विद्युत उत्पादन	भारत	भारत	26%	26%
23	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	सहयोगी	मैग्नेसाईट खनन	भारत	भारत	20%	20%

44ख. इक्विटी विधि निवेशकर्ताओं की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी

व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण संयुक्त उद्यम

एनटीपीसी सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड

(₹ करोड़ में)

संक्षिप्त तुलन–पत्र	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**45.07**	83.37
अन्य परिसंपत्तियां	**630.00**	653.62
	675.07	736.99
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**4,606.97**	4,322.95
वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधानों को छोड़कर)	**1,192.71**	608.80
अन्य देयताएं	**160.07**	127.68
	1,352.78	736.48
गैर–तात्कालिक देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधान को छोड़कर)	**865.98**	1,418.54
अन्य देयताएं	**6.07**	5.67
	872.05	1,424.21
शुद्ध परिसंपत्तियां	**3,057.21**	2,899.25
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की ले जाने वाली राशि	**1,528.61**	1,449.63

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
राजस्व	**2,955.34**	2,758.15
मूल्यह्रास और परिशोधन	**138.71**	139.93
ब्याज आय	**8.06**	5.98
ब्याज व्यय	**9.10**	9.31
आयकर व्यय या आय	**13.03**	16.57
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**358.00**	348.68
बंद किए गए कार्यों से कर–पश्चात् लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(0.04)**	0.30
कुल व्यापक आय	**357.96**	348.98
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

संक्षिप्त तुलन–पत्र		
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**16.39**	15.69
अन्य परिसंपत्तियां	**444.48**	414.18
	460.87	429.87
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**82.49**	125.23
वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधानों को छोड़कर)	**275.56**	192.17
अन्य देयताएं	**7.95**	23.53
	283.51	215.70
गैर–तात्कालिक देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधान को छोड़कर)	**11.44**	0.74
अन्य देयताएं	**1.97**	12.74
	13.41	13.48
शुद्ध परिसंपत्तियां	**246.44**	325.92
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की ले जाने वाली राशि	**123.22**	162.96

44ख. इक्विटी विधि निवेशों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (जारी है.....)

(₹ करोड़ में)

एमजंक्शन सर्विसेज़ लिमिटेड

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
राजस्व	**300.99**	282.46
मूल्यह्रास और परिशोधन	**11.43**	10.83
ब्याज आय	**14.88**	-
ब्याज व्यय	**-**	-
आयकर व्यय या आय	**24.62**	18.82
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**67.75**	40.29
बंद किए गए कार्यों से कर–पश्चात् लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**0.77**	(0.97)
कुल व्यापक आय	**68.52**	39.32
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

संक्षिप्त तुलन–पत्र		
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**34.84**	11.37
अन्य परिसंपत्तियां	**26.69**	184.30
	61.53	195.67
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**2,656.57**	2,401.22
वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधानों को छोड़कर)	**323.28**	303.93
अन्य देयताएं	**0.11**	0.32
	323.39	304.25
गैर–तात्कालिक देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधान को छोड़कर)	**-**	-
अन्य देयताएं	**17.25**	16.54
	17.25	16.54
शुद्ध परिसंपत्तियां	**2,377.46**	2,276.10
स्वामित्व ब्याज	**47.82%**	47.82%
ब्याज की ले जाने वाली राशि	**1,136.90**	1,088.43

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
राजस्व	**17.80**	176.22
मूल्यह्रास और परिशोधन	**0.01**	0.04
ब्याज आय	**0.39**	0.39
ब्याज व्यय	**4.34**	5.02
आयकर व्यय या आय	**-**	-
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**(23.18)**	154.38
बंद किए गए कार्यों से कर–पश्चात् लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**114.92**	(248.10)
कुल व्यापक आय	**91.74**	(93.72)
स्वामित्व हित	**47.82%**	47.82%

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

संक्षिप्त तुलन–पत्र		
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**0.71**	39.49
अन्य परिसंपत्तियां	**561.79**	470.95
	562.50	510.44
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**500.98**	581.43
वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधानों को छोड़कर)	**59.16**	128.47
अन्य देयताएं	**40.19**	31.03
	99.35	159.50
गैर–तात्कालिक देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधान को छोड़कर)	**4.95**	7.88
अन्य देयताएं	**45.23**	65.68
	50.18	73.56
शुद्ध परिसंपत्तियां	**913.95**	858.81
स्वामित्व ब्याज	**50.00%**	50.00%
ब्याज की ले जाने वाली राशि	**456.98**	429.41

44ख. इक्विटी विधि निवेशों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (जारी है.....) (₹ करोड़ में)

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
राजस्व	**777.06**	842.02
मूल्यह्रास और परिशोधन	**0.37**	0.37
ब्याज आय	**-**	-
ब्याज व्यय	**1.97**	3.09
आयकर व्यय या आय	**18.80**	18.50
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**78.73**	85.94
बंद किए गए कार्यों से कर–पश्चात् लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(0.19)**	-
कुल व्यापक आय	**78.54**	85.94
स्वामित्व हित	**50.00%**	50.00%

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

संक्षिप्त तुलन–पत्र		
वर्तमान संपत्ति		
नकद और नकद समकक्ष	**2.82**	3.82
अन्य परिसंपत्तियां	**38.02**	44.88
	40.84	48.70
गैर–तात्कालिक परिसंपत्ति	**616.12**	627.05
वर्तमान देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधानों को छोड़कर)	**190.06**	114.79
अन्य देयताएं	**174.62**	184.19
	364.68	298.98
गैर–तात्कालिक देयताएं		
वित्तीय देयताएं (व्यापार देयों और प्रावधान को छोड़कर)	**1.59**	1.51
अन्य देयताएं	**438.75**	462.03
	440.34	463.54
शुद्ध परिसंपत्तियां	**(148.06)**	(86.77)
स्वामित्व ब्याज	**26.00%**	26.00%
ब्याज की ले जाने वाली राशि	**(38.50)**	(22.56)

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
राजस्व	**218.87**	310.35
मूल्यह्रास और परिशोधन	**35.21**	34.43
ब्याज आय	**0.44**	-
ब्याज व्यय	**5.29**	7.24
आयकर व्यय या आय	**(21.15)**	2.82
निरंतर संचालन से लाभ या हानि	**(61.01)**	(7.54)
बंद किए गए कार्यों से कर–पश्चात् लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**(0.28)**	0.04
कुल व्यापक आय	**(61.29)**	(7.50)
स्वामित्व हित	**26.00%**	26.00%

संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय सूचना जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं है

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
निरंतर आपरेशन से लाभ या हानि	**(19.11)**	(3.90)
बंद आपरेशन से कर–पश्चात लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**-**	-
कुल व्यापक आय	**(19.11)**	(3.90)

सहयोगी, व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण नहीं

लाभ और हानि का संक्षिप्त विवरण		
निरंतर आपरेशन से लाभ या हानि	**0.38**	(1.37)
बंद आपरेशन से कर–पश्चात लाभ या हानि	**-**	-
अन्य व्यापक आय	**-**	-
कुल व्यापक आय	**0.38**	(1.37)

44ख. इक्विटी विधि निवेशों की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी (जारी है.....)

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2021
संयुक्त उद्यमों के नुकसान की पहचान किया गया हिस्सा, रिपोर्टिंग अवधि और संचयी अवधि दोनों के लिए, जहां सेल ने इक्विटी पद्धति को लागू करते समय संयुक्त उद्यम के नुकसान के अपने हिस्से को पहचानना बंद कर दिया है।		
सेल मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	-	(0.04)
सेल मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	-	6.89
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**9.04**	9.11
सेल एससीएल केरल लिमिटेड – संचयी	**54.82**	45.78
एसएंडटी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	**0.14**	0.43
एसएंडटी माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	**5.98**	5.84
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड – रिपोर्टिंग	-	-
सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड – संचयी	-	0.02
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश		
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	**100.00**	50.00
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	**75.00**	6.60
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	-	0.08
बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड	**12.40**	15.50

44ग. सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगियों का विवरण

44.ग.1 दो सहायक कंपनियों, सेल जगदीशपुर पावर प्लांट लिमिटेड और सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का नाम एमसीए के रजिस्टर से काट दिया गया है। इन दो सहायक कंपनियों के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं हैं। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन दो सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2022 को परिसंपत्तियों और देनदारियां तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व और व्यय को, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में नहीं लिया गया है।

पांच संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं, एनएमडीसी–सेल लिमिटेड, सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल–बंगाल एलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सेल–मोइल फेरो एलॉय प्राइवेट लिमिटेड और नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड का नाम एमसीए के रजिस्टर से काट दिया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इन पांच सहायक कंपनियों के संबंध में वित्तीय विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2022 को परिसंपत्तियों और देनदारियां तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व और व्यय को, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में नहीं लिया गया है।

एस एंड टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड में निवेश को वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान बेच दिया गया है। 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए इस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में वित्तीय विवरण/सूचना उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2022 को परिसंपत्तियों और देनदारियां तथा 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राजस्व और व्यय को, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में नहीं लिया गया है।

44.ग.2 नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समूह की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में निवेश 31 मार्च, 2022 तक पूरी तरह से प्रदान किया गया है। इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में लाभ/हानि का हिस्सा शून्य माना गया है:

	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के नाम
1	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड
2	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड
3	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड

नीचे दिए गए विवरण के अनुसार समूह की संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं परिसमापन/मापन/समाधान के अधीन हैं।

	आईसीवीएल (संयुक्त उद्यम इकाई) की सहायक / संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएँ:
1	बेंगा पावर संयंत्र (मॉरीशस) लिमिटेड
2	प्रोमर्क सर्विसेज लिमिटेड
3	आईसीवीएल उद्यम (मॉरीशस) लिमिटेड
4	बेंगा एनर्जिया एसए

44.ग.3 नीचे दी गई एक सहायक कंपनी और दस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, कुछ लेखांकन नीतियां, समूह की लेखांकन नीतियों के अनुरूप नहीं हैं। समूह के साथ लेखांकन नीति में असंगति के कारण, इन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लाभ/हानि पर प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं है।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का नाम	होल्डिंग कंपनी की लेखा नीति की तुलना में भिन्न लेखा नीति का विवरण
1	सेल रिफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड – सहायक	**टिप्पणी संख्या 3.1.3:** अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है। पूंजी मरम्मत के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं
2	एमजंक्शन सेवाएं सीमित – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 2.4:** अमूर्त संपत्ति (सॉफ्टवेयर) तीन साल की अवधि में परिशोधित की जाती है।
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 3.2.2:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की प्रमुख मरम्मत को मद की नियंत्रित इकाई वहन राशि में मान्यता प्राप्त है यदि यह संभावित है कि भविष्य में होने वाले लागत के आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे। **टिप्पणी संख्या 3.2.3:** पूंजीगत स्पेयर पर मूल्यह्रास, स्पयेरज के उपयोगी जीवन या संबंधित परिसंपत्ति के शेष उपयोगी जीवन के आधार पर, जो भी कम हो, पुनः मूल्यांकन के आधार पर, किया जाता है।
4	सेल और मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड– संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 12 (बी)(डी)(iv):** वर्ष के दौरान जोड़/कम होने पर मूल्यह्रास, आनुपातिक नियंत्रित इकाई आधार पर, इसके जोड़/कम होने के महीने के संदर्भ के आधार पर प्रदान किया जाता है जे) पिछले वर्षों से संबंधित समायोजन
5	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 1.1:** पूंजीगत स्पेयर्स के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं है **टिप्पणी संख्या 1.2:** पूंजीगत मरम्मत के पूंजीकरण पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं **टिप्पणी संख्या 1.5:** कुछ संपत्तियों पर मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है। **टिप्पणी संख्या 3.4:** सॉफ्टवेयर का परिशोधन 3 साल या उपयोग करने का कानूनी अधिकार, जो भी कम हो, के लिए किया जाता है **टिप्पणी संख्या 7:** इन्वेंटरी का मूल्यांकन **टिप्पणी संख्या 19:** पूर्व अवधि समायोजन
6	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 3.5:** इन्वेंट्री के मूल्यांकन का आधार, सेल से अलग है। **टिप्पणी संख्या 3.11:** सेल से अलग पॉलिसी
7	एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड – संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	**टिप्पणी संख्या 1:** ये चिंताएं एस एंड टी माइनिंग पर लागू नहीं होती हैं **टिप्पणी संख्या 2.3:** पीपीई **टिप्पणी संख्या 2.4:** अमूर्त संपत्ति जीवन **टिप्पणी संख्या 2.5:** कुछ परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास अनुमानित उपयोगी जीवन के आधार पर प्रदान किया जाता है, जो सेल से अलग है। **टिप्पणी संख्या 2.12:** राजस्व
8	बोकारो बिजली आपूर्ति कंपनी प्रा. लिमिटेड	**टिप्पणी संख्या 4.1:** पीपीई– प्रारंभिक मान्यता और मापन **टिप्पणी संख्या 4.2:** मान्यता रद्द करने वाला नोट **टिप्पणी संख्या 4.3:** मूल्यह्रास **टिप्पणी संख्या 6.1:** सॉफ्टवेयर का जीवन **टिप्पणी संख्या 9:** इन्वेंटरी **टिप्पणी संख्या 13:** राजस्व मान्यता **टिप्पणी संख्या 14:** परिसमाप्त क्षति **टिप्पणी संख्या 24:** लाभांश **टिप्पणी संख्या 25:** पूर्व अवधि के आइटम
9	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	**टिप्पणी संख्या 2.9:** संपत्ति, संयंत्र और उपकरण **टिप्पणी संख्या 2.11:** अमूर्त संपत्ति **टिप्पणी संख्या 2.16:** इन्वेंटरी
10	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जी) कंप्यूटर का अनुमानित उपयोगी जीवन 3 वर्ष है
11	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	बी) तैयारी का आधार ई) मूल्यह्रास जी) नकद और नकद समकक्ष आई) इन्वेंटरी

44.ग.4 इक्विटी पद्धति के तहत, संयुक्त उद्यम/एसोसिएट में निवेश की गणना सहायक कंपनियों के मामले के विपरीत लाइन दर लाइन पद्धति पर नहीं की जाती है। इसलिए, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से खरीद/बिक्री के अंतिम स्टॉक पर केवल लाभ/हानि तत्व को समाप्त करने के लिए विचार किया जाना चाहिए। सेल मुख्य रूप से अपने संयुक्त उपक्रमों से बिजली खरीदता है जिसका कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। इसके अलावा, अन्य संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के साथ लेनदेन बहुत महत्वहीन है और उस पर लाभ/हानि की गणना करना भी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है।

44.घ. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	नेट मूल्य			लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
समूह में इकाई का नाम	31 मार्च, 2022 को % में स्वामित्व	आनुपातिक शेयर	समेकित नेट संपत्ति के % के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा	समेकित लाभ/(हानि) के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	100	47,886.61	88.33%	12,015.04	98.13%	(64.45)	665.82%	11,950.59	97.69%
सहायक कंपनियां									
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	164.08	0.30%	19.66	0.16%	0.31	-3.20%	19.97	0.16%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	(0.01)	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
संयुक्त उपक्रम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,718.61	3.17%	179.00	1.46%	(0.02)	0.21%	178.98	1.46%
बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	569.75	1.05%	39.37	0.32%	(0.10)	0.98%	39.27	0.32%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	136.42	0.25%	34.88	0.28%	0.38	-3.93%	35.26	0.29%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40	1.23	0.00%	0.25	0.00%	-	0.00%	0.25	0.00%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	19.84	0.04%	(9.34)	-0.08%	(0.07)	0.75%	(9.41)	-0.08%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड.	47.82	1,136.14	2.10%	(11.08)	-0.09%	54.20	-559.91%	43.11	0.35%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50	30.82	0.06%	0.81	0.01%	-	0.00%	0.81	0.01%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	0.25	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26	3.39	0.01%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लि.	26	2.61	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12	35.34	0.07%	(0.11)	0.00%	-	0.00%	(0.11)	0.00%
सहयोगी							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.38	0.00%	0.08	0.00%	-	0.00%	0.08	0.00%
अनियंत्रित ब्याज		-	-	-	-	-	-	-	-
समेकन समायोजन		**2,504.24**	**4.62%**	**(25.04)**	**-0.20%**	**0.07**	**-0.71%**	**(24.97)**	**-0.20%**
कुल योग		**54,211.69**	**100.00%**	**12,243.47**	**100.00%**	**(9.68)**	**100.00%**	**12,233.79**	**100.00%**

44.ड़. समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III द्वारा अपेक्षित जानकारी

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	नेट मूल्य			लाभ या (हानि)		अन्य व्यापक आय		कुल व्यापक आय	
समूह में इकाई का नाम	31 मार्च, 2021 को % में स्वामित्व	आनुपातिक शेयर	समेकित नेट संपत्ति के % के रूप में	लाभ/(हानि) में हिस्सा	समेकित लाभ/(हानि) के % के रूप में	अन्य व्यापक आय में हिस्सेदारी	समेकित अन्य व्यापक आय के % के रूप में	कुल व्यापक आय में हिस्सेदारी	समेकित कुल व्यापक आय के % के रूप में
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया	**100**	**39,364.35**	**86.69%**	**3,850.02**	**92.81%**	**280.53**	**174.35%**	**4,130.55**	**95.86%**
सहायक कंपनियां									
सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	100	138.68	0.31%	14.22	0.34%	(1.71)	-1.06%	12.51	0.29%
सेल सिंदरी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	100	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	74	0.02	0.00%	(0.01)	0.00%	-	0.00%	(0.01)	0.00%
संयुक्त उपक्रम									
एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड	50	1,639.63	3.61%	174.34	4.20%	0.15	0.09%	174.49	4.05%
बेकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	542.88	1.20%	42.97	1.04%	-	0.00%	42.97	1.00%
एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	50	176.16	0.39%	18.28	0.44%	0.01	0.01%	18.29	0.42%
सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	40	0.98	0.00%	0.22	0.01%	-	0.00%	0.22	0.01%
भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	26	-	0.00%	(9.34)	-0.23%	0.01	0.00%	(9.33)	-0.22%
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	47.82	1,088.43	2.40%	73.82	1.78%	(118.64)	-73.74%	(44.82)	-1.04%
सेल–मॉयल फेरो अलॉय प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल एससीएल केरल लिमिटेड	49.26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल राइट्स बंगाल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	50	30.01	0.07%	1.24	0.03%	-	0.00%	1.24	0.03%
सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	50	0.26	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
सेल–बंगाल अलॉय कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	50	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड	26	5.27	0.01%	(0.34)	-0.01%	-	0.00%	(0.34)	-0.01%
वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड	20.58	1.02	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
एनएमडीसी सेल लिमिटेड	49	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
टीएमटी एसएएल सेल जेवी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
एसएएल सेल जेवीसी लिमिटेड	26	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%
जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लि.	26	2.61	0.01%	0.01	0.00%	-	0.00%	0.01	0.00%
बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	12	35.44	0.08%	0.06	0.00%	-	0.00%	0.06	0.00%
सहयोगी							0.00%		
अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	20	1.31	0.00%	(0.27)	-0.01%	-	0.00%	(0.27)	-0.01%
अनियंत्रित ब्याज				-				-	
समेकन समायोजन		**2,379.18**	**5.24%**	**(17.09)**	**-0.41%**	**0.55**	**0.34%**	**(16.54)**	**-0.38%**
कुल योग		**45,406.23**	**100.00%**	**4,148.13**	**100.00%**	**160.90**	**100.00%**	**4,309.03**	**100.00%**

(₹ करोड़ में)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
45: गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों के विवरण		
वर्तमान		
इन्वेंटरी और व्यापार प्राप्य (गिरवी की सीमा तक)	**3302.98**	3504.00
गैर वर्तमान		
संयंत्र और मशीनरी (चल संपत्ति) – आरएसपी (गिरवी की सीमा तक)	**4100.00**	12267.42
शहर तालुका, जिला अहमदाबाद, गुजरात के मौजे–वाडेज में भूमि और संयंत्र और मशीनरी – भूमि सहित आईएसपी जिस पर यह खड़ा है	**3547.00**	5118.00

46: प्रभावी कर मिलान

कर से पहले लाभ	**16291.87**	7205.65
घरेलू कर की दर	**25.168%**	25.168%
अपेक्षित कर व्यय (क)	**4100.34**	1813.52
कर–मुक्त आय/गैर–कटौती योग्य व्यय के लिए समायोजन	**33.00**	11.87
अंतर कर दर वस्तुओं के लिए समायोजन	**-**	(14.57)
पहले के वर्षों से संबंधित कर	**(45.95)**	1287.94
अन्य	**(38.99)**	(41.23)
कुल समायोजन (ख)	**(51.94)**	1244.01
वास्तविक कर व्यय (ग = क + ख)	**4048.40**	3057.53
कर व्यय में निम्न शामिल हैं:		
वर्तमान कर	**7.25**	16.35
आस्थगित कर ऋण	**4041.15**	3041.17
लाभ और हानि के विवरण में कर व्यय को मान्य	**4048.40**	3057.52

47.1 आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(i)	सेल के खिलाफ लंबित दावा अपीलीय/न्यायिक निर्णय	**36115.34**	33597.55
(ii)	सेल के खिलाफ अन्य दावें जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	**5568.25**	3886.76
(iii)	संयुक्त उद्यम करार के तहत विवादित आयकर/सेवा कर/अन्य मांग, जिसके लिए सेल आकस्मिक रूप से संयुक्त उद्यम के तौर पर उत्तरदायी हो सकता है	**48.86**	61.63
(iv)	ग्राहकों पर आहरित और बैंकों से डिस्काउंट किए गए बिल	**39.84**	255.35
(v)	ठेकेदारों/आपूर्ति कर्ताओं द्वारा किए गए मूल्य वृद्धि के दावे और कर्मचारियों द्वारा दावे	**309.34**	336.32

47.2 क) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की संवैधानिक न्यायपीठ ने 11.11.2016 के अपने फैसले की विवेचना की, जिसमें विभिन्न राज्यों द्वारा लागू किए गए प्रवेश कर अधिनियमों की करारोपण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है और प्रवेश कर की वसूली के विशिष्ट संबंधित मुद्दों को तय करने हेतु विचार/जाँच परिभाषित करने के लिए सिद्धांत/जाँच परिभाषित की है। इस संबंध में 31 मर्च 2022 तक माननीय उच्चतम न्यायालयों/क्षेत्रीय न्यायिक उच्च न्याालयों/नियत प्राधिकारियों की नियमित पीठों के समक्ष मामले लंबित हैं। अन्य न्यायालयों की नियमित न्यायपीठों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मामलों की सुनवाई करेंगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों में प्रवेश कर की करारोपण पर अन्य न्यायालयों की नियमित न्यायपीठ द्वारा लंबित निर्णय, क्रमशः ₹1092.28 करोड़, ₹241.00 करोड़ और ₹86.23 करोड़ के विवाद के तहत प्रवेश कर की माँग 31 मार्च, 2022 तक, ₹1419.51 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1092.28 करोड़, ₹241.00 करोड़, ₹40.14 करोड़ और 31 मार्च, 2021 तक ₹1373.42 करोड़ कुल) को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है। और उपरोक्त नोट संख्या 47.1 (i) में शामिल है।

ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कानूनी प्रश्न को खुला रखते हुए, 18 जनवरी, 2017 के आदेश द्वारा 2009–14 के बिजली शुल्क की अंतरिम टैरिफ याचिका से संबंधित दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के साथ विवाद के संबंध में सेल द्वारा (बोकारो स्टील प्लांट से संबंधित) समूह द्वारा एसएलपी को खारिज कर दिया है। केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के आदेश दिनांक 7/8/2013 द्वारा, टैरिफ़ से संबंधित याचिका संख्या 275/GT/2012 के खिलाफ अपीलीय ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी (एपीटीईएल) के समक्ष 2009–14 से संबंधित टैरिफ़ (2014 की अपील संख्या 14) को चुनौती दी गई है जिसमें सेल ने भी हस्तक्षेप किया है और एपीटीईएल का आदेश लंबित है। इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डीवीसी द्वारा वित्त वर्ष 2004–05 से 2008–09 के टैरिफ से संबंधित सिविल अपील को खारिज कर दिया, जिसके आदेश के खिलाफ एपीटीईएल ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 को रद्द कर दिया, जिसका प्रभाव भविष्य के टैरिफ आदेशों पर भी पड़ सकता है। जैसा कि एपीटीईएल द्वारा निर्देशित किया गया है, राज्य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) द्वारा रिटेल टैरिफ को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वित्तीय जटिलताओं का पता लगाया जा सकता है। झारखंड राज्य के लिए जहां ₹587.72 करोड़ का विवाद उत्पन्न होता है, डीवीसी ने नवंबर, 2020 में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष 2006–07 से 2011–12 की अवधि

के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ अपना खुदरा टैरिफ आवेदन दायर किया और साथ ही 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की मांग। समूह ने डीवीसी के उक्त आवेदन पर दिनांक 28.12.2020 को अपनी आपत्तियां भी दर्ज की हैं। विद्युत टैरिफ़ के लंबित स्थिरीकरण, 31 मार्च, 2022 तक ₹587.72 करोड़ के डीवीसी के विवादित दावों (31 मार्च, 2021 तक ₹587.72 करोड़) को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है और उपरोक्त टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में इसे शामिल किया गया है। उक्त दावों के खिलाफ, डीवीसी को पूरी राशि का भुगतान किया गया है और अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत इसका खुलासा किया गया है। 1 अप्रैल, 2017 से आगे के लिए लाभ और हानि विवरण में पूर्ण बीजक के मूल्य पर विचार किया गया है।

47.3 झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2015 के तहत, झारखंड राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2022 तक, कोयला, लोहा और इस्पात की वस्तुओं के लेनदेन मूल्य पर "बाजार शुल्क" के रुप में ₹4690.37 करोड़ (31 मार्च, 2021 तक ₹4356.65 करोड़) की मांग की है। चूंकि मामला विचाराधीन है, इसलिए राशि को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम 2015 ("एमएमजीसी नियम") को 03.12.2015 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। यद्यपि उक्त नियमों में पट्टों के विस्तार के लिए किसी राशि की वसूली के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था, जिला खनन अधिकारी (डीएमओ), चाईबासा, झारखंड ने गुआ के डुआरगैबुरु पट्टे, किरीबुरु–मेघाहातुबुरु के समामेलित पट्टों और चिरिया के धोबिल पट्टे के संबंध में एमएमजीसी नियम 2015 के तहत भुगतान की मांग उठाई गई थी। नोटिस के एवज में 2980 करोड़ रुपये के सामूहिक भुगतान के बारे में था। समूह ने दिसंबर 2019 में झारखंड के उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करके मांग नोटिस को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 18.12.2019/20.12.2019 द्वारा ऐसे मांग नोटिसों के संचालन पर रोक लगा दी। इस बीच, झारखंड सरकार ने खान मंत्रालय, भारत सरकार से खनिज (सरकारी कंपनी द्वारा खनन) नियम, 2015 (एमएमजीसी) के नियम 5 के तहत मांग उठाने के अधिकार/दावे के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा। खान मंत्रालय, भारत सरकार ने पत्र दिनांक 29.01.2021 के माध्यम से स्पष्ट किया कि एमएमजीसी नियम, 2015 किसी सरकारी कंपनी को दिए गए खनन पट्टों के विस्तार के लिए अतिरिक्त राशि के भुगतान का प्रावधान नहीं करता है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, द्वारा मामले का निस्तारण लंबित है, जिसमें ₹4526.00 करोड़ (31 मार्च, 2021 को ₹3810.71 करोड़) की राशि को उपरोक्त टिप्पणी संख्या 47.1(i) में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

47.4 अपने फैसले में, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी), कोलकाता ने निर्देश दिया है कि इस्पात मंत्रालय संशोधित भत्तों और भत्तों के भुगतान के पहलू पर विचार करेगा और संशोधित भत्तों और भत्ते के भुगतान के लिए उचित निर्णय लेगा, जो कि 26.11.2008 से 4.10.2009 तक की अवधि के लिए ₹309.34 करोड़ है। इस्पात मंत्रालय ने इस मामले की जानकारी समूह को 7.12.2016 को दी। इस मामले में 22.12.2016 को स्थगन याचिका दायर की गई है और यह माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। चूंकि मामला विचाराधीन है, उपरोक्त टिप्पणी संख्या 47.1 (v) में राशि को आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

47.5 सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा स्वदेशी धुलाई कोकिंग कोयले की आपूर्ति का दावा एकतरफा रूप से अधिसूचित मूल्य पर 14 जनवरी, 2017 को किया गया है, जो वर्ष 2016–17 के लिए समूह के साथ पारस्परिक रूप से सहमत मूल्य से विचलन में है। समूह ने संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार सहमत कीमतों के आधार पर आपूर्ति का हिसाब रखा है, जो 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017, समूह और सीसीएल के बीच आपूर्ति के लिए मान्य है। समझौता ज्ञापन दरों के अलावा एकतरफा अधिसूचित उच्च दरों पर ₹137.56 करोड़ की राशि के सीसीएल के विभेदक दावे को उपरोक्त 47.1(ii) टिप्पणी संख्या में आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है।

47.6 (1) पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने अपने दिनांक 1 अप्रैल, 2015 के पत्र संख्या–11–599/2014.एफसी के द्वारा, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (एफसी अधिनियम) के द्वारा गैर–वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के बदलाव के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन संशोधित दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है कि मौजूदा खनन पट्टों में वन भूमि (आंशिक रूप से या पूरी तरह से) होने की स्थिति में, जहां एफसी अधिनियम के तहत वन भूमि के केवल एक हिस्से के लिए ही अनुमोदन प्राप्त हुआ है, केंद्र सरकार ने धारा–2 (iii) के, एफसी अधिनियम के तहत, शेष क्षेत्र को वन भूमि होने के लिए, यदि ऐसी वन भूमि का एनपीवी पहले से वसूल नहीं किया गया है तो कुछ शर्तों के अधीन, सामान्य अनुमोदन प्रदान कर दिया है जिसमें खनन पट्टे में आने वाली संपूर्ण वन भूमि के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) को साकार करना शामिल है।

इस मामले में, सेल द्वारा प्राप्त कानूनी राय के अनुसार, एफसी अधिनियम, 1980 की धारा 2 (iii) सरकारी निगम पर लागू नहीं होगी और एनपीवी को केवल उस सीमित क्षेत्र के लिए भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे MoEF & CC द्वारा अनुमोदित किया गया है और जिसमें खनन कार्य किए जाने प्रस्तावित हैं तथा यह पूरे वन क्षेत्र के लिए नहीं हैं। कुल वन भूमि के लिए एनपीवी की प्रयोज्यता के मामले को सेल ने झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष मामले को रखने का निर्देश दिया है।

छत्तीसगढ़ के प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से पिछले साल प्राप्त ₹96.28 करोड़ की मांग के खिलाफ छत्तीसगढ़ के माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका भी दायर की गई है।

समूह ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़ के पास ₹96.28 करोड़ जमा किए हैं और माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश के खिलाफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है।

₹96.28 करोड़ की विवादित राशि को टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के तहत प्रकट किया गया है।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य ने छत्तीसगढ़ (अद्धोसंरचना विकास और पर्यावरण) उपकार अधिनियम, 2005 बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य में निकाले गए खनिज पर उपकर लगाया। बीएसपी ने छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय में एक आज्ञापत्र दायर कर अधिनियम को अल्ट्रा वायर्स के रूप में चुनौती दी। हालांकि, बीएसपी ने विरोध के तहत 2021–22 तक ₹190.80 करोड़ जमा कर सरकारी विभाग के पास जमा करा दिए गए हैं के रूप में दिखाया है। कुल विवादित राशि ₹190.80 करोड़ (पिछले वर्ष ₹168.23 करोड़) को टिप्पणी संख्या 47.1.(i) में आकस्मिक देयता के तहत प्रकट किया गया है।

47.7 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 2 अगस्त, 2017 के अवैध खनन के संबंध में, कॉमन कॉज़ मामले में, दिए गए निर्णय के अनुसरण में, धारा 21 (5) के तहत पर्यावरणीय मंजूरी के बिना और निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादित खनिजों की कीमत की वसूली के लिए मांग/कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। यह खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन मंजूरी और आपरेट करने के लिए सहमति से अधिक उत्पादन हेतु जारी किया है। ग्रुप ने झारखंड और ओडिशा के उच्च न्यायालय के समक्ष कथित मांग को चुनौती दी है और मांग पर स्टे प्राप्त किया है।

(क) चूंकि मामला अंतिम निर्धारण के लिए लंबित है और मौजूदा मुकदमेबाज की जटिलताओं को देखते हुए, ग्रुप ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निर्णय लिया है:

(i) लौह अयस्क के संबंध में, ओडिशा सरकार और झारखंड सरकार द्वारा ₹345.03 करोड़ और ₹2573.03 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹311.99 करोड़ और ₹2347.52 करोड़) क्रमशः (ब्याज सहित) की राशि मांगी गई है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, ग्रुप ने अनुमानित आधार पर ₹329.67 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹378.65 करोड़) की राशि प्रदान की है। ₹2588.39 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹2280.86 करोड़) (ब्याज सहित) की शेष राशि को ऊपर दी गई टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(iii) चूने के पत्थर के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹52.35 करोड़ (ब्याज सहित) (31 मार्च 2021 को ₹51.01 करोड़) की राशि मांगी गई है। आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, ग्रुप ने अनुमानित आधार पर 6.86 करोड़ रुपये (31 मार्च 2021 तक ₹12.20 करोड़) की राशि प्रदान की है। ₹45.49 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹38.81 करोड़) (ब्याज सहित) की शेष राशि को टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

(iii) कोयले के संबंध में, झारखंड सरकार द्वारा ₹675.62 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹595.35 करोड़) (ब्याज सहित) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर) की धारा 30 के साथ पठित, खनिज रियायत नियम, 1960 की धारा 55 (5) के तहत, संशोधित आवेदन दायर किया गया है। कोयला मंत्रालय के परिशोधन प्राधिकरण ने ग्रुप को स्टे जारी कर दिया है। तदनुसार लंबित निपटान के कारण, टिप्पणी संख्या 47.1 (i) में, ₹675.62 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹595.35 करोड़) (ब्याज सहित) की राशि को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।

47.8 क) आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल द्वारा दी गई सजा के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले के संबंध में, समूह अब अदालत के बाहर निपटान पर विचार कर रहा है। तदनुसार 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में असाधारण मद के तहत ₹353.41 करोड़ की राशि प्रभारित की गई है।

ख) मैसर्स जेएससी क्रायोजेनमैश ने, अनुबंध से उत्पन्न विवाद के समाधान के लिए ग्रुप/भिलाई स्टील संयंत्र के खिलाफ इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के समक्ष मामला दायर किया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने ग्रुप/भिलाई इस्पात संयंत्र के खिलाफ 20.07.2018 को ₹106.92 करोड़ का अवार्ड दिया है।

पुरस्कार के खिलाफ प्रबंधन ने दिल्ली में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की है जिसे दाखिल कर लिया गया है। अपील के लंबित निपटान के लिए, टिप्पणी संख्या 47.1 (ii) में आकस्मिक देयता के तहत ₹133.65 करोड़ (ब्याज सहित) की राशि का खुलासा किया गया है।

47.9 5.545 एकड़ भूमि, डीवीसी को 30 वर्षों के लिए अर्थात 12.07.1966 से लंबी अवधि के पट्टे के आधार पर दी गई थी। एएसपी लाभ हेतु बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रिकल सब–स्टेशन स्थापित करने के लिए डीवीसी को जमीन दी गई थी। बाद की अवधि के लिए अर्थात दिनांक 13/07/1996 से कोई पट्टा समझौता नहीं था। किसी समझौते के अभाव में, उक्त अवधि के लिए देय राशि, उचित निश्चितता के साथ ज्ञात नहीं की जा सकती है। इसे निपटान के वर्ष में उसी हिसाब से रखा जाएगा।

47.10 माननीय ओडिशा उच्च न्यायालय के आदेश के परिणामस्वरूप, पट्टे के नवीनीकरण के लिए कंपनी का दावा (कुल क्षेत्र 2599.54 एकड़), हॉरोमोटो स्टैंड की भूमि का, सतह क्षेत्र 222.54 एकड़ को छोड़कर, खारिज कर दिया गया है जिसके लिए राज्य सरकार को कानून के प्रावधानों के अनुसार विचार करने के लिए निर्देशित किया गया।

47.11 मेसर्स गोयल एमजी गैस प्रा. लिमिटेड (दावेदार) और समूह/एलॉय इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर (प्रतिवादी) के बीच मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाला एक पुरस्कार, जिसमें ₹116.86 करोड़ के दावे की मांग दिनांक 22.05.2020 को स्कोप, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.05.2020 के तहत प्राप्त हुई है।

पूर्वोक्त निर्णय द्वारा, न्यायाधिकरण ने इस संबंध में दावेदार के दावा संख्या 1 और 2 की अनुमति दी कि दावेदार द्वारा दावा किए गए बाजार दर के आधार पर डीएसपी बीओओ प्लांट से एएसपी तक आर्गन के परिवहन शुल्क से संबंधित अंतर राशि और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन की व्यापारी बाजार बिक्री के कारण दावेदार के बिलों से एएसपी द्वारा रोकी गई/कटौती की गई राशि की वापसी कुल दावा राशि में से उस पर लागू ब्याज के साथ की जाए।

समूह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 (अधिनियम) की धारा 34 के तहत जिला अदालत/वाणिज्यिक अदालत के समक्ष एक याचिका दायर करने के लिए आगे कदम उठाने की प्रक्रिया में है, क्योंकि पुरस्कार देते समय मुद्दे ट्रिब्यूनल द्वारा किए गए पेटेंट अवैधता से संबंधित हैं।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित राशि के आधार पर, 31 मार्च, 2022 को ब्याज सहित ₹10.92 करोड़ की शुद्ध विवादित देनदारी को टिप्पणी संख्या

47.1(i) उपरोक्त में आकस्मिक देयता के तहत दिखाया गया है।

47.12 पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ) से पर्यावरण मंजूरी के अभाव में जनवरी 2017 से समूह में खनन कार्यों को रोक दिया गया है। समूह ने जनवरी 2017 के दौरान पर्यावरण मंजूरी के लिए पर्यावरण मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत किया है।

एमओईएफ ने एमएमडीआर अधिनियम 1957 की धारा 21(5) के तहत प्रावधान के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी के अभाव में, खनन गतिविधियों के संचालन के खिलाफ देय मुआवजे की राशि के निपटान के संबंध में खान एवं भूविज्ञान विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए समूह को निर्देश दिया है, जैसा कि इसी तरह के मामलों के लिए 2 अगस्त, 2017 के अपने फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था।

राज्य सरकार ने तीन मेमो क्रमांकः ROC NO.45/2018/M-5/ MINES-A, ROC NO.45/2018/M-6/MINES-A और ROC NO.45/2018/M-7/ MINES-A , सभी दिनांक 04.03.2020 के जरिए समूह को दिनांक 01.04.2000 से 31.03.2017 की अवधि के लिए पर्यावरण मंजूरी के संबंध में मुआवजे के रूप में ₹49.07 करोड़ जमा करने का निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार से प्राप्त मांग के अनुसार वर्ष 2018–19 के दौरान समूह खातों में 15.01.2016 से 10.01.2017 की आंशिक अवधि के लिए ₹15.66 करोड़ की देनदारी का भुगतान किया गया था। देनदारी की शेष राशि ₹33.41 करोड़ को वर्ष 2019–20 के दौरान खातों में कर दिया गया है और गैर–चालू देयता के तहत शामिल किया गया है।

2 फरवरी, 2021 को अतिरिक्त मुख्य सचिव, उद्योग, तमिलनाडु सरकार और अन्य अधिकारियों के साथ हुई बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर और बाद में समूह बोर्ड द्वारा परिपत्र संकल्प संख्या सीआईआर–47/01 दिनांक 31.12.2021 द्वारा अनुमोदन के बाद, लाल पहाड़ी खानों के संबंध में पर्यावरण मंजूरी के संबंध में 2021–22 के दौरान 100% मुआवजे की ओर तमिलनाडु सरकार को ₹36.77 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है।

48.1 **(क)** अनुबंधों की निष्पादित मात्रा जिन्हें निष्पादित किया जाना चाहिए और जिन्हें (अग्रिमों का शुद्ध) प्रदान नहीं किया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
पूंजी प्रतिबद्धताएं	**6295.48**	5545.87
अन्य प्रतिबद्धताएं	**4256.73**	4282.34

(ख) निम्नलिखित अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख/पट्टा समझौते (लाइन आइटम 'संपत्ति संयंत्र और उपकरण' और 'उपयोग संपत्ति का अधिकार' के तहत शामिल) समूह के नाम पर नहीं हैं: **31 मार्च, 2022 तक**

क्र. सं.	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़ में)	टाइटल डीड जिसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक आदि है (हां/नहीं)	दिनांक/महीना/वर्ष जब से संपत्ति रखी गई है	समूह के नाम पर नहीं होने का कारण
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	पंजीकरण लंबित
2	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	से 1960	झारखंड सरकार और सेल/बोकारो स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकताएं प्रतिक्षित हैं
3	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित
4	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	11.97	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित
5	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित
6	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित
7	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	3.85	चेन्नई मेट्रो विकास प्राधिकरण	नहीं	06.03.1995	पंजीकरण लंबित
9	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31.03.1984	पंजीकरण लंबित
10	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	23.04	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी	नहीं	09.10.2009	पंजीकरण लंबित
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भवन	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01.08.2019	पंजीकरण लंबित
12	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.48	राज्य सरकार	नहीं	सितम्बर 1958	अधिकारों के रिकॉर्ड की प्राप्ति लंबित (आरओआर)

नोट 48.1 (ख) जारी...

क्र. सं.	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़ में)	टाइटल डीड जिसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/ निदेशक आदि है (हां/नहीं)	दिनांक/ महीना/वर्ष जब से संपत्ति रखी गई है	समूह के नाम पर नहीं होने का कारण
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.56	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए टाइटल डीड निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	1972 से 1980	भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी
14	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा अधिकृत (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
15	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	15.07	छत्तीसगढ़ सरकार	नहीं	01-03-2013	संबंधित अधिकारियों के साथ लिया गया
16	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.01	एशियाई रिफ्रेक्ट्रीज	नहीं	05-04-1963	उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से पुनर्वास
17	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
18	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	15-09-1960	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
19	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	10.29	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1986 to 2008	म्यूटेशन लंबित है
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.09	विभिन्न पार्टियां	नहीं	1954-1974	म्यूटेशन लंबित है
21	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01.08.2011	पट्टा संपत्ति का अधिकार सेल के नाम पर 99 वर्षों के लिए है
22	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	147.81	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी)	नहीं	01.02.2009	UPSIDC यूपी के साथ मुकदमा
23	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	3.28	ओडिशा सरकार	नहीं	Since 1960s	1960 के बाद से ओडिशा सरकार के साथ पट्टा समझौते का अभाव

31 मार्च, 2021 को

क्र. सं.	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़ में)	टाइटल डीड जिसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/ निदेशक आदि है (हां/नहीं)	दिनांक/ महीना/वर्ष जब से संपत्ति रखी गई है	समूह के नाम पर नहीं होने का कारण
1	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	33.50	विभिन्न पार्टियां	नहीं	मान्य नहीं	पंजीकरण लंबित
2	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01.08.2011	पट्टा संपत्ति का अधिकार सेल के नाम पर 99 वर्षों के लिए है
3	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.96	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	1963	पंजीकरण आरओआर
4	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	126.24	झारखंड राज्य सरकार	नहीं	से 1960	झारखंड सरकार और सेल/ बोकारो स्टील प्लांट के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की औपचारिकताएं प्रतिक्षित हैं
5	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	16.80	कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट नहीं	नहीं	07-05-2014	पंजीकरण लंबित
6	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	11.97	विजाग सीपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं	27-07-2004	पंजीकरण लंबित
7	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.91	जम्मू और कश्मीर सरकार	नहीं	05-07-1968	पंजीकरण लंबित
8	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.13	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड	नहीं	25-02-1970	पंजीकरण लंबित
9	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.67	कानपुर विकास प्राधिकरण	नहीं	1986	पंजीकरण लंबित
10	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	3.85	चेन्नई मेट्रो विकास प्राधिकरण	नहीं	06.03.1995	पंजीकरण लंबित
11	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.06	दक्षिणी रेलवे	नहीं	31.03.1984	पंजीकरण लंबित
12	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	23.04	कोलकाता मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी	नहीं	09.10.2009	पंजीकरण लंबित
13	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	भवन	0.28	अशोक शंकर भटनागर (एचयूएफ)	नहीं	01.08.2019	पंजीकरण लंबित

नोट 48.1 (ख) जारी...

क्र. सं.	बैलेंस शीट में लाइन आइटम	संपत्ति की प्रकृति	सकल मूल्य (₹ करोड़ में)	टाइटल डीड जिसके नाम पर है	क्या टाइटल डीड धारक प्रमोटर/निदेशक आदि है (हां/नहीं)	दिनांक/महीना/वर्ष जब से संपत्ति रखी गई है	समूह के नाम पर नहीं होने का कारण
14	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	2.50	राज्य सरकार	नहीं	सितम्बर 1958	राजस्व रिकॉर्ड और अधिकारों के रिकॉर्ड की प्राप्ति (आरओआर) के साथ मिलान सितंबर 1958 से लंबित
15	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	7.56	राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए टाइटल डीड निष्पादित नहीं की गई	नहीं	1972 से 1980	भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई थी
16	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.20	मेकॉन लिमिटेड	नहीं	1979-1980	मेकॉन लिमिटेड द्वारा अधिकृत (1978 के अधिनियम संख्या 16 के अनुसार)
17	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	15.07	सीजी सरकार	नहीं	01-03-2013	संबंधित अधिकारियों के साथ लिया गया
18	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.01	एशियाई रिफ्रेक्ट्रीज	नहीं	23106.00	उद्योग विभाग, बिहार सरकार की ओर से पुनर्वास
19	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.12	असम सिलिमिनाइट्स एंड भारत रिफ्रेक्ट्रीज लिमिटेड	नहीं	11-02-1976 और 30-04-1978	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
20	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.13	इंडिया फायरब्रिक्स एंड इंसुलेशन कंपनी लिमिटेड	नहीं	22174.00	उद्योग विभाग की ओर से पुनर्वास
21	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	10.29	विभिन्न पार्टियाँ	नहीं	1986 to 2008	म्यूटेशन लंबित है
22	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.09	विभिन्न पार्टियाँ	नहीं	1954-1974	म्यूटेशन लंबित है
23	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	0.24	विभिन्न पार्टियाँ	नहीं	1919-1972	म्यूटेशन लंबित है
24	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज होल्ड भूमि	0.49	पश्चिम बंगाल सरकार	नहीं	01.08.2011	पट्टा संपत्ति का अधिकार सेल के नाम पर 99 वर्षों के लिए है
25	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	फ्रीहोल्ड भूमि	124.74	यूपीएसआईडीसी (UPSIDC)/और ओडिशा सरकार	नहीं	01.02.2009 और 1960 के दशक से क्रमशः	यूपीएसआईडीसी (UPSIDC)/यूपी के साथ मुकदमेबाजी और ओडिशा सरकार के साथ लीज समझौते का अभाव।

48.2 सेल के संबंध में:

(ए) सीडबल्यूआईपी एजिंग शिड्यूल

तुलन पत्र में प्रारंभिक मान्यता से 31 मार्च, 2022 तक सीडबल्यूआईपी की राशि*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीडबल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएं प्रगति पर	833.02	475.39	328.31	2372.72	4009.44
2	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	0.12	0.65	2.23	4.28	7.28
	कुल	**833.14**	**476.04**	**330.54**	**2377.00**	**4016.72**

तुलन पत्र में प्रारंभिक मान्यता से 31 मार्च, 2021 तक सीडबल्यूआईपी की राशि*

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीडबल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएं प्रगति पर	1137.81	1536.65	1450.21	4749.93	8874.60
2	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	0.00	0.01	1.32	2.55	3.88
	कुल	**1137.81**	**1536.66**	**1451.53**	**4752.48**	**8878.48**

*आंकड़े प्रावधान के कुल हैं

(बी) 31 मार्च, 2022 को अतिदेय परियोजनाओं के लिए सीडबल्यूआईपी पूरा होने का शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीडबल्यूआईपी	को पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से ज्यादा
	परियोजनाएं प्रगति पर हैं				
1	एडिश्नल नाइट्रोजन कंप्रेसर ऑक्सी प्लांट का इंस्टॉलेशन	4.77	-	-	-
2	ब्लास्ट फर्नेस के पुराने जीसीपी कूलिंग टॉवर का नवीनीकरण	5.08	-	-	-
3	स्टील मेल्टिंग शॉप पर लैडल टिल्टर	5.07	-	-	-
4	सिंटर संयंत्र में ईएसपी–2 और वायवीय संदेश प्रणाली	2.78	-	-	-
5	33केवी/11केवी पुनाबाद उपकेन्द्र में बिजली आपूर्ति	8.95	-	-	-
6	रेलवे पहियों के लिए गतिशील संतुलन मशीन	2.45	-	-	-

नोट 48.2 (ख) जारी... (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीडबल्यूआईपी	को पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से ज्यादा
7	बीओएफ में LF–1 और LF–2 के लिए बंद शीतल जल परिपथ	5.98	-	-	-
8	ऑक्सी–ईंधन गैस काटने वाली मशालों द्वारा यांत्रिक शियर	5.10	-	-	-
9	कास्ट हाउस टैप होल ड्रिलिंग मशीन और मड गन	11.70	-	-	-
10	ब्लास्ट फर्नेस–4 में चौथे स्टोव का इंस्टॉलेशन	4.29	-	-	-
11	भट्टी से शेष संयंत्र तक CO_2 गैस की डुप्ली लाइन	19.47	-	-	-
12	ब्लास्ट फर्नेस में पीएलसी सिस्टम का प्रतिस्थापन	2.06	-	-	-
13	WAP से RM आरएम तक स्वच्छ गड्ढे के पानी का पुनरावर्तन	0.50	-	-	-
14	सीओसीसी में कूलिंग टॉवर का पुनरुद्धार।	-	0.02	-	-
15	सीओसीसी में ASP गैस बूस्टर की स्थापना	0.16	-	-	-
16	आरएमएचपी में बाल्टी व्हील ब्लेंडर	17.17	-	-	-
17	सीओसीसी में नए कोक ओवन गैस की स्थापना	-	0.07	-	-
18	बीओओ आक्सीजन संयंत्र में नियंत्रण केबलों का मोड़	-	-	0.68	-
19	2 जल सहित फोम फायर टेंडर की खरीद	0.01	-	-	-
20	इलेक्ट्रो स्लैग रीमेल्टिंग यूनिट	3.07			
21	पोर्टेबल ऑप्टिकल उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर	0.37			
22	उद्यम खरीद प्रणाली	0.32			
23	स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप	4.49			
24	रेलवे यार्ड का विकास	8.34			
25	हीरापुर यार्ड में 25 केवी एसी ट्रैक्शन का इरेक्शन	5.60			
26	फ्लाईओवर का निर्माण	17.40			
27	BF#05 को इटरप्लांट बाईपास पाइपलाइन	4.53			
28	टीआरटी सहित सिंटर प्लांट और पीबीएस से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण	5.99			
29	CCP, RHF, WRBM, USM, CCAS और ऑक्सीजन संयंत्र से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण	5.23			
30	BF, BOF और PBS सील पॉट से अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण	4.10			
31	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	5.24			
32	SRU RRRP पर भारी मोल्ड हैंडलिंग सिस्टम	1.44			
	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित				
1	डायनामिक व्हील बैलेंसिंग के लिए व्हील हैंडलिंग सिस्टम	-	-	0.66	-
2	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइनें	6.36	-	-	-

31 मार्च, 2021 को अतिदेय परियोजनाओं के लिए सीडबल्यूआईपी कमप्लीशन शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीडबल्यूआईपी	को पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से ज्यादा
	परियोजनाएं प्रगति पर हैं				
1	एडिश्नल नाइट्रोजन कंप्रेसर ऑक्सी प्लांट का इंस्टॉलेशन	-	4.77	-	-
2	2x20 मेगावाट एमडबल्यू एनपीपी के लिए बिजली निकासी प्रणाली	51.82	-	-	-
3	नई रोटरी चूल्हा भट्टी फिर से गरम करने वाली भट्टी डब्ल्यूईएमएएन	35.25	-	-	-
4	ब्लास्ट फर्नेस के पुराने जीसीपी कूलिंग टॉवर का नवीनीकरण	-	4.60	-	-
5	Bof और CCP ठंडा पानी संयंत्र का प्रतिस्थापन	3.13	-	-	-
6	4 डिटैरर (इलेक्ट्रोस्टैटिक टार प्रीसिपिटेटर्स)	6.24	-	-	-
7	स्टील मेल्टिंग शॉप पर लैडल टिल्टर	-	4.67	-	-
8	1.0 एमटी कोयला रसायन में प्राथमिक गैस कूलर नंबर 1,5 और 11	3.20	-	-	-
9	Bof शॉप में कैंटिलीवर क्रेन का प्रतिस्थापन	0.97	-	-	-
10	सिंटर प्लांट में ईएसपी–2 और वायवीय संदेश प्रणाली	-	2.62	-	-
11	सजारा के सबस्टेशन भवन में यात्री एवं माल लिफ्ट	0.69	-	-	-
12	कोब–06 0.04 की कार नंबर–15 चार्ज करने के लिए एयर कंडीशनिंग मशीन	0.04	-	-	-
13	33केवी/11केवी पुनाबाद उपकेन्द्र पर विद्युत आपूर्ति	-	2.87	-	-
14	सीओबी–3–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 की सिलिका ईंटों का प्रतिस्थापन	24.47	-	-	-
15	रेलवे पहियों के लिए गतिशील संतुलन मशीन	-	2.22	-	-
16	C की हार्ड फेसिंग के लिए सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग मशीन	-	-	-	0.12
17	Bof में LF–1 और LF–2 के लिए बंद शीतल जल परिपथ	-	5.23	-	-

नोट 48.2 जारी... (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीडबल्यूआईपी	को पूरा किया जाना है			
		0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से ज्यादा
18	ऑक्सी–ईंधन गैस कटिंग टॉर्च द्वारा यांत्रिक शीयर	-	2.48	-	-
19	कास्ट हाउस नल होल ड्रिलिंग मशीन और मड गन	-	1.15	-	-
20	कोक ओवन बैटरी नं. 3 की मरम्मत/कोल्ड मरम्मत	14.04	-	-	-
21	BF–2, BF–3 और BF–4 पर लिफ्टों का नवीनीकरण	-	0.68	-	-
22	2x20 मेगावाट एनपीपी बिजली निकासी के लिए 4, 33 केवी रिएक्टर	5.77	-	-	-
23	BRC के लिए शेष संरचनात्मक कार्य	0.16	-	-	-
24	मर्चेंट मिल में अतिरिक्त कूलिंग वाटर लाइन	2.95	-	-	-
25	व्हील प्लांट में ऑनलाइन कठोरता परीक्षण मशीन	1.29	-	-	-
26	सीओबी–3–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 में पुशर साइड वेस्ट गैस टनल की मरम्मत	0.35	-	-	-
27	सीओबी–3–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 के लिए डोर फ्रेम और डोर बॉडी की खरीद	2.10	-	-	-
28	ब्लास्ट फर्नेस 4 में चौथे स्टोव का इंस्टॉलेशन	-	1.34	-	-
29	कोक–कोल्ड रिपेयर सीओबी–03 में 160 डोर बॉडीज की खरीद	7.57	-	-	-
30	सीओबी–3–कोल्ड रिपेयर–कोब–03 में 160 दरवाजे ईंटों की खरीद	0.14	-	-	-
31	आरएमएचपी में बाल्टी व्हील ब्लेंडर	-	1.82	-	-
32	गतिशील व्हील संतुलन के लिए व्हील हैंडलिंग सिस्टम	-	-	-	0.54
33	डीएसपी टाउन में अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति लाइन	-	6.36	-	-
34	परियोजना 1 (एक्स–रे टोमोग्राफी सिस्टम)	2.61			
35	प्रोजेक्ट 2 (एक्स–रे डिफ्रेक्टोमीटर सिस्टम)	1.38			
36	रेलवे यार्ड का विकास	9.12			
37	हीरापुर यार्ड में 25केवी एसी ट्रैक्शन का निर्माण	2.64			
38	रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	5.75			
39	फ्लाईओवर का निर्माण	14.61			
40	BF#05 से बाईपास पाइपलाइन तक इंटरप्लांट	3.12			
41	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	4.12			
42	2500 टन प्रेस	0.04			
43	सॉफ्टवेयर ईआरपी	1.08			
44	निर्माण अवधि के दौरान व्यय	-	-	-	0.59
	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित				
1	अवसंरचनात्मक सुविधाएं – विस्तार–ग्रामीण भारत	-	-	-	1.04

एसआरसीएल के संबंध में:

सीडबल्यूआईपी एजिंग शिड्यूल

तुलन पत्र में प्रारंभिक मान्यता से 31 मार्च, 2022 को सीडबल्यूआईपी की राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीडबल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएं प्रगति पर	-	-	-	-	-
2	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	कुल	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च, 2021 को सीडबल्यूआईपी के पूरे होने का शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीडबल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएं प्रगति पर	2.15	-	-	-	-
2	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	कुल	**2.15**	**-**	**-**	**-**	**-**

सीडबल्यूआईपी कम्प्लीशन शिड्यूल

31 मार्च, 2022 को सीडबल्यूआईपी के पूरे होने का शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीडबल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएं प्रगति पर	2.15	-	-	-	-
2	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित	-	-	-	-	-
	कुल	**2.15**	**-**	**-**	**-**	**-**

नोट 48.2 (ख) जारी...

सीडबल्यूआईपी कम्प्लीशन शिड्यूल
31 मार्च, 2021 को सीडबल्यूआईपीके पूरे होने का शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीडबल्यूआईपी	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	परियोजनाएं प्रगति पर		-	-	-	-
2	परियोजनाएं अस्थायी रूप से निलंबित		-	-	-	-
	कुल		**-**	**-**	**-**	**-**

48.3 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED) में परिभाषित है (जैसा कि नोट संख्या 30 व्यापार देय में बताया गया है) को उस सीमा तक निर्धारित किया गया है, जो ऐसी पार्टियां है जो समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर पहचानी जाती हैं। एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 22 के तहत 31 मार्च, 2022 तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित डिसक्लोजर निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i.	वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ताओं को बकाया मूल राशि।	**140.65**	103.57
ii.	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में बकाया राशि।	-	-
iii.	धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, आगे के वर्ष में भी बकाया और देय ब्याज की राशि, ऐसी तारीख तक जब तक कि ब्याज देय राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है।	-	-
iv.	उस पर देय ब्याज वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को भुगतान नहीं किया गया।	-	-
		समाप्त वर्ष के लिए	
		31 मार्च, 2022 तक	**31 मार्च, 2021 तक**
v.	वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ धारा 16 के अनुसार भुगतान की गई ब्याज की राशि।	-	-
vi.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-

48.4 सेल के संबंध में:

(ए) **व्यापार देय एजिंग शिड्यूल**

(₹ करोड़ में)

		भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 तक बकाया						
क्र. सं.	विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएसएमई – निर्विवाद	-	24.11	116.54	-	-	-	140.65
	उप–योग – ए	**-**	**24.11**	**116.54**	**-**	**-**	**-**	**140.65**
3	अन्य – विवादित	1.92	2.39	0.27	0.92	41.26	18.25	65.01
4	अन्य – निर्विवाद	1670.43	935.63	13241.25	127.41	196.40	541.23	16712.35
	उप–योग – बी	**1672.35**	**938.02**	**13241.52**	**128.33**	**237.66**	**559.48**	**16777.36**
	कुल योग (ए+बी)	**1672.35**	**962.13**	**13358.06**	**128.33**	**237.66**	**559.48**	**16918.01**

(₹ करोड़ में)

		भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 तक बकाया						
क्र. सं.	विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएसएमई – निर्विवाद	-	20.50	83.07	-	-	-	103.57
	उप–योग – ए	**-**	**20.50**	**83.07**	**-**	**-**	**-**	**103.57**
3	अन्य – विवादित	-	-	0.92	41.26	0.57	17.67	60.42
4	अन्य – निर्विवाद	1318.62	845.74	4956.49	456.82	115.02	185.38	7878.07
	उप–योग – बी	**1318.62**	**845.74**	**4957.41**	**498.08**	**115.59**	**203.05**	**7938.49**
	कुल योग (ए+बी)	**1318.62**	**866.24**	**5040.48**	**498.08**	**115.59**	**203.05**	**8042.06**

नोट 48.4 जारी...

(बी) अपेक्षित क्रेडिट नुकसान

समूह निम्नलिखित के आधार पर अपेक्षित ऋण हानि प्रदान करता है:

समूह एक सरलीकृत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए व्यापार प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित ऋण हानियों को पहचानता है और व्यापार प्राप्तियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रासंगिक हानि प्रतिशत पर पहुंचने के लिए ऐतिहासिक जानकारी का उपयोग करता है:

व्यापार प्राप्य एजिंग शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 तक बकाया								
विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(ए) वर्तमान:									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	11.41	3371.78	740.22	100.82	117.42	223.00	163.94	7.81	4736.40
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	0.38	-	0.43
	11.41	**3371.78**	**740.22**	**100.82**	**117.47**	**223.00**	**164.32**	**7.81**	**4736.83**
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	192.14	192.14
विवादित – क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-	68.79
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**260.93**	**260.93**
कुल वर्तमान	**11.41**	**3371.78**	**740.22**	**100.82**	**117.47**	**223.00**	**164.32**	**268.74**	**4997.76**
(बी) गैर–वर्तमान:									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – अच्छा माना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	0.04	-	-	0.04
विवादित – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	7.83	-	-	7.83
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.87**	**-**	**-**	**7.87**
कुल गैर–वर्तमान	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.87**	**-**	**-**	**7.87**
सकल योग	**11.41**	**3371.78**	**740.22**	**100.82**	**117.47**	**230.87**	**164.32**	**268.74**	**5005.63**
अपेक्षित हानि (%)	-	-	-	-	-	0.11	0.02	0.89	1.02
क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	0.27	-	-	24.47	3.97	240.09	268.80
शुद्ध वहन मूल्य	11.41	3371.78	739.95	100.82	117.47	206.40	160.35	28.65	4736.83

(₹ करोड़ में)

	भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 तक बकाया								
विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि									
(ए) वर्तमान:									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	3294.54	1147.44	723.22	1953.55	966.01	33.82	19.11	8137.69
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	0.05	-	0.38	-	0.72	1.15
	-	**3294.54**	**1147.44**	**723.27**	**1953.55**	**966.39**	**33.82**	**19.83**	**8138.84**
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	145.69	145.69
विवादित – क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	91.19	91.19
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**236.88**	**236.88**
कुल वर्तमान	**-**	**3294.54**	**1147.44**	**723.27**	**1953.55**	**966.39**	**33.82**	**256.71**	**8375.72**
(बी) गैर–वर्तमान:									
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – अच्छा माना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	7.83	-	-	7.83
	-	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.83**	**-**	**-**	**7.83**
कुल गैर–वर्तमान	-	-	-	-	-	7.83	-	-	7.83
सकल योग	**-**	**3294.54**	**1147.44**	**723.27**	**1953.55**	**974.22**	**33.82**	**256.71**	**8383.55**
अपेक्षित हानि (%)	-	-	-	-	-	0.01	0.10	0.88	1.00
क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	0.74	1.27	0.03	12.27	3.44	226.96	244.71
शुद्ध वहन मूल्य	**-**	**3294.54**	**1146.70**	**722.00**	**1953.52**	**961.95**	**30.38**	**29.75**	**8138.84**

नोट 48.4 जारी...

अपेक्षित ऋण हानि भत्ते का समाधान (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
	31 मार्च, 2020 तक	**215.40**
	भत्ते में परिवर्तन	29.31
	31 मार्च, 2021 तक	**244.71**
	भत्ते में परिवर्तन	23.73
	31 मार्च, 2022 तक	**268.44**

एसआरसीएल के संबंध में:

व्यापार देय एजिंग शिड्यूल

(₹करोड़ में)

भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2022 तक बकाया								
क्र. सं.	विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएसएमई – निर्विवाद	-	-	-	-	-	-	-
	उप–योग – ए	-	-	-	-	-	-	-
3	अन्य – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
4	अन्य – निर्विवाद	-	-	3.82	-	0.19	3.15	7.16
	उप–योग – बी	**-**	**-**	**3.82**		**0.19**	**3.15**	**7.16**
	कुल योग (ए+बी)	**-**	**-**	**3.82**		**0.19**	**3.15**	**7.16**

(₹ करोड़ में)

भुगतान की देय तिथि से 31 मार्च, 2021 तक बकाया								
क्र. सं.	विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
1	एमएसएमई – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
2	एमएसएमई – निर्विवाद	-	-	-	-	-	-	-
	उप–योग – ए	-	-	-	-	-	-	-
3	अन्य – विवादित	-	-	-	-	-	-	-
4	अन्य – निर्विवाद	-	-	0.59	0.21	0.27	3.62	4.69
	उप–योग – बी	**-**	**-**	**0.59**	**0.21**	**0.27**	**3.62**	**4.69**
	कुल योग (ए+बी)	**-**	**-**	**0.59**	**0.21**	**0.27**	**3.62**	**4.69**

व्यापार प्राप्य एजिंग शिड्यूल

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को व्यापार प्राप्तियों की एजिंग									
विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ए) वर्तमान:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	31.48		2.54	-	-	-	**34.02**
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान	-	-	**31.48**		**2.54**	-	-	-	**34.02**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(बी) गैर–वर्तमान:	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – अच्छा माना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	1.15	0.10	5.46	6.71

नोट 48.4 जारी... (₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को व्यापार प्राप्तियों की एजिंग									
विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
विवादित – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल गैर–वर्तमान	-	-	-	-	-	**1.15**	**0.10**	**5.46**	**6.71**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित हानि (:)	-	-	-	-	-	100	100	100	100
क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	1.15	0.10	5.46	6.71
शुद्ध वहन मूल्य	-	-	**31.48**	-	**2.54**	**0**	**0**	**0**	**34.02**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2021 को व्यापार प्राप्तियों की एजिंग									
विवरण	बिल न की गई बकाया राशि	देय नहीं	0–3 महीने	3–6 महीने	6–12 महीने	12–24 महीने	24–36 महीने	36 महीने से अधिक	कुल
सकल वहन राशि	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(ए) वर्तमानः	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	14.52	-	15.18	-	-	-	29.70
विवादित – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – क्रेडिट बाधित	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल वर्तमान	-	-	**14.52**	-	**15.18**	-	-	-	**29.70**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(बी) गैर–वर्तमानः	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-	-	-	-
विवादित – अच्छा माना	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
निर्विवाद – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	0.76	0.14	6.76	7.66
विवादित – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल गैर–वर्तमान	-	-	-	-	-	**0.76**	**0.14**	**6.76**	**7.66**
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सकल योग	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अपेक्षित हानि (%)	-	-	-	-	-	-	-	100	
क्रेडिट हानि भत्ता	-	-	-	-	-	-	-	6.76	6.76
शुद्ध वहन मूल्य	-	-	**14.52**	-	**15.18**	**0.76**	**0.14**	-	**30.60**

अपेक्षित ऋण हानि भत्ते का समाधान (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि
	31 मार्च, 2020 को	**6.76**
	भत्ते में परिवर्तन	0.00
	31 मार्च, 2021 को	**6.76**
	भत्ते में परिवर्तन	0.05
	31 मार्च, 2022 को	**6.71**

नोट 48.4 जारी... **(₹ करोड़ में)**

48.5 कुछ व्यापार प्राप्तियों, अन्य परिसंपत्तियों, व्यापार और अन्य देय राशियों की शेष राशि पुष्टि/समायोजन और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन है। सुलह लगातार की जा रही है। जहां भी आवश्यक समझा गया, प्रावधान किए गए हैं। हालांकि, प्रबंधन को ऐसी लंबित पुष्टिओं/समाधानों का कोई भौतिक वित्तीय प्रभाव होने की उम्मीद नहीं है।

48.6 समूह के संयुक्त उद्यमों ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अपनी पुस्तकों में परिसंपत्तियों को निम्नानुसार पूंजीकृत किया है:

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	का नाम	पीपीई	अमूर्त	कुल	सेल शेयर
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी. लिमिटेड	1983.21	0.08	1983.29	50.00%
2	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	2.19	4.84	7.03	50.00%
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	-	35.47	35.47	47.82%
4	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	0.59	-	0.59	50.00%
5	बोकारो बिजली आपूर्ति कं. प्रा. लिमिटेड	8.39	-	8.39	50.00%
		1994.38	**40.39**	**2034.77**	

48.7 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 के तहत धारा 115बीएए की प्रस्तावना के अनुसार, समूह ने 31 दिसंबर, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष और आगे के लिए उक्त धारा के तहत कम कर व्यवस्था का विकल्प चुना है। नतीजतन, समूह ने एमटी क्रेडिट के कारण उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को बंद कर दिया है और संशोधित प्रभावी कर दर के आधार पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों को बहाल कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप लाभ और हानि के विवरण में 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1288.22 करोड़ का एकमुश्त शुल्क लगाया गया है।

49.1 इंड एएस 115 राजस्व के संबंध में ग्राहकों के साथ अनुबंधों में, ₹16589.94 करोड़ की जीएसटी राशि (गत वर्ष: ₹10579.84 करोड़), परिचालन से राजस्व में शामिल नहीं है।

49.2 कुछ सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार, जब तक कि अंतिम कीमत पर सहमति नहीं हो जाती इन एजेंसियों को चालान अंतिम कीमतों पर किया जाता है। उपरोक्त अंतिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त राजस्व निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 तक संचयी	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2021 तक संचयी
6237.41	**21163.29**	6902.50	14952.22

49.3 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान, समूह ने 31 दिसंबर, 2016 को दीर्घकालिक वेतन समझौते की समाप्ति के बाद 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी वेतन और मजदूरी संशोधन को लागू किया है। तदनुसार, कर्मचारियों के लाभ व्यय को लाभ का विवरण और 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निर्माण के दौरान हानि और व्यय (मजदूरी संशोधन के प्रावधान का शुद्ध) क्रमशः ₹ 837.25 करोड़ और ₹4.24 करोड़ है। इसके अलावा, वेतन संशोधन के कार्यान्वयन के कारण कर्मचारियों से संबंधित देनदारियों के संशोधित बीमांकिक मूल्यांकन के कारण लाभ और हानि के विवरण के लिए ₹567.66 करोड़ की राशि चार्ज की गई है।

49.4 सार्वजनिक उद्यम विभाग (DPE) के दिशानिर्देश अनुसार, समूह को कार्यकारी कर्मचारियों के संबंध में पेंशन लाभ के रूप में वेतन (मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता) का 30% तक योगदान करना आवश्यक है, जिसमें अंशदायी भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हो सकते हैं। तदनुसार समूह ने कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी, 2007 से वेतन के 9% और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन के 3% की दर से पेंशन लाभ का प्रावधान किया है। इसके अलावा, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ 1 जनवरी, 2012 से वेतन के 6% की दर और 1 अप्रैल, 2015 से वेतन के 2% से प्रदान किया गया है। वेतन संशोधन के बाद, गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए 1 नवंबर 2021 से पेंशन का लाभ वेतन के 9% की दर से प्रदान किया गया है। पेंशन योजना को 9 फरवरी, 2017 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में इस संशोधन के साथ मंजूरी दी गई थी कि वित्तीय वर्ष 2015–16 और उसके बाद से, पेंशन के प्रति योगदान को औसत नेटवर्थ के लिए कर (पीबीटी) से पहले लाभ के प्रतिशत के रूप में मापा जाएगा। यदि औसत नेटवर्थ में पीबीटी का प्रतिशत 8% या उससे अधिक है, तो पेंशन योगदान की राशि अधिकारियों के लिए मूल वेतन प्लस डीए के 9% और गैर–कार्यकारी के लिए मूल वेतन प्लस डीए के 6% तक सीमित होगी (@9% से प्रभावी 1 नवंबर, 2021), अन्यथा पेंशन के लिए योगदान की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। हालांकि, एक वित्तीय वर्ष के दौरान नुकसान के मामले में भी, कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए मूल वेतन प्लस डीए के क्रमशः 3% और 2% (@3% से प्रभावी 1 नवंबर, 2021) की दर से न्यूनतम पेंशन योगदान रखा जाएगा। 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य लाभों (पेंशन) के लिए प्रावधान @9% अधिकारियों के लिए और 6% गैर–कार्यकारी के लिए 31 अक्टूबर, 2021 तक और @9% उसके बाद वेतन संशोधन के कार्यान्वयन पर किया गया है।

कार्यकारी और गैर–कार्यकारी कर्मचारियों के लिए अन्य लाभों (पेंशन सहित) के लिए संचयी देयता, वर्ष के दौरान ₹ 1077.71 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 577.80 करोड़) और ₹ 55.77 करोड़ (वर्ष के दौरान ₹ 3.45 करोड़) को क्रमशः 'कर्मचारी लाभ व्यय' और 'निर्माण के दौरान व्यय' के लिए प्रभारित किया गया है। वर्ष के दौरान ₹ 1716.68 करोड़ की राशि पेंशन निधि में अंतरित की गई है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ₹ 118.35 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और कर्मचारियों द्वारा पेंशन के लिए पात्र होने के लिए ₹ 1.53 करोड़ की राशि जमा की गई है।

49.5 वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण के लिए प्रभारित और अचल संपत्तियों/पूंजीगत कार्य (शुद्ध) के लिए अनुसंधान और विकास व्यय, राशि क्रमशः ₹ 742.90 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 340.28 करोड़) और ₹ 71.91 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 23.03 करोड़) आवंटित की गई है। अनुसंधान और विकास पर किए गए राजस्व व्यय की कुल राशि को संबंधित लेखा शीर्ष में दर्शाया गया है। राशि का ब्योरा इस प्रकार है: **(₹ करोड़ में)**

लेखा शीर्ष	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
कच्चा माल	**418.42**	198.05
कर्मचारी लाभ व्यय	**152.07**	83.76
स्टोर और स्पेयर की खपत	**23.52**	6.27
बिजली और ईंधन	**29.53**	17.77
मरम्मत और रखरखाव	**11.30**	3.79
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	**20.05**	6.89
अन्य खर्चे	**80.62**	21.45
वित्त लागत	**7.39**	2.30
कुल	**742.90**	340.28

49.6 समूह एक पूरे संयंत्र की संपत्ति को नकदी पैदा करने वाली इकाई (सीजीयू) के रूप में मानता है। समूह आंतरिक रूप से समीक्षा करता है कि क्या कोई संकेतक हैं जिससे प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर सीजीयू की परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि खराब हो सकती है। यदि ऐसा कोई संकेतक मौजूद है, तो संपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में मूल्य के उच्च के रूप में लगाया जाता है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर आधारित है जो किसी परिसंपत्ति के निरंतर उपयोग और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है। एक अनचाही हानि की पहचान तब की जाती है जब किसी सीजीयू की सम्पत्तियों की अग्रणीत राशि परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। आंतरिक मूल्यांकन के अलावा, समूह एक स्वतंत्र विशेषज्ञ द्वारा हर तीन साल में एक बार सीजीयू की परिसंपत्तियों का शुद्ध बिक्री मूल्य भी निर्धारित करता है, जिसमें ऐसा कोई संकेत मौजूद है।

रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार, समूह द्वारा अपने अलग–अलग सीजीएस में किए गए आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, कोई अनचाही हानि प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

49.7 **(ए)** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार, समूह को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, तीन तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए समूह के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% खर्च करना आवश्यक है। यह कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) नीति है। उपरोक्त के आधार पर, वर्ष 2021–22 (पिछले वर्षः ₹ 39.44 करोड़) के लिए सीएसआर राशि का बजट ₹ 80.92 करोड़ रखा गया है। समूह ने वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹ 94.37 करोड की राशि (पिछले वर्ष के दौरान ₹ 47.67 करोड़) निम्नलिखित शीर्षों के तहत खर्च की है: **(₹ करोड़ में)**

Particulars	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
शिक्षा	**8.50**	8.47
हेल्थकेयर	**63.25**	28.48
आजीविका पीढ़ी	**2.22**	2.14
महिला सशक्तिकरण	**1.11**	0.64
पेयजल	**1.03**	0.80
स्वच्छता	**1.57**	0.37
खेल	**0.80**	0.72
कला और संस्कृति	**1.33**	1.65
ग्रामीण विकास	**11.03**	1.19
सामाजिक सुरक्षा	**0.66**	0.46
पर्यावरण स्थिरता	**1.08**	0.48
आपदा राहत	**1.38**	2.06
परियोजना की पहचान और निगरानी	**0.18**	0.10
कर्मियों का क्षमता निर्माण	**0.13**	-
अन्य	**0.10**	0.11
कुल	**94.37**	47.67

(बी) समूह ने वर्ष के दौरान संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण पर ₹ 7.95 करोड़ (पिछले वर्ष के दौरान ₹ शून्य करोड़) की राशि खर्च की है।

(सी) तीन वित्तीय वर्षों के बाद सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अतिरिक्त राशि ₹ 13.77 करोड़ (पिछले वर्ष–₹ 7.74 करोड़) है।

(डी) चालू वर्ष के लिए 'अव्ययित सीएसआर खाते' में हस्तांतरित अव्ययित राशि ₹ 0.34 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ शून्य करोड़) है।

49.8 सामान्य वित्तीय नियम 238(5) और (6) के अनुपालन में, इस्पात मंत्रालय से प्राप्त अनुदान और पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए इसके उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

साल	केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान	उपयोग किया गया अनुदान (शुरुआती शेष राशि और चालू वर्ष से)
2021-22	-	0.26
2020-21	-	1.50
2019-20	-	0.43

49.9 भारतीय लेखा मानकों इंड एएस 116 के अनुसार लीज़ पर जानकारी:

(I) समूह के पास भूमि, कार्यालय भवन, संयंत्र और उपकरण, गोदामों और संबंधित सुविधाओं और वाहनों के लिए लीज़ हैं। लघु अवधि के लीज़ और कम मूल्य की अंतर्निहित परिसंपत्तियों के लीज़ के अपवाद के साथ, प्रत्येक लीज़ बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति और एक लीज़ देयता के रूप में परिलक्षित होता है। परिवर्तनीय लीज़ भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें लीज़ देयता और उपयोग की संपत्ति के अधिकार के प्रारंभिक माप से बाहर रखा गया है। समूह अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अनुरूप संपत्ति के उपयोग के अपने अधिकार को वर्गीकृत करता है।

प्रत्येक लीज़ आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि समूह के लिए किसी अन्य पार्टी को संपत्ति को सबलीज़ करने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, संपत्ति के उपयोग के अधिकार का उपयोग केवल समूह द्वारा किया जा सकता है। कुछ लीज़ में लीज़ को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का विकल्प होता है। समूह को अंतर्निहित लीज़ पर दी गई संपत्ति को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों पर लीज़ के लिए समूह को उन संपत्तियों को मरम्मत की अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और लीज़ के अंत में संपत्तियों को उनकी मूल स्थिति में वापस ले आना चाहिए। इसके अलावा, समूह को लीज़ अनुबंधों के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

संपत्ति के उपयोग का अधिकार

नीचे दी गई सही संपत्ति की अग्रणीत राशि (नोट 4ए देखें) मान्यता प्राप्त है और अवधि के दौरान आवाजाही: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	लीजहोल्ड भूमि	संयंत्र और उपकरण	वाहन	भवन	संपत्ति के उपयोग का अधिकार कुल
1 अप्रैल 2021 तक	802.22	1231.37	9.21	11.33	2054.13
जोड़	38.62	1974.38	0.55	0.37	2013.92
मूल्यह्रास व्यय	58.49	166.81	3.94	4.77	234.01
31 मार्च, 2022 तक	**782.35**	**3038.94**	**5.82**	**6.93**	**3834.04**

लीज देनदारियां

वर्ष के दौरान लीज देनदारियों (ब्याज वाले ऋणों और उधारों के तहत शामिल) और गतिविधियों की अग्रणीत राशि नीचे निर्धारित की गई है (टिप्पणी 24 और 29 देखें):

(₹ करोड़ में)

विवरण	लीज़ देनदारियां
1 अप्रैल, तक	2068.57
परिवर्धन	1963.29
अर्जित ब्याज	52.81
भुगतान	(186.23)
31 मार्च, 2022 तक	**3898.44**
वर्तमान	292.04
गैर वर्तमान	3606.41

क. लीज़ भुगतान को लीज़ देयता के मापन में शामिल नहीं किया गया है

भुगतानों से संबंधित व्यय जो लीज़ देयता के मापन में शामिल नहीं किए गए हैं, इस प्रकार हैं: **(₹ करोड़ में)**

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
अल्पकालिक लीज़	-	2.40
कम मूल्य की संपत्ति के लीज़	-	-
परिवर्तनीय लीज़ भुगतान	17.35	31.71
अन्य	-	-

ख. 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लीज़ के लिए कुल नकद निस्तारण ₹ 1196.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 1117.03 करोड़) है।

ग. समूह की 31 मार्च, 2022 (पिछले वर्ष ₹ 0.70 करोड़) की स्थिति के अनुसार ₹ 0.08 करोड़ के अल्पकालिक लीज़ के लिए कुल प्रतिबद्धता है।

घ. लीज़ देनदारियों की परिपक्वता

लीज देनदारियां संबंधित अंतर्निहित परिसंपत्तियों द्वारा सुरक्षित की जाती हैं। भविष्य के न्यूनतम लीज़ भुगतान इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को देय न्यूनतम लीज़ भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
लीज़ भुगतान	592.04	2134.00	5036.32	7762.36
ब्याज व्यय	329.79	1235.86	2298.27	3863.92
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**262.25**	**898.14**	**2738.05**	**3898.44**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2022 को देय न्यूनतम लीज़ भुगतान			
	1 वर्ष के भीतर	1–5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
लीज़ भुगतान	359.84	1081.47	2087.62	3528.93
ब्याज व्यय	126.20	420.90	913.28	1460.38
शुद्ध वर्तमान मूल्य	**233.64**	**660.57**	**1174.34**	**2068.55**

ड़. परिवर्तनीय लीज़ भुगतान उस अवधि में खर्च किए जाते हैं जिस अवधि में वे खर्च किए जाते हैं। 31 मार्च, 2022 को अपेक्षित भावी नकदी निस्तारण शून्य (पिछले वर्ष शून्य) है।

च. विस्तार और समाप्ति विकल्पों के बारे में जानकारी:

संपत्ति के उपयोग का अधिकार	लीज़ की संख्या	शेष अवधि का औसत	औसत शेष लीज़ अवधि	विस्तार विकल्प के साथ लीज़ की संख्या	समाप्ति विकल्प के साथ लीज़ की संख्या
लीज़ भूमि	53	0.08-90	26.70	43	34
संयंत्र और उपकरण	9	0.12-15.01	4.78	5	1
वाहन	15	0.01-9.05	2.72	-	7
इमारतें	20	0.08-49.79	4.39	14	18

छ. 31 मार्च, 2022 को लीज़ के लिए भविष्य में कुल नकद निस्तारण जो अभी तक शुरू नहीं हुआ था, शून्य (पिछले वर्ष शून्य) (कार्यालय परिसर) है।

लीज़दार के रूप में समूह

लीज़दार के रूप में परिचालन लीज़

समूह ने बैंकों, हाउसिंग सोसाइटियों, अस्पतालों, मोबाइल टावरों भूमि भूखंडों और कर्मचारी क्वार्टरों/फ्लैट स्थानों आदि जैसे स्थानों के लिए लीज़ समझौते में प्रवेश किया है।

इस तरह के लीज़ की अवधि प्रत्येक लीज़ व्यवस्था के नियमों और शर्तों के आधार पर 11 महीने से 50 वर्ष तक होती है।

परिचालन लीज़ के तहत भविष्य में प्राप्त होने वाला न्यूनतम लीज़ भुगतान निम्नानुसार है (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) एक वर्ष से अधिक नहीं	**25.01**	28.83
(बी) एक साल से अधिक और पांच साल से अधिक नहीं	**64.26**	70.96
(सी) पांच साल के बाद	**126.54**	129.27
कुल	**215.81**	229.06

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल ऑपरेटिंग लीज रेंटल आय ₹ 27.91 करोड़ (31 मार्च, 2021: ₹ 34.85 करोड़) है।

लीज़दार के रूप में वित्त लीज़

समूह के पास फ्रीहोल्ड भूमि है जिसे वित्त लीज़ व्यवस्था के तहत विभिन्न पार्टियों को लीज़ पर दिया गया है।

वित्त लीज़ के तहत भविष्य में प्राप्त होने वाला न्यूनतम लीज़ भुगतान निम्नानुसार है: (₹ करोड़ में)

Particulars	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
(ए) एक वर्ष से अधिक नहीं	**0.29**	0.60
(बी) एक साल से अधिक और पांच साल से अधिक नहीं	**1.01**	0.78
(सी) पांच साल के बाद	**9.74**	9.57
कुल बिना छूट वाला लीज़ भुगतान	**11.04**	10.95
अनर्जित वित्त आय	**9.67**	9.86
लीज़ में शुद्ध निवेश	**1.37**	1.09

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल वित्त लीज़ किराये की आय ₹ 0.56 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.58 करोड़) है।

(II) प्रमुख लीजिंग व्यवस्थाओं का विवरण

विद्युत संयंत्र

समूह ने कुछ बिजली संयंत्रों को आपूर्तिकर्ता के साथ बिजली खरीद समझौते के आधार पर इंड एएस 17 के परिशिष्ट सी के रूप में वित्त लीज़ को लेखाबद्ध किया है। बिजली खरीद समझौते की शर्तों के तहत, समूह तब तक बिजली खरीदना जारी रखेगा जब तक कि पार्टियां समझौते को समाप्त करने का फैसला नहीं करतीं, जिसे संपत्ति की विशेष प्रकृति और स्थान पर विचार करते हुए गैर–आर्थिक प्रस्ताव के रूप में निर्धारित किया गया है। इंड एएस 116–लीज़ के तहत उपचार में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

ऑक्सीजन प्लांट

समूह ने आपूर्तिकर्ता के साथ ऑक्सीजन खरीद समझौते के आधार पर इंड एएस 17 के परिशिष्ट सी के रूप में वित्त लीज़ (या परिचालन लीज़) को कुछ ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए जिम्मेदार है। ऑक्सीजन खरीदने का समझौता 15 साल का फिक्स्ड टर्म एग्रीमेंट है। किसी भी नए लीज़ उपचार के लिए इंड एएस 116–लीज़ के अनुसार किया गया है।

खनन भूमि

कंपनी ने नवीकरण के लिए अधिकार/आर्थिक बाध्यता के पश्चात् पट्टा करार के अंतर्गत अपने अधिकारों के कारण वित्त पट्टों के रूप में ऑक्सीजन संयंत्र को शामिल किया है। किसी भी नए लीज़ उपचार के लिए इंड एएस 116–लीज़ के अनुसार किया गया है।

49.10 वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2017–18 तक की अवधि के लिए राजहरा से रौघाट तक रेल लाइन बिछाने के लिए रेलवे अधिकारियों को नकद और वस्तु के रूप में किए गए अंशदान की वसूली के लिए रौघाट खदानों से सुनिश्चित यातायात की शुरुआत और पूर्ति के बाद समूह के कुल योगदान पर 37 वर्षों के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से नकद में वसूल किया जाएगा। प्रबंधन का मानना है कि समझौता ज्ञापन में निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाएगा और निवेश की तारीख से ब्याज अर्जित होगा। धनवापसी राशि में मूलधन और ब्याज तत्व शामिल हैं। तदनुसार, ब्याज तत्व की गणना और वर्ष के दौरान ₹ 58.07 करोड़ (अब तक ₹ 198.33 करोड़) की आय के रूप में मान्यता दी गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय के अनुसार, समय के अनुपात के आधार पर मान्यता का ऐसा उपचार क्रम में है क्योंकि प्रबंधन की दृष्टि में, राजस्व की संग्रहणीयता और मापनीयता के संबंध में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं है।

49.11 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक समूह की कैप्टिव खानों में उत्पन्न सबग्रेड लौह अयस्क जुर्माना की सूची को समूह के खातों की पुस्तकों में कोई मूल्य नहीं दिया गया था, क्योंकि भारत सरकार की दिनांक 19 सितंबर 2012 की अधिसूचना ने सभी कैप्टिव खनिकों को इस तरह के सबग्रेड जुर्माना बेचने से रोक दिया है।

भारत सरकार के दिनांक 16 सितंबर, 2019 के आदेश सं. F.No.16/30/2019M.VI ने उप ग्रेड लौह अयस्क फाइन की बिक्री की अनुमति दी है, जिसका पालन करते हुए, समूह द्वारा रखे गए सबग्रेड फाइन की सूची ने आर्थिक मूल्य प्राप्त किया। इस संबंध में, समूह ने भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के साथ–साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) से भी राय प्राप्त की। उपरोक्त राय के आधार पर, समूह ने 31 मार्च, 2020 तक इन इन्वेंट्री को बाईप्रोडक्ट इन्वेंट्री के रूप में मान्यता दी। चूंकि, ये इन्वेंट्री कई वर्षों में उत्पन्न हुई थीं, इसलिए, वास्तविक मूल्यांकन का पता लगाना अव्यावहारिक बना, समूह ने ऐसे इन्वेंट्री का मूल्य निर्धारण करने के लिए भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), भारत सरकार के एक संगठन द्वारा घोषित और रॉयल्टी और अन्य बिक्री लागतों के लिए समायोजित के रूप में पिछले 36 महीनों में समान सबग्रेड जुर्माना के आधार पर औसत बिक्री मूल्य तय किया।

समूह ने पर्यावरण मंजूरी और भारत सरकार के खान सुरक्षा महानिदेशक से मंजूरी सहित सभी मंजूरी प्राप्त कर ली है। इसके अलावा, ओडिशा की राज्य सरकार से प्रक्रियात्मक मंजूरी प्राप्त कर ली गई है। झारखंड राज्य के संबंध में, मंजूरी में देरी प्रक्रियात्मक है और प्रबंधन को जल्द ही मंजूरी मिलने की उम्मीद है। यह इस संबंध में समूह द्वारा ली गई कानूनी राय से भी समर्थित है। नतीजतन, प्रबंधन कुछ स्थानों पर ऐसे माल को बेचने में सक्षम हो गया है। हालांकि, वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान समग्र आधार पर, ऐसी सूची की मात्रा में नगण्य उतार–चढ़ाव (1.04 मिलियन टन) रहा है, इस तरह के माल के वहन मूल्य के ऊपर बाजार में उप–ग्रेड जुर्माने की महत्वपूर्ण मांग है और हालिया बिक्री मूल्य रुझान काफी मार्जिन का संकेत हैं। प्रबंधन की भविष्य में एक लाभकारी संयंत्र स्थापित करने की भी योजना है जो सालाना उप–ग्रेड जुर्माना की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग करेगा। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर इन इन्वेंट्री के वहन मूल्य में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है।

माल–सूची की पर्याप्त मात्रा को ध्यान में रखते हुए, अगले एक वर्ष के भीतर बेची जाने वाली/उपभोग की जाने वाली अनुमानित मात्रा को वर्तमानू माना गया है और शेष को गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है (नोट 7ए और 15 देखें)।

31 मार्च, 2022 तक, समूह 41.94 एमटी (31 मार्च 2021: 42.60 एमटी) की सबग्रेड आयरनोर फाइन इन्वेंट्री ले जा रहा है, जिसका मूल्य ₹ 4034.95 करोड़ (31 मार्च 2021 तक मूल्य ₹ 4089.03 करोड़) है, जिसमें ₹ 3786.62 करोड़ के 39.24 एमटी मूल्य शामिल है। जिसे विभिन्न खानों में गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसी तरह, समूह अपने बरसुआ और डल्ली माइंस में समूह 7.44 एमटी (31 मार्च 2021: 8.68 एमटी) की अवशेष सूची भी ले जा रहा है, जिसका मूल्य ₹ 382.66 करोड़ (31 मार्च 2021 को ₹ 492.41 करोड़ मूल्य) है, जिसमें 6.41 मीट्रिक टन मूल्य शामिल है।

31 मार्च 2022 तक ₹ 331.25 करोड़ को गैर–वर्तमान इन्वेंट्री के रूप में वर्गीकृत किया गया। इसके अलावा, समूह ने अपने भिलाई, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर स्टील प्लांट्स में समूह बीएफ स्लैग और 0.49 एमटी (31 मार्च 2021: 0.57 एमटी) मूल्य ₹ 507.10 करोड़ (31 मार्च 2021 को मूल्य ₹ 438.63 करोड़) जिसमें 0.44 एमटी मूल्य 31 मार्च 2022 को गैर–वर्तमान सूची के रूप में वर्गीकृत ₹ 441.29 करोड़ शामिल हैं, के एलडी स्लैग में एम्बेडेड एक्सट्रैक्टेबल आयरन और स्टील स्क्रैप की सूची भी ले रहा है। समूह इन इन्वेंट्री का निपटान/खपत के लिए एक विस्तृत योजना तैयार कर रहा है।

बाजार की अस्थिरता, इस्पात बाजार की गतिशीलता, देश में स्टील और पेलेट बनाने की क्षमता में भविष्य में वृद्धि की संभावना को ध्यान में रखते हुए, जो इन सामग्रियों की मांग को बढ़ा सकता है, गैर–मौजूदा सूची के वहन मूल्य को भविष्य की कीमतों में किसी भी अप्रत्याशित परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार, प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त सूची के अग्रणी मूल्य इस स्तर पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर सर्वोत्तम अनुमान हैं।

49.12 आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने 27 अक्टूबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की तीन इकाइयों के रणनीतिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी दी थी। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट (वीआईएसपी), भद्रावती, कर्नाटक, सेलम स्टील प्लांट (एसएसपी), तमिलनाडु और एलॉय स्टील प्लांट (एएसपी), पश्चिम बंगाल। इसके बाद, भारत सरकार के ''सैद्धांतिक'' अनुमोदन के अनुरूप, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2017 को आयोजित अपनी बैठक में एएसपी, वीआईएसपी और एसएसपी के रणनीतिक विनिवेश को मंजूरी दी। समूह ने प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए विभिन्न सलाहकारों को नियुक्त किया। रणनीतिक विनिवेश की पूरी प्रक्रिया की देखरेख एक अंतर–मंत्रालयी समूह (आईएमजी) कर रहा है। आईएमजी की अध्यक्षता सचिव, सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) द्वारा की जाती है और सचिव (इस्पात) द्वारा सह–अध्यक्षता की जाती है।

प्रारंभिक सूचना ज्ञापन (पीआईएम)/अभिव्यक्ति (ईओआई), एएसपी, एसएसपी और वीआईएसपी के अनुरोध 4 जुलाई, 2019 को जारी किए गए थे। लेनदेन सलाहकार, मेसर्स एसबीआईकैप्स ने सूचित किया है कि, एएसपी के मामले में, संभावित बोलीदाताओं से निर्धारित तिथि तक कोई ईओआई प्राप्त नहीं हुआ था। 10 सितंबर, 2019 को एसएसपी और वीआईएसपी के ईओआईएस खोले गए। शॉर्टलिस्ट किए गए बोलीदाताओं को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी), गोपनीय सूचना ज्ञापन (सीआईएम) और बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट (बीटीए) जारी किए गए हैं और शॉर्टलिस्ट किए गए बोली लगाने वाले लोगों द्वारा उचित परिश्रम जारी है।

49.13 समूह ने वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए चुकता इक्विटी शेयर पूंजी (यानि ₹ 2.25 प्रति इक्विटी शेयर) के @22.5% की दर से अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया है, जो समूह की आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है।

49.14 समूह ने 1 जुलाई, 2021 को अपने कच्चे माल के विभाग ('डिवीजन') को विघटित कर दिया और तदनुसार, 30 जून 2021 को शेष राशि को राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और कंपनी के भिलाई स्टील प्लांट में मिला दिया गया।

इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त डिवीजन की वित्तीय जानकारी शामिल है जो 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹ 374.07 करोड़ (₹ 1443.41 करोड़ के इंट्राकंपनी स्टॉक ट्रांसफर को छोड़कर) के कुल राजस्व, ₹ 1702.92 करोड़ का कुल खर्च, ₹ 114.56 करोड़ के कर के बाद कुल शुद्ध लाभ और कुल व्यापक ₹ 110.68 करोड़ की आय को दर्शाती है जो कि डिवीजन के पूर्व लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थी और अब समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के पूरे सेट पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य से संयंत्रों के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों/संयंत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है। इसके अलावा, 30 जून 2021 को ₹ 7448.85 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹ 4034.45 करोड़ की कुल देनदारियों को उपरोक्त संयंत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया और 31 मार्च 2022 तक इन संयंत्रों के शेष में शामिल किया गया, जिनका संबंधित संयंत्रों के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है।

हालांकि, समूह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत आवश्यक डिवीजन के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मामले को संदर्भित करने की प्रक्रिया में है।

49.15 कोविड–19 महामारी का प्रकोप और इसे कम करने के उपायों ने महत्वपूर्ण गड़बड़ी और आर्थिक गतिविधियों को धीमा कर दिया था। आर्थिक गतिविधियों के क्रमिक सामान्यीकरण और सभी क्षेत्रों में देखे गए सकारात्मक आर्थिक वातावरण के बाद, प्रबंधन का मानना है कि यह प्रवृत्ति बाद की अवधि में भी जारी रहने की संभावना है और कोविड–19 का प्रभाव, यदि कोई हो, भौतिक होने की संभावना नहीं है।

49.16 समूह संयंत्र के किसी एक स्थान पर माल रसीद/चालान रसीद (जीआर/आईआर) खातों ("व्यापार देय/पूंजीगत कार्यों के लिए देय", नोट संख्या 30/31) के समाधान की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2022 तक बकाया राशि ₹ 101.54 करोड़ (31 मार्च 2021 ₹ 304.08 करोड़) है। सुलह प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, संयंत्र ने ₹ 186.16 करोड़ की राशि वापस लिखी है और इसे "अन्य देनदारियों को वापस लिखें" (नोट संख्या 36) शीर्ष के तहत लाभ और हानि के विवरण में जमा किया है।

50.1 परिभाषित लाभ योजनाएं:

सेल के संबंध में

50.1.1 परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रैच्यूटी:	अलगाव पर देय, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ऐसे पात्र कर्मचारियों को/15 दिनों का भुगतान पात्र कर्मचारियों को दिया जाता है जो 5 वर्ष या उससे अधिक (30 वर्ष से अधिक सेवा के मामलों में, 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन) की सेवा निरंतर प्रदान करते हैं। 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों को ₹20 लाख की अधिकतम राशि और गैर–अधिकारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के लिए मानी गई कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है।
छुट्टी नकदीकरण:	यह सुविधा सेवा निवृत्ति पर उन पात्र कर्मचारियों को दी जाती है जो जिन्होंने अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश का संचय किया है। इसकी अधिकतम सीमा 300 दिनों की है जिसमें अर्जित किए गए और आधे वेतन पर अवकाश, दोनों शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–21 में, एक बार 30 दिन के संचित अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति भी दी गई थी।
भविष्य निधि:	मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12%, समूह द्वारा भविष्य निधि न्यास में योगदान दिया गया।
सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ:	सेल के अस्पतालों और/या स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।
सेवानिवृत्ति बाद के निपटान लाभ:	अपने गृह नगर में बसने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को देय।
दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार:	न्यूनतम 25 वर्ष की सेवा प्रदान करने और सेवानिवृत्ति पर भी देय पुरस्कार।

50.1.2 अन्य खुलासे, परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में इंड एएस 19 के तहत आवश्यकतानुसार अन्य खुलासे:

(क) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान*: **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति बाद के निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
i)	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	5780.54 (6044.55)	3207.65 (3005.03)	1046.79 (1055.03)	110.88 (103.40)	17.57 (18.79)
ii)	सेवा लागत	291.54 (323.03)	506.34 (434.58)	- (-)	- (-)	0.59 (0.50)
iii)	ब्याज लागत	381.22 (387.09)	197.94 (191.22)	67.89 (68.76)	7.49 (6.88)	1.10 (1.20)
iv)	बीमांकिक लाभ (–)/हानि (+)	-107.68 (-270.18)	454.83 (-37.11)	228.13 (10.90)	23.39 (4.86)	5.20 (-0.66)
v)	पिछले सेवा लागत	- (-)	- (-)	305.75 (-)	- (-)	- (-)
vi)	भुगतान किया गया लाभ	822.49 (703.95)	839.72 (386.07)	181.27 (87.90)	5.90 (4.32)	3.28 (2.30)
vii)	साल के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv+v-vi)	5523.12 (5780.54)	3527.03 (3207.65)	1467.28 (1046.79)	135.86 (110.82)	21.18 (17.57)

(ख) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

समूह ने ग्रेच्यूटी देयताओं का निधिकरण एक अलग निधि के माध्यम से किया है। योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से निधि द्वारा निवेश किया गया है। ग्रेच्यूटी निधि और परिभाषित लाभ ग्रैच्यूटी दायित्वों की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का सामंजस्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2021–22	2020–21
i)	वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**6235.29**	6357.63
ii)	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	**12.23**	98.22
iii)	समूह का वास्तविक योगदान	**68.38**	50.84
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि (–)	**442.70**	432.55
v)	लाभ भुगतान	**822.56**	703.95

क्र.सं.	विवरण	2021–22	2020–21
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**5936.04**	6235.29
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य [50.1.2)(a)(vii)]	**5523.12**	5780.54
viii)	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii) – (vi)*	**-413.04**	-454.73

*ग्रुप, निवेश पर रिटर्न पर विचार करने के बाद, वर्ष 2022–23 के दौरान ग्रेच्यूटी निधि के व्ययों के लिए किसी भी राशि के योगदान की, आशा नहीं करता है।

ग्रैच्युटी के अलावा परिभाषित लाभ दायित्व,गैर–वित्त पोषित हैं।

(ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय: **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण	सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति बाद के निपटान लाभ	दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार
i)	1) सेवा लागत	291.54 (323.03)	506.34 (434.58)	- (-)	- (-)	0.59 (0.50)
ii)	2) ब्याज लागत	-61.48 (-45.23)	197.94 (191.22)	67.89 (68.76)	7.49 (6.88)	1.10 (1.20)
iii)	बीमांकिक लाभ(–)/हानि	-107.68 (-270.18)	454.83 (-37.11)	228.13 (10.90)	23.39 (4.86)	5.20 (-0.66)
iv)	पिछले सेवा लागत	- (-)	- (-)	305.75 (-)	- (-)	- (-)
v)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	12.23 (98.22)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)
vi)	कुल (i+ii+iii+iv-v)	110.15 (-90.60)	1159.10 (588.71)	601.77 (79.66)	30.88 (11.74)	6.89 (1.70)
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्यय:					
	क) लाभ और हानि खाते को प्रभारित (टिप्पणी 39)	230.13 (277.23)	1157.20 (586.53)	373.63 (68.76)	30.89 (5.50)	6.89 (1.70)
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभार (टिप्पणी 5.1)	-0.07 (0.56)	1.90 (2.18)	(-)	(-)	(-)
	ग) ओसीआई को प्रभारित*	-119.90 (-368.39)	(-)	228.13 (10.90)	(-)	(-)
	घ) लाभ और हानि में प्रभार–अन्य व्यय खाता	(-)	(-)	(-)	30.89 (6.24)	(-)
viii)	8) योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	455.05 (530.54)				

*परिभाषित पुनर्माप लाभ/(हानि) को लाभ योजनाओं पर पुनर्वर्गीकृत किया गया है और प्रतिधारित आय के तहत दिखाया गया है (नोट सं. 23)

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में आधे प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव **(₹ करोड़ में)**

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट बढ़त
i)	ग्रैच्यूटी	-179.01	168.80
ii)	छुट्टी	-135.95	127.05
iii)	सेवा निवृत्ति बाद के लाभ	-68.58	53.81
iv)	दीर्घकालीन सेवा पुरस्कार	-0.93	0.85
v)	सेवानिवृत्ति यात्रा भत्ता	-6.00	5.56

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट घटत	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट बढ़त
i)	ग्रैच्यूटी	63.18	-60.34
ii)	छुट्टी	128.24	-136.04

(च) सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना के तहत लाभों के मूल्यांकन के मामले में संभावित मुद्रा स्फीति की दर में एक प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट घटत	वेतन संवर्धन दर में एक प्रतिशत प्वांइट बढ़त
i)	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ	-83.03	76.98

(छ) ग्रैच्यूटी निधि न्यास का निवेश (₹ करोड़ में)

विवरण	निवेश का %	
	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
बीमा निवेश	**69.61**	95.25
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां	**1.45**	1.39
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां	**0.73**	1.24
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम बांड	**0.94**	2.12
बैंक में नकदी	**0.27**	0.00
जोड़	**100.00**	100.00

(ज) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10 %	6.80 %
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेट
iii)	निकासी दर (प्रति वर्ष)	उम्र के आधार पर अधिकारी और गैर–अधिकारी– 0.01% से 0.10%	उम्र के आधार पर अधिकारी और गैर–अधिकारी– 0.01% से 0.10%
iv)	चिकित्सा लागत रुझान दरें (प्रति वर्ष)	अस्पताल की लागत के लिए 5% और मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य	अस्पताल की लागत के लिए 5% और मेडीक्लेम प्रीमियम के लिए शून्य
v)	योजना आस्तियों पर वापसी की अनुमानित दर	7.10%	6.80%
vi)	वेतन वृद्धि	अधिकारीः 6% वार्षिक गैर अधिकारीः 6% वार्षिक सभी कर्मचारीः 6% 2017 से आरंभ, प्रत्येक 10 साल में बढ़ोतरी	अधिकारीः 6% वार्षिक गैर अधिकारीः 6% वार्षिक सभी कर्मचारीः 6% 2017 से आरंभ, प्रत्येक 10 साल में बढ़ोतरी
		भविष्य के वेतन वृद्धि का अनुमान बीमांकिक मूल्यांकन, मुद्रा स्फीति दर, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रख कर किया जाता है	

(झ) परिभाषित लाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

अवधि	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
1 वर्ष तक	**733.95**	674.40
1 से 2 वर्ष के मध्य	**694.12**	670.99
2 से 3 वर्ष के मध्य	**647.59**	665.46
3 से 4 वर्ष के मध्य	**623.82**	617.76
4 से 5 वर्ष के मध्य	**634.35**	591.43
5 से 10 वर्ष के मध्य	**3062.02**	3093.35
10 वर्ष से अधिक	**3269.33**	4125.22
विगत सेवा से संबंधित कुल गैर छूट प्राप्त भुगतान	**9665.16**	10438.61
कमः ब्याज के लिए छूट	**4142.04**	4658.06
अनुमानित लाभ दायित्व	**5523.12**	5780.55

एसआरसीएल के संबंध में:

परिभाषित लाभ योजनाओं का सामान्य विवरण:

ग्रैच्यूटी:	अलगाव पर देय, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए ऐसे पात्र कर्मचारियों को/15 दिनों का भुगतान पात्र कर्मचारियों को दिया जाता है जो 5 वर्ष या उससे अधिक (30 वर्ष से अधिक सेवा के मामलों में, 30 वर्ष से अधिक सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए एक महीने का वेतन) की सेवा निरंतर प्रदान करते हैं। 1 जुलाई, 2014 को या इसके बाद कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों को ₹ 20 लाख की अधिकतम राशि और गैर–अधिकारियों के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के लिए मानी गई कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है।
छुट्टी नकदीकरण:	यह सुविधा सेवा निवृत्ति पर उन पात्र कर्मचारियों को दी जाती है जो जिन्होंने अर्जित अवकाश और आधे वेतन पर अवकाश का संचय किया है। इसकी अधिकतम सीमा 300 दिनों की है जिसमें अर्जित किए गए और आधे वेतन पर अवकाश, दोनों शामिल है। वित्तीय वर्ष 2021–21 में, एक बार 30 दिन के संचित अर्जित अवकाश के नकदीकरण की अनुमति भी दी गई थी।
भविष्य निधि:	मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12%, समूह द्वारा भविष्य निधि न्यास में योगदान दिया गया।

अन्य खुलासे, परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में इंड एएस 19 के तहत आवश्यकतानुसार अन्य खुलासे:

(क) परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य का मिलान': **(₹ करोड़ में)**

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण
i)	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	9.77	1.32
ii)	सेवा लागत	0.28	0.21
iii)	ब्याज लागत	0.62	0.09
iv)	बीमांकिक लाभ (–)/हानि (+)	-0.32	-0.04
v)	पिछले सेवा लागत	-	-
vi)	भुगतान किया गया लाभ	2.02	0.12
vii)	साल के अंत में अनुमानित लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य (i+ii+iii+iv-v-vi)	8.33	1.46

(ख) परिसंपत्तियों और दायित्वों के उचित मूल्य का समाधान

समूह ने ग्रेच्यूटी देयताओं का निधिकरण एक अलग निधि के माध्यम से किया है। योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य मुख्य रूप से बीमा कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जिनके माध्यम से निधि द्वारा निवेश किया गया है।

ग्रेच्यूटी निधि और परिभाषित लाभ ग्रैच्यूटी दायित्वों की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य का सामंजस्य निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**6.27**	7.48
ii)	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	**0.45**	0.51
iii)	समूह का वास्तविक योगदान	**3.00**	1.00
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि	**0.09**	-0.02
v)	लाभ भुगतान	**2.02**	2.70
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**7.78**	6.26
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**8.33**	9.77
viii)	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii)-(vi)	**-0.55**	-3.51

अवकाश नकदीकरण निधि की परिसंपत्तियों के उचित मूल्य और परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण दायित्वों का सामंजस्य निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	2021-22	2020-21
i)	वर्ष की शुरुआत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1.27**	1.18
ii)	योजनागत परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	**0.09**	0.08
iii)	समूह का वास्तविक योगदान	**-**	0.11
iv)	ब्याज आय/बीमांकिक लाभ/हानि	**-0.01**	-
v)	लाभ भुगतान	**0.12**	0.10
vi)	वर्ष के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	**1.23**	1.27
vii)	परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	**1.46**	1.32
viii)	तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता (vii)-(vi)	**-0.23**	-0.05

(ग) वर्ष के लिए लाभ और हानि विवरण में मान्यता प्राप्त व्ययः (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	ग्रैच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण
i)	सेवा लागत	0.28	0.21
ii)	ब्याज लागत	0.18	-
iii)	बीमांकिक लाभ(–)/हानि (+)	-0.32	-0.03
iv)	पिछले सेवा लागत	-	-
v)	योजनागत संपत्ति पर संभावित लाभ	-	-
vi)	जोड़ (i+ii+iii+iv-v)	0.14	0.18
vii)	कर्मचारियों के लाभ व्ययः		
	क) लाभ और हानि खाते को प्रभारित	0.45	0.18
	ख) निर्माण के दौरान व्यय में प्रभार	-	-
	ग) ओसीआई को प्रभारित	-0.41	-
	घ) लाभ और हानि में प्रभार– अन्य व्यय खाता	-	-
viii)	योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	0.09	-

(घ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर छूट दर में 0.5 प्रतिशत परिवर्तन का प्रभाव (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट बढ़त
i)	ग्रैच्यूटी	8.50	8.16
ii)	छुट्टी	1.50	1.43

(ङ) कर्मचारी लाभ योजनाओं पर वेतन वृद्धि दर में 0.5 प्रतिशत के परिवर्तन का प्रभाव (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट घटत	कटौती में 0.5 प्रतिशत की प्वांइट बढ़त
i)	ग्रैच्यूटी	8.17	8.50
ii)	छुट्टी	1.43	1.49

(च) ग्रेच्युटी ट्रस्ट/लीव एनकैशमेंट फंड का निवेश

विवरण	निवेश का %	
	31. मार्च 2022 को	31. मार्च 2021 को
ग्रैच्यूटी ट्रस्ट	93.42	64.17
छुट्टी नगदीकरण ट्रस्ट	84.14	95.90

(छ) बीमांकित अनुमान

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	छूट दर (प्रति वर्ष)	7.10%	6.80 %
ii)	मृत्यु दर	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेट	आईएएलएम (2012–14) अल्टीमेट
iii)	सेवानिवृत्ति आयु – अधिकारी – गैर अधिकारी	 58 साल 60 साल	 58 साल 60 साल
iv)	वेतन वृद्धि	अधिकारीः 6.25% वार्षिक गैर अधिकारीः 6.25% वार्षिक	अधिकारीः 6.25% वार्षिक गैर अधिकारीः 6.25% वार्षिक

(ज) परिभाषित लाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल (₹ करोड़ में)

अवधि	31 मार्च, 2022 को	
	ग्रेच्यूटी	छुट्टी नकदीकरण
1 वर्ष तक	1.77	0.19
1 से 2 वर्ष के मध्य	1.33	0.24
2 से 3 वर्ष के मध्य	1.13	0.29
3 से 4 वर्ष के मध्य	1.25	0.17
4 से 5 वर्ष के मध्य	1.41	0.27
5 से 10 वर्ष के मध्य	3.83	0.72
10 वर्ष से अधिक	0.87	0.23
विगत सेवा से संबंधित कुल गैर छूट प्राप्त भुगतान	11.59	2.11
कमः ब्याज के लिए छूट	3.26	0.65
अनुमानित लाभ दायित्व	**8.33**	**1.46**

51. सामान्य

51.1 सेगमेंट रिपोर्टिंग

व्यवसाय सेगमेंटः पांच एकीकृत इस्पात संयत्रों और तीन मिश्र धातु इस्पात संयंत्रों को, जो विनिर्माण इकाइयां हैं, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 'ऑपरेटिंग सेगमेंट' के तहत, इंड एएस 108 रिपोर्टिंग के लिए प्राथमिक व्यवसाय खंड माना गया है।

51.2 बंद कंपनियों के साथ संबंध (₹ करोड़ में)

क्र.सं.	उप कंपनी का नाम	लेन–देन की प्रकृति	संबंध	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
i)	हाइवेल फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	-	-
ii)	विस्मय मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	**0.40**	0.40
iii)	मद्रास ऑटो कपलिंग प्रा. लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	-	-
iv)	ऑटो फील्ड इंजीनियर प्रा. लिमिटेड	प्राप्य	ग्राहक	-	-
v)	नार्थ बंगाल डोलोमाइट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.98
vi)	एनएमडीसी सेल लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.02
vii)	सेल मोइल फेरो एलॉयज प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.10
viii)	सेल बंगाल एलॉय कास्ट (प्रा.) लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.01
ix)	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड	निवेश	संयुक्त उद्यम	-	0.10
x)	स्प्रेयिंग सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लिमिटेड	देय	विक्रेता	-	-
xi)	डेक्कन स्मिथ्स प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.11**	0.11
xii)	स्विंग स्टेटर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	देय	ग्राहक	**0.05**	0.05
xiii)	हंटिंग हॉक्स सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी सर्विस लिमिटेड	देय	विक्रेता	**0.01**	0.10

51.3 भारतीय लेखा मानक (इंड एएस) 37 'प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्तियां के लिए आवश्यक प्रावधानों का प्रकटीकरणः

प्रावधानों का संक्षिप्त विवरणः

खानों के वनीकरण की लागत	नवीकरण पर देय (माने गए नवीनीकरण सहित)/ खनन प्रयोजनों हेतु वन भूमि के उपयोग के लिए खानों पर वनीकरण लागत के लिए, सरकारी प्राधिकारियों को खदान लीज की वन क्लीयरेंस सहित।
खानों के बंद होने की लागत	खदानों को बंद करने के लिए अनुमानित दायित्व, खनन गतिविधियों की समाप्ति के समय खर्च किया जाना है।
ओवरबर्डन बैकलॉग हटाने की लागत	भावी वर्षों में खानों पर ओवरबर्डन बैकलॉग को हटाने के लिए खर्च किया जाना है।

सेल के संबंध में: **(₹ करोड़ में)**

प्रावधानों का संचलन	खान अफोर स्टेशन लागत	खानों को बंद करने की लागत	बोझ हटाने से अधिक लागत	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	34.35	99.25	67.24	200.84
वर्ष के दौरान परिवर्धन	27.19	30.47	55.00	112.66
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	0.16	-0.74	-	-0.58
वर्ष के दौरान उलटी गई अप्रयुक्त राशि	-	-1.12	7.19	6.07
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	61.38	131.58	115.05	308.01

एसआरसीएल के संबंध में: **(₹ करोड़ में)**

प्रावधानों का संचलन	खान अफोर स्टेशन लागत	खानों को बंद करने की लागत	बोझ हटाने से अधिक लागत	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	-	0.03	-	0.03
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	6.78	6.78
वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि	-	-	-	-
वर्ष के दौरान उलटी गई अप्रयुक्त राशि	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	-	0.03	6.78	6.81

51.4 दायर तिमाही स्टॉक/प्राप्य/रिसीवेबल विवरण का समाधान **(₹ करोड़ में)**

समाप्त हुई तिमाही	बैंक का नाम	प्रदान की गई सिक्योरिटीज का विवरण	तिमाही रिटर्न में रिपोर्ट किए गए राशि	खातों के अनुसार राशि	अंतर की राशि	भौतिक विसंगतियों के कारण
मार्च 22	एसबीआई	इन्वेंट्री	19967	19296	671	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
मार्च 22	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	4859	4737	122	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
दिसंबर 21	एसबीआई	इन्वेंट्री	19184	19148	36	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
दिसंबर 21	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	6472	6463	9	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
सितंबर 21	एसबीआई	इन्वेंट्री	15927	15722	205	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
सितंबर 21	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	8088	8087	1	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
जून 21	एसबीआई	इन्वेंट्री	13325	15907	-2582	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।
जून 21	एसबीआई	व्यापार प्राप्य	7241	7162	79	अंतिम डेटा दाखिल करने की तारीख के अनुसार।

51.5 (ए) समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी द्वारा या किसी व्यक्ति (ओं) या संस्था द्वारा कोई फंड उन्नत या ऋण या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या प्रतिभूति प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से), विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थों') सहित, जानकारी के अनुसार, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगा या निवेश करेगा, जो किसी भी तरह से या किसी भी तरह से पहचाना जाएगा। समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी ('अंतिम लाभार्थी') की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करते हैं।

(बी) समूह, उसके संयुक्त उद्यमों और सहयोगी द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या संस्था (ओं) से विदेशी संस्थाओं ('वित्त पोषण दलों') सहित, जानकारी में कोई धन प्राप्त नहीं किया है, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, यह कि समूह, उसके संयुक्त उद्यम और सहयोगी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार देंगे या निवेश करेंगे या फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थी') की ओर से या कोई गारंटी, सुरक्षाया संशोधित अनुसूची III के अनुसार अंतिम लाभार्थियों अनुपातों की ओर से प्रदान करेंगे।

52. परिचालन खंड की जानकारी

(₹ करोड़ में)

विवरण	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी	एएसपी	एसएसपी	वीआईएसएल	अन्य	खंड	जोड़
राजस्व											
– बाह्य बिक्रियां											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	26299.91	11146.83	24130.47	25680.67	11495.65	699.32	2632.13	243.21	480.35	-	102808.54
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	18987.44	8344.30	13910.18	16019.87	7900.98	381.33	1692.97	105.63	1113.16	-	68455.86
&अंतः खंड बिक्रियां											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	1499.17	659.19	2591.85	2607.65	687.31	190.43	16.79	128.19	2808.56	(11189.14)	-
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	705.83	369.33	1136.70	220.51	389.87	164.42	9.52	57.19	4843.28	(7896.65)	-
– उत्पादों की बिक्री से कुल राजस्व											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	27799.08	11806.02	26722.32	28288.32	12182.96	889.75	2648.92	371.40	3288.91	(11189.14)	102808.54
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	19693.27	8713.63	15046.88	16240.38	8290.85	545.75	1702.49	162.82	5956.44	(7896.65)	68455.86
परिणाम											
– ब्याज और अपवाद मदों से पहले परिचालन लाभ/(–) हानि	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	2853.35	1157.02	6347.65	6386.86	827.14	(71.46)	97.79	(35.88)	780.70	-	18343.17
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	2320.14	973.19	3117.82	2935.98	513.30	(70.83)	(54.20)	(50.06)	279.03	-	9964.37
– वित्तीय लागत											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1697.89
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2817.15
– अपवाद मद											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353.41
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(58.43)
– कर व्यय											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4037.54
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3057.52
– वर्ष के लिए लाभ											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12254.33
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4148.13
अन्य सूचना											
– खंड परिसंपत्तियां											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	31351.06	6283.17	25844.95	20785.61	15750.29	565.31	2211.64	271.24	17045.85	-	120109.12
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	31122.24	6232.20	23040.23	20639.31	16551.10	545.00	2300.83	326.76	17060.97	-	117818.64
– खंड देनदारियां (दीर्घकालीन ऋणों सहित)											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	9195.16	3016.83	8367.33	7016.39	1752.99	250.07	534.20	63.54	35700.92	-	65897.43
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	8705.53	2823.31	5686.67	5242.73	1548.56	213.34	439.49	46.15	47706.63	-	72412.41
– पूंजी व्यय											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	1214.86	270.84	3525.48	848.48	268.09	0.03	2.01	2.76	(404.57)	-	5727.98
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	711.37	246.30	750.80	952.87	182.89	1.06	10.31	0.42	141.68	-	2997.70
– मूल्यह्रास											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	1177.46	278.72	935.29	888.10	798.07	8.60	99.00	7.32	82.46	-	4275.02
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	1148.10	265.30	837.74	771.48	755.70	8.74	98.29	7.56	209.87	-	4102.78
– अवमूल्यन के अतिरिक्त गैर नकद व्यय											
31 मार्च, 2022 को समाप्त चालू वर्ष	75.23	25.73	120.26	33.02	22.83	1.18	0.83	0.29	85.45	-	364.82
31 मार्च, 2021 को समाप्त पिछला वर्ष	53.91	12.52	29.95	9.75	36.74	2.38	2.44	0.53	113.78	-	262.00

53. पिछली अवधियों के आंकड़ों को, जहां आवश्यक हो, पुनर्वर्गीकृत किया गया है, ताकि वर्तमान अवधियों के वर्गीकरण के अनुरूप हो।

निदेशक मंडल द्वारा और उनकी तरफ से

हस्ता./–
एम.बी. बालाकृष्णन,
कंपनी सचिव
एम. नं. ए17770

हस्ता./–
सोमा मंडल,
अध्यक्ष
डीआईएनः 06845389

समान तिथि के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई
हस्ता./–
बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई
हस्ता./–
विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013
हस्ता./–
नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी
हस्ता./–
केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23 मई, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

1.	**तेज राज और पाल** सनदी लेखाकार ए60, अमरपाली सोसाइटी, लालपुर, गंगा डायग्नोसिस लेन, रायपुर – 492001	2.	**एस जयकिशन** सनदी लेखाकार 12, हो ची मिन्ह सरानी, दूसरी मंजिल, सुइट नं. 2डी, 2ई और 2एफ, कोलकाता – 700071	3.	**वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी** सनदी लेखाकार एल–41, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली – 110001	4.	**के ए एस जी एंड कंपनी** सनदी लेखाकार दूसरी मंजिल, श्री लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, धनबाद – 826001

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट **योग्य राय** 1. हमने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड ("होल्डिंग कंपनी") और उसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित किया है), इसके एसोसिएटस और इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयां जैसा कि परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध है, जिसमें वित्तीय विवरणी की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2022 तक की समेकित बैलेंस शीट शामिल है, लाभ–हानि की समेकित विवरणी (अन्य व्यापक आय सहित), समेकित नकदी प्रवाह विवरणी, तब समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में हुए परिवर्तन की समेकित विवरणी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित (बाद में जिसे "समेकित वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित) वित्तीय विवरणों पर नोटस शामिल है। 2. हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार और शाखाओं के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर होल्डिंग कंपनी के शाखा लेखापरीक्षकों के विचारों के आधार पर और इसके एसोसिएटस तथा इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों द्वारा हमें प्रदान की गई वित्तीय विवरणियों/ वित्तीय जानकारी के आधार पर, हमारी रिपोर्ट की सीमित राय, अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामले के संभावित प्रभावों को छोड़कर, उक्त समेकित वित्तीय विवरणी, वह सूचना प्रदान करती है जो कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के अनुसार अपेक्षित है और आमतौर पर कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और भारत में स्वीकार अन्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों ('इंड एएस') के अनुरूप आवश्यक तरीके से और एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देती है, 31 मार्च, 2022 को समूह के समेकित मामलों और उसके समेकित लाभ (समेकित अन्य व्यापक आय सहित), इसके समेकित नकदी प्रवाह और उस तारीख को समाप्त वर्ष हेतु इक्विटी में समेकित परिवर्तन को दर्शाती है।	
योग्य राय का आधार 3. जैसा कि नोट 47.2 (ए) के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में संदर्भित है, प्रवेश कर अधिनियम की संवैधानिक वैधता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है और प्रवेश कर लगाने से संबंधित मामले अब उच्चतम न्यायालय/क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालयों/सौंपे गए प्राधिकारियों की नियमित बेंच के समक्ष लंबित हैं। अन्य अदालतों द्वारा लंबित निर्णयों पर प्रबंधन का विचार है कि विभिन्न राज्यों में विवादित प्रवेश कर की मांग के लिए 31 मार्च 2022 तक ₹1,419.51 करोड़ की राशि के साथ समेकित वित्तीय विवरणों में कोई समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, पर्याप्त उपयुक्त साक्ष्य की अनुपस्थिति में प्रबंधन के दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए, हमारी राय है कि समेकित वित्तीय विवरणों में प्रवेश कर देयता के प्रावधान को मान्यता दी जानी चाहिए।	होल्डिंग कंपनी का विचार है कि सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच ने 11 नवंबर, 2016 के अपने आदेश में विभिन्न राज्यों द्वारा पारित प्रवेश कर कानूनों की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। हालांकि, बेंच ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए कुछ अन्य मामले, जैसे कर की भेदभावपूर्ण दरें, दूसरे देश से भारत के भूभाग में प्रवेश करने वाले सामानों पर कर आदि मामलों की सुनवाई करने वाली नियमित पीठों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। तदनुसार, सेल द्वारा उठाए गए विभिन्न मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। न्यायालयों द्वारा लंबित निर्णय, ₹1,419.51 करोड़ की विवादित प्रवेश कर देनदारियों को कंपनी द्वारा आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।
4. जैसा कि साथ में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47.2 (बी) में उल्लेख किया गया है, वर्तमान संपत्ति में 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए बिजली की आपूर्ति के लिए उठाए गए बिलों के विरूद्ध दामोदर घाटी निगम को विवाद के तहत भुगतान किए गए ₹587.72 करोड़ की अग्रिम राशि शामिल है। मामला है टैरिफ को अंतिम रूप देने के लिए झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग के साथ मुकदमेबाजी के तहत, जिसके लंबित होने पर, प्रबंधन का विचार है कि राशि पूरी तरह से वसूली योग्य है और इस प्रकार समेकित वित्तीय विवरणों में किसी समायोजन की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, इन शेष राशि की वसूली के प्रबंधन के तर्क का समर्थन करने के लिए पर्याप्त उपयुक्त सबूत के अभाव में, हमारी राय है कि इस तरह के अग्रिम की संभावित गैर–वसूली के लिए एक भत्ता समेकित वित्तीय विवरणों में बनाया जाना चाहिए।	होल्डिंग कंपनी का विचार है कि मामले विचाराधीन हैं और लंबे समय से विभिन्न न्यायिक अधिकारियों के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) के आदेश के विरूद्ध 2004–09 के टैरिफ से संबंधित डीवीसी द्वारा दायर दीवानी अपील को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 3 दिसंबर, 2018 द्वारा खारिज कर दिया है। तदनुसार, राज्य इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (एसईआरसी) एपीटीईएल के निर्देशानुसार रिटेल टैरिफ को अंतिम रूप देगा, जिसके वित्तीय निहितार्थ का पता एसईआरसी द्वारा टैरिफ निर्धारण के बाद ही लगाया जा सकता है। डीवीसी ने 2006–07 से 2011–12 की अवधि के लिए झारखंड राज्य बिजली नियामक आयोग के समक्ष वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए आवेदन के साथ नवंबर 2020 में अपना खुदरा शुल्क आवेदन दायर किया और 2012–13 से 2014–15 की अवधि में राजस्व अंतर/अधिशेष के समायोजन की भी मांग की। कंपनी डीवीसी के उक्त आवेदन पर 28 दिसंबर, 2020 को भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराई हैं। उपरोक्त विवादित मांगों को (3) और (4) में बताया गया है, जो वैध और वास्तविक आधार पर लड़ी गई हैं, को आकस्मिक देनदारियों के रूप में माना गया है क्योंकि यह संभव नहीं है कि 31 मार्च, 2022 को वर्तमान दायित्व मौजूद हैं। इसलिए, वर्ष 2000 के लिए लाभ पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
5. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर उपरोक्त सभी योग्यताओं का प्रभाव निम्नानुसार है:	

विवरण	31 मार्च 2022 तक	
	रिपोर्ट किए गए शेष	सभी योग्यताओं के प्रभाव के बाद शेष राशि जो परिमाणित हैं
अन्य इक्विटी	50,081.15	48,579.10
विलम्बित टैक्स देयता	5,358.42	4,853.24
अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों	2,324.22	1,736.50
अन्य वर्तमान देनदारियां	4,076.89	5,496.40

उपरोक्त मामलों के संबंध में 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट को भी संशोधित किया गया था।

6. साथ में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 49.16 में वर्णित मामले के संबंध में, दुर्गापुर स्टील प्लांट, होल्डिंग कंपनी की एक शाखा के वित्तीय विवरणों पर निम्नलिखित योग्यता पैराग्राफ दिया गया है, जिसे हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"प्रबंधन माल प्राप्ति/चालान रसीद–जीआर/आईआर खातों (व्यापार देय/पूंजीगत कार्यों के लिए देय के तहत समूहीकृत) के मिलान की प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2022 तक बकाया राशि ₹101.54 करोड़ (31 मार्च 2021 – ₹304.08 करोड़) है। समाधान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, संयंत्र ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹186.16 करोड़ की राशि वापस लिख दी है। अपेक्षित सहायक दस्तावेज के अभाव में, हम वापस लिखी गई राशि की सटीकता और पूर्णता और परिणामी पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं। साथ में समेकित वित्तीय विवरणों और वित्तीय रिपोर्टिंग पर संबंधित आंतरिक नियंत्रण पर चल रहे समाधान का प्रभाव"।

7. हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों में वर्णित किया गया है। भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से स्वतंत्र हैं, और नैतिक आवश्यकताओं के साथ अधिनियम और उसके तहत नियमों के प्रावधानों के तहत बयान, जो समेकित वित्तीय के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, उनके साथ शाखा लेखापरीक्षकों सहित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा प्राप्त ऑडिट साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के खंड के पैराग्राफ 20 में संदर्भित उनकी रिपोर्टों के संदर्भ में हमारे लिए योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामलों पर जोर

8. हम आपका ध्यान निम्नलिखित मामलों की ओर आकर्षित करते हैं:

(1) समेकित वित्तीय विवरणों के साथ में नोट 49.2, जो बताता है कि संचालन से होने वाले राजस्व में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए कुल ₹ 6,237.41 करोड़ की बिक्री शामिल है (31 मार्च 2022 तक ₹ 21,163.29 करोड़ का संचयी) जिसे ऐसी सरकारी एजेंसियों के साथ बिक्री की शर्तों के अनुसार अंतरिम कीमतों के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

(2) समेकित वित्तीय विवरणों के साथ में नोट 49.14, जो बताता है कि इन समेकित वित्तीय विवरणों में होल्डिंग कंपनी के पूर्ववर्ती कच्चे माल के अनुभाग ('डिवीजन') की 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वित्तीय जानकारी शामिल है जो विघटित हो गई और 1 जुलाई 2021 से राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और भिलाई स्टील प्लांट ('एक साथ प्लांट्स के रूप में संदर्भित') के साथ विलय कर दिया गया। इस तरह की वित्तीय जानकारी को तत्कालीन लेखा परीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन किया गया था और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के संपूर्ण सेट पर रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए उक्त नोट में बताए अनुसार अब होल्डिंग कंपनी/संयंत्रों के लेखा परीक्षकों के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है। हालांकि, जैसा कि नोट में आगे कहा गया है, होल्डिंग कंपनी अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत आवश्यक डिवीजन के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए मामले को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास भेजने की प्रक्रिया में है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

9. मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित हैं और वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में होल्डिंग कंपनी की शाखाओं का सर्वाधिक महत्व था। इन मामलों को समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर अपनी राय बनाने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

10. बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामलों के अलावा, हमने नीचे वर्णित मामलों को अपनी रिपोर्ट में संप्रेषित किए जाने वाले प्रमुख ऑडिट मामलों के रूप में निर्धारित किया है। होल्डिंग कंपनी द्वारा लेखापरीक्षक की संतुष्टि के लिए जीआई/आईआर के तहत शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया को विधिवत पूरा कर लिया गया है।

होल्डिंग कंपनी द्वारा लेखापरीक्षक की संतुष्टि के अनुसार जीआई/आईआर के तहत शेष राशि के समाधान की प्रक्रिया को विधिवत पूरा कर लिया गया है।

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
मुख्य लेखापरीक्षा मामला	**हमारे लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया**	
चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधान और आकस्मिक देनदारियां होल्डिंग कंपनी कई कानूनी, नियामक और कर मामलों के अधीन है, जिसके लिए अंतिम परिणाम की आसानी से भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है और जिसके परिणामस्वरूप संभावित देनदारियां हो सकती हैं। चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों के संबंध में प्रबंधन के खुलासे समेकित वित्तीय विवरणों के लिए नोट 3.18 के साथ पढ़े गए नोट 47 में प्रस्तुत किए गए हैं।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – होल्डिंग कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ हुई विभिन्न चर्चाओं के माध्यम से प्रबंधन द्वारा चल रहे मुकदमों से संबंधित प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की पहचान और माप की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की। – लंबित मुकदमों के परिणाम के आंकलन के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया।	
मुख्य लेखापरीक्षा मामला	**हमारे लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया**	
यह आंकलन करना कि क्या किसी दायित्व को एक प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई है या समेकित वित्तीय विवरणों में एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया गया है, स्वाभाविक रूप से व्यक्तिपरक है और व्यवसाय से नकदी बहिर्वाह के निर्धारण, लागू कानूनों और विनियमों की व्याख्या और नियामक प्राधिकरणों के विभिन्न स्तरों पर लंबित आकलनों का सावधानीपूर्वक जांच में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता है। चूंकि शामिल राशियां महत्वपूर्ण हैं और संभावित परिणामों की सीमा के कारण उच्च अनुमान अनिश्चितता है जिसके लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन और लेखा परीक्षक निर्णय की आवश्यकता होती है, इस मामले को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा के लिए एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला माना जाता है।	– मुकदमेबाजी के मामलों के सारांश का निरीक्षण किया गया और होल्डिंग कंपनी के कानूनी और वित्त कर्मियों के साथ वर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं पर चर्चा की गई। – निरीक्षण और मूल्यांकन, जहां लागू हुआ, होल्डिंग कंपनी द्वारा बाहरी कानूनी और/या नियामक सलाह मांगी गई। कुछ चल रहे मुकदमों पर काम कर रहे वकीलों से सीधे पुष्टि प्राप्त की। – कुछ भौतिक मामलों में उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता की संभावना, परिमाण और लेखांकन के प्रबंधन के आंकलन पर चर्चा हुई और चुनौती दी गई। तदनुसार, हमने समेकित वित्तीय विवरणों में प्रकट किए गए स्वीकृत प्रावधानों और आकस्मिक देनदारियों की राशि की समीक्षा की और आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को शामिल करते हुए ऐसे निष्कर्षों की उपयुक्तता का आंकलन करने के लिए अपने पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया। – लागू लेखा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में किए गए प्रकटीकरण की पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।	
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति (प्रगति में पूंजीगत कार्य सहित) 31 मार्च 2022 तक, समूह के पास संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ('पीपीई'), अमूर्त संपत्ति ('आईए') और पूंजीगत कार्य प्रगति ('सीडब्ल्यूआईपी') है, जिसका मूल्य क्रमशः ₹68,382.92 करोड़, ₹1,459.41 करोड़ और ₹4,016.72 करोड़, जैसा कि साथ में समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 4, नोट 7 और नोट 5 में बताया गया है। ऐसी गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों की पहचान और माप के लिए समूह द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों के लिए नोट 3 देखें। पीपीई, आईए और सीडब्ल्यूआईपी के आगे ले जाने वाले मूल्यों और उनके संबंधित मूल्यह्रास और परिशोधन मात्रा के निर्धारण के लिए काफी प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है। इनमें पूंजीकरण या व्यय लागत, वार्षिक परिसंपत्ति जीवन समीक्षा, परिसंपत्तियों के पूंजीकरण की समयबद्धता और प्रबंधन की मान्यताओं और अनुमानों का उपयोग शामिल है, जो उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त परिसंपत्तियों के निर्धारण और माप के लिए इंड एएस 16 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण ('इंड एएस 16'), और 38 अमूर्त संपत्ति ('इंड एएस 38') की आवश्यकता के अनुरूप है। CWIP के वहन मूल्य में दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित शेष राशि भी शामिल होती है जिसके लिए ऐसी परियोजनाओं की निरंतरता और व्यवहार्यता की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता होती है।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – समूह द्वारा किए गए पूंजीगत व्यय से संबंधित लेनदेन को रिकॉर्ड करने की प्रबंधन की प्रक्रिया की समझ प्राप्त की और समूह द्वारा अपनाई गई लेखा नीतियों का मूल्यांकन इंड एएस 16 और इंड एएस 38 की आवश्यकताओं के अनुसार किया। – उपरोक्त प्रक्रिया के संबंध में प्रबंधन द्वारा लगाए गए नियंत्रणों के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। – वर्ष के दौरान पूंजीकृत राशियों का नमूना आधार पर परीक्षण किया, सहायक दस्तावेजों का निरीक्षण करके और मूल्यांकन किया कि क्या पूंजीकृत संपत्ति मान्यता मानदंडों को पूरा करती है और सही अवधि में और सही मात्रा में सही ढंग से पहचानी गई थी। – पूंजीकृत अंतर्निहित लागतों की प्रकृति, सक्रिय उपयोग से सेवानिवृत्त संपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य का निर्धारण, निर्धारित मूल्यह्रास की गणना में लागू उपयोगी जीवन की उपयुक्तता सहित निर्दिष्ट गैर–वर्तमान परिसंपत्तियों के मूल्यों के निर्धारण में प्रबंधन द्वारा किए गए निर्णयों की समीक्षा की, प्रबंधन और बाहरी तकनीकी विषेशज्ञों द्वारा तकनीकी मूल्यांकन द्वारा, जहां आवश्यक हो, और दीर्घकालिक परियोजनाओं से संबंधित लंबे समय से चली आ रही CWIP शेष राशि की उपयुक्तता का मूल्यांकन किया।	

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
समूह की बैलेंस शीट के संदर्भ में शामिल राशियों के महत्व और आवश्यक निर्णयों और अनुमानों के स्तर को ध्यान में रखते हुए, हम इसे चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामला मानते हैं।	– लागू लेखा मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया गया।	
बाई–प्रोडक्ट इन्वेंट्री 31 मार्च 2022 तक बाई–प्रोडक्टों के मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के नोट 3.8 का संदर्भ लें, जो कि बाई–प्रोडक्टों के मूल्यांकन के लिए ₹ 4,924.71 करोड़ और महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय, अनुमान और उससे संबंधित धारणाएं और नोट 3.24.4 के समेकित वित्तीय विवरण का संदर्भ लें।	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल थे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं थे: – प्रक्रियाओं और तरीकों की समझ प्राप्त की, जिसमें सब–ग्रेड फाइन्स, बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग में जुड़े आयरन और स्टील स्क्रैप और लौह अयस्क फाइन्स ('बाईप्रोडक्ट्स') से संबंधित नियंत्रण शामिल हैं।	

मुख्य लेखापरीक्षा मामला	हमारे लेखापरीक्षा ने मुख्य लेखापरीक्षा मामले को कैसे संबोधित किया
उप–उत्पादों की सूची में मुख्य रूप से बीएफ स्लैग और एलडी स्लैग और स्लाइम में एम्बेडेड सब–ग्रेड फाइन्स, आयरन और स्टील स्क्रैप, और लौह अयस्क फाइन्स युक्त अवशेष शामिल हैं, जो स्टॉक पाइल में जमा होते हैं। इसके अलावा, जैसा कि नोट 49.11 में समझाया गया है, खान मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 16 सितंबर 2019 के आदेश के अनुसार, कुछ उप–उत्पादों को बेचने की अनुमति दी गई थी और इसलिए, पिछले वर्षों में पहली बार उनका मूल्यांकन किया गया था। होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन ने आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ('ईएसी राय') की पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उप–उत्पाद सूची की मान्यता और माप पर राय मांगी। ऐसी वस्तुओं के मूल्यांकन के लिए प्रबंधन को इन वस्तुओं की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्यांकन दर के निर्धारण के लिए अनुमानों के उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इस तरह के उप–उत्पाद इन्वेंट्री की कैप्टिव खपत के लिए अपेक्षित भविष्य की बिक्री और योजनाओं के आधार पर, प्रबंधन ने बैलेंस शीट की तारीख से 12 महीनों के बाद बेची/खपत की जाने वाली इन्वेंट्री को होल्डिंग कंपनी के ऑपरेटिंग चक्र के रूप में वर्गीकृत किया है। गैर–वर्तमान इन्वेंट्री। ऐसी उप–उत्पाद सूची की बिक्री/खपत में नगण्य गति के कारण, उसके वहन मूल्य की भौतिकता और ऊपर चर्चा की गई जटिलताओं के कारण, हमने इस क्षेत्र को चालू वर्ष की लेखापरीक्षा में एक प्रमुख लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना है। इसके अलावा, नोट 49.12 में वर्णित पूर्वोक्त इन्वेंट्री के वर्गीकरण और मूल्यांकन का प्रबंधन का मूल्यांकन समेकित वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं की समझ के लिए मौलिक माना जाता है।	– प्रबंधन द्वारा प्राप्त ईएसी राय के साथ इंड एएस 2, इन्वेंटरी की आवश्यकताओं के अनुसार उप–उत्पाद इन्वेंट्री के मूल्यांकन के लिए होल्डिंग कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखा नीति का मूल्यांकन किया। – उप–उत्पादों के मूल्य के प्रबंधन के आकलन में, हमने मूल्यांकन के लिए विचार किए गए उप–उत्पादों की मात्रा और गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) का पता लगाने में अपनाई गई प्रक्रियाओं को समझने के लिए प्रबंधन के साथ विस्तार से चर्चा की। – एनआरवी के प्रबंधन के अनुमान को भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित औसत बिक्री मूल्य (एएसपी) के संदर्भ में सत्यापित किया गया था। हमने बाय–प्रोडक्ट्स की मात्रा निर्धारित करने के लिए प्रबंधन द्वारा मांगी गई बाहरी विशेषज्ञों से तकनीकी विश्लेषण रिपोर्ट और फाइन्स की गुणवत्ता (ग्रेडेशन सहित) पर पहुंचने के लिए प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली रासायनिक विश्लेषण रिपोर्ट भी प्राप्त की। – वर्तमान और गैर–वर्तमान के बीच उप–उत्पाद इन्वेंट्री के वर्गीकरण के लिए उपयोग की जाने वाली अनुमानित भविष्य की बिक्री/खपत के प्रबंधन के कामकाज को प्राप्त किया, और मूल्यांकन के अलावा प्रसंस्करण की हमारी समझ और ऐसी इन्वेंट्री की बिक्री के लिए आवश्यक अनुमोदन के आधार पर अंतर्निहित मान्यताओं का परीक्षण किया। ऐसे उप–उत्पादों की मांग की उपलब्धता पर प्रबंधन का अनुमान। – लागू लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे की उपयुक्तता और पर्याप्तता का मूल्यांकन किया।

समेकित वित्तीय विवरणों और उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी इस प्रकार है:

11. अन्य जानकारी के लिए होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल जिम्मेदार हैं। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है, लेकिन इसमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है। इस लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद वार्षिक रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

    समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

    समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करने पर, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या ऑडिट या अन्यथा भौतिक रूप से हमारी जानकारी गलत बताई प्रतीत होती है।

    जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई भौतिक विवरण गलत है, तो हमें इस मामले को शासन पर अधिकृत लोगों तक पहुंचाना होता है।

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन और शासन के लिए अधिकृत व्यक्ति की जिम्मेदारी 12. साथ में समेकित वित्तीय विवरणों को होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार हैं, जो समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन (अन्य व्यापक आय सहित), कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट उद्योग के अनुसार अपने सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं सहित समूह के इक्विटी और समेकित नकदी प्रवाह में समेकित परिवर्तन, और अन्य लेखांकन सिद्धांत आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं। अन्य अनियमितताएं; उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं और सामग्री से मुक्त हैं मिथ्या विवरण, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिसका उपयोग पूर्वोक्त रूप में होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया हो।	
13. समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित निदेशक मंडल समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की क्षमता का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार हैं और जब तक कि निदेशक मंडल या तो समूह को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं है, तब तक चलना होगा, प्रकट करना होगा, जैसा लागू हो, संबंधित मामलों का खुलासा करना और लेखांकन के चलते चिंता के आधार का उपयोग करना होगा। 14. संबंधित निदेशक मंडल समूह में शामिल कंपनियों और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं। **समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां** 15. हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से समेकित वित्तीय विवरण भौतिक रूप से गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार आयोजित ऑडिट हमेशा महत्वपूर्ण गलत विवरण का पता लगाएगा, जब वह मौजूद हो। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है। 16. अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय का प्रयोग करते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हमः • समेकित वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण का ओवरराइड शामिल हो सकता है; • परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या होल्डिंग कंपनी के पास समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है; • उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें; • सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को एक चालू चिंता के रूप में जारी रखने के लिए निदेशक मंडल की उपयुक्तता के आधार पर लेखांकन के चालू प्रतिष्ठान के उपयोग के आधार पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं चालू संस्था के रूप में इसकी क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरण पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती हैं; • प्रकटीकरण सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त होती है; तथा • समेकित वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर की संस्थाओं और उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। हम समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं, जिनमें हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं और शाखाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखा परीक्षक और शाखा लेखा परीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखा परीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार हैं। हम अपनी लेखापरीक्षा राय के लिए पूरी तरह उत्तरदायी हैं।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
17. हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं। 18. जिन पर शासन का अधिकार है, हम उन लोगों को भी स्टेटमेंट प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का पालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों को संवाद करने के लिए जो हमारी स्वतंत्रता पर उचित रूप से माना जा सकता है, और जहां लागू हो, सुरक्षा उपाय संबंधित हैं। 19. शासन अधिकारी के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले को संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों की इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित के लाभों को दरकिनार करेगी।	
अन्य मामले 20. हमने समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल दो सहायक कंपनियों और होल्डिंग कंपनी के अलग–अलग वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल ग्यारह शाखाओं के वार्षिक वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं की लेखापरीक्षा नहीं की, जिनकी वित्तीय जानकारी/वित्तीय विवरण 31 मार्च 2022 को क्रमशः ₹56,839.57 करोड़ की कुल संपत्ति और शुद्ध संपत्ति को दर्शाते हैं और ₹30,829.84 करोड़, ₹39,714.01 करोड़ का कुल राजस्व, ₹7,588.40 करोड़ का कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ, ₹7,600.79 करोड़ की कुल व्यापक आय और ₹9.16 करोड का नकदी प्रवाह (शुद्ध) उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों/होल्डिंग कंपनी के लेखापरीक्षित पृथक वार्षिक वित्तीय विवरणों में माना गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) का हिस्सा भी शामिल है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जिनके वार्षिक वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी का हमारे द्वारा ऑडिट नहीं किया गया है। इन वार्षिक वित्तीय विवरणों का ऑडिट अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है, और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इनके संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण से संबंधित है अनुषंगियों/शाखाओं/संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और अधिनियम की धारा 143 की उप–धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहां तक यह उपरोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर ऊपर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए कार्यों और रिपोर्टों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं है। . 21. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹188.40 करोड़, एक सहयोगी और दस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, जिनके वित्तीय विवरणों की हमारे द्वारा लेखा–परीक्षा नहीं की गई है, समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के लाभ का हिस्सा (अन्य व्यापक आय सहित) रुपये भी शामिल है। ये वित्तीय विवरण बिना जांचे हैं और होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं और समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह उपरोक्त सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में शामिल राशि और प्रकटीकरण से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे जांचे नहीं गए वित्तीय विवरण पर आधारित है। हमारी राय में, और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर ऊपर हमारी राय, और नीचे अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है। 22. समेकित वित्तीय विवरणों में समूह के कर के शुद्ध लाभ/(हानि) के बाद का हिस्सा और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संबंध में कुल व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा शामिल नहीं है, क्योंकि इस इकाई के वार्षिक वित्तीय विवरण प्रबंधन के अनुसार उपलब्ध नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट को उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं किया गया है।	
अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट 23. हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अनुषंगियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अनुच्छेद 20 में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि धारा 197 के प्रावधान अनुसूची V अधिनियम के साथ पढ़े जाते हैं, वह होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं पर लागू नहीं हैं, क्योंकि होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियां और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई अधिनियम की धारा 2 (45) के तहत परिभाषित सरकारी कंपनियां हैं और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित हैं। अधिनियम की धारा 2(71) के तहत परिभाषित संस्थाएं सार्वजनिक कंपनियां नहीं हैं। तदनुसार, धारा 197(16) के तहत रिपोर्टिंग होल्डिंग कंपनी और पूर्वोक्त सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में लागू नहीं है। इसके अलावा, जैसा कि पैराग्राफ 21 में कहा गया है, अधिनियम के तहत शामिल एक सहयोगी कंपनी और दस संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरण जांचे नहीं गए हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित, जहां कहीं लागू हो, ऐसी कंपनियों ने अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के तहत निर्धारित प्रावधानों और सीमाओं के अनुसार वर्ष के दौरान उनके संबंधित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान किया है।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
24. अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनीज़ (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुच्छेद 3 के खंड (xxi) द्वारा अपेक्षित विचार के आधार पर 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल और अधिनियम के तहत कवर की गई कंपनियों की, हमारे द्वारा और संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अब तक जारी आदेश रिपोर्टों के अनुसार, योग्यता के विवरण और/या ऐसी कंपनियों की ऑर्डर रिपोर्ट में संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई प्रतिकूल टिप्पणियां के लिए अनुबंध 2 देखें। अनुबंध में अलग से उन कंपनियों का विवरण भी शामिल है जो समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल हैं और अधिनियम के तहत शामिल हैं, जिसके लिए अधिनियम की धारा 143(11) के तहत आवश्यक संबंधित आदेश रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई हैं। 25. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर विचार करने पर, हम लागू सीमा तक रिपोर्ट करते हैं कि: क) हमने मांग की है और बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामलों को छोड़कर, सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे; ख) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकों को रखा गया है, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच और अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को छोड़कर, होल्डिंग कंपनी के वित्तीय विवरणों के संबंध में बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के पैराग्राफ 3, 4 और 6 में वर्णित मामलों के प्रभावों/संभावित प्रभावों के लिए; ग) शाखा लेखा परीक्षकों/अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षित होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं की शाखाओं के खातों पर रिपोर्ट, जैसा लागू हो, हमें भेजा गया है, और इस रिपोर्ट को तैयार करने में ठीक से जांचा गया है; घ) इस रिपोर्ट द्वारा तैयार समेकित वित्तीय विवरण बनाए गए खाते की प्रासंगिक पुस्तकों के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य के अनुरूप हैं; ङ) बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन में वर्णित मामलों के प्रभाव/संभावित प्रभावों को छोड़कर, हमारी राय में, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत इंड एएस में निर्दिष्ट, कंपनियों के साथ पठित भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 का अनुपालन करते हैं; च) अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान होल्डिंग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि होल्डिंग कंपनी एक सरकारी कंपनी है जैसा कि अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, अधिनियम के तहत शामिल सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर पैराग्राफ 20 में संदर्भित अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर विचार करने पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान इस प्रकार हैं: सहायक कंपनियों और एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई पर लागू नहीं है, क्योंकि ये अधिनियम की धारा 2(45) के तहत परिभाषित सरकारी कंपनियां हैं और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, अधिनियम के तहत शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं का कोई भी निदेशक नहीं है, अधिनियम की धारा 164(2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च 2022 तक अयोग्य हैं। एक सहयोगी कंपनी और दस संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में, जैसा कि अनुच्छेद 21 में कहा गया है, जिनके वित्तीय विवरण जांचे नहीं गए हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं, जैसा कि प्रबंधन द्वारा प्रमाणित है, जहां कहीं लागू हो, सहयोगी कंपनी का कोई भी निदेशक और अधिनियम के तहत शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, अधिनियम की धारा 164(2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से 31 मार्च 2022 तक अयोग्य हैं। छ) खातों के रखरखाव और उससे जुड़े अन्य मामलों से संबंधित योग्यताएं होल्डिंग कंपनी के संबंध में क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के लिए आधार के पैराग्राफ 3, 4 और 6 में बताई गई हैं; ज) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और अधिनियम के तहत शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, हमारी अलग रिपोर्ट में **'अनुलग्नक 1'** को देखें जिसमें हमने एक संशोधित राय व्यक्त की है; तथा झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (जैसा संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण और अलग–अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत में शामिल सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जिनके वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा अधिनियम के तहत और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं के शाखा लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर की गई है: i. बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन के पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर, समेकित वित्तीय विवरण समूह, उसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं की 31 मार्च 2022 को, समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा करते हैं, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 47 में वर्णित है; ii. इन समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है, जैसा कि लागू कानून या उद्योग के तहत आवश्यक है, भौतिक पूर्वाभास योग्य नुकसान के लिए, व्युत्पन्न अनुबंधों सहित दीर्घकालिक अनुबंधों पर, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 43 (ii) (सी) में वर्णित है; तथा	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
iii. 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों, सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है, सिवाय इसके कि संबंधित ₹1.00 करोड़ को छोड़कर दावा न की गई परिपक्व जमाराशियां जो होल्डिंग कंपनी द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष में जमा की जानी आवश्यक थीं और जो 31 मार्च 2022 तक जमा नहीं की गई हैं;	व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा परिपक्व जमा का दावा पहले ही किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लंबित है। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमा राशि वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।
iv. (ए) भारत में निगमित होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों को अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, ने उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों का प्रतिनिधित्व किया है, जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में नोट 51.5 (ए) में बताया गया है, होल्डिंग द्वारा कोई भी फंड उन्नत या उधार या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई धनराशि या प्रतिभूति प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या प्रकार के फंड से) कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों या उसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं को या किसी भी व्यक्ति (ओं) या इकाई (ओं) में, विदेशी संस्थाओं ('मध्यस्थ') सहित, इस समझ के साथ कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, चाहे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में किसी भी तरह से या होल्डिंग कंपनी, या ऐसी कोई सहायक कंपनी या इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह से उधार देना या निवेश करना कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं; (बी) होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और भारत में शामिल संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंधित प्रबंधन, जिनके वित्तीय विवरणों को अधिनियम के तहत ऑडिट किया गया है, ने हमें और ऐसी सहायक कंपनियों और संयुक्त नियंत्रित संस्थाओं के अन्य लेखा परीक्षकों को क्रमशः प्रतिनिधित्व किया है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि साथ में समेकित वित्तीय विवरणों में नोट 51.5 (बी) में बताया गया है, होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों, या उसके संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) या इकाई (यों), विदेशी संस्थाओं ('निधिकरण पक्ष') सहित से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, इस समझ के साथ कि, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि होल्डिंग कंपनी, या ऐसी कोई सहायक कंपनी या इसकी संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं ('अंतिम लाभार्थी') या अंतिम लाभार्थियों की ओर से किसी भी तरह से उधार देना या निवेश करना कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई गारंटी प्रदान करती हैं; तथा (सी) हमारे द्वारा निष्पादित ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के लेखा परीक्षकों द्वारा निष्पादित, जैसा कि परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे या अन्य लेखा परीक्षकों के ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें या अन्य लेखा परीक्षकों का मानना है कि उपरोक्त उपखंड (ए) और (बी) के तहत प्रबंधन के प्रतिनिधित्व में कोई गलत विवरण दिया गया है।	
5. पिछले वर्ष के लिए घोषित इस तरह के लाभांश के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं द्वारा भुगतान किया गया अंतरिम/अंतिम लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार है। लाभांश के भुगतान पर लागू होता है और जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 49.13 में कहा गया है, होल्डिंग कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है जो आगामी वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है। घोषित लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुसार उस सीमा तक है जहां तक यह लाभांश की घोषणा पर लागू होता है। व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों/रिश्तेदारों द्वारा परिपक्व जमा का दावा पहले ही किया जा चुका है, लेकिन दावेदारों द्वारा कानूनी उत्तराधिकारी के प्रमाण के दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए लंबित है। कानूनी उत्तराधिकारियों को परिपक्व जमा राशि वापस करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।	

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678
यूडीआईएनः 22214678AJOGWW4504
स्थानः नई दिल्ली

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

हस्ता./–
सी.ए. विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636
यूडीआईएनः 22062636AJLPPQ3664
स्थानः नई दिल्ली

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

हस्ता./–
सी.ए. नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103
यूडीआईएनः 22502103AJKYRT9482
स्थानः नई दिल्ली

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751
यूडीआईएनः 22034751AJLQXV7763
स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2022

अनुबंध 1

समेकित वित्तीय विवरण में शामिल संस्थाओं की सूची

सहायक कंपनियां

सेल रिफैक्टरी कंपनी लिमिटेड

छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड

संबद्ध

अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं

एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड

सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड

गेडकोल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बोकारो बिजली आपूर्ति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड

सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

सेल एससीएल केरल लिमिटेड

सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड

प्राइम गोल्ड – सेल जेवीसी लिमिटेड

अनुबंध 2

शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं/इकाइयों/विपणन क्षेत्रों की सूची

1. केंद्रीय विपणन संगठन – दक्षिणी क्षेत्र
2. केंद्रीय विपणन संगठन – पश्चिमी क्षेत्र
3. केंद्रीय विपणन संगठन – पूर्वी क्षेत्र
4. केंद्रीय विपणन संगठन – परिवहन और शिपिंग
5. अनुसंधान एवं विकास केंद्र, रांची
6. राउरकेला स्टील प्लांट
7. इस्को स्टील प्लांट, बुरनपुर
8. सेलम स्टील प्लांट
9. विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट
10. सेल रीफ्रैक्टरीज यूनिट
11. चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट

31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 1

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 1. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी') और इसकी सहायक कंपनियों (होल्डिंग कंपनी और इसकी सहायक कंपनियों को एक साथ 'ग्रुप' के रूप में संदर्भित किया जाता है) के समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संयोजन के साथ, इसके सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संस्थाओं, हमने होल्डिंग कंपनी, इसकी सहायक कंपनियों, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में उस तारीख तक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा–जोखा किया है, जो अधिनियम के तहत कवर की गई कंपनियां हैं। **आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन और शासन अधिकारी की जिम्मेदारियां** 2. होल्डिंग कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल, इसकी सहायक कंपनियां, इसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाएं, जो अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ('ICAI') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ('मार्गदर्शन नोट') में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए संबंधित कंपनियों द्वारा स्थापित हैं, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी की रोकथाम और पता लगाना, अधिनियम के तहत आवश्यक त्रुटियों, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल है। **वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी** 3. हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर, पूर्वोक्त अनुसार, होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित मानक द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के ऑडिट के लिए लागू सीमा तक, और जारी मार्गदर्शन नोट के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए चाहिए कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और ऑडिट करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और यदि ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं। 4. हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आंकलन करना कि एक भौतिक कमजोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखापरीक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आंकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। 5. हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट के संदर्भ में प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य नीचे दिए गए अन्य मामलों के पैराग्राफ में संदर्भित हैं, पूर्वोक्त रूप में होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं। **समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ** 6. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में एक कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करें कि आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से दर्ज किया गया है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं जो वित्तीय विवरणों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं 7. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण सामग्री गलत विवरण हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या कि अनुपालन की डिग्री नीतियां या प्रक्रियाएं बिगड़ सकती हैं। **योग्य राय** 8. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और होल्डिंग कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर, 31 मार्च 2022 को होल्डिंग कंपनी की एक शाखा के संबंध में निम्नलिखित भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है। निम्नलिखित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों का मूल्यांकन इन समेकित वित्तीय विवरणों के लिए सामग्री के रूप में किया गया है, लेकिन यह व्यापक नहीं है: होल्डिंग कंपनी की एक शाखा, दुर्गापुर स्टील प्लांट के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक स्वतंत्र फर्म द्वारा जारी की गई 23 मई 2022 की अपनी रिपोर्ट के अनुसार, हमारे द्वारा निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई: "माल के रसीद/चालान रसीद जीआर/आईआर खातों (व्यापार देय/पूंजीगत कार्यों के लिए देय के तहत समूहीकृत) के समाधान की प्रक्रिया से संबंधित 31 मार्च 2022 को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में संयंत्र के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में भौतिक कमजोरी की पहचान की गई है।" 9. एक 'भौतिक कमजोरी' वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक कमी, या कमियों का संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कंपनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की एक सामग्री गलत विवरण को रोका नहीं जा सकता या समय पर पता लगाया जा सकता है। 10. हमारी राय में, समूह के पास आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए समूह द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के आधार पर, 31 मार्च 2022 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में सभी भौतिक मामलों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है। ICAI द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में आंतरिक नियंत्रण के बारे में बताया गया है, और नियंत्रण मानदंड के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरी के संभावित प्रभावों को छोड़कर, वित्तीय विवरणों के संदर्भ में 31 मार्च 2022 को समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। 11. हमने 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा में लागू किए गए लेखापरीक्षा परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने में ऊपर पहचानी गई और रिपोर्ट की गई भौतिक कमजोरी पर विचार किया है, और सामग्री कमजोरी ने होल्डिंग कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय को प्रभावित किया है और हमने समेकित वित्तीय विवरणों पर एक योग्य राय जारी की है। **अन्य मामले** 12. हमने वित्तीय विवरणों/वित्तीय सूचनाओं के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की, क्योंकि यह दो सहायक कंपनियों से संबंधित है, जो अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां हैं और होल्डिंग कंपनी के अलग–अलग वार्षिक वित्तीय विवरणों में शामिल ग्यारह शाखाएं हैं, जिनकी वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2022 को ₹ 56,839.57 करोड़ और ₹ 30,829.84 करोड़ की कुल संपत्ति और शुद्ध संपत्ति, कुल राजस्व ₹ 39,714.01 करोड़, कर के बाद कुल शुद्ध लाभ ₹ 7,588.40 करोड़, कुल व्यापक आय ₹ 7,600.79 करोड़ और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 9.16 करोड़ का नकद अंतर्वाह (निवल) जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में माना गया है, दर्शाती है। समेकित वित्तीय विवरणों में तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 278.98 करोड़ के शुद्ध लाभ (अन्य व्यापक आय सहित) का समूह का हिस्सा भी शामिल है, जो अधिनियम के तहत कवर की गई कंपनियां हैं, जिनके आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, ऐसी सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित है, अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्ट प्रबंधन और हमारी रिपोर्ट द्वारा हमें प्रस्तुत की गई है। उक्त अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत होल्डिंग कंपनी, उसकी सहायक कंपनियों, उसकी सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के लिए वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर जहां तक यह ऐसी सहायक कंपनियों, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं और होल्डिंग कंपनी की शाखाओं से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसी कंपनियों और शाखाओं के लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है। अन्य लेखा परीक्षकों और शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर और उनके द्वारा किए गए कार्यों पर हमारी निर्भरता के संबंध में इस मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
13. हमने वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा नहीं की, क्योंकि यह एक सहयोगी कंपनी और दस संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, जो अधिनियम के तहत कवर की गई कंपनियां हैं, जिसके संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समूह के शुद्ध लाभ का हिस्सा (अन्य व्यापक आय सहित) ₹ 188.40 करोड़ की समेकित वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन सहयोगी कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, जो अधिनियम के तहत शामिल कंपनियां हैं, जांची नहीं गई हैं और अधिनियम की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी राय है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण जहां तक यह उपरोक्त सहयोगी और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्थाओं से संबंधित है, जो अधिनियम के तहत कवर की गई कंपनियां हैं, पूरी तरह से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर आधारित हैं जो इस तरह की कंपनियों के प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्ट के संदर्भ में हैं। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं। प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरण रिपोर्ट के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।	

तेज राज और पाल के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 304124ई

हस्ता./–
सी.ए. बी विजय,
साझीदार
एम. नं. 214678
यूडीआईएनः 22214678AJOGWW4504
स्थानः नई दिल्ली

कृते एस जयकिशन
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 309005ई

हस्ता./–
सी.ए. विवेक नेवतिया,
साझीदार
एम. नं. 062636
यूडीआईएनः 22062636AJLPPQ3664
स्थानः नई दिल्ली

कृते वॉकर चंडीओक एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 001076एन/एन500013

हस्ता./–
सी.ए. नीरज शर्मा,
साझीदार
एम. नं. 502103
यूडीआईएनः 22502103AJKYRT9482
स्थानः नई दिल्ली

कृते केएएसजी एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या 002228सी

हस्ता./–
सी.ए. केशव कुमार हरोदिया,
साझीदार
एम. नं. 034751
यूडीआईएनः 22034751AJLQXV7763
स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 23 मई, 2022

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 10 अगस्त, 2022

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट के पैरा 24 में संदर्भित अनुलग्नक 2

टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ('आदेश') के अनुच्छेद 3 के खंड (xxi) द्वारा अपेक्षित है, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल और अधिनियम के तहत कवर की गई कंपनियों के हमारे और संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा अब तक जारी आदेश रिपोर्ट, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

ए) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियों के आदेश रिपोर्ट में हमारे और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई योग्यता/प्रतिकूल टिप्पणियां निम्नलिखित हैं, जिसके लिए इस तरह के आदेश रिपोर्ट आज तक जारी की गई हैं और हमें उपलब्ध कराई गई हैं:

क्र. स.	नाम	सीआइएन	होल्डिंग कंपनी/सहायक/सहयोगी/संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	CARO रिपोर्ट का खंड संख्या जो योग्य या प्रतिकूल है
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	L27109DL1973GOI006454	अधिकार वाली कंपनी	खंड i(a)(A), i)(b), i(c), ii(b), vii(a), vii(b) और xiv(a)
2	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	U27100CT2015GOI001627	सहायक	खंड xvii
3	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड	U14200TZ2011GOI017357	सहायक	खंड i(c), vii(a) और vii(b)
4	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड	U74899DL1999PLC098274	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	खंड i(c), vii(a) और vii(b)
5	सेल–राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड	U35200DL2010PTC211955	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई	खंड vii(a) और vii(b)

बी) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल कंपनियां अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित हैं, जिसके लिए इस संबंध में प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार संबंधित अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा ऐसी कंपनियों के अधिनियम की धारा 143(11) के तहत रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं की गई हैं:

क्र. स.	नाम	सीआइएन	सहायक/सहयोगी/संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
1	एस एंड टी माइनिंग कंपनी लिमिटेड	U13100WB2008PLC129436	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
2	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड	U26941UR1971PLC003453	संबंद्ध करना
3	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	U10100DL2009PTC190448	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
4	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	U74900CT2016PTC007251	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
5	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	U40300OR2018SGC029410	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
6	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड	U00000WB2001PLC115841	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
7	बोकारो बिजली आपूर्ति कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	U40300DL2001PTC112074	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
8	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड	U26940CT2007PLC020250	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
9	सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	U27100DL2012PTC236499	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
10	सेल एससीएल केरल लिमिटेड	U27104KL1969SGC002253	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
11	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड	U27310WB2000PLC092486	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई
12	प्राइम गोल्ड – सेल जेवीसी लिमिटेड	U28113DL2012PLC245537	संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VIII

सी एंड एजी की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन का उत्तर

टिप्पणियां		प्रबंधन के उत्तर
कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 के साथ पठित धारा 129(4) के तहत और अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 23 मई 2022 की अपनी ऑडिट रिपोर्ट के द्वारा किया गया बताया गया है। मैंने, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों के अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के साथ पठित धारा 129(4) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा आयोजित की है, जिसमें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड; इसकी दो सहायक कंपनियां, और एक[2] संयुक्त उद्यम कंपनियां, जो सभी सरकार और/या सरकारी कंपनियों द्वारा नियंत्रित हैं, के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण शामिल हैं। ऐसी छह[3] संयुक्त उद्यम कंपनियों और एक[4] सहयोगी कंपनी के अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत अनुपूरक लेखापरीक्षा उनके खातों और/या लेखापरीक्षा को अंतिम रूप दिए जाने तक पूर्ण नहीं की गई थी। अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के तहत, मुझे सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं बल्कि समेकित वित्तीय विवरण में शामिल छह[5] कंपनियों के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। तीन[6] संयुक्त उद्यम कंपनियां जो सरकार द्वारा नहीं नियंत्रित की गई हैं उनके वित्तीय विवरण समेकित नहीं किए गए थे। (विवरण अनुलग्नक 1 के रूप में संलग्न हैं)। समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य–पत्रों तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह प्राथमिक रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की पूछताछ और कुछ लेखा अभिलेखों की एक चयनात्मक परीक्षण तक सीमित है। [1] *सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड* [2] *एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लिमिटेड* [3] *बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सेल एससीएल केरल लिमिटेड, बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड, इंटरनेशनल कोल वेंचर लिमिटेड, सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड, और जीईडीसीओएल सेल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड* [4] *अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड* [5] *एम जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड, सेल कोबे आयरन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमिटेड, सेल बंसल सर्विसेज लिमिटेड और वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड* [6] *एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, अभिनव सेल जेवीसी लिमिटेड और रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड* मेरी पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के तहत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों को उजागर करना चाहती हूं जो मेरे समक्ष आए हैं और जो मेरे विचार में समेकित वित्तीय विवरणों और संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ को सक्षम करने के लिए आवश्यक हैं:	
ए	**समेकित लाभप्रदता बैलेंस शीट पर टिप्पणियां**	
	i. नोट 5: पूंजीगत कार्य प्रगति पर: ₹4016.72 करोड़ **नोट 41: अन्य खर्च: ₹26662.75 करोड़** उपरोक्त में 2017–18 से 2021–22 की अवधि के लिए तसरा कोलियरी में ₹11.99 करोड़ (निर्माण के दौरान वेतन और ब्याज सहित) शामिल हैं। कोलियरी में उत्पादन 2017–18 में शुरू हुआ था, लेकिन खान डेवलपर और ऑपरेटर के काम छोड़ने के कारण इसे रोक दिया गया था। कार्य 29 जून 2021 से संविदा पर किया गया था। चूंकि कोलियरी में उत्पादन सितंबर 2017 में शुरू हुआ था, बाद के सभी व्यय को लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाना चाहिए था। उपरोक्त शुल्क न वसूलने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम करके तथा वर्ष के लिए लाभ के विवरण में ₹11.99 करोड़ से अधिक का विवरण दिया गया है।	सेल बोर्ड ने दिनांक 12 फरवरी, 2013 को आयोजित अपनी 390वीं बैठक के माध्यम से 2 साल की निर्माण और विकास अवधि सहित 28 साल की परियोजना अवधि के साथ सेल तसरा खान के विकास और संचालन के लिए खान डेवलपर सह ऑपरेटर (एमडीओ) के साथ अनुबंध करने को मंजूरी दी। एमडीओ अनुबंध 2018 में समाप्त कर दिया गया था। तसरा खान के विकास के लिए 31 मार्च, 2021 तक किए गए खर्च को पूंजी कार्य प्रगति सीडब्ल्यूआईपी के तहत बुक किया गया था। इसके अलावा, सेल बोर्ड ने 9 फरवरी, 2022 की अपनी 486वीं बैठक के माध्यम से तसरा खान के विकास और संचालन के लिए एक नए एमडीओ की नियुक्ति के लिए नई मंजूरी दी। तसरा खान के विकास के संबंध में किए गए खर्च को सीडब्ल्यूआईपी के रूप में माना गया था और तसरा खान से वाणिज्यिक/टिकाऊ उत्पादन शुरू होने के बाद पूंजीकृत किया जाएगा।

	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
	लाभ और हानि का विवरण **ii. नोट 41: अन्य खर्चे: ₹26662.75 करोड़** **बिजली और ईंधन: ₹6975.31 करोड़** इंड एएस 10 के पैरा 8 के अनुसार "रिपोर्टिंग अवधि के बाद समायोजन की घटनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए एक इकाई अपने वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों को समायोजित करेगी"। रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाओं को समायोजित करना वे हैं जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद स्थितियों का प्रमाण प्रदान करते हैं। इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट, दुर्गापुर दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) से बिजली खरीदते हैं। पश्चिम बंगाल बिजली नियामक आयोग (WBERC/डब्ल्यूबीईआरसी) ने डीवीसी के उपभोक्ताओं पर लागू टैरिफ शेड्यूल का निर्धारण करते हुए 5 मई 2022 को आदेश पारित किए। आदेश में उल्लिखित टैरिफ की सभी दरें और शर्तें 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी थीं। उपरोक्त आदेश में WBERC/डब्ल्यूबीईआरसी ने निर्देश दिया गया कि डीवीसी उस तारीख के बाद ईंधन की बढ़ी हुई लागत और बिजली खरीद के लिए अतिरिक्त रकम का हकदार होगा, जिस तारीख से टैरिफ आदेश प्रभावी होता है। इस्को स्टील प्लांट, बर्नपुर और दुर्गापुर स्टील प्लांट ने WBERC/डब्ल्यूबीईआरसी के उपरोक्त आदेश के अनुसार डीवीसी को देय ईंधन और बिजली की बढ़ी हुई लागत के प्रति देयता प्रदान नहीं की। उपरोक्त गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप बिजली और ईंधन शुल्क को कम करके दिखाया गया है और लाभ को ₹70.17 करोड़ (आईएसपी ₹47.19 करोड़ और डीएसपी ₹22.98 करोड़) से अधिक बताया गया है।	पश्चिम बंगाल विद्युत नियामक आयोग (WBERC/डब्ल्यूबीईआरसी) ने दिनांक 5 मई, 2022 के टैरिफ आदेश द्वारा डीवीसी के उपभोक्ताओं के लिए लागू टैरिफ अनुसूची को 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी और आयोग के अगले आदेश तक जारी रखने का निर्धारण किया। तदनुसार, 23 मई, 2022 को सेल बोर्ड द्वारा स्वीकार किए गए वित्त वर्ष 2021–22 के लिए खातों की पुस्तकों में संशोधित शुल्क पर विचार करते हुए वित्तीय प्रभाव प्रदान किया गया। तत्पश्चात, सेल बोर्ड द्वारा खातों को अपनाने के बाद, डीवीसी ने 2 जून, 2022 को बकाया बिल जारी किया। ईंधन लागत के कारण बकाया की गणना के लिए आवश्यक जानकारी के अभाव में, राशि वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रदान नहीं की जा सकी। इस तथ्य की पुष्टि डीवीसी के 8 जुलाई, 2022 के मेल से होती है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि "डिफरेंशियल एनर्जी चार्ज बिल तैयार करने के लिए अप्रैल'17 से अप्रैल'22 तक के सभी डेटा डीवीसी की वेबसाइट में सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध नहीं थे, जो आपको स्वयं ईंधन बिल की अंतर लागत की गणना करने में सक्षम बनाते।" चूंकि निहितार्थ जून, 2022 में उपलब्ध कराया गया था, हमने 2022–23 की पहली तिमाही में इसके प्रभाव पर विचार किया है।
	वर्तमान देनदारियां: ₹39342.92 करोड़ **iii. नोट–33: प्रावधान: ₹1171.67 करोड़** रेलवे ने चयनित दोहरीकरण परियोजनाओं पर रेल की आपूर्ति के प्रति समायोजित करने के लिए सेल को 1000 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी थी। 2016–17 के दौरान आपूर्ति की गई रेल की कीमत को अंतिम रूप देते हुए (अक्टूबर 2019 को), यह सहमति हुई थी कि सेल मुख्य सलाहकार (लागत), वित्त मंत्रालय द्वारा तय किए गए उधार की भारित औसत कार्यशील पूंजी लागत के अनुसार उन्हें अर्जित बचत/लाभ को हस्तांतरित करेगा। तदनुसार, बकाया अग्रिम पर ब्याज को 2016–17 के दौरान और उसके बाद आपूर्ति की गई रेल की कीमत में समायोजित किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार (लागत) ने 2019–20 के दौरान भारतीय रेलवे को सेल द्वारा आपूर्ति की गई रेल की कीमत की सिफारिश (अगस्त 2021) की और कीमतों में अपेक्षित कमी का प्रावधान खातों में किया गया था। हालांकि, कंपनी ने बकाया अग्रिम पर ₹30.79 करोड़ की राशि के देय ब्याज के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। 2019–20 के लिए सीए/लागत द्वारा तय की गई ब्याज दर के आधार पर भारतीय रेलवे से लिए गए अग्रिम पर देय ब्याज के लिए गैर–प्रावधान के परिणामस्वरूप प्रावधानों को कम करके और वर्ष के लिए लाभ को ₹ 30.79 करोड़ से अधिक बताया गया।	दिनांक 18 मार्च, 2016 के स्वीकृति पत्र में रेलवे द्वारा दिए गए अग्रिम पर ब्याज का कोई उल्लेख नहीं है। वित्त मंत्रालय के मुख्य सलाहकार (लागत), द्वारा रेल के मूल्य निर्धारण के बाद, रेलवे और सेल प्रतिनिधियों के बीच एक संयुक्त मूल्य निर्धारण समिति (जेपीसी) की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें रेल मूल्य के लिए अंतिम बातचीत होती है और अनुबंध समझौते से परे मुद्दों का निपटारा किया जाता है जो इस बात पर आधारित होती है कि 2019–20 की जेपीसी की बैठक के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
बी	**समेकित वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां**	
	I. नोट: 4 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण: ₹68382.92 करोड़ झारखंड स्थित सेल की कैप्टिव खानों और कोलियरी की वित्तीय जानकारी को 2021–22 तक बोकारो स्टील प्लांट के वित्तीय विवरणों में मिला दिया गया था। उपरोक्त नोट में झारखंड समूह की खदानों से संबंधित भूमि और आवासीय क्वार्टरों/घरों (अनधिकृत, मानित कब्जे के तहत और पंजीकरण के लिए लंबित संपत्ति) की स्थिति से संबंधित विवरण का खुलासा नहीं किया गया था। **लौह अयस्क और फ्लक्स खदानें:** (क) 31 मार्च 2022 को 6020.57 एकड़ (गुआ खदान–89.73 एकड़ और मनोहरपुर खदान–5930.84 एकड़), कंपनी के स्वामित्व/कब्जे/पट्टे पर ली गई है, जिसके संबंध में स्वामित्व/पट्टा विलेख पंजीकरण के लिए लंबित हैं। (ख) 31 मार्च 2022 (मनोहरपुर खदान) को 96 एकड़ जमीन जिसके संबंध में मालिकाना हक विवादाधीन है (ग) 31 मार्च 2022 को 30.75 एकड़ (किरिबुरु खदानें) अनधिकृत कब्जे के तहत। (घ) 31 मार्च 2022 को अनधिकृत कब्जे के तहत 1710 आवासीय क्वार्टर/घर (किरीबुरु445, मेघाहातुबुरु170, गुआ88, भवनाथपुर300 और मनोहरपुर707)। **कोलियरीज़:** (ङ) 695.28 एकड़ भूमि जिसका राज्य सरकार के साथ समाधान लंबित है। (च) अतिक्रमण के तहत 30.01 एकड़ भूमि (छ) 1646 में से 681 क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में हैं। इस प्रकार, नोट 4 उपरोक्त पर त्रुटिपूर्ण था।	खदानों और कोलियरियों से संबंधित भूमि और आवासीय क्वार्टरों/घरों (अनधिकृत, मानित कब्जे के तहत और पंजीकरण के लिए लंबित संपत्ति) के संबंध में आवश्यक प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया जाएगा।

	टिप्पणियां	प्रबंधन के उत्तर
सी	**समेकित प्रकटीकरण पर टिप्पणियां**	
	खातों के लिए नोट्स **i. नोट नं. 47.1 आकस्मिक दायित्व** (क) उपरोक्त में 2001–02 से 2013–14 की अवधि से संबंधित ₹68.40 करोड़ की मांग पर उत्पाद शुल्क पर अंतर ब्याज के लिए ₹31.06 करोड़ शामिल नहीं है। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट ने 31 मार्च, 2022 तक वास्तविक ब्याज ₹72 करोड़ के बजाय 31 मार्च 2017 तक लागू ₹40.94 करोड़ के ब्याज का खुलासा किया था। इस प्रकार, ₹31.06 करोड़ की आकस्मिक देयता का संक्षिप्त खुलासा हुआ। (ख) उपरोक्त में ₹23.63 करोड़ (₹37.48 करोड़ कम ₹13.85 करोड़) शामिल नहीं है, जो 2009–10 से 2013–14 की अवधि के लिए बिक्री कर के अंतर दावों को 31 मार्च 2022 तक बोकारो स्टील प्लांट द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इस प्रकार, आकस्मिक देनदारियों के बिक्री कर दावे के शीर्ष के तहत ₹23.63 करोड़ का कम लेखा किया गया है। (ग) उपरोक्त में रामनगर सीम के सालनपुर में वैज्ञानिक शोषण के काम से संबंधित कार्य आदेश दिनांक 22/26 जून 1998 के विरुद्ध मेसर्स जी एस अटवाल (इंजीनियरिंग) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किए गए दावे के प्रति ₹21.52 करोड़ शामिल हैं। मध्यस्थ ने सेल के खिलाफ अपना निर्णय दिया और फरवरी 2022 में कंपनी द्वारा पार्टी को ₹4.69 करोड़ का भुगतान किया गया था। जैसा कि मामला सुलझ गया था, उसे आकस्मिक देयता से बाहर रखा जाना चाहिए था। इसका अपवर्जन/निष्कासन न करने के परिणामस्वरूप आकस्मिक देयता का ₹21.52 करोड़ से अधिक विवरण हुआ है।	आकस्मिक देनदारियों में उचित सुधार वित्त वर्ष 2022–23 में किया जाएगा।
	ii. नोट 49.14: नोट 49.14 में, समूह ने खुलासा किया है कि 'समूह ने 1 जुलाई 2021 को अपने कच्चे माल विभाग (डिवीजन) को विघटित कर दिया और तदनुसार, 30 जून 2021 को शेष राशि को राउरकेला स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट और कंपनी के भिलाई स्टील प्लांट में मिला दिया गया। इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में पूर्वोक्त प्रभाग की वित्तीय जानकारी शामिल है जो ₹374.07 करोड़ (₹1443.41 करोड़ के इंट्रा कंपनी स्टॉक ट्रांसफर को छोड़कर) के कुल राजस्व, ₹1702.92 करोड़ का कुल खर्च, ₹114.56 करोड़ का कर पश्चात कुल शुद्ध लाभ और 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ₹110.68 करोड़ की कुल व्यापक आय दर्शाती है, जो डिवीजन के पूर्व लेखा परीक्षकों द्वारा एक सीमित समीक्षा के अधीन थे और अब समूह के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के पूरे सेट पर रिपोर्टिंग के उद्देश्य से संयंत्रों के संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों/संयंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई हैं। इसके अलावा 30 जून 2021 को ₹7448.85 करोड़ की कुल संपत्ति और ₹4034.45 करोड़ की कुल देनदारियों को उपरोक्त संयंत्रों में स्थानांतरित कर दिया गया था और 31 मार्च 2022 को संयंत्रों के शेष में शामिल किया गया था, जिनका संबंधित संयंत्र के लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा–परीक्षा की गई है। हालांकि, समूह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के तहत आवश्यक के रूप में डिवीजन के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को मामला संदर्भित करने की प्रक्रिया में है। लेखापरीक्षा ने पाया कि आरएमडी की वित्तीय जानकारी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त पूर्ववर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा के अधीन थी। इसके अलावा, आरएमडी के 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही 1 की शेष राशि को वर्ष 2021–22 के लिए बोकारो, राउरकेला और भिलाई स्टील संयंत्रों के वित्तीय विवरणों में स्थानांतरित कर दिया गया था और वर्ष 2021–22 के लिए नियुक्त संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया गया है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नोट 49.14 के तहत प्रकटीकरण आवश्यक नहीं है। इसी प्रकार, वित्तीय विवरण के नोट 49.14 की ओर ध्यान आकर्षित करने वाले स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल मामले (8–ii) पर जोर देना भी आवश्यक नहीं है।	लेखापरीक्षा का विचार नोट किया गया है।
	भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए और उनकी ओर से **(यू. एस. प्रसाद)** महानिदेशक लेखापरीक्षा (इस्पात), रांची **स्थान:** रांची **दिनांक:** 28 जुलाई, 2022	निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से हस्ता./ **(सोमा मंडल)** अध्यक्ष **स्थान:** नई दिल्ली **दिनांक:** 10 अगस्त, 2022

अनुलग्नक–IX

फॉर्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम प्रावधान के अनुसरण में)

सहायक/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की विशेषताएं बताने वाला विवरण

भाग "क": सहायक कंपनियां

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरा	
1.	सहायक कंपनी का नाम	सेल रिफ्रैक्ट्री कंपनी लिमिटेड	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड
2.	संबंधित सहायक कंपनियों के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी से अलग है	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	विदेशी सहायक कंपनियों की प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर	लागू नहीं	लागू नहीं
			(₹ करोड़ में)
4.	शेयर पूंजी	0.10	0.05
5.	रिजर्व और अधिशेष	163.98	(-)0.06
6.	कुल परिसंपत्तियां	239.07	-
7.	कुल देयताएं	74.99	0.01
8.	निवेश	-	-
9.	टर्न–ओवर	207.70	-
10.	कराधान से पहले लाभ	27.74	(-)0.01
11.	कराधान के लिए प्रावधान	8.08	-
12.	कराधान के बाद लाभ	19.66	(-)0.01
13.	प्रस्तावित लाभांश	6.02	-
14.	शेयर होल्डिंग का%	100	74

नोटः कंपनी के पास इस्को उज्जैन पाइप और फाउंड्री कंपनी लिमिटेड के, प्रत्येक ₹10/– के 30,00,000 इक्विटी शेयर हैं। माननीय उच्च न्यायालय, कलकत्ता ने 10 जुलाई, 1997 से कंपनी के समापन हेतु निर्देशित किया था और आधिकारिक परिसमापक ने कंपनी की परिसंपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। कंपनी की परिसंपत्तियों का निपटान करने के बाद, परिसमापक बकाया राशि के निपटान की प्रक्रिया में है। इस्को उज्जैन पाइप और फाउंड्री कंपनी लिमिटेड का 10 जुलाई, 97 तक का संचयी घाटा ₹17.05 करोड़ था।

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2022

भाग "बी": सहयोगी और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यमों से संबंधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

क्र. सं.	सहयोगी/संयुक्त उद्यम कंपनी का नाम	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तारीख	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी/संयुक्त उद्यमों के शेयर	सहयोगी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि (करोड़ में)	धारण सीमा का (%)	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है का विवरण	प्रचालन से राजस्व	नवीनतम लेखापरीक्षित तुलन–पत्र के अनुसार शेयरहोल्डिंग के कारण निवल मूल्य (करोड़ में)	वर्ष के लिए लाभ/हानि (–)	₹ करोड़ समेकन में माना गया	₹ करोड़ समेकन में विचार नहीं किया गया
संयुक्त उद्यम		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	एनटीपीसी सेल पावर कंपनी लि.	31-03-2022	490250050	490.25	50.00%	नोट–1		1718.61	358.00	179.00	179.00
2	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लि.*	31-03-2021	124025000	124.03	50.00%	नोट–1		569.75	78.73	39.37	39.37
3	एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड*	31-03-2021	4000000	4.00	50.00%	नोट–1		136.42	69.75	34.88	34.88
4	सेल बंसल सर्विस सेंटर लिमिटेड*	31-03-2020	3200000	3.20	40.00%	नोट–1		1.23	0.62	0.25	0.37
5	भिलाई जेपी सीमेंट लिमिटेड*	31-03-2020	98718048	52.51	26.00%	नोट–1		19.84	-61.01	-15.86	-45.15
6	इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड	31-03-2021	698371832	698.37	47.82%	नोट–1		1136.14	-23.18	-11.08	-12.10
7	सेल एससीएल केरल लिमिटेड*	31-03-2018	13017801	18.75	49.26%	नोट–1		-	-18.36	-	-18.36
8	सेल राइटस बंगाल वैगन इंडस्ट्री प्रा. लिमिटेड	31-03-2022	24000000	24.00	50.00%	नोट–1		30.82	1.61	0.81	0.81
9	सेल कोबे आयरन इंडिया प्रा. लिमिटेड*	31-03-2018	250000	0.25	50.00%	नोट–1		0.25	-0.02	-0.01	-0.01
10	प्राइम गोल्ड–सेल जेवीसी लिमिटेड*	31-03-2019	4680000	4.68	26.00%	नोट–1		3.39	-7.24	-1.88	-5.36
11	वीएसएल सेल जेवीसी लिमिटेड*	31-03-2018	1297780	1.30	20.58%	नोट–1	खाते उपलब्ध नहीं	-	-	-	-
12	रोमेल्ट सेल (इंडिया) लिमिटेड@		63000	0.06		नोट–1	–वही–	-	-	-	-
13	यूईसी सेल सूचना प्रौद्योगिकी लिमिटेड#		-	-		नोट–1	–वही–	-	-	-	-
14	एन.ई. स्टील और गैल्वनाइजिंग प्रा. लिमिटेड#		-	-	49.00%	नोट–1	–वही–	-	-	-	-
15	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड*	31-03-2021	35232600	35.23	12.00%	नोट–1		35.34	-0.89	-0.11	-0.78
16	जीईडीसीओएल सेल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड*	31-03-2021	2600000	2.60	26.00%	नोट–1		2.61	-0.02	-0.01	-0.01
एसोसिएट											
1	अल्मोड़ा मैग्नेसाइट लिमिटेड*	31-03-2020	400000	0.40	20.00%	नोट–2		1.38	0.38	0.08	0.30

1. संयुक्त उद्यम समझौते के अनुसार मतदान शक्ति
2. 20% शेयर पूंजी धारिता

* वर्ष/के लिए अनअंकेक्षित लेखों के आधार पर

@ निलंबन के तहत संचालन

\# समापन/परिसमापन के तहत कंपनियां

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./–
(एम.बी. बालाकृष्णन)
कम्पनी सचिव

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–X

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अनुसार ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों का ब्यौरा

i). 31 मार्च, 2022 को बकाया राशि

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
दिए गए ऋण*	
इस्को उज्जैन पाइप एंड फाउंड्री कं. लि.	2.53
एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी लिमिटेड	43.09
यूईसी सेल इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी लिमिटेड	1.30
एस एंड टी माइनिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड	0.02
सेल एससीएल केरला लिमिटेड	11.77
कुल	**58.71**
किया गया निवेश#	1459.72

*₹12.18 करोड़ प्रदान किए गए

#एकल वित्तीय लेख का नोट सं. 8 का संदर्भ लें

ii). 31 मार्च, 2022 को बकाया राशि

निकाय का नाम	संबंध	राशि (करोड़ में)	प्रयोजन जिसके लिए निवेश प्रस्तावित है
इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्रा. लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	4.61	सामान्य व्यापार में उपयोग किया जाना है

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–

(सोमा मंडल)

अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 5 सितंबर, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–XI

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय और व्यय का विवरण

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एम) के अनुसार)

(क) ऊर्जा का संरक्षण

(i) उठाए गए कदम या ऊर्जा संरक्षण पर प्रभाव

बढ़ते ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के कारण बढ़ती ऊर्जा लागत और पर्यावरणीय गिरावट की प्रवृत्ति ने ऊर्जा खपत में कमी की दिशा में नए सिरे से जोर देने की आवश्यकता जताई है। भारतीय इस्पात उद्योग में, ऊर्जा लागत उत्पादन की कुल लागत का लगभग 40% है।

उच्च ऊर्जा लागत घटक को ध्यान में रखते हुए, सेल ने संयंत्र उपयोग में अनुकूलन, मौजूदा प्रक्रियाओं में सुधार, नई प्रौद्योगिकियों की शुरूआत और अपशिष्ट ताप वसूली में वृद्धि जैसे विभिन्न उपाय लगातार किए हैं। साथ ही, खपत/खरीदे गए ईंधन और बिजली में कमी पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

ऊर्जा और शक्ति के मामले में एकीकृत इस्पात संयंत्रों का प्रदर्शन इस प्रकार था:

पैरामीटर	यूनिट	बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	आईएसपी
विशिष्ट ऊर्जा खपत	Gcal/tcs	52	6.40	5.99	6.61	6.30
विशिष्ट बिजली खपत	kWh/tss	501	425	456	460	528

भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी)

क) 2020–21 में हासिल किए गए 2.213 एमटी के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पीछे छोड़ते हुए SMS-3 से 2.726 एमटी पर कच्चे स्टील का अब तक का सबसे अच्छा उत्पादन किया है।

ख) कोक ड्राई क्वेंचिंग (सीडीक्यू) सुविधा में गर्म कोक से अपशिष्ट गर्मी की वसूली की, जिसके परिणामस्वरूप कोक ओवन बैटरी (सीओबी) में बैक प्रेशर टर्बाइन जनरेटर (बीपीटीजी) से 11.28 जीडब्ल्यूएच बिजली का उत्पादन हुआ।

ग) ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) #8 में उच्च टॉपगैस डिस्चार्ज प्रेशर को विद्युत ऊर्जा में बदलने के परिणामस्वरूप टॉपप्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) के माध्यम से 89.53 जीडब्ल्यूएच बिजली का उच्चतम उत्पादन हुआ। 78.95 जीडब्ल्यूएच का पिछला सर्वश्रेष्ठ टीआरटी विद्युत उत्पादन 2020–21 में प्राप्त किया गया था।

घ) 22.8 मेगावाट के पावर और ब्लोइंग स्टेशन (पीबीएस) 2 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ औसत बिजली उत्पादन 2020–21 में 19.0 मेगावाट के पिछले सर्वश्रेष्ठ को पार कर गया, जिसके परिणामस्वरूप कैप्टिव पावर प्लांट्स (पीपी1 और पीबीएस2 एक साथ) से 2020–21 में 301 जीडब्ल्यूएच की तुलना में 313.8 गीगावाट की कैप्टिव बिजली का उत्पादन हुआ।

ड़) बीएफएस 1–8 में हासिल की गई अब तक की सबसे अच्छी औसत कोयला धूल इंजेक्शन (सीडीआई) दर 83.8 kg/thm है।

च) वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स (VVVFDs) को 3 दहन एयर ब्लोअर में संस्थापित करना, जिसके परिणामस्वरूप 3.54 GWh की वार्षिक ऊर्जा बचत हुई है।

दुर्गापुर स्टील प्लांट (डीएसपी)

क) व्हील और एक्सल संयंत्र के लिए फीड मैटेरियल को ब्लूम और राउंड कॉस्टर के बजाय इनगॉट रूट से बनाए रखना, जिसके परिणामस्वरूप 97.4% के सीसी रूट के माध्यम से कच्चे स्टील के उत्पादन का दूसरा उच्चतम अनुपात है। सीसी रूट के माध्यम से कच्चे इस्पात के उत्पादन का पिछला सर्वश्रेष्ठ अनुपात 97.5% था, जिसे 2020–21 में हासिल किया गया था।

ख) 0.437 मीट्रिक टन का वार्षिक सर्वश्रेष्ठ मध्यम संरचनात्मक मिल उत्पादन जिसके परिणामस्वरूप दुकान के लिए सबसे कम विशिष्ट ऊर्जा खपत होती है।

ग) कन्वर्टर्स #1 – #3 पर शेल और हुड चेंजिंग के सफल समापन ने 2.23 मिलियन टन के उच्चतम कच्चे इस्पात उत्पादन की उपलब्धि को सक्षम किया।

घ) 2 पारंपरिक 2 400W एचपीएसवी लाइट्स को 6 350W एलईडी फिटिंग्स के साथ बदलना। हिमास्ट टावर, 250 डब्ल्यू/150 डब्ल्यू वाले 300 स्ट्रीटलाइट को 120 डब्ल्यू एलईडी फिटिंग के साथ बदलना, 4 सबस्टेशन की रोशनी को एलईडी लाइटिंग में बदलना और पीसीएम की खराब एचपीएसवी टॉवर लाइट्स का एलईडी फ्लड लाइट्स के साथ पुनरुद्धार, के परिणामस्वरूप बिजली की खपत की समान मात्रा की बचत होती है।

ड़) कोक ओवन के निम्नलिखित क्षेत्रों में परिवर्तनीय वोल्टेज परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव (VVVFDs) की स्थापना

- राम कार–9 लेवलर की एक 30 किलोवाट मोटर
- राम कार–9 पुशर की एक 80 किलोवाट मोटर
- चार्जिंग कार 2 एलटी की चार 15 किलोवाट मोटर
- चार्जिंग कार 2 स्क्रू फीडर की दो 18.5 किलोवाट मोटर
- प्रत्येक 1 एमटी और 1.6 एमटी सीएमके स्क्रीन के लिए दो 18.5 किलोवाट मोटर

च) निरंतर कास्टिंग प्लांट में, VVVFD ड्राइव और एसी स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की इनहाउस स्थापना और कमीशनिंग

- पारंपरिक पैनल और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की जगह टर्नओवर कूलिंग बेड क्षैतिज को स्थापित करना;
- मशीन की निकासी इकाइयां #2 स्टैंड के #2 और मशीन #2 स्टैंड #5 डीसी मोटर्स और डीसी एनालॉग ड्राइव की स्थापना करना।

छ) बिलेट कॉस्टर #1 के इंटरमीडिएट कॉमन रोलर में एक नया उपकरण VVVFD के साथ मोटराइज्ड गियर असेंबली की स्थापना और कमीशनिंग।

ज) बिलेट कॉस्टर #1 के स्टैंड #2, #3, #4 और #5 (कुल 16 ड्राइव) में 7.5 किलोवाट वीवीवीएफडी की स्थापना और कमीशनिंग।

राउरकेला स्टील प्लांट (आरएसपी)

क) कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) सुविधा में गर्म कोक से अपशिष्ट गर्मी वसूलना, जिसके परिणामस्वरूप कोक ओवन बैटरी (सीओबी)–6 में बैक प्रेशर टर्बाइन जनरेटर (बीपीटीजी) से 30.64 जीडब्ल्यूएच बिजली का उत्पादन होता है, साथ ही मध्यम दबाव वाली भाप का (2020–21 में 0.375 एमटी की तुलना में) 0.388 एमटी की जनरेशन।

ख) ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) #5 में उच्च टॉप–गैस डिस्चार्ज दबाव को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के परिणामस्वरूप टॉपप्रेशर रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी) (2020–21 में 107 जीडब्ल्यूएच की तुलना में) के माध्यम से 117.8 जीडब्ल्यूएच बिजली का उत्पादन बढ़ा।

ग) बीएफ गैस पाइपलाइन में संशोधन के बाद बीएफ–5 पर बीएफ गैस संग्रह बढ़ाने के लिए और पुराने क्षेत्र से बीएफ गैस प्रवाह को विस्तार इकाई में कोब #6 तक बढ़ाने के लिए, बीएफ गैस का उपयोग 2020–21 में $90x10^6$ एनएम^3 से अनुमानित $172x10^6$ एनएम^3 तक बढ़ गया।

डी) नई प्लेट मिल की रीहीटिंग फर्नेस के वर्टिकल स्किड पोस्ट की मरम्मत और प्रतिस्थापन के परिणामस्वरूप ईंधन की खपत में 12 Mcal/t स्लैब रोल्ड की कमी आई है।

ई) कोयला रसायन विभाग (सीसीडी) के साइटिया और साइटेक में 6 कूलिंग टावरों का उन्नयन जिसके परिणामस्वरूप 473 जीडब्ल्यूएच बिजली की बचत हुई।

बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल)

क) स्लैबिंग मिल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना; जिससे ऊर्जा अकुशल पिंड मार्ग के माध्यम से उत्पादन समाप्त हो जाता है। 0.045 Gcal/tcs ऊर्जा की बचत का अनुमान है।

ख) ऊर्जा कुशल एसएमएस–1 और एसएमएस–2 की एलडी गैस होल्डर प्रणाली को चालू करना।

ग) रीहीटिंग फर्नेस #2, #3 और #4 के अक्षम रिक्यूपरेटर्स को बदलना और संबंधित हॉट एयर लाइन्स का इंसुलेशन।

घ) बायप्रोडक्ट रिकवरी प्लांट के कोलटार स्टोरेज टैंक से लगभग 1,000 टन टार का सुधार।

ड़) दो प्रेरित ड्राफ्ट पंखे और एसएमएस–1 के अन्य उच्च रेटेड ड्राइव को वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव (VVVFDs) के साथ चालू किया गया था।

च) सीआरएम–1 और 2 के टेंडेम मिल1 पर इमल्सीफिकेशन और हाइड्रोलिक्स सिस्टम के सभी ड्राइवों में अतिरिक्त टटटथ्वे स्थापित किए गए हैं।

छ) 150 वाट प्रकाश उत्सर्जक डायोड रोशनी के साथ प्रत्येक 1,000 से अधिक 250 वाट के सोडियम वाष्प लैम्पों से बदला।

ज) 30 संख्या रिसावों का परिसमापन, 400 मीटर लंबी स्टीम लाइन का इन्सुलेशन और 40 संख्या भाप जाल का प्रतिस्थापन।

इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी)

क) पुराने संयंत्र से अतिरिक्त सह गैस की फायरिंग के लिए समर्पित सह गैस पाइपलाइन बिछाने पर, नए संयंत्र में मिलों को फिर से गरम करने वाली भट्टियों में, अनुमानित 19.33 x 10^6 एससीएम जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त उपलब्ध सह–गैस का उपयोग होता है, जिससे खरीदी गई सीबीएम गैस की खपत में कमी आती है।

ख) 100 kWp, रूफटॉप सोलर फोटो–वोल्टेइक सिस्टम की स्थापना, जिसके परिणामस्वरूप न केवल खरीदी गई बिजली की बराबर मात्रा में कमी आई है, बल्कि इस प्रकार उत्पादित स्टील के कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आई है।

ग) ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) #5 में उच्च टॉप–गैस डिस्चार्ज प्रेशर को विद्युत ऊर्जा में बदलने में वृद्धि के परिणामस्वरूप टॉप–प्रेशर रिकवरी टर्बाइन (TRT) के माध्यम से 97.95 GWh बिजली का उच्चतम उत्पादन हुआ। 2019–20 में 95.49 GWh का पिछला सर्वश्रेष्ठ जतज विद्युत उत्पादन प्राप्त किया गया था।

घ) कोक ड्राई कूलिंग प्लांट (सीडीसीपी) सुविधा में गर्म कोक से अपशिष्ट गर्मी की वसूली में वृद्धि, जिसके परिणामस्वरूप कोक ओवन बैटरी (कोब) 11 में अब तक का सबसे अधिक 0.586 एमटी भाप उत्पादन होता है। 2017–18 में 0.542 एमटी का पिछला सबसे अच्छा भाप उत्पादन हासिल किया गया था।

ii) ऊर्जा संरक्षण उपकरणों पर पूंजी निवेश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान ऊर्जा संरक्षण उपकरण/उपायों पर लगभग ₹50 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया गया है।

(बी) प्रौद्योगिकी अवशोषण

i) प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास

प्रौद्योगिकी अवशोषण की दिशा में किए गए प्रयास आयरन एंड स्टील के लिए अनुसंधान और विकास केंद्र (आरडीसीआईएस) सेल की कॉरपोरेट अनुसंधान और विकास इकाई है। गत वर्षों में, आरडीसीआईएस ने लौह धातु विज्ञान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का अनुसंधान एवं विकास केंद्र होने का श्रेय प्राप्त किया है। आरडीसीआईएस का मुख्य जोर गुणवत्ता, उत्पादकता और यील्ड से संबंधित अपने प्रमुख निष्पादन सूचकांकों में सुधार के लिए सेल संयंत्रों में बहु–अनुशासनात्मक अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों की योजना बनाना, निष्पादन और कार्यान्वयन करना है। आरडीसीआईएस उत्पाद लागत को कम करने, मूल्य वर्धित बाजार केंद्रित उत्पादों को विकसित करने और ग्राहकों के बीच सेल उत्पादों के अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने के लिए, कंपनी के इस्पात संयंत्रों और केंद्रीय विपणन संगठनों के साथ काम करता है। कंपनी द्वारा 2021–22 में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां करने वाले विशिष्ट क्षेत्र निम्नानुसार है:

क) प्रक्रिया विकास

कोक बनाना

- बीएसपी में सीएसआर में 63.6 से 64.5 तक सुधार हुआ।
- कोक के M_{10} सूचकांक में बीएसएल और आरएसपी पर क्रमशः 0.4 अंक और 0.5 अंक का सुधार हुआ।
- बीएसएल में बेंजोल की उपज 1.56 kg/tdcc (2020–21) से बढ़कर 3.17 kg/tdcc हो गई है।

ढेर

- सिंटर संयंत्र, बीएसएल शर्तों के अनुसार सिंटरिंग प्रक्रिया में ओलिवाइन का उपयोग करके प्रयोगशाला जांच।
- विभिन्न उपायों के माध्यम से SP3, RSP की सिंटर गुणवत्ता में सुधार।
- SP-2, डीएसपी में बॉलिंग इंडेक्स बढ़ाकर सिंटरिंग प्रक्रिया में सुधार

ब्लास्ट फर्नेस

- बीएसएल में बीएफ#2 में सीडीआई दर में वृद्धि।
- डीएसपी में बीएफ#2 में उत्पादकता में वृद्धि।

स्टील बनाना, कास्टिंग और रिफ्रैक्टरी

- बीएसएल में नए SMS में दुकान उत्पादकता में प्रक्रिया स्थिरीकरण और सुधार।
- डीएसपी मे लैडल फर्नेस में झागयुक्त स्लैग अभ्यास का परिचय।
- असमान ताप प्रवाह की स्थिति में स्ट्रैंड की निरंतर ढलाई के लिए हीट ट्रांसफर मॉडल का विकास।
- निरंतर ढलाई के दौरान Al-Si सम्पन्न स्टील्स की दरार की संवेदनशीलता पर सूक्ष्म मिश्रधातु का प्रभाव।
- स्टील की सफाई में सुधार के लिए सेकेंडरी स्टीलमेकिंग और कास्टिंग मापदंडों का अनुकूलन।

रिफ्रैक्टरी

- आईएसपी में हॉट मेटल लैडल के रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के प्रदर्शन में सुधार।
- डीएसपी में एसपी#2 में छत के साथ विकसित कास्टेबल के साथ प्रीकास्ट ब्लॉक और संशोधित बर्नर का परिचय।
- आरडीसीआईएस के पायलट कोक ओवन की दीवारों और तले के लिए वर्किंग लाइनिंग रिफ्रैक्टरी का विकास।
- आरडीसीआईएस में इनसिटू स्पिनल के गठन के साथ Al-Mg रिफ्रैक्टरी के विभिन्न गुणों पर अध्ययन।

रोलिंग मिल

- बीएसपी में यूआरएम में 260 मीटर लंबाई में वेल्डेड पैनल के रूप में व्यावसायिक उत्पादन के लिए मिश्रित रेल में फ्लैश बट वेल्डिंग और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट पैरामीटर की स्थापना।
- मिश्रित रेलों के लिए एल्युमिनोथर्मिक वेल्डिंग पैरामीटर्स की स्थापना।
- 16एमएम Q&T SAILWELD (S690QL) प्लेटों के उत्पादन के लिए स्थापित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी।

- बोकारो स्टील प्लांट में हॉट स्ट्रिप मिल के फिनिशिंग स्टैंड के बैक अप रोल चॉक के असर की सीलिंग प्रणाली में सुधार।
- बोकारो स्टील प्लांट में सीआरएम–III के बैच एनीलिंग फर्नेस के आंतरिक कवर के प्रदर्शन में सुधार।

ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण

- विभिन्न ईंधन और उपयोगिता मैट्रिक्स के साथ आईएसपी पर एलडीसीपी के लिए गैस मिक्सिंग स्टेशन का नया स्वरूप।
- एमएसएम की रीहीटिंग फर्नेस में अतिरिक्त स्केल फॉर्मेशन पर अध्ययन।
- कोक ओवन बहिःस्राव वातन प्रौद्योगिकी सुधार के पहलुओं की जांच।
- बीओएफ टीलमेकिंग स्लैग की ऑफसाइट अनुप्रयोग क्षमता में सुधार की जांच।

ख) प्रयोगशाला आधारित कार्य

- बीओएफ कीचड़ और संगत इस्पात संयंत्र कचरे की ब्रिकेटिंग के लिए प्रयोगशाला अध्ययन।
- अपशिष्ट उपयोग पहल ईंट/पेवर ब्लॉक बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट जैसे BOF स्लैग और फ्लाई ऐश का उपयोग।

ग) उत्पाद विकास और अनुप्रयोग

आरडीसीआईएस, निरंतर तकनीकी आदानों के माध्यम से, प्रतिस्पर्धी मूल्य पर इस्पात उत्पादों के मूल्य वर्धित उत्पादन में कंपनी की मदद करती रही है। अनेक नए उत्पाद, विशेष रूप से विशेष स्टील, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता वाले गुण के साथ विकसित किए गए हैं और विभिन्न बाजार क्षेत्रों की कठिन अनुप्रयोग आवश्यकता को पूरा करने के लिए आरडीसीएसआई द्वारा इनका व्यवसायी करण भी किया गया है। नए बाजार उन्मुख उत्पादों के विकास के लिए, लागत प्रभावी मिश्र धातु डिजाइन और प्रक्रिया मापदंडों के अनुकूलन के सिद्धांत पर मुख्यतः विचार किया गया था। वर्ष 2018–19 के दौरान, निम्न 12 उत्पादों का विकास किया गया है। इनमें से कुछ उत्पादों को नई लगाई गई उत्पादन सुविधाओं जैसे सीआरएम–III (बीएसएल), एनपीएम (आरएसपी), एमएसएम (डीएसपी), डब्ल्यूआरएम (आईएसपी), बीआरएम (आईएसपी) और यूएसएम (आईएसपी) का उपयोग करके विकसित किया गया है।

क्र.सं.	उत्पाद विवरण	संयंत्र	आवेदन
1	उच्च फास्फोरस आधारित 50सी530 ग्रेड सीआरएनओ कॉइल	आरएसपी	विद्युत मशीनरी
2	सेल WR400 खराबी रोधक क्यू एंड टी स्टील प्लेट (16 और 20 मिमी)	आरएसपी	अर्थ मूविंग इक्विपमेंट (ईएमई)
3	वाईएस के साथ उच्च शक्ति गैल्वेनाइज्ड प्लेन कॉइल्सः 350 एमपीए और 450 जीएसएम कोटिंग	बीएसएल	अनाज भंडारण सिलोस
4	अनुकूलित आईएस 513 सीआर2डीएसआईकेसीआर कॉइल है	बीएसएल	विद्युत स्टॅम्पिंग
5	API X70 PSL2 HR कॉइल	आरएसपी–बीएसएल मार्ग	तेल और गैस उद्योग के लिए लाइन पाइप
6	SAE 1006 AIK (Si 0.03% अधिकतम) HR कॉइल	बीएसएल	गैल्वनाइजिंग उद्योग
7	IS 7887 ग्रेड 2 वायर रॉड कॉइल (5.5/6 मिमी व्यास)	बीएसपी	केबल कवच
8	Fe550D ग्रेड टीएमटी सरिया	बीएसपी	बुनियादी ढांचा और निर्माण
9	HC82 ग्रेड और उससे ऊपर (5.5, 7, 8 और 10 मिमी व्यास) में उच्च कार्बन वायर रॉड कॉइल	आईएसपी	उच्च तन्यता तार
10	EN8M ग्रेड फ्री कटिंग वायर रॉड कॉइल (16 मिमी व्यास)	आईएसपी	ऑटोमोटिव मशीनीकृत घटक
11	IS 2062 E450 BR STRUCTURAL (NPB300, 400 & 500 और 600 समानांतर संरचनात्मक किनारा)	आईएसपी	निर्माण
12	विशेष गुणवत्ता सेमिस – अनुकूलित कम कार्बन और प्रतिबंधित SI CYWE] 300X150 BRC ESA 14650 GR513 CR2D है – वीएडी/ईएमएस मार्ग के माध्यम से SA105 ग्रेड में 340 मिमी व्यास में बीआरसी राउंड	डीएसपी	ट्रैक्टर/ट्यूब/साइकिल उद्योग फोर्जिंग उद्योग

(ii) 2021–22 में प्रमुख परियोजनाओं से प्राप्त लाभः

प्रक्रिया क्षेत्रः

परियोजना का शीर्षक	संयंत्र	लाभ व्युत्पन्न
सीओबी 1, 2 और 7 के ऑपरेटिंग मापदंडों का अनुकूलन	बीएसएल	• औसत सीएसआर 63.6 से बढ़कर 64.5 हो गया। • ओवन के कोयला चार्जिंग स्तर में वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप थोक घनत्व और कोक की गुणवत्ता में सुधार हुआ।
–0.5 मिमी (माइक्रोफाइन) और +6 मिमी कोयला मिश्रण के अंश में कमी करके कोक की गुणवत्ता में सुधार।	बीएसएल	• औसत एम$_{10}$ सूचकांक में 0.4 अंक (9.6 से 9.2 तक) का सुधार हुआ।
प्रक्रिया मापदंडों के अनुकूलन के माध्यम से वॉश ऑयल की गुणवत्ता में सुधार	बीएसएल	• वाश ऑयल में नेफथलीन% 31% से घटकर 5.71% हो गया है। • बेंजोल यील्ड 1.56 से बढ़कर 3.12 हो गई।
ब्लास्ट फर्नेस #2 में सीडीआई का संवर्धन	बीएसएल	• बीएफ#2 की सीडीआई दर 56 किग्रा/टन के मुकाबले बढ़कर 62 किग्रा/टन हो गई।
प्रक्रिया स्थिरीकरण और दुकान उत्पादकता में सुधार, SMS न्यू, बीएसएल	बीएसएल	• नोजल क्लॉगिंग 85% तक कम हो गई। • औसत गर्मी/दिन 5 हीट से बढ़कर 16 हो गई है और लैडल लाइनिंग के जीवन में 26 हीट से 55 हीट में सुधार हुआ है।
स्टील की सफाई में सुधार के लिए सेकेंडरी स्टीलमेकिंग और कास्टिंग मापदंडों का अनुकूलन	बीएसएल	• समावेशन मात्रा अंश 0.18% से घटकर 0.07% हो गया।
सीआरएम–III के बैच एनीलिंग फर्नेस के आंतरिक आवरण का प्रदर्शन सुधार	बीएसएल	• आंतरिक आवरण की समयपूर्व विफलता में कमी • आंतरिक कवर के विफल होने के कारण विलंब में 50% की कमी आई है

परियोजना का शीर्षक	संयंत्र	लाभ व्युत्पन्न
फिनिशिंग स्टैंड, एचएसएम के बैक अप रोल चॉक के असर की सीलिंग प्रणाली में सुधार	बीएसएल	• हाइड्रोजनीकृत एक्रिलोनिट्राइल ब्यूटाडीन रबर (एचएनबीआर) और फ्लोरोकार्बन (FKM) सील, सील के जीवन में सुधार करते हैं • पहले की मुहर वाले एकल अभियान की तुलना में दो से अधिक अभियानों में नई मुहरें बदली जाती हैं।
इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग अनुप्रयोग के लिए अनुकूलित कोल्ड रोल्ड और एनील्ड ड्राइंग उच्च Si (0.25–0.28) के साथ गुणवत्ता वाले स्टील का विकास	बीएसएल	• C=0.055% और 0.5 मिमी मोटाई में Si=0.28% के साथ अनुकूलित CR2D (SiK) स्टील ग्रेड के सीआर कॉइल को इलेक्ट्रिकल स्टैम्पिंग अनुप्रयोगों के लिए सफलतापूर्वक विकसित किया गया है।
बीएफ#1 और 5 के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए चूर्णित कोयले के साथ कैलक्लाइंड डोलोमाइट के संयोग का परिचय	बीएसपी	• बीएफ1 और 5 की सीडीआई दर में 8 किग्रा/टोन हॉट मेटल की वृद्धि हुई।
R260 ग्रेड रेल का विकास।	बीएसपी	• आर260 ग्रेड रसायन शास्त्र अनुकूलित किया गया था। • 2021–22 में भारतीय रेलवे को 9 लाख टन से अधिक आर260 ग्रेड रेल की आपूर्ति की गई।
अलॉय रेल के लिए एल्युमिनोथर्मिक वेल्डिंग पैरामीटर्स की स्थापना	बीएसपी	• IRS-T19-2020 विनिर्देश में निर्दिष्ट सीमा के भीतर वेल्ड धातु रसायन विज्ञान को अनुकूलित करके एल्युमिनोथर्मिक प्रक्रिया को सफलतापूर्वक विकसित किया गया। • एटी वेल्डिंग तकनीक के सफल विकास से इसके व्यावसायिक उत्पादन के रास्ते खुलेंगे।
URM पर 260 मीटर लंबाई में वेल्डेड पैनल के रूप में वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मिश्र धातु रेल के लिए फ्लैश बट वेल्डिंग और पोस्ट वेल्ड गर्मी उपचार मानकों की स्थापना	बीएसपी	• फ्लैश बट प्रौद्योगिकी की स्थापना की गई और 100 से अधिक जोड़ों का निर्माण और मूल्यांकन किया गया है। इस तकनीक के विकास से भारतीय रेलवे को 260 मीटर लंबी रेल की आपूर्ति होगी।
वायर रॉड मिल के लिए वायर रॉड कॉइल यार्ड प्रबंधन प्रणाली का विकास	बीएसपी	• मशीन पठनीय क्यूआर कोडित लेबल के माध्यम से बेहतर कॉइल पहचान।
SP-2 पर बॉलिंग इंडेक्स बढ़ाकर सिंटरिंग प्रक्रिया में सुधार	डीएसपी	• बॉलिंग इंडेक्स में 24% की वृद्धि हुई। • विशिष्ट उत्पादकता 2.27% 1.32 से बढ़कर 1.35 $t/m^2/hr$ हो गई। • ड्रम टम्बलर इंडेक्स 0.35 यूनिट बढ़कर 68.96 से 69.31 हो गई।
BF#2 में उत्पादकता में वृद्धि	डीएसपी	• Bf#2 की उत्पादकता 3% बढ़कर 1.74 t/m^3/दिन हो गई। • ईंधन की दर में 12 kg/thm की कमी हुई।
लैडल फर्नेस में झागदार स्लैग अभ्यास का परिचय, डीएसपी	डीएसपी	• स्टील डीसल्फ्यूराइजेशन में नल से टंडिश तक 25% सुधार और बिजली की खपत में 5% की कमी। उत्पन्न होने के दौरान शोर का स्तर ~95 डीबीए से कम होकर <80 डीबीए हो गया
SP#2 पर विकसित कास्टेबल के साथ छत के साथ प्रीकास्ट ब्लॉक और संशोधित बर्नर का परिचय	डीएसपी	• अंडालूसाइट आधारित 60% Al_2O_3 युक्त कास्टेबल ने 30 महीने का जीवन दिया।
गर्म धातु के लेडल के रिफ्रैक्टरी लाइनिंग के प्रदर्शन में सुधार	आईएसपी	• औसत लैडल लाइनिंग जीवन 842 हीट से सुधरकर 1100 हीट हो गया।
COB#6 के लिए कोक के एम10 सूचकांक में 0.5 का सुधार	आरएसपी	• औसत क्रशिंग सूचकांक 76–78% से बढ़कर 81% अधिक हुआ। • स्वदेशी कोयले के अधिक उपयोग के बावजूद एम10 सूचकांक 7.1 से सुधरकर 7.0 हो गया
विभिन्न उपायों के माध्यम से SP-3 की सिंटर गुणवत्ता में सुधार	आरएसपी	• अनुशंसित आरपीएम सेटिंग पर संयंत्र के संचालन से विशिष्ट उत्पादकता में 1.29 से 1.32 $t/m^2/hr$ होने से 2.33% सुधार आया।
एसपीपी में स्टील के सेलवेल्ड ग्रेड में वांछित यांत्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए एएचटीएल के प्रक्रिया मानकों का अनुकूलन	आरएसपी	• 16mm Q&T सेलवेल्ड (S690QL) प्लेटों के उत्पादन के लिए स्थापित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी।
300 किग्रा पायलट कोक ओवन में स्वचालित हीटिंग और कार्बोनाइजेशन प्रोफाइल प्रबंधन प्रणाली	आरडीसी आईएस	• निर्धारित तापमान प्रोफाइल के अनुसार कोयले के मिश्रण का सटीक हीटिंग और कार्बोनाइजेशन। • परीक्षण प्रक्रिया का डिजिटलीकरण।
अपशिष्ट उपयोग जैसे पहल के लिए ईंट/पेवर ब्लॉक बनाने के लिए ठोस अपशिष्ट जैसे बोफ स्लैग और फ्लाई ऐश का उपयोग	आरडीसी आईएस	• ईंट/पेवर ब्लॉक बनाने के लिए BOF स्लैग और फ्लाई ऐश के उपयोग के लिए प्रक्रिया विकसित की गई है

अन्य प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार उपाय

अन्य प्रौद्योगिकी अवशोषण, अनुकूलन और नवाचार उपाय कंपनी में, प्रौद्योगिकी विकास, अवशोषण, अनुकूलन और आगे सुधार, निश्चित प्रौद्योगिकी रणनीति के माध्यम से स्टील प्लांट संचालन के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार हो रहे हैं। आधुनिकी करण/निरंतर सुधार के हिस्से के रूप में कई नई तकनीकों को स्थापित किया गया है/स्थापित किया जा रहा है। इनमें क्षेत्रवार निम्न शामिल हैं:

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
कोक बनाना			
1.	बीएसएल में कोक ओवन बैटरी नं. 8 का पुनः निर्माण	2023	चालू होने की संभावना
2.	आरएसपी पर सीओ एंड सीसीडी क्षेत्र के बहिःस्राव उपचार संयंत्र का उन्नयन	2023	चालू होने की संभावना
सिंटर बनाना/जमाव			
1.	सिंटर संयंत्र II, बीएसएल की स्थापना	2023	कार्यान्वयन अधीन
आयरन बनाना			

क्र.सं.	विवरण	वर्ष	स्थिति
1.	**ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ) आधुनिक सुविधाएं जैसे:** • कन्वेयर चार्जिंग सिस्टम • कुशल शीतलन प्रणाली के रूप में शीतल जल के साथ बंद लूप शीतलन प्रणाली • आधुनिक रिफ्रैक्ट्री डिजाइन • रखरखाव आदि के लिए मोबाइल उपकरणों के उपयोग हेतु रैंप के साथ फ्लैट कास्ट हाउस डिजाइन		
i)	बीएसएल में BF#4	2023	चालू होने की संभावना
2.	**बीएसएल में आईएनबीए कॉस्ट हाऊस स्लेग ग्रेन्युलेशन तकनीक**		
i)	बीएफ#1, कॉस्ट हाऊस 1	2023	चालू होने की संभावना
ii)	बीएफ#1, कॉस्ट हाऊस 2	2022	चालू हुआ
3.	**>1200°c के एचबीटी को प्राप्त करने के लिए अपशिष्ट गर्मी वसूली प्रणाली के साथ स्टोव**		
i)	बीएफ#4, डीएसपी में चौथा स्टोव	2023	चालू होने की संभावना
स्टील बनाना			
1.	बीएसएल, SMS-I में 1x130t BOF	2022	चालू हुआ
2.	कन्वर्टर शेल को बॉटम स्टिरिंग सिस्टम को बदलना और डीएसपी पर तीनों कन्वर्टर में सेकेंडरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगाना	2022	चालू हुआ
3.	आरएसपी पर SMS-2 में चौथा स्लैब कैस्टर और एक नए लैडल फर्नेस की स्थापना	2024	चालू होने की संभावना
रोलिंग और परिष्करण			
1.	**मध्यम संरचनात्मक मिल, डीएसपी**	2022	उत्पादन में तेजी जारी है
i)	वॉकिंग–बीम (WB) टाइप रीहीटिंग फर्नेस		चालू होने की संभावना
ii)	अभियानों के आसान स्विचओवर और सार्वभौमिक वर्गों के उत्पादन के लिए त्वरित रोल कैसेट बदलने की सुविधा के साथ यूनिवर्सल स्टैंड, जिसमें फैब्रिकेशन में सादगी के अंतर्निहित फायदे हैं, वजन अनुपात के लिए उच्च अनुभाग मॉड्यूलस, उच्च बकलिंग ताकत इत्यादि।		
iii)	अस्वीकृति को कम करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए महत्वपूर्ण ज्यामितीय मूल्यों की स्टॉक टू स्टॉक निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रोफाइल गेज		
2.	**नई हॉट स्ट्रिप मिल, आरएसपी**		
i)	आधुनिक सुविधाओं सहित वाकिंग–बीम (WB) प्रकार की री–हीटिंग भट्ठी जिसमें ऊर्जा कुशल डिजिटल भट्ठी, फसल अनुकूलन, गर्मी प्रति धारण पैनल शामिल हैं।	2022	चालू हुआ
ii)	उच्च कॉइल वजन, व्यापक स्ट्रिप, ऑटो बॉडी ग्रेड और एपीआई ग्रेड के लिए उच्च शक्ति ग्रेड और उत्कृष्ट उत्पाद की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई 3.0 MT क्षमता की हॉट स्ट्रिप मिल। इसकी सुविधाओं में पेयर क्रॉस रोलिंग, माइक्रो स्ट्रक्चर नियंत्रित कूलिंग, ऑन लाइन सतह निरीक्षण, पैकेट कन्वेयर आदि शामिल हैं। यह उच्च स्तरीय स्वचालन से सुसज्जित है जिसमें प्रक्रिया नियंत्रण, MES और यार्ड प्रबंधन शामिल है।		

अनुसंधान और विकास पर व्यय **(₹ करोड़)**

(क)	पूंजी :	:	71.91
(ख)	राजस्व :	:	742.90
	कुल	:	814.81
	कुल टर्नओवर के % के रूप में कुल अनुसंधान और विकास व्यय	:	0.78

विदेशी मुद्रा आय और व्यय **(₹ करोड़)**

i)	निर्यात और अन्य गतिविधियों से अर्जित विदेशी मुद्रा	:	6,988.42
ii)	विदेशी मुद्रा का उपयोग		
	क) आयात का सीआईएफ मूल्य	:	30,234.34
	ख) विदेशी मुद्रा में अन्य व्यय	:	31.48

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 5 सितम्बर, 2022

बोर्ड की रिपोर्ट का अनुलग्नक–XII

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

{कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी नीति) नियम, 2014 के अनुसार}

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा

सेल की सीएसआर नीति एक बयान है जिसमें बोर्ड की सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और निर्देश शामिल हैं। इसमें गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के साथ–साथ वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत शामिल हैं। सीएसआर नीति के उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- उन हितधारकों और समाज के लिए मूल्य निर्माण करना जो मूल रूप से इसकी सेवाओं के माध्यम से सेल की मुख्य व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन से जुड़े हुए हैं।
- प्रत्यक्ष प्रभाव क्षेत्र में लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाकर मूल्य निर्माण और समुदाय के लिए सद्भावना को बढ़ावा देना।
- वंचित लोगों और समुदायों की सहायता करके समुदाय का समर्थन करें
- भविष्य की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की मांगों को पूरा करने के लिए विकासात्मक पहल करना।
- क्ला, खेल और संस्कृति के संरक्षक के रूप में सेल की छवि बनाकर स्थानीय लोगों का समर्थन करें।
- सामाजिक लाइसेंस प्राप्त करके सफल होने के लिए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक रूप से जिम्मेदार तरीके से काम करना।

2. 31 मार्च, 2022 को सीएसआर समिति की संरचना इस प्रकार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद/निदेशक पद की प्रकृति	वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	
			आयोजित	ने भाग लिया
1.	श्री एन. शंकरप्पा	स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष	3	3
2.	डॉ गोपाल सिंह भाटी	स्वतंत्र निदेशक	1	1
3.	श्री कन्हैया सारदा	स्वतंत्र निदेशक	1	1
4.	श्रीमती सोमा मंडल	अध्यक्ष, सेल, निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त) के अतिरिक्त प्रभार के साथ	3	2

3.	**वेबलिंक प्रदान करें जहां कंपनी की वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं को प्रस्तुत किया गया है।** संबंधित वेब लिंक इस प्रकार हैं:	
	सीएसआर समिति की संरचना: www.sail.co.in	
	सीएसआर नीति: www.sail.co.in	
	बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं: www.sail.co.in	
4.	**कॉस (सीएसआर पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 8(3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।**	लागू नहीं
5.	**कंपनी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी) नियम, 2014 के नियम 7 के उपनियम (3) के अनुसरण में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो।**	

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्ष से समायोजन के लिए उपलब्ध राशि (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए समायोजन के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)
1	2020-21	7.74	7.74

6.	**धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ**	₹ 4,410.37 करोड़
7. (क)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	₹ 88.21 करोड़
(ख)	पिछले वित्त वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष	शून्य
(ग)	वित्तीय वर्ष के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो	₹ 7.74 करोड़
(घ)	वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7a+7b-7c)।	₹ 80.47 करोड़

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च या अव्ययित सीएसआर राशि

वित्त वर्ष 2021–22 के लिए खर्च की गई कुल राशि	अव्ययित राशि (₹ करोड़ में)				
	अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि [Sec135(6)],		धारा 135(5) के लिए दूसरे अनुसूची VII के अनुसार निर्दिष्ट किसी भी निधि को हस्तांतरित राशि।		
(₹ करोड़ में)	राशि	स्थानांतरण की तिथि	फंड का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
94.24	-	-	-	-	-

8.(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)।	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ करोड़ में)	चालू वित्त वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	परियोजना धारा 135 (6) के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (₹ करोड़ में)	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन का तरीका (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला						नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
लागू नहीं												

8. (ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण: विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–ए में दिया गया है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)।	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	प्रत्यक्ष कार्यान्वयन का तरीका (हां/नहीं	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से कार्यान्वयन का तरीका	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या

8 (घ)	**प्रशासनिक कार्यों में खर्च की गई राशि**	₹0.31 करोड़ (अनुलग्नक–क में तालिका में शामिल)
8 (ड़)	**प्रभाव आंकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो**	लागू नहीं
8 (च)	**वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8b+8c+8d+8e)**	₹94.24 करोड़
8 (छ)	**समायोजन के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो**	₹13.77 करोड़

8(ज) क्र.स.	विवरण	राशि (₹ करोड़ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का 2%	₹80.47 करोड़ (उपरोक्त क्रमांक 7(डी) के अनुसार)
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	₹94.24 करोड़
(iii)	वित्तीय वर्ष[(ii)-(i)] के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि	₹13.77 करोड़ (94.24 - 80.47)
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों[(iii)-(iv)], में समायोजन के लिए उपलब्ध राशि	₹13.77 करोड़

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष	धारा 135(6) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष 2020–21 में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	अनुसूची–VII धारा 135(6) के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			शेष राशि आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च की जानी है (₹ करोड़ में)
				निधि का नाम राशि	राशि (₹ करोड़ में)	स्थानांतरण की तिथि	
शून्य/लागू नहीं							

9. (बी) पिछले वित्तीय वर्ष (वर्षों) की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ करोड़ में)	योजना पर खर्च की गई राशि वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग में (₹ करोड़ में)	वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग के अंत में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	पूर्ण/चालू परियोजना की संचयी स्थिति
लागू नहीं								

10.	**पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित की गई संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें (संपत्ति–वार विवरण)।**	लागू नहीं
	(क) पूंजीगत संपत्ति (एस) के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	
	(ख) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण/अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	
	(ग) संस्था या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत संपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।	
	(घ) सृजित या अधिग्रहीत की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान सहित)।	
11.	**कारण बताएं, यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है।**	लागू नहीं

हस्ता./–
(सोमा मंडल)
अध्यक्ष, सेल, निदेशक (कार्मिक) और निदेशक (वित्त)
के अतिरिक्त प्रभार के साथ

हस्ता./–
(एन. शंक्रप्पा)
स्वतंत्र निदेशक और अध्यक्ष,
सीएसआर समिति

सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट का अनुलग्नक–ए

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण

सीएसआर रिपोर्ट के क्रमांक 8(सी) देखें

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम से अनुसूची VII से मद	स्थानीय क्षेत्र (हां/नहीं)	परियोजना का स्थान		वित्तीय वर्ष 2021–22 में परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में)	कार्यान्वयन का तरीका		
				राज्य	जिला		प्रत्यक्ष (हां/नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	सीएसआर रजि. सं.
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	भूख, गरीबी और कुपोषण को दूर करना, स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देना। निवारक स्वास्थ्य देखभाल, स्वच्छता (स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान सहित), और सुरक्षित पेय जल उपलब्ध कराना।	मद (i) स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल और स्वच्छता	हां	छत्तीसगढ़	दुर्ग, बिलासपुर बलोद कांकेर नारायणपुर धमतरी राजनंदगांव;	65.82	हां	**	लागू नहीं
2	विशेष शिक्षा और रोजगार बढ़ाने सहित शिक्षा को बढ़ावा देना विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों और अलग–अलग सक्षम और आजीविका वृद्धि परियोजनाओं के बीच व्यावसायिक कौशल बढ़ाना।	मद (ii) शिक्षा और आजीविका का सृजन करना	हां	पश्चिम बंगाल	पश्चिम भारदमन बांकुरा	10.72	हां		
3	लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं और अनाथों के लिए घर/छात्रावास स्थापित करना; वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम/डे केयर सेंटर और ऐसी अन्य सुविधाएं स्थापित करना और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूह द्वारा सामाजिक रूप से सामना की जाने वाली असमानताओं को कम करने के उपाय।	मद (iii) महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों और विकलांगों के लिए देखभाल सुविधा प्रदान करना	हां	ओडिशा	सुंदरगढ़ और कीओनझार	1.77	हां		
4	पर्यावरणीय स्थिरता, आदि सुनिश्चित करना।	मद (iv) पर्यावरण स्थिरता	हां	झारखंड	बोकारो प.सिंहभूम धनबाद रांची	2.13	हां		
5	ग्रामीण/राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त/पैरा–लंपिक/ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए विरासत, कला, संस्कृति और प्रशिक्षण का संरक्षण करना।	मद (v) और (vii) खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देना	हां	तमिलनाडु	सलेम और चेन्नई	1.08	हां		
6	ग्रामीण विकास परियोजना	मद (x) बुनियादी सुविधाएं और ग्रामीण विकास	हां	महाराष्ट्र	चंद्रपुर	11.03	हां		
7	प्रशासनिक ओवरहेड्स	सीएसआर संशोधन नियम, 2021 नियम 7(1)	हां	कर्नाटक	भद्रावती	0.31	हां		
8	आपदा राहत के लिए प्रावधान और सीएसआर परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त आवंटन अनुसूची–VII	दिनांक 18/8/14 के एमसीए परिपत्र संख्या 21/2014 के अनुसार, अनुलग्नक पैरा (i) पीटी.7				1.38			
	कुल					**94.24**			

** कुछ परियोजनाएं, जैसे, भिलाई और राउरकेला में मेसर्स अक्षय पात्र फाउंडेशन के सहयोग से मध्याह्न भोजन कार्यान्वित किया जाता है; रामकृष्ण मिशन आदि की मदद से स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए बर्नपुर में मुफ्त कोचिंग सेंटर।

5 सितंबर, 2022 को प्रधान कार्यकारी अधिकारी

कॉर्पोरेट कार्यालय
नई दिल्ली
अध्यक्ष
सोमा मंडल

निदेशक वाणिज्यिक
वी.एस. चक्रवर्थी
वित्त
ए. के. तुल्सीआनी
कार्मिक
के.के. सिंह
तकनीकी परियोजनाएं और कच्चा माल
ए.के. सिंह

कार्यकारी निदेशक
सतर्कता
संजय शर्मा
कानून और पीएलओ
ए.के. सिन्हा
परियोजनाएं
डी.वी. जगन्नाथ
सी और आईटी
पुनीत शर्मा
कार्मिक और प्रशासन
समीर स्वरूप
कोयला आयात समूह
वी. सुरेश
संचालन
वरिंदर धवन
आंतरिक लेखा परीक्षा
एस.के. पॉल
सीएमएमजी
एस.जे. अहमद
वित्त तथा लेखा
प्रवीण निगम

कंपनी सचिव
एम. बी. बालाकृष्णन

कॉर्पोरेट मामलों के प्रमुख
डॉ चिन्मय समझदार

प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान
कार्यकारी निदेशक (एचआरडी)
संजीव कुमार

विकास विभाग
कार्यकारी निदेशक
आर. प्रसाद

पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग
कार्यकारी निदेशक
एस.के. दास

इस्पात संयंत्र/इकाइयां
भिलाई इस्पात संयंत्र
निदेशक–आई/सी बीएसपी
अनिर्बन दासगुप्ता
कार्यकारी निदेशक
सामग्री प्रबंधन
ए. के. भट्टा
कार्य
अंजनी कुमार
खान
तपन सूत्रधार
कार्मिक और प्रशासन
एम.एम. गदरे
परियोजनाएं
एस. मुखोपाध्याय
वित्त और लेखा
डॉ. ए.के. पांडा

दुर्गापुर स्टील प्लांट
निदेशक–आई/सी डीएसपी
बी.पी. सिंह
कार्यकारी निदेशक
कार्मिक और प्रशासन
आर. मुनिराजु
एम और एचएस
डॉ. आर गुहा नियोगी
परियोजनाएं
पी. मुरुगेसन
सामग्री प्रबंधन
के. भट्टाचार्यजी
कार्य
दिप्तेंदु घोष

राउरकेला स्टील प्लांट
निदेशक–आई/सी आरएसपी
अतानु भौमिक
कार्यकारी निदेशक
कार्य
एस.आर. सूर्यवंशी
कार्मिक और प्रशासन
पी.के. सत्पथी
परियोजनाएं
पी.के. साहू
सामग्री प्रबंधन
एस त्रिपाठी
एम और एचएस
डॉ. बिरांची कुमार होता

बोकारो स्टील प्लांट
निदेशक–आई/सी बीएसएल
अमरेंदु प्रकाश
कार्यकारी निदेशक
कार्य
बी.के. तिवारी
कार्मिक और प्रशासन
संजय कुमार
परियोजनाएं
सी.आर. मोहापात्रा
वित्त और लेखा
सुरेश रंगानी
सामग्री प्रबंधन
अमिताभ श्रीवास्तव
खानें
जे. दासगुप्ता
कोयले की खानें
अनूप कुमार

इस्को स्टील प्लांट
निदेशक – आई/सी आईएसपी
बी.पी. सिंह
कार्यकारी निदेशक
संचालन
शिबासिस बसु
परियोजनाएं
के. बी. सुनील
एम और एचएस
डॉ. एस. चौधरी
सामग्री प्रबंधन
आर. कुमार

मिश्र धातु इस्पात संयंत्र
कार्यकारी निदेशक
एस. सुब्बाराज

सेलम स्टील प्लांट
कार्यकारी निदेशक
वी.के. पाण्डेय
एम और एचएस
डॉ. राहुल मुखर्जी

विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट
कार्यकारी निदेशक
बी.एल. चांदवानी

इकाइयां
लौह और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र
कार्यकारी निदेशक
निर्विक बनर्जी
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र
कार्यकारी निदेशक
जगदीश अरोड़ा

केंद्रीय विपणन संगठन
कार्यकारी निदेशक
बिक्री और आईटीडी
एम.सी. अग्रवाल
मार्केटिंग सेवाएं
डी. कुमार
वित्त और लेखा
ए के अग्रवाल
व्यावसायिक
विनोद गुप्ता
विपणन
संजय अग्रवाल

रसद और बुनियादी ढांचा
कार्यकारी निदेशक
मानस बोस

सेल रीफैक्ट्री इकाई
कार्यकारी निदेशक
पी. के. रथ

चंद्रपुर फेरो अलॉय प्लांट
कार्यकारी निदेशक
एम. वी. जोडे

इस्पात प्रसंस्करण इकाई
कार्यकारी निदेशक
ए. के. चक्रवर्ती

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003
सीआईएनः L27109DL1973GOI006454

सूचना

यह सूचना दी जाती है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के सदस्यों की 50वीं वार्षिक जनरल मीटिंग बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को 1030 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ("ओएम") के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय का लेन–देन करने के लिए आयोजित की जाएगीः

साधारण व्यवसाय

मद संख्या 1– ऑडिटेड स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों को अपनाना

निम्न को प्राप्त करने, विचार करने और अपनाने के लिएः

(i) निदेशक मंडल और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के ऑडिटेड स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण।

(ii) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी के ऑडिटेड समेकित वित्तीय विवरण।

मद संख्या 2–निदेशक की पुनर्नियुक्ति

श्री अमरेंदु प्रकाश (डीआईएनः 08896653) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक जनरल मीटिंग में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

मद संख्या 3–निदेशक की पुनर्नियुक्ति

श्री अतानु भौमिक (डीआईएनः 08891338) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो इस वार्षिक जनरल मीटिंग में रोटेशन से सेवानिवृत्त होंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

मद संख्या 4–लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक का निर्धारण

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल को अधिकृत करना।

मद संख्या 5–लाभांश

वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए क्रमशः ₹4.00 और ₹2.50 प्रति इक्विटी शेयर के अंकित मूल्य के प्रथम और दूसरे अंतरिम लाभांश के भुगतान और वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए/2.25 पर फाइनल लाभांश घोषित करने के लिए ₹10 के अंकित मूल्य पर प्रति इक्विटी शेयर की पुष्टि करने के लिए।

विशेष व्यवसाय

मद संख्या 6–निदेशक की नियुक्ति

श्री कृष्ण कुमार सिंह (डीआईएनः 09310667) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए, एक **सामान्य संकल्प** के रूप में निम्नलिखित संकल्पः

"**संकल्प लिया गया** कि श्री कृष्ण कुमार सिंह (डीआईएनः 09310667), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी एसोसिएशन के लेख के तहत निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और और जो इस वार्षिक जनरल मीटिंग की तारीख तक पद धारण किए हुए हैं और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत, निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, और उन्हें रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने तक कंपनी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

मद संख्या 7– निदेशक की नियुक्ति

श्री अरविंद कुमार सिंह (डीआईएनः 09725842) को पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने और इस संबंध में विचार करना, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए, एक सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्पः

"**संकल्प लिया गया** कि श्री अरविंद कुमार सिंह (डीआईएनः 09725842), जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी एसोसिएशन के लेख के तहत निदेशक मंडल द्वारा कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और और जो इस वार्षिक जनरल मीटिंग की तारीख तक पद धारण किए हुए हैं और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 के तहत, निदेशक के पद के लिए उनकी उम्मीदवारी का प्रस्ताव करते हुए लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त हुआ है, और उन्हें रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने तक कंपनी द्वारा निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

मद संख्या 8– लागत लेखा परीक्षकों को पारिश्रमिक की बहालीः

कंपनी के लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की बहाली के लिए और इस संबंध में विचार करने के लिए, और यदि उचित समझा जाए, तो संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए, निम्नलिखित संकल्प एक **सामान्य संकल्प** के रूप में है

"**संकल्प लिया गया कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक संशोधन (नों) या पुनः अधिनियमन सहित उस समय के लिए के प्रावधानों के अनुसार हल किया गया है, जिसमें पारिश्रमिक ₹11,70,000 – के साथ–साथ लागू कर और ₹30,000 और ₹12,000 के अतिरिक्त कर जैसा कि समेकन और दाखिल करने के लिए लागू है और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति, यात्रा व्यय और लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले जेब खर्च मेसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर (भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और इस्को स्टील प्लांट के लिए), मेसर्स चंद्र वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली (राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के लिए) और मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, मुंबई (अलॉय स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट के लिए) को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसकी पुष्टि की जाती है।"

"**आगे यह संकल्प लिया गया** कि कंपनी के निदेशक मंडल को सभी कार्य करने और इस संकल्प को लागू करने के लिए आवश्यक, उचित या समीचीन सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया गया है।"

मद संख्या 9– एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड के साथ सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन

विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया गया** कि विनियम 23(4) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015, ('सेबी लिस्टिंग विनियम'), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान ('अधिनियम'), यदि कोई हो, समय–समय पर संशोधित और संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति को अन्य लागू नियमों के अनुसार संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाए, सदस्यों के अनुमोदन और यह कंपनी के निदेशकों (जिसे अब से 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है, इस शब्द को इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठन की जाने वाली किसी भी समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) में प्रवेश करने के लिए, व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित अनुबंध (ओं)/व्यवस्था (ओं)/लेनदेन (चाहे एक व्यक्तिगत लेनदेन या एक साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा के माध्यम से), जैसा कि एनटीपीसी–सेल पॉवर कंपनी लिमिटेड ('एनएसपीसीएल'), भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयुक्त उद्यम और तदनुसार सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो कंपनी और एनएसपीसीएल के बीच सहमत हो सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दर्ज किए जाने वाले ₹6,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए, इस तरह के अनुबंध (ओं)/व्यवस्था (ओं)/लेनदेन के अधीन निष्पक्ष और व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में किया जा रहा है।

आगे संकल्प किया गया है कि बोर्ड, इस संबंध में नियमों और शर्तों, विधियों और तरीकों को अंतिम रूप देने और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने सहित, ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जो आवश्यक हो सकता है। अनुबंध (ओं), योजना (ओं), समझौता (तों) और ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित, आवेदन दाखिल करें और इसके संबंध में प्रतिनिधित्व करें और इस संबंध में सरकारी/नियामक प्राधिकरणों सहित संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करें और जैसा लागू हो, इस संबंध में और किसी भी मामले से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए और इस संबंध में और उसके आनुषंगिक उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए सदस्यों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा अंत तक और इस आशय के लिए कि सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

आगे संकल्प किया गया है कि बोर्ड, कंपनी के किसी निदेशक (यों) या कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) को, यहां प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को सौंपने के लिए अधिकृत है। पूर्वोक्त संकल्प (संकल्पों) को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य और ऐसे कदम उठाना, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं।

आगे यह भी संकल्प लिया गया कि बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा इस प्रकार अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी पूर्वगामी संकल्प (संकल्पों) में संदर्भित या विचार किए गए किसी भी मामले के संबंध में की गई सभी कार्यवाहियां, सभी प्रकार से अनुमोदित, अनुसमर्थित और पुष्टि की जाती है।"

मद संख्या 10– बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ सामग्री संबंधी पार्टी लेनदेन

विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया गया** कि विनियम 23(4) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015, ('सेबी लिस्टिंग विनियम'), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान ('अधिनियम'), यदि कोई हो, समय–समय पर संशोधित और संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति को अन्य लागू नियमों के अनुसार संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाए, सदस्यों के अनुमोदन और यह कंपनी के निदेशकों (जिसे अब से 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है, इस शब्द को इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठन की जाने वाली किसी भी समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) में प्रवेश करने के लिए, व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित अनुबंध (ओं)/व्यवस्था (ओं)/लेनदेन (चाहे एक व्यक्तिगत लेनदेन या एक साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा के माध्यम से), जैसा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और बोकारो पॉवर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ('बीपीएससीएल') के संयुक्त उद्यम और तदनुसार सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो कंपनी और एनएसपीसीएल के बीच सहमत हो सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दर्ज किए जाने वाले ₹3,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए, इस तरह के अनुबंध (ओं)/व्यवस्था (ओं)/लेनदेन के अधीन निष्पक्ष और व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में किया जा रहा है।

आगे संकल्प लिया गया कि बोर्ड, इस संबंध में नियमों और शर्तों, विधियों और तरीकों को अंतिम रूप देने और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने सहित, ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जो आवश्यक हो सकता है। अनुबंध (ओं), योजना (ओं), समझौता (तों) और ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित, आवेदन दाखिल करें और इसके संबंध में प्रतिनिधित्व करें और इस संबंध में सरकारी/नियामक प्राधिकरणों सहित संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करें और जैसा लागू हो, इस संबंध में और किसी भी मामले से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए और इस संबंध में और उसके आनुषंगिक उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए सदस्यों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा अंत तक और इस आशय के लिए कि सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

आगे संकल्प किया गया है कि बोर्ड, कंपनी के किसी निदेशक (यों) या कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) को, यहां प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को सौंपने के लिए अधिकृत है। पूर्वोक्त संकल्प (संकल्पों) को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य और ऐसे कदम उठाना, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं।

आगे यह भी संकल्प किया गया कि बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा इस प्रकार अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी पूर्वगामी संकल्प (संकल्पों) में संदर्भित या विचार किए गए किसी भी मामले के संबंध

में की गई सभी कार्यवाहियां, सभी प्रकार से अनुमोदित, अनुसमर्थित और पुष्टि की जाती है।"

मद संख्या 11– मिनस डे बंगा (मॉरीशस) लिमिटडा मोजाम्बिक के साथ सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन

विचार करना और, यदि उचित समझा जाए, संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, निम्नलिखित संकल्प को **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

"**संकल्प किया गया** कि विनियम 23(4) और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015, ('सेबी लिस्टिंग विनियम'), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान ('अधिनियम'), यदि कोई हो, समय–समय पर संशोधित और संबंधित पार्टी लेनदेन पर कंपनी की नीति को अन्य लागू नियमों के अनुसार संबंधित नियमों के साथ पढ़ा जाए, सदस्यों के अनुमोदन और यह कंपनी के निदेशकों (जिसे अब से 'बोर्ड' के रूप में संदर्भित किया गया है, इस शब्द को इस संकल्प द्वारा प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए समय–समय पर बोर्ड द्वारा गठित/सशक्त/गठन की जाने वाली किसी भी समिति को शामिल करने के लिए समझा जाएगा) में प्रवेश करने के लिए, मिनस डे बंगा (मॉरीशस) लिमिटाडा मोजाम्बिक, इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड ('आईसीवीएल') की एक संबंधित पार्टी के साथ व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित अनुबंध (ओं)/व्यवस्था (ओं)/लेनदेन (चाहे एक व्यक्तिगत लेनदेन या एक साथ किए गए लेनदेन या लेनदेन की श्रृंखला या अन्यथा के माध्यम से), जैसा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के संयुक्त उद्यम और तदनुसार सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 2(1)(जेडबी) के तहत भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की एक संबंधित पार्टी, ऐसे नियमों और शर्तों पर जो कंपनी और मिनस डे बंगा (मॉरीशस) लिमिटाडा मोजाम्बिक के बीच सहमत हो सकते हैं, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान दर्ज किए जाने वाले ₹4,000 करोड़ तक के कुल मूल्य के लिए, इस तरह के अनुबंध (ओं)/व्यवस्था (ओं)/लेनदेन के अधीन निष्पक्ष और व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में किया जा रहा है।

आगे संकल्प लिया गया है कि बोर्ड, इस संबंध में नियमों और शर्तों, विधियों और तरीकों को अंतिम रूप देने और आवश्यक दस्तावेजों को अंतिम रूप देने और निष्पादित करने सहित, ऐसे सभी कार्यों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत है, जो आवश्यक हो सकता है। अनुबंध (ओं), योजना (ओं), समझौता (तों) और ऐसे अन्य दस्तावेजों सहित, आवेदन दाखिल करें और इसके संबंध में प्रतिनिधित्व करें और इस संबंध में सरकारी/नियामक प्राधिकरणों सहित संबंधित अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करें और जैसा लागू हो, इस संबंध में और किसी भी मामले से निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाएं, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, वांछनीय या समीचीन समझे, इस संकल्प को प्रभावी करने के लिए और इस संबंध में और उसके आनुषंगिक उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का समाधान करने के लिए सदस्यों की सहमति या अनुमोदन की आवश्यकता के बिना या अन्यथा अंत तक और इस आशय के लिए कि सदस्यों ने इस संकल्प के प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट रूप से अपनी स्वीकृति दे दी है।

आगे संकल्प लिया गया है कि बोर्ड, कंपनी के किसी निदेशक (यों) या कंपनी सचिव या किसी अन्य अधिकारी (अधिकारियों)/अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) को, यहां प्रदत्त सभी या किसी भी शक्ति को सौंपने के लिए अधिकृत है। पूर्वोक्त संकल्प (संकल्पों) को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे सभी कार्य और ऐसे कदम उठाना, जो आवश्यक या समीचीन समझे जाएं।

"**आगे यह भी संकल्प किया गया** कि बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा इस प्रकार अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी पूर्वगामी संकल्प (संकल्पों) में संदर्भित या विचार किए गए किसी भी मामले के संबंध में की गई सभी कार्यवाहियां, सभी प्रकार से अनुमोदित, अनुसमर्थित और पुष्टि की जाती है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
सीजीएम (वित्त) और कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 5 सितंबर, 2022

पंजीकृत कार्यालय:
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003।
सीआईएन: L27109DL1973GOI006454

टिप्पणियां:

1. कोविड–19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अपने विभिन्न परिपत्रों (सामूहिक रूप से 'लागू परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के माध्यम से सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक जनरल मीटिंग (एजीएम) करने की अनुमति दी। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013, सेबी (सूचीकरण दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों, 2015 और लागू परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी की एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है।

2. **लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, लागू परिपत्रों के अनुसार, एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। इसलिए, प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं हैं। सदस्यों से अनुरोध है कि वे वीसी/ओएवीएम के माध्यम से व्यक्तिगत रूप से एजीएम में भाग लें।**

3. सदस्य नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और 15 मिनट बाद वीसी/ओएवीएम मोड में एजीएम में शामिल हो सकते हैं। लागू परिपत्रों के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कम से कम 1,000 सदस्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।

4. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से की जाएगी।

5. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार विशेष व्यवसाय मद संख्या 6 से 11 के संबंध में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण संलग्न है। मद संख्या 2 और 3 और मद संख्या 6 और 7 के तहत प्रासंगिक विवरण के लिए व्यक्ति (व्यक्तियों) के नोटिस में निदेशक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की मांग को सेबी (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 के विनियमन 36 (3) के तहत भी नोटिस के साथ संलग्न किया गया है।

6. संस्थागत/कॉर्पोरेट शेयरधारक (यानि कि व्यक्तियों/एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को संकल्प/प्राधिकार आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) भेजने की आवश्यकता होती है। बोर्ड या शासी निकाय द्वारा अपने प्रतिनिधि को भाग लेने और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक जनरल मीटिंग में मतदान करने के लिए अधिकृत करता है। उक्त संकल्प/प्राधिकरण जांचकर्ता को उसके पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से sachinag1981@gmail.com पर और एक प्रति evoting@nsdl.co.in को ईमेल द्वारा भेजा जाएगा।

7. कंपनी ने बुधवार 21 सितंबर, 2022 (व्यावसायिक समय की समाप्ति) को 50वीं एजीएम में लेन–देन की जाने वाली व्यवसाय की वस्तुओं के संबंध में सदस्यों की वोट देने की पात्रता निर्धारित करने के लिए कट–ऑफ तिथि के रूप में निर्धारित किया है। वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए एजीएम के उद्देश्य से, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 से बुधवार, 28 सितंबर, 2022 (21 सितंबर, 2022 को कारोबार के घंटे के अंत से) बंद रहेगा।

   कंपनी ने एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदन के अधीन, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 (कारोबारी समय की समाप्ति) को 'रिकॉर्ड तिथि' के रूप में निर्धारित किया था। अंतिम लाभांश का भुगतान, यदि एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो अनुमोदन की तिथि से 30 दिनों के भीतर स्रोत पर आयकर (टीडीएस) की कटौती के अधीन भुगतान किया जाएगा, जैसा कि निम्नानुसार बताया गया है:

   - **भौतिक रूप में धारित इक्विटी शेयर:** 29 जुलाई, 2022 के कारोबारी समय की समाप्ति पर कंपनी के पास दर्ज वैध अनुरोधों के संबंध में वैध ट्रांसमिशन और ट्रांसपोजिशन को प्रभावी करने के बाद सभी सदस्यों को।
   - **इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित इक्विटी शेयर:** शेयरों के सभी लाभकारी मालिकों को, इस उद्देश्य के लिए डिपॉजिटरी द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार, 29 जुलाई, 2022 के कारोबार की समाप्ति पर।

   वित्त अधिनियम, 2020 के अनुसार, लाभांश आय शेयरधारकों के लिए कर योग्य है। 1 अप्रैल, 2020 और कंपनी को निर्धारित दरों पर सदस्यों को भुगतान किए गए लाभांश से स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता है। इस संबंध में, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित दरों के लिए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 और उसके संशोधनों का संदर्भ लें। सामान्य तौर पर, टीडीएस आवश्यकताओं के अनुपालन को सक्षम करने के लिए, सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों ('डीपी') के साथ अपनी आवासीय स्थिति, पैन, श्रेणी को पूरा और/या अपडेट करें या यदि शेयर भौतिक रूप में हैं, तो कंपनी/रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') ई–मेल के माध्यम से दस्तावेज भेजकर और आगे सदस्यों से अनुरोध किया गया था कि वे आयकर के अधिनियम, 1961 के तहत 20 अगस्त, 2022 को या उससे पहले निर्धारित शून्य/कम दर पर कर की कटौती के लिए आवश्यक/निर्धारित दस्तावेज जमा करें।

8. मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (एमसीएसटीएएल) कंपनी की संपूर्ण शेयर संबंधी गतिविधियों जैसे ट्रांसफर/ट्रांसमिशन/ट्रांसपोजिशन/डीमैटरियलाइजेशन/रीमैटीरियलाइजेशन/स्प्लिट/शेयरों का समेकन, पते में बदलाव, बैंक मैंडेट, नामांकन दाखिल करना, लाभांश भुगतान और संबद्ध गतिविधियां को पूरा करने के लिए रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आर एंड टी) के रूप में कार्य कर रहा है। शेयरधारकों से अनुरोध है कि शेयर हस्तांतरण और संबद्ध गतिविधियों से संबंधित सभी

भावी पत्राचार केवल इस एजेंसी के साथ निम्नलिखित पते पर करें:

मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड,
एफ–65, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I,
नई दिल्ली–110020
फोन नंबर 011–41406149,
ई–मेल: admin@mcsregistrars.com

9. डीमैटरियलाइजेशन

i) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमों में यह प्रावधान है कि सेल के इक्विटी शेयरों को ट्रेडिंग के उद्देश्य से अनिवार्य रूप से डीमैट रूप में वितरित किया जाना चाहिए। **आगे, दिनांक 8 जून, 2018 (बाद में संशोधित) की सेबी की अधिसूचना सं. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/24 के अनुसार 1 अप्रैल, 2019, (दिनांक 7 सितंबर, 2020 की SEBI/MIRSD/DTAMB/CIR/P/2020/166 में अनिवार्य किया गया कि किसी सूचीबद्ध कंपनी में शेयरों का हस्तांतरण केवल डीमैटराइज्ड रूप में होगा। हालांकि अधिकांश शेयरधारकों ने अपनी शेयर पूंजी को डीमैट रूप में बदल दिया है, और यह भी देखा गया है कि कुछ शेयरधारक अभी भी अपने शेयरों को कागजी रूप (भौतिक) में रखते हैं। इस संबंध में, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी लिमिटेड या सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा अधिकृत किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ एक डीमैट खाता खोलें और उनके शेयरों को डीमैटरियलाइज करें।**

ii) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने ईमेल पते सहित अपने पते में परिवर्तन की सूचना देनी चाहिए, यदि कोई हो, तो अपने डाकघरों के **पिन कोड** के साथ बड़े अक्षरों में पूरा पता निर्दिष्ट करते हुए आर एंड टीए को सूचित करें, जो अनिवार्य है। इलेक्ट्रॉनिक रूप (डीमैट) में शेयर रखने वाले सदस्यों को अपने ईमेल पते सहित पते में बदलाव की सूचना अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देनी चाहिए।

iii) जिन सदस्यों ने कंपनी या डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) के साथ अपना ईमेल–आईडी पंजीकृत नहीं किया है और एजीएम के लिए नोटिस सहित संचार/सूचना/दस्तावेज प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अपने ईमेल पते को आर और टीए (ईमेल आईडी–admin@mcsregistrars.com) के साथ रिकॉर्ड करना होगा) या वैकल्पिक रूप से अपना अनुरोध investor.relation@sail.in पर भेजें, जहां शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं या फिर उनके संबंधित डीपी को।

भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को फोलियो–नंबर का उल्लेख करना होगा। पैन कार्ड/आधार की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और शेयर सर्टिफिकेट के आगे और पीछे की कॉपी के साथ;

डीमैट मोड में शेयर रखने वाले सदस्य डीपी को अपना अनुरोध प्रस्तुत करेंगे।

iv) जिन सदस्यों ने अपनी शेयर पूंजी के संबंध में नामांकन नहीं किया है, उनसे ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है। नामांकन करने के लिए, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी के आरटीए और धारक सदस्यों से नामांकन फॉर्म प्राप्त करें और इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारक, अपने संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों से नामांकन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

v) **ईएफटी जनादेश**

भौतिक या डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे कंपनी से भविष्य में किसी भी भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (ईएफटी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (एनईसीएस) का विकल्प चुनें। भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) की दिनांक 20 अप्रैल, 2018 के परिपत्र सं. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/2018/73 में केवल अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से लाभांश का भुगतान करने और शेयरधारकों के बैंक विवरण और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्राप्त करने, यदि कंपनी के पास पहले से उपलब्ध नहीं है तो उनके फोलियो के खिलाफ अपडेट करने का निर्देश दिया है। ईएफटी के तहत, भुगतान निर्देश बैंकर (भुगतानकर्ता के बैंकर) द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से समाशोधन प्राधिकरण (आरबीआई या एसबीआई) को जारी किया जाता है। समाशोधन प्राधिकारी प्राप्तकर्ता के बैंक को क्रेडिट रिपोर्ट प्रदान करता है, जो राशि को उनके संबंधित खातों में जमा करता है। यह अनिवार्य हो जाता है कि ईएफटी का विकल्प चुनने वाले शेयरधारकों को अपने बैंक का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या, खाता प्रकार, शाखा का नाम, 9 अंकों का एमआईसीआर नंबर अपने नाम और फोलियो नंबर (डीपी–आईडी/क्लाइंट आईडी) के साथ यदि उनकी शेयर पूंजी भौतिक रूप में है और डिपॉजिटरी प्रतिभागी को, यदि उनकी शेयर पूंजी डीमैट रूप में है, तो कंपनी को प्रदान करना चाहिए। इसी तरह, भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और लाभांश वारंट/डिमांड ड्राफ्ट, आदि द्वारा लाभांश प्राप्त करने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे संलग्न फॉर्म को भरें और भविष्य में किसी भी लाभांश के भुगतान के लिए रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए मैसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, सेल के आर एंड टीए को इसे स्व–सत्यापित पैन कार्ड, ओरिजिन्ल चेक/ खाताधारक का नाम दिखाते हुए सत्यापित बैंक पासबुक की प्रति के साथ जमा करें।

10. भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक भागीदार द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) जमा करना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए, इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पैन विवरण अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) को प्रस्तुत करें जिनके साथ वे अपना डीमैट खाता रखते हैं। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य अपना पैन कंपनी या मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (आर एंड टीए) को जमा कर सकते हैं।

11. एक से अधिक फोलियो में नामों के समान क्रम में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने शेयर प्रमाणपत्रों को संलग्न करते हुए कंपनी/आर एंड टीए को लिखें ताकि कंपनी एक ही फोलियो में अपनी शेयर पूंजी को समेकित कर सके।

12. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 (अंतरिम) तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष, दावा न किए गए लाभांश में स्थानांतरित कर दिया है। इसके बाद, कंपनी ने निम्नलिखित लाभांश का भुगतान किया है:

वर्ष	अंतरिम लाभांश (%)	अंतरिम लाभांश (2) (%)	अंतिम लाभांश (%)
2014-2015	-	-	2.50
2015-2016	-	-	-
2016-2017	-	-	-
2017-2018	-	-	-
2018-2019	-	-	5.00
2019-2020	-	-	-
2020-2021	10.00	-	18.00
2021-2022	40.00	25.00	-

जिन शेयरधारकों ने उपरोक्तानुसार अपने लाभांश वारंट का नकदीकरण नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी में अपना दावा करें

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और धनवापसी) नियम, 2016, ("नियम") के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के अनुसार यह प्रावधान करती है कि, किसी के अवैतनिक लाभांश खाते में स्थानांतरित किया गया कोई भी धन इस धारा के अनुसरण में कंपनी, जो इस तरह के हस्तांतरण की तारीख से सात साल की अवधि के लिए अवैतनिक या लावारिस बनी हुई है, को कंपनी द्वारा अर्जित ब्याज, यदि कोई हो, के साथ निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष (आईईपीएफ) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उपरोक्त प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2014–15 (अंतरिम) तक अपने द्वारा घोषित सभी अवैतनिक/दावा न किए गए लाभांश को स्थानांतरित कर दिया है। सात वर्ष की अवधि पूरी होने पर, कंपनी वित्तीय वर्ष 2014–15 के लावारिस/अवैतनिक लाभांश (अंतिम) को नवंबर, 2022 में हस्तांतरित करेगी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(6) नियमों के साथ यह प्रावधान करती है कि सभी शेयर जिनके संबंध में लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है या लगातार सात वर्षों या उससे अधिक के लिए दावा नहीं किया गया है, कंपनी द्वारा आईईपीएफ के नाम पर स्थानांतरित किया जाएगा। कंपनी ने प्रावधानों का अनुपालन किया है और शेयरों को स्थानांतरित कर दिया है, जो नियत प्रक्रिया का पालन करने के बाद आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए पात्र हो गए थे। कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को उनके नवीनतम उपलब्ध पते पर व्यक्तिगत संचार भेजा है, जिसका लाभांश लगातार सात वर्षों से अवैतनिक या लावारिस रहा है, आईईपीएफ को हस्तांतरण के लिए देय शेयरों का पूरा विवरण प्रदान करता है। कंपनी ने समाचार पत्रों में नोटिस भी प्रकाशित किया है जिसमें ऐसे शेयरधारकों को शेयरों के हस्तांतरण से बचने के लिए अपने लावारिस लाभांश को भुनाने की सलाह दी गई है। ऐसे शेयरधारकों और आईईपीएफ में स्थानांतरण के कारण शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आईईपीएफ को हस्तांतरित लाभांश/शेयरों के दावेदार आईईपीएफ में आवेदन करके वापसी का दावा करने के हकदार हैं।

इसके अलावा, पहले से ही आईईपीएफ को हस्तांतरित शेयरों के खिलाफ अर्जित लाभांश को भी आईईपीएफ खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

कंपनी सचिव आईईपीएफ प्राधिकरण के लिए कंपनी का नोडल अधिकारी है।

13. नोटिस में निहित खातों या किसी अन्य मामले के बारे में अधिक जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी को बैठक से कम से कम 10 दिन पहले sailagm50.2022@sail.in पर ईमेल करें। इसका उपयुक्त उत्तर दिया जाएगा।

14. कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के कॉर्पोरेट प्रशासन में हरित पहल

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ("मंत्रालय") ने इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनियों द्वारा कागज रहित अनुपालन की अनुमति देकर ''कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हरित पहल'' की है। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार, कंपनियां अब जनरल मीटिंग बुलाने, ऑडिटेड वित्तीय विवरण, बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, आदि के लिए अपने शेयरधारकों के उनके पंजीकृत ईमेल आईडी पर इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से विभिन्न नोटिस/दस्तावेज भेज सकती हैं।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपरोक्त सूचनाओं/दस्तावेजों की प्राप्ति का विकल्प चुनें। उनसे अनुरोध है कि वे इस उद्देश्य के लिए अपनी ई–मेल आईडी को अपने संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या कंपनी के आर एंड टीए यानि मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड को ऊपर दिए गए पते पर पंजीकृत कराएं या admin@mcsregistrars.com पर ई–मेल करें।

कृपया ध्यान दें कि ये दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in पर भी उपलब्ध होंगे।

15. इस नोटिस में संदर्भित दस्तावेज और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 170 और धारा 189 में संदर्भित रजिस्टर, एजीएम के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में संदर्भित ऐसे सभी दस्तावेज सदस्यों द्वारा इस नोटिस के प्रचलन की तारीख से एजीएम की तारीख तक बिना किसी शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक रूप से निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। खातों या एजीएम में रखे जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में निरीक्षण या कोई जानकारी चाहने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे 18 सितंबर, 2022 को या उससे पहले sail50agm.2022@sail.in पर ईमेल के माध्यम से कंपनी को लिखें। इसका जवाब कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

16. लागू परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सूचना के साथ–साथ वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य रिपोर्ट केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के पास उपलब्ध हैं। सदस्य ध्यान दें कि नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.sail.co.in, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और www.nseindia.com क्रमशः, और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होगा।

17. फ्रॉड लेनदेन को रोकने के लिए, सदस्यों को यह सलाह दी जाती है कि वे उचित सावधानी बरतें और किसी भी सदस्य के पते में परिवर्तन या मृत्यु के बारे में कंपनी को जल्द से जल्द सूचित करें। यह भी सलाह दी जाती है कि सदस्यों को अपने डीमैट खाते (खातों) को निष्क्रिय होने से बचना चाहिए। डीमैट खाते (खातों) में शेयर पूंजी का विवरण संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों (डीपी) से नियमित रूप से प्राप्त किया जाना चाहिए और शेयर पूंजी को समय–समय पर सत्यापित किया जाना चाहिए।

18. एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग और एजीएम में ई–वोटिंग के लिए सामान्य जानकारी और निर्देशः

I. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी नियम (प्रबंधन और प्रशासन), 2014 जो संशोधित की गई है, और अन्य लागू प्रावधान, यदि हो तो, कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी के विनियमन 44 (सूचीकरण बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं), विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से वार्षिक जनरल मीटिंग (एजीएम) में प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार है। सदस्य, ।ळड में ई–वोटिंग के जरिए और किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रिक मतदान प्रणाली (दूरस्थ ई–वोटिंग) का उपयोग करके अपने वोट डाल सकते हैं।

II. जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं परंतु फिर से अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

III. कंपनी ने दूरस्थ ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में मैसर्स नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की सेवाएं ली हैं।

IV. एजीएम में कंपनी के निदेशक मंडल ने कंपनी सेकेटरी फर्म–मैसर्स अग्रवाल्स एंड एसोसिएट्स में कार्यरत कंपनी सेकेटरी श्री सचिन अग्रवाल को (और उनकी अनुपस्थिति में मैसर्स अग्रवाल्स एंड एसोसिएट्स की सुश्री गरिमा ग्रोवर) को दूरस्थ ई–वोटिंग और ई–वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है और वह/उन्होंने नियुक्त होने और उसी उद्देश्य के लिए उपलब्ध होने की अपनी इच्छा के बारे में सूचित किया है।

V. एजीएम में उपस्थित होने और प्रस्तावों पर मतदान करने के लिए सदस्यों की पात्रता को मान्यता देने की **कट–ऑफ** तिथि 21 सितंबर, 2022 होगी। एक व्यक्ति जिसका नाम कट–ऑफ तारीख यानी 21 सितंबर, 2022 को **'बिजनेस ऑवर्स की समाप्ति'** पर सदस्यों के रजिस्टर में या लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज किया गया होगा, केवल वही डिपॉजिटरी एजीएम के दौरान दूरस्थ ई–वोटिंग या ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

VI. एक व्यक्ति जो एजीएम के नोटिस के प्रचलन के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तारीख यानी 21 सितंबर, 2022 को शेयर रखता है, **वह एजीएम के इस नोटिस में प्रदान की गई लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने की प्रक्रिया का पालन कर सकता है।**

VII. दूरस्थ ई–वोटिंग की अवधि 24 सितंबर, 2022 (सुबह 9:00 बजे) से शुरू होती है और 27 सितंबर, 2022 (5:00 बजे) को समाप्त होती है। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, 21 सितंबर, 2022 की कट–ऑफ तिथि के अनुसार भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करते हैं, दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं। उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर मतदान के लिए एनएसडीएल द्वारा दूरस्थ ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। **एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी संकल्प पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।**

VIII. जांचकर्ता, ई–वोटिंग और दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा एजीएम में डाले गए वोटों की जांच करने के बाद, एजीएम के समापन से दो कार्य दिवसों के बाद, एक समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे अध्यक्ष या किसी अधिकृत व्यक्ति को लिखित रूप में प्रस्तुत करेगा। समेकित जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट– www. Sail.co.in और एनएसडीएल की वेबसाइट पर डालेगा। परिणाम एक साथ स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किए जाएंगे।

IX. अपेक्षित संख्या में मतों की प्राप्ति के अधीन, संकल्पों को एजीएम की तिथि अर्थात 28 सितंबर, 2022 को पारित माना जाएगा।

X. दूरस्थ ई–वोटिंग की प्रक्रिया और तरीका निम्नानुसार है:

क. एनएसडीएल ई–वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

चरण 1: एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम तक पहुंचना

(1) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 के अनुसार और मतदान प्रक्रिया की दक्षता बढ़ाने के लिए, ई–वोटिंग सुविधा डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले सभी व्यक्तिगत सदस्यों को उनके डीमैट खातों/डिपॉजिटरी की वेबसाइटों/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रदान किया जा रहा है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि नीचे दी गई है:

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक।	**1. एनएसडीएल आइडिया सुविधा** **यदि उपयोगकर्ता एनएसडीएल आइडिया सुविधा के लिए पंजीकृत है:** (क) कृपया एनएसडीएल की ई–सेवा वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com/ को पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर देखें। (ख) एक बार होमपेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" के तहत **"लाभार्थी/ओनर"** आइकन पर क्लिक करें जो "आइडिया" अनुभाग के तहत उपलब्ध है। (ग) नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना होगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, आप ई–वोटिंग सेवाओं को देख पाएंगे। (घ) ई–वोटिंग सेवाओं के तहत **"ई–वोटिंग तक पहुंच"** पर क्लिक करें और आप ई–वोटिंग पेज देख पाएंगे। (ड़) कंपनी के नाम या ई–वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग में मतदान के दौरान आपको वोट देने के लिए **एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर** पुनः निर्देशित किया जाएगा। **यदि उपयोगकर्ता आइडिया सुविधा के लिए पंजीकृत नहीं है:** (क) पंजीकरण करने का विकल्प https://eservices.nsdl.com पर उपलब्ध है। (ख) **"आईडीईएएस पोर्टल के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करें"** चुनें या https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp पर क्लिक करें। (ग) सफल पंजीकरण पर, कृपया उपरोक्त बिंदु 1(ए) से 1(ई) में दिए गए चरणों का पालन करें।

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
	2. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। (ए) निम्नलिखित यूआरएल टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें: https://www.evoting.nsdl.com/ या तो पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर। (बी) ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "लॉगिन" आइकन पर क्लिक करें जो **'शेयरधारक/सदस्य'** अनुभाग के तहत उपलब्ध है। (सी) एक नई स्क्रीन खुल जाएगी। आपको अपना यूजर आईडी (अर्थात् एनएसडीएल के पास आपका सोलह अंकों का डीमैट खाता नंबर), पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है। (डी) सफल प्रमाणीकरण के बाद, आपको एनएसडीएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा जहां आप ई–वोटिंग पृष्ठ देख सकते हैं। कंपनी के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान मतदान करने के लिए एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर भेज दिया जाएगा। **3. मोबाइल ऐप:** सदस्य सहज मतदान अनुभव के लिए नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके एनएसडीएल मोबाइल ऐप **"एनएसडीएल स्पीड"** सुविधा भी डाउनलोड कर सकते हैं। **NSDL Mobile App is available on** App Store Google Play
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. मौजूदा उपयोगकर्ता जिन्होंने Easi/Easiest का विकल्प चुना है, वे अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई–वोटिंग पेज पर पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए Easi/Easiest में लॉगिन करने के लिए https://web.cdslindia.com/myeasi/home/login या www.cdslindia.com है और न्यू सिस्टम मायेसी पर क्लिक करें। 2. Easi/Easiest के सफल लॉगिन के बाद, उपयोगकर्ता ई वोटिंग मेनू भी देख पाएगा। मेनू में **ई– वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल के लिंक होंगे**। अपना वोट डालने के लिए **एनएसडीएल** पर क्लिक करें। 3. यदि उपयोगकर्ता Easi/Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण का विकल्प https://web.cdslindia.com/myeasi/Registration/EasiRegistration पर उपलब्ध है। 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता www.cdslindia.com होम पेज में एक लिंक से डीमैट खाता संख्या और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई–वोटिंग पृष्ठ तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज किए गए अनुसार पंजीकृत मोबाइल और ईमेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता को संबंधित ईएसपी यानी एनएसडीएल के लिए लिंक प्रदान किया जाएगा जहां ई–वोटिंग प्रगति पर है।

सदस्यों के प्रकार	लॉगिन विधि
सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	1. आप ई–वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। 2. लॉग इन करने पर आपको ई–वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई–वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, आपको सफल प्रमाणीकरण के बाद एनएसडीएल/सीडीएसएल डिपॉजिटरी साइट पर रीडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आप ई–वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। 3. कंपनी के नाम या **ई–वोटिंग सेवा प्रदाता यानी एनएसडीएल** के सामने उपलब्ध विकल्पों पर क्लिक करें और दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण नोट: जो सदस्य यूजर आईडी/पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपरोक्त वेबसाइट पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी और फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

डिपॉजिटरी यानी एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी मुद्दे के लिए डीमैट मोड में सिक्योरिटीज रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूति रखने वाले व्यक्तिगत सदस्य	लॉगिन में किसी भी तकनीकी समस्या का सामना करने वाले सदस्य हेल्पडेस्क पर अनुरोध भेजकर सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं। evoting@cdslindia.com या 022– 23058738 या 022–23058542–43 पर संपर्क करें

(ii) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले सदस्यों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए ई–वोटिंग और वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई–वोटिंग वेबसाइट में लॉग–इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई–वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। पर्सनल कंप्यूटर पर या मोबाइल पर निम्नलिखित यूआरएल https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करके वेब ब्राउजर खोलें
2. ई–वोटिंग सिस्टम का होम पेज लॉन्च होने के बाद, **'शेयरधारक/सदस्य'** अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध आइकन "लॉगिन" पर क्लिक करें।
3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपना यूजर आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है।

   वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई–सर्विसेज यानि विचारों के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा आइडिया लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग–इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग–इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई–सर्विसेज में लॉग–इन करते हैं, तो ई–वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट दें।

4. आपका यूजर आईडी विवरण नीचे दिया गया है:

शेयर रखने का तरीका यानि डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या फिजिकल	आपकी यूजर आईडी है:
क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	8 अंकों की डीपी आईडी के बाद 8 अंकों की क्लाइंट आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी डीपी आईडी 300*** है और क्लाइंट आईडी 12****** है तो आपकी यूजर आईडी 300*** 12****** है।
ख) सीडीएसएल के साथ डीमैट खाते में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12****** है तो आपकी उपयोगकर्ता आईडी 12****** है
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए।	कंपनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर के बाद सम संख्या उदाहरण के लिए यदि फोलियो नंबर 001*** है और यहां सम संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 01456001*** है

5. व्यक्तिगत सदस्यों के अलावा अन्य सदस्यों के लिए पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है:

क) यदि आप पहले ही ई–वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप लॉग इन करने और अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं।

ख) यदि आप पहली बार एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' प्राप्त करना होगा जो आपको सूचित किया गया था। एक बार जब आप अपना 'आरंभिक पासवर्ड' प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'आरंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

ग) अपना 'आरंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?

(i) यदि आपकी ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के साथ पंजीकृत है, तो आपका 'आरंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ईमेल आईडी पर प्रदान किया जाता है। आपके मेलबॉक्स से एनएसडीएल से आपको भेजे गए ईमेल को खोजें। ईमेल खोलें और अटैचमेंट जैसे कि .pdf फाइल। .pdf फाइल खोलें। .pdf फाइल को खोलने का पासवर्ड एनएसडीएल खाते के लिए आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलियो नंबर है। .pdf फाइल में आपकी **'यूजर आईडी'** और आपका 'आरंभिक पासवर्ड' होता है।

(ii) यदि आपकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है, तो कृपया उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया में नीचे **दिए गए चरणों का पालन करें जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं है।**

6. यदि आप "आरंभिक पासवर्ड" नहीं पा रहे हैं या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या अपना पासवर्ड भूल गए हैं:

क) **"फॉरगेट यूजर डिटेल/पासवर्ड"** पर क्लिक करें। (यदि आप अपने डीमैट खाते में एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ शेयर रखते हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ख) **"फिजिकल यूजर रीसेट पासवर्ड?"** पर क्लिक करें। (यदि आप भौतिक रूप में शेयर धारण कर रहे हैं) विकल्प www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

ग) यदि आप अभी भी उपरोक्त दो विकल्पों द्वारा पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता संख्या/फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं।

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई–वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।

7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करके ''नियम और शर्तों'' से सहमत पर टिक करें।

8. अब, आपको "लॉगिन" बटन पर क्लिक करना होगा।

9. "लॉगिन" बटन पर क्लिक करने के बाद ई–वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर जनरल मीटिंग में शामिल हों।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट कैसे डालें और एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम पर जनरल मीटिंग में शामिल हों?

1. **चरण 1** पर सफल लॉगिन के बाद, आप उन सभी कंपनियों को **"सम"** देख पाएंगे जिनमें आपके शेयर हैं और जिनकी मतदान चक्र और जनरल मीटिंग सक्रिय स्थिति में है।

2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) का **"सम"** चुनें, जिसके लिए आप दूरस्थ ई–वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं और जगरल मीटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने के लिए, आपको "ज्वाइन जनरल मीटिंग" के तहत दिए गए **"VC/OAVM"** लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. वोटिंग पेज खुलते ही अब आप ई–वोटिंग के लिए तैयार हैं।

4. उपयुक्त विकल्पों का चयन करके अपना वोट दें

जैसे कि असहमति या असहमति, उन शेयरों की संख्या को सत्यापित/संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट डालना चाहते हैं और **"सबमिट"** पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर **"पुष्टि करें/कन्फर्म"** बटन भी क्लिक करें।

5. पुष्टि होने पर, ''वोट कास्ट सक्सेसफुली'' संदेश प्रदर्शित होगा।

6. आप कन्फर्मेशन पेज पर प्रिंट विकल्प पर क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं।

7. एक बार जब आप संकल्प पर अपने वोट की पुष्टि कर देते हैं, तो आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

III. उन सदस्यों की ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया जिनकी ईमेल आईडी डिपॉजिटरी/कंपनी के साथ पंजीकृत नहीं है:

सदस्य ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेज सकते हैं:

1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित हैं, तो कृपया फोलियो नंबर, सदस्य का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी), आधार (स्व–प्रमाणित आधार कार्ड की सत्यापित स्कैन कॉपी) प्रदान करें।

2. यदि शेयर डीमैट मोड में हैं, तो कृपया डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (16 अंकों का डीपीआईडी + क्लाइंट आईडी या 16

अंकों का लाभार्थी आईडी), सदस्य का नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (स्व–सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन कॉपी), आधार (आधार कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन कॉपी) प्रदान करें।

3. यदि आप डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को धारण करने वाले एक व्यक्तिगत सदस्य हैं, तो आपसे अनुरोध है कि चरण 1 (ए) में बताई गई लॉगिन विधि को देखें, अर्थात ई–वोटिंग के लिए **लॉगिन विधि और डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में शामिल होना।**

4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई–वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ बनाए गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमति है। ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ख. किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर :18001020990 या 1800224430 पर कॉल कर सकते हैं या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या **सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड के निर्दिष्ट ईमेल आईडी– saritam@nsdl.co.in पर संपर्क करें, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान से जुड़ी शिकायतें को भी संबोधित करेंगे।**

XI. वीसी/ओएवीम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों के निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम (https:// www.evoting.nsdl.com) के माध्यम से वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में शामिल हो सकेंगे। **सदस्य एनएसडीएल ई–वोटिंग सिस्टम** तक पहुंचने के लिए ऊपर बताए गए चरणों का पालन कर सकते हैं। सफल लॉगिन के बाद, सदस्य कंपनी के नाम के सामने "जॉइन मीटिंग" मेनू के तहत रखे गए **"वीसी/ओएवीएम लिंक"** पर क्लिक कर सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहां कंपनी का ईवन प्रदर्शित किया जाएगा।

   जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इस नोटिस में उल्लिखित दूरस्थ ई–वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

2. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले खुलेगी और सदस्यों के लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। बैठक में शामिल होने की सुविधा बैठक शुरू होने के 15 मिनट बाद बंद हो जाएगी।

3. सदस्य जिन्हें AGM से पहले या उसके दौरान सहायता की आवश्यकता है, वे evoting@nsdl.co.in पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या **सुश्री सरिता मोटे, सहायक प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड से ईमेल आईडी saritam@nsdl.co.in या टोल फ्री नंबरः–18001020990 या 1800224430 पर संपर्क कर सकते हैं।**

4. सदस्य जो AGM के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे अपना पंजीकरण एक वक्ता के रूप में 21 सितंबर, 2022 (सुबह 9:00 बजे) से उनके नाम, डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर, पैन, मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए उनके पंजीकृत ईमेल पते से अपना अनुरोध भेजकर sail50agm.2022@sail.in पर 23 सितंबर, 2022 (5:00 अपराह्न प्रथम) करा सकते हैं। केवल उन्हीं सदस्यों को, जिन्होंने स्वयं को वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी। कंपनी एजीएम के लिए समय की उपलब्धता के आधार पर वक्ताओं की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

   इसके अलावा, जो सदस्य एजीएम के दौरान अपने प्रश्नों/प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ऊपर उल्लिखित प्रश्नों/सवालों को भेजें।

   केवल वे सदस्य जो एजीएम में भाग ले रहे हैं और दूरस्थ ई–वोटिंग (एजीएम से पहले) के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे।

XII. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई, आदि के अलावा) को जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन की हुई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ स्क्रूटिनाइजर को sachinag1981@gmail.com पर ई–मेल द्वारा एनएसडीएल की ईमेल आईडी– evoting@nsdl.co.in. को कॉपी के साथ भेजने की आवश्यकता होती है।

XIII. इसकी दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। सही पासवर्ड डालने के पांच असफल प्रयासों पर ई–वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, पासवर्ड रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com पर **"फॉरगोट यूजर डिटेल/पासवर्ड?"** या **"भौतिक यूजर रीसेट पासवर्ड"** विकल्प उपलब्ध है।

XIV. जो नोटिस भेजे जाने के बाद लेकिन **कट–ऑफ तारीख** (21 सितंबर, 2022) को या उससे पहले कंपनी के सदस्य बने हैं, वे यूजर आईडी और पासवर्ड के लिए अनुरोध करते हुए **evoting@nsdl.co.in** पर एनएसडीएल को मेल कर सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त होने पर, वोट डालने के लिए उपरोक्त चरण 2 के विवरण का पालन किया जाना चाहिए।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार नोटिस व्याख्यात्मक विवरण का अनुबंध

मद संख्या 6

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के दिनांक 24 अगस्त, 2022 के आदेश संख्या 6/1/2020-BLA के अनुसार, अगली आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति के अधीन या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, श्री कृष्ण कुमार सिंह (डिनः 09310667) को 25 अगस्त 2022 से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 25 अगस्त, 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानि 30 जून, 2027 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक रहेगा। वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी संघों के लेखों के अनुसार, वह आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 160 के तहत श्री कृष्ण कुमार सिंह को कंपनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तावित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्री सिंह ने आईआईटी, बीएचयू से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है। श्री सिंह 1987 में भिलाई स्टील प्लांट में प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में सेल में शामिल हुए थे और एचआरडी में शामिल होने से पहले उन्होंने ब्लूमिंग एंड बिलेट मिल में लगभग 11 वर्षों तक काम किया। पदोन्नत होते हुए, श्री सिंह कंपनी के निदेशक (कार्मिक) के रूप में कार्यभार संभालने से पहले सेल में कार्यकारी निदेशक आई/सी (कार्मिक और प्रशासन) बने। भिलाई इस्पात संयंत्र और कॉर्पोरेट कार्यालय में संचालन, मानव संसाधन विकास, सतर्कता और कार्मिक और प्रशासन में उनके पास विविध क्षेत्रों में लगभग 35 वर्षों का विशाल अनुभव है। अपने करियर के दौरान, श्री सिंह ने प्रदर्शन प्रबंधन, करियर प्रगति योजना, जनशक्ति योजना, मुआवजा और लाभ प्रबंधन, प्रशिक्षण और विकास, शिक्षा, औद्योगिक संबंध प्रबंधन और कर्मचारी जुड़ाव जैसे क्षेत्रों में कई प्रगतिशील पहल की हैं।

नवंबर, 2019 से जनवरी, 2022 के दौरान सेल कॉर्पोरेट कार्यालय के कार्यकारी निदेशक (पी एंड ए) के रूप में अपनी भूमिका में, श्री सिंह ने शीर्ष द्विपक्षीय मंच–एनजेसीएस में सेल में वेतन–वार्ता को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कंपनी में निष्पक्ष और उद्देश्यपमर्ण नीतिगत ढांचे को सक्षम करने के लिए सेल पेंशन योजना और एनपीएस में इसके बदलने सहित विभिन्न एचआर नीतियों और नियमों के निर्माण और कार्यान्वयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री कृष्ण कुमार सिंह अधिनियम की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री कृष्ण कुमार सिंह और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित, यदि कोई हो, की सीमा तक, वित्तीय रूप से या अन्यथा, नोटिस के मद संख्या 6 में निर्धारित प्रस्ताव में कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, संबंधित या रुचि नहीं रखता है।

बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को एक निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करनी चाहिए।

मद संख्या 7

भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के दिनांक 2 सितंबर, 2022 के आदेश संख्या 6/2/2020.इसं के अनुसार, श्री अरविंद कुमार सिंह (डिनः 09725842) को 2022 अगली आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा उनकी नियुक्ति के अधीन या नियुक्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, 2 सितंबर से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल 3 सितंबर, 2022 से उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानि 30 नवंबर, 2024 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक है। वह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 और कंपनी संघ के लेखों के अनुसार, वह आगामी वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पद पर बने रहेंगे। उक्त अधिनियम की धारा 160 के तहत कंपनी के निदेशक पद के उम्मीदवार के रूप में श्री अरविंद कुमार सिंह का नाम प्रस्तावित करते हुए नोटिस प्राप्त हुआ है।

श्री सिंह बिआईट, सिंदरी से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग की है। श्री सिंह 1987 में कंपनी के भिलाई स्टील प्लांट में प्रबंधन प्रशिक्षु (तकनीकी) के रूप में सेल में शामिल हुए। श्री सिंह के पास 35 से अधिक वर्षों का समृद्ध और बहुमुखी अनुभव है, जिसमें प्रमुख क्षेत्र जैसे हॉट स्ट्रिप मिल, प्लेट मिल, स्टील मेल्टिंग शॉप और कंपनी के 3 एकीकृत इस्पात संयंत्रों के कोक ओवन शामिल हैं, जिनका रोलिंग प्रौद्योगिकी, स्टील निर्माण, कोक निर्माण, संचालन प्रबंधन, परियोजना निष्पादन और रसद प्रबंधन के क्षेत्र में एक सिद्ध रिकॉर्ड है। समावेश और स्वामित्व की भावना पैदा करके उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए टीमों को प्रेरित करने और नेतृत्व करने में कुशल, श्री सिंह ने भिलाई स्टील प्लांट के कोक ओवन विभाग में सेल की पहली 7 मीटर लंबी बैटरी को चालू करने में सक्रिय रूप से योगदान दिया। बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) में अपने कार्यकाल के दौरान, श्री सिंह ने स्टील मेल्टिंग शॉप–II और निरंतर कास्टिंग शॉप में कैस्टर के संचालन के लिए नई प्रथाओं के कार्यान्वयन और स्वचालन सुविधाओं को चालू करके जरूरी सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। निरंतरता को जारी रखते हुए, श्री सिंह ने बीएसएल में हॉट स्ट्रिप मिल के आधुनिकीकरण और विभिन्न नए ग्रेड और प्रोफाइल के विकास के साथ–साथ विभिन्न विशेष ग्रेड और वर्गों में उच्चतम उत्पादन प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री सिंह ने महाप्रबंधक के रूप में, भिलाई स्टील प्लांट में 1.2 मिलियन टन वार्षिक क्षमता प्लेट मिल की टीम का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया, जिसमें विभिन्न अन्य ग्रेड और नए प्रोफाइल के विकास सहित बॉयलर ग्रेड प्लेटों में उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया। श्री सिंह कंपनी में निदेशक (तकनीकी, परियोजनाओं और कच्चे माल) के रूप में शामिल होने से पहले, कार्यकारी निदेशक (कार्य), इस्को स्टील प्लांट (आईएसपी) के पद तक पहुंचे। श्री सिंह ने 2.5 एमटी संयंत्र के आईएसपी समूह को प्रेरित और नेतृत्व किया, संयंत्र की विभिन्न सुविधाओं से उच्चतम उत्पादन प्राप्त किया और गर्म धातु, कच्चे इस्पात और बिक्री योग्य स्टील, सर्वश्रेष्ठ तकनीकी–अर्थशास्त्र आदि

के मासिक वार्षिक व्यापार लक्ष्यों को पार कर लिया। श्री सिंह ने सीओबी–11 के को–गैस बूस्टर स्टेशन और जल संरक्षण के लिए सीबीएम, जेडएलडी पर निर्भरता को कम करने के लिए मिलों में एलडी गैस के उपयोग जैसी नई परियोजनाओं के लिए प्रेरक शक्ति रही है, जिसके परिणामस्वरूप भारी लागत बचत के साथ–साथ बेहतर ईएसजी स्कोर भी हुआ। उनके सक्षम नेतृत्व में, आईएसपी ने नए ग्रेड और अनुभाग तैयार किए, जिससे उत्पाद पोर्टफोलियो और स्टील बाजार में उपस्थिति का विस्तार हुआ। इतना ही नहीं, आईएसपी ने वित्त वर्ष 2020–21 में पहली बार ₹67 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो वित्त वर्ष 2021–22 में बढ़कर ₹636 करोड़ हो गया। इसके अलावा, श्री सिंह आईएसपी में सभी स्तरों पर लागत और सुरक्षा जागरूकता पैदा करने में मार्गदर्शक कारक थे और निजी क्षेत्र में अग्रणी साथियों की सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुकरण किया है।

श्री अरविंद कुमार सिंह अधिनियम की धारा 164 के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य नहीं हैं और उन्होंने निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री अरविंद कुमार सिंह और उनके रिश्तेदारों को छोड़कर, कंपनी में उनके शेयरधारिता हित, यदि कोई हो, की सीमा तक, कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों/उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से, वित्तीय रूप से या अन्यथा संबंधित या रुचि नहीं रखता है, जैसा कि नोटिस के मद संख्या 7 में प्रस्ताव निर्धारित है।

बोर्ड यह वांछनीय मानता है कि कंपनी को स्वयं एक निदेशक के रूप में उनकी सेवाओं का लाभ उठाना जारी रखना चाहिए और शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए इस प्रस्ताव की सिफारिश करनी चाहिए।

मद संख्या 8

कंपनी के निदेशक मंडल ने ऑडिट समिति की सिफारिश पर मैसर्स आर.एम. बंसल एंड कंपनी, कानपुर (भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और इस्को स्टील प्लांट के लिए), मेसर्स चंद्रा वाधवा एंड कंपनी, नई दिल्ली (राउरकेला स्टील प्लांट और बोकारो स्टील प्लांट के लिए) और मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स, मुंबई को एलॉय स्टील प्लांट, सेलम स्टील प्लांट और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट) के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए ₹11,70,000 के पारिश्रमिक के साथ–साथ लागू कर और प्रतिपूर्ति दैनिक भत्ता, यात्रा व्यय और जेब खर्च में कंपनी के लागत ऑडिटरों के रूप में नियुक्ति पर विचार किया और उसे मंजूरी दी। । इसके अलावा, एक्सबीआरएल रूपांतरण और कंपनी की समेकित लागत ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने के लिए लीड कॉस्ट ऑडिटर को ₹ 42,000 और लागू करों का भुगतान किया जाना है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(3) के अनुसार कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 14 के साथ तय पारिश्रमिक, जैसा कि ऑडिट समिति की सिफारिश पर कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, कंपनी के सदस्यों द्वारा भी समर्थित किया जाना आवश्यक है। तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 8 में निर्धारित लागत ऑडिटरों के शुल्क के समर्थन के लिए प्रस्ताव शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है।

बोर्ड आपके अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और/या उनके रिश्तेदारों का इस प्रस्ताव में कोई सरोकार या दिलचस्पी नहीं है।

मद संख्या 9 से 11 के लिए संदर्भः

सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015, ('सेबी सूचीबद्ध विनियम') के विनियमन 23, जो कि सेबी (सूचीबद्ध दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) (छठे संशोधन) विनियम, 2021 में संशोधित किया गया है, 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हुआ है, कहता है कि सभी सामग्री से संबंधित पार्टी लेनदेन ('आरपीटी') का कुल मूल्य ₹1,000 करोड़ से अधिक या कंपनी के अंतिम ऑडिटेड वित्तीय विवरणों के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार का 10 प्रतिशत, जो भी कम हो, एक सामान्य प्रस्ताव के माध्यम से उसके लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी। उक्त सीमाएं तब भी लागू होंगी, भले ही लेन–देन संबंधित कंपनी के व्यवसाय के सामान्य क्रम में और दूरी के आधार पर हो। सेबी सूचीबद्ध विनियमों के संशोधित विनियम 2(1)(जेडसी) ने संबंधित पार्टी लेनदेन की परिभाषा को भी सुधारा है जिसमें भले ही कोई कीमत ली गई हो या नहीं अब एक सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी सहायक कंपनी और दूसरी ओर सूचीबद्ध इकाई या उसकी किसी भी सहायक कंपनी का एक संबंधित पक्ष के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों के हस्तांतरण से संबंधित लेनदेन शामिल है।

उपरोक्त संदर्भ में, मद संख्या 9 से 11 तक के प्रस्तावों को कंपनी के शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए रखा गया है।

मद संख्या 9:

लेनदेन की पृष्ठभूमि, विवरण और लाभ

एनटीपीसी–सेल पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एनएसपीसीएल) सेल और एनटीपीसी लिमिटेड का 50:50 का संयुक्त उद्यम है।

एनएसपीसीएल राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में 1064 मेगावाट क्षमता के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों का मालिक है और सेल संयंत्रों को बिजली की आपूर्ति करता है और बाहरी पार्टियों को भी बिजली बेचता है। सेल ने एनएसपीसीएल को लीज के आधार पर जमीन मुहैया कराई है। सेल साझा सुविधा समझौते की शर्तों के तहत एनएसपीसीएल को पानी की आपूर्ति भी करता है। दुर्गापुर में, सेल एनएसपीसीएल संयंत्र को थर्मल कोयले की आपूर्ति भी करता है।

सेल और एनएसपीसीएल के बीच किए गए बिजली खरीद समझौते की शर्तों के तहत सेल एनएसपीसीएल से बिजली खरीदता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उपरोक्त लेनदेन का कुल मूल्य ₹ 6,000 करोड़ तक अनुमानित है। इन लेन–देन से न केवल सेल को विनिर्माण कार्यों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि निर्बाध संचालन और बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी।

प्रबंधन ने कानून के तहत आवश्यक सामग्री शर्तों और मूल्य निर्धारण के आधार सहित प्रस्तावित आरपीटी की ऑडिट समिति को प्रासंगिक विवरण प्रदान किया है। ऑडिट समिति ने सभी आवश्यक जानकारी की समीक्षा करने के बाद, सेल के साथ उपरोक्त आरपीटी में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान की है। समिति ने नोट किया है कि उक्त निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर और कंपनी के सामान्य कारोबार में होगा।

तदनुसार, ऑडिट समिति के अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 9 में निहित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी की संबंधित पार्टी होने के नाते एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड के साथ प्रस्तावित लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 22 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/662 के अनुसार सूचना दी गई।

क्र.सं.	विशिष्ट	विवरण
1	संबंधित पार्टी का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, साथ ही उनकी समस्या या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;	एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें सेल की 50% हिस्सेदारी है
2	प्रकार, भौतिक शर्तें और प्रस्तावित लेनदेन का विवरण	जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है। दर्ज किए जाने वाले सभी लेनदेन निष्पक्ष हैं।
3	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवर्ती प्रकृति और अनुमोदन
4	प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	जैसा कि ऊपर बताया गया है
5	वित्तीय वर्ष 2021–22 को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मानते हुए वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत	5.84%
6	इस बात का कारण कि क्यों आरपीटी सेल के हित में है	यह व्यवस्था कंपनी के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद है।
7	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, इंटर–कॉर्पोरेट डिपॉज़िट, एडवांस या निवेश से संबंधित लेनदेन के विवरण: (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण (ii) जहां ऋण, इंटर–कॉर्पोरेट डिपॉज़िट, एडवांस या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता है – ऋणग्रस्तता की प्रकृति; – कोष की लागत; तथा – कार्यकाल (iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा।	लागू नहीं
8	बयान कि मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई पर आधारित हैं, शेयरधारक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	लागू नहीं
9	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है	इस नोटिस का हिस्सा बनने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले बयान का हिस्सा हैं।

निष्पक्ष मूल्य निर्धारण

इस प्रस्ताव में उल्लिखित संबंधित पार्टी लेनदेन(ओं)/अनुबंध/व्यवस्था(ओं) की निष्पक्ष परीक्षण मानदंडों को पूरा करती है। संबंधित पार्टी लेनदेन(ओं)/अनुबंध(ओं)/व्यवस्था(ओं) को भी व्यापार के सामान्य ढंग के तहत अनुबंध के रूप में अर्हता प्राप्त होती है।

बिजली खरीद समझौते के आधार पर आरपीटी दर्ज किया जाएगा, जो कुल मिलाकर ₹6,000 करोड़ से अधिक नहीं होगा।

सदस्य ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, संबंधित पार्टियों के तहत परिभाषित (चाहे ऐसी संबंधित पार्टी उपरोक्त लेनदेन के लिए पार्टी है या नहीं), आइटम सं. 9 के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और/या उनके संबंधित रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक नोटिस की मद संख्या 9 में उल्लिखित प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध या रुचि नहीं है, यदि कोई हो, सिवाय नीचे दिए गए अनुसार:

श्री एम.बी. बालाकृष्णन, सीजीएम (वित्त) और कंपनी सचिव एनटीपीसी–सेल पावर कंपनी लिमिटेड के बोर्ड में गैर–कार्यकारी नामित निदेशक हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 9 में निर्धारित प्रासंगिक सामान्य प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 10:

लेनदेन की पृष्ठभूमि, विवरण और लाभ

बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्रा. लिमिटेड (बीपीएससीएल) सेल और दामोदर घाटी निगम का 50:50 का संयुक्त उद्यम है। बीपीएससीएल झारखंड के बोकारो में 338 मेगावाट क्षमता का कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट का मालिक है और सेल के बोकारो स्टील प्लांट को बिजली और भाप की आपूर्ति करता है। बीपीएससीएल बोकारो स्टील प्लांट की आपातकालीन बिजली आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। सेल अपने बोकारो स्टील प्लांट से बीपीएससीएल को उत्पाद गैसों द्वारा अतिरिक्त आपूर्ति करता है। सेल साझा सुविधा समझौते की शर्तों के तहत बीपीएससीएल को पानी की आपूर्ति भी करता है। सेल ने बीपीएससीएल को लीज पर जमीन मुहैया कराई है। सेल और बीपीएससीएल के बीच किए गए बिजली खरीद समझौते की शर्तों के तहत सेल बीपीएससीएल से बिजली और भाप खरीदता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उपरोक्त लेनदेन का कुल मूल्य ₹3,000 करोड़ तक अनुमानित है। इन लेन–देन से न केवल सेल को विनिर्माण कार्यों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि निर्बाध संचालन और बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए बिजली और भाप की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

प्रबंधन ने कानून के तहत आवश्यक सामग्री शर्तों और मूल्य निर्धारण के आधार सहित प्रस्तावित आरपीटी की ऑडिट समिति को प्रासंगिक विवरण प्रदान किया है। ऑडिट समिति ने सभी आवश्यक जानकारी की समीक्षा करने के बाद, सेल के साथ उपरोक्त आरपीटी में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान की है। समिति ने नोट किया है कि उक्त निष्पक्ष लेनदेन के आधार पर और कंपनी के सामान्य कारोबार में होगा।

तदनुसार, ऑडिट समिति के अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस के मद संख्या 10 में निहित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी की संबंधित पार्टी होने के बोकारो पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड के साथ प्रस्तावित लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 22 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/662 के अनुसार सूचना दी गई।

क्र.सं.	विशिष्ट	विवरण
1	संबंधित पार्टी का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, साथ ही उनकी समस्या या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें सेल की 50% हिस्सेदारी है
2	प्रकार, भौतिक शर्तें और प्रस्तावित लेनदेन का विवरण	जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है। दर्ज किए जाने वाले सभी लेनदेन निष्पक्ष हैं।
3	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवर्ती प्रकृति और अनुमोदन
4	प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	जैसा कि ऊपर बताया गया है
5	वित्तीय वर्ष 2021–22 को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मानते हुए वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत	2.92%
6	इस बात का कारण कि क्यों आरपीटी सेल के हित में है	यह व्यवस्था कंपनी के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद है।
7	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, इंटर–कॉर्पोरेट डिपॉज़िट, एडवांस या निवेश से संबंधित लेनदेन के विवरण: (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण (ii) जहां ऋण, इंटर–कॉर्पोरेट डिपॉज़िट, एडवांस या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता है – ऋणग्रस्तता की प्रकृति; – कोष की लागत; तथा – कार्यकाल (iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा।	लागू नहीं
8	बयान कि मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई पर आधारित हैं, शेयरधारक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	लागू नहीं
9	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है	इस नोटिस का हिस्सा बनने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले बयान का हिस्सा हैं।

निष्पक्ष मुल्य निर्धारण

इस प्रस्ताव में उल्लिखित संबंधित पार्टी लेनदेन(ओं)/अनुबंध/व्यवस्था(ओं) की निष्पक्ष परीक्षण मानदंडों को पूरा करती है। संबंधित पार्टी लेनदेन(ओं)/अनुबंध(ओं)/व्यवस्था(ओं) को भी व्यापार के सामान्य ढंग के तहत अनुबंध के रूप में अर्हता प्राप्त होती है।

बिजली खरीद समझौते के आधार पर आरपीटीएस दर्ज किया जाएगा, जो कुल मिलाकर ₹3,000 करोड़ से अधिक नहीं होगा।

सदस्य ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, संबंधित पार्टियों के तहत परिभाषित (चाहे ऐसी संबंधित पार्टी उपरोक्त लेनदेन के लिए पार्टी है या नहीं), मद सं. 10 के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और/या उनके संबंधित रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक नोटिस की मद संख्या 10 में उल्लिखित प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध या रुचि नहीं है, यदि कोई हो।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 10 में निर्धारित प्रासंगिक सामान्य प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

मद संख्या 11:

लेनदेन की पृष्ठभूमि, विवरण और लाभ

मिनस डे बेंगा लिमिटाडा (एमबीएल) इंटरनेश्नल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल) (सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, सीएल और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम) की एक विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनी है और फलस्वरूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की एक संबंधित पार्टी है। एमबीएल मोजाम्बिक में स्थित है और भारत में कोकिंग कोल के उत्पादन और आपूर्ति के व्यवसाय में लगी हुई है। आईसीवीएल में सेल की 47.82% हिस्सेदारी है।

स्टील उत्पादन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में सेल को अपनी आग की भट्टी के लिए कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। एमबीएल अपनी स्टील उत्पादक प्रवर्तक कंपनियों की कैप्टिव खपत के लिए कोकिंग कोल का उत्पादन और आपूर्ति करता है। सेल ने वार्षिक आधार पर कोकिंग कोल की मात्रा की आपूर्ति के लिए एमबीएल के साथ दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध किया है। आईसीवीएल और एमबीएल, सेल समूह की कंपनियों का हिस्सा होने के कारण, न केवल दोनों कंपनियों के लिए सुचारू व्यवसाय संचालन में मदद करते हैं, बल्कि बिना किसी रुकावट के कोकिंग कोल की वांछित गुणवत्ता और मात्रा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करते हैं और उनकी व्यावसायिक आवश्यकता को पूरा करते हुए दोनों कंपनियों के लिए राजस्व और व्यवसाय का सृजन करते हैं।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए उपरोक्त लेनदेन का कुल मूल्य ₹4,000 करोड़ तक अनुमानित है। इन लेन–देन से न केवल सेल को विनिर्माण कार्यों को सुचारू रूप से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी, बल्कि निर्बाध संचालन और बढ़ी हुई उत्पादकता के लिए वांछित गुणवत्ता और विभिन्न सामग्रियों की मात्रा का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित होगा।

प्रस्तावित आरपीटी की सामग्री शर्तों और मूल्य निर्धारण के आधार सहित प्रबंधन ने कानून के तहत ऑडिट समिति को प्रासंगिक विवरण प्रदान किया है। ऑडिट समिति ने सभी आवश्यक सूचनाओं की समीक्षा करने के बाद, सेल के साथ उपर्युक्त आरपीटी में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान की है। समिति ने नोट किया है कि उक्त लेनदेन निष्पक्ष आधार पर और कंपनी के सामान्य कारोबार में होगा।

तदनुसार, ऑडिट समिति के अनुमोदन के आधार पर, निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए नोटिस की मद संख्या 11 में निहित प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

कंपनी की संबंधित पार्टी मिनस डे बंगा (मॉरीशस) लिमिटडा मोजाम्बिक, (आईसीवीएल की संबंधित पार्टी) के साथ प्रस्तावित लेनदेन का विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 22 नवंबर, 2021 के सेबी परिपत्र सं. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2021/662 के अनुसार सूचना दी गई।

क्र.सं.	विशिष्ट	विवरण
1	संबंधित पक्ष का नाम और सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी के साथ उसका संबंध, जिसमें उसकी चिंता या हित की प्रकृति (वित्तीय या अन्यथा) शामिल है;	मिनस डे बंगा लिमिटाडा (एमबीएल) आईसीवीएल (सेल, आरआईएनएल, एनएमडीसी, सीआईएल और एनटीपीसी का संयुक्त उद्यम) की एक विदेशी संयुक्त उद्यम कंपनी है और फलस्वरूप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) की एक संबंधित पार्टी है। आईसीवीएल में सेल की 47.82% हिस्सेदारी है।
2	प्रकार, भौतिक शर्तें और प्रस्तावित लेनदेन का विवरण	जैसा कि ऊपर विवरण दिया गया है। दर्ज किए जाने वाले सभी लेनदेन निष्पक्ष हैं।
3	प्रस्तावित लेनदेन की अवधि	वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए आवर्ती प्रकृति और अनुमोदन
4	प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य	जैसा कि ऊपर बताया गया है
5	वित्तीय वर्ष 2021–22 को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष मानते हुए वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत	3.89%
6	इस बात का कारण कि क्यों आरपीटी सेल के हित में है	यह व्यवस्था कंपनी के लिए व्यावसायिक रूप से फायदेमंद है।
7	सूचीबद्ध इकाई या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी भी ऋण, इंटर–कॉर्पोरेट डिपॉज़िट, एडवांस या निवेश से संबंधित लेनदेन के विवरण: (i) प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में धन के स्रोत का विवरण (ii) जहां ऋण, इंटर–कॉर्पोरेट डिपॉज़िट, एडवांस या निवेश करने या देने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता है – ऋणग्रस्तता की प्रकृति; – कोष की लागत; तथा – कार्यकाल (iii) अनुबंध, कार्यकाल, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू शर्तें, चाहे सुरक्षित हों या असुरक्षित; यदि सुरक्षित है, तो सुरक्षा की प्रकृति। (iv) आरपीटी के अनुसार ऐसी निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा निधियों का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाएगा।	लागू नहीं
8	यह बयान कि मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध इकाई पर आधारित हैं, शेयरधारक के पंजीकृत ईमेल एड्रेस के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।	लागू नहीं
9	कोई अन्य जानकारी जो प्रासंगिक हो सकती है	इस नोटिस का हिस्सा बनने वाली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाले बयान का हिस्सा हैं।

निष्पक्ष मुल्य निर्धारण

इस प्रस्ताव में उल्लिखित संबंधित पार्टी लेनदेन(ओं)/अनुबंध/व्यवस्था(ओं) की निष्पक्ष परीक्षण मानदंडों को पूरा करती है। संबंधित पार्टी लेनदेन(ओं)/अनुबंध(ओं)/व्यवस्था(ओं) को भी व्यापार के सामान्य ढंग के तहत अनुबंध के रूप में अर्हता प्राप्त होती है।

आरपीटी की प्रविष्टि संबंधित सामग्री और सेवा के बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी, जो कुल मिलाकर ₹4,000 करोड़ से अधिक नहीं होगी। जहां बाजार मूल्य उपलब्ध नहीं है, स्वतंत्र कंसल्टिंग फर्म के विवेकाधिकार पर लागू वास्तविक लागत या लागत सहित मार्क–अप की प्रतिपूर्ति सहित वैकल्पिक पद्धति को निष्पक्ष मूल्य निर्धारण मानदंड के अनुसार माना गया है।

सदस्य ध्यान दें कि सेबी सूचीबद्ध विनियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, संबंधित पार्टियों के तहत परिभाषित (चाहे ऐसी संबंधित पार्टी उपरोक्त लेनदेन के लिए एक पार्टी है या नहीं), आइटम संख्या 11 के तहत प्रस्तावों को मंजूरी देने के लिए मतदान नहीं करेंगे।

कंपनी के किसी भी निदेशक और/या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और/या उनके संबंधित रिश्तेदारों का कंपनी में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक नोटिस के मद संख्या 11 में उल्लिखित प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध या रुचि नहीं है, यदि कोई हो, सिवाय नीचे दिए गए अनुसार:

श्रीमती सोमा मंडल, अध्यक्ष, सेल, आईसीवीएल की गैर–कार्यकारी अध्यक्ष हैं और श्री अनिल कुमार तुल्सीआनी, निदेशक (वित्त), सेल और श्री अनिर्बन दासगुप्ता, निदेशक (प्रभारी– भिलाई स्टील प्लांट), सेल आईसीवीएल बोर्ड में गैर–कार्यकारी नामित निदेशक हैं।

बोर्ड सदस्यों के अनुमोदन के लिए नोटिस में मद संख्या 11 में निर्धारित प्रासंगिक सामान्य प्रस्ताव की सिफारिश करता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

(एम.बी. बालाकृष्णन)
सीजीएम (वित्त) और कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 5 सितंबर, 2022

पंजीकृत कार्यालय:
इस्पात भवन, लोदी रोड, नई दिल्ली–110003।
सीआईएन: L27109DL1973GOI006454

सेबी के नियमों के अनुसार प्रस्तुत वार्षिक आम बैठक में पुनर्नियुक्ति/नियुक्ति चाहने वाले निदेशकों का विवरण:

निदेशक का नाम	श्री अमरेंदु प्रकाश	श्री अतानु भौमिक	श्री कृष्ण कुमार सिंह	श्री अरविंद कुमार सिंह
डीआईएन	08896653	08891338	09310667	09725842
जन्म तिथि	12 सितंबर, 1970	22 दिसंबर, 1964	1st July, 1967	3 नवंबर, 1964
नियुक्ति की तिथि	28 सितंबर, 2020	11 फरवरी, 2022	25thAugust, 2022	2 सितंबर, 2022
विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में विशेषज्ञता	संचालन	परियोजनाएं और संचालन	एचआरडी	तकनीकी प्रबंधन; विरोधाभास प्रबंधन; कारोबारी सौदेबाजी।
योग्यता	बी.टेक.	बीई/बीटेक (धातुकर्म); एमबीए (एचआर)	बीई	बीई (धातुकर्म)
उन कंपनियों की सूची जिनमें बाहरी निदेशक हैं।	शून्य	राउरकेला स्मार्ट सिटी लिमिटेड।	शून्य	शून्य
उन कंपनियों के बोर्ड की समितियों के अध्यक्ष/सदस्य, जिनमें वह निदेशक हैं।	सदस्यः परियोजना समिति; और सामरिक मुद्दों और संयुक्त उद्यम समिति।	सदस्यः स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति	सदस्यः कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) समिति; हितधारक संबंध समिति; स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति।	सदस्यः परियोजना समिति; स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण समिति; परिचालन मुद्दे समिति।
सेल में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	148	शून्य	शून्य

बैंक विवरण, पैन, ईमेल आईडी आदि प्रस्तुत करने का प्रारूप

सेवा में,

एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड
इकाईः स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
एफ–65, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1,
नई दिल्ली – 110020

श्रीमान,

मैं/हम, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के इक्विटी शेयरों के लिए सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुपालन में लाभांश के भुगतान या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अन्य संचार भेजने के लिए आपके रिकॉर्ड में निम्नलिखित विवरणों को अपडेट करने के लिए अपनी सहमति देता हूं।

फोलियो नंबरः.....

प्रथम/एकमात्र धारक का नाम :.....

बैंक का नामः.....

शाखा का नाम और पता : .....

खाता संख्या :.....

खाता प्रकार (एसबी/करंट): .....

आईएफएससी कोडः .....

एमआईसीआर कोडः .....

ईमेल आईडी :.....

फोन नंबर :.....

विवरण	शेयरधारक(कों) का नाम	पैन
पहला/एकमात्र शेयरधारक		
पहला संयुक्त शेयरधारक		
दूसरा संयुक्त शेयरधारक		

_____ _____ _____

पहले शेयरधारक के हस्ताक्षर पहले संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर दूसरे संयुक्त शेयरधारक के हस्ताक्षर

दिनांक :_____

स्थान :_____

संलग्नः रद्द किया हुआ मूल चेक लीफ–लेट या खाता धारक के नाम को दर्शाने वाली बैंक पास बुक की सत्यापित कॉपी और पैन कार्ड (ओं) की स्वयं सत्यापित कॉपी।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

सेल SAIL

सेल अपनी कैप्टिव खानों से लौह अयस्क की सम्पूर्ण जरुरत पूरी करता है

सेल लौह अयस्क, फ्लक्स (लाइमस्टोन और डोलोमाइट), खाना पकाने के कोयले और गैर-खाना पकाने वाले कोयले के खनन में शामिल है।

आधुनिकीकरण

अत्याधुनिक

हरा

लौह अयस्क

झारखंड
- किरिबुरु
- मेघाहातुबुरु
- गुआ
- मनोहरपुर

ओडिशा
- बोलानी
- बरसुआ
- तलडीह
- कलता

छत्तीसगढ़
- राजहरा
- दल्ली
- झारंदल्ली
- महामाया
- दुल्की
- रावघाट

कोयला

झारखंड
- चासनल्ला
- जितपुर
- टसरा

पश्चिम बंगाल
- रामनगोर

फ्लक्स

छत्तीसगढ़
- हिरी
- नंदिनी

झारखंड
- तुलसीदामर

कर्नाटका
- भाद्रिगुंड
- केंचापुडा

मध्य प्रदेश
- कुटेश्वर

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड
STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

SAILsteelofficial SteelAuthority SAILsteel Steel Authority of India Limited

www.sail.co.in

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड

STEEL AUTHORITY OF INDIA LIMITED

www.sail.co.in

हर किसी की ज़िन्दगी से जुड़ा हुआ है सेल

SHARAD